

ऋत्तर-वैदिक सत् संस्कृति

[एक अध्ययन]

लेखक

डॉ० विजय बहादुर राव पम० ५०, पी-एच० डॉ०
प्राचीन इतिहास संस्कृति पव पुरातत्व विभाग,
गोरखपुर विश्वविद्यालय

प्रवेशक

डॉ० विश्वम्भर शरण पाठक
अध्यक्ष, प्राचीन इतिहास संस्कृति पव पुरातत्व विभाग,
गोरखपुर विश्वविद्यालय

भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी

प्रकाशक
किशोरचन्द्र जैन
भारतीय विद्या प्रकाशन
पो० वॉक्स १०८, कच्छीडी गली, वाराणसी

प्रथम संस्करण १०००
१५ अगस्त १९६६
मूल्य : १२-००

मुद्रक
शरद्धमार 'साधक'
मानव मन्दिर मुद्रणालय
नरहरपुरा, वाराणसी

आदरणीय भ्राता
श्री मूरत नारायण राव
को
सादर
●

प्रवेशक

नित्य छिप जानेवाली और प्रतिदिन प्रभात में अपने सौन्दर्य को बिखेरने वाली, अतीत और वर्तमान के युगल तत्त्वों से विभूषित उषा के समान इतिहास-सरचन भी द्विर्हाँ है—

एषा व्येनी भवति द्विर्हा
आविष्कृण्वाना तन्वं पुरस्तात् ।

इतिहास के लेखन का आधार ही है—विगत और वर्तमान का अन्तरावलम्बन, वृत्त और वर्तिष्यमाण के बीच एक निरन्तर चलनेवाला सम्बाद । नित्य परिवर्त्तित वर्तमान नित नये ढग से समोक्षा करता हुआ अतीत की कथा को नये-नये परिवेश में उपस्थित करता रहता है । अत इतिहास के लेखन में पूर्व का काल और आज का समय दोनों रहते हैं—अर्धनारीश्वर के समान नहीं जिसमें शिव और शक्ति अपने आधे-आधे व्यक्तित्वों के साथ एक दूसरे से जुड़े मान हैं किन्तु वाक् और अर्थ के सदृश जो दोनों अविशक्तित रूप में संपूर्कत है ।

अतीत के कथा की जो नवीन व्याख्या होती चलती है, उसका आधार है वर्तमान की अपनी दृष्टि और अपनी विधा । इस विचारोत्तेजक शोधप्रबन्ध में उत्तर वैदिककालीन सास्कृतिक परिप्रेक्ष्य में लेखक ने यह अभिनव दृष्टि और यह नई विधा देने का प्रयास किया जिसके कारण कुछ नये प्रश्न उठे और फलस्वरूप पूर्वप्रतिष्ठित इतिहास-सरचन की विधा को एक मृदु आङ्गान भी मिला, जिसका किंचित् विवेचन यहाँ अभीप्सित है ।

प्रथम समस्या है—पुरातात्त्विक साक्ष्य और इस काल की साहित्य-परम्परा के सामन्जस्य की । पुरैतिहासिक काल के लिये विशेषत सैन्धव सम्पत्ता के इतिहास-लेखन में पुरातत्त्वज्ञ तत्कालीन साहित्यिक साक्ष्य के विमर्श में कुछ परेशानी का अनुभव करते हैं । यह माना जाता है कि ऋग्वेदीय और सैन्धव सम्पत्ता किन्हीं स्थितियों में समकालीन थी । अत साधारणत यह निष्कर्ष निकाला जावेगा कि सैधव सम्पत्ता का कुछ विकृत अथवा प्राकृत प्रतिफलन ऋग्वेदीय साहित्य पर पड़ सकता है । किन्तु इस प्रतिफलन का शोध और पुरातात्त्विक साक्ष्य के साथ उसका सामन्जस्य अनिर्णीत है । इस प्रस्तग में प्रस्तुत प्रवन्ध के लेखक ने ऋग्वेद के मत्र का उद्धरण देकर उसकी पुरातात्त्विक प्रसङ्ग में व्याख्या की है —

स इदात् तुवीर व पतिर्दन पद्म त्रिशोर्पण दमन्यत् ।

अस्य पितो न्वो जसा वृधानो विपा वराहमयो अग्रयाहन् ॥ १०.६६ ६

यहाँ तीन सिर वाले (त्रिशीर्प) और छः आँख के ऐसे दास का उल्लेख है जो त्रित के द्वारा मारा गया । इस त्रिशीर्प का उल्लेख ऋग्वेद में अन्यत्र (१० द. ८) भी है जहाँ उसे त्वष्ट्रा का पुत्र और दस्यु कहा गया । यह परम्परा ब्राह्मणों और सहिताओं में भी उपलब्ध होती है । नैतिरीय सहिता में—

‘विश्वरूपो वैत्वाष्ट् पुरोहितो देवानामासीत्
स्वस्त्रीयोऽसुराणा तस्य त्रीणि शीर्षाण्या
सन् त्सोमपान सुरापानमन्नादन । स
प्रत्यक्ष देवेभ्यो भागमवदत् परोक्षमसुरेभ्य ।
तस्मादिन्द्रोऽविभेदीदृढ़ वै राष्ट्र
विषयवित्तयतीति । तस्य वज्रभादाय
शीर्षाण्यच्छन्द्यत् सोमपानम् ।’ २ ५ १ १

यहाँ त्वष्ट्रा के पुत्र त्रिशीर्प-विश्वरूप को असुरों का भागिनेय और देवों का पुरोहित बतलाया गया तथा त्रित के स्थान पर इन्द्र को उसका शिरदछेत्ता कहा गया । यह कथा शतपथ ब्राह्मण में भी उपलब्ध होती है जिसका सक्षिप्त कथन भागवत में तथा विस्तार से पल्लवन महाभारत में है । महाभारत में—

ऐन्द्र स प्रार्थयत्स्थान विश्वरूपो महाद्युति ।
तैस्त्रिभिर्वर्दनैधोरं सूर्येन्दुज्ज्वलनोपमै ॥४॥
वेदानेकान् सोऽधीते सुरामेकेन चापिवत् ।
एकेन च दिश सर्वा पिवन्निव निरीक्षते ॥५॥
स तपस्वी मृदुर्दान्तो धर्मे तपसि चोघत ।
तपस्तस्य महत् तीव्र सुदुश्चरमरिन्दमम् ॥६॥
—उद्योग, सेनोदयोग पर्व अध्याय ९

यहाँ ऐन्द्र पद की प्राप्ति के लिए त्रिशिरा-विश्वरूप का सधर्प व्याख्यात है । यह भी व्यातव्य है कि त्रिशिरा-विश्वरूप को महान् तपस्वी बतलाया गया । अन्यत्र महाभारत में विश्वरूप को सत् और असत् के परे विश्वोत्तीर्ण और विश्वानुग रूप में श्रेष्ठतम् देवतत्व के रूप से भी चिह्नित किया गया है । प्रसगात् उल्लेख्य है कि विश्वरूप के समान रूद्र को भी त्वष्ट्रा का पुत्र हरिवद्य में बतलाया गया है ।

विश्वरूप-त्रिशिरा के तपस्वी-रूप के प्रसग में कौपीतिकी ब्राह्मण का वह अंश जो तैत्तिरीय सहिता के वेदार्थ प्रकाश भाव्य में उद्भूत है काफी महत्वपूर्ण

होगा । उसमें त्रिशिरा-विश्वरूप को अरुणमुख यतियो में गिनाया गया है जिनको इन्द्र ने मार कर भेडियों को खिला दिया था—

‘अतएव कौपीतिकन इन्द्रवाक्यमेतदामनन्ति
यन्मा विजानीयात्त्रशीषाण त्वाष्ट्रमहमरु
न्मुखान् यतोन् सालावृकेऽम्य प्रायच्छम् ।’

इस तीन सिर वाले दास-दस्यु-यति-तपस्वी तथा विश्वानुग और विश्वोत्तीर्ण श्रेष्ठतम देव को प्रस्तुत शोध प्रबध के लेखक ने अत्यन्त सक्षेप में पहिचान सैन्धव सम्यता के उस त्रिशीर्प पशुपति से की है जो एक मुद्रा पर योगी-महातपस्वी के रूप में उत्खनित है तथा जिसको सर जॉन मार्शन ने ऐतिहासिक शिव का पूर्वरूप कहा है ।

यहाँ भारतीय साहित्य के साक्ष्य के साथ ही अवेस्ता में उल्लिखित परम्परा भी दृष्टव्य है । गोश-द्वास्प-यश्त में —

वीसो पुत्रो आध्यानोइश्
वोसो सूरयो थूबेतआँनो ।१३
अजीं दहाक
ध्वष-अपी षिकभरधम्
अशाओंजडधम् दबेवी द्वजम् ।१४

आध्य के पुत्र थूबेतआँनो ने तीन सिर वाले (थ्रिजफन), छ आँख वाले (ध्वश-अपी) दास (दहाक) को मारा । अवेस्ता और वैदिक साहित्य के विद्वान् ‘आप्त्य’ और ‘त्रित’ का अवेस्ता-रूपान्तर ‘आध्य’ और थूबेतआँनो को मानते हैं । इसलिये त्रिशीर्प एव पठ्च दास का त्रित के द्वारा मारा जाने की कथा को यथावत अवेस्ता-परम्परा है थ्रिजफन, ध्वष-अपी दहाक का थूबेतआँनो द्वारा मारा जाना ।

आर्वा अर्द्धीं सूर यश्त, राम यश्त, श्रद्ध यश्त तथा यस्न (६-८) में भी यह परम्परा उपलब्ध होती है । आर्वा यश्त (कर्तृ ६) में यह विशेष सूचना मिलती है कि अजी दहाक बब्रोइ में मारा गया । बब्रोइ की पहिचान हरवामनी अभिलेखों और जातक साहित्य के बावेह से और इसलिये बेबिलोन से की गई है (स्पीगेल. अवेस्ता पृ० ३४ पादटिप्पणी) ।

त्रिशीर्प-विश्वरूप थ्रिजफन अजी दहाक और त्रिमुख सैन्धव पशुपति का विचार-सूत्र जब बेबिलोन के पास पहुँचता है तो अनातोलिया के माध्यम से बेबिलोनी सास्कृति के कुछ तत्त्व बटोरे हुये हित्ती सम्यता में आदृत तेशुव की समस्या एक नवीन रूप धारण कर लेती है । हित्तों पुरातत्त्व से ज्ञात तेशुव

वृषभवाह, त्रिशूलधारी और पशुओं से धिरा हुआ है। उसकी पत्नी हैपत सिंह वाहिनी है। ये अनेकविधि तत्त्व तेशुव को शिव-पशुपति के निकट ले आते हैं (हमचन्द्र राय चौधरी, प्रोटोटाइप्स आफ शिव इन वेस्टर्न एशिया, डी आर भण्डारकर कमेमोरेशन वाल्यूम पृ० ३०२)।

इसमें सन्देह स्वल्प है कि इन दो सैन्धव एवं हित्ती पुरातत्त्वों के साक्ष्य और ऋग्वेदीय तथा अवेस्ता को उपर्युक्त परम्पराओं में अनेक विधि साम्य है किन्तु इन ऐतिहासिक तत्त्वों की व्याख्या-विषयक एवं इस प्रकार के साक्ष्यों के बलाबल का निर्णय करने के लिए अभी कोई भीमासा-शास्त्र उपलब्ध नहीं, और न इस प्रकार के हेतु और हेत्वाभासों में अन्तर बतलाने वाला कोई तर्कशास्त्र ही।

इस शोध प्रबन्ध से जिसका साक्षात् सम्बन्ध है ऐसी दूसरी समस्या है समाजशास्त्र की उपलब्धियों से इतिहास के कलेवर सजाने की।

बीसवीं शताब्दी के प्राथमिक दशकों तक प्राचीन भारतीय सामाजिक इतिहास और समाजशास्त्र की शोध की वृत्ति और विधा में काफी समानता थी। इस परम्परा के आज भी कुछ समाजशास्त्री हैं जो अपने अन्वेषण को ऐतिहासिक भूमिका से अलगृहत करते हैं। इस प्रसंग में विशेषतः उल्लेखनीय है मैक्स वेवर का जर्मन भाषा में उपनिवद्ध भारतीय धर्मों के समाजशास्त्रीय अध्ययन का स्तुत्य प्रयास।

बाद में प्रयोगात्मक विज्ञान की शीघ्र पद्धति का प्रभाव समाज-विज्ञान के विभिन्न शास्त्रों पर पड़ा और जिस प्रकार रौं के और मॉसेसेन के प्रयत्नों से इतिहास में इतिवृत्तात्मक तत्त्वों का प्राधान्य तथा सिद्धान्त-प्रतिपादन में असुचि आई, उसी प्रकार समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य (फील्ड वर्क) में निरीक्षित सामग्री के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण तथा उसकी सीमित व्याख्या का बोल बाला हुआ। स्वाभाविक ही था ऐसे प्रयास में प्राचीन ऐतिहासिक परिपार्श्व का धीरे-धीरे शलग हो जाना। किन्तु समाजशास्त्र अथवा समाज-नृत्तव्यशास्त्र की (यथार्थतः ये दोनों शास्त्र अभिन्न हैं—इनका भेद बनावटी है) इस प्रकार की उपलब्धियाँ भी इतिहास-सरचन के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिये श्री निवास के संस्कृतीकरण का और मेकिम मेरियट के ग्रेट ट्रैडीशन और लिटिल ट्रैडीशन के सांचे में ढला हुआ पेरोकियलाइजेशन का सिद्धान्त, भारतीय संस्कृति के विशाल अतीत में विविधता को समझने के लिए उपादेय हो सकते हैं। साथ ही आदिम जातियों का अध्ययन, ग्राम्य और नागर जीवन के परिपार्श्व में परिवर्तनों के कारण, ब्राह्मणों के गोत्र-प्रवर-शास्त्र का क्षेत्रीय विस्तार आदि विषय प्राचीन भारतीय इतिहास में नवीन पहलुओं का उद्घाटन कर सकेंगे। आधुनिक समाज-

शास्त्रियों में इवास प्रिचर्ड ने इतिहास और समाजशास्त्र का घनिष्ठ सम्बन्ध स्वीकार कर अध्ययन के इस द्विवर्त्मक स्वरूप पर जोर दिया है। इसी प्रकार कठिपय इतिहासकार जैसे अमेरिकी लेखक कॉकरेन और हॉफस्टेडर ने समाज-शास्त्रीय उपलब्धियों का इतिहास-सरचन में उपयोग किया है। भारत में तो प्राचीन इतिहास और समाजशास्त्र में शोध का उद्भव भी प्राय साथ ही साथ हुआ। फिर, परम्परा-विभूषित भारत देश में जहाँ प्राचीन तत्त्व पाषाणीकृत अथवा दूसरे प्रकार परिवर्तित रूप में आज भी मौजूद हैं समाजशास्त्र और प्राचीन इतिहास एक दूसरे को प्रभावित करते ही रहेंगे।

यह सच है कि प्राचीन इतिहास और समाजशास्त्र के अध्ययन-प्रणालियों में अन्तर है—उनकी दिशा भी भिन्न है। यदि समाजशास्त्री 'समाज में विखरे हुए जीवित उपकरणों का अपने अध्ययन में उपयोग करता है तो इतिहासकार साधारणत पुरातत्त्व तथा प्राचीन लिखित सामग्री पर निर्भर रहता है। इतिहासकार विशेष (पर्टीकुलर) की विशेषता घोटन करता है तो समाजशास्त्री विशेष की आशिक अथवा पूर्ण सामान्यता की ओर उन्मुख है।

इसलिए इतिहासकार के सम्मुख समाजशास्त्रीय उपलब्धियों का उपयोग करने में अनेक विधि समस्यायें उपस्थित होती हैं। टार्मस कॉकरेन और हॉफस्टेडर ने अमेरिकी इतिहास के प्रसग में इन कठिनाइयों का तथा उनके दूर करने के उपायों का विवेचन किया है (द्रष्टव्य, कॉकरेन द्वी सोशल साइसेज एण्ड द्वी प्रालेम आफ हिस्टोरिकल सियेसिस, हाफस्टेडर हिस्ट्री एण्ड द्वी सोशल साइसेज)। किन्तु प्राचीन भारतीय इतिहास और समाजशास्त्र की समस्यायें बहुत भिन्न हैं।

इगित के रूप में इस शोध प्रबन्ध में उठाई गई 'कामचार' (प्रॉमिस्क्वटी) के प्रथा की समस्या का विवेचन किया जा सकता है। वेस्टर्निंग आदि विद्वानों ने विवाह के पूर्व प्रचलित कामचार के रूपों का तारतमिक विवेचन कर स्त्री-पुरुष सम्बन्धों के विकास का इतिहास प्रस्तुत किया। इस मूलाधार पर डा० काशीप्रसाद जायसवाल और प्रो० अनन्त सदाशिव आलेतकर ने प्राचीन भारत में विवाह का क्रमिक विकास बतलाने को चेष्टा की। महाभारत में कम से कम पांच स्थानों पर कामचार की प्रथा का उल्लेख है (सभापर्व १२३।३-२१ और १०४।३४-३६, कर्णपर्व, ३०, इत्यादि)। ऋग्वेद में विवाह-प्रथा का प्रतिष्ठित रूप दिखाई देता है, अत उपर्युक्त विद्वानों ने महाभारत के इन कामचारों को प्राक् ऋग्वेदीय काल की प्रतिष्ठनि के रूप से स्वीकार किया। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के लेखक ने इस आधार पर आगे बढ़ कर कहा कि ये कामचार सैन्धव

सम्यता में प्रचलित थे और महाभारत के साक्ष्य को कुछ पुरातत्त्विक सामग्री से समर्थित किया । इतिहास का सतर्क विद्यार्थी इस निष्कर्ष-परम्परा को पूर्णतः स्वीकार करने में हिचकता है, क्योंकि महाभारत के ये आख्यान काल-क्रम में ठीक संजोकर नहीं रखे जा सकते हैं । इनमें से एक आख्यान तो निश्चित ही बहुत बाद का है । कर्णपर्व के मद्र-कृत्सन अध्याय में कर्णमद्र देश की निन्दा करता हुआ कहता है

वासास्युत्सृज्य नृत्यन्ति स्त्रियो या मद्यविमोहिता ।
मैथुनेऽसयतश्चापि यथाकामवशाश्चता ॥

यह निश्चित ही कामचार का अथवा यो कहें कि शिथिल दाम्पत्य जीवन का वर्णन है, किन्तु यह कहना कि कामचार का वर्णन मात्र होने से ही यह प्राकृत्कृत्वेदीय काल का है, सिद्ध-साधन दोष से दूषित होगा । सीभाग्यवश, इस आख्यान का कुछ सामान्य फग से काल निश्चित किया जा सकता है । पजाव के आचारों का वर्णन उपस्थित करते समय इस अध्याय में उक्त है

शाकल नाम नगरमापगा नाम निम्नगा ।
जर्त्तिका नाम वाहीकास्तेपा वृत्त सुनिन्दितम् ॥

यहाँ स्पष्टत जर्त्तिक नामक जनों के वृत्तों का वर्णन है । मैं इन जर्त्तिकों की पहिचान चन्द्र-न्याकरण के 'जर्तु' जनों से करता हूँ जहाँ लिखा गया है कि अजयजर्तु हूणान् । ये जर्तु-जर्त्तिक सम्भवत आज के जाट हैं । अत मद्रकृत्सन अध्याय का साक्ष्य आदिम (प्रिमिटिव) जीवन भले ही व्यक्त करता हो, उसको ऋग्वेद के पूर्व की स्त्रृकृति का साक्षी नहीं माना जा सकेगा । इस प्रकार के अन्य आख्यानों का काल निश्चित नहीं किया जा सकता है, और इसलिए इतिहास के विद्यार्थी को इस प्रकार की सामग्री के सम्बन्ध में मौन का ही अवलम्बन करना पड़ेगा ।

इसी प्रकार विश्व के विभिन्न भागों में फैली हुई जन-जातियों के अध्ययन से समाज शास्त्रियों ने राज्य की उत्पत्ति, परिवार के सगठन, नागरीकरण से स्त्रृकृति और जीवन-पद्धति में परिवर्तन आदि ऐसे विषयों का छहापोह किया है जो इतिहासकार के रुचि-वृत्त के अन्तर्गत हैं । नागरीकरण केवल आज को ही उत्पन्न प्रवृत्ति नहीं । भारतीय स्त्रृकृति भी ग्राम्य एव नागर जीवन की दोला पर झूलती हुई बदली है । किन्तु नागरीकरण के परिवर्तन की जो रूपरेखा समाजशास्त्री रखते हैं उसका उपयोग इतिहास का विद्यार्थी किस प्रकार कर सकता है—यह आज भी विवेचनीय है । राज्य की उत्पत्ति का जो सामान्य ढाचा समाजशास्त्र में उपलब्ध है वह क्या स्त्रृकृति-विशेष के परिप्रेक्ष्य में दूट न

जायगा—इसकी असभावना कैसे की जा सकती है ? प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के लेखक ने समाजशास्त्रीय निष्कर्षों और उपचिंहयों को ऐतिहासिक विश्लेषण की कसीटी पर कसा है—देश-काल-विशिष्ट साक्ष्यों से पुष्ट कर ही स्वीकार किया है।

तीसरी समस्या उठती है तुलनात्मक भाषाविज्ञान की उपलब्धियों का इतिहास-सरचन में उपयोग करने पर । भाषाविज्ञान के अनेक पक्षों का क्रमशः उद्घाटन हो रहा है—रॉटों क्रॉनॉलॉजी की शाखा इतिहास के विद्वानों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगी । इनके प्रयोग के लिए इतिहासकार को अपनी कल्पविधि तो प्रस्तुत करनी ही पड़ेगी । किंतु यहाँ विचारणीय है पारम्परिक तुलनात्मक भाषाविज्ञान के सिद्धान्तों का इतिहास में यथावत प्रयोग करने से उठने वाली कठिनाइयाँ । उदाहरण के लिए 'शर्व' शब्द को लें । ब्राह्मणों में शिव के अनेक नामों में शर्व भी बतलाया गया है । किन्तु ऋग्वेदीय देवतामण्डल में शर्व अनुपस्थित है । सर्वप्रथम शर्व के दशन हमें अर्थवेद में होते हैं । अत साधारणत मान्य सिद्धान्त है कि 'शर्व' उत्तर वैदिककालीन भारतीय देव है, और इसका सम्बन्ध भारत के बाहर—भारतेरानी अथवा भारोपीय सस्कृति से नहीं । किन्तु अवेस्ता के वेदिदाद (विद्विवोदात, कर्त १०, १७) में इन्द्र (इन्द्र), नाभहेति (नासत्य द्वय), जैर (हरि) और तौरु के साथ शौरु (शर्व) का उल्लेख है । प्राय सभी अवेस्ता साहित्य के विद्वान् शौरु के साथ शर्व की पहिचान करते हैं—उनको अभिन्नता धोपित करते हैं (माटिन हॉग एसेज आॅन दी सेक्रेड लैंग्वेज, रायटिंग एण्ड रिलीजन आॉफ दी पारसीज्, १८६२, पृ० २३०, आर्थर हेनरी व्लेक, अवेस्ता, १८६४ पृ० ६३-९४, जेइनर दि डॉन एण्ड ट्रिलाइट आॉफ जोरास्ट्रियनिज्म, १९६१, पृ० ८८) । यहाँ शर्व के साथ ऋग्वेदीय देवताओं इन्द्र और नासत्य का उल्लेख द्रष्टव्य है । अर्थवेद के शर्व को अवेस्ता के शर्व के साथ मिलाने में अनेक समस्यायें उपस्थित होती हैं । यह माना जाता है कि भारतेरानी आयों की एक शाखा ईरान में वसी ओर दूसरी भारतवर्ष में आई । आयों के भारतीय शाखा की सस्कृति ऋग्वेद में अशत प्रतिविनिवृत्ति है और ईरानी आयों को परम्परा कुछ परिवर्तित रूप में अवेस्ता में सम्भ्रहीत है । सस्कृति के जो तत्त्व अवेस्ता और ऋग्वेद में अभिन्न रूप से मिलते हैं, वे मूल भारतेरानी से लिये गये और इसलिये भारतेरानी युग के माने जाते हैं । किन्तु जब हम शर्व के दर्शन अवेस्ता में करते हैं और फिर उसे ऋग्वेद में न पाकर अर्थवेद में देखते हैं तो उपर्युक्त मान्य सिद्धान्त में विसंगति उपस्थित होती है—यह प्रश्न उठता है कि शर्व को ऋग्वेद के अवान्तर काल का देव मानें अथवा भारतेरानी युग का ।

इस प्रकार के नवोन प्रश्न और नयी समस्यायें उपस्थित कर उनके समाधान के माध्यम से प्रस्तुत लेखक ने उत्तर वैदिककाल की सस्कृति के इतिहास को

अभिनव सज्जा देने का प्रयत्न किया है। स्वयं उत्तरवैदिक काल भारतीय सस्कृति के अध्ययन के लिए असाधारण महत्त्व का है क्योंकि इस काल के साहित्य में भारतीय सस्कृति के मूलाधार का रूपाङ्कन विशेष स्पष्ट है। प्रयाग के सगम में यमुना के समान किरात, निपाद आदि सहायक सास्कृतिक घारायें प्रमुख प्रवाह से मिलकर भी अपने योग को इस काल के साहित्य में आपेक्षिक रीति से पृथक् रूप में स्पष्ट करती है। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में इन सबका सतर्क विवेचन है। सस्कृति के विभिन्न पक्षों का उद्धाटन तो इस प्रबन्ध में प्राप्त ही होता है, किन्तु साथ में विभिन्न पक्षों के अन्तरावलम्बन पर भी धृष्टि है। इस ग्रथ से हिन्दी साहित्य के भारती-भवन की निश्चित ही श्री वृद्धि होगी।

—चिह्न शरण पाठक

प्राक्कृत्यन

भारतीय सस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ग्रहणशीलता एवं समन्वय की प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति पुरा-ऐतिहासिक काल से लेकर आज तक एक सास्कृतिक आदर्श के रूप में सदैव उपस्थित रही है। ऐतिहासिक युग में भारतीय समाज ने जहाँ धर्मो, शको, पहलवो एवं हृणो को आत्मसात किया, वहाँ पुरा-ऐतिहासिक युग में द्रविड़ (भूमध्यसागरीय) निपाद (प्रोटो-आस्ट्रलायड) किरात (मगोलायड) एवं आर्य जाति के सम्पर्क एवं सामजस्य के परिणामस्वरूप भारतीय समाज एवं सस्कृति का स्वरूप निर्धारित हुआ। आर्यों के भारत-प्रवेश के समय पजाव और सिन्ध में समृद्ध सैन्धव सस्कृति का विस्तार था। यद्यपि आर्यों ने पराक्रम से सैन्धव सस्कृति के भौतिक कलेवर को छवस्त कर दिया किन्तु यह विघ्वश निरन्वय नहीं था। सैन्धव सस्कृति की परम्परायें उसके बाद भी जीवित रही तथा उत्तरवैदिक युग के अपेक्षया शान्त एवं सहयोगपूर्ण बातावरण में पुनरुभज्जित एवं विकसित हुई। पूर्व वैदिक युग को आर्य-सस्कृति उत्तर वैदिक-युग में पूर्ववर्तिनों आर्यों तर सैन्धव सस्कृति से अतिशय प्रभावित हुई। सत्य तो यह है कि आर्य एवं आर्यों तर सास्कृतिक आदर्शों एवं उपलब्धियों के सामजस्य से ही उत्तर वैदिक सस्कृति का स्वरूप स्थिर हुआ। उत्तर-वैदिक समाज एवं सस्कृति के निर्माण में द्रविड़ एवं आर्य जातियों के अतिरिक्त गगा की धाटों में वसनेवाले निपादों का भी प्रवल योग था। यही प्रदेश उत्तर-वैदिक सास्कृतिक जीवन का केन्द्र भी था। आर्य एवं आर्यों तर सास्कृतिक धाराओं में समन्वय की प्रवृत्ति उत्तर-वैदिक जीवन के विविध क्षेत्रों में द्रष्टव्य है। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के अन्तर्गत सगन्धय की इस प्रक्रिया को प्रमुख स्थान दिया गया है।

यह शोध-प्रबन्ध छ अध्यायों में विभक्त है जिनके माध्यम से उत्तर-वैदिक समाज एवं सस्कृति के कुछ प्रमुख पक्षों पर विचार किया गया है। प्रथम अध्याय में उत्तर-वैदिक सस्कृति के विकास की सास्कृतिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है तथा उन प्रजातियों एवं सस्कृतियों का उल्लेख किया गया है जिनके सधर्प एवं समन्वयके परिणामस्वरूप उत्तर-वैदिक समाज एवं सस्कृति का स्वरूप निर्धारित हुआ। इस प्रसंग में पुरातात्विक प्रमाणों के साथ ही नृत्त्यशास्त्रीय एवं भाषावैज्ञानिक साक्ष्यों की भी सहायता ली गई है। सर्वप्रथम प्रागार्य एवं आर्यों तर सैन्धवसम्पत्ता का वर्णन है जिसे मुख्यत भूमध्यसागरीय (द्रविड़) जाति की देन माना गया है। तत्पश्चात् क्रमशः निपाद, किरात एवं पूर्व-वैदिक आर्य-सस्कृति का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में सुविदित तथ्यों एवं मतों के अतिरिक्त कुछ नवीन विचार भी प्रस्तुत किये गये हैं जिनका यहाँ सकेत मात्र

प्राप्ति होगा । इनमें संघव समाज में भातृसत्तात्मक व्यवस्था, यौन-सम्बन्धों की शिथिलता, निकटामिगमनकी परम्परा तथा सन्तान-प्राप्ति के लिये विष्वल वृक्ष की उपासना आदि उल्लेखनीय है । इसी प्रकार मुनियों और श्रमणों की अवैदिक धार्मिक परम्परा को निपाद सकृति से सम्बद्ध किया गया है ।

द्वितीय अध्याय में उत्तर-वैदिक युग के भौतिक जीवन एवं आर्थिक प्रगति का वर्णन है । आर्थिक दृष्टि से उत्तर-वैदिक समाज की कुछ उपलब्धियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । इस प्रसग में समाज का लौह युग में प्रवेश, विलुप्त नागरिक-जीवन का पुनरुत्थान, विविध शिल्पों का विकास तथा वाणिज्य एवं व्यापार का सम्बर्धन आदि उल्लेखनीय तथ्य हैं । इनमें प्रथम को छोड़ कर शेष सभी के विकास में आर्येतर संघव सकृति का प्रभाव परिलक्षित होता है । इस अध्याय-की सामग्री साहित्यिक एवं पुरातात्त्विक साक्षों के समवेत एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत की गई है ।

तृतीय अध्याय में वर्ण-विभाजन की वर्धमान प्रक्रिया का विवरण दिया गया है । इस प्रसग में कुछ बातें विशेष उल्लेखनीय हैं । उदाहरण के लिये सामाजिक श्रेष्ठता एवं नेतृत्व के लिये व्याप्त वर्ण-संघर्ष, वर्ण-व्यवस्था के भाईयम से आर्य एवं आर्येतर समाज का परस्पर विलयित एवं निमज्जित हो जाना तथा अधिकाश आर्येतरों का शूद्र वर्ण के अन्तर्गत परिगणन एवं शूद्रों की हीनस्थिति युगीन वर्ण-व्यवस्था की प्रमुख विशेषतायें हैं । वर्ण-व्यवस्था के विकास के साथ ही वैश्यों की स्थिति में धार्मिक ह्लास अनार्य-सम्पर्क-जन्य था ।

चतुर्थ अध्याय में उत्तर-वैदिक-युगीन पारिवारिक संगठन एवं उसको प्रभावित करने वाली विभिन्न आर्थिक, धार्मिक शक्तियों की विवेचना की गई है तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य की स्थिति पर विचार करते हुये उनके महत्व में ह्लास वथवा विस्तार के कारणों का उल्लेख हुआ है । इस युग में स्त्रियों को दशा ह्लासोन्मुख दिखाई देती है । स्त्रियों को धार्मिक क्रियाकलापों से बहिष्कृत करने की प्रवृत्ति तथा वर्धमान बहुमार्यता के पीछे भी आर्य आर्येतर सम्पर्क एक प्रेरक तत्व माना गया है ।

पचम अध्याय में उत्तर-वैदिक युग में राजशक्ति के विकास का दृष्टिह्लास प्रस्तुत किया गया है । इस युग में सर्वप्रथम स्थायी भूमियुक्त राज्यों की स्थापना तथा विभिन्न प्रकार की शासन-पद्धतियों को कल्पना हुई है । इनमें स्वराज्य एवं मौज्य शासन पद्धतियों का सम्बन्ध आर्येतर परम्परा से प्रतीत होता है । इस अध्याय में राजा की शक्ति, अधिकार एवं कर्तव्य, राजसत्ता पर अकुश तथा राजकर्मचारियों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दिया गया है ।

छठे अध्याय में उत्तर-वैदिक धर्म के विकास का अध्ययन है । उत्तर-वैदिक धर्म में पूर्व-वैदिक धार्मिक परम्पराओं के अन्त विकास के साथ ही आर्येतर धर्म-

धाराओं का प्रचुर प्रभाव भी परिलक्षित है। आर्य एवं आर्येतर परम्पराओं का समन्वय देवतत्व, यज्ञ-तत्त्व एवं दार्शनिक चिन्तन के विकास के क्षेत्र में समानरूपेण उपलब्ध होता है। देवताओं में रुद्र शिव तथा प्रजापति की वर्धमान प्रतिष्ठा अशत अनार्य-प्रभाव-जन्य है। इसी प्रकार पुरुषमेघ की अति-प्राचीन परम्परा का उन्मज्जन भी पुरातात्त्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर आर्य एवं आर्येतर सास्कृतिक धाराओं के समर्पक एवं सामन्बन्धस्य का परिणाम प्रतीत होता है। धर्म के क्षेत्र में समन्वयात्मक सामाजिक बुद्धि का श्रेष्ठतम उदाहरण प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का सामन्बन्ध है। ईशोपनिषद् में निष्काम-कर्म का सन्देश प्रथम बार मुखरित हुआ है तथा साथ ही नवाकुरित आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत भी निवृत्ति एवं प्रवृत्ति के समन्वय का प्रयास द्रष्टव्य है।

इस प्रबन्ध की रचना में वैदिक सहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों एवं उपनिषदों का उपयोग आधार-ग्रन्थ के रूप में हुआ है। ऋक्-सहिता का उपयोग विशेषतः पूर्व-वैदिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करने के लिये किया गया है। प्रासादिक तथा आनुपांगिक उल्लेख के लिये अन्य परवर्ती सस्कृति एवं पालि ग्रन्थों की सहायता यत्र-तत्र ली गई है। इसके अतिरिक्त नृत्यशास्त्र एवं भाषाविज्ञान से ज्ञात तथ्यों का भी यथास्थान प्रयोग किया गया है। पुरातात्त्विक सामग्रीका प्रयोग तो ऐतिहासिक अध्ययन के लिये प्राय अनिवार्य है क्योंकि पुरातात्त्विक-प्रमाण साहित्यिक साक्ष्यों के लिये भी कसीटी का काम देते हैं तथा अनेक ऐसे तथ्यों का उद्घाटन एवं स्पष्टीकरण करते हैं जिनके विषय में साहित्य मौन एवं अस्पष्ट है। अतएव इस ग्रन्थ में उत्तर-वैदिक युग तथा उसकी पृष्ठभूमि से सम्बन्धित समग्र पुरातात्त्विक सामग्री का प्रयोग यथोचित ढंग से किया गया है।

इस प्रबन्ध के प्रणयन में अनेक लाधुनिक विद्वानों के ग्रन्थों से भी यथेष्टु सहायता ली गई है। स्थानाभाव के कारण यहाँ उन सबके नामों का उल्लेख सम्भव नहीं है इसलिये मैं उन सभी विद्वानों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जिनके नाम आधार-ग्रन्थ-सूची में उल्लिखित हैं।

इस प्रबन्ध-लेखन में लेखक को अनेक महानुभावों से सहाया एवं सहयोग प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत विषय पर शोध कार्य की प्रेरणा डा० गोविन्दचन्द्र पाण्डे, प्रोफेसर और अध्यक्ष इतिहास और सस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, ने दी थी। उन्होंने पाण्डुलिपि देखकर तथा अनेक वहमूल्य सुक्ष्माव देकर उपकृत किया जिसके लिए लेखक उनके प्रति आभार प्रकट करता है। डा० रामवृक्ष सिंह, रीडर, प्राचीन इतिहास सस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, के स्नेह एवं आशीर्वाद से ही यह शोध कार्य सम्पन्न हो सका है। उन्होंने इस प्रबन्ध की रचना में आद्योपान्त पयप्रदर्शन करके तथा दुरुह समस्याओं के समाधान द्वारा लेखक के उत्साह एवं विश्वास को सम्बलित किया

है। लेखक इस अनुग्रह के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। प्राचीन इतिहास सकृति एव पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष डा० विश्वम्भर शरण पाठक की प्रेरणा तथा उत्साहवर्धन से ही प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित हो सका है। उन्होंने विभिन्न व्यस्तताओं के होते हुए भी 'प्रवेशक' लिखकर लेखक को कृतार्थ किया है। लेखक इसके लिए उनका अत्यन्त अनुग्रहीत है। लेखक अपने मित्र एव सहोगी श्री श्रीराम गोयल के प्रति भी आभारी है जिन्होंने इस प्रबन्ध रचना में लेखक को हर सम्भव सहायता सहर्प एव सोत्साह प्रदान की। अन्तत लेखक प्राचीन इतिहास सकृति एव पुरातत्व विभाग के अपने सहयोगियों के प्रति भी हृदय से आभारी है जो समय-समय पर वहूमूल्य सुझाव देते रहे हैं। श्री किशोरचन्द जैन, भारतीय विद्या प्रकाशन, ने पुस्तक के प्रकाशन में जो शीघ्रता दिखाई है उसके लिए लेखक उसका कृतज्ञ है।

शीघ्रता में छपने के कारण पुस्तक में यत्र-तत्र मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियाँ रह गई हैं। लेखक उसके लिए झमा प्रार्थी है।

—विजय बहादुर राव

वि य-सूची

प्राग्-वैदिक एव पूर्व-वैदिक पृष्ठ-भूमि

१-२६

आर्यतर तथा आर्य सस्कृति पृ० १, सैन्धव संस्कृति पृ० २,
सास्कृतिक उपलब्धियों पृ० ३, धर्म पृ० ४, सामाजिक व्यवस्था
पृ० ८, मातृसत्तात्मक व्यवस्था पृ० ९, निषाद सस्कृति पृ० ११,
किरात सस्कृति पृ० १५, आर्यों का आगमन और सैन्धव सभ्यता
का चिलोप पृ० २०, पूर्व वैदिक सस्कृति पृ० २४, आर्थिक जीवन
पृ० २४, राजनैतिक सगठन पृ० २६, समाज में विभाजन की
प्रक्रिया पृ० २७, पारिवारिक व्यवस्था पृ० २९, पारिवारिक जीवन
में पितृ-प्रभुत्व की सीमाएँ पृ० २६, पूर्व वैदिक आर्य धर्म पृ० ३२,
उत्तर वैदिक युगीन भौतिक जीवन एव उपलब्धियाँ ३६-७१

भौगोलिक चिस्तार पृ० ३७, उत्तर-वैदिक ग्राम पृ० ४३, भूमि
पृ० ४३, भूमि पर राजकीय प्रभुत्व पृ० ४५, आस्य जीवन पृ० ४६,
नगरों का विकास पृ० ४७, कृषि पृ० ४९, विविध धान्य
पृ० ५३, पशुपालन पृ० ५४, विविध शिल्प एव व्यवसाय पृ० ५७,
धातु विज्ञान और लौह युग में प्रवेश पृ० ६२, व्यापार एव वाणिज्य
पृ० ६४, गृह निर्माण पूर्व विविध घरेलू उपकरण पृ० ६६।

वर्ण-व्यवस्था

७२-१२७

वर्ण व्यवस्था के विकास में धार्मिक परिस्थिति का योग पृ०
७६, आर्थिक विकास और सामाजिक व्यवस्था पर उसका प्रभाव
पृ० ७९, व्राह्मण वर्ग की सामाजिक स्थिति पृ० ८२, सामाजिक
प्रधानता पृ० ८७, विशेषाधिकार पृ० ९०, राजसत्ता के प्रभाव से
मुक्ति का प्रयत्न पृ० ९१, उत्तरदायित्व एव कर्तव्य पृ० ९२,
अध्यापन पृ० ९५, यज्ञसम्पादन पृ० ९६, व्राह्मण-क्षत्रिय प्रतिस्पर्धा
पृ० ९७, राजन्य वर्ग और उसकी सामाजिक स्थिति पृ० १०१,
वैद्य पृ० १०३, वैद्यों की सामाजिक स्थिति में क्रमिक हास पृ०
१०४, शूद्र पृ० १०८, शूद्रों की उत्पत्ति पृ० १०९, शूद्रों की
हीन अवस्था पृ० ११२, धार्मिक जीवन से शूद्रों के पृथक्करण
का प्रयास पृ० ११६।

पारिवारिक सगठन और स्थियों की दशा

१२६-१६१

सयुक्त परिवार पृ० १२६, विघटन के प्रसुख कारण पृ० १२९,
सयुक्त परिवार की अक्षुण्ण परम्परा पृ० १३१, दाम्पत्य जीवन की

महत्त्व पृ० १३६, विवाह पृ० १३७, पति-पत्नी पृ० १४४, पिता पृ० १४५, परिवार में पुत्रों का महत्वपूर्ण स्थान पृ० १४६, कन्या की स्थिति पृ० १४९, वरू पृ० १५१, स्त्रियों की दशा पृ० १५३, वैधव्य पृ० १५९, पुनर्विवाह अथवा नियोग पृ० १६० ।

समाज और राज्य

१६२-१९७

स्थायी प्रादेशिक राज्यों की स्थापना पृ० १६३, शासन पद्धतियों पृ० १६४, राजतन्त्र पृ० १७०, आनुवंशिक राजपद पृ० १७०, राजशक्ति का विस्तार एवं राजा के विशेषाधिकार पृ० १७२, राजशक्ति की मर्यादा पृ० १७८, राजा के कर्तव्य पृ० १८०, राजकीय आय पृ० १८२, राज-कर्मचारी पृ० १८४, राज्य के सात अग पृ० १९५ ।

समाज और धर्म

१९८-२५२

सामाजिक और आर्थिक परिवेश तथा धर्म पर उसका प्रभाव पृ० १९९, यज्ञों का विकास एवं विस्तार पृ० २०१, यज्ञों का वर्गीकरण पृ० २०३, अग्निहोत्र पृ० २०४, दर्श और पूर्णमास पृ० २०४, चातुर्मास्य पृ० २०५, आग्रयण पृ० २०५, निरुद्ध पशुवन्ध पृ० २०६, सौत्रामणी पृ० २०६, पिण्ड पितृ यज्ञ पृ० २०७, सोम यज्ञ पृ० २०८, अग्निष्टोम पृ० २०८, उक्त्यूष्य पृ० २०८, पोड़दी पृ० २०८, अतिरात्र पृ० २०८, अत्यग्निष्टोम पृ० २०९, आसोर्यामि पृ० २०९, पुरुपसेध पृ० २०९, आर्योत्तरीय प्रभाव पृ० २१६, पचमहायज्ञ पृ० २१७, यज्ञमूलक धर्म का विरोध तथा ज्ञान कीमहत्ता का प्रतिपादन पृ० २१९, देवतत्व पृ० २२०, आर्योत्तर प्रभाव पृ० २२१, देवताओं के महत्व में हास के कारण पृ० २२२, इन्द्र और वरण पृ० २२३, प्रजापति पृ० २२४, रुद्र पृ० २२६, विष्णु पृ० २३४, अन्य नवीन देवता पृ० २३६, औपनिषद दर्शन पृ० २३८, मूल समस्यायें पृ० २३९, ब्रह्म का स्वरूप पृ० २४१, अद्वैतवाद प० २४३, इतेताइवतर उपनिषदका ईश्वरवाद प० २४३, जीव और आत्मा प० २४४, वन्धन और मोक्ष प० २४५, मोक्ष के साधन प० २४६, पुनर्जन्म एवं कर्मचार का सिद्धान्त प० २४८, औपनिषद दर्शन का सामाजिक जीवन पर प्रभाव प० २४९, समन्यवादी दृष्टिकोण प० २५१ ।

आधार-ग्रन्थ सूची तथा अनुक्रमणिका

संकेत-सारिणी^१

आश्व० गृ० सू०	आश्वलायन गृह्णसूत्र
आप० घ० सू०	आपस्तम्ब धर्मसूत्र
आप० गृ० सू०	आपस्तम्ब गृह्णसूत्र
आप० श्री० सू०	आपस्तम्ब श्रीत सूत्र
ऋ०	ऋग्वेद
ऐत० आ०	ऐतरेय आरण्यक
ऐत० ब्रा०	ऐतरेय ब्राह्मण
ऐत० उप०	ऐतरेय उपनिषद्
का० स०	काठक सहिता
गो० ब्रा०	गोपथ ब्राह्मण
गो० घ० सू०	गोतम धर्मसूत्र
छान्दोग्य उप०	छान्दोग्य उपनिषद्
जै० ब्रा०	जैमिनीय ब्राह्मण
तै० आ०	तैत्तिरीय आरण्यक
तै० ब्रा०	तैत्तिरीय ब्राह्मण
तै० उप०	तैत्तिरीय उपनिषद्
वृ० उप०	वृहदारण्यक उपनिषद्
बौधा० घ० सू०	बौधायन धर्म सूत्र
बौधा० श्री० सू०	बौधायन श्रीत सूत्र
मै० स०	मैत्रायणी सहिता
वाज० स०	वाजसनेयी सहिता
शत० ब्रा०	शतपथ ब्राह्मण
श्वेता० उप०	श्वेताश्वतर उपनिषद्
शास्त्र्या० ब्रा०	शास्त्र्यायन ब्राह्मण
शास्त्र्या० श्री० सू०	शास्त्र्यायन श्रीत सूत्र



१ इस सूची में उन ग्रन्थों के संकेत चिह्न दिये गये हैं जिनका प्रस्तुत प्रबन्ध में संक्षिप्त नाम से उल्लेख है। शेष ग्रन्थों का उल्लेख उनके पूर्ण नाम से हुआ है।

प्राण-वैचि

एवं

पूर्वा "ति पृ भूमि

उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति का अध्ययन करने के पूर्व उन प्रजातियों (रेसेज) एवं संस्कृतियों का अध्ययन करना अनिवार्य है जिनके सघर्षं तथा समन्वय ने प्रार्थिहासिक युग से ही भारतीय संस्कृति को चेतना प्रदान की । आर्य जाति के गौरव का शासनाद करनेवाले पुराविदों ने भारत-वर्ष में सभ्यता की रूशियों का प्रवेश आर्यों के आगमन के साथ माना है ।^१ उनके अनुसार भारतीय संस्कृति में जो कुछ स्वस्थ सुन्दर तथा प्राणवान है वह आर्य जाति की देन है । किन्तु सिन्धु तथा पंजाब की हृष्टप्पा संस्कृति के प्रकाशन के पश्चात् सप्त सैन्धव में आर्यों का प्रवेश एक सम्य प्रदेश में वर्द्धर जाति का आगमन प्रतीत होता है ।^२ इसलिए यह बात अब प्राय स्वीकृत होने लगी है कि भारतीय संस्कृति के निर्माण में अनार्यों का योग विशेष रूप से गुरुतर रहा है ।^३ यद्यपि आर्यों ने अपनी पूर्व-वर्तिनी आर्योंतर सभ्यता को नष्ट करके अपनी विशिष्ट भाषा, घर्म तथा समाज को भारत में प्रतिष्ठित किया तथापि यह निविवाद है कि यह सांस्कृतिक विद्वस निरन्वय नहीं था । इस साक्षर नागरिक सभ्यता के अनेक तत्व परवर्ती आर्य-सभ्यता में झङ्गीकृत हुए । सत्य तो यह है कि अनेक धार्मिक तथा समाजिक परम्परायें, प्राचीन कथामक तथा इतिहास इन्हीं अनार्यों की संस्कृति के उपादान हैं जिन्हें आर्यों ने अपनी प्रबल भाषा के माध्यम से धात्मसात कर लिया । आर्य तथा आर्योंतर संस्कृतियों का यह समन्वय भारतीय सभ्यता के निर्माण की आधार-शिला सिद्ध हुआ । इसका प्रभाव

^१ कीथ, ए० बी०, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद, भाग १, १९२५, पृ० १०

^२ पिगट, एस०, प्रिहिस्टोरिक इण्डिया, पृ० २५६-५८

^{३०} हात, एच० भार, हिस्ट्री आव दि नियर ईस्ट, पृ० १७८, पादटिप्पणी

उत्तर-वैदिक युग की सामाजिक व्यवस्था तथा आध्यात्मिक आनंदोलन में स्पष्टत हृष्टिगोचर होता है।^१

दीक्षितार, रामचन्द्रन, लक्ष्मणस्वरूप तथा शकरानन्द आदि अनेक विद्वानों का यह विचार है कि सैन्धव सस्कृति के निर्माण का श्रेय आर्यों को दिया जाना चाहिए। किन्तु सर जान मार्शल के प्रबल तर्कों

सैन्धव सस्कृति से स्पष्ट है कि सैन्धव सस्कृति आर्योंतर तथा वैदिक सस्कृति की पूर्ववत्तिनी थी।^२ हड्डपा एवं

मोहनजोदडो से प्राप्त अस्थिपजरो से यहाँ विभिन्न प्रजातियों के निवास का बोध होता है जिनमें मूल आस्ट्रोलिंग (निषाद) भूमध्यसागरीय (द्रविड) तथा मगोलिंग (किरात) प्रमुख थी। इन नगरों की मिश्रित जनसम्पद का कारण सम्भवत इनका व्यापारिक एवं श्रीद्योगिक आकर्षण था। अभी तक परीक्षित कपालों की सख्त्या इतनी अल्प है कि उनके आधार पर हड्डपा-निवासियों की जातिगत विशेषताओं का विशद वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रसग में ध्यान दिलाया जा सकता है कि हड्डपा के 'आर ३७' और 'एरिया जी' से उपलब्ध प्रचुरतर सामग्री का नृत्तत्वीय विश्लेषण अभी कर्तव्य है।^३ भाषाविज्ञान, पुरातत्व, नृत्तत्वशास्त्र तथा प्राचीन तमिल साहित्य आदि साक्षयों पर सम्बेद विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि सैन्धव सस्कृति प्रधानत द्रविड सस्कृति थी। इस प्रदेश में द्रविड भाषा के अवशेष आज भी उपलब्ध है। वलूचिस्तान की ब्राह्मी भाषा में न केवल द्रविड भाषा के शब्द मिलते हैं वल्कि वहसूपक मुहावरे भी विश्वरे पढ़ हैं।^४ इसके अतिरिक्त अद्यावधि परीक्षित कपालों में भूमध्यसागरीय तत्व की वहूलता तथा तमिल सस्कृति की सैन्धव सस्कृति से अनुरूपता द्वारा भी इस विचार की पुष्टि होती है।

सैन्धव सम्यता सिन्धु नदी की उपत्यका तक ही सीमित नहीं थी। इसका प्रभाव उत्तर भे क्षिमला की पहाड़ियों में स्थित रुपड से लेकर दक्षिण में भगतराव तक तथा पूर्व में मेरठ से १६ मील पश्चिम की ओर स्थित

१ पाण्डेय, जी० सौ०, वीद्घमं के विकास का इतिहास, पृ० १

२ मार्शल, जे०, मोहनजोदडो एन्ड दि इडस सिविलिजेशन, प्रथ १, पृ० ११०-११

३ द्रष्टव्य ह्लीलर, इडस सिविलिजेशन, पृ० ५१-५२

४. काल्डवेल, ग्रामर आव दि द्रविडियन लैंग्वेज, भूमिका, पृ० ४३-४४

आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम मे अरब सागर के सभी प स्थित सुल्तानोंटोर तक था।^१ इसके दो प्रधान नगर हड्ड्या और मोएनजोदडो एक दूसरे से चार सौ मील की दूरी पर स्थित थे। इम प्रकार सैन्धव सस्कृति का प्रभाव क्षेत्र तत्कालीन सुप्रेरियन तथा मिथ्यी सम्यताओं के प्रभाव क्षेत्र से कहीं अधिक था। सुमेर तथा सिन्धु प्रदेश के व्यापारिक सम्बन्ध इस बात का सकेत करते हैं कि यह सस्कृति अक्षाद के सारगोन काल में पूर्ण विकसित थ्रव्यथा मे थी।^२ ह्लीलर महोदय ने सारगोन की तिथि २३५० ई० पू० मानी है।^३ ऐसी स्थिति में तृतीय सहस्राब्द के उत्तरार्द्ध को सैन्धव सस्कृति का चरमोत्कर्पकाल माना जा सकता है।

यह ताम्र-प्रस्तर-गुणीन सस्कृति प्रकृत्या नागरिक एवं साक्षर थी। इसका भौतिक पक्ष बड़ा ही समृद्ध एवं समृन्नत था। सैन्धव नागरिकों ने भव्य भवन, सार्वजनिक गृह, वृहद् स्नानागार आदि का निर्माण सास्कृतिक उपलब्धियाँ किया तथा सुख-सुविधा के विविध साधन एकत्र किये। नगर-मापन, मूर्तिकला तथा व्यापार-कोशल आदि मे समृन्नत होते हुए भी यह सम्यता शास्त्रात्मक के विज्ञान से दुर्वल थी तथा अश्व के उपयोग से अपरिचित। इसी कारण से सैन्धव समाज आकामक आर्यों का सफल प्रतिरोध भी नहीं कर सका। इस विरोधाभास पर विस्मय प्रकट किया गया है कि सैन्धव सम्यता अपने उत्तराधिकारियों को अध्यात्म-विद्या के क्षेत्र मे अक्षय राशि प्रदान कर सकी जब कि उसका भौतिक कलेवर आर्यों के आकृमण को सहने में सर्वथा असमर्थ रहा।^४ पर्वती भारतीय धार्मिक जीवन पर सैन्धव परम्भाप्रो का गहरा प्रभाव सर्वथा अप्रत्याख्येय है किन्तु यह कहना कि सिन्धु-सम्यता से केवल आध्यात्मिक तत्त्व ही उत्तरकालीन सम्यता में स्वीकृत हुई, अत्युक्ति होगी। इस सम्यता के भौतिक पक्ष के भी अनेक तत्त्व अनुवर्ती युगों में दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रसग मे गेहूँ, जौ और कपास की खेती, गृहविन्यास एवं दुग-विन्यास तथा नाप तौल की प्रणाली

१. सकालिया, इण्डियन आर्क्योलोजी दुडे, पृ० ५०, इण्डियन आर्क्योलोजी ५७-५८, पृ० १५

२. ह्लीलर, अर्ली इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, पृ० १०६

३. ह्लीलर, इण्डियन सिविलिजेशन, पृ० ४

४. वही पृ० ६५

प्रादि विशेषत उल्लेखनीय है।^१ यह निरुण्य करना कठिन है कि कितने उत्तरकालीन शिल्प प्राचीन आर्योंतर समाज की देन है किन्तु अधिकाश शिल्पियों की उत्तर काल में हीन सामाजिक अवस्था विजेता आर्यों की अपेक्षा विजित अनार्यों से उनका अधिक सम्बन्ध द्योतित करती है।

सैन्धव सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक पक्ष भी भौतिक जीवन से कम विकसित नहीं थे। इसमें परवर्ती हिन्दू धर्म के अनेक धार्मिक विश्वास अपने आदिम रूप में दिखाई देते हैं। हिन्दू धर्म

धर्म

में सैन्धव सभ्यता के बहुत से ऐसे तत्व हैं जिन्हे ऋग्वैदिक आर्य धृणित और निन्दनीय समझते थे।^२

पशुपति, नटराज और योगी के रूप में शिव की उपासना का प्रारम्भ इसी आर्योंतर समाज में हुआ था।^३ शिव का अनार्यत्व भाषावैज्ञानिक साक्ष्यों से भी अनुमोदित है। 'शिव' और 'शम्भु' शब्द तमिल भाषा के शिवन् और 'शम्बू' शब्दों से निकले प्रतीत होते हैं जिसका अर्थ 'लाल' है। उत्तर-वैदिक साहित्य में शिव का नील-लोहित विशद भी इस बात का संकेतक है कि शिव लोहित वर्ण के थे। रक्त या लोहित वर्ण ऋषि और भयकरता को सूचित करता है। सिन्धुप्रदेश से प्राप्त पशुपति शिव की मुद्रा में भी इस प्रकार का भाव स्पष्ट है। परिलक्षित है।

शैव मत की भाँति ही शाक्त मत का प्रचलन भी सैन्धव सस्कृति में निविवाद है। मोहनजोदडो से प्राप्त वहुस्वयक नारी मूर्तिया तथा मुद्राओं

१. ह्लीलर, इण्डस सिविलिजेशन, पृ० ६२-६३, पिगट, प्रिहिस्टोरिक इण्डिया, पृ० १५३, सैन्धव दुर्ग-विन्यास की परम्परा पर द्रष्टव्य, जी० आर० शर्मा, एक्सकेवेसन्स एट कॉशाम्बी, पृ० ६, तु० ह्लीलर, अर्ली इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, पृ० १२६

२. उदादरण के लिए शिव को लीजिए। उत्तर वैदिक साहित्य में इस देवता को 'एक ब्रात्य' कहा गया है। ऋग्वेद (७ ६६४, १० ६६४) में जिस शृग्मुकुटधारी तथा शिमुखधारी दास का संकेत है वह निश्चय ही सिन्धु-धाटी का आदि शिव है जो वाद के हिन्दू धर्म में 'त्रिघूलधर' और अव्यक्त हो गया। इसी प्रकार ऋग्वेदिक आर्यों ने अपने शत्रु दासों को 'शिश्नदेवा' भी कहा है और इस प्रकार लिङ्ग पूजा को निन्दा माना है। (क्र ७ २१५, १० ६६३)

३. मार्यांल, मोहनजोदडो एण्ड इण्डस सिविलिजेशन, ग्रन्थ ३, पृ० ५२-५

पर उत्कीणं चित्र नारी की प्रजनन-शक्ति जन्य महता का सकेत करते हैं।^१ वैदिक आर्यों का मातृशक्ति की उपासना की ओर विशेष मुकाब नहीं था।^२ घर्मवाङ्मों में तो ग्राम देवता एवं देवियों के पूजक ब्राह्मणों को स्पष्टत पतित कहा गया है।^३ फिर भी भारतवर्ष के प्रत्येक ग्राम में आज भी देवियों की पूजा प्रचलित है जिसका मूल अवैदिक और अनार्य प्रतीत होता है।^४ मार्शल महोदय सैन्धव धार्मिक जीवन में मातृशक्ति की उपासना को ही प्रधान मानते हैं। तत्कालीन भूमध्यसागरीय द्वीपों तथा पश्चिमी एशिया की सस्कृतियों में मातृ शक्ति के उपासना की लोक प्रियता को देखते हुए मार्शल का यह मत सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है।

उमा और शिव के अतिरिक्त विष्णु, लक्ष्मी तथा कृष्ण आदि की अवधारणा भी अशत द्रविड प्रतीत होती है। सैन्धव लिपि के अभी तक अपन्य रहने के कारण इनका अनार्यत्व पुरातात्त्विक सामग्री से प्रमाणित नहीं होता किन्तु भाषा-वैज्ञानिक साक्षों से इस विषय पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है। विष्णु का उल्लेख सूर्य-देवता के रूप में पूर्व-वैदिक साहित्य में अवश्य हुआ है किन्तु उनके क्षीरसागरजायी अथवा लक्ष्मीपति होने का कोई उल्लेख नहीं है। सिलुस्की तथा आयगर ने भाषा वैज्ञानिक आधार पर यह प्रनिपादित किया है कि विष्णु आर्यों के सौर देवता होते हुए भी अशत द्रविडों के आकाश देवता हैं।^५ इनका वर्ण भी आकाश की भाँति नीला है। विष्णु की पत्नी श्री का उल्लेख भी सौभाग्य की देवी के रूप में ऋग्वेद में हुआ है किन्तु उनका गजलक्ष्मी रूप पूर्वार्य एवं द्रविड प्रतीत होता है। स्लेटर महोदय के अनुसार भारतीय कला की परम्परा में कृष्ण को जो श्याम वर्ण प्रदान किया गया है वह भूमध्यसागरीय जाति का जैतून जैसा वन्धु वर्ण है जो आर्यों के गोर और निपादों के धूसर वर्ण से सर्वथा भिन्न है।^६ सप-

१ एक मुद्रा पर नारी की योनि से पौधे के जन्म का दृश्य चित्रित है जो स्पष्टत नारी की प्रजनन शक्ति का सकेत करता है।

२ ऋग्वेद के विशाल देवसमूह में मात्र प्रदिति ही एक उल्लेखनीय देवी है।

३ मनु ३ १५१, ३ १८०

४ पिगट, प्रिहिस्टोरिक इण्डिया, पृ० २०२

५ इण्डियन एटिक्वेरी, जनवरी १९३३, द्रविडिक स्टडीज, सस्करण ३, पृष्ठ ६१ ६२

६ द्रविडियन एलेमेन्ट इन इण्डियन कल्चर, पृष्ठ ५५

सैन्धव के निवासी ऋग्वैदिक ग्रार्थों ने भी अपने शत्रुदास-दस्यु लोगों को कृष्ण विचेषण से युक्त किया है। परवर्ती पुराकथाओं में कृष्ण द्वारा लोक-प्रिय वैदिक देवता इन्द्र का विरोध उनके अनार्यत्व का एक प्रबल प्रमाण है।

सिन्धु प्रदेश की वहसख्यक मुद्राओं पर अनेक पशुओं के चित्र मिलते हैं, जिनमें कुछ की धार्मिक महत्ता अप्रत्याख्येय प्रतीत होती है। हडप्पा से प्राप्त मुद्राओं पर वृपभ चित्र बहुत मिला है। अनेक मुद्राओं पर वृषभ किसी विचित्र उपकरण से समक्ष खड़ा प्रदर्शित किया गया है जो कोई उपयोगी पदार्थ न होकर धार्मिक प्रयोजन की वस्तु प्रतीत होता है। साधारणतया सैन्धव मुद्राओं पर चित्रित वृपभ को पौराणिक नन्दी का पूर्व रूप माना गया है किन्तु इस प्रसंग में यह विचारणीय है कि हडप्पा से प्राप्त 'आदि-शिव' को वेरे हुए जिन पशुओं का चित्रण हुआ है उनमें वृपभ अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में उसे सैन्धव शिव का बाहन मानना कुछ सन्देहात्पद हो सकता है। लेकिन इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि एशियामानर की हित्ती जाति में (जिसमें भूमध्यसागरीय जाति का प्राधान्य था) एक श्रिशूलधारी, पशुपति, वृपभवाह 'देवराज' और उसकी सिंहदाहिनी पत्नी की उपासना प्रचलित थी। ये दोनों शिव और दुर्गा के पूर्व रूप से प्रतीत होते हैं। अत हो सकता है कि सैन्धव प्रदेश की भूमध्यसागरीय जाति में भी (जो मूलत उसी साकृतिक धारा वरण से आई थी जिसमें हित्ती जाति तथा अन्य भूमध्यसागरीय-जातियाँ रही थीं) शिव के वृपभवाह रूप की कल्पना रही हो। इसका अप्रत्यक्ष सकेत अनेक सैन्धव मुद्राओं पर वृपभ के अकन से अवदय ही मिलता है।

पार्जिटर महोदय ने हनुमान का पूजा का सम्बन्ध भी द्रविड सस्कृति से स्थापित किया है।^१ उनके अनुसार इस शब्द का मूल अणमन्ति शब्द तमिल भाषा का है जिसका अर्थ नरवन्दर है। वाद में अणमन्ति शब्द का सस्कृत रूप हनुमान बनाया गया तथा आर्योंतर प्रगाढ़ के कारण उसकी पूजा लोकप्रिय हो गई। वैदिक-साहित्य में भी 'वृषाकपि' का उल्लेख हुआ है किन्तु एक लोक-प्रिय देवता के रूप में नहीं। सिन्धु प्रदेश के उत्थनन से कुछ कल्पाजन्य मिथित आकृति वाले पशुओं के चित्र भी मिले हैं जिनके धार्मिक महत्व के सम्बन्ध में निश्चायक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। वास्तविक पशुओं में वृपभ और वन्दर के अनिरिक्त भैसा, वाघ, हाथी, सूअर और कुत्ते की भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं किन्तु इन में को पूजा और श्रद्धा का विषय नहीं।

माना जा सकता । निश्चय ही इनमे से अनेक खिलोते के रूप मे वालको के मनोरजन के साधन रहे होंगे ।

सैन्धव धर्म मे पादप-पूजा को भी स्थान प्राप्त था । पीपल का वृक्ष जिसका हिन्दू तथा बौद्ध धर्मों मे महत्वपूर्ण स्थान है, सैन्धव सम्भवता मे ही धार्मिक महत्ता को प्राप्त कर चुका था । यहाँ के निवासी सम्भवत पीपल वृक्ष मे देवी तप्ति का निवास भी मानते थे । मोएनजोदाहो की एक उल्लेखनीय मुद्रा मे देवता की खड़ी हुई एक नान मूर्ति है, जिसके दोनों ओर ग्रश्वत्य की दो शाखाये हैं । वृक्ष देवता की पूजा की सूचक, एक पत्ति मे खड़ी हुई, पीठ पर लहराते हुए वालों से शोभित सात स्त्रियाँ हैं जो देवी की पुजारिन जान पढ़ती हैं । पीपल वृक्ष की पूजा शायद सन्तान प्राप्ति के लिए की जाती थी । अथर्ववेद मे इस वृक्ष को पुत्रदाता कहा गया है^१ । हम जानते हैं कि अथर्ववेद मे ऐसे अनेक अर्थेतर धार्मिक विश्वास सम्बन्धित हैं जिनका मूल ऋग्वेद मे नहीं मिलता । भारत के विभिन्न प्रदेशों मे आज भी पुष्ट-प्राप्ति के लिए पीपल वृक्ष के आलिंगन की प्रथा है तथा अनेक जातियों मे पीपल वृक्ष की पूजा को पुत्र प्राप्ति मे सहायक माना जाता है^२ । सैन्धव सस्कृति मे पीपल वृक्ष की महत्ता तथा उसके विषय मे उपर्युक्त मान्यता को देखते हुए दोनों का सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है । पीपल वृक्ष की उपासना के पीछे कारणभूत इस प्रबल धारणा का विकास सैन्धव सम्भवता के अन्तर्गत हुआ हो, यह आश्चर्यचनक नहीं है ।

^१ परनर्ती हिन्दू धर्म मे नै केवल द्रविड देवताओं को स्थान मिलो बल्कि उनकी उपासना पद्धति को भी स्वीकार किया गया । वैदिक आर्यों का धर्म-यज्ञ प्रधान था । यज्ञ मे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं का भास सौम तथा अन्य साध्य सामग्री अपित की जाती थी । इसके विपरीत पूजा मे उपास्य देव को पश्च पुष्ट और जल इत्यादि समर्पित किये जाते थे । इसी लि 'इसे पुष्टकर्म कहा गया है । पूजा शब्द की उत्पत्ति द्रविड भाषा के 'पू' (पुष्ट) और 'जे' (करना) से हुई प्रतीत होती है जिसका अर्थ है 'पुष्टा-पंण' । सस्कृत ग्रन्थों मे सर्वप्रथम भगवद्गीता मे पूजा की महत्ता को स्वीकार

^१ अथर्ववेद ६.११

^२ कुक, पापुलर रिलिजन एण्ड फॉकलोर आव नादेन इण्डिया, २९९, १०३, ११२

किया गया है। मोएनजोदहो से प्राप्त वहुसंख्यक मूर्तियों से भी द्रविड़ समाज में मूर्तिपूजा का प्रचलन प्रमाणित होता है।

पूजा की भाति ही सम्बन्धित भक्ति का विकास भी मूलतः द्रविड़ संस्कृति से सम्बद्ध प्रतीत होता है।^३ इसके अतिरिक्त जलप्रलय जैसे आख्यान तथा अनेक यौगिक साधनायें, कमंकारण्ड और दर्शन विषयक विचार भी द्रविड़ लोगों की देन हैं। सिन्धु प्रदेश में लिंगपूजा, नागपूजा और जलपूजा के भी चिन्ह मिलते हैं किन्तु इनका सम्बन्ध द्रविड़ संस्कृति की अपेक्षा निपाद संस्कृति से अधिक प्रतीत होता है।^४

सिन्धु प्रदेश के उत्खनन से प्राप्त सामग्री से यहाँ की सामाजिक स्थानों, विचारों एवं रीति रसमों पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। इस क्षेत्र

में प्राचीनतम तमिल साहित्य तथा नृत्यशास्त्र की सामाजिक व्यवस्था सहायता अपेक्षित है। द्रविड़ संस्कृति का प्राचीनतम लिखित रूप तमिल साहित्य में ही मिलता है।

ऐसी स्थिति में सिन्धु-प्रदेश की द्रविड़ संस्कृति के सामाजिक पक्ष की रूपरेखा तमिल साहित्य की सहायता से प्रस्तुत करना अनुचिन नहीं होगा। इस विषय में यह कठिनाई अवश्य है कि प्राचीनतम शात तमिल संस्कृति तथा सैन्धव संस्कृति के बीच सहस्र वर्षों से भी अधिक का अन्तर है। अतः यह निर्धारित करना बड़ा कठिन है कि तमिल साहित्य में द्रविड़ सम्यता का पुरा-ऐतिहासिक स्वरूप कितना आदिम और अविकल है। इस दिशा में पुरातात्त्विक तथा अन्य सम्भव साक्ष्यों का समर्थन निश्चय ही उपयोगी होगा। मोएनजोदहो की नगर व्यवस्था इस बात का सकेत करती है कि सैन्धव समाज आर्यिक आधार पर वर्गों में विभाजित था।^५ विशाल नगरों, प्राचीरों, सर्वों एवं सार्वजनिक भवनों को दृष्टि में रखते हुए हीलर महोदय ने थम और निर्माण के लिए दास वर्ग के अस्तित्व की भी कल्पना की है।^६ नैन्धव समाज में धर्म के विकसित स्वरूप को देखते हुए यह ग्रनायास कल्पनीय है कि इसमें

१. पद्मपुराण, उत्तरकाण्ड, ५०।५१ उत्पन्ना द्रविडे चाहम कण्ठिवृद्धि-मागता।

२. कृपया इसी अध्याय के अग्रिम पृष्ठों में देखें।

३. गाहन चाइल्ड, न्यू लाइट आन दी मोस्ट ऐन्डेन्ट ईस्ट, पृ० १७५।

४ जेड० ही० एम० जी०, २ २७२, उद्घृत, पूद्राज इन ऐन्डेन्ट इण्डिया, पृ० १८ पर।

पुरोहित वर्ग की स्थिति आवरणीय रही होगी। वहाँ से विद्वानों ने तो यह विचार भी व्यक्त किया है कि हृष्पा एव मोएनजोदडो का शासन पुजारियों द्वारा होता था।^१ किन्तु इस मत की पुष्टि के लिए निश्चायक प्रमाणों का अभाव है। मैन्धव सम्पत्ति के भौतिक पक्ष की विकसित अवस्था, उसके सुभैरियन प्रदेश के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध एव सैन्धव जनों को समुद्र यात्रा में रुचि आदि तथ्यों से उनके समाज में समृद्ध व्यापारिक वर्ग का अस्तित्व भी निर्विवाद है। सम्भवत उसी का ऋग्वेद में पणि नाम से उल्लेख हुआ है।^२ आर्य लोग इन पणियों के वैभव को सतृष्णा दृष्टि से देखते थे तथा उनके धन के अवहरण की कामना करते थे। पणि शब्द से ही वाद में पण, पण्य, 'वणिक' और 'वाणिज्य' शब्दों की व्युत्पत्ति हुई प्रतीत होती है।^३

सैन्धव समाज सम्भवत मातृसत्तात्मक था। सिंधु प्रदेश से प्रात नारी मूर्तियाँ, मातृदेवी की उपासना की प्रधानता तथा प्राचीन क्रीट एव अन्य भूमध्यसागरीय प्रदेशों की मातृसत्तात्मक अवस्था मातृसत्तात्मक अवधारणा की पुष्टि करते हैं। सिंधु के तट पर बसी प्राचीन केहोल जाति की मातृसत्तात्मक सामाजिक अवस्था को सुदूर अतीत में प्रचलित सैन्धव जनों की सामाजिक अवस्था का अवशेष माना जा सकता है।^४ केहोल जाति की इस पुरातन अवस्था को पार्यों अथवा उनके अनुवर्ती किसी अन्य जाति से सम्बन्धित करना चाहा ही कठिन है। तमिल भाषा के कुछ शब्द भी द्रविड समाज की मातृसत्तात्मक अवस्था का समर्थन करते हैं। प्राचीन तमिल भाषा का 'इलाल' शब्द जिसका अर्थ गृहस्त्रामिनी होता है, खीलिंग है। इसी अर्थ को देने वाले समान पुर्लिंग शब्द का अभाव द्रविडों के पारिवारिक जीवन में नारी के स्वाभित्व की ओर सकेत करता है। मलावार तः के निवासियों तथा केरल की कुछ जातियों में मातृसत्तात्मक अवस्था अब भी पाई जाती है।

परिस्थितिक साक्षों के आधार पर सैन्धव सम्यता के सामाजिक संगठन

१ पिगट, प्रिहिस्टोरिक इंडिया, पृ० १५०, भैके, अर्ली इडस सिविलिजेशन, पृ० १२-३

२ लुहविंग, ट्रान्सलेशन ग्राव दि ऋग्वेद ३, २६३-५

३. द्रष्टव्य वैदिक एज, पृ० २३६

४ द्रिफाल्ट, दि मदसं, लघु स्करण, पृ० ६८

किया गया है। मोएनजोदहो से प्राप्त बहुसंख्यक मूर्तियों से भी द्रविड़ समाज में मूर्तिपूजा का प्रचलन प्रमाणित होता है।

पूजा की भाँति ही सम्भवत भक्ति का विकास भी मूलतः द्रविड़ संस्कृति से सम्बद्ध प्रतीत होता है।^१ इसके अतिरिक्त जलप्रलय जैसे आख्यान तथा अनेक यौगिक साधनायें, कर्मकाण्ड और दर्शन विषयक विचार भी द्रविड़ लोगों की देन हैं। सिन्धु प्रदेश में लिंगपूजा, नागपूजा और जलपूजा के भी चिन्ह मिलते हैं किन्तु इनका सम्बन्ध द्रविड़ संस्कृति की अपेक्षा नियाद संस्कृति से अधिक प्रतीत होता है।^२

सिन्धु प्रदेश के उत्तरनन्द से प्राप्त सामग्री से यहाँ की सामाजिक संस्थाओं, विचारों एवं रीति रस्मों पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। इस क्षेत्र

में प्राचीनतम तमिल साहित्य तथा नृत्यशास्त्र की सामाजिक व्यवस्था सहायता अपेक्षित है। द्रविड़ संस्कृति का प्राचीनतम लिखित रूप तमिल साहित्य से ही मिलता है।

ऐसी स्थिति में सिन्धु-प्रदेश की द्रविड़ संस्कृति के सामाजिक पक्ष की रूपरेखा तमिल साहित्य की सहायता से प्रस्तुत करना अनुचिन नहीं होगा। इस विषय में यह कठिनाई अवश्य है कि प्राचीनतम ज्ञात तमिल संस्कृति तथा सैन्धव संस्कृति के बीच सहस्र वर्षों से भी अधिक का अन्तर है। अतः यह निर्धारित करना बड़ा कठिन है कि तमिल साहित्य में द्रविड़ सम्यता का पुरा-ऐतिहासिक स्वरूप कितना आदिम और अविकल है। इस दिशा में पुरातात्त्विक तथा अन्य सम्भव साध्यों का समर्थन निश्चय ही उपयोगी होगा। मोएनजोदहो की नगर व्यवस्था इस बात का सकेत करती है कि सैन्धव समाज आर्यिक आधार पर वर्गों में विभाजित था।^३ विशाल नगरों, प्राचीरों, सड़कों एवं सार्वजनिक भवनों को दृष्टि से रखते हुए हीलर महोदय ने श्रम और निर्माण के लिए दास वर्ग के अस्तित्व की भी कल्पना की है।^४ सैन्धव समाज में घर्म के विकसित स्वरूप को देखते हुए यह अनायास कल्पनीय है कि इसमें

१. पद्मपुराण, उत्तरकाण्ड, ५०।५१ उत्पन्ना द्रविडे चाहम कण्ठिवृद्धि-मागता।

२. कृपया इसी अध्याय के अग्रिम पृष्ठों में देखें।

३. गाढ़न चाहल्ड, न्यू लाइट आन दी मोस्ट ऐन्स्येन्ट ईस्ट, पृ० १७५।

४ जेड० डी० एम० जी०, २ २७२, उद्धृत, यूद्राज इन ऐन्स्येन्ट इण्डिया, पृ० १८ पर।

पुरोहित वर्ग की स्थिति आदरणीय रही होगी। बहुत से विद्वानों ने तो यह विचार भी व्यक्त किया है कि हड्पा एवं मोएनजोदडो का शासन पुजारियों द्वारा होता था।^१ किन्तु इस मत की पुष्टि के लिए निश्चायक प्रमाणों का अभाव है। ऐन्धव सम्यता के भौतिक पक्ष की विकसित अवस्था, उसके सुभेद्रियन प्रदेश के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध एवं सैन्धव जनों की समुद्र यात्रा में रुचि आदि तथ्यों से उनके समाज में सृष्ट व्यापारिक वर्ग का अस्तित्व भी निविदाद है। सम्भवत उसी का ऋग्वेद में पणि नाम से उल्लेख हुआ है।^२ आर्य लोग इन पणियों के वैभव को सतृष्ण दृष्टि से देखते थे तथा उनके धन के अपहरण की कामना करते थे। पणि शब्द से ही वाद में पण, पण्य, 'वरिण' और 'वाणिङ्ग' शब्दों की व्युत्पत्ति हुई प्रतीत होती है।^३

सैन्धव समाज सम्भवत मातृसत्तात्मक था। सिंधु प्रदेश से प्राप्त नारी मूर्तियाँ, मातृदेवी की उपासना की प्रथानता तथा प्राचीन क्रीट एवं अन्य भूमध्यसागरीय प्रदेशों की मातृसत्तात्मक व्यवस्था मातृसत्तात्मक व्यवस्था इस ग्रन्थारण की पुष्टि करते हैं। सिंधु के तट पर वसी प्राचीन केहोल जाति की मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था को सुदूर अतीत में प्रचलित सैन्धव जनों की सामाजिक व्यवस्था का अवशेष माना जा सकता है।^४ केहोल जाति की इस पुरातन व्यवस्था को आर्यों अथवा उनके अनुवर्ती किसी अन्य जाति से सम्बन्धित करना बड़ा ही कठिन है। तमिल भाषा के कुछ शब्द भी इविह समाज की मातृसत्तात्मक व्यवस्था का समर्थन करते हैं। प्राचीन तमिल भाषा, का 'इलाल' शब्द जिसका अर्थ गृहस्थामिनी होता है, छोलिंग है। इसी अर्थ की देने वाले समाज पुलिंग शब्द का अभाव इविहों के पारिवारिक जीवन में नारी के स्वामित्व की ओर सकेत करता है। मलावार तट के निवासियों तथा केरल की कुछ जातियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था अब भी पाई जाती है।

परिस्थेतिक साक्ष्यों के आधार पर सैन्धव सम्यता के सामाजिक संगठन

१ पिगट, प्रिहिस्टोरिक इडिया, पृ० १५०, भैके, अर्ली इडस सिविलिजेशन, पृ० १२-३

२ चुडविंग, ट्रान्सलेशन आव दि ऋग्वेद ३, २६३-५

३ द्रष्टव्य वैदिक एज, पृ० २३९

४ विकास्ट, दि मदसं, लघु सस्करण, पृ० ६८

की अन्य विशेषताओं के सम्बन्ध में कुछ अनुमान किया जा सकता है। महाभारत के कर्णपर्व में मद्रदेश घाह्लीक और अरट्टदेश की छियों को स्वैरिणी तथा कामचारिणी कहा गया है। वर्षा ब्रज में, नगरागार में तथा सार्वजनिक स्थानों में छियाँ विवर्ख होकर नृत्य करती थीं। महाभारत से यह भी ज्ञात होता है कि मद्रदेश में जन्म का ठिकाना न होने के कारण उत्तराधिकार पुत्र को न प्राप्त होकर भाजे को प्राप्त होता था।^१ महाभारत में वर्णित यह सामाजिक अवस्था वैदिक आर्यों की नहीं हो सकती क्योंकि वैदिक साहित्य के अध्ययन से विदित होता है कि वैदिक समाज में विवाह संस्कार तथा दाम्पत्य जीवन की पवित्रता का भाव पूर्णत विकसित हो चुका था। ऋग्वेद की एक ऋचा से ज्ञात होता है कि पति-पत्नी परस्पर अभिन्नता एवं हार्दिक एकता की कामना करते थे।^२ ऐसी स्थिति में हमारे समझ एकमात्र विकल्प यही रह जाता है कि हम महाभारत में वर्णित इस अवस्था को अनार्य परम्परा का अवशेष मानें जिसका प्रचलन आर्यों के आगमन के पश्चात् भी पजाव और सिन्ध में यथ-तथ परम्परागत रूप से रहा। इस प्रसंग में मोएनजोदहो से प्राप्त कास्य की एक नारी मूर्ति उल्लेखनीय है। विचारार्ह है कि पुरातत्व-वेत्ताओं ने इसे नृत्यागना की मूर्ति माना है। इस मूर्ति के आकर्षक केशविन्यास तथा हाथ और कण्ठ के आभूषणों के अतिरिक्त सम्पूर्ण शरीर को विवर्ख दिखाया गया है।^३ इस तथ्य के प्रकाश में महाभारत में उल्लिखित मद्रवाहीक तथा अरट्टदेश की इस प्रथा को संबंध सस्कृति से सम्बद्ध करना अनुचित नहीं होगा।

ऐतिहासिक थुग में द्रौपिड समाज में निकटाभिगमन का प्रचलन था। धर्मशास्त्रों तथा समृतियों में अधिकाशत् भातुल कन्या से विवाह का निषेध हुआ है तथा पि वीघायन ने इसे दक्षिण भारतीयों का देश धर्म माना है।^४ बृहस्पति ने भी जहाँ राजा से देश, जाति एवं कुल के धर्मों को रक्षा का आप्रह किया है जहाँ दक्षिणात्यों में भातुल-सुता से विवाह की धार को

१. महाभारत, कर्णपर्व, ४५।१३

२ ऋ० १० द५ ४७, समझन्तु विश्वेदेवा समाप्ते हृदयानि नो।

३ मार्शल, जै०, वही, भाग १, पृ० ४४, ह्लीनर, इण्डस सिविलिजेशन, फलक १७ वी

४. वीघायन धर्म सूत्र १०।१६-२६

स्वीकृत किया है।^१ निकटाभिगयन की इस परम्परा का मूल सैन्धव सस्कृति में दूढ़ा जा सकता है। यजुर्वेद में एक स्थल पर शिव और अस्त्रिका को भाई-बहन बताया गया है।^२ इसके विषयीत प्राय सम्पूर्ण सस्कृत साहित्य में उद्द और अस्त्रिका को पति-पत्नी कहा गया है। यह विरोधाभास निश्चय ही विस्मयजनक है। हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आयं एव आयेतर सास्कृतिक धाराओं के सम्बन्ध के परिणामस्वरूप ऋद्धवैदिक रुद्र एवं सैन्धव शिव का व्यक्तित्व परस्पर निर्मित हो गया। इसी युग में अस्त्रिका का प्रथम उत्तेज्ज्ञ होना इस बात को सूचित करता है कि रुद्र-शिव और अस्त्रिका के पारस्परिक सम्बन्ध की यह कल्पना भी सैन्धव सस्कृति से भवण की गई। ऐसी स्थिति में यह मानना पड़ेगा कि सैन्धव-धर्म के अन्तर्गत शिव अस्त्रिका का पति-पत्नी स्वरूप तथा आता-भगिनी स्वरूप साथ-साथ और समान रूप से ग्राह्य था। लेकिन यह बात आयों की नैतिक भावना के प्रतिकूल थी। परतः उन्होंने बाद में अस्त्रिका-रुद्र के पति-पत्नी स्वरूप को ही ग्रहण किया। प्राचीन मिथ्य में, जिसकी सम्भवता के निर्माण में भूमध्यसागरीय जाति का सहयोग निविदादरूपेण माना जाता है, आसिस और ओसिसिरिस का पारस्परिक सम्बन्ध इसी प्रकार का था। मिथ्यी लोगों के इस धार्मिक विश्वास का सामाजिक पक्ष भी था क्योंकि प्राचीन मिथ्यी समाज में भाई-बहन के विवाह की प्रथा पूर्णत प्रचलित थी। अत सैन्धव समाज में भी इस प्रकार की प्रथा का प्रचलन कल्पनीय हो जाता है।

आयों के आगमन के समय उत्तरी भारत में भूमध्यसागरीय (द्रविड) लोगों के प्रतिरक्त दो प्रन्य बहुसंघक प्रजातिया निवास करती थी। ये थी

प्राग्भास्ट्रेलिद (निषाद) एवं मगोलिद (किरात)

निषाद सस्कृति

पथ्यि सैन्धव सस्कृति के निर्माण में भी इनका सहयोग निविदाद है तथापि निषाद सस्कृति का प्रमुख

केन्द्र गगा का मंदान रहा प्रतीत होता है तथा किरात जाति का हिमालय की तलहटी में। इनमें निषाद सस्कृति ने दक्षिण पूर्व की ओर प्रसारोन्मुख आयं सस्कृति को विशेष रूप से प्रभावित किया।

गगा की घाटी से प्राप्त ताम्र उपकरणों से जिस पुरा ऐतिहासिक ताम्र सस्कृति का ज्ञान होता है, उसके निर्माताओं के सम्बन्ध में पुरातत्ववेत्ताओं

^१ बृहस्पति, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ १० पर उद्धृत

^२ यजुर्वेद (वाज० स०) ३.५७

में गहरा मतभेद रहा है। प्रारम्भ मे हीन गेल्डन भगवद्य का यह मत था कि ये ताम्र-उपकरण मध्य देश की ओर आने वाले वैदिक आर्यों की सस्कृति के अवशेष हैं।^१ प्रारम्भ मे पिगट भगवद्य ने उनके इस विचार का समर्थन किया^२ किन्तु सशोधित मत के अनुसार उन्होंने पुन यह प्रतिपदित किया कि इन ताम्र उपकरणों का निर्माण आर्यों के भीषण आक्रमण से व्रस्त होकर दक्षिण-पूर्व की ओर गतिशील हड्ड्या के प्रवासी शरणार्थियों ने किया था। किन्तु इन दोनो विकल्पो को मानने में पर्याप्त कठिनाइया है। निर्माण और उपयोग की दृष्टि से ये उपकरण न तो सैन्धव सम्यता से प्राप्त उपकरणों से समानता रखते हैं और न हस्तिनापुर से प्राप्त आर्यों द्वारा निर्मित उपकरणों से। सिन्धु प्रदेश के विस्तृत वैज्ञानिक उत्खनन मे काटेदार वर्षों (हार्पून) तथा मानव-आकृतिया (एन्थ्रोपोमोर्फिंक फिगर) जो ताम्र-सस्कृति के विशिष्ट उपकरण हैं, सर्वथा अनुपलब्ध हैं।

सन् १६४६ मे श्री० बी० बी० लाल ने ताम्र-उपकरणों से सम्बन्धित राजपुर परस्त तथा विसौली नामक दो स्थानों में साधारण उत्खनन कराया। इसके परिणामस्वरूप कोई नवीन उपकरण तो प्रकाश में नहीं आया किन्तु नीचे के स्तरों से कुछ भद्रदे मटमैले ठीकरे (धाँकर कलड वेयर) उपलब्ध हुए जिन्हें श्री० बी० बी० लाल ने परिस्थैतिक साक्ष के आधार पर गगा घाटी के ताम्रोपकरणों के साथ सम्बद्ध किया है।^३ इसी प्रकार के ठीकरे हस्तिनापुर के निम्नतम स्तर से मिले हैं जिसके ऊपरी स्तर मे आर्यों द्वारा निर्मित चित्रित भूरे वर्तनो के ठीकरे मिलते हैं। अत यह निष्कर्ष अपरिहार्य लगता है कि गगा के मैदान में ताम्रोपकरणों के निर्माताओं की सस्कृति के विकास का इतिहास आर्योंतर एवं प्रागार्य है।

इस सस्कृति के निर्माता ही सम्भवतः मिर्जापुर की पहाड़ियों से प्राप्त प्रागेतिहासिक भित्तिचित्रों के निर्माता थे। लेकिन नृत्तवशास्त्रीय अध्ययन के धाधार पर इन भित्तिचित्रों को प्राग्-प्रास्ट्रैलिद जाति की कृति माना गया है। ऐसी स्थिति में प्राग्-प्रास्ट्रैलिद जाति को ही ताम्र-सस्कृति तथा

१ आर्योलाजिकल ट्रेसेज आव वैदिक आर्यन्स, जनंल आव इण्डोलीजिकल सौसाइटी, न० ४, १९३६

२ प्रिहिस्टोरिक कापर होड़ इन गेन्जेटिक वैली, एन्टिविटी १८, १६४४

३ ऐन्ड्रेन्ट इण्डिया (१६५१) न० ७, पृ० २० ३६

भद्रे मटमेले मृद्-भाण्डो का निर्माता मानना होगा ।^१ इस प्रदेश में बसने वाली निम्नस्तरीय जातियों में आस्ट्रैलिद शारीरिक लक्षणों की वहुलता तथा इस प्रदेश में व्यवहृत होनेवाली भाषा में आष्ट्रिक शब्दों का विशेष समावेश इस मत को सजीव और सशक्त बना देते हैं । आष्ट्रिक भाषा परिवार की मुण्डा भाषा एक समय गगा घाटी तथा मध्य भारत के विस्तृत भूभाग में बोली जाती थी ।^२ मिजापुर के अनेक गाँवों के नाम आज भी मुरांडा भाषा के हैं ।^३ वराहभिहर की वृहत्सहिता में निषाद जाति की स्थिति मध्यदेश के दक्षिण पूर्व में बताई गई है ।^४ सम्भावना इस बात की प्रतीत होती है कि मध्य देश में आर्यों के प्रवेश के कारण इन लोगों को दक्षिण और दक्षिण-पूर्व की ओर खिसकना पड़ा था । विन्ध्य पर्वतमाला तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में निषाद स्स्कृति का भादिम और अविकल स्वरूप दीर्घकाल तक अरण्यवासी जातियों में जीवित रहा । इस प्रसग में यह उल्लेखनीय है कि उत्तरवैदिक काल में गगा की घाटी में वसे बहुसंख्यक निषाद क्रमशः वैदिक समाज में अग्रीकृत हो चले थे । उनकी महत्वपूर्ण स्थिति का अनुमान राज-सूय के प्रसग में उनके प्रति प्रदर्शित राजकीय अनुग्रह से किया जा सकता है । इतना अवश्य है कि अभी ये समाज की चातुर्वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत स्थान नहीं पा सके थे । निरुक्त एवं वृहद्देवता में इन्हें पचम वर्ण कहा गया है ।^५ उत्तर वैदिक साहित्य में निषादों का अनेकश उल्लेख हुआ है । शब्द नाम भी इन्हीं का था ऐसा अनुमान किया जाता है । महाभारत में निषादों को कद का छोटा, जली लकड़ी की भाँति काला और लोहिताक्ष कहा गया है । भागवतपुराण में उ की गाल की उभड़ी हुई हड्डियों, दबी हुई नाक तथा ताङ्कवण केशों का उल्लेख है ।^६

निषाद लोग अधिकांशत नदियों के किनारे रहते थे तथा मछलियों एवं अन्य जगली पशुओं का शिकार करते थे । भाषा-वैज्ञानिकों ने मुण्डा तथा अन्य आस्ट्रिक भाषाओं का सस्कृत भाषा से तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ

१ वही

२ लिंगिवस्तिक सर्वे आव इण्डिया, ४, पृष्ठ ६

३ जै० ए० एस० वी, भाग ३, पृ० ६२-३ ('१६०३)

४ वृहत्सहिता, १४ १०

५. द्रष्टव्य वैदिक इण्डेक्स १, ४५३

६ भागवत पुराण, ४ १४. ४४

ऐसे शब्दों को ढूढ़ निकाला है जिन्हे उत्तरकालीन आर्य भाषा में ग्रहण किया गया। निश्चय ही इनमें से अनेक शब्दों को आर्यों ने सम्भवतः उन वस्तुओं से अपरिचयजन्य शब्दाभाव के कारण अपनाया। इन शब्दों का आर्य भाषा में प्रवेश भारतीय सस्कृति में निपाद तत्त्वों के अभीकरण का सूचक है। चावल, कदली, नारिकेल, ताम्बूल, बैगन, लीकी, जामुन, कपास और सिम्बल आदि का उत्पादन, मोर, मातग तथा कृकवाक आदि पशु-पक्षियों से परिचय, हस्तिपालन की विधि आदि भारतीय-सस्कृति में निपाद तत्त्व माने जा सकते हैं। निपादों ने सम्भवतः कुदाल या छड़ी से भूमि खोदकर झूम प्रणाली से खेती करने की विधि का अधिकार कर लिया था।

निपादों ने भारतवर्ष की धार्मिक परम्पराओं को भी समृद्ध करने में अपना विशिष्ट योग दिया। शैव सम्प्रदाय के अन्तर्गत प्रचलित लिंगपूजा जिसका प्रचलन सैन्धव सस्कृति में भी पाया गया है, मूलतः आस्ट्रेलिद प्रतीत होती है। जीन सिलुस्की के अनुसार लिंग लगुड़ आदि शब्द आष्ट्रिक भाषा के ही हैं। भाषाविदों के मतानुसार ऐसे अनेक धार्मिक विश्वासों एवं परम्पराओं का मूल आस्ट्रेलिदहोता चाहिए जोभारोपीय और द्रविड़ सस्कृतियों के अग न होते हुए भी हिन्दू समाज में प्राचीन काल से ही विद्यमान हैं। यद्यपि उन सब की निपाद उत्पत्ति सिद्ध करना प्रमाणों के अभाव में प्रायः असम्भव है किन्तु आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास, धार्मिक कृत्यों में ताम्बूल, हल्दी और सिन्धूर का प्रयोग, निछावर तथा निषेध (टैबू) में विश्वास चन्द्रमा की कला के आधार पर तिथियों की गणना तथा घोड़ी में गणना करने की प्रथा आदि का मूल प्राय आस्ट्रेलिद माना गया है।^१ नृत्यशास्त्रियों का विश्वास है कि आस्ट्रेलिद जाति के लोग धोर टोटमवादी थे,^२ इसलिए वहाँ से पशुओं जैसे नाग, मकर, कच्छप और हाथी की पूजा भी वीजस्त्रेण इन्हीं की सस्कृति की देन मानी जा सकती है। हो सकता है कि मत्स्य और कच्छप भवतार की कथाएँ मत्स्यगन्धा आख्यान, तथा पचतन्त्र और हितोपदेश में सुरक्षित पशुओं की कथाएँ मूल रूप में आस्ट्रेलिद जाति की देन रही हों।

निपाद जन नदी-जल की पवित्रता और उसकी पाप मोचन की क्षमता में भी विश्वास करते थे। मृत्यु के पश्चात् दिवगत आत्मा की शान्ति के लिए

^१ द्रष्टव्य, वैदिक एज, पृ० १५०-५५

^२ विहार में ओरांव जाति में ७३ और तथाल जाति में ६१ भेद है जो टोटम पर आधारित है।

जल में अस्थि-विसर्जन की प्रथा भी इन लोगों में प्रचलित थी। सथाल जाति के लोग जब तक दामोदर नदी में मृतकों की अस्थियों को विसर्जित नहीं कर लेते हैं, तब तक मृतात्मा को शान्ति नहीं मिलती, ऐसा उनका विश्वास है। गगा शब्द का ज्ञान भी सम्भवतः आर्यों को निषाद जाति से ही प्राप्त हुआ। निषाद लोग गगा शब्द के मूल आधिक रूप का प्रयोग सम्भवतः नदी के अर्थ में करते थे।^१ ग्राज भी बगला भाष में गाग का अर्थ नदी है।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के निवृत्तिमूलक धार्मिक विचारों का बीज भी निषाद स्कृति में ही था। निवृत्तिमूलक धार्मिक परम्पराओं को प्राय मुनियों और श्रमणों की अवैदिक धारा से सम्बद्ध किया गया है^२ किन्तु इनकी निषाद उत्पत्ति की सम्भावना ने विद्वानों का ध्यान यथेष्ट रूप से आकर्पित नहीं किया। इसका प्रमुख कारण निषाद स्कृति को अत्यन्त हीन और अधिकसित समझने का पूर्वाधार है। निवृत्तिमार्गीय मुनियों का स्पष्ट उल्लेख ऋक्सहिता के केशि-सूक्त में हुआ है। इस प्रसाग में कैशधारी, मैले 'गेहृ' कपडे पहने हवा में उड़ते, जहर पीते, मौनेय मे 'उन्मदित' और 'देवेषित' मुनियों का विलक्षण चित्र अभिलिखित है।^३ मुनियों का उल्लेख ऋक्सहिता में अन्यथा भी है, पर विरल है, और ऐसा लगता है कि चमत्कार दिखलाते हुए मुनियों के दर्शन ने सूक्त-कार को विस्मय में डाल दिया था। वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि मुनियों की यह परम्परा ऋग्वैदिक आर्यों के लिए जितनी विचित्र है उतनी ही कदाचित भी। पूर्व वैदिक-कालीन ब्राह्मण धर्म की प्रवृत्तिवादी और देववादी दृष्टि मुनि-श्रमण दृष्टि के प्रतिकूल थी। जहाँ मुनियों के लिये प्रवृत्तिमूलक कर्म वन्धनात्मक और हेय या तथा ब्रह्मचर्य, तपस्या योग आदि निवृत्तिपरक क्रियायें ही उपादेय थी, ब्राह्मण धर्म में ऐहिक और आमुल्यिक सुख मुख्य पुरुषार्थ था और यज्ञात्मक कर्म प्रधान साधन। शङ्कुराचार्य ने कहा है कि वैदिक धर्म द्वितीय है, प्रवृत्तिलक्षण और निवृत्तिलक्षण।^४ पर यह स्मरणीय है कि पूर्ववैदिक कालीन ब्राह्मण धर्म केवल प्रवृत्तिलक्षण था। निवृत्ति लक्षण धर्म के अनुयायी इस समय देवत मुनि-श्रमण थे। किन्तु आर्य लोग जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते गये

१ वैदिक एज, पृ० १५४

२ वौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, पृ० ४-६

३ ऋ० १० १३६

४ गीवामाप्य का उपोद्घात।

ऐसे शब्दों को ढूढ़ निकाला है जिन्हें उत्तरकालीन आर्य भाषा में ग्रहण किया गया। निश्चय ही इनमें से अनेक शब्दों को आर्यों ने सम्भवतः उन वस्तुओं से अपरिचयजन्य शब्दाभाव वे कारण अपनाया। इन शब्दों का आर्य भाषा में प्रवेश भारतीय सस्कृति में निपाद तत्वों के अंगीकरण का सूचक है। चावल, कदली, नारिखेल, ताम्बूल, बैगन, लौकी, जामुन, कपास और सिम्बल आदि का उत्पादन, मोर, मातंग तथा कृकवाक आदि पशु-पक्षियों से परिचय, हस्तिपालन की विधि आदि भारतीय-सस्कृति में निपाद तत्व माने जा सकते हैं। नियादों ने सम्भवतः कुदाल या छड़ी से भूमि खोदकर भूम प्रणाली से खेती करने की विधि का अधिकार कर लिया था।

नियादों ने भारतवर्ष की धार्मिक परम्पराओं को भी समृद्ध करने में अपना विशिष्ट योग दिया। शैव सम्प्रदाय के अन्तर्गत प्रचलित लिंगपूजा जिसका प्रचलन सैन्धव सस्कृति में भी पाया गया है, मूलतः आस्ट्रेलिद प्रतीत होती है। जीन सिलुस्की के अनुसार लिंग लगुड़ आदि शब्द आधिक भाषा के ही हैं। भाषाविदों के मतानुसार ऐसे अनेक धार्मिक विश्वासों एवं परम्पराओं का मूल आस्ट्रेलिदहोना चाहिए जोभारोपीय और द्रविड़ सस्कृतियों के अंग न होते हुए भी हिन्दू समाज में प्राचीन काल से ही विद्यमान हैं। यद्यपि उन सब की निपाद उत्पत्ति सिद्ध करना प्रमाणों के अभाव में प्रायः असम्भव है किन्तु आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास, धार्मिक कृत्यों में ताम्बूल, हल्दी और सिन्दूर का प्रयोग, निछावर तथा निषेध (टैबू) में विश्वास चन्द्रमा की कला के आधार पर तिथियों की गणना तथा कौदी में गणना करने की प्रथा आदि का मूल प्रायः आस्ट्रेलिद माना गया है।^१ नृतत्वशास्त्रियों का विश्वास है कि आस्ट्रेलिद जाति के लोग धोर टोटमवादी थे,^२ इसलिए वहुत से पशुओं जैसे नाग, मकर, कच्छप और हाथी की पूजा भी वीजस्पैण इन्हीं की सस्कृति की देन मानी जा सकती है। हो सकता है कि मत्स्य और कच्छप ग्रवतार की कथायें मत्स्यगन्धा आख्यान, तथा पचतन्त्र और हितोपदेश में सुरक्षित पशुओं की कथाएँ मूल रूप में आस्ट्रेलिद जाति की देन रही हों।

नियाद जन नदी-जल की पवित्रता और उसकी पाप मोचन की शक्ति में भी विश्वास करते थे। मृत्यु के पश्चात् दिवगत आत्मा की शान्ति के लिए

^१ द्रष्टव्य, वैदिक एज, पृ० ३५०-५५

^२ विहार में ओराव जाति में ७३ और संयाल जाति में ६१ भेद है जो टोटप पर आधारित है।

जल में अस्थि-विसर्जन की प्रथा भी इन लोगों में प्रचलित थी। सयाल जाति के लोग जब तक दामोदर नदी में मृतकों को अस्थियों को विसर्जित नहीं कर लेते हैं, तब तक मृतात्मा को शान्त नहीं भिलती, ऐसा उनका विश्वास है। गगा शब्द का ज्ञान भी सम्भवत आर्यों को निषाद जाति से ही प्राप्त हुआ। निषाद लोग गगा शब्द के मूल आधिक रूप का प्रयोग सम्भवत नदी के अर्थ में करते थे।^१ आज भी वगला भाप मे गाग का अर्थ नदी है।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के निवृत्तिमूलक धार्मिक विचारों का बीज भी निषाद सत्कृति में ही था। निवृत्तिमूलक धार्मिक परम्पराओं को प्राय मुनियों और श्रमणों की अवैदिक धारा से सम्बद्ध किया गया है^२ किन्तु इनकी निषाद उत्पत्ति की सम्भावना ने विद्वानों का ध्यान यथेष्ट रूप से आकर्पित नहीं किया। इसका प्रमुख कारण निषाद सत्कृति को अत्यन्त हीन और अविकसित समझने का पूर्वाधार हा है। निवृत्तिमार्गीय मुनियों का स्पष्ट उल्लेख शृङ्खलाहिता के केश सूक्त में हुआ है। इस प्रसंग मे केशधारी, मैले 'गेरु' कपडे पहने हवा मे उठते, जहर पीते, मैलेय मे 'उभादित' और 'देवेपित' मुनियों का विलक्षण चिन्ह अभिलिखित है।^३ मुनियों का उल्लेख शृङ्खलाहिता में अन्यथा भी है, पर विरल है, और ऐसा लगता है कि उभादित दिखलाते हुए मुनियों के दर्शन ने सूक्त-कार को विस्मय में डाल दिया था। वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि मुनियों की यह परम्परा शृङ्खलादिक आर्यों के लिए जितनी विचित्र है उतनी ही कदाचित भी। पूर्व वैदिक-कालीन ब्राह्मण धर्म की प्रवृत्तिवादी और देववादी हृषि मुनि-श्रमण दृष्टि के प्रतिकूल थी। जहाँ मुनियों के लिये प्रवृत्तिमूलक कर्म वन्धनात्मक और हेय था तथा ब्रह्मचर्य, तपस्या योग आदि निवृत्तिपरक क्रियायें ही उपादेय थीं, ब्राह्मण धर्म मे ऐहिक और आमुष्मिक सुख सुख्य पुरुषायं था और वज्ञात्मक कर्म प्रधान साधन। शङ्कराचार्य ने कहा है कि वैदिक धर्म द्विविध है, प्रवृत्तिलक्षण और निवृत्तिलक्षण।^४ पर यह स्मरणीय है कि पूर्ववैदिक कालीन ब्राह्मण धर्म के बल प्रवृत्तिलक्षण था। निवृत्ति लक्षण धर्म के अनुयायी इस समय के बल मुनि-श्रमण थे। किन्तु आर्य लोग जैसे जैसे पूर्वी की ओर बढ़ते गये

१. वैदिक एज, पृ० १५४

२. बोढ धर्म के विकास का इतिहास, पृ० ४-६

३. क० १० १३६

४. गीतामात्र का उपोद्घात।

वैसे-वैसे वैदिक समाज पर मुनि-श्रमण विचारधारा का प्रभाव भी बढ़ता गया। उपनिषद युग तक मुनियों के उदात्तस्वरूप का दर्शन होने लगता है^१ श्रमण शब्द का सङ्कृत प्रयोग है^२, यद्यपि मुण्डकोपनिषद स्पष्ट रूप से यज्ञ-विधि के निन्दक मुण्डित-शिर भिक्षुओं की कृति प्रतीत होता है। ये मुनि-श्रमण तप को महत्व देते थे। ऐतरेय व्राह्मण (३.३.११) में तापस धर्म के विरोध की क्षीण प्रतिघ्वनि सुनाई देती है किन्तु उपनिषद काल तक धार्मिक जीवन में तप की प्रतिष्ठा निविवाद रूप से स्थापित हो चुकी थी। आन्दोग्य उपनिषद में 'तप' को तीन धर्मस्कन्धों में से एक माना गया है।^३ उपनिषत्कालीन सस्कृति का केन्द्र मध्य देश तथा उसके दक्षिण-पूर्व में कोशल तथा विदेह तक का शूप्रदेश था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वैदिक आर्यों का तापस धर्म से धनिष्ठ परिचय पजाव में न होकर गगा की धाटी में हुआ। क्रुञ्णवेद के प्रथम नी यण्डलों में मुनियों का विरल उल्लेख इस बात का सकेत करता है कि तप की परम्परा उनकी अपनी अथवा सैन्वद् जनों की नहीं हो सकती। जैसा कि यह देख चुके हैं, आर्यों के आगमन के समय गगा-धाटी में निषाद सस्कृति वा विकास हो रहा था। ऐसी स्थिति में तापस-धर्म के विकास के पीछे निषाद प्रभाव ही एक स्वस्थ विकल्प प्रतीत होता है। इस प्रसंग मे यह उल्लेखनीय है कि मगध और विदेह के समीपवर्ती प्रदेशों में छठी सदी ई० पू० के पर्वति पहले, सम्भवत उत्तरवैदिक युग में ही मिवृ-त्तिपरक जैनधर्म के मूल सिद्धान्त अस्तित्व में आ चुके थे। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार तेहसिंवं तीयंड्कर पाश्वनाथ की तिथि महावीर जैन से २५० वर्ष पूर्व बताई जाती है। जिससे जैन धर्म का प्रारम्भिक इतिहास द्वारा सदी ई० पू० तक निश्चित रूप से पहुँचता है। स्मरणीय है कि परम्पराओं के अनुसार पाश्वनाथ काले थे तथा सर्वं उनका जातीय लाल्हन था।^४ ये दोनों विशेषताएं निषाद जाति की हैं। सुविदित है कि वृहत्संहिता में मध्यदेश के दक्षिण पूर्व के प्रदेश को ही निषाद सस्कृति का केन्द्र कहा गया है।^५ वैदिक युग के अन्त में इन्हीं प्रदेशों में यज्ञ प्रधान ब्राह्मण धर्म का विरोध तथा नेराश्यमूलक

१. वृहदारण्यक उपनिषद ३.४.१, ४.४ २५, तंत्रिरीय आरण्यक २.२०
२. वही ४ ३.२२

३. आन्दोग्य उप० २ २३ १

४. आन्दोग्य उप० २ २३ १ -

५. मिष्ट एण्ड लीजेन्ड्स एवार्ट इण्डिया, पृ० १६६।

६. वृहत्संहिता १४-१०।

बौद्ध धर्म का उदय एवं जैन धर्म का विकास हुआ। वैदिक धर्म के विपरीत इन नवोदित धर्मों की लोकप्रियता इस प्रदेश में दीर्घकाल तक सम्भवत इसलिये बनी रही कि इनके सिद्धान्त स्थानीयजनों की प्राचीन एवं उदात्त धार्मिक परम्परा के सर्वथा अनुकूल थे।

यद्यपि तप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में अनेकश फुभा है किन्तु प्राय सभी प्रसंगों में इसका अर्थ तेज, सन्ताप अथवा दाह है तपस्या नहीं। यहां पर यह भी स्मरणीय है कि निवृत्तिपरक अथवा क्लेश-लक्षण तप ऋक्सहिता के सुविदित जीवन दर्शन के विश्वरथा तथा योगजन्य सिद्धिमा उनकी अपरिचित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवैदिक काल में यह (तप) आधिक 'तपु' अथवा 'तबु' शब्द का पर्यायवाची हो गया जिसका अर्थ 'त्याग' अथवा 'निषेध' था। इसी के परिणामस्वरूप 'तप' शब्द को तपस्या के अर्थ में प्रयुक्त किया जाने लगा। विचाराहं है कि आधिक 'तपु' अथवा 'तबु' शब्द से ही पालीनेशियन 'टैबू' शब्द की व्युत्पत्ति हुई।

श्री सुनीतिकुमार चटर्जी कुछ अन्य दार्शनिक विचारों को भी मूल रूप में आधिक सख्ति की देन मानते हैं।^१ पोलीनेशियन आस्ट्रेलिडों में 'मन' (Mana) की अवधारणा रही है जिसे वे सर्वव्यापी ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। वैदिक युग के अन्त तक आरण्यकों एवं उपनिषदों में मदृश्य किन्तु सर्वव्यापी ईश्वरीय सत्ता का 'ब्रह्मन्' के रूप में विस्तरश उल्लेख हुआ है। सम्भव है कि ब्रह्मन् की कल्पना के पीछे आधिक 'मन' की धारणा आवार रूप में रही हो क्योंकि भारत के आदिम आस्ट्रेलिडों में 'मन' सम्बन्धी विश्वास अवश्य प्रचलित रहा होगा। सुविदित है कि 'ब्रह्मन्' के प्रति वैदिक धार्यों की आस्था तथा आकर्षण में वृद्धि मध्यदेश तथा उसके दक्षिण-पूर्व (काशी, कोशल, विदेह) में हुई। इसी प्रदेश को निषाद जाति की निवास-भूमि भी माना गया है।

निपादों के सामाजिक जीवन की कल्पना मध्यभारत की कतिपय-आधिक भाषा-भाषी असम्य एवं अर्ध-सम्य जातियों की आधिक एवं सामाजिक व्यवस्था के आधार पर की जा सकती है। इस विषय में कठिनाई इस बात की है कि उन लोगों ने पढ़ोसीसम्य जातियों के प्रभाव के कारण अनेक आदिम परम्पराओं का त्याग कर दिया है। फिर भी इनके कुछ विविध

^१ फल्चरल हेरिटेज आव इण्डिया, प्रथ १, पृ० ७४

रीति-रिवाज औज भी प्रायः अपरिवर्तित तथा भौलिक रूप में द्रष्टव्य है। एस० सी० राय के अनुसार ओराव तथा विहार की अन्य जनजातियों में पितामह और पौत्री के विच्चिन्न विवाह का प्रचलन रहा है। आस्ट्रेलिद जाति की यह परम्परा मेलेनेशिया में भी पाई जाती है।^१ सथाल, हो, ओराव भील आदि सभी जातियों में असुर-विवाह का भी प्रचलन है। असम्भव नहीं है कि आस्ट्रेलिद समाज में पुरा-ऐतिहासिक काल से ही क्य विवाह की परम्परा रही हो। इससे आस्ट्रेलिद समाज में नारी की उपयोगिता तथा बहुमूल्यता सूचित होती है।^२ घर्मघ्रन्थों के विरोध के होते हुए भी निपादो द्वारा स्वीकृत क्य-विवाह भारतीय समाज में सदैव प्रचलित रहा है।^३ सथाल, मुण्डा और ओराव आदि जातियों में वाल विवाह का भी प्रचलन है। यद्यपि निश्चायक ढाग से कुछ कहना कठिन है तथापि घर्मसूओं के काल तक हिन्दू समाज में वाल विवाह के विस्तृत प्रचार की पीछे निपाद प्रभाव अनायास कल्पनीय हैं।

भारतवर्ष की प्रागार्य प्रजातियों के सास्कृतिक इतिहास में किरातों का विशेष योग नहीं रहा है, फिर भी इस प्रसग में उनका अध्ययन सर्वथा उपेक्षणीय नहीं है। मगोल जातियाँ प्रागेतिहासिक किरात-सस्कृति युग से ही भारत वर्ष में आती रही हैं और हिमालय के गिरिपादों प्रदेशो—असम, नैपाल, लद्दाख आदि में वसती रही हैं। मोएनजोदहो के विशाल जनसङ्कुल में मगोलतत्व विद्यमान था। वहाँ से उपलब्ध मूर्तियों से पंखे के आकार की जिस शिरोभूपा का ज्ञान होता है उसकी तुलना असम-प्रदेश में प्रचलित किरात जाति की शिरोभूपा से की जा सकती है। वैदिक साहित्य से भी उनके पर्वतीय प्रदेश का निवासी

१ एस० सी० राय, दि ओराव, पृ० ३५२-५४

२ लुई, प्रिमिटिव सोसाइटी, पृ० १८ २०

३ महाभारत के अनुसार जब भीष्म ने कन्या-शुल्क चाहनेवाले शत्रु की भत्संना की तब शत्रु ने तकं उपस्थित किया था कि उचित अथवा अनुचित, इस प्राचीन कुलघर्म का त्याग करने में वे असमर्थ हैं।

महाभारत १ १२३६ (कुम्भको० सस्करण)

पूर्वे प्रवत्तित किचित्कुले स्मिन्नूपसत्तमै। साधु वा यदि वासाधु तन्नातिक्रान्तुमुत्सर्हे ।

होने का ज्ञान होता है। वाजसनेयी सहिता में उन्हें गुहानिवासी तथा अर्थर्व-वेद में पर्णीय प्रदेश का निवासी कहा गया है।^१ महाभारत में इन्हें हिमवन्त प्रदेश का निवासी बताया गया है।^२ अर्जुन से किरातों का सधर्ष उत्तरी अभियान में ही हुआ था। राहुल साकृत्यायन के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित आर्यों का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी शम्वर इन्हीं पहाड़ी लोगों का नेता था।^३ इस शम्वर के सौ पर्णीय दुर्गों के उल्लेख से इस अवधारणा की अशत पुष्टि भी होती है। ऋग्वेद की अन्य ऋचाओं से भी इसका सम्बन्ध पहाड़ी प्रदेश से सूचित होता है।^४

सास्कृतिक दृष्टि से अविकसित होने के कारण किरात लोग नियादो तथा आर्यों के समक्ष सास्कृतिक सधर्ष में टिक नहीं सके। उन्होंने अविकाशत हिन्दू सकृति को अपना लिया। जो इस प्रभाव से मुक्त रहे, उनकी सास्कृतिक परम्परायें आज भी अव्याहृत रूप से असम के पहाड़ी प्रदेशी में पाई जाती हैं। वर्तमान किरात जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि इनका समाज मातृवाचीय, मातृसत्तात्मक तथा मातृस्थानीय था। खासी और गारो जातियों में यह व्यवस्था आज भी पूर्ण विकसित रूप में मिलती है। खासी लोग अपनी वशावली का प्रारम्भ छियों अथवा राजकुमारियों से मानते हैं। इनमें सृष्टि-निर्माण का देवता भी नारी-गुणोपेत है। इन लोगों में सम्पत्ति पिता की नहीं बल्कि भाता की समझी जाती है। भाता की सूत्यु के उपरान्त इस सम्पत्ति के उत्तराधिकारी भी लड़के नहीं बरन् लड़किया ही होती है। मनुष्य के व्यक्तिगत आय को स्वामिनी विवाह के पूर्व माता और विवाह के पश्चात् पत्नी हुआ करती है। विवाहोपरान्त पति प्राप्त पत्नी के घर पर ही निवास करता है। खासी जाति में पीरोट्ट्य का कार्य भी प्राय छियों ही सम्पादित करती है। हिन्दू धर्म तथा सामाजिक व्यवस्था के प्रभाव के कारण इनके समाज में भी छियों के प्रसूत्व का हास होता जा रहा है। गारो लोगों की सामाजिक व्यवस्था भी इसी प्रकार मातृसत्तात्मक

१ वाज० स० ३० १६, अर्थर्व० १० ४ १४।

२ महाभारत ७ ४ ७, हिमवद्गुर्गनिलया किराता।

३ ऋग्वेदिक आर्य, पृ० ८१-२

४ ऋ० २ १४ ६।

५ ऋ० १ १३० ७, ४३० १४, ६ २६५, २.२४.२ पवित्रिपु क्षिप्तन।

है। इनकी सन्तानें माता के कुल एवं बाचा से सम्बद्ध समझी जाती है। गारो लोग अपना मूल पूर्वज एक ढी को मानते हैं। इन लोगों में एक विचित्र प्रथा यह है कि सास के विवाह हो जाने पर नोकोम (दामाद) को उससे विवाह करना पड़ता है। सास सम्पत्ति की स्वामिनी होती है। ऐसी स्थिति में उसकी सम्भति को अपनी पत्नी के लिए सुरक्षित करने के लिए दामाद उससे विवाह कर लेता है।

किरातों की एक अन्य उत्त्लेखनीय सामाजिक परम्परा बहुभृता का प्रचलन है। आजकल लद्दाख, उसके सभीपवर्ती प्रदेशों तथा जानसरवावर की पहाड़ियों में इस प्रथा का प्रचार है। वेस्ट्सरमार्क ने इस प्रथा का कारण छियों की सख्त्या की कमी माना है किन्तु सुमनेर, लुई, कर्निघम और वेत्यु आदि विद्वानों ने इसका मूल कारण गरीबी बताया है।^१ पहाड़ी जीवन की कठोरता एवं संघर्ष ने इन लोगों को जनसख्त्या-नियोजन के लिये विवश किया होगा।

वैदिक साहित्य के विकास का इतिहास, बोकजकुई अभिलेख तथा आर्य-भाषा पर हुए आर्योंतर प्रभाव को हिंट में रखते हुइ भारत में आर्यों के आगमन की तिथि द्वितीय बहुखादि ई० पू० के मार्यों का-आगमन और प्रारम्भ में मानी जा सकती है।^२ स्थूलत यही सैन्धव सम्भताका विलोप वह समय था जब वैवीलोनिया में कसाइट, एशिया-माझनर में हिती और यूनान में एकियन प्रविष्ट हुए थे। भारत में प्रवेश के पश्चात् ऋग्वेदिक आर्यों ने सप्तसैन्धव प्रदेश को अपना प्रारम्भिक आवास बनाया। सुविदित है कि यही प्रदेश पूर्ववर्तिनी अनार्य सैन्धव सस्कृति के विकास का भी बेन्द्र था। ऐसी स्थिति में यह सम्भावना उत्पन्न होती है कि सैन्धव सस्कृति के विनाश का कारण आर्यों का आक्रमण ही था।^३ लगातार आनेवाली बाढ़ों से सैन्धव सस्कृति दृत हासोन्मुख हो चली थी जिसके परिणामस्वरूप विजातीय आक्रमणकारियों का सफल प्रतिरोध नहीं हो सका। मोएनजोदहो में परवर्ती युगों का वर्धमान

१ लुई, प्रिमिटिव सोसाइटी, पू० ४३, सुमनेर, फॉक वेज, पू० ३०२, दा० रामनारायन, सोशल इकोनौमी आव दी पोलियन्ड्रस पिपुल, पू० ३२।

२ विन्टरनिट्ज, हिस्ट्री भाव इण्डियन सिटरेचर, भाग १, पू० ३१०

३. हौलर, इण्डियन विलिजेशन, पू० ६४-६५।

ह्रास तथा अन्तिम विनाश, दोनों के चिन्ह मिले हैं। आयों द्वारा सस्कृति के विनाश के सूचक प्रवल साहित्यक तथा पुरातात्त्विक सकेत उपलब्ध हैं।

ऋग्कूसहिता में ऐसे अनेक उद्धरण हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक आर्य सैन्धव सस्कृति से सुपरिचित तथा उसके विशेषताओं का उल्लेख हुआ है उनसे स्पष्टत वे लोग सैन्धव सस्कृति के निर्माता ही प्रतीत होते हैं। उन्हें अपरिचित भाषा में बोलने वाला (मृद्वाक्), वैदिक कर्मों से रहित (अकर्मन), वैदिक देवों को न मानने वाला (अदेवयु), यज्ञो से शून्य (अयज्वन्) एवं व्रतों से रहित (अप्रत) कहा गया है। इन नकारात्मक विशेषणों से दास-दस्यु लोगों का प्रनायंत्व मात्र सूचित होता है किन्तु अन्यथा उन्हें 'शिशनदेव' भी कहा गया है।^१ लिंगपूजा की यह परम्परा सैन्धव समाज में प्रचलित थी। इसके प्रतिरिक्त दास-दस्यु लोगों के विपुलकाय पुरो तथा दुगो का भी उल्लेख हुआ है जिन्हें स्यान-स्यान पर आयसी, अशमयी, उर्वी, गोमती, शतभुजी और शारदी आदि विशेषणों से युक्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि दास-दस्यु लोग किसी समृद्ध नागरिक सस्कृति से सम्बन्धित थे। लिंगपूजक दास दस्यु लोगों की यह नागरिक सस्कृति सैन्धव सस्कृति ही हो सकती है यदोकि सम्पूर्ण उत्तरी भारत में आयों की पूर्ववर्तिनी किसी भी नागरिक सभ्यता का अस्तित्व अज्ञात है।^२

दास-दस्यु लोगों से ऋग्वैदिक आयों का सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण एवं सघर्ष-मय था। आर्य-दास सघर्ष को प्रतिष्वनि ऋक्सहिता में सवंत्र उपलब्ध होती है। मन्त्र ५, ३४, ५ में आयों द्वारा दासों के पराजय और वशीकरण का संकेत है। दासों के पुरों को नष्ट करने के लिए इदं तथा अग्नि से अनेकश-

१ क्र० ७ २१.५, १० ६६ ३

२ इस प्रश्न में यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में दास-दस्यु की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए छ आद्यों से युक्त (ष ढाक्ष) तीन सिर वाला (निदीर्पण) और शृंगमुकुटधारी कहा गया है (क्र० १० ६६ ६, ७. ६६ ४)। इस वर्णन पर ध्याल देने पर अनायास सिन्धु-धाटी के उस मनायं देवताओं की याद आती है जिसे शिव का आदि रूप माना गया है।

है। इनकी सन्तानें माता के कुल एवं ब्राह्मण से सम्बद्ध समझी जाती है। गारो लोग अपना मूल पूर्वज एक स्त्री को मानते हैं। इन लोगों में एक विचित्र प्रथा यह है कि सास के विवाह हो जाने पर नोकोम (दामाद) को उससे विवाह करना पड़ता है। सास सम्भति की स्वामिनी होती है। ऐसी स्थिति में उसकी सम्भति को अपनी पत्नी के लिए सुरक्षित करने के लिए दामाद उससे विवाह कर लेता है।

किरातों की एक अन्य उल्लेखनीय सामाजिक परम्परा बहुभृत्या का प्रचलन है। आजकल लद्दाख, उसके सभीपवर्ती प्रदेशों तथा जानसरबावर की पहाड़ियों में इस प्रथा का प्रचार है। वेस्टर्नमार्क ने इस प्रथा का कारण खियों की सख्त्या की कमी माना है किन्तु सुमनेर, लुई, कर्निघम और वेत्यु आदि विद्वानों ने इसका मूल कारण गरीबी बताया है।^१ पहाड़ी जीवन की कठोरता एवं सधर्वं ने इन लोगों को जनसख्त्या-नियोजन के लिये विवश किया होगा।

वैदिक साहित्य में विकास का इतिहास, वोकजकुर्ह अभिलेख तथा प्रार्थ-भाषा पर हुए आयेतर प्रभाव को हिष्ठ में रखते हुव भारत में आर्यों के आगमन की तिथि द्वितीय सहस्राब्दि ई० पू० के आर्यों का आगमन और प्रारम्भ में मानी जा सकती है।^२ स्थूलत यही संघर्ष सम्भवताका विलोप वह समय था जब वैवीलीनिया में कसाइट, एशिया-माझनर में हिती और यूनान में एकियन प्रविष्ट हुए थे। भारत में प्रवेश के पश्चात् क्रांतिवेदिक आर्यों ने सप्तसंघव प्रदेश को अपना प्रारम्भिक आवास बनाया। सुविदित है कि यही प्रदेश पूर्ववर्तिनी अनार्य संघव सस्कृति के विकास का भी बेन्द्र था। ऐसी स्थिति में यह सम्भावना उत्पन्न होती है कि संघव सस्कृति के विनाश का कारण आर्यों का आक्रमण ही था।^३ लगतार आनेवाली बाढ़ी से संघव सस्कृति स्वत हासोन्मुख हो चली थी जिसके परिणामस्वरूप विजातीय आक्रमणकारियों का सफल प्रतिरोध नहीं हो सका। मोएनजोदहो में पर्वती युगों का वर्धमान

१ लुई, प्रिमिटिव सोसाइटी, पू० ४३, सुमनेर, फॉक बेज, पू० ३०२, ढा० रामनारायन, सोशल इकोनोमी आव दी पोलियन्ड्रस पिपुल, पू० ३२।

२ विन्टरनिटूज, हिस्ट्री आव इंडियन लिटरेचर, भाग १, पू० ३१०

३. ह्लोलर, इण्डस सिविलिजेशन, पू० ६४-६५।

हास तथा अन्तिम विनाश, दोनों के चिन्ह मिले हैं। आर्यों द्वारा सकृति के विनाश के सूचक प्रबल साहित्यक तथा पुरातात्त्विक सकेत उपलब्ध हैं।

शृङ्खूसहिता में ऐसे अनेक उद्धरण हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि शृङ्खैविदिक आर्य सैन्धव सकृति से सुपरिचित तथा उसके विभासक थे। इस अन्य में दास-दस्यु लोगों की जिन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है उनसे स्पष्ट वे लोग सैन्धव सकृति के निर्माता ही प्रतीत होते हैं। उन्हें अपरिचित भाषा में बोलने वाला (मृद्घवाक्), वैदिक कर्मों से रहित (शकमन्), वैदिक देवों को न मानने वाला (अदेवयु), यज्ञो से शून्य (अयज्वन्) एवं ब्रतों से रहित (अब्रत) कहा गया है। इन नकारात्मक विशेषणों से दास-दस्यु लोगों का अनायंत्र मात्र सूचित होता है किन्तु अन्यत्र उन्हें 'विश्वनदेव' भी कहा गया है।^१ लिंगपूजा की यह परम्परा सैन्धव समाज में प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त दास-दस्यु लोगों के विपुलकाय पुरों तथा दुगों का भी उल्लेख हुआ है जिन्हें स्थान-स्थान पर आयसी, अशममयी, चर्वी, गोमती, शतभुजी और शारदी आदि विशेषणों से युक्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि दास-दस्यु लोग किसी समृद्ध नागरिक सकृति से सम्बन्धित थे। लिंगपूजक दास दस्यु लोगों की यह नागरिक सकृति सैन्धव सकृति ही ही सकती है क्योंकि सम्पूर्ण उत्तरी भारत में आर्यों की पूर्ववर्तिनी किसी अन्य नागरिक सम्यता का अस्तित्व अज्ञात है।^२

दास-दस्यु लोगों से ऋग्वैदिक आर्यों का सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण एवं सघर्ष-मय था। आर्य-दास सघर्ष की प्रतिक्वनि ऋक्सहिता में सर्वत्र उपलब्ध होती है। मन्त्र ५. ३४ ५ में आर्यों द्वारा दासों के पराजय और वशीकरण का सकेत है। दासों के पुरों को नष्ट करने के लिए इदं तथा अग्नि से अनेकश-

१ ऋ० ७ २१ ५, १० ६६. ३

२ इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में दास-दस्यु की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए व्या आर्यों से युक्त (ष ढाक्ष) तीन सिर वाला (त्रिशीरणा) और शृगमुकुटधारी कहा गया है (ऋ० १० ६६ ६, ७. ६६ ४)। इस वर्णन पर ध्याल देने पर अनायास सिन्धु-धाटी के उस अनायं देवताओं की याद आती है जिसे शिव का आदि रूप माना गया है।

निवेदन भी किया गया है^१ तथा इन्द्र को पुरन्दर (पुरो का भेदन करने-वाला) का विश्व प्रदान किया गया हैं।^२ ऋग्वेद १ १४७ ७-८ में पृथ्वी को दास लोगों की इमशान-भूमि कहा गया है। एक स्थान पर इद्र को कृष्णयोनि दासों का विनाश करने वाला तथा अन्यत्र उन्हें नीचे की गुफा में फेंकने वाला कहा गया है।^३ मन्त्र ४ १६ १३ में पचास सहस्र कृष्णवर्ण दासों को युद्धभूमि में मारने तथा उनके पुरी को नष्ट करने का उल्लेख है। इन उद्धरणों से यह सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों ने दास-दस्यु सस्कृति के विनाश का पूर्ण प्रयास किया, जिसमें उन्हें यथेष्ठ सफलता भी प्राप्त हुई। इस प्रसाग में यह उल्लेखनीय है कि भोएनजोदडो की सड़कों से प्राप्त अस्तिर्घंजर तथा रानाधुण्डाई तृतीय में अग्निकाड के दृश्य से भी किसी आक्रमण तथा तज्जनित विघ्वस का सकेत मिलता है। इस प्रकार साहित्यिक एवं पुरातात्त्विक प्रमाणों की सम्मिलित सूचना की पृष्ठभूमि में सौन्धव सस्कृति के विनाश का कारण वैदिक आर्यों के आक्रमण को मानना अपरिहार्य हो जाता है।

सौन्धव सम्यता का प्रभाव क्षेत्र बहुत विस्तृत था, इसका हास तथा इसके भौतिक पक्ष का विलोप सर्वत्र समान रूप से नहीं हुआ। सिन्ध एवं पजाव में यह सस्कृति प्राय विनष्ट हो गई क्योंकि हड्ड्या में सौन्धव सस्कृति के ऊपर 'कविस्तान एच' नामक सौन्धवोत्तर साकृति के अवशेष मिलते हैं। यह सस्कृति भाँ आर्योंतर थी किन्तु सौन्धव सस्कृति की तुलना में अत्यन्त हीन और अप्रिकसित थी। इसी प्रकार चन्हूदडो में 'झूकर' और 'झगर' सस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। लोथल और रगपुर के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि सौराष्ट्र में यह सस्कृति दीर्घकाल तक जीवित रही। इस प्रदेश में सौन्धव सस्कृति का क्रमशः ह्राम के साथ रुग्नान्तर हुआ किन्तु आकर्षिक विनाश नहीं। पजाव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सैन्धवों के पश्चात् कुछ अन्तराल के उपरान्त 'चित्रित भूरे मृत्पात्र' सस्कृति के निर्माताओं ने अधिकृत कर लिया। श्री वी० वी० लाल ने इस संस्कृति का निर्माता भारत में आने वाले प्रारम्भिक आर्यों को माना है।^४ किन्तु यह असन्दिग्ध नहीं है। 'चित्रित भूरे मृत्पात्र' सस्कृति की परम्परा रूपद से

^१ ऋ १० २२ द, ७ ५ ३

^२ ऋ १ १०३ ३

^३ ऋ २ १२ ४

^४ एन्ड्रेन्ट इण्डिया, १०, ११ पृ० ५-१५१

कीशास्मी तक मिली है। यह सस्कृति प्रधानत गगा की शाटी तक सीमित होने के कारण उत्तर-वैदिक आर्यों की प्रतीत होती है। यदि यह प्रारम्भिक आर्यों से सम्बद्ध होती तो इसके अवशेष सप्तसिन्धु प्रदेश में अधिक मिलते क्योंकि भारत में प्रवेश के पश्चात् आर्यं सर्वप्रथम वही बसे थे।

आर्यों एवं अनार्यों के बीच का यह सघर्ष दीर्घकालीन नहीं रहा। प्रारम्भिक कलह की स्थिति के समाप्त होते ही इनका पारस्परिक दुरावधिटने लगा। ऋग्वेद में दाशराज्य युद्ध का जो उल्लेख है उसमें सुदास के विरुद्ध युद्ध में भाग लेते थाली जातियों में अनार्यं भी सम्मिलित थे।^१ प्रारम्भ में विजित अनार्यों को आर्यों ने धाम (स्लेव) बनाये। ऋग्वेद में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनमें दासों को गायों और भेड़ों के साथ दान में देने का उल्लेख है।^२ ये दास पराजित अनार्यं (दास-दस्यु) ही थे। यहां यह उल्लेखनीय है कि सैन्धव सस्कृति का विविध प्रभाव आर्यसम्मता के प्रथम आविभाव के समय कम था और पीछे क्रमशः अधिक। प्रारम्भ में विजेता आर्यं और विजित पलायमान अथवा दासकृत आर्योंतर ज्ञातिया परस्पर सघर्ष में निरत थी। इस प्रकार का युद्धजन्म सभ्यकं सोस्कृतिक आदान प्रदान अथवा समन्वय के लिए उपयोगी नहीं होता। उत्तरवैदिक युग तक जब आर्योंतर लोग वर्ण-व्यवस्था के माध्यम से वैदिक समाज में अग्रीकृत हुए तब सास्कृतिक समन्वय के लिए भी स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हुआ।

ऋग्वैदिक सस्कृति की विकास-भूमि 'सप्तसिन्धु'^३ की भौगोलिक परिविष्टम में कुमा से लेकर पूर्व में यमुना तक विस्तृत थी। ऋक्सहिता के

१ ऋ० ७ ३३ २, ५, ८३ ८

२ ऋ० ८ ५६ ३

३ ऋग्वेद में 'सप्तसिन्धु' शब्द का प्रयोग एक भूभाग विशेष तथा 'नदियों का सभूह' दोनों अर्थों में हुआ है। इसकी सात नदियों में मेवसम्मूलर पनाव की नदियों, सिन्धु तथा सरस्वती की गणना करते हैं। लुडविग तथा विन्टरनिल्ज सरस्वती के स्थान पर कुमा को मानते हैं। पठित क्षेत्रेश चन्द्र चट्टोपाध्याय 'सप्तसिन्धु' शब्द का प्रयोग 'सब नदिया' के धर्यं में हुआ मानते हैं जो पूर्व वैदिक आर्यों से परिचित थीं। प्रारम्भ में सप्तसिन्धु शब्द निश्चय ही सात नदियों का सूचक रहा होगा किन्तु ज्यों ज्यों नई नदियों से पूर्व वैदिक आर्यों का परिचय होता गया उन सबकी गणना 'सप्तसिन्धु' के भन्तागत होती गई।

पूर्व-वैदिक संस्कृति

एक उत्तरकालीन मन्त्र में गंगा का भी उल्लेख हुआ है।^१ किन्तु इस विरल उल्लेख से यह सूचित है कि हस नदी से पूर्व-वैदिक आर्यों का विशेष परिचय नहीं था। इस युग में गंगा न तो सप्तसिन्धु की नदी थी और न इसे परवर्ती युगों की प्रतिष्ठा ही प्राप्त हो पाई थी उत्तर वैदिक युग के सास्कृतिक केन्द्र मध्यदेश तक अभी आर्य-संस्कृति का विस्तार नहीं हो सका था।^२

यद्यपि पूर्व-वैदिक आर्यकृषि और पशुपालन में समान रूप से रुचि रखते थे तथापि उनका प्रधान व्यवसाय पशुपालन ही था। ऋग्वेद का ऋषि

आर्थिक जीवन

जितना गायो और घोड़ो के लिये लालायित है उतना किसी अन्य आर्थिक महत्व की वस्तु के लिये नहीं। गाय का आर्थिक महत्व उसके 'शब्द्या' विशेषण से भी स्पष्ट है।^३ अगर मासाहार के लिये गायों का वध किया भी जाता था तो प्राय बन्ध्या गायों की ही हत्या होती थी। इसीलिये ऋग्वेद के मन्त्रों में अर्णि को 'वसान्न' कहा गया है। पशुधन के प्रति आर्यों का मोह दो विशिष्ट वैदिक कथाओं से भी प्रकट है। शुन शेष के पिता ने गायों के लोभ में पुत्र का विक्रय किया था तथा शूचाश्व के पिता ने भेड़ों की क्षति के कारण कुपित होकर अपने पुत्र को अन्वा बना दिया था। धीरे-धीरे कृषि का महत्व भी बढ़ रहा था।^४ ऋग्वेद (१०, ३४) में जुआरी को दूत के

१. ऋ० १०. ७५ : ५

२. कुछ विद्वानों ने 'ऋवैदिक आर्यों' का प्रसार पूर्व में विहार तक माना है। उनके अनुसार वैदिक संस्कृति को विदेह में प्रतिष्ठित करनेवाले विदेहमाथव के पुरोहित गौतम राहूगण ऋग्वेद के ऋषि हैं किन्तु] इस प्रस्तग में यह उल्लेखनीय है कि गौतम राहूगण का उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल में हुआ है जिसकी प्राचीनता पूर्णतः सन्दिग्ध है। उपर्युक्त मत के लिए द्रष्टव्य-राधाकुमुदमुकर्जी, हिन्दू सम्यता, पृ० ६५, पादटिप्पणी, उपेन्द्र ठाकुर, हिस्टरी आव मिथिला, पृ० २३।

३. ईरान में भी गोहत्या के विशद जरथुस्त्र ने नियम बनाये। द्रष्टव्य— कैम्पिज हिस्टरी आव इण्डिया, भाग १, पृ० १०२

४. कृषि का ज्ञान आर्यों को हिन्द-ईरानी युग से ही था। यह बात 'यवम्-कृषि' और 'यवो करेता' की समानता से प्रकट है।

व्यसन को त्याग कर कृषि-कर्म में प्रवृत्त होने का संदेश दिया गया है। ऋग्वेद में कृषि-कर्म से सम्बन्धित विभिन्न यन्त्रों का उल्लेख हुआ है। हल चलाने का कार्य अधिकाशत दौलो से लिया जाता था। यत्र-तत्र घोड़ा के उपयोग का भी सकेत मिलता है।^१ पैदावार की वृद्धि के लिये 'शकृत' 'करीष' जैसे उच्चरक पदार्थों का प्रयोग भी होने लगा था। सिंचाई के कृत्रिम साधनों का विकास भी अनेक मन्त्रों से सूचित होता है।^२ खेती में उत्पन्न होने वाले अन्न को यव और धान्य कहा गया है।^३

गाम्य जीवन के सरल होने के बावजूद इन लोगों ने अनेक उपयोगी शिल्पों का विकास कर लिया था। बढ़ई (तक्षन्) शिल्पियों का अनुग्रह था।^४ वह युद्ध और सवारी के लिये रथ तथा माल ढोने के लिये अनसू का निर्माण करता था।^५ धातु का काम करने वाले 'कर्मार' कहलाते थे। इन लोगों ने धातु को गताना सीख लिया था।^६ सोनार सोने के आभूषण बनाता था। तोता सिन्धु जैसी नदियों से तथा भूमि से प्राप्त किया जाता था।^७ कर्मकार और बुनकर का भी उल्लेख हुआ है। चमड़ा कमाने की कला ज्ञात थी।^८ कपड़ा बुनने का काम अधिकाशत छिपाँ करती थी।^९ इस युग में वस्तुओं के विनियम की भी प्रथा थी। दस गायों को देकर इन्द्र की एक प्रतिमा लेने की बात एक मन्त्र में कही गई है।^{१०} बाजार के भाव-ताव तथा क्य-विक्रय के नियमों से सम्बन्धित कुछ सकेत भी मिलते हैं।^{११} यत्र-तत्र सामुद्रिक व्यापार का भी उल्लेख हुआ है ऋग्वेद ७ ९५ २ में समुद्र शब्द का अर्थ

१ ऋ० १० १०१ ७

२ ऋ० १ १६१ १०, ७ ४६ २, ३ ४५ ३, १० ६६ ४

३ ऋ० १ ११७ २१, ६ १३ ४

४ ऋ० ६ ११२ १

५ ऋ० ३ ३३ ६

६ ऋ० १० ७२.२, ५ ६५

७ ऋ० ६ ६१ ७, १ ११७ ५

८ वैदिक इण्डेक्स १, २३४, २५७

९ ऋ० १ ६२ ३

१० ऋ० ४ २४ १० क इम दशमिमंसेन्द्र क्रीएति धेनुभि ।

११ ऋ० ४ २४६

निश्चित रूप से सागर है क्योंकि इस मंत्र में सरस्वती नदी के पर्वत से समुद्र तक वहने का उल्लेख है । समुद्र से प्राप्त होने वाले धन (रथि समुद्रात्, वसूनि समुद्रात्) का भी वर्णन है^३ जिसका अर्थ मोती या समुद्री व्यापार से होने वाला जाभ हो सकता है । ऋक्‌सहिता १ २५ ७ में 'नाव समुद्रिय' का उल्लेख भी सामुद्रिक नी यात्रा तथा व्यापार से पूर्व-वैदिक आर्यों का सम्बन्ध सूचित करता है । ऋग्वेदिक सस्कृति के ग्राम्य स्वरूप को देखते हुए समुन्नत व्यापार प्राय अकल्पनीय है फिर भी उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में यह बात स्वीकृत की गई है कि पूर्व-वैदिक आर्य सामुद्रिक व्यापार करते थे ।^४

पूर्व-वैदिक समाज जनो और ग्रामो में विभक्त या ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था । वह राजा को शासन कार्य में सहायता देता था । राजा

सम्पूर्ण जन का नेता था । सामान्यत वह निर्वाचित

राजनीतिक संगठन हुआ करता था^५ किन्तु व शानुगत रूप से शासन करनेवाले राजव था भी अज्ञात नहीं थे ।^६ समिति और सभा जैसी लोकप्रिय संस्थायें शासन कार्य में राजा की सहायता करती थी । राजा स्वयं समिति में उपस्थित होता था तथा उसके सदस्यों के सहयोग की कामना करता था ।^७ पूर्व-वैदिक युग में राजतत्र पर इन परिषदों का विशेष नियन्त्रण था । इस युग में राज-पद उन परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम था जो शत्रुओं के साथ युद्ध-निरत रहने से उत्पन्न हुई थी । ऐसी स्थिति में सैनिक नेतृत्व राजा का प्रधान कर्तव्य था । इसके अतिरिक्त शातरिक शान्ति एवं व्यवस्था की सुरक्षा भी उसके कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत परिणामित होने लगी था । राजा के प्रधान सचिव के रूप में पुरोहित न बेवल उसके हित तथा समृद्धि के लिये देवताओं को प्रसन्न करने का

१.ऋ० १ ४७ ६, ७ ६ ७, ८ ६७ ४४

२. द्र० वैदिक एज, पृ० ३६७

३. ऋ० १० १२४ ८

४. उदाहरण के लिये दिवोदास और सुदास, पुरुषुत्स और त्रस दस्यु इत्यादि ० प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति, पृ० ६६

५. ऋ० ६ ६२ ६, १०. १६६.४

प्रयास करता था वरन् युद्ध भूमि में मौ राजा के साथ रहता था।^१ राजा को प्रजा से कर भी प्राप्त होने लगा था। ऋक्सहिता के मत्रों में उसे 'वतिहृत' कहा गया है।^२ किन्तु कुछ मत्रों से इस बात की भी सूचना मिलती है कि कर ग्रहण नियमित और अनिवार्य नहीं हो सका था।^३ ऋग्वेद में केवल जनों का ही उल्लेख है, इससे यह प्रकट होता है कि विभिन्न आर्यजन अभी निश्चित भू-प्रदेशों में स्थिर नहीं हो पाये थे। यह स्थिति राज्यस्था के समुचित विकास में वाघक थी। स्थायी जनपदों की स्थापना सब प्रथम उत्तर वैदिक युग में ही हो पाई।

उत्तर वैदिक युगीन वर्णव्यवस्था तथा वर्गगत विषमताओं और विद्योपताओं का जो चित्र समसामयिक-साहित्य में मिलता है वह ऋक्सहिता

में सर्वथा अनुपलब्ध है। ऋग्वेद के ऋषि सामाजिक विभाजन से विलकुल अपरिचित नहीं थे। ऋग्वेद एव अवेस्ता के सम्मिलित साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्यों ने अम विभाजन

का विकास हिन्द-ईरानी युग में ही कर लिया था। समाज में विभिन्न व्यवसायों का उदय हो चुका था जिनके अनुसरण करनेवाले 'गायों की भाँति एक ही स्थान में विश्राम करते थे।^४ एक ही परिवार में पिता वैद्य, पुत्र काश और माता विस्तृत हरी का कार्य कर सकती थी।^५ दूसरे शब्दों में विविध व्यवसाय अभी बशानुगत नहीं हो पाये थे। विश्वामित्र, जो भरत जन के सहयोगी तथा मुदास के पुरोहित थे,^६ कृशिक कुन में उत्पन्न राजन्य थे।^७ ऋषि भूगु के वंशजों में कुछ रथकार भी थे^८ तथा उन्होंने सशस्त्र सैनिकों की भाँति दाशराज्य युद्ध में भाग भी लिया था।^९ ऋग्वेद के

१ ऋ० ७ १८.१३

२ ऋ० ७ ६ ५, १०. १७३ ६

३ ऋ० १० १६३ ६

४ ऋ० ६ ११२ ३

५ ऋ० ६ ११२ ३

६ ऋ० ३ ५३

७ ऋ० ३ ३३ ५, निश्च २ ४४

८ ऋ० ४ १६ २०, १ ३६ १४

९ ऋ० ७ १८.६

निश्चित रूप से सागर है क्योंकि इस मध्य में सरस्वती नदी के पर्वत से समुद्र तक वहने का उल्लेख है। समुद्र से प्राप्त होने वाले धन (रथ समुद्रात्, वसूनि समुद्रात्) का भी वर्णन है^१ जिसका अर्थ मोती या समुद्री व्यापार से होने वाला लाभ हो सकता है। ऋक्सहिता १ २५ ७ में 'नाव समुद्रिय' का उल्लेख भी सामुद्रिक नौयात्रा तथा व्यापार से पूर्व-वैदिक आयों का सम्बन्ध सूचित करता है। ऋग्वेदिक सस्तुति के ग्राम्य स्वरूप को देखते हुए समुन्नत व्यापार प्राय अकल्पनीय है फिर भी उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में यह बात स्वीकृत की गई है कि पूर्व-वैदिक आर्य सामुद्रिक व्यापार करते थे।^२

पूर्व-वैदिक समाज जनों और ग्रामों में विभक्त या ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। वह राजा को शासन कार्य में सहायता देता था। राजा

सम्पूर्ण जन का नेता था। सामान्यत वह निर्धारित

राजनीतिक संगठन हुआ करता था^३ किन्तु व शानुगत रूप से शासन करनेवाले राजव श भी अज्ञात नहीं थे।^४ समिति

और सभा जैसी लोकप्रिय सत्यायें शासन कार्य में राजा की सहायता करती थीं। राजा स्वयं समिति में उपस्थित होता था तथा उसके सदस्यों के सहयोग की कामना करता था।^५ पूर्व-वैदिक युग में राजत्र पर इन परिषदों का विशेष नियन्त्रण था। इस युग में राज-पद् उन परिस्थितियों का स्वामादिक परिणाम था जो शत्रुघ्नों के साथ युद्ध-निरत रहने से उत्पन्न हुई थी। ऐसी स्थिति में सैनिक नेतृत्व राजा का प्रधान कर्तव्य था। इसके अतिरिक्त आतरिक शान्ति एव व्यवस्था की सुरक्षा भी उसके कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत परिणित होने लगी था। राजा के प्रधान सचिव के रूप में पुरोहित न केवल उसके हित तथा समृद्धि के लिये देवताओं को प्रसन्न करने का

१.ऋ० १४७ ६, ७ ६ ७, ९ ६७ ४४

२. ऋ० वैदिक एज, पृ० ३६७

३. ऋ० १० १२४ ८

४. उदाहरण के लिये दिवोदास और सुदास, पुरुषुत्स और त्रसु इत्यादि।
ऋ० प्राचीन भारतीय शामन-पढ़ति, पृ० ६६

५. ऋ० ६ ६२ ६, १० १६६.४

प्रयास करता था वरन् युद्ध भूमि में मैं भी राजा के साथ रहता था ।^१ राजा को प्रजा से कर भी प्राप्त होने लगा था । ऋक्सहिता के मत्रों में उसे 'वलिहृत' कहा गया है ।^२ किन्तु कुछ मत्रों से इस बात की भी सूचना मिलती है कि कर ग्रहण नियमित और अनिवार्य नहीं हो सका था ।^३ ऋग्वेद में केवल जनों का ही उल्लेख है, इससे यह प्रकट होता है कि विभिन्न आर्यजन अभी निश्चित भू-प्रदेशों में स्थिर नहीं हो पाये थे । यह स्थिति राज्यसंस्था के समुचित विकास में वाधक थी । स्थायी जनपदों की स्थापना सर्वप्रथम उत्तर वैदिक युग में ही हो पाई ।

उत्तर वैदिक युगोन वर्णव्यवस्था तथा वर्गंगत विषमताओं और विवेषताओं का जो चित्र समसामयिक-साहित्य में मिलता है वह ऋक्सहिता

में सर्वथा अनुपलब्ध है । ऋग्वेद के ऋषिः सामान्य समाज में विभाजन से विट्कुल अपरिचित नहीं थे ।

की प्रक्रिया

ऋग्वेद एव अवेस्ता के सम्मिलित साक्ष्य के आधार

पर कहा जा सकता है कि आर्यों ने श्रम विभाजन

का विकास हिन्दू-ईरानी युग में ही कर लिया था । समाज में विभिन्न व्यवसायों का उदय हो चुका था जिनके प्रनुसरण करनेवाले 'गायों की भाँति एक ही स्थान में विश्राम करते थे ।^४ एक ही परिवार में पिता वैद्य, पुत्र काष और भाता पित्नहरी का कार्य कर सकती थी ।^५ दूसरे शब्दों में विविध व्यवसाय अभी वशानुगत नहीं हो पाये थे । विश्वामित्र, जो मरत जन के सहयोगी तथा सुदास के पुरोहित थे,^६ कुशिक कुल में उत्पन्न राजन्य थे ।^७ ऋषि भूग के वशजों में कुछ रथकार भी थे^८ तथा उन्होंने सशस्त्र सैनिकों की भाँति दावराज्ञ युद्ध में भाग भी लिया था ।^९ ऋग्वेद के

१ ऋ० ७ १८ १३

२ ऋ० ७ ६ ५, १० १७३ ६

३ ऋ० १० १६३ ६

४ ऋ० ६ ११२ ३

५ ऋ० ६ ११२ ३

६ ऋ० ३ ५३

७ ऋ० ३ ३३ ५, निश्च २ ४४

८ ऋ० ४ १६ २०, १ ३६ १४

९ ऋ० ७ १८ ६

के एक अन्य पुरोहित देवापि निश्चित द्वारा राजपुत्र बतलाये गये हैं। महाभारत मे इन्हें राजा शान्तनु का भाई कहा गया है। इस प्रकार विभिन्न व्यवसायों को धारण करनेवाले लोग समान थे तथा सामूहिक रूप से विश्व के अन्तर्गत। समाज मे न तो उच्च-निम्न की भावना थी और न रोटी बेटी के सम्बन्धों में कोई वर्णगत दुराव ही था। फिर भी ब्राह्मणों एवं राजन्यों के विशिष्ट व्यवसाय क्रमशः सचेष्ट रूप से आत्मचेतन वर्गों का स्वरूप ग्रहण कर रहे थे। राजशक्ति की वृद्धि तथा याज्ञिक अनुष्ठानों के विस्तार के साथ-साथ उपर्युक्त दोनों वर्गों के प्रभाव मे वृद्धि हुई। परिणामत वे अपने को सर्वभागीरण से पृथक् समझने लगे। कालक्रम से शिक्षा-स्थानों के भभाव तथा प्रबल स्वार्थ-वृद्धि ने ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को अपने-अपने सन्मान्य व्यवसाय को बाशानृगत बनाने की प्रेरणा तथा सुअवसर-प्रदान किये। कतिपय प्रसगों मे ब्राह्मण शब्द का प्रयोग बाशानृगत पुरोहित के अर्थ मे किया गया है।^१ इसी प्रकार कुछ मन्त्रों मे क्षत्रिय का अर्थ भी शासक वर्ग से सम्बन्धित दृष्टि है।^२ यहाँ उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में बाशानृगतलघेण शासन करनेवाले राजवशाँ के विरल उदाहरण भी उपलब्ध है। धार्मिक नेतृत्व के कारण ब्राह्मणों की वर्धमान प्रतिष्ठा अनेकश सूचित है। एक स्थल पर उनका उल्लेख पितरो के साथ हुआ है।^३ अन्यथ यह कहा गया है कि ब्राह्मण का आदर करने वाले राजा के लिये पृथ्वी समृद्धशालिनी होती है तथा मनुष्य स्वेच्छया उसके समक्ष नत होते हैं।^४ ब्रह्मणों और क्षत्रियों के अतिरिक्त शेष लोग अभी 'विश' की सीमा के अन्तर्गत थे। इसी शब्द से उत्तर वैदिक युग मे वैश्य शब्द की व्युत्पत्ति हुई। सम्पूर्ण ऋग्वेद मे 'पुरुष-सूक्त' के अतिरिक्त अन्यत्र कही भी वैश्य और शूद्र शब्दों का उल्लेख नहीं है। चार वर्णों का स्पष्ट उल्लेख करने वाला यह सूक्त ऋग्वेद मे प्रक्षिप्ताश माना गया है।^५ ऐसी स्थिति मे यह निश्चायक ढंग से कहा जा सकता है कि पूर्व-वैदिक आयं चातुर्वर्ण-व्यवस्था से अपरिचित थे।

^१ म्योर, वैदिक इण्डोवेस २, २४८ पर उद्धृत

^२ क्र० ४ ४२ १, ८ १०४ १३, १० १०६ ३

^३ क्र० ६ ७५ १०, ब्राह्मणाम्. पितर शिवे नौ धावा पृथ्वी अनहसा।

^४ क्र० ४ ०० ८

^५ मेक्सम्यूलर, हिस्ट्री भाव ऐन्डेन्ट सस्कृत लिटरेचर, पृ० ५७०

आयों का समाज पितृस्थानीय एवं पितृवशीय था। परिवार में प्राय पितृ-परम्परा से सम्बन्धित लोग ही परिचयित होते थे।^१ आहु तथा अन्य अवसरों पर पितरों के आह्वान की परम्परा से ज्ञात पारिवारिक व्यवस्था होता है कि परिवार प्राय सयुक्त होते थे और उनमें तीन या चार बीड़ी के लोग साथ-साथ रहते थे।^२ सद्य विवाहिता वधु के लिए यह कामना की जाती थी कि वह अपने घर में पुत्र-पौत्रों के साथ बेलते हुए पूरी आयु का उपभोग करे।^३ पिता के जीवन काल में सभी भाई प्राय साथ साथ रहते थे इसीलिए वधु को देवर पर शासन करने वाली भी कहा गया है। वैदिक युग की परिस्थिति सयुक्त परिवार के लिए अधिक अनुकूल थी। सुरक्षा तथा समृद्धि दोनों हृषि से सयुक्त परिवार एकाकी परिवारों की अपेक्षा अधिक हितकर एवं लाभदायक थे।

यह धारणा प्राय प्रचलित है कि पूर्व वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। यद्यपि सन्तान पर पिता के प्रभाव एवं अधिकार के पर्याप्त सकेत मिलते हैं

तथापि पारिवारिक जीवन में नारी के समक्ष पुरुष पारिवारिक जीवन में की प्रधानता अथवा पत्नी के ऊपर पति के प्रभुत्व पितृ प्रभुत्व को सौमाएँ का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ऋग्वेद में 'दम्पति'

शब्द का अनेकांश प्रयोग परिवार में पति-पत्नी के सामूहिक स्वामित्व का सूचक है। इसी प्रकार 'गृहपति'^४ और 'गृहपत्नी'^५ शब्दों का उत्त्लेख भी दोनों की समान स्थिति का सकेत करता है। ऋग्वेद (१० द४) में वधु को न केवल परिवार के एक महत्वपूर्ण पुरुष सदस्य देवर पर शासन करने का आशीर्वाद दिया गया है वरन् उसे परिवार के प्रधान

१ कृ० १०. ३४ ४ के आधार पर आप्टे ने सुझाव रखा है कि यदाकदा परिवार में सास भी सम्मिलित होती थी। किन्तु यह मत निराधार है क्योंकि इस मत्र में जुम्मारी केवल यही कहता है कि मेरी सास मुझ से घृणा करती है।

२ घुरये, फैमिली एण्ड किन इन हरण्डी-यूरोपियन कल्वर, प० ४४-४५

३ कृ० १० द४ ४३

४ कृ० ६ ५३ २

५ कृ० १० द४ २६

पुरुष मदम्य इवमुर पर भी आसन करने वाली कहा गया है।^१ ब्रिफाल्ट यहोदय इस मत्र को मातृसत्तान्मक सामाजिक व्यवस्था का अवश्यिष्ठ प्रभाव मानते हैं।^२ ऐसी स्थिति में समाज में पुरुष की प्रधानता, पिता की निरकृश सत्ता,^३ एवं पुरुष की तुलना में छोटी की स्थिति चल-सम्पत्ति की तरह होना,^४ ये सभी वल्पनाएँ निराशार प्रतीत होती है। सन्तान के भविष्य-निवारण में माता का मत पिता ने कम भहत्वपूरण नहीं उमझा जाता था। रथवीति की कथा वा विवाह उसके माता के विरोध के कारण ही रुक गया था।^५ पत्नी के ऊपर पति की प्रभुता को सिद्ध करने के लिए वहृषा ऋग्वेद १०, ३४ को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया जाता है और यह अस्वस्य निष्कर्ष निकाला जाता है कि पति अपनी पत्नी को दात में दाँव पर लगा सकता था।^६ इस कल्पना की निस्सारता को सिद्ध करने के लिये इतना वराना पर्याप्त होगा कि इस सूक्त में जुआरी द्वाग पत्नी को दाँव पर लगाने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उसमें केवल यह कहा गया है कि 'अन्य पुरुष उसकी पत्नी का स्वर्ण करते हैं।'^७ किन्तु इसका कारण केवल पत्नी का दाँव पर लगाया जाना ही नहो हो सकता। इसका कारण उसकी आर्थिक हीनता एवं अरक्षित स्थिति भी मानी जा सकती है। पूर्व-बौद्धिक युग में स्थिरों की पुरुषों से हीनतर अवस्था में विश्वास करने वाले विद्वानों ने प्राय उन मनों को भी उद्घृत किया है जिनमें कहा गया है कि तत्कालीन राजा एवं समृद्ध पुरुष पुरोहितों दो गायों और घोड़ों के साथ सौँढो वधुओं से भरे हुये रथ भी देते थे^८ और यह निष्कर्ष निकाला है कि इन स्थिरों में वधुओं का उल्लेख निश्चित रूप में चल-सम्पत्ति के रूप में हुआ है किन्तु इन स्थिरों में वर्णित वधुओं वा रूप पूर्व-बौद्धिक नारी के स्वतंत्र और अधिक जीवन के साथ मगत नहीं लगता। आर्य समाज में स्थिरों का इतना

१. ऋ० १० ८५ ५।

२. ब्रिफाल्ट, दि भदर्सं, (लघु सस्करण), पृ० ७६

३. जिमर, वैदिक इण्डोपस १ ५२६ पर उद्घृत

४. अल्तेकर, पोजीशन आव बीमेन, पृ० ८०

५. वैदिक इण्डोपस २ ४००

६. अल्तेकर, पोजीशन आव बीमेन, पृ०

७. ऋ० ३४. ४, अन्ये जाया ५-भृत्या।

८. ऋ० १० १२६. २-२

भी नहीं था कि वे रथों में भरकर, दान में दी जा सके।^१ जिमर महोदय का यह विचार कि इन प्रसगों में 'वधु' शब्द का अर्थ दासी (अनायी) है, युक्ति सगत प्रतीत होता है।^२ वैदिक आर्यों ने अनायी के सघर्ष के समय वहुसख्यक लियो का अपहरण किया होगा, जिनसे उनके अन्तःपुर की सीमाएँ बढ़ी होगी। उन्होंने अपने पुरोहितों तथा आत्मीयजनों की इन्हीं अनायी 'वधुओं' को उपहार में देकर अनुप्रहीत किया होगा। ऐसी ही वधुओं के गर्भ से श्रीशिंज वक्षीवन्त, दीर्घतमस, कवयऐलूष, और व्यास प्रभृति ऋषियों का जन्म हुआ होगा।

साधारणत पूर्ण वैदिक पारिवारिक जीवन बड़ा ही सुखद था। दाम्पत्य जीवन की सबसे बड़ी कामना सन्तानोत्पत्ति थी।^३ पिता सन्तानि के माध्यम से अमृतत्व की कामना करता था।^४ नवपरिणीता वधु को दस पुत्रों की मात्रा बनने का आशीर्वाद दिया जाता था।^५ ऐसी स्थिति में पिता का सरानों के प्रति अपार द्वेष ह प्रकट करना सर्वाया स्वाभाविक है।^६ यद्यपि ऋक्‌सहिता में सर्वीत्र पुत्र के लिए ही उत्कठा है तथा कन्या के प्रति उपेक्षा सकेतित है फिर भी कन्याओं को सामाजिक एव पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाएँ पुत्रों की भाँति ही उपलब्ध थीं। इस युग की कन्या परिवार के लिए दुर्बल भार नहीं थीं। वह गृहकार्यों का उत्तरदायित्व भी बहन करती थी। दुहिता शब्द की व्युत्पत्ति से स्पष्ट है कि पशुपालक आर्य परिवारों में गो-दोहन का कार्य कन्याओं ही करती थी। उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी पुत्रों की ही भाँति थी तथा विवाह प्राय पूर्ण वयस्क होने पर किये जाते थे। पति के चुनाव के लिये उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी।^७ स्मृतियों में जिन आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख हुआ है उनमें अधिकांश के प्रचलन के चिन्ह ऋग्वेद में,

१ दौ० ढौ० कोशाम्बी, ऐन इन्डोइवशन ट्रु दि स्टडी आव इण्डियन हिस्ट्री, प० ८२

२ द्रष्टव्य वैदिक इएडेक्स २, २४०

३ अ० १० द५ ३६

४ अ० ५४ १०, प्रजाभिररने. अमृतत्वमश्याम् ।

५ अ० १० द५ २६

६ अ० १६१ १३, १६१ २०, ३ ११०३ इत्यादि ।

७ १० २७ १२, भद्रा वधु भवत्यत्सुपेया स्वयं सा मित्र वनुते जने चित् ।

मिलते हैं ।^१ समाज में बहुभृत्या की प्रथा समाप्त हो चुकी थी ।^२ तथा बहु-भायंता के परिणामस्वरूप सपत्नियों के कलह के कारण पारिवारिक जीवन की शाति भग होने का यथ-तत्र सकेत हुआ है ।^३

पूर्व-वैदिक आर्यों का धर्म बहुदेववादी था । भौतिक प्रकृति तथा मानव जीवन के विविध व्यापारों के पीछे बहुविधि शक्तिया अधिष्ठात्र रूप में विद्यमान है । इन शक्तियों का ही देवता शब्द से पूर्व-वैदिक आर्य धर्म अभिधान हुआ है । देवताओं की सत्ता शुभ ज्यो-तिर्मय एवं अमर मानी गई है । ऋक्सहिता में

देवताओं की कल्पना अधिकांशत मनुष्य रूप में की गई है किन्तु सभी देवताओं का मानवीकरण समान रूप से पूर्णता नहीं प्राप्त कर सका है । अनेक स्थलों पर उनके शारीरिक अवयव उन प्राकृतिक दृश्यों के रूपात्मक प्रतिनिधि हैं जिनके बे वस्तुत प्रतीक हैं । उदाहरणार्थ सूर्य के बाहु उसकी रश्मिया हैं और अग्नि की जिह्वा उसकी ज्वाला । आर्य लोग अपने विभिन्न देवताओं को मन्त्र एवं यज्ञ के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करते थे । जिसका प्रमुख उद्देश्य लौकिक सुख, समृद्धि और कल्याण था । उनकी कल्पना में यह जगत्—पृथ्वी, अन्तरिक्ष और आकाश में विभक्त या तथा प्रत्येक लोक में देवताओं का निवास था । वैदिक ऋषियों ने इन देवताओं के व्यक्तित्व में प्राय समान गुणों का आरोप किया है तथा स्तुति करते समय प्रायः किसी भी देवता को सर्वोच्च धोषित किया है । मैवसम्मूलर ने इस प्रवृत्ति को उपास्यदेव-श्रेष्ठतावाद (हेनोथीजम) नाम से अभिहित किया है^४ तथा कुछ अन्य विद्वानों ने इस प्रवृत्ति को एकेश्वरवाद का सूचक माना है^५ । इतना

१. भगवत् शारण उपाध्याय, वीमेन इन दि ऋग्वेद, पृ ६४ ।

२. ऋ० १० ८५ में नवविवाहिता वधू को आशीर्वदि देते हुए कहा गया है 'देवृकामा भव' । इसे आर्य-समाज में बहु-मत्तंता के पूर्ण प्रचलन का सूचक मानना चाहिये, क्योंकि स्वयं ऋग्वेदिक युग में इस प्रया के प्रचलन का कोई अन्य प्रमाण नहीं मिलता ।

३. ऋ० १ १०१८ में सपत्नियों से युक्त व्यक्ति की दुर्देशा का सकेत है । इसी प्रकार ऋ० १० १४५ में सप्तलीवाघन का प्रयास दिखाई देता है ।

४. मैवसम्मूलर के इस मत का स्वरूप ही चुका है । द० वैदिक माइयालोजी, पृ० १०

५. दिमट—प्रोरिजिन एण्ड थोर आव रिलिजन, पृ० १७२

सुनिश्चित है कि विभिन्न देवताओं में समान गुणों के आरोप तथा प्रत्येक की अङ्गता के प्रतिपादन के परिणामस्वरूप एकेश्वरवाद तथा सर्वेश्वरवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऋग्वेद के कुछ ऋषियों ने स्पष्टत बहुदेववाद को चुनौती दिया है। प्रथम मण्डल में उस एक सत् की कल्पना की गई है जिसे ज्ञानी लोग इन्द्र, यज्ञ, वरुण, अग्नि, मरुत् और मातरिष्वा आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं।^१ इसी प्रकार अन्यत्र देवताओं के असुरत्व को एक माना गया है।^२ दशम् मण्डल के कुछ सूक्त, जिनकी प्राचीनता सदिगंध है, दार्शनिक चिन्तन का भी सकेत करते हैं। इस प्रकार 'पुरुष सूक्त' में सृष्टि का कारणभूत मूल तत्व विराट-पुरुष को तथा नासदीय सूक्त में भव्यता 'तदेकम्' को बताया गया है। ऋक्सहिता में बहुदेववाद तथा एकेश्वर के सूचक मन्त्रों का साथ साथ होना विस्मयजनक नहीं है क्योंकि प्रत्येक समाज में एक ही समय में धार्मिक विवासों के विविध स्तर दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार की स्थिति प्राय वौद्धिक वैषम्य के कारण उत्पन्न होती है।

ऋग्वेद के अनेक देवताओं में इन्द्र का प्राधान्य है।^३ वह युद्ध और वल का देवता है।^४ यहाँ तक कि इन्द्रिय शब्द प्राचीन वौद्ध ग्रन्थों में भी वल का पर्यायवाची है। आर्य प्रसार के युग में सग्रामों का वाहूत्य उनकी लोक-प्रियता का कारण था। उत्तरकाल में इन्द्र वर्षा के देवता के रूप में अवित हुए और इस प्रकार लोकप्रिय बने रहे। वरुण सत्य और ऋत के पालक के रूप में माने जाते थे।^५ उनके सूक्तों में ऋक्सहिता के नैतिक आदर्श प्रकाश पाते हैं। वरुण को असुर भी कहा गया है जो ईरानी देव अहुरमज्द से सम्बन्धित है। कुछ विद्वानों ने वरुण को मूलत आकाश का देवता माना है।^६ किन्तु परिणत क्षेत्रशब्द चट्टोपाध्याय का यह भत कि वरुण रात्रि का

१ ऋ० ११६४४६।

२ ऋ० ३ ५५

३ वैदिक देवताओं एवं देववाद पर सामान्यत ब्रह्मव्य—मैवदानल, वैदिक माझ्यालोजी, कीथ, रिलिजन एण्ड फिलासफी आव दि वेद, हिमट-ओरिजिन एण्ड ग्रोथ आफ रिलिजन

४ वैदिक माझ्यालोजी, पृ० ५४

५ ऋ० १०. २३ ५

६ वैदिक माझ्यालोजी, पृ० २७ कीथ, रिलिजन एण्ड फिलौसोफी आव दि वेदाज एण्ड उपनिषद्स, भाग १, पृ० १०२

सूर्य है, अधिक समीचीन प्रतीत होता है।^१ आकाशीय देवताओं में वरुण के प्रतिरिक्त द्यौस् उल्लेखनीय हैं जिनकी कल्पना आकाश-देव के रूप में 'की गई। भाषाविदों ने यूनानी देवता जियम के साथ उसकी अभिन्नता स्वीकार की है। इस प्रकार वह वैदिक आर्यों का प्राचीनतम देवता प्रतीत होता है। आकाशीय देवताओं में सूर्य भी उल्लेखनीय हैं जिनकी उपासना पांच रूपों में प्रचलित थी जिन्हें सूर्य, सवितृ, मित्र, पूषन और विष्णु नाम से अभिहित किया गया है। इनमें विष्णु, जो ऋग्वेद में आकाशचारी सूर्य के रूप में उल्लिखित हैं, उत्तरकाल में सम्भवत किसी अनार्य देवता को अऽत्मसात कर लेने के कारण अधिक लोकप्रिय हो गया।^२ उसकी उपासना भी पृथक् देव के रूप में होने लगी। इसी प्रकार अन्तरिक्षीय देवताओं में इन्द्र के 'प्रतिरिक्त रुद्र का स्थान महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि इस देवता ने उत्तरवैदिक युग तक अतिशय महत्ता प्राप्त की तथा संन्धव शिव को आत्मसात करने में समर्थ हुआ। ऋग्वेद में वह प्रकृति के उग्र रूप का प्रतिनिष्ठित करता है। अनेक प्रसगों के अध्ययन से वह भूमावात के साथ आनेवाले विद्युतघारी घने काले मेघों का देवीकरण प्रतीत होता है। मरुत सम्भवत भूमावात के देवता तथा रुद्र के सहायक थे। पृथिवी के देवताओं में यग्नि, वृहस्पति और सोम-विशेष रूप से ब्राह्मणों के देवता थे। इस वर्ग के देवताओं में स्वयं पृथिवी की भी गणना हुई है जिसका उल्लेख अधिकाशत द्यौस के साथ हुआ है। ऋग्वेदिक देवियों में उद्या का वर्णन अत्यन्त हृदयग्राही है। यह उल्लेख है कि उद्या के व्यक्तित्व को आर्येतर प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं माना जा सकता।^३ देवताओं का उस समय मुख्यतया ऐहिक प्रसाद प्रार्थित था। ऐसी स्थिति में श्रीघ्नवैहिक जीवन के विषय में पूर्ववैदिककालीन घारणाएं अस्पष्ट थीं। यह माना जाता था कि देवताओं का यजन करने वाले सत्पुरुष मृत्यु के पश्चात् पितृलोक में निवास करते हैं। अनूत परायण व्यक्तियों की श्रीघ्नवैहिक अवस्था के विषय में कुछ साष्ट नहीं कहा गया है।

-१ पारंडेय, जी० सी०, श्रीरजिन्स आफ चुद्विंश, पृ० २६८ पर उद्धृत

२. दी कल्वरल हैरिटेज आव इण्डिया, वाल्यूम १, पृ० ८८ वैदिक एज, पृ० १६२

३ वैदिक उद्या भी उर्ध्वशी का सिन्धु-संस्कृति से सम्बन्ध स्थापित किया गया है। द्रष्टव्य-इण्डिया पास्ट एण्ट्रेजेन्ट, पृ० १६३ और आगे

देवता के लिए मन्त्रपूर्वक द्रव्यस्थाग को यज्ञ कहते थे। ईरान में एक समय प्राचीन आर्य लोग हृवि को अग्नि में नहीं डालते थे।^१ भारतीय आर्यों में बहुत पहले ही वैदिक काल में अग्नि हृव्यवाह के रूप में प्रकट होते हैं, यद्यपि यह स्मरणीय है कि यहाँ भी उत्तरकालीन सिद्धान्त के अनुसार हृवि का अग्नि में प्रक्षेप 'प्रतिपत्ति कर्म' ही समझा जाता था। यज्ञ का प्रारम्भिक स्वरूप सरल था। ऋत्विक् के द्वारा देवता के स्तुतिपरक भाव पढ़े जाते थे और हृवि के रूप में विविध धार्य अथवा गोरस से निर्मित अन्न, पशु अथवा सोमरस अपित किए जाते थे। क्रमशः अनेक यज्ञों में ऋत्विक् के कार्य का चतुर्धी विभाजन भी होता है। होता नाभक ऋत्विक् ऋक्-सहिता की ऋचाओं का पाठ करता था। अध्वर्यु कर्मकाड़ का भार बहन करता था उद्गता सामग्रान करता था तथा ब्रह्मा यज्ञ कर्म का अध्यक्ष होता था। इनके साथ सहायक भी होते थे। कुछ यज्ञ इतने विस्तृत एव व्यवसाध्य हो चले थे जिन्हें राजा अथवा समृद्ध (मधवन) लोग ही सम्पन्न कर सकते थे।

^१ ड्रष्टव्य-हेरोडोटस, हिस्ट्ररीज़, (वैग्विन क्लासिक्स में अनुवाद) पृ० ६८-६९।

बौद्धि सुनगी

प्रैक्षिक जी पत्तलिंगि

परवर्ती सहिताश्रो, ब्राह्मणों, आरण्यको एव उपनिषदो का काल उत्तर-वैदिक युग के नाम से अभिहित किया जाता है।^१ इस प्रसग मे यह उल्लेख-नीय है कि वैदिक साहित्य के विभिन्न भाग अधिकाशत एक दूसरे मे से विकसित होते गये। ऋक्सहिता मूल ग्रन्थ था। उसी के मन्त्रो से सामवेद-सहिताश्रो का कलेवर बना।^२ किन्तु यजुर्वेद की कृष्ण तथा शुक्ल इन दो सहिताश्रो मे पर्याप्त नई सामग्री भी है। वह उन मन्त्रो के रूप मे है जो यज्ञीय कर्मकारणो के समय अध्वर्यु के लिये आवश्यक थी। कृष्ण-यजुर्वेद साजा इस कारण पड़ी कि इसमे मूल-मन्त्र-भाग और उसकी मद्यात्मक व्याख्या सम्मिलित रूप से सन्निविष्ट है। शुक्ल-यजुर्वेद की वाजसनेयी सहिता मे मन्त्र-भाग और यजुष भाग तो है किन्तु व्याख्यात्मक गद्य-भाग ‘शतपथ-ब्राह्मण’ के रूप मे विलक्षुल अलग साध्यहीत है। चौथी सहिता अथर्ववेद संहिता है। वह यज्ञ के निरीक्षक ‘ब्रह्मा’ के उपयोग के लिये थी। इस सहिता मे कुछ मन्त्र तो ऋक्सहिता से लिए गये तथा कुछ की प्रकृति नितान्त नवीन तथा विचित्र है। इसमे विविध अभिचार, विवाह और प्रेम सम्बन्धी गोत तथा राजा एव राष्ट्र सम्बन्धी मन्त्र भी साध्यहीत हैं। इस सहिता से सामान्य जनो की सामाजिक स्थिति एव धार्मिक विश्वासो पर अधिक प्रकाश पड़ता है। संहिताश्रो के बाद ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषदो का विकास हुआ। ब्राह्मण भारोपीय गद्य साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। इनमे वैदिक यज्ञीय कर्मकाण्ड के सूक्ष्म से सूक्ष्म वातो का विवेचन है और तत्सम्बन्धी अनेक कथाश्रो के द्वारा कर्मकाण्ड का महत्व समझाया गया है एव कर्मकाण्ड की उत्पत्ति पर भी विचार किया गया है। उनका सम्बन्ध सहिताश्रो से है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से सम्बन्धित है और उसमे सोम-यज्ञ और राज्याभियेक-विधि का वर्णन

१. इस प्रसग मे यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद का दशम् मण्डल भी अधिकाशत उत्तरवैदिक-कालीन माना गया है। अतः ऋग्वेद के दशम् मण्डल की सामग्री का उपयोग भी यथास्यान किया गया है।
२. इस ग्रन्थ मे केवल ७८ नई ऋचायें हैं।

किया गया है। पचार्षिंश ब्राह्मण का सम्बन्ध सामवेद से है जिसमें ब्रात्यस्तोम यज्ञो का वर्णन है जिनके द्वारा ब्रात्य लोग आर्य-समुदाय में सम्मिलित किये जाते थे। शतपथ का सम्बन्ध शुक्ल-यजुवेद से है। इसमें अनेक विषय हैं और यह वैदिक युग का सबसे मूल्यवान ब्राह्मण ग्रन्थ है। गोपथ-ब्राह्मण का सम्बन्ध अथर्ववेद से है।

ब्राह्मणों के अन्तिम भाग आरण्यक हैं। उनका यह नाम इसलिये पड़ा क्योंकि उनमें वर्णित दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों के लिये आरण्य का एकान्तवास आवश्यक था। आरण्यक ब्राह्मणों और उपनिषदों के बीच की कड़ी थे। आरण्यकों में ही सर्वप्रथम यज्ञ-कर्म की प्रतीकात्मक व्याख्या प्रारम्भ हुई तथा कर्म से विद्या का अधिक महत्व समझा और घोषित किया गया। उपलब्ध आरण्यक ग्रन्थों में ऐतरेय, कौशीतकी और तत्त्वरीय हैं, जो उस नाम के ब्राह्मण के ही भाग हैं। पहले दो का सम्बन्ध शुद्धवेद से और तीसरे का कृष्ण-यजुवेद से है। उपनिषद ब्राह्मण साहित्य के अन्तिम विकास को सूचित करते हैं और आरण्यकों का अन्तिम रूप उनमें पाया जाता है। उनकी भाषा लौकिक संस्कृत के अत्यन्त निकट है, जिससे ज्ञात होता है कि वे वैदिक युग के समाजिकाल की रचनायें हैं। उपनिषदों का सम्बन्ध ब्राह्मणों के प्रभुत्व विषय यज्ञ एवं उसकी विधि से नहीं बल्कि आत्म-विद्या से है, जिसकी सहायता से जीवात्मा ससार से मुक्त होकर विश्वात्मा अथवा ब्रह्म में लीन हो जाती है। सामवेद का छान्दोग्य और शुक्ल यजुवेद का बृहदा-रण्यक सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। प्रसिद्ध एवं सास्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उपनिषदों में कठ, ईश, इवेताश्वतर, मैत्रायणीय, तत्त्वरीय, मुराडक, प्रश्न, मामूल्य और वैन उल्लेखनीय हैं। इनमें कठ के अतिरिक्त अन्य उपनिषद बुद्ध से अधिक प्राचीन नहीं माने जाते। उत्तर-वैदिक समाज एवं संस्कृति के स्वरूप को निर्धारितकरने के लिये उपर्युक्त विविध-विषयक विशाल साहित्य का आश्रय लेना अपरिहार्य है।

पूर्व-वैदिक युग में आर्यों की भौगोलिक परिधि अफगानिस्तान से यमुना-गंगा तक सीमित थी।^१ उनके सांस्कृतिक जीवन का केन्द्र पर्यावर तथा सरस्वती का तटवर्ती प्रदेश था। किन्तु उत्तर-भौगोलिक विरतार वैदिक युग तक आर्यों की भौगोलिक सीमा में अतिशय विस्तार दिखाई देता है। दक्षिण-पूर्व की ओर अप्रसर भार्यजन गंगा की धाटी में बसने लगे थे और स्थायी-जनपदों की

१. छ० १० ७५ ६ गंगा का एकाही उल्लेख यहीं हुआ है।

स्थापना भी होने लगी थी। ऋग्वेद के प्रतापी भरत-जन अस्तित्वहीन हो चुके थे। पुराने पंचजनों की रूपाति का भी लोप हो चुका था।^१ इस युग में इसे 'भ्रुव मध्यमा दिशि' नाम से अभिहित किया गया है।^२ इस प्रदेश में निवास करने वाले जनों में कुरु पचाल प्रमुख थे। ये सम्मिलित राष्ट्र प्रतीत होते हैं क्योंकि ब्राह्मण साहित्य में कुरु पचाल का उल्लेख साथ-साथ हुआ है। दूसरे, प्रारम्भ में ये दोनों एक ही नरेश द्वारा शासित होते थे।^३ ब्राह्मण ग्रन्थों में इनकी प्रकृष्ट प्रशश्ना की गई है। कुरु-पचाल के राजा राजसूय यज्ञ करते थे।^४ शीतकाल में वे दिग्बिजय करते थे तथा ग्रीष्म में घर लौट आते थे।^५ उनकी यज्ञविधि सर्वोत्तम मानी जाती थी।^६ उपर्युपतकाल तक कुरु-पचाल के न ब्राह्मण एवं राजन्य अपनी प्रतिभा और विद्वत्ता के लिए विश्रुत हो गये थे। इस प्रदेश के निवासी अपने उच्चारण की शुद्धता के लिये प्रसिद्ध थे। सहिताभ्रो एवं ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना भी अधिकाशत् कुरु-पचाल के विद्वानों द्वारा की गई।^७ कुरुक्षेत्र की सीमा का सकेत करते हुये तैत्तरीय आरण्यक में कहा गया है कि इसके उत्तर में तूष्णि, दक्षिण में खाण्डव और पञ्चिम में परीण की स्थिति थी।^८ महाभारत में कुरुक्षेत्र को सरस्वती और दृशद्वती के बीच का भूभाग माना गया है। कुरु जनपद की भौगोलिक स्थिति का सकेत करने वाले विविध प्रसंगों के समबोत अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि स्वूलत वर्तमान थानेश्वर, दिल्ली और गगा-धाटी का ऊपरीभाग कुरु जनपद के अन्तर्गत था।^९ जैसा कि नाम से ही सकेतित है, पचाल जन के अन्तर्गत कुवि, तुर्वश, केशिन, सजय और सोमक ये पाच जन सम्मिलित

१. यास्क ने पञ्चजना का अर्थ 'चत्वारो वर्णा निपादस्तुपचम' किया है।
द्र० निरुक्त ३ ८

२ ऐत० ब्रा० ८ ३

३ ऐत० ब्रा० ८ १४

४. शत० ब्रा० ५ ५ २ ३

५ तै० ब्रा० १ ८ ४ १-२

६ शत० ब्रा० १ ७ १-८

७ वैदिक एज, पृ० २५३

८ तै० ब्रा० ५ १

९. राय चौधुरी, पोलिटिकल हिस्टरी भार एन्सयेन्ट इण्डिया, पृ० २२

ये ।^१ पचाल जनपद के अन्तर्गत वरेली, बदायू, फर्खावाद तथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश के कुछ भूभ्य पड़ोसी जिसे सम्मिलित थे ।^२ कुरु जनपद की राजधानी आसन्दीवन्त थी । यही परीक्षित पुत्र जनमेजय का अभिषेक और अश्वमेघ सम्पन्न हुआ ।^३ कुरु-पचालों के अन्य प्रमुख नगर परिचक्षा, काम्पिल्ल और कीशाम्बी थे । कीशाम्बी तो हस्तिनापुर की बाढ़ से विनष्ट होने के पश्चात् निचक्षु के काल में कुरु-जनों की राजधानी भी बनी ।^४ सम्भव है छान्दोग्य उपनिषद में उल्लिखित मटची के प्रकोप से उत्पन्न शकाल की स्थिति के कारण भी राजधानी का परिवर्तन हुआ हो । निचक्षु कालीन बाढ़ एवं तज्जन्य विनाश का सदैत हस्तिनापुर के उत्खनन से भी मिलता है ।^५ ऐतरेय ब्राह्मण (८ १४) में वशो एवं उशीनरों को कुरु-पचालों का पड़ोसी माना गया है तथा इनकी स्थिति भी मध्यदेश में स्वीकार की गई है । गोपथ ब्राह्मण में इनका उल्लेख उदीच्यों के साथ हुआ है ।^६ इससे प्रकट है कि इनकी स्थिति मध्यदेश के उत्तरी भाग में कहीं थी । कुरु-पचाल, वश और उशीनर के साथ ही मत्स्य का भी उल्लेख हुआ है ।^७ मत्स्य तथा उनके पड़ोसी शाल्व राजस्थान में वर्तमान जयपुर, भरतपुर और ग्लवर के प्रदेश में निवास करते थे ।^८

‘पूर्ण की ओर काशी, कोशल और विदेह तक वैदिक सुस्कृति का विस्तार हो चुका था । उपनिषदयुगीन विदेह में ब्रह्मविद्या के अनेक प्रकारण विद्वान् हुए । स्वयं विदेह-नरेश जनक अपनी विद्वता के लिए दूर-दूर तक विद्यात थे । शतपथ ब्राह्मण में विदेह-मायव-और गोतम राहूगण द्वारा कोशल और विदेह के उपनिवेशन की महत्वपूर्ण घटना का जिस प्रकार उल्लेख हुआ है

१ ब्रह्म पुराण १३ ६४

२ पोलिटिकल हिस्टरी आव एन्ड येन्ट इण्डिया, पृ० ७०

३ ऐत० ब्रा० २६ ७ शत० ब्रा० १३ ५, ४ २

४ दृष्टव्य, पार्जिटर, डाइनेस्टीज आव दि कलि एज, पृ० ५

५ ऐन्स्येन्ट इण्डिया न० १०-११, पृ० १४

६ गो० ब्रा० २, ६ जिमर महोदय ने इसके आधार पर हम्हें उत्तर-पश्चिम का निवासी माना है तथा रामप्रसाद चन्दा ने बाहलीक का ।

७ कीपीतकी उपनिषद ४ १

८ पोलिटिकल हिस्टरी आव एन्ड येन्ट इण्डिया, पृ० ६६-६७

उससे प्रतीत होता है कि अपने पूर्वाभिमुख प्रसार के समय आयों को गगा की घाटी के दीर्घरिएयों को विदर्घ करना पड़ा था ।^१ प्रसार की इस प्रक्रिया में कोशल का आर्योंकरण विवेह के पूर्व सम्पन्न हुआ होगा । सदानीरा इन दोनों जनपदों के बीच सीमा थी । काशी, कोशल और विवेह के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण थे और किसी समय इन तीनों का एक ही पुरोहित होता था ।^२ काशी का प्रथम बार उल्लेख अथर्ववेद की पैष्पलाद शाखा में उपलब्ध होता है ।^३ जनक का समकालीन काश्य अजातशत्रु भी दार्शनिक विवाद में विदर्घ था । मगध और अग का पूर्ण आर्योंकरण अभी नहीं हो सका था । यही कारण है कि अथर्ववेद में तक्मन (ज्वर) को पूर्व में मगध और अग की ओर जाने के लिए कहा गया है ।^४ इसी प्रकार अथर्ववेद के ब्रात्यकारण में मागधों का सम्बन्ध ब्रात्यों से बताया गया है ।^५ ऐतरेयारण्यक में जश, व्रग्ध (मगध) और चेर के निवासियों को पक्षी कहा गया है जिसका साकेतिक अर्थ अनायं प्रतीत होता है ।^६ पुण्ड्र, वांग और कलिंग जैसे प्रदेशों को चतुर्थ सदी ई० पू० तक अनायं एवं अपवित्र समझा जाता था, इसीलिये बीघायन धर्मसूत्र में इन प्रदेशों की यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिये प्रायश्चित्त का विधान है ।^७ मगध में वैदिक सस्कृति का प्रवेश निश्चित रूप से छठी सदी ई० पू० के कुछ पहले हो चुका था क्योंकि इस प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रवर्तकों ने अपने उपदेश मागधी या प्राकृत में दिए, जिनका विकास वैदिक सस्कृत भाषा से हुआ था । इन प्रदेशों में दीर्घकाल तक ब्राह्मण धर्म एवं विचारों की दुर्बलता का कारण समुन्नत स्थानीय परम्पराओं की सशक्तता को माना जा सकता है ।

१ शत० ब्रा० १ ४ १० इसी प्रकार महाभारत में खाएहव बन को जला कर हस्तिनापुर को वसाने का उल्लेख है ।

२ शाखायन श्रौत सूत्र १६ २६. ५

३. द्र०, वैदिक इण्डेवस, २ ११५

४ अथर्ववेद ३. २२ १४

५. अथर्ववेद १५ २. १-४

६ ऐतरेय आरण्यक २ १ १ इम प्रजा “गावगाधाश्चेत्पादा शकम्-
भीतो विवित्र ।

७. बीघायन धर्मसूत्र १ १ २ १४

दक्षिण के प्रसग में ऐतरेय ब्राह्मण में सत्त्वतो का उल्लेख है। सत्त्वत लोग उत्तर वैदिक युग में मध्यदेश के दक्षिण में निवास करते थे। महाभारत में पचाल की दक्षिणी सीमा चर्मणवती (चम्बल) तक वर्ताई गई है।^१ यह सम्भावना इस बात की है कि सत्त्वत लोग चर्मणवती के दक्षिण में निवास करते थे।^२ ऐतरेय ब्राह्मण में इन लोगों में भौज्य शासन प्रणाली के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। दक्षिण में आर्यों का परिचय विदर्भ से भी था ऐतरेय ब्राह्मण में भीम वैदर्भि का उल्लेख है जिन्होने ऋषि नारद और पर्वत से उपदेश प्राप्त किया।^३ प्रश्नोपनिषद में भार्गव वैदर्भिका वर्णन है जो पैप्पलाद ऋषि के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए गये थे।^४ उनके नाम से सष्टि है कि वे भृगुवशी थे तथा विदर्भ के निवासी थे। वृहदारण्यक उपनिषद में विदर्भ के कौणिडनेय को प्रारम्भिक उपदेशकों में स्थान दिया गया है।^५ जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में भी विदर्भ का उल्लेख है।^६ विदर्भ के अन्तर्गत वर्तमान वरार और उसके समीप स्थित वर्धा और वैन गगा के दीव का भूभाग था। विदर्भ से आर्यों का घनिष्ठ परिचय तथा इस प्रदेश का वैदिक शूष्पियों एवं ब्रह्मविद्या आदि के साथ उल्लेख इस बात का सकेतक है कि उत्तर-वैदिक युग में आर्यों का प्रवेश न्यूनाधिक रूप से विच्छय के दक्षिण में भी हो चुका था। शतपथ ब्राह्मण (३ २.१.२) में नाड नामक राजा का विश्व 'नैषधि' वर्ताया गया है। सम्भवत वह नैषध देश का निवासी था। नैषध की स्थिति भी

१ महाभारत १ १३८. ७४ दक्षिणाश्चापि पाच्चालात् यावच् चर्मणवती नदी ।

२ पोलिटिक्स हिस्ट्री आफ एन्डेन्ट इंडिया, पृ० ६० ।

३ ऐत० ब्रा० ७ ३४

४. प्रश्नोपनिषद १ १

५ वृहदारण्यक उपनिषद २ ५ २२, ४ ५ २८

६ द्रष्टव्य, वैदिक इन्डेक्स २ ४४० प्राचीन अनुश्रुतियों में दक्षिण की ओर जाने वाले ऋषियों में अगस्त्य अग्रणी माने गये हैं। ऋग्वेद में अगस्त्य और लोपामुद्रा का वार्तालाप है तथा महाभारत में अगस्त्य की पली लोपामुद्रा को विदर्भ राज की कन्या कहा गया है। यदि यह कथानक सत्य है तो मानना पड़ेगा कि ऋग्वेदिक युग में ही आर्यों के कुछ समूहों का प्रवेश विदर्भ जैसे सूदुरस्य प्रदेशों में हो गया था।

उससे प्रतीत होता है कि अपने पूर्वाभिमुख प्रसार के समय आर्यों को गंगा की धाटी के दीघारियों को विदग्ध करना पड़ा था ।^१ प्रसार की इस प्रक्रिया में कोशल का आर्योंकरण विदेह के पूर्व सम्पन्न हुआ होगा । सदानीरा इन दोनों जनपदों के बीच सीमा थी । काशी, कोशल और विदेह के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण थे और किसी समय इन तीनों का एक ही पुरोहित होता था ।^२ काशी का प्रथम बार उल्लेख अथर्ववेद की पैष्पलाद शाखा में उपलब्ध होता है ।^३ जनक का समकालीन काश्य अजातशत्रु भी दार्शनिक विवाद में विदग्ध था । मगध और अग का पूर्ण आर्योंकरण अभी नहीं हो सका था । यही कारण है कि अथर्ववेद में तक्मन (ज्वर) को पूर्व में मगध और अग की ओर जाने के लिए कहा गया है ।^४ इसी प्रकार अथर्ववेद के ब्रात्यकाण्ड में मागधों का सम्बन्ध ब्रात्यो से बताया गया है ।^५ ऐतरेयारण्यक में वश, वगध (मगध) और चेर के निवासियों को पक्षी कहा गया है जिसका साकेतिक अर्थ अनार्य प्रतीत होता है ।^६ पुण्ड्र, वांग और कलिंग जैसे प्रदेशों को चतुर्थ सदी ई० पू० तक अनार्य एवं अपवित्र समझा जाता था, इसीलिये बौधायन घर्मसूत्र में इन प्रदेशों की यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिये प्रायविचित का विधान है ।^७ मगध में वैदिक स्त्रीकृति का प्रवेश निश्चित रूप से छठी सदी ई० पू० के कुछ पहले हो चुका था क्योंकि इस प्रदेश में जैन एवं बीदू घर्म के प्रवर्तकों ने अपने उपदेश मागधी या प्राकृत में दिए, जिनका विकास वैदिक स्त्रीकृति भाषा से हुआ था । इन प्रदेशों में दीर्घकाल तक ब्राह्मण घर्म एवं विचारों की दुर्बलता का कारण समून्नत स्थानीय परम्पराओं की सशक्तता को माना जा सकता है ।

१. शत० न्ना० १ ४ १ १० इसी प्रकार महाभारत में खाण्डव वन को जला कर हस्तिनापुर को बसाने का उल्लेख है ।

२. शास्त्रायन श्रोत सूत्र १६ २६. ५

३. द्र०, वैदिक इण्डेक्स, २ ११५

४. अथर्ववेद ३. २२ १४

५. अथर्ववेद १५. २ १-४

६. ऐतरेय आरण्यक २ १. १ इम प्रजा 'नगावगाधाइचेरपादा श्रकम्भ-भीतो विवित्र ।

७. बौधायन घर्मसूत्र १ १ २ १४

दक्षिण के प्रसग में ऐतरेय ब्राह्मण में सत्वतों का उल्लेख है। सत्वत लोग उत्तर वैदिक युग में मध्यदेश के दक्षिण में निवास करते थे। महाभारत में पचाल की दक्षिणी सीमा चर्मेण्टती (चम्बल) तक बताई गई है।^१ अत सम्भावना इस बात की है कि सत्वत लोगों में भौज्य शासन प्रणाली के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। दक्षिण में आर्यों का परिचय विदर्भ से भी था ऐतरेय ब्राह्मण में भीम वैदम्भि का उल्लेख है जिन्होने कृष्णपि नारद और पर्वत से उपदेश प्राप्त किया।^२ प्रश्नोपनिषद में भार्गव वैदम्भिका वरणंत है जो पैष्पलाद कृष्णि के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए गये थे।^३ उनके नाम से स्पष्ट है कि वे भृगुवशी थे तथा विदर्भ के निवासी थे। वृहदारण्यक उपनिषद में विदर्भ के कौण्डिनेय को प्रारम्भिक उपदेशकों में स्थान दिया गया है।^४ जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में भी विदर्भ का उल्लेख है।^५ विदर्भ के अव्याप्त वर्तमान वरार और उसके समीप स्थित वर्धा और चैन गगा के चीच का भूभाग था। विदर्भ से आर्यों का घनिष्ठ परिचय तथा इस प्रदेश का वैदिक शूलियों एवं ब्रह्मविद्या आदि के साथ उल्लेख इस बात का सकेतक है कि उत्तर-वैदिक युग में आर्यों का प्रवेश न्यूनाधिक रूप से विनष्ट्य के दक्षिण में भी हो चुका था। शतपथ ब्राह्मण (३ २.१.२) में नाड नामक राजा का विश्व 'नैषधि' बताया गया है। सम्भवत वह नैषधि देश का निवासी था। नैषधि की स्थिति भी

१ महाभारत १ १३८.७४ दक्षिणाश्चापि पात्त्वासात् यावच् चर्मेण्टती नदी।

२ पोलिटिकल हिस्टरी आफ एन्स्येन्ट इंडिया, पृ० ६०।

३ ऐत० ब्रा० ७ ३४

४ प्रश्नोपनिषद १ १

५ वृहदारण्यक उपनिषद २ ५ २२, ४ ५ २८

६ द्रष्टव्य, वैदिक इन्डेक्स २ ४४० प्राचीन अनुश्रुतियों में दक्षिण की ओर जाने वाले कृष्णियों में अगस्त्य अग्रणी माने गये हैं। कृष्णवेद में अगस्त्य ओर लोपामुद्रा का वार्तालाप है तथा महाभारत में अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा को विदर्भ राज की कन्या कहा गया है। यदि यह कथानक सत्य है तो मानना पड़ेगा कि कृष्णवैदिक युग में ही आर्यों के कुछ समूहों का प्रवेश विदर्भ जैसे सुदूरस्य प्रदेशों में हो गया था।

विदर्म के समीप ही रही होगी। ऐतरेय ब्राह्मण में अन्यत्र विन्ध्य पर्वतमाला तथा उसके दक्षिण में वसने वाली आर्योत्तर जातियों का भी उल्लेख है।^१ इस प्रसग में यह बताया गया है कि विश्वामित्र के जिन पुत्रों ने शुन-शेष को अपना बड़ा भाई मानते से इनकार किया उन पचास पुत्रों को निता के शाप के कारण आन्ध्र, मूत्रिव, शबर तथा पुलिन्द आदि म्लेच्छ जातियों में परिगणित होना पड़ा। आन्ध्रों की तत्कालीन भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में निश्चायक ढग से कुछ कहना कठिन प्रतीत होता है। डा० सिंधु का यह विश्वास है कि आन्ध्र लोग सूदूर अतीत से ही गोदावरी और कृष्णा के मुहाने के समीप निवास करते थे। पी० टी० श्रीनिवास आयगर ने आन्ध्रों को मूलतः विन्ध्य-प्रदेश में निवास करनेवाली जाति माना है जो परवर्ती युगों में गोदावरी और कृष्णा की धाटी में जा वसी।^२ उनका यह मत अधिक ब्राह्म प्रतीत होता है क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण में शबर पुलिन्द आदि जिन जातियों के साथ आन्ध्रों का उल्लेख हुआ है वे मध्य प्रदेश में रहने वाली जातियाँ हैं। मत्स्य और वायु पुराण में शबर और पुलिन्दों को 'दक्षिणा-पथ वासिन' कहा गया है।^३ इन लोगों की स्थिति आघुनिक खालियर, रायपुर, सम्बलपुर और गजाम आदि स्थानों के आस-पास रही होगी।^४ पुलिन्द लोगों की राजधानी दशारण के दक्षिण पूर्व में स्थित थी।^५ इनका निवास वर्तमान बुन्देलखण्ड में दसान नदी के तटवर्ती प्रदेश में था।^६ मूत्रिवों की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ भी कहना कठिन है। शाखायन श्रौतसूत्र में इन्हें मूर्वीय कहा गया है।^७ नाम-साम्य के आधार पर डा० रायचौधुरी इन्हें मुसी नदी के समीप का निवासी मानते हैं।^८ प्रमाणों के आभाव के कारण उन्होंने इस सम्भावना को स्वयं सन्दिग्ध माना है।

१ ऐत० ब्रा० ७ १८

२ इण्डियन एण्टिक्वरी, पृ० २७६-७८ (१६१३)

३. मत्स्य, ११४ ४६-४८, वायु ४५ १२६

४. जे० ए० एस० बी०, पृ० २८६ (१८६०) इण्डियन एण्टिक्वरी, पृ० २८३ (१८७९)

५. महाभारत २ ५ १०

६. जे० ए० एस० बी० पृ० २५३ (१८६५)

७. शाखा० श्रौ० सू० १५०-२६, ६

८. पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एन्सेन्ट इण्डिया, पृ० ६४

उत्तर-वैदिक युग तक परिदिक्षितयों में परिवर्तन के कारण हम आर्थिक विकास में नवीन गति और दिशा पाते हैं। आर्थिक लोग अब स्थायी ग्रामों एवं जनपदों में रहने लगे थे।^१ विजित उर्वर प्रदेशों में उत्तर वैदिक प्राम में ग्राम की स्थापना होने लगी थी। विजेता के रूप में विस्तृत उर्वर भूमि पर्याप्त रूप में उपलब्ध हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास का क्रम स्वभावत तीव्रतर हुआ। ग्राम आर्थिक व्यवस्था के केन्द्र बने तथा ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक व्यवसायों और उद्योगों का विकास हुआ। दक्षिण-पूर्व की ओर गतिशील ग्रामों को बनों को साफ करके अपने ग्रामों की स्थापना करनी पड़ी थी। इन्हीं बनों को साफ करके भूमि को कुछ योग्य बनाना पड़ता था। उत्तर-वैदिक साहित्य से उपलब्ध प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र और अररण्य आस-पास हुआ करते थे। शतपथ ब्राह्मण में दीर्घारण्यों का उल्लेख हुआ है।^२ ऐतरेय ब्रह्मण में पूर्वी भारत के बनों का वर्णन है^३ जिनका धीरे-धीरे विनाश किया जा रहा था। अनेक प्रसगों से ऐसा प्रतीत है कि छोटे-छोटे ग्राम बड़े ग्रामों में तथा बड़े ग्राम नगरों में विकसित हो रहे थे। यजुर्वेद सहिता तथा नाश्वरणों में महापुरो का उल्लेख मिलता है।^४

ग्राम के अन्तर्गत निवास भूमि के अतिरिक्त कृषि-योग्य भूमि तथा गोचर भूमि का सन्निवेश था भूमि के स्वामित्व के भूमि सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने विस्तरश विचार किया है।^५ शूरग्रन्थ के ही अनेक मत्रों से निवास-भूमि पर वैयक्तिक स्वामित्व की पुष्टि होती है।^६ इस प्रसग में गृहपति और गृहपत्नी

^१ शत० न्ना० ४ १ ५ २-७ में शर्याति मानव को अपने ग्राम के साथ धूमने वाला बताया गया है। इससे प्रकट होता है कि अपवानस्वरूप कुछ जन-समूह अब भी यायावर जीवन व्यतीत कर रहे थे।

^२ शत० न्ना० १३ ३ ७ ११

^३ ऐत० न्ना० ३ ४४

^४ दै० स० ६ २ ३, १, काठ० सं० २४ १०, मैत्रा० स० ३. ८ १, ऐत० न्ना० १ २३ २, गो० न्ना० २ २ ७।

^५ विस्तृत अध्ययन के लिए द्रष्टव्य—मेन, हिन्दू ला, वेडेन पावेल, इण्डियन विसेज कम्यूनिटी।

^६ श॒० ८, ५४ तथा ५५।

शब्द भी उल्लेखनीय हैं। छान्दोग्य उपनिषद में तो स्पष्टतः क्षेत्र एव आयतन को व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में परिगणित किया गया है।^१ मेन महोदय ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भूमि के रूप में स्थावर सम्पत्ति पर पहले पचायतो का सामूहिक अधिकार होता था तथा बाद में इन सामूहिक अधिकारों में से पृथक् पृथक अधिकारों की उत्पत्ति हुई। पहली अवस्था सामुदायिक स्वामित्व की थी और इसके पश्चात् वैयक्तिक स्वामित्व का जन्म हुआ।^२ बेडेन पावेल महोदय ने भूसम्पत्ति की ऐतिहासिक विवेचना करते करते हुए सतर्क सिद्ध किया है कि वैदिक युग में सामूहिक स्वामित्व का सूचक कोई प्रमाण नहीं मिलता।^३ वैदिक साहित्य में भूमि-सम्पत्ति पर वैयक्तिक स्वामित्व के सूचक अनेक प्रबल प्रमाण उपलब्ध हैं। कृषि योग्य भूमि पर भी ऋग्वेदिक युग से ही वैयक्तिक स्वामित्व स्वीकृत हो चुका था। यह बात ऋग्वेद में क्षेत्र पति, क्षेत्र पत्नी, क्षेत्र-जेषा, क्षेत्रजय आदि शब्दों के अनेकश उल्लेख से स्पष्ट है।^४ ऋक्सकिता के एक प्रसग के अनुसार अपाला ने इन्द्र से तीन वर मागे थे—मेरे पिता का सिर गंजा है, उसमे बाल पैदा करो, उसका खेत ऊसर है उसमे अन्न पैदा करो और मेरा त्वर्गोप दूर करो।^५ परवर्ती सहिताओं में क्षेत्र-विजय के अनेक उल्लेख मिलते हैं।^६ तैत्तिरीय सहिता में कहा गया है कि पडोसी के साथ भूमि सम्बन्धी कलह होने पर इन्द्र और अग्नि को आहुति देनी चाहिए।^७ विचारार्ह है कि अनायों के विशाल भूमागो के अपहरण तथा अनायं नगरों एव अरण्यों के विघ्नश की प्रक्रिया में आयों ने इन्हीं देवताओं से प्रेरणा एव साहाय्य के लिए निवेदन किया। वैदिक इण्डेक्स के लेखकों ने यह दावा किया है कि वैदिक वाङ्मय में भूमि पर सामूहिक स्वामित्व का कोई उल्लेख नहीं है तथा

१ छा० उप० ७ २४.२।

२ हिन्दू ला, पृ० ३१७-१६।

३ इण्डियन विलेज कम्यूनिटी (१८६९)

४ ऋ० १ ३३ १५, ४ ५७ १-२, ७ ५५ १०, १० ६६ १-३, ६ २०१
इत्यादि।

५ ऋ० ८.६१ ५-६, इमानि श्रीणि विष्टपा तानीन्द्र विरोह्य, सिरस्ततो-
र्बारामादिद म उपीकरे।

६. तै० स० ३ २ ८.५, काठ० स० ५.२, मै० स० ४ १२.३

७. तै० स० १.२.१

इसके विपरीत वैयक्तिक स्वामित्व पूर्णतया प्रमाणित है।^१ यह मत अधिका शत सत्य होते हुये भी निरपेक्ष नहीं है क्योंकि निवास-भूमि तथा कृषि-योग्य भूमि पर वैयक्तिक स्वामित्व अवश्व स्थापित हो चुका था किन्तु गोचर भूमि पर नहीं।^२ व्यक्तिगत गोचर-भूमि का उल्लेख सर्वथा अनुपलब्ध है। क्र० १० १९ ३-४ में ग्राम के सभी पशुओं का एक ही व्यक्ति के सरक्षण में साथ साथ चरने वा उल्लेख है। धर्मसूत्रों तथा अर्थशास्त्र में भी गोचर भूमि को ग्रामवासियों के सामूहिक उपयोग की वस्तु माना गया है। विशेषतः उत्तर-वैदिक युग में, जब कि अरण्यानी से आच्छान्न विस्तृत भूभाग खाली पड़े थे, गोचर भूमि कों अधिकृत करने के व्यक्तिगत प्रयास का प्रङ्गन नहीं उठता।

आहुण साहित्य में यत्र-तत्र भू-सम्पत्ति के लेन-देन का विरोध सकेतित है किन्तु अनेक प्रसरणों में स्पष्ट रूप से यज्ञ का सम्पादन करनेवाले पुरोहितों को दान में भूमि देने का वर्णन हुआ है।^३ शतपत आहुण में गाहंपत्य अग्नि के प्रसरण में इस बात का सकेत है कि क्षत्रिय लोग राजा द्वारा प्रदत्त भूमि का विभाजन पारस्परिक समझौते के आधार पर करते थे।^४ क्रुक्सहिता (१० ३४) में जुधारी द्वारा शूल में सब धन दाव पर लगा देने का उल्लेख है जिसमें उसका धर भी शामिल है। इन प्रमाणों की पृष्ठभूमि में भूमि के हस्तान्तरण का प्रचलन सिद्ध होता है। छान्दोग्य उपनिषद में क्षेत्र और आयतन को व्यक्तिगत सम्पत्ति माना गया है जिनका हस्तान्तरण पूर्णत सम्भव था।^५

वैदिक साहित्य में राज्य की सम्पूर्ण भूमि पर राजा का अधिकार सूचित करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है। पूर्ववैदिक काल में राजा को जनता से केवल कर प्राप्त होता था।^६ वह ग्राम की भूमि का भूमि पर राजकीय प्रभुत्व अधिकारी नहीं था। ग्राम की भू-सम्पत्ति पर ग्राम वासियों का ही अधिकार था। अर्थर्वगेद (४ २२.२) में इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि वह राजा को ग्राम में भाग दिलाये।

१ वैदिक इण्डेक्स १ १००

२ एन० सी० वन्द्योपाध्याय, इकोनोमिक लाइफ एण्ड प्रोग्रेस इन ऐन्डेन्ट इण्डिया, पृ० ११४।

३ शत० ग्रा० १३ ६ २ १८, १३ ७, १३ और १५।

४ शत० ग्रा० ७, ११ ४।

५ छा० उप० ७, २४ २।

६ क्र० १०, १७३।

इससे स्पष्ट है कि उत्तर-जीविक युग के पूर्वार्द्ध में भी ग्राम की सम्पूर्ण भूमि राजा के प्रभुत्व के अन्तर्गत नहीं मानी जाती थी। सम्भवतः ग्रामवासियों द्वारा कुछ भूमि राजा एवं राजकर्मचारियों के भरण-पोपण के लिए दी जाती थी। यदि राजा सम्पूर्ण भू सम्पत्ति का स्वामी होता तो फिर इस प्रकार की प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं थी। सत्य तो यह है कि जीविक युगमें भूमि सम्पत्ति विस्तृत थी तथा उसकी तुलना में जनसंख्या कम थी। जिस व्यक्ति ने भूमि को साफ किया तथा उस पर कृपिकमं प्रारम्भ किया वही उसका स्वामी बना। राजकीय विधि-नियमों के विकास के अभाव में इस प्रकार की व्यक्तिगत भूमि पर राज्य द्वारा हस्तक्षेप का कोई प्रश्न नहीं उठता। इतना अवश्य यह कि कालक्रम से राजाओं के अधिकार में भी विस्तृत भूभाग आ गये थे। उपनिषद् युग तक ग्रामदान का उल्लेख मिलने लगता है। छान्दोग्य उपनिषद् से ज्ञात होता है कि राजा जनश्रुति पौत्रायण ने रैक्व नामक व्यक्ति जो महावृप में 'रैक्वपर्ण' नामक ग्राम दान में दिया।^१

उत्तर-जीविक युगीन ग्राम आत्मनिभंर इकाई के रूप में संगठित थे।^२ इनके निवासी रक्त-सम्बन्ध, समान रीति-रिवाज, समान उद्देश्य एवं समस्याओं के कारण परस्पर सामुदायिकसूत्र में आबद्ध थे। सहयोग एवं सहानुभूति के विना ग्राम्य-जीवन की सुरक्षा, शान्ति एवं स्वपर्याप्ति सम्भव नहीं

थी। ग्राम की आन्तरिक व्यवस्था ग्राम सभाओं द्वारा की जाती थी। ग्रामणी ग्राम का प्रधान होता था। राजसूय के प्रसाग में रत्नन-सूची के अन्तर्गत ग्रामणी का भी उल्लेख हुआ है जिससे उसका राजनीतिक महत्व प्रकट होता है। ग्राम्यवादिन गाँव के भगवों को तय करता था। इस प्रकार वैदिक ग्राम स्वशासित एवं आन्तरिक भास्त्रों में पूर्णतः स्वतन्त्र थे। ग्राम्य-जीवन प्राय सुखी और सम्पन्न था। आवश्यकता की विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन ग्राम में ही हो जाता था। गाँवों में कृषक, पशुपालक तथा विविधशिल्पी को धारण करनेवाले लोग रहते थे जो वस्तु-विनम्रय के द्वारा एक दूसरे की आवश्यकता की पूति करते थे। पूर्व-जीविक युग की भाँति ही

१. छा० उप० ४३४।

२. छा० उप० ४ २, ४

३. इण्डियन विलेज कम्युनिटी, पृ० ६

वहस्थक पशु इस युग में समृद्धि के सूचक थे। पशुपालन और कृषि से भोजन की सामग्रियां प्रभूत मात्रा में प्राप्त हो जाती थीं। यजुर्वेद के एक प्रसगसे तत्कालीन समाज की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं समृद्धि का आभास मिलता है।^१ इस प्रसग में यह कहा गया है कि अन्न से भडार भरे हैं, पशुओं से गोशालाएँ परिपूर्ण हैं दूध दही शादि रस-पदार्थों का कोई अभाव नहीं है। सभी अभीप्सित सुख सुलभ हैं। इसी प्रकार आर्थर्ववेद में परीक्षित के राज्य में रहने वाले लोगों के सुख एवं समृद्धि का उल्लेख हुआ है।^२ इन साहित्यिक उल्लेखों से तथा यज्ञों में व्यय होने वाले प्रभूत धन-धान्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि उत्तर-वैदिक युग आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न और समृद्ध था। गगा-घाटी के उर्वर खेतों तथा चराग हीं ने आर्यों के अन्न-धन एवं पशु-धन, दोनों को अधिक समृद्धि प्रदान किया। किन्तु आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होते हुये भी उत्तर-वैदिक समाज भौतिक प्रगति की दृष्टि से काफी पीछे था। आर्थिक जीवन में कृषि और पशुपालन की प्रभुत्वता के कारण नागरिक सम्यता का समुचित विकास नहीं हो सका। व्यापार और वाणिज्य की ओर भी लोगों का ध्यान घेष्ठा रूप से आकर्षित नहीं हुआ जिसके परिणाम स्वरूप सुख, विलास एवं ऐश्वर्य के उत्तम साधनों का निर्माण नहीं हो पाया। साहित्यिक विवरण तथा हस्तिनापुर रुड आदि स्थानों से उपलब्ध पुरातात्त्विक स्तकों से उत्तर-वैदिक आर्यों की सत्कृति का जो स्वरूप मिलता है उससे उनकी भौतिक हीनता दोतित होती है।

छठी शताब्दी ई०पू० तक ग्रामीण और आरण्यक वैदिक सम्यता अनेक नगरवासिनी हो गई थी।^३ व्यापार के सुदूर-विस्तृत नगरों का विकासस्थल एवं जल पथों पर यात्रा करने वाले सार्थकाहों के उद्यम ने इन नगरों को समृद्धि प्रदान की थी।^४ नागरिक वाणिज्य एवं व्यवसाय श्रेणियों में सगठित थे और इन श्रेणियों के

१०. शुक्ल यजुर्वेद ३ ४३

२. आर्थर्व ० २१ १२७ ७-१०

३. द्रष्टव्य—कैमिन हिस्टरी आव इण्डिया, जिल्ड १, पृ० १८६, इको-नौमिक साइक एण्ड प्रोफ्रेस इन एन्स्येन्ट इण्डिया, जिल्ड १, भाग ३, शोरीजिन्स आव बुद्धिम, पृ० ३१४-१५।

४. व्यापार पथों एवं सार्थकाहों पर, द्रष्टव्य—राइज डेविल्स, बुद्धिस्त इण्डिया, पृ० १०३-१०५, भौतीकन्द, सार्थकाह।

प्रधान शेष्ठी समाज मे तथा राजभवन मे प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे ।^१ बुद्ध के युग मे भारतीय सकृति द्रव्य के युग मे अवतीर्ण हो रही थी । यह श्रमणो का ही नहीं श्रेष्ठियो का युग था । चम्पा के मेराङ्क, श्रावस्ती के अनाथ-पिण्डक और कौशाम्बी के घोपक इन घनाढ्य श्रेष्ठियो के कुछ ज्वलन्त उदाहरण हैं । बौद्ध युग में नागरिक जीवन का यह सुविकसित स्वरूप आकस्मिक नहीं हो सकता । नगरो के विकास की प्रक्रिया निश्चित रूप से उत्तर वैदिक युग मे ही प्रारम्भ हो चुकी होगी । जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में जानश्रुतेय को नगरिन (नगर-वासी) कहा गया है ।^२ इसके अतिरिक्त उत्तर-वैदिक साहित्य मे काम्पील^३, परिचक्रा^४, कौशाम्बी^५, श्रयोद्ध्या^६ आदि नगरो का स्पष्ट उल्लेख हुआ है । शतपथ ब्राह्मण में नगर-रक्षक परिखा का भी वर्णन है ।^७ वैदिक साहित्य की धार्मिक प्रकृति के कारण तत्कालीन-नगर व्यवस्था एवं निर्माण पद्धति के विषय मे विशेष सूचना नहीं मिलती किन्तु पुरातात्त्विक प्रमाणो से यह सकेतिक है कि इस युग मे गगा की घाटी-में नगरो के अभ्युदय का जो इतिहास प्रारम्भ हुआ उसके निर्माण में सैन्धव परम्पराओं का महत्वपूर्ण योग था । कौशाम्बी की निर्माण-पद्धति पर हरपा परम्पराओं का प्रभाव स्पष्ट दृष्ट है ।^८ कौशाम्बी मे नगर-रक्षक प्राचीर तथा मेहराबो का निर्माण प्रारम्भिक स्तरों मे पूर्णत हृष्ण्या-पद्धति पर हुआ है ।

ऋग्वेद तथा जेन्द्र-प्रवेस्ता के साक्ष्य का समवेत अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि हिन्द-इरानी युग में ही खेती आर्यों का महत्वपूर्ण व्यवसाय

^१ श्रेणियो पर द्रष्टव्य मजुमदार, कारपोरेट लाइफ इन ऐन्डेन्ट इरिंडिया ।

^२ जै० उप० ब्रा० ३ ४० २

^३ तैत्तिरीय सहिता, ७ ४ १६, मैत्रायणी सहिता, ३ १२.२०

^४ शत० ब्र० १३ ५४७

^५ ऐत० ब्रा० ८ १४ शत० ब्रा० १२ २ २ १३

^६ ऐत० ब्रा० ७ ३ १

^७ शत० ब्रा० ७ १ १ १३

^८ एक्सकेवेसन्स ऐट कौशाम्बी, पू० १४

चन चुका था।^३ किन्तु पूर्व-वैदिक युग में हम कृषि का महत्व पशुपालन की अपेक्षा गौण पाते हैं। इसका प्रधान कारण कृषि ऋग्वैदिक ग्रायों का अव्यवस्थित एव अटनशील जीवन था। उन्हें कृषि के लिए ऐसी सुविधाएँ प्राप्त नहीं थीं जो उत्तर वैदिक युग में स्थायी जीवन प्रारम्भ करने के पश्चात् मिली। उत्तर-वैदिक युग तक समाज में कृषि का महत्व बढ़ने लगा था जो स्थायी ग्रामीण सभ्यता के लिये सर्वथा स्वाभाविक था। कृषि के द्वारा उत्पन्न अन्न को ही लोग सम्पूर्ण जगत का पालक मानने लगे थे। तत्त्त्वजीय उपनिषद के अनुसार 'अन्न ही ब्रह्म है।' अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही सबका जीवन चलता है। विनष्ट होकर सभी अन्न में भिल जाते हैं तथा अन्न में ही एकरूपता प्राप्त करते हैं।^४ उपनिषदों में अधिक अन्न उत्पन्न करने का सन्देश (अन्न बहु कुर्वति) सर्वप्रथम सुनाई देता है।

पुरोहितों तथा युद्धकर्मी राजन्यों को छोड़ सभी लोग कृषि-कर्म से योग देते थे। खेती में अधिकाशत वैश्य लोग प्रवृत्त थे इसीलिए अष्ट्रा वैश्यों का चिह्न बतलाया गया है।^५ कृषि-कार्य में शूद्रों के श्रम का भी पर्याप्त उपयोग होता था। ये शूद्र सम्बन्ध एव सम्भ्रान्त लोगों की भूमि पर काम करते थे तथा यदा कदा भूमि सहित दान में भी दे दिये जाते थे।^६ सम्भव है कि कुम्भ घनी शूद्र व्यक्तिगत भूमि पर भी कृषि कर्म करते रहे हों। वेदेन पावेल महोदय की यह कल्पना कि वैदिक समाज में कृषि-कर्म अनार्य अमजीवियों द्वारा होता था,^७ सत्याश मात्र प्रतीत होती है क्योंकि, जैसा कि देखा जा

१. कृषि का हिन्दू-ईरानी युग से ही प्रचलित होना ऋक्सहिता के 'यवम् कृषि' और अवेस्ता के 'यवो करेश' की समानता से प्रकट होता है।

ऋग्वेद १० ३४ १३ में कृषि-कर्म की महत्वा का स्पष्ट उल्लेख हुआ है।

२. तै० उप० ३४ ३

३. काठकसहिता ३७ १

४. दात्यायन श्रीत सूत्र—'सहपुरुषा च दीयते'। कात्यायन श्रीत सूत्र २२ १० में उल्लिखित 'सूमिशूद वर्जनम्' भी आशिक रूप से इस प्रथा के प्रचलन का संकेतक है।

५. इण्डयन विलेज कम्प्यूनिटीज, पृ० १८०

चुका है, हिन्दू-ईरानी युग से ही आर्यों में कृपि-कर्म की स्वस्थ परम्परा थी। ऋग्वेदिक युग में भी कृषि कर्म विकासोन्मुख था तथा कृषक-जीवन समाहृत। इस प्रसग में यह उल्लेखनीय है कि वैदिक आर्यों के प्रवेश के पूर्व^१ उत्तरी भारत में जो जातियाँ रहती थीं उनमें भी कृपि-कर्म का सन्तोषजनक विकास हुआ था। उन्होंने भी अपने अनुभव और ज्ञान के द्वारा उत्तर-वैदिक युगीन कृषक जीवन को समृद्ध किया। सिन्धु प्रदेश के उत्तरनन्दन में गेहूँ के जो नमूने उपलब्ध हुए हैं वे जगली नहीं हो सकते। यहाँ की विशाल जनसंख्या के पोषण के लिए पर्यास अन्न की आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति समुन्नत कृपि कर्म के बिना सम्भव नहीं थी। यहाँ की उर्वर भूमि तथा वर्षा की प्रचुरता निष्चय ही उत्पादन की बृद्धि में सहायक हुई होगी। कृपि-कर्म के निर्मित यहाँ के निवासी हल का प्रयोग करते थे या नहीं, यह प्राय अनिश्चित है क्योंकि उत्तरनन्दन से यहाँ इस प्रकार के किसी उपकरण का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। सम्भव है काष्ठ निर्मित होने के कारण काल प्रवाह में वे नष्ट हो गये हों। तत्कालीन सुमेर में कृपि कर्म हल और बैल की सहायता से ही होता था। हम जानते हैं कि सुमेरियन एवं सैन्धव सस्कृति के निर्माताओं के भौतिक जीवन में वडी समानता थी। ऐसी स्थिति में सैन्धव जन कृषि-कार्य के लिये हल और बैल का प्रयोग करते होंगे, यही अनुमान अधिक सम्भाव्य प्रतीत होता है। जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, गगा धाटी के निषाद भौतिक हृषि से अधिक सित एवं हल के उपयोग से अपरिचित होते हुए भी आर्यों के आगमन के पूर्व ही छढ़ी या कुदाल से भूमि को खोद कर 'झूम' प्रणाली से खेती करने लगे थे।

अवेस्ता में खेती के लिए हल-बैल के प्रयोग का उल्लेख है तथा ऋक्-सहितामें भी इस वात की सूचित करने वाले प्रसग पर्याति हैं। ऋग्वेद के एक मन्त्र में मेघावी लोगों द्वारा हल चलाने का उल्लेख है।^२ एक अन्य मन्त्र में कहा गया है कि अश्विन देवताओं ने मनु को खेती करना तथा हल चलाना सिखाया।^३ इस ग्रन्थ में बैलों द्वारा खीचे जाने वाले हल का भी उल्लेख हुआ है।^४ सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में हल का साधारण नाम

१. अ० १०१. ४

२. अ० १२७ २१

३. अ० ६ २०. १६

लागल मरथवा सीरे मिलता है। इसके अंगेले नुकीले भाग को फाल कहते थे जो प्राय नुकीला और तीक्षण धार वाला होता था। हल की मूठ सम्भवत लकड़ी की होती थी। अथर्ववेद के एक मन्त्र से इसके चिकने होने का आभास मिलता है।^१ हल में एक लम्बा मोटा बास बैंधा होता था जिसे 'ईषा' कहते थे। 'ईषा' के ऊपर जुगा (युग) रखा जाता था। हल खीचने वाले बैलों की सद्या छ, आठ, बारह और चौबीस तक होती थी^२, जिससे हलों के प्राय वृहदाकार और भारी होने का अनुमान होता है।

कृषि की सफलता के लिए उत्तर-वैदिक समाज में इन्द्र, पूषन, शुन सीर सीता आदि अनेक देवी देवताओं की स्तुति की जाती थी। बैलों को हल में जोतने, बीजवनन करने तथा नवान्न को प्रथम बार झहण करने के लिये अनुष्ठानों की व्यवस्था थी। किसान फसल के पक जाने पर उसका सम्रह करते समय देवताओं के प्रति श्रद्धा स्वरूप कुछ अश वही छोड़ देता था। कृषि से सम्बन्धित इन धार्मिक अनुष्ठानों के पीछे दो भावनायें थीं। प्रथमत छृपक प्रकृति के प्रकोप से फसल की रक्षा के लिये देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करता था। दूसरे धार्म सचय के समय कृतज्ञता प्रकाशन के लिये वह देवताओं की बलि देता था। वस्तुत आज की ही भाँति उस युग में भी भारतीय कृषि कर्म प्राकृतिक सकटों से ग्रस्त रहता था। अनावृष्टि से खेतों की क्षति होती थी अतः अनेकश वृष्टि के लिये प्रार्थना की गई है।^३ इसके अतिरिक्त अतिवृष्टि एव विद्युतरात से भी खेतों को हानि पहुँचती थी। इन दैवी प्रकोपों से मुक्ति के लिये अथर्ववेद में तत्र मन्त्र का उल्लेख हुआ है।^४ उत्तर वैदिक युग में गगा की धाटी में वसे कृपकों के लिये बाढ़ भी एक भीपराण समस्या रही होगी। पुराणों से ज्ञात होता है^५ कि निचक्षु के समय में गगा की भीपरण बाढ़ से हस्तिनापुर नष्ट-भ्रष्ट हो गयाथा। इस बाढ़ के चिह्न हस्तिनापुर के उत्क्षनन से भी प्राप्त हुये हैं।^६ अथर्ववेद में उपवन्त, जम्य, तथा पतग आदि कृपिनाशक कीड़ों के नाम दिये गए

१ अथर्ववेद ३ १९ ३

२ काठक सहिता १५ २

३ अथर्ववेद ७ १८ ३६

४ अथर्ववेद ७ १८

५. ऐन्डेन्ट इंडिया, न० १०-११, पृ० १४

हैं जिनसे खेती की रक्षा के लिये अनेक यत्र तथा उपाय बताये गये हैं। छान्दोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि टिहुयों से फसलकी व ढी क्षति होती थी। एक बार टिहुयों के कारण समस्त कुर जनपद अकाल-ग्रस्त हो गया था।^१

संहिताभूत तथा ब्राह्मणों में कृषक-जीवन से सम्बन्धित अनेक कार्यों का उल्लेख मिलता है। शतपथ में कर्षण (जीतना) वपन (बोना) लवन (काटना) तथा मदंन (माडना) इन चार ही शब्दों में कृषि की सम्पूर्ण प्रक्रिया का वर्णन कर दिया गया है।^२ मदंन के पश्चात् चलनी (तितउ) अथवा कूर्प की सहायता से अन्न को भूसे से पृथक् किया जाता था।^३ इसके कर्त्ता को धान्यकृत कहते थे।^४ अनाज को नापकर उसे सुरक्षित रूप से रखने की व्यवस्था की जाती थी। नापने वाले वर्तन को ऊर्दंर कहा जाता था और जिस घर में अनाज रखा जाता था उसे स्थिवि कहते थे।^५

कृषि की सफलता के लिये सिचाई के विविध साधन विकसित किये जा चुके थे। अथर्ववेद में वर्षा और कूप के पानी के अतिरिक्त नहरों के पानी का भी उल्लेख हुआ है।^६ खेतों में पानी पहुँचाने वाली नालियो (कुल्या) का भी उल्लेख हुआ है।^७ कूप से पानी निकालने के लिये यदा-कदा सम्भवतः रहट (चक्र) का भी प्रयोग होता था। वैदिक आर्यों के निवास-भूमि पजाव और गगा की घाटी के क्षेत्र (कृषि योग्य भूमि) प्राय उपजाऊ होते थे। नदियों की खाद से नई मिट्टी आती रहती थी जिससे भूमि की उर्वरा-शक्ति बनी रहती थी। खेतों को प्राय उनकी उर्वरता के कारण ही उर्वर भी कहा-जारा था। फिर भी पैदावार की वृद्धि के लिए खाद का प्रयोग किया जाता था। शतपथ में गोवर (करीप) की खाद का उल्लेख है।^८ और अथर्ववेद में पशुओं की प्राकृतिक खाद को मूल्यवान माना गया है।^९

१ छान्दोग्य उप० १० १-३, मटची हत्तेपु कुरुपु

२ शत० ब्रा० १ ६ २ ३

३ अ० १० ७१ २

४. द्रष्टव्य वैदिक इण्डेक्स १.१८२

५ अ० १० ६८ ३

६ अथर्ववेद ३ १३

७ अ० १०.४२ ७, २.४५ ३

८ अ० २ १ १.७

९ अथर्ववेद १६ ३१ ३

उत्तर-वैदिक युग तक कृषकों ने विभिन्न प्रकार के अन्न पेश करना सीख लिया था। क्षक्सहित में यव और धान्य का उल्लेख है। यव (जो) सम्भवत् एक विशेष प्रकार का अन्न था,^१ किन्तु विविध धान्य अनाजों का साधारण नाम प्रतीत होता है। यथापि सैनधव-स्थलों के उत्थनन से उनके निवासियों में धान की खेती के प्रचलन का सकेत मिलता है^२ तथापि क्षुद्रवैदिक आर्य धान की खेती से अपरिचित थे। उत्तर-वैदिक युग में धान की खेती काफी लोकप्रिय ही चुकी थी। ब्रीहि शब्द जो ऋग्वेद में अनुपलब्ध है पिछली सहिताओं में खूब मिलता है। हस्तिनापुर के उल्खनन से भी चावल के दाने और धान की भूसी प्रकाश में आये हैं जिससे धान के विशेष उत्पादन की बात पृष्ठ होती है। तैत्तिरीय सहिता में धान के तीन प्रमुख प्रकार बतलाए गये हैं जिन्हें कृष्ण (काला), आशु (शीघ्र पैदा होने वाला) तथा महाब्रीहि (बड़े दानों वाला) कहा गया है।^३ इन भेदों में आशु सम्भवत् साठी नामक धान को लक्षित करता है जो साठ दिन में तैयार हो जाता है।

चावल की खेती का प्रचार गगा की धाटी में आर्यों के प्रवेश के पूर्व ही हो चुका था। श्री सुनीति कुमार चटर्जी ने यह सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है कि प्रोटो आस्ट्रोलायड जाति के लोगों को चावल की खेती का ज्ञान बहुत पहले हो चुका था। चावल शब्द ही आर्य-भाषा का न होकर मुराढ़ा भाषा का है। हम बतला चुके हैं कि प्रार्थों के श्राने के पूर्व प्रोटो आस्ट्रोलायड जाति के लोग ही गगा के मैदान में रहते थे। ऐसी स्थिति में यह सम्भावना अधिक युक्ति-संगत-प्रतीत होती है कि आर्यों ने चावल की खेती करना नियादी से सीखा।

उत्तर-वैदिक साहित्य में यव और ब्रीहि के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अनाजों का भी उल्लेख मिलता है। अथवेद में ब्रीहि के अतिरिक्त तदुल

१ जो के लिये अवेस्ता में 'येव' और ग्रीक भाषा में 'जेम्प' शब्द पाये जाते हैं जो क्षुद्रवैदिक 'यव' से समानता रखते हैं। इससे यह सम्भावना होती है कि क्षुद्रवैद में भी यव शब्द क, प्रयोग जो के ही अर्थ में हुआ है - न कि सभी प्रकार के अन्नों के अर्थ में।

२ चाइल्ड—न्यू लाइट धान दि मोस्ट ऐन्डेन्ट इंस्ट, पृ० २०६

३. ई० स० १८ १०१

(१० ६ २६) का वर्णन हुआ है जो धान का एक दूसरा किस्म प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त इस वेद में भाष (उड्ड) श्यामाक (सावा), शारि-शाका (सरसों), गन्ना, तिल, शण आदि का भी उल्लेख हुआ है ।^१ वाजसनेयी सहिता में गोधूम, यव, त्रीहि, माष, मुदग, मसूर, तिल श्यामाक, प्रियगु नीबार आदि की उपज का वर्णन है ।^२ बदर, कुबल, करकन्धु, न्यग्रोष अश्वत्थ, विल्व, आमलक आदि उपयोगी वृक्षों के नाम भी संहिताओं पे मिलते हैं । यह कहना कठिन है कि ये वृक्ष लगाये भी जाते थे या केवल जंगली होते थे । न्यग्रोष और अश्वत्थ जैसे वृक्ष तो निश्चय ही जगली रहे होगे । पर्याप्त भूमि अभी कृषि के उपयोग में नहीं लाई जा सकी थी । ऐसे जगली और विना जुते प्रदेशों में भी अन्न और फल उत्पन्न होते थे । ब्रह्म-चारियों को यह सन्देश दिया गया है कि उन्हें विना जुते भूमि से एकत्रित अन्न से जीवन बसर करना चाहिये । अनाज बोने की मिन्न-मिन्न छँटुओं का विशिष्ट वर्णन तैत्तिरीय सहिता में हुआ है । फसलें साल में दो बार बोई जाती थी ।^३ क्षीतकाल में बोई गई फसल चैत्र के महीने में पक जाती थी । बीज बोने का समय जलवायु में विशेष परिवर्तन न होने के कारण बहुत कुछ आघुतिक युग के समान ही था ।

कृषि के अतिरिक्त पशुपालन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था । कृषि कार्य में विकास के साथ-साथ पशुओं एवं विशेषत गाय वैलों की महत्ता में वृद्धि हो रही थी । वैलों से खेती का काम लिया जाता था । वे विशेषतः हल जोतने और गाढ़ी खीचने के काम में लाये जाते थे । जवान तथा शक्तिशाली वैल को वृपभ कहते थे । गाढ़ी (अनस) खीचने वाले वैल की अनड़वान संज्ञा थी । वैलों को पालतू और ग्रधिक उपयोगी बनाने के लिये उन्हें वधिया करने की भी प्रथा थी । ऐसे वैल को महानिरष्ट (Castrated Bull) कहा गया है ।^४ खास तौर से कृषि सम्बन्धी उपयोगिता के ही कारण गोमांस भक्षण का भी निषेध होने लगा था । यत्पर द्वाहाण में स्पष्ट घोषणा की गई है कि गाय और वैल पृथक्की को धारण करते हैं अत उनका मास नहीं

१ अथर्वा १२ २ ५४, १८ ३ ६ ६ १७४, ३ १४५, ४ ३४,

२. वाज० स० १८ १२, १८ २२, २१ २६ ७, १० २४, १२ ४

३ ती० स० ५ १७ ३

४ ती० स० १८ ६ १, काठक स० १५ ४ ६, म० स० २ ६ ५

खाना चाहिये ।^१ फिर भी गोमासाहार का पूर्ण त्याग अभी नहीं हो सका-था । विभिन्न पशुओं का मास लोगों के भोजन का प्रमुख अङ्ग था । हन्तिना-पुर के चत्खनन से घोड़े, सूअर, भैसा, गाय आदि पशुओं की हृष्टिया प्राप्त हुई हैं ।^२ उत्तर वैदिक साहित्य में स्थान स्थान पर अतिथि सत्कार के लिये महोस (बड़ा बैल) अथवा महाज (बड़ा चकरा) के बध की व्यवस्था मिलती है ।^३ सैकड़ों बैलों के बध का श्रेय अगस्त्य नाम के एक यजमान को दिया गया है ।^४ विवाह के पुनीत अवसर पर भी मेहमानों के स्वागत के लिए गोबध होता था ।^५ शतपथ नाह्यण (३ १ २ २१) से ज्ञात होता है कि कृषि याज्ञ-वल्क्य गोमास खाने के शौकिन थे ।^६ इस प्रकार स्पष्ट है कि भोजन सामग्री के रूप में भी पशुओं का महत्व पूर्ववत् बना हुआ था ।

गाय का दूध तथा उससे बनाये गये विविध पदार्थ तो भोजन के विशिष्ट अग थे ही । दूध सोमरस में मिलाने तथा क्षीरोदन बनाने के लिये भी अति उपयोगी था । इससे उत्पन्न दही और धी भोजन के काम में आता था तथा साथ ही इनका यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठानों में भी उपयोग होता था ।

वैदिक युग में सिक्को के कम प्रचलित होने के कारण पशु ही अधिकाशत विनिमय के साधन थे ।^७ अत उनका आर्थिक महत्व और भी बढ़ गया था । पशुओं की सख्त्या से ही किसी व्यक्ति के बीभव का अनुभान लगाया जा सकता था । साधारण मनुष्य ही नहीं राज लोग भी पशुधन की कामना करते थे । अथर्ववेद के एक प्रसंग में राजा के लिए गाय, बैल और बोड़ों की प्राप्ति

१ शत० न्ना० ३ १ २ ३

२ ऐन्स्येन्ट इण्डिया न० १० ११, पृ० ८५

३ शत० न्ना० ३ ४ १ २, शास्त्रायन० शू० सू० ३ १५ २

४. तै० न्ना० २ ७ ११० १, पच० न्ना० २१ १४ ५

५ शू० १० ८५ १३

६ सूत्रकाल तक हम गोमास भक्षण की व्यवस्था पाते हैं । आपस्तम्न ने शाद में गोमास को पितरों की सन्तुष्टि के लिये सर्वोत्तम माना है ।— आप० घ० सू०, २ ७ १६ २६)

७ शू० ४, २४-१० में दस गायों को देकर इन्द्र की एक प्रतिमा-लेने की चात कही गई है । इसी प्रकार नाह्यण साहित्य में गाय के बछिया के बदले सोम खरीदने का उल्लेख है ।

के निमित्त प्रार्थना की गई है।^१ इन्ही पशुओं को दक्षिणा में देकर राजा लोग पुरोहितों को अनुग्रहीत करते थे तथा विद्वानों का सरकण।^२ गाय दक्षिणा के लिये सर्वोत्कृष्ट वस्तु थी यही कारण है कि दक्षिणा शब्द अनेक स्थानों पर 'गो' के पर्यायिकाची के रूप में मिलता है। अनेक ऋषियों ने दानस्तुतियों में इन दक्षिणा देने वालों के प्रति आभार प्रदर्शित किया है।^३

पूर्वन को पशुओं का रक्षक देवता माना गया है। ऋग्वेद (१० १७ २) में उसे अनष्टापशु (गोरक्षक) कहा गया है।^४ वस्तुत गवालों के सजग रहनेपर भी गाएँ कभी-कभी विपत्तियों में पड़ जाती थी। वे कुवे अर्थवा गढ़े में गिर जाती थी। ऐसी स्थिति में अग भग का भय बना रहता था।^५ इसके अतिरिक्त गायों के चोरी छले जाने अर्थवा जगली पशुओं का शिकार बन जाने का भी भय लगा रहता था। पशुओं के समूह इतने विशाल होते थे कि उनकी पहचान के लिये उनके कानों पर नाना प्रकार के चिन्ह लगाये जाते थे।^६ गायों के कानों को छेदने की प्रथा काफी बाद तक पशुपालक समाज में प्रचलित रही क्योंकि पाणिनि के सूत्रों में भी ऐसे चिन्हों का वर्णन मिलता है।^७

गायों की भिज-भिज अवस्थाओं के द्योतक भिन्न-भिन्न शब्द वैदिक साहित्य में मिलते हैं जिससे इस पशु की लोकप्रियता सिद्ध होती है। प्रसव योग्य गाय को गृष्टि, दूध देने वाली गाय को घेनु, वंध्या गाय को स्तरी, घेनस्तरी अर्थवा वशा और वच्चा देने के पश्चात् वध्या हुई गाय को सूत-वसा कहा गया है। इसी प्रकार विभिन्न आयु के वछडों के लिये भी पृथक्-पृथक् नाम मिलते हैं। गायें दिन में प्रायः तीन बार दुही जाती थी।^८

१ अथर्ववेद ४ २२. २

२ राजा जनक द्वारा याज्ञवल्य की गोप्राप्ति की कथा प्रसिद्ध है। वृहदा-रण्यक उप० ३ ६ १, ८ १।

३ कठोपनिषद १ १ २

४ तै० ब्रा० ३ १ २ १२ में पूर्वन को पशुप कहा गया है।

५ ऋ० १ २० ८

६ मै० स० ४ २ ६, कक्तिकण्यं, दावकण्यं, छिद्रकण्यं, आदि

७. अष्टाव्यायी ६ ३. ११५

८. तै० स० ७. ५. ३ १ प्रातर्दोह, सगव और सायदोह।

वैदिक आर्यों के लिये गाय का अपने बच्चों के लिए रम्भाना इतना परिचित और सुखद था कि वे देवताओं को बुलाने के लिये अपने शोभन गानों की तुलना इससे करने में तनिक भी नहीं सकुचाते थे।^१

गाय-बैल के अतिरिक्त अनेक पशुओं का उल्लेख हुआ है जिनमें घोड़ा, भैस, भैंड और बकरी महत्वपूर्ण हैं। अथर्ववेद में हाथी का भी उल्लेख हुआ है। ऋग्वेदिक आर्यों का परिचय इस पशु से नहीं था। सम्भवत हाथी पालने की कला आर्यों ने गगा की धाटी में इन्हें बाले निषादों से सीखा। मिरजापुर की पहाड़ियों से प्राप्त प्रागतिहासिक चिन्हों में हम हाथी फँसाते हुए मनुष्यों का चित्र पाते हैं। इससे इस सम्भावना की पुष्टि होती है। ऐतरेय ब्राह्मण (४ ६) से ज्ञात होता है कि यदा कदा गदहो का उपयोग भी गाढ़ी खींचने के लिये होता था। अथर्ववेद में कोटगाढ़ी का भी उल्लेख हुआ है।^२ घोड़ा तो अपनी शक्ति और गति के लिये प्रसिद्ध ही था। वह आर्य सस्कृति के प्रसार का अग्रदूत था। घोड़े का उपयोग यदा-कदा गाढ़ी (अनस) के लिये भी होता था^३ किन्तु अधिकाशत वे रथ में ही जोते जाते थे।^४ घुड़सवारी भी अज्ञात नहीं थी।^५

सिन्धु नद के तटवर्ती प्रदेशों में घोड़े विशेष रूप से पाये जाते थे।^६ इसीलिये वाद में 'सैन्धव' शब्द घोड़े का पर्यायिकाची बन गया। ऋग्वेद में कई स्थानों पर सिन्धु और सरस्वती को 'वाजिनीवती' कहा गया है।^७ इससे प्रतीत होता है कि इन प्रदेशों में घोड़ों की बहुलता थी।

यद्यपि कृषि एवं पशुपालन वैदिक आर्यों के प्रधान उद्दम थे तथापि विभिन्न उद्दोग और व्यवसाय भी समुचित रूप से विकसित हो गये थे।

इन व्यवसायों का सगठन आर्थिक एवं सामाजिक विविध शिल्प एवं व्यवसाय दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। एक और तो ये

व्यवसायी विभिन्न उपकरणों के निर्माण हारा भौतिक जीवन को समृद्ध बना रहे थे, दूसरी ओर आर्थिक विभाजन

१ शृङ् ६ १२ २

२ अथर्ववेद २० १३७ २

३. वैदिक इन्डेक्स १ ४२

४ वैदिक इन्डेक्स १ ४२

५ शृङ् ५, ६१ १-२, वाज ० स० ३० १३, त० वा० ३ ४ ७ १

६ वृहदारण्यक उपनिषद ६ २ १३, शास्त्रायन आरण्यक ६ ७

७ शृङ् १० ७५ ८, १ ३ १०, २ ४१ १८, ६ ६१ ६-४ आदि।

और व्यवसायिक विभिन्नता के आधार पर वे पृथक् पृथक् सामाजिक वर्गों का स्वरूप धारण करने लगे थे परिणामतः उत्तर वैदिक युग में वैश्य वर्ण के अन्तर्गत आन्तरिक विभाजन और विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। आर्योंतर शिल्पियों के वैदिक समाज में प्रवेश के कारण अनेक शिल्पी, जिनका स्थान समाज में पहले आदरणीय था शूद्र वर्ण के अन्तर्गत परिणित हुए। क्रमशः व्यवसायों और शिल्पों के आधार पर अनेक जातियों का उदय हुआ। पूर्व वैदिक युग में ही अनेक व्यवसाय और उद्योग अस्तित्व में आ चुके थे।^१ किन्तु उन्हें धारण करने वाले लोग समान रूप से विश्व के अन्तर्गत थे। उनका कोई पृथक् आर्थिक सगठन नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर वैदिक युग में जब ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने अपने को प्रबोश निपिद्ध वर्गों के रूप में सगठित किया तब वैश्यों पर भी इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। वैश्य वर्ग के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों के लोग थे अतः उनका सामूहिक सगठन सम्भव नहीं था। ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यवसायों और शिल्पों को धारण करने वाले लोग पृथक् पृथक् आर्थिक इकाई के रूप में सगठित होने लगे। ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठी शब्द का उल्लेख है^२ जो किसी व्यावसायिक संघ का प्रधान प्रतीत होता है। वाजसनेयी सहिता में उल्लिखित गण और गणपति शब्द भी व्यावसायिक संघों के सघटन का सकेत करते हैं।^३ यद्यपि उत्तर वैदिक साहित्य से इन गणों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त होता तथापि परवर्ती साहित्य से उपलब्ध साक्ष्यों के प्रकाश में ऐसा प्रतीत होता है कि समान व्यवसायों के अनुसरणकर्ता प्राय एक संघ के अन्तर्गत सगठित होते थे। ये संघ व्यापारिक कार्यों को देख-रेख तथा व्यवसायियों के हितों को सरक्षा करते थे।

परवर्ती सहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक शिल्पियों का उल्लेख हुआ है। पाणिनि के सूत्रों में भी प्रामो से सम्बन्धित शिल्पजीवियों का उल्लेख मिलता है।^४ नागरिक जीवन के पूर्ण विकसित न होने के कारण

१. कृ० १०, १४२, ४, १, ६१, ४, ७, ३२ २०, ६, ११२ १, १०, ११६, ५, १०, ७२, २

२. ऐत० ब्रा० ३, ३०, ३

३. वाज० सा० २३ १६ १

४. अष्टाव्यायी ६, २ ६२

विभिन्न उद्योगों के अनुसरणकर्ता प्राय गांवों में रहते थे तथा गाव को आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई बनाने में योग देते थे। उत्तर-वैदिक साहित्य में रथकार, कर्मार, तक्ष, सातृ, कुलाल, ईषुकृत, घवकृत, मृगयु, रज्जु सर्ग, जयाकार, वप, मणिकार, सुराकार, विदलकार, कटककार आदि विभिन्न व्यवसायियों का उल्लेख अनेकश हुआ है।^१ उद्योगों एवं व्यवसायों की इस विविधता से समुच्चित आर्थिक जीवन का सकेत मिलता है।

उपर्युक्त व्यवसायों तथा उद्योगों में कुछ तो निश्चय ही बढ़े महत्वपूर्ण थे। उदाहरण के लिये बढ़ि रथकार लोहार आमीण अर्थ व्यवस्था के आधार स्तम्भ थे। बढ़ि लकड़ी की सहायता से कृषि कर्म के लिए विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता था। साथ ही वह घरेलू उपयोग की वस्तुओं को बनाता था। कुलिश अथवा परशु उसका प्रमुख श्रोजार था।^२ व्यवसाय की महत्ता के बारण उनकी सामाजिक स्थिति भी समादृत थी। रथकार का उल्लेख शृक्सहिता में तो नहीं हुआ है किन्तु उत्तरवैदिक युग तक अत्यन्त प्रभावशाली हो चुका था। पूर्व-वैदिक युग में सम्भवतः रथ बनाने का कार्य तक्षन ही करता था किन्तु परवर्ती युग में उसके कार्य-क्षेत्र का विस्तार होने लगा। परिणामतः रथ-निर्माताओं का एक नया व्यावसायिक वर्ग अस्तित्व में आया।^३ यह नवोदित आर्थिक वर्ग तक्षन समाज से ही निकला होगा। रथकार का व्यवसाय इतना महत्वपूर्ण था कि वह राजकीय सम्मान का विषय समझा जाता था।^४ रथकार के लिए अग्निहोत्र की व्यवस्था भी थी।^५ युद्ध एवं प्रसार की स्थिति में रथकार के व्यवसाय का

१ अथर्ववेद ३ ५ ६७, तै० स० ४, ५ ४ २, वान० स० १६ २६-२८ का० स० १७ १३, तै० ब्रा० ३ ४ १

२. क्र० ३ २ १, का० स० १२, १०

३ स्ट्रुगर्ट पिगट महोदय ने रथ के विभिन्न अगों के लिए प्रयुक्त वैदिक शब्दावली के आधार पर वैदिक रथ के आकार प्रकार का काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया है, किन्तु पुरातात्त्वक प्रमाणों तथा विस्तृत साहित्यिक सकेतों के अभाव में पिगट द्वारा कल्पित वैदिक रथ का स्वरूप असनिदध नहीं माना जा सकता है। वैदिक रथ के निर्माण पद्धति के विषय में द्रष्टव्य—प्रि-हिस्टोरिक इण्डिया, पृ० २८०

४ मै० स० २ ६ ४, ४ ३ ८

५ तै० ब्रा० १ १, ४

आदरणीय होना सर्वथा स्वाभाविक था। कर्मार (स्मिथ) के लिये भी उत्तर-वैदिक साहित्य में सम्मान सूचक मन्त्र उपलब्ध होते हैं। अथर्ववेद में उन्हें मनीषी शिल्पकारों में स्थान दिया गया है।^१ वह नित्य उपयोग के लिये धातु के वर्तन तथा सोमरस पीने के लिए धातु के प्याले बनाता था। स्वर्णाभूपणों के बनाने वाले को हिरण्यकार कहा गया है।^२ ये लोग स्वर्ण से निष्क, कर्णशोभन आदि विविध आभूपण बनाते थे। सम्भवतः समृद्ध लोगों के लिये स्वर्ण चषक भी बनाये जाते थे।^३

वस्त्रो की सार्वजनिक उपयोगिता के कारण बुनकर का व्यवसाय भी विशेष महत्वपूर्ण था। इस व्यवसाय से वैदिक समाज पूर्णतः सुपरिचित था। बुनकर को वाय कहा गया है। शृक्सहिता में प्रयुक्त वायोवाय शब्द से जान पड़ता है कि उस समय धोती बुननेवालों तथा अन्य वस्त्र जैसे चादर, डुपट्टा, कम्बल आदि बुननेवालों में भेद माना जाता था। इस व्यवसाय से सम्बद्ध सन्तु (ताना) औरु (वाना) वेमन (करधा) आदि पारिभाषिक शब्दों से वस्त्र निर्माण की विधि पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इस प्रसग में यह उल्लेखनीय है कि हस्तिनापुर के उत्खनन से चित्रित भूरे-भूतपात्रवाले स्तरों से सुई जैसा नुकीली उपकरण भी प्राप्त हुआ है^४ जिसका उपयोग सम्भवत कपड़ा सीने के लिये होता था।^५ यह बात विस्मयजनक है कि उत्तर-वैदिक साहित्य में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है किन्तु ऊर्णा शब्द का प्रयोग अनेकश हुआ है।^६ इससे प्रतीत होता है कि ऊनी कपड़ों का विशेष उपयोग होता था। सिन्ध और पजाव विशेष रूप से ऊनी वस्त्रों के केन्द्र थे। ऋग्वेद (१० ७५.८) में सिन्धु नदी को सुदासा और ऊर्णविती का गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद (११२६.७) में गंधार के भेड़ों से उत्पन्न उत्तम ऊन का उल्लेख है। ऋग्वेद में भेड़ों को ऊर्णविती विशेषण दिया गया है।^७ वास्तव में ऊन के कारण ही उनकी महत्ती उपयोगिता थी। अथर्ववेद में शण का उल्लेख हुआ

१ अथर्ववेद ३ ५-६

२ वाज० स० ३० १७, तै० न्ना० ३ ४ १४ १

३ तै०स० ५ ७ १ ३, तै० न्ना० १. ३. ३ ७, शत० न्ना० ५ १ २ १९।

४ ऐन्ड्येन्ट इरिड्या, न० १०-११, पृ० १४।

५ शत० न्ना० १२ ५ १ १३, वाज० स० १३ ५०, पचविंश न्ना० १३ ११. १०

६ ऋ०८ ५६ ३।

है।^१ इससे बाज्ञा, आच्छादन, बोरे और चटाहयां आदि बनती थीं। घनवान लोग प्रायः रेशमी बख्लों का उपयोग करते थे। अनेक स्थानों पर क्षोप और ताप्यं का उल्लेख हुआ है।^२ ये बख्न बड़े ही मूल्यवान माने जाते थे। जिन कपड़ों पर कढाई का काम होता था उन्हें पेशश् कहते थे। पेशश् का उपयोग अधिकाशत छिर्या शृगार के लिए करती थीं। उत्सवों में सम्मिलित होनेवाली घघुएँ पति-प्राति की कामना से सुन्दर पेशश् धारण करती थीं।

सूत कानने कपड़ा बुनने तथा ऊन पर कढाई आदि करने का काम विशेषत स्त्रियों का प्रतीत होता है। शतपथ ब्राह्मण में ऊन से सूत बनाने का कार्य स्त्रियों का विशेष कर्म भाना गया है।^३ पचांश ब्राह्मण (१८६) में चमित्री शब्द मिलता है जिसका आशय वस्त्र बननेवाली स्त्री से है। वाजसनेयी सहिता (३०६) में प्रमुक्त पेशश् कारी शब्द इस वात को प्रभागित करता है कि वस्त्रों को कढाई आदि के द्वारा अलकृत करने का कार्य भी प्राय स्त्रियों ही करती थीं।

लोकोपयोगी व्यवसायों में कुलाल का व्यवसाय बड़ा ही महत्वपूर्ण था। उत्तर-वैदिक साहित्य में अनेक स्थलों पर कुलाल का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में कुलाल-चक्र के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि मिट्टी के घडे, प्यासे, तश्चरिया आदि चाक के ऊपर ही बनते थे।^४ हस्तिनापुर, अहिच्छक्ष आदि प्रभृति स्थानों से भी मृत्पात्रों के जो टूकड़े मिले हैं वे अधिकाशत चाक पर बने हुये हैं यद्यपि हस्तनिर्मित मृत्पात्र भी अज्ञात नहीं हैं।^५

इन व्यवसायों के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसे व्यवसाय भी थे जो आर्थिक एवं सामाजिक दोनों दृष्टियों से हीन कहे जा सकते हैं। निश्चय ही इन व्यवसायों का अनुसरण निवंत और साधन-विहीन लोग करते रहे होंगे। ऐसे व्यवसायियों में करटकीकारी, विदलकारी, कैवत, गोविकतंन, वाश, धेवर, पाशिन, पुजिष्ठ, आदि प्रमुख थे। इन व्यवसायों से स्पष्ट होता है कि समाज में कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। आर्थिक रूप से हीन तथा धृणित वृत्ति के प्रचलन का कारण असम्य एवं अर्धबर्वंर

^१ अथर्ववेद २४५।

^२ मै० त० ३६७, अथर्ववेद १८४३१, शत० ब्रा० ५३५२०।

^३ एतदा एतत्स्त्रीणा कर्म यदूणस्त्रम्।

^४ शत० ब्रा० ६८१

^५ एन्डरेन्ट इण्डिया, न० १०-११, पृ० ११-१३।

अनायं जातियो का वैदिक समाज मे प्रवेश भी था। द्विजातियो से इन्हें पृथक् करने का जो प्रयास उत्तर-वैदिक युग से ही दिलाई देता है उसके पीछे एक प्रवल कारण इनका हीन सास्कृतिक स्तर भी था।

उत्तर-वैदिक युग तक अनेक धातुओं का आविष्कार हो चुका था। उपयोगी धातुओं मे अयस का उल्लेख वार-वार हुआ है किन्तु इसका अर्थ

बढ़ा ही सदिग्द है। 'वैदिक इण्डेन्स' के लेखक धातु-विज्ञान और लौह अयस का अर्थ लोहा मानते हैं किन्तु पुरातात्त्विक युग मे प्रवेश साथ से शूख्वैदिक आयों का लोहे से परिचय भी

तक असिद्ध है। हस्तिनापुर के उत्तरनन से भी ताम्रनिर्मित तीर-फलक ही प्राप्त हुये हैं। अत ऋग्वेद मे उल्लिखित अयस निर्मित तीर फलको को ताम्र-निर्मित मानना ही अधिक संयुक्त होगा। शूख्वैद मे अयस के लिए प्रयुक्त विशेषणों से इस वात का सकेत मिलता है कि यह ताम्र था, जैसा कि अग्नि के विशेषण 'अयो द्रष्टु' से स्पष्ट है।^१ वस्तुत ऋग्वेद मे अयस शब्द का प्रयोग सामान्यत सभी धातुओं के लिए हुआ प्रशीत होता है। क्योंकि इस सहिता मे विभिन्न धातुओं के लिए पृथक् नाम नहीं मिलते। यह ताम्र के साथ साथ सम्मिलित कास्य के लिए भी प्रयुक्त होता था।^२ उत्तर-वैदिक काल मे सर्वप्रथम प्रत्येक धातु को पृथक् नाम प्रदान किया गया। ताम्र को अन्य धातुओं से पृथक् करने के लिए 'लोहायस' कहा गया। अथवा वेद तथा अन्य सहिताओं मे वहूधा दो प्रकार के अयस का उल्लेख हुआ है—श्याम और लोहित।^३ शतपथ ब्राह्मण मे अयस और लोहायस को अलग-अलग धातु बताया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है लोहायस शब्द का प्रयोग ताम्र के अर्थ मे हुआ है किन्तु श्याम, जिसका प्रथम बार उल्लेख अथवाविद मे मिलता है, निश्चित रूप से लोहा (आइरन) प्रतीत होता है। उत्तरवैदिक युग तक लोहे से आयों का पूर्ण परिचय ही चुका था जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र मे प्रगति का मार्ग

१ ऋग्वेद १.८८.५, १०.८७.२।

२ ऋग्वेद मे दास-दस्यु लोगो के 'श्यायसी पुरो' का उल्लेख हुआ है। यदि ये श्यायसी पुर ऐन्यव सम्यता के निर्माताओं के हैं जैसा कि अनेक विद्वानो ने माना है तो निश्चय ही इन प्रस्तग मे अयस को कांस्य पा पर्मायवाची मानना चाहिए।

३ अथवा वेद ६.५.४, मैत्रायणी गंहिता ४.२९

प्रशस्त हुआ । पुरातात्त्विक साक्ष्य से भी यह प्रतीत होता है कि लोहे से वैदिक आर्यों का पूर्ण परिचय उत्तर-वैदिक युग में ही हुआ । इस प्रसग में यह उल्लेखनीय है कि हस्तिनापुर के उत्तरनन्द में चित्रित-भरे-मृत्युन्न घाले स्तर के ऊपरी हिस्से में ही लोहे के बने शङ्ख उपलब्ध हुये हैं ।^१ तबि और लोहे के अतिरिक्त सोना, चांदी ब्रह्म (टिन) और शीशा इस युग के अन्य उपयोगी घातु थे ।^२ सोने और चांदी का उपयोग विभिन्न प्रकार के आभूषणों के निर्माणार्थ होने लगा था तथा आधिक दृष्टि से इन घातुओं को विशेष मूल्यवान समझा जाने लगा था । स्थान स्थान पर दान और दक्षिणा में निष्क एवं शतमान देने का उल्लेख मिलता है ।

निष्क, शतमान, सुवर्ण और पाद प्रभृति घातुखण्डों का उल्लेख परवर्ती सहिताओ, ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में अनेकत्र ऐसे प्रसगों में हुआ है जिनसे यह प्रतीत होता है कि इन घातुखण्डों का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा था । यद्यपि तात्रनिमित्तमुद्राओं का उल्लेख सर्वथा अनुपलब्ध है तथा रजत-निष्कका उल्लेख पचांश ब्राह्मण में केवल ब्रात्यों के प्रसग में हुआ है^३ तथापि स्वर्ण-पिंडों का दान दक्षिणा के प्रसग में बाँर-बार उल्लेख हुआ है । आधिकाशत निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के अर्थ में हुआ है^४ किन्तु अनेक प्रसगों में निष्क का ग्रथं निश्चित रूप से मुद्रा प्रतीत होता है ।^५ शतमान जो गोलाकार होता था राजसूय के अवसर पर रथ के पहिये में वाधा जाता था तथा तत्पञ्चांश पुरोहित को दक्षिणा-स्वरूप दे दिया जाता था । शतमान का उल्लेख अन्यत्र भी दक्षिणा के रूप में हुआ है ।^६ इसका उल्लेख सुवर्ण के साथ हुए है तथा इसे हिरण्य भी कहा गया है । सम्भव है शतमान एक निश्चित तौल का (सम्भवत् १०० कृष्णल का) एक घातुखण्ड रहा हो तथा विनिमय के साधन के रूप में निष्क के साथ इसका

१ ऐन्डियन इण्डिया, न० १०-११, पृ० ८५

२ पुरातात्त्विक साक्ष्य के लिए द्रष्टव्य—ऐन्डियन इण्डिया, न० १०-११, पृ० १३

३ पंच० ब्रा १७ ११४

४ निष्क ग्रीव, क्र० ५ १६ ३, निष्क कण्ठ, ऐत० ब्रा० ८ २२ ।

५ क्र० १ १२६ २, शत० ब्रा० १० ४ ११, गोपय० ब्रा० १ ३ ६ ।

६ शत० ब्रा० १३ ४ २ १०, रजत हिरण्य हक्षिणा नाना रूपत्या शतमान भवति शताय॑व॒प्ररूप ।

भी उपयोग होता रहा हो। निष्क और शतमान का दक्षिणा और दान की वस्तु के रूप में उल्लेख निश्चित रूप से इनके आर्थिक हृष्टि से भूत्यवान होने का सकेत करता है। काठक सहिता में हिररण्य कृष्णल का उल्लेख हुआ है^१ जो गुजा के तौल का धातुखड प्रतीत होता है। वृहदारण्यक उपनिषद में यह कहा गया है कि विदेह राज जनक ने घपनी सभा में एक दार्शनिक-विवाद में भाग लेने वाले विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान को एक सहस्र गायों को पुरस्कार में देने की व्यवस्था की थी जिनमें प्रत्येक की सीमा में दस पाद वैधे हुये थे। इस प्रसंग में पाद सिक्का प्रतीत होता है। पाद सम्मवत निष्क, सुवर्ण अथवा शतमान का चौथाई भाग था।^२ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित इन धातुखण्डों के नमूने अभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं किन्तु यह सुविदित है कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक मुद्रा का उपयोग प्रचुर मात्रा में होने लगा था। ऐसी स्थिति में मुद्रा-निर्माण के विकास का इतिहास निश्चित रूप से उत्तर वैदिक युग में प्रारम्भ होना चाहिये। इतना अवश्य है कि उत्तरवैदिक युग में अधिकाशत गायें ही विनिमय का साधन थीं^३ तथा निष्क सुवर्ण, शतमान और पाद जैसे धातुखण्ड न तो राजन द्वारा नियन्त्रित ये और न चिन्हित।^४ ऐसी स्थिति में इन्हें आबुनिक अथं में सिक्का मानना तो कठिन होगा किन्तु मुद्रा-निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था को दृष्टि में रखते हुए इन्हें 'पञ्च मार्कंड' सिक्कों का पूर्ववर्ती अविकसित रूप माना जा सकता है।

- जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, वैदिक आयों की आर्थिक व्यवस्था ग्रामीण थी। कृषि-कर्म और पशुपालन ही उनके प्रमुख व्यवसाय थे। व्यापार तथा वाणिज्य का विकास अभी शैशवा-व्यापार एवं वाणिज्य वस्था में था। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में सुदूरवर्ती प्रदेशों को जाने वाले सार्थकाहों का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। पूर्व वैदिक युग से ही आयों को साक्षात् अथवा परम्परा से

१ काठक० म० ११ ४।

२ ग्राहण साहित्य में पाद भव के चौथाई भाग को कहा गया है। ऐत० ग्रा० ४४, कौपीतकि ग्राहण २६ ५, निश्क० ७ ९।

३ ऐत० ग्रा० ५ २२ ९, ७ ३३ ६, दृ० ३७ ७ इत्यादि।

४ द्रष्टव्य, जै० एन० एस० ग्राई०, न० १५,

समुद्र का ज्ञान हो चुका था।^१ यज्ञ-तत्र समुद्र-यात्रा तथा 'नाव समुद्रियः' का भी उल्लेख हुआ है। कुछ विद्वान् यहाँ तक मानते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों कुशल नाविक थे तथा विदेशों से सामुद्रिक व्यापार भी करते थे।^२ किन्तु पूर्ववैदिक आर्यों का भौतिक दृष्टि से अविकसित एवं अटनशील जीवन व्यापारिक समृद्धि के लिये विशेष अनुकूल नहीं था। ऐसी स्थिति में व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियाँ भी सीमित थी। वैदिक सामृद्धि की पूर्ववैतिनी सैन्धव-सम्यता के प्रन्तर्गत सामुद्रिक व्यापार समृद्धता था। आर्य ऋषियों ने यहाँ के व्यापारियों को सम्भवत 'पणि' नाम से अभिहित किया है। पणियों का घन आर्यों के आकर्षण का बहुत बड़ा केन्द्र था।^३ ऋग्वेद में इन पणियों को ऐवर्यंयुक्त^४ कृपण तथा दासों से सम्बद्ध वतलाया गया है जिनसे उनके अनार्यत्व का बोध होता है। आर्यों के आकर्षण के परिणामस्वरूप सिन्धु-प्रदेश की समृद्धता नागरिक सम्यता घराणार्यों हो गई और सैन्धव नगरों के पतन के पश्चात् विदेशी व्यापार का मार्ग स्वभावत अवरुद्ध हो गया। उत्तर-वैदिक युग में, जब आर्यों तथा आर्योंतरजनों के बीच हुए सामाजिक एवं सामृद्धिक सामजस्य के परिणामस्वरूप नवीन सामाजिक व्यवस्था उद्भूत हुई तथा राजसत्ता के विकास के साथ-साथ शान्ति और सुरक्षा स्थिर हुई, पुन साक्षर नागरिक जीवन का अभ्युत्थान प्रारम्भ हुआ तथा सैन्धव सम्यता का भौतिक पक्ष भी पुनर्वज्जीवित होने लगा। बहुत सम्भव है कि उत्तर-वैदिक युग के मिथित समाज में आर्योंतर जनों द्वारा व्यापार और वाणिज्य को विशेष प्रोत्साहन मिला हो। विशेषत सैन्धव जनों की प्रतिभा वशानुगत एवं परम्परागत रूप से अवश्य जीवित रही होगी। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि वाणिज, वाणिज, वाणिज्या आदि शब्दों की व्युत्पत्ति भी उसी मूल से हुई है जिससे 'पणि' शब्द की। इससे आर्योंतर जनों का व्यापार और वाणिज्य से गहरा सम्बन्ध ज्ञोतित होता है।

उत्तर वैदिक साहित्य में 'वाणिज्या' के सम्बन्ध में कई स्थान पर संकेत मिलते हैं। अथवावेद में एक स्थान पर दूर्ण (वस्त्र) पवस्त (चादर) और अजि

१. ऋ० १ १७ ७, १ १६३ ३, ३ ३६ ७, ७ ६ ७, १ ११२ ६

२. वैदिक एज, पृ० २४५ पर उद्भूत वेवर का मत।

३. ऋ० ६ १३ ३, ६ ५३ ३, १ ६४ ४

४. ऋ० १०३३.२

(चर्म) खरीदने का उल्लेख मिलता है ।^१ इसी ग्रन्थ से यह भी ज्ञात होता है कि व्यापारी लोग विभिन्न वस्तुओं को लेकर हथर-उघर घूमा करते थे । कभी वे इन वस्तुओं का विनिमय करते थे और कभी वित्रय । समय समय पर उन्हे हिसक पशुओं एवं डाकुओं का भी सामना करना पड़ता था । अथर्ववेद (३ १५) से ज्ञात होता है कि वस्तुओं को खरीदने और बेचने में खूब मोल-भाव होता था । आन्तरिक व्यापार प्राय स्थल मार्ग से होता था । आवागमन की सुविधा के लिये कुछ सड़कें भी थी ।^२ अथर्ववेद (१६. २०. १) में ब्रात्यों के प्रसग में विषय का जो उल्लेख हुआ है उससे सामान्यतः यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ सुपथ भी अवश्य रहे होंगे । व्यापारिक वस्तुओं को ढोने का काम अधिकाशत पशुओं से लिया जाता था । ऐसे पशुओं में बैल, घोड़े, ऊंट, गदहे और भैंस मुख्य थे । शतपथ ब्राह्मण में व्याज पर धन देने वाले 'कुसीदिन' का भी उल्लेख हुआ है ।^३

उत्तर-वैदिक साहित्य में यन्त्र-तत्र समुद्र-यात्रा तथा विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध के भी संकेत मिलते हैं । प्रकृत्या कर्मकाण्ड प्रधान होने के कारण यजुर्वेद तथा ब्राह्मण साहित्य में इस विषय पर विशेष सामग्री अनुपलब्ध है किन्तु अथर्ववेद में अनेक मन्त्र एवं विशिष्ट शब्द विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध की पुष्टि करते हैं । अथर्ववेद में मोती पैदा करने वाले शाय का उल्लेख है^४ जो समुद्र से लाये जाते थे । वाजसनेयी सहिता में समुद्री यात्राओं के लिए उपयोगी सी ढाढ़ी वाले बड़े जलपोत का भी उल्लेख मिलता है ।^५ उपयुक्त उद्धरणों से उत्तर-वैदिक युग में सामुद्रिक व्यापार की पुष्टि होती है । साथ ही अथर्ववेद के कुछ विचित्र शब्दों, यहूदी घर्म ग्रन्थों, बोगजकुई अभिलेख तथा अन्य असीरियन अभिलेखों के साक्ष्य से उत्तर-

१ अथर्ववेद ४ ७ ६

२ द्वष्टव्य-परि-रथ्य, वलूमफौल्ड, हिम्स आफ दि प्रथर्वंयेद, पृ० ५८७, इस प्रमग में अथर्ववेद में उल्लिखित 'पश्यकृत' भी उल्लेखनीय है ।
द्वष्टव्य—अथर्ववेद १८ २ ५३, ३. २५ इत्यादि ।

३. यात० ब्रा० १३ ४ ३ ११

४ अथर्ववेद ४. १००. १-३

५ वाज० स० ३१ ७, शतारित्र नौ ।

वैदिक युगीन भारत तथा पश्चिमी एशिया के राज्यों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध सूचित होता है। आर्यों के आक्रमण और संन्धि सम्झूलि के विच्छास से उत्पन्न उथल पुथल के कारण पुरा-ऐतिहासिक भारत एवं पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक सम्बन्धों में शिथिलता आ गयी थी किन्तु उत्तर-वैदिक युग तक ये सम्बन्ध पुन स्थापित हुये। वाह्यविल में उल्लिखित घोफिर (आभोर १) कर्वंस (कपास) और कोफ (कपि) एवं अधुरव-निपाल (लगभग ७ वर्ष शताब्दी ५० पूर्व) के अभिलेखों में कपड़े के लिये प्रयुक्त सिन्धु शब्द इस प्रसंग में उदाहरणीय हैं। एशिया माझनर के बोगज-कुद्दे के अभिलेख (लगभग १४०० ई० पूर्व) में मित्र, नासत्य वरण प्रभूति वैदिक देवताओं का उल्लेख हुआ है। एशिया माझनर जैसे मुद्ररस्य प्रदेशों के निवासियों का वैदिक देवताओं से परिचय निश्चित रूप से इस बात को सूचित करता है कि उत्तर वैदिक युग में भारत का पश्चिमी एशिया से पर्याप्त सास्कृतिक सम्बन्ध था। यह सम्बन्ध व्यापारिक सम्पर्क के कारण ही उत्पन्न हुआ होगा। भारतीय साहित्य में भी भारतीय व्यापारियों के पश्चिमी देशों की ओर जाने का वर्णन मिलता है। एक जातक कथा में, जो मूलत उत्तर-वैदिक कालीन हो सकती है वरेह राज्य (वैवीलोन) की यात्रा का उल्लेख है। अथर्ववेद में तैमात, उरुगूल, आलगी, विलिमी आदि अनेक ऐसे शब्द आये हैं जो विदेशी प्रतीत होते हैं। ग्रीकिथ हिटनी तथा ब्लूमफील्ड जैसे विदानों ने इन शब्दों को अस्थष्ट बतलाया है किन्तु वालगगाघर तिलक इन्हें वैवीलोन की अवकादी भाषा से आया हुआ मानते हैं। इनमें तैमात तो निश्चयत वैवीलोनियन 'तियामत' प्रतीत होता है। उरुगूल शब्द का प्रयोग भी तिलक के अनुसार अवकादी भाषा में पाताल के अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार वैदिक शब्द अप्सु का सम्बन्ध अवकादी शब्द 'अव्लु' से जोड़ा जा सकता है। श्री तिलक का तो यहाँ तक कहना है कि 'उरुकम', 'उरुगाय', 'उर्वशी' तथा 'अप्सुजित' जैसे सभी शब्द अवकादी शब्दों से व्युत्पन्न हुये हो गे। भारतवासियों का सम्भवत वैवीलोनियन ज्ञान विज्ञान से भी परिचय था। डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी का विश्वास है कि भारत में भार की इकाई के लिए प्रयुक्त होने वाला 'मन' शब्द 'मीना' ने निकला है। इन तथ्यों के प्रकाश में तथा छठी शताब्दी ५० पूर्व में भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य की समुन्नत दशा तथा नागरिक जीवन के विकास को दृष्टिगत करते हुए उत्तर-वैदिक युग में भारत और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक सम्बन्ध सर्वाया सम्भव प्रतीत होता है।

(चर्म) खरीदने का उल्लेख मिलता है ।^१ इसी ग्रन्थ से यह भी ज्ञात होता है कि व्यापारी लोग विभिन्न वस्तुओं को लेकर इधर-उधर धूमा करते थे । कभी वे इन वस्तुओं का विनियम करते थे और कभी विनय । समय समय पर उन्हे हिंसक पशुओं एव डाकुओं का भी सामना करना पड़ता था । अथर्ववेद (३ १५) से ज्ञात होता है कि वस्तुओं को खरीदने और बेचने में खूब मोल-भाव होता था । आन्तरिक व्यापार प्राय स्थल मार्ग से होता था । आवागमन की सुविधा के लिये कुछ सड़कें भी थीं ।^२ अथर्ववेद (१६ २० १) मे व्रात्यों के प्रसग मे विषय का जो उल्लेख हुआ है उससे सामान्यतः यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ सुपथ भी अवश्य रहे होगे । व्यापारिक वस्तुओं को ढोने का काम अधिकाशत पशुओं से लिया जाता था । ऐसे पशुओं मे बैल, घोड़े, ऊंट, गदहे और भैंस मुख्य थे । शतपथ ब्राह्मण में व्याज पर धन देने वाले 'कुसीदिन' का भी उल्लेख हुआ है ।^३

उत्तर-वैदिक साहित्य मे यत्र-तत्र समुद्र-यात्रा तथा विदेशो से व्यापारिक सम्बन्ध के भी सकेत मिलते हैं । प्रकृत्या कर्मकाण्ड प्रधान हीने के कारण यजुर्वेद तथा ब्राह्मण साहित्य में इस विषय पर विशेष सामग्री अनुपलब्ध है किन्तु अथर्ववेद मे अनेक मन्त्र एव विशिष्ट शब्द विदेशो से व्यापारिक सम्बन्ध की पुष्टि करते हैं । अथर्ववेद मे मोती पैदा करने वाले शख का उल्लेख है ' जो समुद्र से लाये जाते थे । वाजसनेयी सहिता मे समुद्री यात्राओं के लिए उपयोगी सौ डाढ़ों वाले बडे जलपोत का भी उल्लेख मिलता है ।^४ उपर्युक्त उद्धरणों से उत्तर-वैदिक युग मे सामुद्रिक व्यापार की पुष्टि होती है । साथ ही अथर्ववेद के कुछ विचित्र शब्दों, यहूदी घर्म ग्रन्थों, वोगजकुई अभिलेख तथा अन्य असीरियन अभिलेखों के साक्ष्य से उत्तर-

१ अथर्ववेद ४ ७ ६

२ ब्रह्मव्य-परि-रथ्य, बलूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, पृ० ५८७, इस प्रसंग में अथर्ववेद में उल्लिखित 'पयिकृत' भी उल्लेखनीय है ।
द्रष्टव्य—अथर्ववेद १८ २. ५३, ३ २५ इत्यादि ।

३ शत० ब्रा० १३ ४ ३ ११

४ अथर्ववेद ४ १०० १-३

५ वाज० स० ३१ ७, शतारित्र नौ ।

वैदिक युगीन भारत तथा पश्चिमी एशिया के राज्यों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध सूचित होता है। आयों के आक्रमण और सैन्यव सस्तुति के विघ्नस से उत्पन्न उथल पुथल के कारण पुरा-ऐतिहासिक भारत एवं पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक सम्बन्धों में शिथिलता आ गयी थी किन्तु उत्तर-वैदिक युग तक ये सम्बन्ध पुनर स्थापित हुये। वाइविल में उल्लिखित घोफिर (आभीर १) कर्षस (कपास) और कोफ (कपि) एवं असुरव-निपाल (लगभग ७ वीं शताब्दी ई० पू०) के अभिलेखों में कपड़े के लिये प्रयुक्त सिन्धु शब्द इस प्रम्भग में उदाहरणीय है। एशिया माहनर के बोगज-कुई के अभिलेख (लगभग १४०० ई० पूर्व) में मित्र, नासत्य वस्त्रण प्रभृति वैदिक देवताओं का उल्लेख हुआ है। एशिया माहनर जैसे मुद्रूरस्य प्रदेशों के निवासियों का वैदिक देवताओं से परिचय निश्चित रूप से इम वात को सूचित करता है कि उत्तर वैदिक युग में भारत का पश्चिमी एशिया से पश्चित सास्कृतिक सम्बन्ध था। यह सम्बन्ध व्यापारिक सम्पर्क के कारण ही उत्पन्न हुआ होगा। भारतीय साहित्य में भी भारतीय व्यापारियों के पश्चिमी देशों की ओर जाने का वर्णन मिलता है। एक जातक कथा में, जो मूलत उत्तर-वैदिक कालीन हो सकती है वर्गेन राज्य (वैबीलोन) की यात्रा का उल्लेख है। अर्थर्गेन दे तैमात, उस्गूल, आलगी, विलिगी आदि अनेक ऐसे शब्द आये हैं जो विदेशी प्रतीत होते हैं। ग्रिफिथ ह्विटनी तथा ब्लूमफोल्ड जैसे विद्वानों ने इन शब्दों को अस्वष्ट बतलाया है किन्तु वालगगाधर तिलक इन्हें वैबीलोन की अक्कादी भाषा से आया हुआ मानते हैं। इनमें तैमात तो निश्चयत वैबीलोनियन 'तियामत' प्रतीत होता है। उस्गूल शब्द का प्रयोग भी तिलक के भनुसार अक्कादी भाषा में पाताल के अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार वैदिक शब्द अप्सु का सम्बन्ध अक्कादी शब्द 'अब्जु' से जोड़ा जा सकता है। श्री तिलक का तो यही तक कहना है कि 'उहकम', 'उहगाय', 'उवंशी' तथा 'अप्सुजित' जैसे सभी शब्द अक्कादी शब्दों से व्युत्पन्न हुये ही गे। भारतवासियों का सम्भवत वैबीलोनियन ज्ञान विज्ञान से भी परिचय था। डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी का विश्वास है कि भारत में भार की इकाई के लिए प्रयुक्त होने वाला 'मन' शब्द 'मीता' ने निकला है। इन तथ्यों के प्रकाश में तथा छठी शताब्दी ई० पू० में भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य की समुन्नत दशा तथा नागरिक जीवन के विकास को दृष्टिगत करते हुए उत्तर-वैदिक युग में भारत और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक सम्बन्ध सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है।

वैदिक आर्थों के पारिवारिक सुख-सुविधाओं पर विचार करना भी यहाँ अनुचित नहीं होगा। वैदिक ग्रन्थों में घर को सूचित करने वाले गृह, आयतन, पस्त्या, वास्तु, हर्म्य, दुरोण आदि अनेक शब्द मिलते हैं। सम्भवत ये विशिष्ट नाम घरों की विशिष्टता विविध घरेलू उपकरण को लक्ष्य करके रखे गये थे। चारों ओर से दीवारों से घिरे रहने के कारण घर आयतन तथा द्वार-गुक्त होने के कारण दुरोण कहलाता था। निवास-स्थान के अर्थ में वास्तु और पस्त्या शब्द का प्रयोग भी होता था। हर्म्य (घर्म्य) शब्द ऐसे घरों का सकेत करता है जिसमें सरलता-पूर्वक घूप घा सकती हो। वैदिक-युगीन भवन अनेक कमरों से युक्त होते थे। यज्ञ के प्रसाग में हविर्धान, अग्निशाला, पत्तीना सदन, तथा सदस इन चार शब्दों का विशेष उल्लेख मिलता है जिससे साधारण वैदिक गृहों के अनेक कक्षों में विभक्त होने की वात पुष्ट होती है। उत्तरव तथा यज्ञों में आने वाले अतिथियों के लिये भी पृथक् घर होता था जिसे आवस्थ कहते थे।^१ तैत्तिरीय आरण्यक में धनधानी नामक एक विशिष्ट प्रकार के भवन का उल्लेख है^२ जिसका उपयोग सम्भवत कौपागार के रूप में होता था। पशुओं के लिये भी अलग कमरे होते थे जिन्हें शाला कहते थे।

पुरातात्त्विक साक्ष्यों तथा वैदिक उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक युग के मकान बहुत ही माधारण और कामचलाऊ किस्म के होते थे। भवन-निर्माण के लिये वास, मिट्टी, लकड़ी, तथा कच्चे ईट प्रधान साधन थे। अथर्ववेद के दो सूक्तों में गृह-निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन वडे विस्तार के साथ किया गया है^३ किन्तु पारिभाषिक शब्दों की दुज्जेयता के कारण रेचना पद्धति का यथार्थ विवेचन अत्यन्त दुष्कर हो जाता है। तथापि इनसे वैदिक भवनों की विशेषताओं का पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है। पुरातत्त्व एवं साहित्य के मामूलिक साध्य से ज्ञात होता है कि मकानों की दीवारें अधिकाल्यत मिट्टी, कच्चे ईट अथवा सरकण्डे (रीढ़स) आदि से बनी होती थीं जिस पर मिट्टी का पलस्तर होता था।^४ यथापि पके हुए ईटों का उल्लेख स्थान

^१ अथर्ववेद ६ ६५

^२ तै० आ० १०६७

^३. अथर्ववेद ३ १२, ६ ३

^४ ऐन्स्येन्ट इण्डिया न० १०-११, पृ० ८५

स्थान पर यज्ञ-वेदी के निर्माण के प्रसंग में हुआ है किन्तु पुरातात्त्विक अवशेषों से भवन-निर्माण में पके ईटों का प्रयोग अज्ञात प्रतीत होता है।^३ मकानों की छत प्राय बास के लट्ठों और घास-फूस तथा खर की सहायता से बनाई जाती थी। पहले बास के टुकडे काट कर ढाढ़ा बनाने का काम होता था। ढाढ़े को सम्भवत अक्ष कहते थे।^४ इसके ऊपर छाजन के लिए 'पलद' तथा तृण रखे जाते थे। इसके पश्चात पूरे छाजनको रस्सियों से बाध दिया जाता था। छत को प्राय छद्मिस और छन्दस नाम से अभिहित किया गया है। अथर्ववेद (३ १२ ३) में एक मकान को वृहच्छन्दस विशेषण दिया गया है। इस प्रकार मकानों की बनावट बहुत कुछ आजकल के ग्रामीण भोपड़ों की भाँति रही होगी। हतना अवश्य है कि आज के युग में इन भोपड़ों के निर्माण का कारण दीनता है किन्तु वैदिक युग में इसका कारण निर्माण-कौशल का अभाव था। उस युग के समृद्ध लोग भी ऐसे हीवास्तु हम्र्य और आयतन में रहते थे जो अन्य भवनों की अपेक्षा कुछ विशाल, हवादार तथा अनेक कक्षों से युक्त रहे होंगे।

वैदिक साहित्य में पारिवारिक जीवन में काम आने वाले नाना प्रकार के उपयोगी उपकरणों का उल्लेख मिलता है। उनकी विविधता तथा बनावट से भी तत्कालीन भौतिक जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। सर्वप्रथम हम घरेलू उपयोग की वस्तुओं में सौने और बैठने के लिये निर्मित विभिन्न आसनोंपर विचार करेंगे। याजिक अनुष्ठानों के अवसर पर कुक्कुट के बने हुये प्रस्तर^५ 'वहिं' और 'कूचं'^६ का उपयोग किया जाता था। बैठने और लेटने के लिये चटाइया भी बनाई जाती थी। कशिपु (सेन) का निर्माण सम्भवतः

१ हस्तिनापुर के उत्तरनन से इस युग से सम्बन्धित स्तर में केवल एक खण्डित ईट प्राप्त हुई है पके ईटों से वस्ती एक भी दीवाल का अवशेष नहीं मिला। यही स्थिति रूपड के उत्तरनन से भी प्रमाणित है।

२ अथर्ववेद ८ ८ १८ (अक्षुजालाम्याम), ६ ३ १८, इस शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में बहर मतभेद है। किन्तु मकान के प्रसंग में ठाठ ही उपयुक्त प्रतीत होता है।

३ श० १०.१४४, अथर्ववेद १६ २ ६, त० स० १७७४, चाज० स० २ १८।

४ त० स० ७ ५ ८ ५, वृहद्वारण्यक २ ११ १, ऐत० श्रा० ५ १४ वैदिक इण्डेक्स के लेखकों के अनुसार यह घास का एक आसन था जो बैठने के लिये उपयोग में लाया जाता था।

वैदिक इण्डेक्स १ १७७, शत० श्रा० ७.१३.४ ३ में हिरण्यकूचं का उल्लेख है।

नरकट तथा कट (बेंत) की सहायता से होता था ।^१ राजा अपने ऐश्वर्य के सूचनार्थ अद्वमेघ में हिरण्यकशिपु (स्वर्ण आसन) पर बैठता था ।^२

ऐसा प्रतीत होता है कि समृद्धजनों के अन्त पुरों में वहुमूल्य शीघ्र्या एवं आसनों का उपयोग होता था । ऋग्वेद के एक सूक्त में तल्प, वह्य और प्रोष्ठ पर लेटी स्त्रियों का उल्लेख हुआ है । ये तीनों आसन सम्मिलित रचना और सजावट की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न थे । 'तल्प' एक कीमती पलग था जिस पर विवाह के पश्चात् वर-वधु समागमार्थ शयन करते थे । अथर्वाद के विवाह सूक्त में (१४ २.३१) वधु को प्रसन्नचित्त होकर तल्प पर आरोहण करने तथा पति के लिये प्रजा उत्पन्न करने का उपदेश दिया गया है ।^३ शतपथ ब्राह्मण में नियमत उत्पन्नपुत्र की 'ताल्प' सज्जा दी गई है इससे भी इस विचार की पुष्टि होती है ।^४ आन्दोख्य उपनिषद (५ १० ९) गुरुस्तल्पसेवी की गणना पच पातकियों में करता है ।^५ तल्प की रचना भी पवित्र उद्दम्बर वृक्ष की लकड़ी से होती थी ।^६ इन सभी वातों पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि तल्प वैवाहिक शीघ्र्या थी जिस पर पति-पत्नी शयन करते थे ।

ऋग्वेद में प्रोष्ठ-शया खिरों का उल्लेख है । प्रोष्ठ का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण (७.५५ ८) में भी हुआ है । यह काष्ठ-निर्मित बेंच प्रतीत होता है । इसके निर्माण के विषय में विशेष वर्णन का अभाव है । तल्प और प्रोष्ठ के अतिरिक्त वह्य एक सुखद आसन था । जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इसका उपयोग लोगों को (विशेषतः स्त्रियों को) एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये होता था । 'वह्य' आधुनिक पालकी और डोली का प्राचीन प्रतिनिधि जान पड़ता है । अथर्वाद के एक प्रसग से यह विदित होता है कि आन्ता नष्टएव वह्य पर चढ़ती थी ।^७ अब देख ही इसका उपयोग वधु के पति-

१. अथर्व ० ६. १३८. ५ इसका निर्माण स्त्रियां करती थीं ।

२. शत० ब्रा० १३ ४ ३ १

३. आरोह तल्प सुमनस्यमानेह प्रजा जनय पत्ये अस्मे

४. शत० ब्रा० १३ १०.६ २

५. स्तेनो हिरण्यस्य सुरा पिबश्च गुरोस्तल्पमावसन् ब्रह्महा च एते परन्ति चत्वार पञ्चमस्त्वारेत्तर्त्तरिति ।

६. त० ब्रा० १२ ६ ५

७. अथर्ववेद ४.२०.३, सा भूमिमा सरोहिष वह्य आन्ता वधूरित ।

यह गमन के समय होता रहा होगा ।^१ इस प्रकार की परम्परा आज भी भारत के ग्राम्य-जीवन में प्रचलित दिखाई देती है ।

परवर्ती सहिताओं^२ तथा ब्राह्मणों^३ में आसन्दी का भी उल्लेख है । इसका उपयोग केवल बैठने के लिये होता था । अतिथियों के आने पर उन्हें बैठने के लिये प्राय आसन्दी दी जाती थी । प्राप्त प्रसरों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि राजाओं के अभिषेक के अवसर पर उन्हें बैठने के लिये आसन्दी की व्यवस्था थी । ऐसे अवसरों पर निश्चय ही आसन्दी का प्रयोग राजसिंहासन के रूप में होता था । यह बात जनमेजय की राजधानी के नाम 'आसन्दीवन्त' से भी प्रमाणित होती है । ऐतरेयब्राह्मण (८.५,६) तथा शतपथ ब्राह्मण (५.४.४.१) में आसन्दी के अग-प्रत्यग का विस्तृत वर्णन मिलता है जिससे अलकारो से सुसज्जित इस आसन के गोरव का आभास मिलता है । शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि यह खदिर वृक्ष की लकड़ी अथवा उदुम्बर की लकड़ी से बनाया जाता था ।

१ ऋ० १० इद में सूर्या के विवाह के प्रसर में हम सूर्या को रथ में बैठकर पतिशृङ्ख को आते देखते हैं ।

२ अथर्ववेद १४.२.६५, १५.३.२, तै० स० ७.५.८.५, वाज० स० ८.५६, १६.१६

३ ऐत० ब्रा० ८.५, ६.१२, शत० ब्रा० ३.३.४.२६, ५.२.१२२, ५.४.४.१

०-चत्तर ख ।

उत्तर वैदिक युग में ही सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला वर्ण व्यवस्था का विकास भी हुआ। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, (१० ६०) जिसमें वर्ण-व्यवस्था के संदर्भान्तिक श्रोतित्य को सिद्ध करने का प्रयत्न प्रयास है, इसी युग की देन है। यह वर्णन कुछ परिवर्तन के साथ उत्तर वैदिक युग के अन्य अन्यों में भी प्राप्त होता है।^१ ह्लिटने महोदय ने अथर्ववेद (११ ६ ६) के आधार पर यह प्रमाणित किया है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की रचना भी अथर्ववैदिक युग के अन्तिम चरण में ही हुई।^२ इस युग में त केवल चार वर्णों एवं अन्य व्यावसायिक वर्गों का रूप स्पष्ट हुआ बल्कि उनके साथ सामाजिक भेद-भाव की भावना का भी जन्म हुआ।

हम देख चुके हैं कि अर्हर्वदिक युग में ही वर्गों का उदय प्रारम्भ ही चुका था। ब्राह्मण एवं राजन्य अपने को विश्व से पृथक् और अष्टु बनाने में सलान थे। फिर भी वर्ण शब्द का प्रयोग अभी आर्य और दास इन परस्पर विरोधी और विजातीय लोगों के प्रजातीय एवं सास्कृतिक पार्थक्य का ही दोतक था। उत्तर वैदिक साहित्य में हम आर्य-दास विरोध तथा द्विवर्ण की स्थिति का सहसा लोप देखते हैं और इसकी जगह स्यान-स्थान पर चार वर्गों का उल्लेख पाते हैं।^३ ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तर्जातीय विवाह-जन्य सम्म-श्रण के कारण जब अनेक आर्यों ने भी अपना मौलिक रूप रग खो दिया, जब दासियों के गर्भ से उत्पन्न होकर दीर्घतमा, श्रोतिश और वस्तु जैसे लोग ऋषित्व को प्राप्त हुए तथा जब कृष्णत्वच शूद्रों के अतिरिक्त राजन्य भी धूसर वर्ण वाले होने लगे^४ तब आर्य वर्ण और दास वर्ण का पुराना अन्तर स्वभावत मन्द पड़ गया। समाज के नवोदित चार वर्गों के लिये वर्ण शब्द का प्रयोग बड़ा ही कौतूहलजनक था क्योंकि पहले वर्ण शब्द का प्रयोग

१. अथर्ववेद १६ ६ ६, पच० न्ना० ५ १०३-१०, वाज० सं० ३१ ११, तै० आ० ३ १२, ५-६
- २ हार्णदे श्रोतियन्तल सीरीज़, ८, पृ० ८४५-८६
३. शत० न्ना० ५ ५. ६, ६. ४ १३, अथर्ववेद ३ ५. ७
४. वैदिक इण्डेक्स भाग २, पृ० २४७

सर्वथा पृथक् मानव समुदायों के लिये होता था किन्तु अब यह समाज के आन्तरिक विभाजन का प्रतीक बन गया। एक और तो सामजिक एवं समन्वय के माध्यम से आर्यों के विशाल जनसमूह शूद्र नाम के अन्तर्गत आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में अन्तर्भूत हो चतुर्थ वर्ण बने^१ और हूसरी और आर्यों का अपना समाज वर्ग-विभाजन की दिशा में इतना आगे बढ़ चुका था कि जन की आन्तरिक एकता विशुद्धित होने लगी। दासों के विशुद्ध सघर्ष में अपनी समझता के रक्षा हेतु वैदिक जन अपने को मात्र आर्य समझते थे किन्तु अपनी आन्तरिक व्यवस्था में वे केवल आर्य न रह कर त्राहुण राजन्य और वैश्य हो चुके थे। ऐसी परिस्थिति में वैदिक ऋषियों को आर्य वर्ण के अन्तर्गत तीन पृथक् वर्णों की कल्पना करनी पड़ी। इस प्रकार जहाँ विकसित अम-विभाजन के आधार पर आर्य वर्ण तीन वर्णों में विभाजित हुआ वही शूद्र वर्ण का उद्गमन आर्य सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत आर्योंतर जनों के प्रवेश की सूचना देता है।^२

पूर्व युग में आर्यों की सम्मिश्रण सम्बन्धी नीति पर्याप्त उदार थी। यद्यपि प्रारम्भ में आर्य अनार्य सम्पर्क बहुत कम हुआ फिर भी जो अनार्य आर्यों की व्यवस्था में अन्तर्भूत हुये उनके लिये पृथक् वर्ग की व्यवस्था नहीं हुई। सम्भवतः आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में उन्हें वही स्थिति मिली जो उनके अपने देशी समाज में थी। निम्न स्थिति वाले अनार्य तथा शुद्धवन्दी दास पारिवारिक सेवकों के रूप में आर्य परिवारों के सदस्य हो गये होंगे। अनार्य अद्यावा दासों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध का निषेध ऋग्वेद में अज्ञात है। इसके विपरीत गंगा की घाटी में जब आर्यों और स्थानीय जनों का सम्पर्क काफी बढ़ गया तब अल्पसङ्ख्यक विजेताओं की सस्कृति के लोप की घटका उत्पन्न हो गई और ऐसा लगा कि देशी जनता और उसकी सस्कृति के प्रवाह में आर्यों की अपनी परम्पराएँ विलीन हो जायगी अर्थः उन्होंने पार्थक्य की नीति को प्रोत्साहन दिया। साथ ही वे अनार्य जिन्हें शूद्र वर्ण के अन्तर्गत स्थान मिला, आर्थिक और सास्कृतिक दृष्टि से बहुत ही हीन थे। परिणामस्वरूप ये शोघ्रता पूर्वक विजेता की सस्कृति को नहीं अपना सके। इसके विपरीत आर्यों के लिये निम्नस्तरीय अनार्य सस्कृति में कोई आकर्षण नहीं था। यही नहीं इतकी कुछ इतनी

१ कैन्ट्रिज हिस्टरी आव इण्डिया, भाग १, पृ० ६६, १२८-२९

२ रामप्रसाद चन्दा, इण्डो-भार्यन रेसेज, पृ० ३६

निष्कृष्ट परम्परायें भी थी जिन्हें निश्चित रूप से शूद्रों की सामाजिक हीनता का एक सहायक कारण कहा जा सकता है। उदाहरणार्थे श्वपाक श्वानमास भक्षी थे और इसीलिये वे समाज में अत्यन्त धृणा की दृष्टि से देखे जाते थे। इन नवोदित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप शूद्रों के साथ स्वच्छन्द सम्मिश्रण का विरोध हुआ और सामाजिक व्यवस्था उत्तरोत्तर रुदिग्रस्त और कठोर होने लगी। शूद्रों को समाज का अङ्ग मानते हुए भी उन्हें अन्य तीन वर्णों के सास्कृतिक जीवन से बहिष्कृत करने का प्रयास किया गया तथा उन्हे द्विजातियों से पृथक् करने के लिये और धार्मिक एवं सामाजिक सुविधाओं से हीन करने के लिये परवर्ती सहिताओं और ब्राह्मणों में विभिन्न प्रकार के नियम बनाये गये। आर्यों के विस्तार पथ में जो भी नई जातिया सम्पर्क में आई वे अनायास शूद्र वर्ण के अन्तर्गत समाविष्ट हो गई। इस प्रकार इस नई व्यवस्था से एक तरफ अनार्यों के आर्योंकरण की समस्या का सरलतापूर्वक समाधान हुआ और दूसरी ओर अत्पस्थित होते हुए भी आर्यों की सामाजिक और सास्कृतिक प्रधानता सुरक्षित रही।

शूद्रों के बहिष्करण तथा सत्सम्बन्धी नियम-निर्धारण का समाज पर बड़ा ही सक्रामक प्रभाव पड़ा। धीरे-धीरे समाज के उच्च वर्गों ने (ब्राह्मण और राजन्य) वैश्यों को भी अधिकार च्युत करना प्रारम्भ किया तथा अनेक प्रकार के नियमों की व्यवस्था द्वारा उनकी स्थिति को उत्तर वैदिक युग के अन्त तक शूद्रों के समकक्ष कर दिया। विश के सदस्य तक्षण और रथकार जू कभी यज्ञकर्म करते थे तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के पात्र थे^१ धीरे-धीरे शूद्र वर्ण में परिगणित हुए। सूत्र-काल तक वैश्यों को भी शूद्रों की भाति भाजपेय यज्ञ में प्रवेश से वच्चित कर दिया गया।^२ वर्णों के बीच के अन्तर को स्पष्ट करने के लिए विशिष्ट अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्यवस्था हो रही थी तथा वर्णों के सापेक्षिक सामाजिक स्तर के निर्धारण का भी प्रयास हो रहा था। इस नवीन परिवर्तन के पीछे उच्च वर्गों की, स्वार्थ भावना ही प्रबल थी। वे अपने विशिष्ट व्यवसाय को अपनी सन्तानों के लिये भी सुरक्षित रखना चाहते थे अतः जो अपने वर्ग के चारों ओर दुर्भेद्य और अनुलंघनीय

१ वाज० स० ३०.६ ७, अथवैद ३.५ ६, शत० ब्रा० १३.४ २.१७, त० ब्रा० १ १.४.८ ।

२ वाराह श्रीत सूत्र ३.१.१, किन्तु शाख्या० श्री० सू० के अनुसार (१६ १७.४) वैश्यों को वाजपेय यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था ।

प्राचीर के निर्माण में सलग्न थे। पौरोहित्य और राजत्व दोनों आनुवाशिक हो चले थे। जैसे यत्रत्र कुछ अपवाद भी अश्वात नहीं हैं। शतपथ ब्राह्मण विभिन्न वर्ण के लोगों के लिए विभिन्न आकार की चिताओं की व्यवस्था करता है।^१ इसी मन्त्र में यज्ञ के अवसर पर विभिन्न वर्ण के लोगों को पुकारने के लिये पृथक्-पृथक् सम्बोधनों की भी व्यवस्था की गई है।^२ ऐतरेय ब्राह्मण (१.५) में बताया गया है कि ब्राह्मण को गायत्री मन्त्र का प्रयोग करना चाहिए, क्षत्रिय को त्रिष्टुभ का और वैश्य को जगती का। इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मण को वसन्त में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षा काल में अभिन्न-होत्र करना चाहिए।^३ शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि यज्ञ में ब्राह्मण को पलाश की लकड़ी का, क्षत्रिय को न्यग्रोघ और वैश्य को अश्वत्य की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए।^४ इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ण के पहचान के लिये मिन्न-मिन्न प्रकार के यज्ञापवीत की भी कल्पना की गई। शतपथ ब्राह्मण में गायत्री मन्त्र के पाठ के सम्बन्ध में नियम निर्धारित करते हुये कहा गया है कि इस मन्त्र को ब्राह्मण को भू से क्षत्रिय को भुव से और वैश्य को स्व से प्रारम्भ करना चाहिए।^५ इस प्रकार के अनेक नियमों ने वर्णों को एक दूसरे से सर्वथापृथक् कर दिया। आपातत ये नियम विल्कुल साधारण और निर्दोष थे किन्तु ये ही क्रमशः वर्णों के पारस्परिक पार्थक्य के प्रतीक बन गये।

हम देखते हैं कि उत्तर-वैदिक युग के प्रारम्भ में वर्णों के आपसी सम्बन्धों में ऊच-नीच की भावना का विकास नहीं हो पाया था। अभी वर्णों के सापेक्षिक स्तर का निर्धारण भी नहीं हो सका था। यही कारण है कि स्थान-स्थान पर इन वर्णों का उल्लेख करते हुए वर्णन-क्रम में सामाजिक प्रधानता का ध्यान नहीं रखा गया है। ग्रथवेद (१६ ३२०.८) तथा वाजसनेयी सहिता (२६२) में घार वर्णों के उल्लेख-क्रम में शूद्र को तीसरा और

१ शत० ब्रा० १३ ८ ३ ११

२. वही, १ १४ १२, ब्राह्मण के लिए एहि, क्षत्रिय के लिए आगच्छ, वैश्य के लिए आद्रव और शूद्र के लिए आधव। इसमें वर्णों की सापेक्षिक प्रतिष्ठा के निर्धारण का प्रयास दिखाई देता है।

३ ती० ब्रा० १ १४

४ शत० ब्रा० ५ ३ २ ११

५ वही २ १ ३.४

वैश्य को चौथा स्थान दिया गया है।^१ मैत्रायणी संहिता (४.४.९) में वैश्य का उल्लेख राजन्य के पूर्व हुआ है। श्रथर्ववेद (३.५.७) में तो क्रमशः राजन्य वैश्य शूद्र और आर्य का उल्लेख हुआ है। यहाँ आर्य शब्द का प्रयोग ब्राह्मण के लिए हुआ प्रतीत होता है जो कुछ विचित्र लगता है। ब्राह्मणों ने तो शूरवेदिक युग से ही अपनी सामाजिक प्रधानता को प्रचार प्रारम्भ-कर दिया था।^२ उत्तर वैदिक साहित्य में इसी प्रधानता के लिए क्षत्रियों और ब्राह्मणों का प्रचलन सघर्ष मिलता है। किन्तु हज सभी प्रयासों के होते हुए भी पुरुषसूक्त में उल्लिखित वर्णों का क्रम अभी सामाजिक दृष्टि से पूर्ण प्रतिष्ठित नहीं हो सका था। यह कार्य इस युग के अन्त तक अशत् सफल हुआ क्योंकि इस समयतक वैश्य और शूद्र निश्चित रूप से तृतीय और चतुर्थ वर्ण के अन्दर प्रतिष्ठित हो चुके थे किन्तु ब्राह्मणों और क्षत्रियों की प्रधानता की समस्या का समाधान नहीं हो सका। इस सघर्ष की परम्परा हमें बोढ़ साहित्य में भी दृष्टिगोचर होती है।^३

वर्णों के इस विकास में सत्कालीन धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का बड़ा योग था। धार्मिक क्षेत्र में नये मन्त्रों की रचना का कार्य प्राय-

समाप्त हो चला था। इस युग में अधिकाशत् यज्ञ-

वर्ण-व्यवस्था के विकास में धार्मिक परिस्थितियों का योग सम्बन्धी साहित्य का विकास हुआ तथा मन्त्र साहित्य से सम्बन्धित ब्राह्मण प्रन्थों की रचना हुई। यज्ञों की विधि तथा अनुष्ठान इतने विस्तृत और जटिल हो गये कि अनुभवी और प्रशिक्षित

पुरोहित के अभाव में यज्ञ कार्य असम्भव होने लगा। धीरे-धीरे सम्पूर्ण धार्मिक साहित्य ब्राह्मणों के अधीन हो गया। फलत् धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणों का एकाधिकार स्थापित हुआ। वैसे स्वतन्त्र रूप से यज्ञ करनेवाले लोग भी इस युग में अज्ञात नहीं थे^४ किन्तु उन्हें

१ तै० सं० ५.३ १० १-३, काठक स० १७.५, वाज० स० १४.२८-३०

२ ऋ० ४५० द

३ बोढ़ साहित्य में स्थान-स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से शेष सिद्ध करने का प्रयास है।

४ ऐत० ब्रा० ७ २७ में विश्वन्तर और श्यपर्णस के विषय में विना पुरोहित की सहायता से यज्ञ करने का उल्लेख है।

—द्वाष्ट्र्य वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० २६२

पुरोहितों के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा।^१ किसी भी मेघादी व्यक्ति के लिए अब विना किसी कुशल पुरोहित से यज्ञ सम्बन्धी संदान्तिक और व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त किए पौरोहित्य में प्रवीण होना असम्भव था। इस स्थिति में पौरोहित्य स्वतं ब्राह्मणों तर वर्ग के लिए अग्राह्य होने लगा। ब्राह्मणों ने व्यावहारिक रूप में अन्य वर्णों के लिए पौरोहित्य की शिक्षा का निषेध कर दिया तथा प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए गोत्र और प्रवर की व्यवस्था की।^२ सूत्रकाल तक आते-आते तो यहाँ तक नियम बनाये गये कि कोई भी ऐसा व्यक्ति पौरोहित्य नहीं कर सकता जिसका सम्बन्ध मूर्खियों की तीन (कौपीर्ताक सूत्र) श्रद्धावा दस (लाट्यायन) पीढ़ियों से न हो। राजन्य, जो धार्मिक क्षेत्र में भी ब्राह्मणों के प्रतिस्पर्धी थे याजिक अनुष्ठानों की सूक्ष्मता से अनभिज्ञ होने के कारण, यज्ञ-घर्म से विरत हो ब्रह्मविद्यानुशीलन में लगे तथा इस क्षेत्र में उन्हें पर्याप्त ख्याति भी मिली। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों को एक पृथक् विविष्ट वर्ग बनाने में धार्मिक परम्पराओं के विकास का बड़ा योग था। विशाल धार्मिक साहित्य एवं सूक्ष्म याजिक कर्मकाण्डों की सुरक्षा के लिए एक पृथक् वर्ग की स्थिति अनिवार्य हो गई। साथ ही यह भी कहा गया कि यज्ञ के सम्पादन में यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो यजमान अभीप्सित फल की प्राप्ति के विरुद्ध किसी सकट में पड़ जाता है।^३ ऐसे नियमों ने धर्मभीरु जनता को इस बात के लिये विवश किया कि वे वशानुगत-पुरोहितों से ही यज्ञ कार्य में सहायता लें क्योंकि व्यवसाय के कारण याजिक अनुष्ठानों के सम्पादन में ये भ्रष्टिक सिद्धहस्त समझे जाते थे। स्वयं पुरोहित के लिए भी यज्ञ सम्बन्धी क्रियाओं और विषि-विधानों में पारगत होना अनिवार्य था क्योंकि इन विषि-विधानों तथा मन्त्रों के पाठ में साधारण भूल का दुष्परिणाम पुरोहित को भी भोगना पड़ता था। वातपथ ब्राह्मण (१.७.३.१६) के अनुसार यज्ञ सम्पादन में कुछ त्रुटि हो जाने के कारण एक पुरोहित का हाथ ही ढूट गया था। यज्ञ के अवसर पर अपने उत्तर-दायित्व का समुचित बहन न करने के कारण आपादि सीश्रोभत्तेय नामक पुरोहित

१ नवाऽपुरोहितस्यदेवा अन्न अदन्ति, ऐत० न्ना० ४० १-

२ एत० कै० दत्त, श्रोरिजित्, एण्ड भ्रोध आद कास्ट इन इण्डिया, पृ० ८२

३. ऐत० न्ना० ७० २६

मृत्यु को प्राप्त हुआ।^१ यज्ञो का दूरुह और रहस्यमूलक होना शूद्रोंकी स्थिति को हीन बनाने में भी सहायक हुआ। एक तो विस्तृत और व्ययपूर्ण यज्ञो के सम्पादन के लिये निर्धन शूद्रों के पास शर्य और समय दोनों का अभाव था दूसरे वैदिक मन्त्रों के उच्चारण तथा विचित्र नियमों के आचरण में इन शूद्रों द्वारा अधिक त्रुटि की आशका थी। शूद्रों को वैदिक धर्म से वहिष्कृत करने का जो प्रयास हुआ उसका एक कारण यह भी था। बाद के युग में जब स्त्रियाँ भी अशिक्षित होने के कारण वैदिक मन्त्रों के शुद्ध पाठ करने में असमर्थ हुई तो उन्हें भी शूद्र कोटि में रखा गया^२ तथा उनके लिये भी वैदिक-साहित्य का अध्ययन और विशिष्ट यज्ञों में भाग लेना निविद्ध हो गया।^३ वैसे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के गिरने का कारण आर्य परिवारों में वहुसंख्यक अनार्याश्रों का प्रवेश भी था।^४ ये अनार्य स्त्रियाँ यज्ञ-मूलक धर्म से अपरिचित होने तथा आर्य भाषा के अल्पज्ञान के कारण स्वभावतः यज्ञ सम्बन्धी कृत्यों में अनेक त्रुटिया करती रही होगी। यही कारण है कि इनके विरुद्ध समाज की जो प्रतिक्रिया हुई उसके परिणामस्वरूप उत्तर-वैदिक युग से ही ज्ञियों की गणना शूद्रों के साथ होने लगी तथा उनके व्यक्तित्व में अपवित्रता का आरोप हुआ।^५ वैदिक ऋषियों ने युगीन सामाजिक विभाजन को धार्मिक पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए देवताश्रों को भी चार बर्णों में विभाजित किया जिसके प्रनुसार अग्नि, वृहस्पति इत्यादि नाह्यण हुये, इन्द्र, वरण और सोम क्षत्रिय कहे गये। रुद्र, आदित्य तथा विश्वदेव को बौद्ध और पूर्णन को शूद्र कहा गया।^६

यह युग धार्मिक परम्पराओं के साथ-साथ राजशक्ति के विकास का भी युग था। धीरे-धीरे राज्य विशालकाय एवं स्थायी होने लगे। अश्वमेघ एवं बाजपेय जैसे यज्ञों की व्यवस्था हुई जिनके कारण राजन्य वर्ग की प्रतिष्ठा में अतीव वृद्धि हुई। कालक्रम से क्षत्रियों की प्रभुता का प्रभाव इतना बढ़ा

१. शत० ब्रा० ६ २ १७

२. शत० ब्रा० १४, १ १० १३

३. शाखा० ब्रा० २७, ४, अयज्ञियां पत्न्यो वहिनेदिहिता।

४. राजा की चतुर्थ पत्नी पालागली शूद्रा ही हुआ करती थी।

५. शत० ब्रा० १४ १० १ १३।

६. मंत्रा० स० १. १०. १३, शत० ब्रा० १४. ४. २३-२५, ऐत० ब्रा० ३४. ५।

कि पुरोहित वर्ग भी उससे अप्रभावित नहीं रह सका। राजसूय यज्ञ के अव-अवसर पर ब्राह्मण भी क्षत्रिय से नीचे बैठता था।^१ ब्राह्मण साहित्य में ऐसे प्रसगों का अभाव नहीं है जहाँ राजन्य को सर्वाधिक उच्च और सामाजिक दृष्टि से प्रधान कहा गया है।^२ असम्भव नहीं कि कुछ पुरोहितों ने आश्रयदाता की सन्तुष्टि के लिए समाज-संघर्ष की देढ़ी पर वर्गत स्वार्थ का वलिदान किया हो। राजकीय शक्ति के विस्तार के साथ ही राजन्य वर्ग की अहंमन्यता भी बढ़ रही थी। विश (साधारण जनों) का शोषण हो रहा था।^३ इन्हीं राजन्यों के हारा पुरोहित भी प्रभूत घनराशि प्राप्त करते थे तथा यही विस्तृत एवं व्ययसाध्य यज्ञों को प्रोत्साहन भी मिलता था। यही कारण है कि विशेष तीर से राजन्य वर्ग के लिए पुरोहित की सहायता को अनिवार्य बतलाया गया।^४ क्रमशः जब राजसत्ता निरकुश और वाशानुगत होने लगी तब समिति और सभा जैसी लोकप्रिय सम्प्रदायों का भी हास प्रारम्भ हो गया। इस प्रकार राजसत्ता के विकास ने ब्राह्मणों की भाँति ही क्षत्रियों को भी अपेक्षाकृत एक वाशानुगत वर्ग में बदल दिया। यह वर्ग बुद्धिजीवी ब्राह्मणों को तो विशेष हानि न पहुँचा सका किन्तु वैश्यों और शूद्रों के शोषण और उत्पीड़न सम्बन्धी इनका प्रथन युगीन सामाजिक इतिहास का कहण अध्यय्य है जिस पर हम अग्रिम पृष्ठों में विचार करेंगे।

उत्तर वैदिक युग के सामाजिक विभाजन पर सर्वाधिक प्रभाव आर्थिक परिवर्तनों का पढ़ा। गगा की धाटी में पहुँच कर आर्यों ने अपनी आर्थिक स्थिति को अधिक समृद्ध किया। उनके कृषि और आर्थिक विकास और पशुपालन जैसे पैतृक व्यवसाय तो गगा के उपजाऊ सामाजिक व्यवस्था में दान में विकसित 'हुए ही साथ ही सामाजिक पर उसका प्रभाव जीवन में अनार्यों के प्रवेश के कारण विभिन्न व्यवसायों एवं उच्चोग-घन्थों का विकास हुआ। सुख और उपभोग की विभिन्न वस्तुओं के निर्माण की मात्रा में वृद्धि तो हुई ही उनकी निर्माण-कला में भी पर्याप्त परिवर्कण हुआ। इस युग में आर्यजन नागरिक जीवन से भी उदासीन नहीं रह सके। मध्यदेश में नगरों का

१. शत० ११ १४ ४. १ २३।

२. वही।

३. विशामत्ताजनि, ऐत० ब्रा० ३६ ३

४. ऐत० ८ २४

निर्माण प्रारम्भ हुआ। पुरातात्त्विक ध्रवशेषों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है कि हस्तिनापुर और कीशाम्बीप्रभृति नगरों का अस्त्युदय १००० ई० पू० के लगभग प्रारम्भ हो चुका था।^१ नागरिक जीवन के विकास के साथ ही व्यापार और वाणिज्य की ओर भी लोगों ने ध्यान देना प्रारम्भ किया। इस आर्थिक प्रगति के फलस्वरूप विभिन्न व्यवसायों ने, जो अभी तक विश्व अथवा वैश्य वर्ग के अन्तर्गत थे, पृथक् आर्थिक वर्गों का रूप घारण किया जो स्वनिर्मित नियमों के आधार पर सगठित हुए।^२ धीरे-धीरे इनका सगठन अन्तर्मुखी होता गया तथा ये पृथक् सामाजिक इकाइयों में बदल गये। इस प्रकार वैश्य वर्ण के अन्तर्गत आन्तरिक विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हई तथा विभिन्न व्यवसायिक सम्प्रजातियों में परिणाम होने लगे। इन नवोदित आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव वर्णों के आपसी सम्बन्धों पर भी पड़ा। उत्पादन के साधनों की वृद्धि के साथ ही श्रम की समस्या बढ़ने लगी जिसका समाधान विजित स्थानीय जनों को श्रमकार्य में नियोजित करके हुआ। अधिकाश शूद्र श्रमजीवी बनाये गये। परिणामस्वरूप इनमें और आर्थिक स्वामियों में सम्पर्क बढ़ा। इस सम्पर्क ने शूद्रों को जहां आयों की सामाजिक व्यवस्था का अविच्छिन्न प्रणाली दिया वही इसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए। आयों के उच्च वर्ग धीरे-धीरे श्रमकार्य से उदासीन होने लगे तथा वैदिक युग के अन्त तक श्रम तथा श्रमजीवियों को लोग हीन हृषि से देखने लगे। यही कारण है कि शूद्रों के साथ साथ विश के वे सदस्य भी अनादृत और तिरस्कृत होने लगे जिनका व्यवसाय पहले निःान्त आदरणीय और प्रतिष्ठित था। उत्तर-वैदिक युग के विभिन्न श्रोद्योगिक सम्प्रजातियों की गणना, जो विश के शरण थे, धर्मसूत्रों के काल तक शूद्र वर्ण के अन्तर्गत होने लगी। विचराह है कि आर्थिक सम्पन्नता की पृष्ठभूमि में ही यज्ञ मूलक धर्म और राजसत्ता का विकास भी सम्भव हो सका।

वर्णों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उत्तर वैदिक साहित्य से प्राप्त कीन से प्रामाणिक अथवा सामाजिक आदर्शों अथवा नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते

^१ द्र० ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, न० १०-११, पृ० १४, एक्सकेवेसन्स एट कीशाम्बी पृ० ५-६

^२ कारपोरेट लाइफ इन ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, पृ० ३७६।

हैं जो व्यावहारिक जीवन में अज्ञात थे तथा कौन से अश सम्बन्धीय और नियमों की वास्तविक स्थिति को सूचित करते हैं। उदाहरणार्थं जहाँ ब्राह्मणों और क्षत्रियों के विशेषाधिकारों एवं श्रेष्ठता का बरंग दृष्टा है वहाँ यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि इनमें उच्च वर्ग के विशेषाधिकारों की स्थापना का प्रयास भाव है या तत्कालीन समाज का ऐतिहासिक चित्र प्रतिविम्बित है। उत्तर वैदिक साहित्य में वहूधा हमें दोनों प्रकार के प्रसंग उपलब्ध होते हैं। क्योंकि यह युग सम्बन्धीय के स्वाभाविक विकास तथा नियमों के निर्धारण, दोनों का था। किन्तु इन दोनों का विकास सहगमी नहीं है। प्राय सम्बन्धीयों का जन्म पहले होता है और उन्हें सैद्धान्तिक रूप बाद में मिलता है किन्तु कुछ भिन्न परिस्थितियों में समाज अथवा वर्ग-विशेष के स्वार्थसाधन हेतु नियमों की सृष्टि होती है तथा सम्बन्धीयों को जन्म दिया जाता है। यह सत्य है कि बरंगों अथवा वर्गों का विकास विभिन्न प्रायिक और सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव से अनायास और अचिन्त्य रूप से हो रहा था किन्तु समाज का साधनसम्पन्न एवं बुद्धिमती वर्ग इस परिवर्तन के प्रति उदासीन नहीं था। ये लोग इन परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों तथा नवीन सम्बन्धीयों को अपने लिये अधिकाधिक अनुकूल और उपयोगी बनाने के लिये नियमों और सिद्धान्तों की स्थापना कर रहे थे। बाद्य परिस्थितियों ने जहाँ सामाजिक विभाजन के कार्य को प्रोत्साहित किया वही अधिकारों के स्वामित्व की चेतना ने विभिन्न वर्गों के सदस्यों को पारस्परिक सीमा निर्धारण के लिये प्रेरित किया जिसके पीछे वर्ग के स्वार्थों की रक्षा तथा उनमें भावी हस्तक्षेप की आशका, दोनों ही प्रधान रूप से उपस्थित थीं। इस युग के सामाजिक जीवन में अविकाश नियमों का निर्माण ऐसी दृष्टि से हुआ। समाज में ब्राह्मणों और राजन्यों का वग शक्तिशाली था। विविध नियमों की स्थापना का कार्य भी पुरोहित वर्ग का ही विशेषाधिकार हो गया था। परिणामस्वरूप हम स्थान-स्थान पर ऐसे प्रसंगों का उल्लेख पाते हैं जहाँ बहु और क्षम को दृढ़ करने का आदेश अथवा निवेदन है।^१ निष्ठय ही विश के सदस्यों ने ऐसी क्रातिकारी, एकपक्षीय एवं अभूतपूर्व भान्यतामों का हादिक स्वागत नहीं किया होगा। साहित्यिक साक्षों से ऐसा लगता है कि अन्ततोगत्वा ब्राह्मणों और क्षत्रियों को अपनी सामाजिक उच्चता तथा विशेषाधिकारों के प्रतिष्ठापन से सफ-

लता मिली। इस सामाजिक प्रधानता की प्राप्ति के लिये शास्त्र और शास्त्र का भी पर्याप्त आश्रय लिया गया। शिक्षा एवं प्रचार के अधिकाश साधन युगीन साहित्य के रूप में ब्राह्मणों के हाथ में केन्द्रीभूत थे। उन्होंने अपने विचारों को धार्मिक आवरण में लपेट कर समाज के समक्ष प्रस्तुत किया अतः उनका विरोध करना असम्भव तो दुष्कर अवश्य हो उठा। दूसरी ओर राजन्य वर्ग ने अपनी शक्ति के प्रभाव से उन नियमों को समाज में स्थिर करने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश सामाजिक इतिहास के क्षेत्र में हमें जो प्रमाण उपलब्ध हैं वे एकपक्षीय दृष्टिकोण ही प्रस्तुत करते हैं क्योंकि अधिकाशत इनकी रचना विशिष्ट एवं विशेषाधिकारयुक्त वर्गों द्वारा हुई। यहि हमें इस सामाजिक व्यवस्थापन और वर्ण-संघर्ष के विषय में वैश्यों एवं शूद्रों की प्रतिक्रिया का भी ज्ञान होता, तो निश्चय ही सामाजिक इतिहास के अध्ययन में हम अधिक स्वस्थ निष्कर्ष निकालने में समर्थ होते।

वर्णों की सामाजिक स्थिति पर विचार करते हुये सर्वप्रथम हम उत्तरवैदिक युगीन ब्राह्मणों की दशा पर विचार करेंगे। इस विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि व्या ब्राह्मण वर्ण

ब्राह्मण-वर्ण की वशानुगत हो चुका था? विद्वानों में इस विषय पर सामाजिक स्थिति वडा वैमत्य है। वेवर महोदय ने विषय के गमीर

अध्ययन के पश्चात् यह स्थापना की कि उत्तर-वैदिक युग की वर्णव्यवस्था में कुछ शिथिलता के होते हुए भी प्रायः वही चित्र दृष्टिगोचर होता है जिसे मनुस्मृति में आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है।^१ वेवर महोदय का यह कथन ब्राह्मण वर्ण के वशानुगत होने का सकेत करता है। वैदिक इण्डेक्स के लेखकों ने भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के व्यवसाय को वशानुगत माना है तथा इस बात पर वल दिया है कि इन वर्णों की सदस्यता उत्तर वैदिक युग तक जन्म पर आवारित हो चुकी थी।^२ यद्यपि ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व के परिचायक उनके अपने वर्णं घर्मं थे किन्तु अब ये वर्णघर्म और वर्ण-व्यवसाव सबके लिए ग्राह्य नहीं थे। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान इग्नेर अध्ययन के द्वारा ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का प्रयास करता था तो वहुधा उसे निराशा ही मिलती थी इससे स्पष्ट होता है कि जन्म की

१. वेवर का मत, कारपोरेट लाइफ इन ऐन्डेन्ट इण्डिया, पृ० ३३३ पर उद्धृत।

२. वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० २६४

हीनता की पूर्ति अब ज्ञान से सम्भव नहीं थी। यह बात प्राय प्रशस्त हो चली थी कि ब्राह्मणेतर व्यक्ति पौरोहित्य नहीं कर सकता है।^१ इस युग में एक भी विश्वागित्र नहीं हुआ जो क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर सके।

श्री रमेशचन्द्र मजुमदार ने उक्त मत की आलोचना करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ब्राह्मणों का वर्ग एक व्यावसामिक सध के रूप में था जिसकी सदस्यता का आधार जन्म नहीं बल्कि वेदाध्ययन था।^२ दूसरे शब्दों में ब्राह्मण केवल वे थे जो वेदों के विद्वान थे तथा पौरोहित्य में निपुण थे।^३ उक्त विद्वान ने अपने मत की स्थापना का सतर्क एव सायास प्रयास किया है किन्तु पुष्टि के लिए दिये गये प्रमाण या तो शिथिल है अथवा उनकी व्याख्या पूर्वाग्रह से प्रभावित है। शतपथ ब्राह्मण में यह अवश्य कहा गया है कि याज्ञवल्य की शिक्षा से जनक ब्राह्मण हुए।^४ किन्तु इसी ग्रन्थ से ग्रन्थत्र ब्राह्मणों ने जनक के द्वारा धार्मिक विवाद में पराजित होने पर उन्हें राजन्य वन्धु कहा है।^५ इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में प्रवाहण जैवलि नामक पचाल नरेश को भी राजन्य-वन्धु कहा गया है।^६ निश्चय ही ये दोनों नरेश वैदिक साहित्य एव धर्म के प्रकाण्ड पड़ित थे किन्तु इन्हें कहीं भी स्पष्टतः ब्राह्मण वर्ग के अन्तर्गत स्थान नहीं दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण (११.६.२.१०) में जहा जनक को ब्राह्मण कहा गया है उसका तात्पर्य मात्र उनके ब्रह्म-ज्ञान का सूचक है न कि ब्राह्मण वर्ग की सदस्यता का।^७

यदि ब्राह्मणेतर वर्ग के लोग अपने ज्ञान और विद्वत्ता के आधार पर ब्राह्मणत्व की प्राप्ति में समर्थ होते तथा ब्राह्मणों के सध की सदस्यता के अधिकारी होते, जैसा कि मजुमदार महोदय सोचते हैं, तो राजन्यवि और देवराजन जैसे शब्दों तथा सम्बोधनों की आवश्यकता नहीं होती।^८ जिस

१. एन० क०० दत्ता, ओरजिन एण्ड ग्रोथ आव कास्ट इन इण्डिया, पृ० ८६

२. कारपोरेट लाइफ इन ऐन्स्येन्ट इण्डिया, पृ० ३४०-४१।

३. वही।

४. दत्त० ब्रा० ११.६.२.१०।

५. वही ११.६.२.५।

६. बृ० उप० ६.१.५।

७. वैदिक इण्डेक्स, भाग १, पृ० २७२।

८. पच ज्ञा० १२ १२.६, १८.१०.५।

समय याज्ञवल्क्य ने कुछ ब्राह्मण-ऋषियों को, जो जनक से धार्मिक वाद-विवाद के लिये उद्यत थे, ऐसा करने से रोका, उस समय के उनके तर्क निश्चय ही वडे महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि 'हम लोग ब्राह्मण हैं किन्तु जनक केवल क्षत्रिय है। यदि हमने उन्हे पराजित किया तो इस विजय की बात हम किससे कहेंगे। इसके विपरीत यदि उन्होंने हमे पराजित किया तो सभी यह कहेंगे कि एक क्षत्रिय ने ब्राह्मणों को पराजित किया। अत ऐसा कार्य आप लोग मत करें।, याज्ञवल्क्य के इस कथन से प्रकट होता है कि जनक-विद्वत्ता अथवा वैदिक ज्ञान के फलस्वरूप ब्राह्मण होने से कदापि समर्थ नहीं हुये थे। इस प्रसग में श्री मनुमदार का मत अवश्य ही एक भ्रान्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है क्योंकि वह एकाकी प्रसगों पर आधारित है।

अपने मत की पुष्टि के लिए मनुमदार महोदय तत्त्विरीय सहिता श्रीर मैत्रायणी सहिता के दो श्रब उद्घृत करते हैं। तै० स० मे कहा गया है 'जो वेदों का ज्ञाता और आयेंय है वही ब्राह्मण ऋषि है।'^१ मैत्रायणी संहिता तथा काठक संहिता मे कहा गया है कि ब्राह्मण के माता-पिता के विषय मे क्या पूछते हो? जो श्रुतिवान है वही ब्राह्मण का पिता श्रीर पितामह है।^२ इन प्रसगों से निश्चय ही ज्ञान को ब्राह्मण का प्रधान गुण तथा ब्राह्मणत्व का मूल आधार बतलाया गया है किन्तु यह बर्खन हमारे समक्ष समाज का वास्तविक चित्र नहीं प्रस्तुत करता। हम ऊपर देख चुके हैं कि शक्तिशाली राजन्य वर्ग के लिए भी विद्वत्ता एवं ज्ञान के आधार पर ब्राह्मणत्व का गौरव प्राप्त करना असम्भव था फिर विश्व के अन्य सदस्यों के विषय मे क्या कल्पना की जाय। ऐसी स्थिति मे इन प्रसगों से केवल इतना अनुमान करना युक्तिसंगत होगा कि ये ब्राह्मणत्व विषयक सामाजिक आदर्शों का प्रतिपादन करते हैं जो वाशानुगत पौरोहित्य की प्रतिक्रिया के रूप मे यत्र तत्र सकलित हैं। यथार्थ जीवन मे इन आदर्शों का कोई प्रभाव नहीं था।

मनुमदार महोदय ने ऐतरेय ब्राह्मण का वह अंश भी उद्घृत किया है जिस मे इस बात का सकेत है कि क्षत्रिय यज्ञकार्य में तब तक दीक्षित नहीं

१ एप ने ब्राह्मण ऋषिरायेंयो य शुशुवन्—तै० स० ६ ६.१.५।

२ काठक स० ३०.१, मौ० स० ४८ १, १०७ ६

कि ब्राह्मणस्य पितरम् कि उ पृच्छसि मातरम्
श्रुत चेद् प्रस्मिन् वेद्यम् स पिता स पितामह।

हो सकता जब तक वह अपने अस्त्र-शस्त्रों (तीर घनुष) तथा राजकीय वस्त्रों का त्याग कर ब्राह्मणोचित वस्त्र धारण करके, ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण होकर, यज्ञ के लिये न प्रस्तुत हो ।^१ मनुष्मदार महोदय इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों में कोई खास भेद नहीं था । दोनों अपने व्यवसाय एवं जीवन पद्धति में परिवर्तन के साथ वर्ण-परिवर्तन भी कर सकते थे ।^२ शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि 'जो कोई यज्ञ करता है, ऐसा मान कर करता है कि मानो वह ब्राह्मण हो ।'^३ कात्यायन ने अपने श्रीतसूत्र में कुछ और स्पष्ट करते हुये कहा है कि 'वैश्य और राजन्य को भी ब्राह्मण शब्द से ही सम्बोधित करना चाहिए ।'^४ इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार ने लिखा है कि यज्ञ के लिये दीक्षित वैश्य और राजन्य को, यह राजन्य या वैश्य दीक्षित हुआ है, ऐसा कहना चाहिये ।^५ इस प्रसग में हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि ये आदेश यज्ञ से सम्बन्धित हैं । यज्ञकर्ता क्षत्रिय जब यज्ञ के लिये दीक्षा लेता था तब वह ब्राह्मण को भाति ही पवित्र माना जाता था । साथ ही वह ब्राह्मणोचित त्रियों का आचरण भी करता था किन्तु पञ्चमान की यह पवित्रता तथा उसका ब्राह्मणत्व यज्ञ की अवधि तक ही सीमित था ।^६ इसमें उसके स्थायी ब्राह्मणत्व का कोई भी सकेत नहीं है । यहाँ केवल ब्राह्मणों और यज्ञों की पवित्रता पर ही यथेष्ट प्रकाश पड़ता है ।

ऐतरेय ब्राह्मण में ग्रास शुन शेष की कथा इस बात की पुष्टि करती है कि ब्राह्मण की श्रेष्ठता केवल वैदाध्ययन एवं विद्वत्ता के कारण नहीं थी । एक बालक भी ब्राह्मण परिवार में जन्म भाव के कारण श्रेष्ठ और पवित्र समझा जाता था ।^७ हरिश्चन्द्र के पुत्र के बदले जब शुन शेष के बलि की व्यवस्था हुई तब सन्तोष प्रकट करते हुये वस्त्रण ने यह कहा कि 'निश्चय ही एक

१. ऐत० ब्रा० ७ १७, शत० ब्रा० ३.२.१-३६ ।

२. कारपोरेट लाइफ इन ऐन्डेन्ट हिण्डया, पृ० ३३८ ।

३. शत० ब्रा० १३.४.१.३

४. कात्यायण श्री० सू० ६.४.१२

५. मूर, सूक्त तिटरेचर, भाग १, पृ० ३६९

६. वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० २६३

७. ऐत० ब्रा० ३३ ४, गूणन्वे ब्राह्मण क्षत्रियादिति वस्त्रण उचाच ।

ब्राह्मण क्षत्रिय से अधिक उपयुक्त है'। शुन-शेप एक ब्रालक था। वैदिक साहित्य में इस बात का कोई सकेत नहीं है कि वह इस अल्पायु में ही विद्वान अथवा पौरोहित्य करने में समर्थ था। फिर भी उसे ब्राह्मण कहा गया और क्षत्रिय से श्रेष्ठ बताया गया। इस कथानक से दो बातें स्पष्टत प्रमाणित होती हैं। प्रथम तो यह कि ब्राह्मण का पुत्र जन्म के कारण ब्राह्मण वर्ण का सदस्य था। दूसरे वह जन्म की पवित्रता के कारण ही क्षत्रियादि-अन्य वर्णों से श्रेष्ठ भी था। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण वर्ण को ज्ञान और कर्म पर आधारित ध्यावसायिक सघ बतलाना दुराप्रह मात्र होगा। शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मणों की विशेषताओं का उल्लेख करते हुये उनकी एक विशेषता 'ब्राह्मण्य य वश की शुद्धता' (Purity of descent वताई गई है।^१ निश्चय ही यह ब्राह्मण्य शब्द वशानुगत ब्राह्मणत्व की ओर सकेत करता है अन्यथा यदि सभी वर्णों के जोग ब्राह्मण होने में समर्थ होते तो फिर वश की शुद्धता का कोई महत्व ही नहीं था। वास्तव में यहाँ ब्राह्मण्य शब्द का अर्थ ब्रह्मपुत्र होना ही अधिक उपयुक्त ग्रन्तीत होता है। उत्तर वैदिक साहित्य में ब्रह्मपुत्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण तथा सूत्र साहित्य से जात होता है कि ब्रह्मपुत्र एक सम्मान सूचक शब्द था।^२ वृहदारण्यक उपनिषद (६४२९) से जात होता है कि ब्राह्मण का पुत्र होना वडे गौरव का विषय था। इन सभी प्रमाणों के सामूहिक साक्ष्य से सिद्ध होता है कि ब्राह्मण वर्ण वंशानुगत हो चला था तथा मात्र जन्म के कारण ब्राह्मण आदरणीय समझा जाने लगा था। वैसे अध्ययन, अध्यापन और पौरोहित्य ब्राह्मणों के प्रधान धर्म थे अत उनके लिए विद्वान और श्रुतिवान होना सर्वथा स्वाभाविक था। सम्पूर्ण उत्तर वैदिक साहित्य में निश्चयपूर्वक केवल एक उदाहरण सत्यकाम जाबाल का मिलता है जिसे गौतम हरिद्रुमत ने अज्ञात-गौत्र होने पर भी उपनीत किया किन्तु इस प्रसग में भी गौतम ने उसे दीक्षित करते हुए जो तर्क उपस्थित किये वे विशेष महत्वपूर्ण हैं। गौतम ने सत्यकाम से कहा था, सच्चे ब्राह्मण के अतिरिक्त और कोई ऐसी सच्ची बात नहीं कह सकता, जाग्रो सौम्य समिध लाग्रो। मैं तुम्हें-उपनीत करूँगा क्योंकि

१. शत० ब्रा० ११५७१ श्री मजुमदार ने भी ब्राह्मण का अर्थ वश शुद्धता ही स्वीकार किया है। — पूर्व उद्घृत प्रन्थ, पृ० ३३४

२ शत० ब्रा० ११४१.२६ आश्वलायन श्री० सू० २ १८ १२ शास्त्र० श्री० सू० १२ २१, १३.

तुम सत्य से भ्रष्ट नहीं हुये ।^१ इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्यकाम की दीक्षा के पीछे गौतम द्वारा कल्पित उसका ब्राह्मणत्व ही था । विचारणीय है कि उपनिषद् युग का विशिष्ट विद्वान् होते हुये भी स्पष्टतः उसे कही भी ब्राह्मण नहीं कहा गया है । इससे स्पष्ट होता है कि गौतम हरिद्रुमत की कृपा से उसे वैदिक साहित्य एवं वाङ्मय का ज्ञान तो हुआ किन्तु फिर भी समाज ने उसके ब्राह्मणत्व को नहीं स्वीकार किया ।

ब्राह्मणों ने एक और जहाँ अपने को नौशानुगत एवं प्रवेशनियिद्व वर्ग में समर्ठित किया वही अपनी सामाजिक प्रधानता को भी स्थिर करने का प्रयास किया । उत्तर वैदिक युग तक ब्राह्मण वर्ग

सामाजिक प्रधानता समाज में विशेष सम्मान्य समझ जाने लगा था ।

ऋग्वेद में इनका उल्लेख पितरो के साथ हुआ है तथा यह भी कहा गया कि वही राजा सुखन्धान्तिपूर्वक अपने घर में निवास करता है जो ब्राह्मणों का आदर करता है । ऐसा करने वाले राजा के लिये पृथक् सदैव उचार रहती है तथा सभी मनुष्य स्वेच्छया उसके समझ नहीं होते हैं^२ । ब्राह्मण की श्रेष्ठता का यह उद्धीष्ट उत्तर वैदिक युग तक भी अप्रवल हो चड़ा । तैत्तिरीय संहिता में उसे प्रत्यक्ष देवता कहा गया है^३ । तैत्तिरीय ब्राह्मण में उसे दिव्य वर्ण वाला कहा गया है^४ तथा तैत्तिरीय आरण्यक में ब्राह्मणों की विद्वता का उल्लेख करते हुये कहा गया है समस्त देवता ब्राह्मणों में निवास करते हैं^५ । तारण्ड्य ब्राह्मण में उसे क्षत्रिय से उच्च स्थान दिया गया है^६ । इसी ग्रन्थ में अन्यथ ब्राह्मण को महत्त्व प्रकट करने के लिये उसे विराट पुरुष के मुख से निस्सृत कहा गया है^७ । ऐतरेय ब्राह्मण ३४, ४ में उसे क्षत्रिय से अधिक पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है । अथर्व ५ १७ ८ और ५ १७ १६ में भी ब्राह्मणों की प्रधानता की

१ चान्दोग्य उ१० ४ ४ ५, त होवाचनैतदब्राह्मणो विवक्तुमहंति,

२ कृ० ४, ५० ८

३. तै० स० १ ७ ३१ एते वै देवा प्रत्यक्ष यदृ ब्राह्मण ।

४ तै० ब्रा० १०२ ६ ।

५ तै० ब्रा० २ १५ ।

६. तारण्ड्य ब्रा० ११ १ २ नह्य हि पूर्वं क्षत्रात् ।

७ तारण्ड्य ब्रा० ६ १ ६ 'मुखेन वीयं करोति मुखरोहिष्ट' ।

प्रतिष्ठनि सन्निहित है। ब्राह्मणों का यह दावा अधिकाशत् समाज द्वारा मान्य हो चला था^१।

ब्राह्मणों की इस मान्यता का मूल कारण उनका धार्मिक नेतृत्व था। जैसे-जैसे यज्ञादि धार्मिक क्रियाओं की महत्ता तथा मंत्रपाठ की शुद्धता की आवश्यकता बढ़ती गई तौसे ही तौसे अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता भी स्थापित होती गई। पुरोहित राजा की सफलता तथा समृद्धि के लिये विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान एवं यज्ञ करता था। वह राजा के धार्मिक जीवन में पुरोहित या तथा राजनीतिक विषयों में परामर्शदाता सचिव^२। उत्तर वैदिक युग में पौरोहित्य अत्यन्त विकसित रूप में मिलता है। पुरोहितों के पास मत्र, तत्र, जादू टोने का विशाल भवार एकत्र हो गया था जिसे लोग राजा और प्रजा दोनों की सुरक्षा एवं समृद्धि का सर्वाधिक व्यावहारिक और विशिष्ट साधन मानने लगे थे।^३ ब्राह्मणों ने जीवन के विविध क्षेत्रों में विशेषाधिकारों का भी सृजन किया। उनके पीछे अपनी योग्यता और सेवा का न्यूनाधिक प्रतिदान प्राप्त करने की कामना ही प्रधान थी। शतपथ ब्राह्मण (६.५.७.१) में जहाँ ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हुए ब्राह्मण्य, प्रतिष्ठपचर्या, यश, और लोकपर्क्ति का निर्देश हुआ है वहाँ उन्हें छर्चा (सम्मान) दान, अजेयता और अवघ्यता का भी अधिकारी बतलाया गया है।^४ अपने को आर्यिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिये ब्राह्मणों ने धर्मकार्यों में पुरोहित की सहायता को अनिवार्य बतलाया। ऐतरेय ब्राह्मण (८.२४) से ज्ञात होता है कि राजा के लिए पुरोहित अनिवार्य माना जाता था। अन्य अ

१. उत्तर वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर इनके प्रति आदर और सम्मान व्यक्त किया गया है। (काठक स० २५.३, त० ब्रा० १.१०.६, शत० ब्रा० २४.१.१०, ३४.६ आदि। शत० ब्रा० १४.६.१२ में उन्हें भगवन्त कहा गया है तथा काठक स० १६.१२ में कहा गया है कि ब्राह्मण जहाँ कही भी जाय भोजनादि से उसकी सेवा तथा स्वागत करना चाहिये।

२. बृह्मफील्ड, अथर्वाद एण्ड गोपय ब्राह्मण, पृ० ३२।

३. अथर्वद एण्ड गोपय ब्राह्मण, पृ० ३०

४. प्रज्ञा वर्धमाना चतुरो धर्मान् ब्राह्मण निष्पादयति ब्राह्मण्य, प्रतिष्ठ-चर्या, यशो, लोकपर्क्ति लोक पच्यमानश्चतुर्भि॒। धर्मे ब्राह्मण भुनक्ति अचंया च दानेन चाज्येयतया चावध्यतया च ।

इसी अन्य में कहा गया है कि पुरोहितविहीन राजा का अन्य देवता नहीं स्वीकार करते अत यज्ञ कार्य के लिये अभिलिपित राजा को पुरोहित की सहायता लेनी चाहिये।^१ उत्तर-वीदिक साहित्य में स्थान-स्थान पर देवताओं और असुरों को भी पुरोहितों से युक्त बतलाया गया है और इस प्रकार धार्मिक कार्यों में पुरोहितों के महत्व को परोक्ष रूप में प्रकट किया गया है। तैत्तिरीय सहिता के अनुसार विश्व रूप देवताओं का पुरोहित था।^२ काठक सहिता (४४) में सणु और अमर्क को देवताओं का पुरोहित कहा गया है। ये पुरोहित दक्षिणा और दान के रूप में अधिक से अधिक घन प्राप्त करने का प्रयास करते थे^३ तथा लोगों को गोदान आदि का महत्व बता कर दान की ओर प्रेरित करते थे। ब्राह्मणों को दान देना देवताओं को दान देने के समान समझा जाता था। ब्राह्मणों एव उपनिषदों के काल में ऐसे अनेक राजा हुये जिन्होंने ब्राह्मण विद्वानों को प्रभूत घन राशि दी। इस प्रकार के राजाओं में विदेहराज जनक का नाम आदर से लिया जा सकता है। ब्राह्मणों ने अपनी अर्थलिप्सा की पूर्ति के लिये यहाँ तक नियम बनाया कि जो गायें जोड़वे वद्धवों को जन्म दें उन्हें ब्राह्मणों को दान कर दिया जाय।^४ इतना ही नहीं ब्राह्मणों ने अपने को आर्थिक शोपण से भी मुक्त करने का प्रयास किया। अर्थवेद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि उनकी गायों को अब्राह्मण नहीं खा सकते। यज्ञ की अवशिष्ट सामग्री के उपभोग का अधि कारी भी एकमात्र ब्राह्मण ही था^५ क्योंकि देवताओं द्वारा भुक्तपदार्थ के उपभोग के लिये जिस पवित्रता की अपेक्षा थी वह ब्राह्मण के ही अन्दर थी। ऐतरेय ब्राह्मण ब्राह्मणों को आदायी और आपायी कहता है जिससे उनके दान भ्रहण करने और सोम रस दीने के विशेषाधिकारों की पुष्टि होती है।^६ दान भ्रहण करने के सम्बन्ध में उनका एकाधिकार इतना प्रबल हो चढ़ा।

१ ऐत० ब्रा० (४० १) न वा अपुरोहितस्य देवा अन्न अदन्ति तस्माद्वाजा यश्यमाणो ब्राह्मण पुरोदधीत देवा मे अन्नम् अदन्ति।

२ तै० स० २ ५ १ १, विश्वरूपो वैत्वाष्टः पुरोहितो देवाना आसीत्।

३ ऐत० ब्रा० ३६ ६ २, ८ और ६

४ अर्थवेद २ २८ ३

५ शत० ब्रा० २ ३ १ ३६

६ ऐत० ब्रा० ७ २९ २

था कि पचांश ब्राह्मण^१ मे तरन्त और पुरुषिल्ह द्वारा दान ग्रहण के श्रोतृत्य को सिद्ध करने के लिये इस बात की ओर सकेत किया गया है कि उन्होने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की थी^२। इससे यह ज्ञात होता है उत्तरवैदिक युग तक दान ग्रहण करने के लिये ब्राह्मण ही सुपात्र समझ जाते थे। ब्राह्मणों ने अपनी दान वृत्ति को तुच्छता से बचाने के लिये नियम बनाया कि उन्हे दान मे ऐसी वस्तु नहीं ग्रहण करनी चाहिये जो अन्य वर्णों के लोगों द्वारा अस्वीकृत हो^३।

सामाजिक जीवन मे ब्राह्मणों के कुछ ऐसे विशेषाधिकार थे जो उनकी श्रेष्ठ स्थिति का सकेत करते हैं। तैत्तीरीय सहिता के अनुसार राजा ब्राह्मण को अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को विशेषाधिकार तथा ब्राह्मण को यातना देने वाले व्यक्ति को दण्डित करें। ब्राह्मणका रक्त बहाने वाला व्यक्ति

पितरो के लोक को नहीं प्राप्त करता।^४ इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणों को शारीरिक कष्ट देने वाले तथा उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा की टेस पहुँचाने वाले लोगों के विरुद्ध राजकीय दण्ड तथा दैविक अभिशाप दोनों की कामना की गई। यह निश्चयपूर्वक कहना प्राप्त कठिन है कि ब्राह्मणों द्वारा स्वापित इन विशेषाधिकारों को कहा तक सामाजिक मान्यता प्राप्त हो सकी थी। अथर्ववेद के अनुसार यदि किसी स्त्री के दस अब्राह्मण पति हों और ब्राह्मण उसका ग्यारहवाँ पति बने तो वही उसका वास्तविक पति होगा नकि गौद्य ग्रन्थवा राजन्य।^५ इस कथन से ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता प्रमाणित होती है। बहुत बाद तक समाज मे अन्तर्जातीय विवाह के क्षेत्र मे अनुलोम विवाह को जो मान्यता मिलती रही उसके पीछे भी मूलत ब्राह्मणों की यह स्वार्थ भावना ही निहित प्रतीत होती है।

१ पच० ब्रा० १३७ १८

२ वैदिक इण्डेक्स, भाग २, नू० ८३

३ शत० ब्रा० ३ ५ १. २५. १३. ४. ३. १४

४ तै० स० २ ६.११

५. अथर्ववेद ५ १७ ६

ब्राह्मणों ने सर्वाधिक प्रयास राजसत्ता के प्रभाव से मुक्त-होने के लिये किया। राज्यारोहण के अवसर पर पुरोहित कहता था, 'हे मनुष्यों! यह व्यक्ति तुम्हारा राजा है। (किन्तु) ब्राह्मणों का राजसत्ता के प्रभाव से मुक्ति का प्रयत्न राजा सोम है।'^१ इस प्रकार वे अपने को राजा के शासन से मुक्त घानते थे। इसी ग्रन्थ में अन्यत्र यह कहा गया है कि जब राजा भूमि तथा उससे सम्बन्धित अन्य वस्तुओं को पुरोहित को दान देता है तो इस दान के अन्तर्गत ब्राह्मण की सम्पत्ति नहीं शामिल हो सकती।^२ राजा के बल मूर्ख पुरोहित को छोड़ कर अन्य किसी भी ब्राह्मण को किसी प्रकार की यातना देने का अधिकारी नहीं था।^३ तीतरीय सहिता में ऐसा कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास ब्राह्मण और अब्राह्मण कोई प्रश्न लेकर जाय तो उस व्यक्ति को पहले ब्राह्मण से बोलना चाहिए न कि अब्राह्मण से। ऐसा करने से वह व्यक्ति ब्राह्मण का नहीं स्वयं अपना आदर करता है।^४ दूसरा अर्थ यहु भी हो सकता है कि यदि ब्राह्मण और अब्राह्मण किसी व्यक्ति से यह पूछें कि कौन बड़ा है तो उसे ब्राह्मण की प्रधानता घोषित करनी चाहिये। वैदिक इण्डेक्स के लेखकों तथा डा० घुरिये ने इस प्रसग को न्याय व्यवस्था से सम्बन्धित करते हुये कहा है कि ब्राह्मण और अब्राह्मण में वैधानिक विरोध (Legal disPute) उत्पन्न होने पर निर्णायिक को प्रथम के पक्ष में बोलना चाहिये।^५ परन्तु इस मत को स्वीकार करने में पर्याप्त कठिनाई है। प्रथम यह कि इस प्रसग में कोई ऐसा स्पष्ट सकेत नहीं है जिसके आधार पर इसे न्याय व्यवस्था से सम्बन्धित किया जा सके। दूसरे प्रोफेसर कीथ ने स्वयं 'अधिकृ' शब्द का अर्थ करते हुये इस बात में सन्देह प्रकट किया है कि यहाँ

१ शत० ब्रा० ११०.५ ७।^१

२ शत० ब्रा० १३ ५४ २६, ६२ १८, ७१ १३

३ शत० ब्रा० १३ ४२ १७

४ तं० स० २०३ ११६

यद् ब्राह्मणाश्राव्याश्राव्याश्र प्रश्नमेयाता ब्राह्मणायाधिवृयाद् ब्राह्मणायाध्याहात्मनेध्याह यद् ब्राह्मण पराहात्मान पराह तस्मात ब्राह्मणो न परोन्य।

५ वैदिक इण्डेक्स, माग २, पृ० ८३

इसका तात्पर्य 'निर्णय करना' ही होगा।^१ उन्होने यह स्वीकार किया है कि अधिन्दूशावद का अर्थ 'बोलना' (Speak to) भी हो सकता है। तीसरे जहाँ स्मृतियों में ब्राह्मणों द्वारा अनेक सुविधाओं की प्राप्ति का अन्वय प्रयास मिलता है उन्हें न्याय के ऊपर उठाने का प्रयास कही भी नहीं है।^२ यदि तीत्तिरीय सहिता में ऐसी कोई व्यवस्था होती तो अवश्य ही स्मृतिकारों ने उसकी प्रामाणिकता का लाभ उठाकर न्याय के क्षेत्र में भी विशेषाधिकारों की स्थापना का प्रयत्न किया होता।^३ ब्राह्मणों की हत्या को अवश्य ही महापातक समझा जाने लगा था। शतपथ ब्राह्मण के एक प्रसंग में ब्राह्मण की हत्या को ही कास्तविक हत्या माना गया है।^४ अब्राह्मण की तुलना में ब्राह्मण का वध एक गुरुतर अपराध था जिसकी तुलना श्रूराहत्या से की गई है।^५ ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त अश्वमेघ यज्ञ से होता था।^६ इसके विपरीत पञ्चविंशत्राहण (१४६८) से ज्ञात होता है कि पुरोहित यदि अपने सरक्षक के साथ विश्वासघात करे तो उसे मृत्यु दण्ड भी दिया जा सकता था। निश्चय ही यह नियम एक असाधारण स्थिति की ओर सकेत करता है।

उपर्युक्त वर्णन से हमें ऐसा नहीं समझना चाहिये कि ब्राह्मणों ने सामाजिक जीवन में केवल विशेष सुविधाओं की प्राप्ति का ही प्रयास किया वल्कि अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य भी वे प्रयत्न सजग रहे। उन्होने अपने को सामाजिक आदर्श का प्रति-रूप बनाने का प्रयास किया। ब्राह्मण के लिए प्रतिरूपचर्या (चरित्रकी शुद्धता) एक अनिवार्य विशेषण थी।^७ उत्तर वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों के आचार के सम्बन्ध में अनेक नियम तथा निर्देश मिलते हैं। ब्राह्मण से सदयता^८ और भद्रता^९ की आशा

१ हार्वड औरियण्टल सीरीज, भाग १८, पृ० २०३

२. हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्राज, अन्य २, भाग १, पृ० ३६, पादाटिप्पणी

३. शत० ब्रा० १३ ३५ ३

४. तै० सं० ६०५ १० २, काठक स० २७ ६

५. शत० ब्रा० ८ ३१ १

६. वही ६ ५ ७ १

७. वही २ ३ २ १२

८. वही २ ३४ ६

की जाती थी। ब्राह्मण पुरोहित और शिक्षक के कार्य भी सम्पादित करता था। अत भाषा और उच्चारण की शुद्धता का ज्ञान भी उसके लिये आवश्यक था।^१ अपूरुष उच्चारण-(Impure speech) कभी-कभी श्यापणंस जैसे पुरोहितों के बहिष्कार और अपमान का कारण बन जाता था।^२ ब्राह्मणों को विलास और ऐश्वर्य से विमुख करने के लिये भिक्षा वृत्ति पर जोर दिया गया।^३ इनके अतिरिक्त अनेक स्थानों पर ब्राह्मणों के आचरण के सम्बन्ध में निपेघ भी भिलते हैं। कौपीतकि ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण के लिये शास्त्र धारण करना निषिद्ध है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मण को राज्य भार वहन करने में असमर्थ बतलाया गया है^४ तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मण से लक्ष्मी नहीं प्रसन्न होती है।^५ उसे अश्लील बचत नहीं बोलना चाहिये।^६ स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये तथा एक निश्चित आगु में अपने पुत्र का उपनयन करना चाहिये।^७ जो ब्राह्मण इन नियमों की अवहेलना करता था उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का हास हो जाता था तथा वर्ग का पूर्ववत् सदस्य होने के लिये उन्हें अनुष्ठान और व्रत करना पड़ता था।

ब्राह्मणों का उत्तरदायित्व समाज के वौद्धिक और आध्यात्मिक हितों की रक्षा करना था। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिये उन्हें अपने ज्ञान और गुण द्वारा दूसरों की सहायता करनी पड़ती थी जिसे वे शिक्षक और पुरोहित के रूप में पूरा करते थे। पौरोहित्य और शिक्षण दोनों के लिए वैदिक

१ शत० ब्रा० ३ २ १ १४, काठक स० १४ ५, ३७ २, वाज० स० २३ ६२

२ ऐत० ब्रा० ७ २७

३ कौपी० उप०, ६३ १०४

४ शत० ब्रा० ५ १ १ १२

५ तै० ब्रा० ३ ६ १४, न वै ब्राह्मणे श्री रमते इति ब्राह्मणोन्योगायेद्राजन्योन्मयः।

६ शत० ब्रा० ३ २ १ २८

७ वैवर का मत, कारपोरेट लाइफ इन ऐन्स्यैन्ट इण्डिया, पृ० ३४०-४१ पर चढ़ते

ज्ञान (ब्रह्मवर्चसम्) की अनिवार्यता विभिन्न प्रसगो में बताई गई है ।^१ यद्यपि 'ब्रह्मवर्चसम्' की प्राप्ति में अनेक अनुष्ठान भी सहायक बताये गये हैं किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन स्वाध्याय बतलाया गया है । शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्याय की महिपा की भूरि-भूरि प्रशस्ता की गई है ।^२ इसी प्रकार वृहदारण्यक उपनिषद में यह कहा गया है कि विद्वान् श्रोत्रिय का विद्याजनित सुख परमानन्द के समान होता है ।^३ वृहदारण्यक उपनिषद के एक प्रसग में स्वाध्याय और अध्यापन को सर्वोच्च तप माना गया है ।^४ स्वाध्याय के विषय वहुधा तीन वेद (ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद) हुम्पा करते थे जिन्हें त्रयी कहा गया है । त्रयी के अध्येता विद्यार्थी को विशुक्रिय^५ अथवा त्रिशुक्र^६ कहते थे । शतपथ ब्राह्मण तैत्तिरीय आरण्यक तथा छान्दोग्य उपनिषद में अन्य अनेक विषयों के अध्ययन-अध्यापन का उल्लेख है^७ जैसे इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशसी, ब्रह्मोद्य, देव-जन-विद्या, सर्पविद्या, अथवागिरस, देव, निधि, पित्र्य, राशि, और सूत्र इत्यादि । तैत्तिरीय आरण्यक तथा सूत्र साहित्य में स्वाध्याय के लिये स्थान और काल का भी संकेत हुआ है ।^८ यदि स्वाध्याय गाव के बाहर अरण्य अथवा किसी एकान्त आश्रम में होता था तो विषय को स्फुट स्वर में पाठ करके कठस्य करने की स्वतत्त्वता थी (वाचा) अन्यथा गाव में स्वाध्याय करने वालों के लिये मौन चिन्तन (मनसा) का आदेश था । ब्राह्मण के लिये स्वाध्याय और

१. तै० स० ४ १७-१, ७५ १८-१, वाज० स० २२ २२, २७ २, तै० ब्रा० ३ ८-१३ १, ऐत० ब्रा० ४ ११ ६-६, शत० ब्रा० १३ २ ६ १०, १० ३-५ १६, ११ ४ ४ १, पच० ब्रा० ६ ३ ५ ।

२. काठक स० ३७ ७, तै० ब्रा० २७ १ १, पच० ब्रा० २३ ७ ३, शत० ब्रा० २ ३ १ ३ १

३ वृ० उप०, ४ ३ ३५-३६, तै० आ० ६ ८

४ वही ७ ८-१०

५. काठक स० ३७ ७

६ तै० ब्रा० २७-१ २

७ शत० ब्रा० ११ ५ ७ ५-८, तै० आ० २ ६ १०, छान्दोग्य उप० ७ १ २ ४, २ १, ७ १

८ तै० आ० २ १-१२-१५

तज्जन्य शान इतना आवश्यक समझा गया कि विद्वत्ता को ब्राह्मणात्म का अनिवार्य विशेषण माना गया।^१

अध्यापन कार्य में यद्यपि ब्राह्मणेतर वर्ग के लोग भी यत्र तत्र भाग लेते थे तथापि इस व्यवसाय पर प्राय ब्राह्मणों का एकाधिपत्य था। ब्राह्मणों के साथ शिक्षण का इतना अधिक सम्बन्ध था कि जब गार्य

काशिराज श्रावणशत्रु के पास ब्रह्मज्ञान के लिये
अध्यापन पहुँचे तो दूसरे ने उत्तर दिया कि क्षत्रिय के पास
ब्राह्मण का विद्यार्जन के हेतु पहुँचना प्रतिलोम है।^२

शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मणों के चार प्रधान धर्मों में लोकपक्षि (दूसरों को शिक्षा देना) की भी स्थान देता है। शिक्षक के रूप में उसका प्रथम कार्य अपने पुत्र को वैदिक शिक्षा एवं याज्ञिक कर्मकाण्डों में प्रवीण करना था।^३ इस प्रकार वह अपने पुत्र को वैतिक व्यवसाय में भी दक्ष बनाता था। आखणि और इवेतकेतु की कथा तथा वरण और भृगु के पौराणिक आत्मान^४ से पिता द्वारा पुत्र के शिक्षण की परम्परा प्रमाणित होती है।^५ कतिपय उद्धरणों से यह भी सिद्ध होता है कि कभी-कभी ये ब्राह्मण अपनी विशेषज्ञता के अभाव में अपने पुत्रों को अन्य लड्यप्रतिष्ठ विद्वानों के यहाँ भी भेजते थे।^६ अध्यापक के रूप में वह वहुत से शिष्यों को साथ-साथ शिक्षा देता था।^७ वह मन और मस्तिष्क की पूरी शक्ति से विद्यार्थियों को पढ़ाता था तथा उन्हें सब कुछ सिखाने का प्रयास करता था।^८ कुछ विद्यार्थियों के लिये सबत्तरवासिन शब्द का प्रयोग हुआ है जिससे यह प्रतीत होता है कि कभी-कभी विद्यार्थी एक वर्ष की अल्प अवधि तक ही एक आचार्य के पास निवास करते थे। विद्यार्थी अधिकाशत आचार्य के कुल में ही रहते थे।^९

१ तै० स० ३ ६.१ ४, एप वै ब्राह्मण ऋषिराषेयोय शुश्रवन'

२ वृ० उप० २ १ १५, कोपी० उप० ब्रा० ४ १८

३ शत० ब्रा० १ ६ २ ४, वृ० उप० ५ २ १, छान्दोग्य ४ ५ ५, ५.११ ७

४ शत० ब्रा० ११ ६ १ १

५ वृ० उप० ६ १ १, शत० ब्रा० ११.६ १ १

६ द्र० वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० ८८

७ तै० ब्रा० ७ ३

८ वही ७ ४

९ आचार्यं फुस्वासिन या अन्तेवासिन। छान्दोग्य उप० ३ २.५, ५.१०.१

और भोजन करते थे^१ और इसके घदले में गुरुकी सेवा करते थे, जैसे गायों को चराना, यज्ञिय अग्नि को निरन्तर प्रदीप रखना आदि। सत्यकाम जावाल के आख्यान से विदित होता है कि उसे गुरु के गायों की साथ रहने और तब लौटाने का आदेश दिया गया था जब उनकी संखा १ एक सहस्र हो जाय। विद्यार्थी भिक्षाचरण में भी गुरु की सहायता करता था।^२

कुछ खास विद्यायें विशिष्ट जनों के लिये ही थीं। उनके अधिकारी सभी विद्यार्थी नहीं थे।^३ छान्दोग्य उपनिषद (५३) में प्रशासन को क्षत्रियों की विद्या कहा गया है। अध्ययन और अध्यापन सम्बन्धी विविध नियमों का विस्तृत वर्णन हमें सूत्र साहित्य में मिलता है।

यद्यपि साधारण गृहा यज्ञ विना पुरोहित की सहायता के भी सम्बन्ध होते थे किन्तु श्रौत यज्ञों में उसकी सहायता अपरिहार्य थी। ब्राह्मण साहित्य में विशालतम् यज्ञों के लिये नोलह पुरोहितों तक पञ्च-सम्पादन की व्यवस्था मिलती है किन्तु अन्य अपेक्षाकृत साधारण श्रौत यज्ञों में चार, पाच, छ, सात और दस पुरोहित भी पर्याप्त समझे जाते थे।^४ शतपथ ब्राह्मण एक स्थानपर सदस्य नामक सत्तरहवें पुरोहित का भी उल्लेख करता है।^५ पचविंश ब्राह्मण सोलह के अतिरिक्त तीन अन्य पुरोहितों का वर्णन करता है^६ जिन्हें उन्नेतृ, अभिगर और अपगर कहा गया है। इस प्रकार कर्मकाण्डों और अनुष्ठानों की जटिलता के साथ-साथ पौरोहित्य पर भी ब्राह्मणों का एकाधिकार हो चुका था। पौरोहित्य ब्राह्मणों का वैत्रिक व्यवसाय या जिसकी शिक्षा उन्हें पिता पुत्र परम्परा से प्राप्त होती थी। ब्राह्मणों का यज्ञ से अभेद्य सम्बन्ध इस बात से प्रकट होता है कि कोई भी राजन्य अथवा वैश्य तब तक यज्ञ में भाग नहीं ले सकता था जब तक स्वयं ब्राह्मणोंचित् वेशभूषा न धारण करे।^७ फिर कोई ब्राह्मणेतर व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से यज्ञ में पौरोहित्य

१. छान्दोग्य उप० ४ ३ ५

२. छान्दोग्य उप० ४ ३,५

३. पच० ब्रा० १५ ५ २८, तै० ब्रा० ३ ५.० १, काठक स० ३७ १७

४. वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० ८६

५. शत० ब्रा० १०.४ २ १९

६. पच० ब्रा० २५ १४ ३

७. ऐत० ब्रा० ७ १४.१६

किस प्रकार कर सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण कार्य के अतिरिक्त धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों द्वारा वे राजा और प्रजा दोनों के सुख शान्ति का भाग प्रशस्त करते थे।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है उत्तर वैदिक युग से सामाजिक प्राचीन्य और नेतृत्व के लिये ब्राह्मणों और क्षत्रियों में प्रतिस्पर्धा चल रही

थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों की उद्दी-

ब्राह्मण-क्षत्रिय यमान श्रेष्ठता से धीरे-धीरे राजन्य वर्ग के अन्दर

प्रतिस्पर्धा असन्तोष और कोभ का भाव उत्पन्न होने लगा था। वे राष्ट्र के प्रभु थे। विश्व पर उनका पर्याप्त

प्रभाव था। अतः वे ब्राह्मणों के समक्ष अपनी सामाजिक हीनता को स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत नहीं थे। उन्होंने न केवल ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता का विरोध किया बल्कि उनके स्थान पर अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन भी किया। घोपाल महोदय ने अनेक उद्धरणों की पृष्ठभूमि में यह प्रमाणित किया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के दो अत्यन्त शक्तिशाली वर्ग थे जिनके सम्पर्क और सघर्ष ने युग के सामाजिक इतिहास को गति प्रदान की।^१ शतपथ ब्राह्मण जैसे विशाल ग्रन्थों में जहाँ ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन हुआ है वही स्थान स्थान पर क्षत्रियों की यह विरोधात्मक प्रवृत्ति भी परिलक्षित हुई है। एक प्रसाग में स्पष्ट कहा गया है कि क्षत्रियों से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि राजसूय के अवसर पर ब्राह्मण भी उसके समक्ष निम्नासन ग्रहण करता है।^२ इसी प्रकार अन्यत्र यह कहा गया है कि क्षत्रिय के पश्चात् ब्राह्मण मान्य है।^३ वस्तुतः आर्यिक सम्पन्नता और राजनीतिक प्रभुत्व के कारण राजन्य वर्ग की स्थिति भी बहुत सामान्य हो चली थी। तैतिरीय सहिता से ज्ञात होता है कि अन्य तीन वर्गों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में वह समर्थ हो चला था।^४ फिर भी ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के राजनीतिक प्रभाव से मुक्त का मुहर प्रयास किया। पुरोहित राजा के समक्ष राज्याभियक्त के अवसर पर इस बात की धौषण्या करता था कि यह अभिविक्त व्यक्ति सब

१. घोपाल, हिन्दू पांडक लाइफ, पृ० ७३ द०

२. शत० ब्रा० १४४ १२३

३. सेक्रेट बुक्स आव दि ईस्ट, ग्रन्थ ६, पृ० ६६

४. ती० स० २.५.१० १

लोगो का राजा है। किन्तु ब्राह्मणो का राजा सोम है।^१ इस प्रकार अपनी सामाजिक महत्ता को अक्षुण्णा रखने के लिए उन्होंने सदैव अपने को राजाश्री के प्रभाव क्षेत्र के बाहर रखने का प्रयास किया तथा इसके लिए नियम बनाये। बेवर महोदय का मत है कि इसी सधर्वं काल में ब्राह्मणों ने ब्रह्मजय, ब्रह्मगाव, शतरुद्रिय जैसे स्तोत्रों की रचना की। क्षत्रियों को पौरोहित्य जैसे धार्मिक कार्यों से पृथक् तो किया ही गया साथ ही यत्र-तत्र उनकी पुरोहितों को नियुक्त करने और निकालने की भी स्वतन्त्रता जाती रही।^२ जनमेजय पारिक्षित ने कश्यपों को अपने पौरोहित्य से पृथक् कर दिया था किन्तु असितमृग ने उन्हे पुन पौरोहित्य में लगाने के लिये विवश किया।^३ विश्वन्त सौशदमन ने अपने पुरोहित को यज्ञ से बहिष्कृत करने के पश्चात् पुन नियुक्त किया था। किन्तु इसके विपरीत महाभारत में कार्ति-वीर्यं और विश्वामित्र की कहानी है जिन्होंने ऋमश जमदग्नि और वशिष्ठ की गायों का अपहरण किया। पुराणों में भी ऐसे राजाश्री के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार किये। अथर्ववेद में ब्राह्मणों तथा उनकी गायों को हानि पहुँचाने वाले राजन्यों को शाप दिया गया है कि उनका राज्य वैसे ही नष्ट हो जाय जिस प्रकार हूटी नौका जल में नष्ट हो जाती है।^४ इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले तथा उनकी गायों का अपहरण करनेवाले निरकुण राजन्य भी उत्तर वैदिक युग में अज्ञात नहीं थे। अथर्ववेद के एक मन्त्र में ब्रह्म जाया के अपहरण की दुष्प्रस्पर्श का भी सकेत मिलता है।^५ ऐसे राजन्य को ब्राह्मणों ने निर्धन और दरिद्र होने का शाप दिया है।

उपनिषदों के काल तक यह श्रेष्ठता विषयक ब्राह्मण क्षत्रिय सधर्वं और तीव्र हो गया। ब्राह्मणों की मान्यता के दो प्रमुख कारण थे। प्रथम उनका

१ शत० ब्रा० ११५७१

२ दत्त, औरिजिन एण्ड ग्रोथ आव कास्ट इन इण्डिया, पृ० ९०

३ ऐत० ब्रा० ७ २७

४ अथर्व० ५ १६ ३ और ८

५ अथर्व० ५ १७ १४

ज्ञान और दूसरा धार्मिक कार्यों में उनकी अनिवार्यता । अत इन दोनों क्षेत्रों में क्षत्रियों ने अपने को ब्राह्मणों के समकक्ष लाने की कोशिश की । उपनिषद्-कालीन राजन्य वर्ग ब्राह्मणों की भीति अध्ययन अध्यापन, मनन-चिन्तन से सलग दिखाई देता है । जब समग्र याजिक और कर्मकाण्डीय धर्म पुरोहितों के हाथ में केन्द्रीभूत हो गया तब इस दिशा में प्रवेश निषिद्ध देख क्षत्रियों ने धर्म के क्षेत्र में एक नये पथ का अनुसरण किया जिसके माध्यम से वे ब्राह्मणों के समान ही यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में समर्थ हुये । यह उपनिषदों की नई विद्या थी जिसे ब्रह्म-विद्या के नाम से भी अभिहित किया गया है । इसके अन्तर्गत ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप का विश्लेषण प्रारम्भ हुआ । इस युग में सर्व प्रथम भारतीय मस्तिष्क ने आदिम विश्वासो और भान्यताओं से ऊपर उठकर सत्य के वास्तविक स्वरूप के निर्धारण का वैज्ञानिक प्रयास किया । इस नई विद्या में राजन्य वर्ग यदि ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं तो समान अवश्य था । बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जनक वेदों और उपनिषदों के ज्ञाता थे ।^३ पचासिं विद्या का तो प्रादुर्भव ही प्रवाहण जैवलि से हुआ था ।^४ क्षत्रिय विद्वानों की विद्वत्ता और स्वाति इस बात से प्रभागित होती है कि अनेक लघ्वप्रतिष्ठ ब्राह्मण-विद्वान भी इनके समीप अध्ययन करने जाते थे । उदाहरणार्थ याज्ञवल्य ने जनक से शिक्षा प्राप्त की थी ।^५ वालाकि गार्ग ने अजातशत्रु से^६ तथा श्वेतकेतु आरुणोय ने प्रावहण जैवलि से ।^७ छान्दोग्य उपनिषद में यह भी बताया गया है कि एक बार पाँच ब्राह्मण उद्वालक आरणि के पास एक समस्या के समाधान के लिये प्राप्ते । स्वयं अनभिज्ञ होने के कारण वे उन्हें राजा अश्वपति कैकय के पास ले गये जिन्होंने समस्या का समुचित समाधान किया । इस प्रकार क्षत्रियों ने अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में कीति अजित की तथा ज्ञान के क्षेत्र में ब्राह्मणों के एकाधिकार को खंडित किया ।

जहाँ तक याजिक कार्यों में ब्राह्मणों की अनिवार्यता का प्रश्न था इसका समाधान क्षत्रियों ने दूसरी रीति से किया । उन्होंने याजिक धर्म के मूल पर

^१ दृ० उप० ४२ १

^२ छान्दोग्य उप० ५ ३ ७

^३ शत० ब्रा० ११ ६ २१ ५

^४ दृ० उप० २ १

^५ छान्दोग्य उप० ५ ११

ही कुठाराघात किया। आत्म-यजन, चिन्तन और मनन की अपेक्षा यज्ञो की हीनता प्रदर्शित की गई।^१ तपश्चर्या और त्यागपूर्ण जीवन पर वल दिया गया। उपनिषदों में सर्वप्रथम हिंसात्मक यज्ञों के विश्व नियम प्रतिपादित किये गये।

उपनिषदकाल में ब्राह्मण-श्रेष्ठता के विश्व जो असन्तोष उत्पन्न हो रहा था वह निरन्तर विकासोन्मुख रहा तथा छठी सदी ई० पू० तक उसने प्रकट विद्रोह का रूप धारण कर लिया। बोद्ध एवं जैन धर्म से न केवल यज्ञमूलक ब्राह्मण धर्म का विरोध हुआ बल्कि उनमें ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता के प्रति क्षत्रियों की अस्त्रीकृति भी परिलक्षित होती है। बोद्ध और जैन धर्मों के प्रवर्तनकों का क्षत्रिय होना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। उत्तर वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के इस पारस्परिक सघर्ष के निवारण तथा सहयोग को भावना को उत्पन्न करने का प्रयास भी दिखाई देता है। तैत्तिरीय सहिता में दोनों की महानता का यशोग्रन्थ किया गया है।^२ इस ग्रन्थ के अनुसार राजन्य युक्त ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है तथा ब्राह्मण युक्त क्षत्रिय अन्य क्षत्रियों से ब्रेष्ठ है।^३ ऐतेरेय ब्राह्मण पुरोहित को क्षत्रिय की श्राधी आत्मा बतलाता है।^४ शतपथ ब्राह्मण में कई स्थानों पर इस बात का सकेत है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का सहयोग कीति और सफलता प्रदान करने वाला होता है। इसी ग्रन्थ में यह भी कहा गया है कि किसी विशेष क्रृत्य का सम्पादन करने वाले राजन्य को ब्राह्मण कि सहायता लेनी चाहिये क्योंकि ब्राह्मण के सहयोग से किया गया क्षत्रिय का कार्य सफल होता है।^५

१. द्वान्द्वोग्य उप ५ १५.५, कौपी० उप० २.५

२. तै० सं० ५ १ १० ३

३ तै० स० ५ १ १० ३ तस्मात् ब्राह्मणों राजन्यवानत्यन्य ब्राह्मण तस्माद्राजन्यो ब्राह्मणवानत्यन्य राजन्यम् ।

४ ऐत० ब्रा० ३४४ अधीत्मो हवा एव क्षत्रियस्य यत्पुरोहित ।

५. शन० ब्रा० ४ १.४ ६ तस्माद् क्षत्रियेण करिष्यमाणेनोपसर्तंव्य एव ब्राह्मण । स हैवास्मी तद ब्रह्मप्रसूत फर्मन्धते ।

जब हम स्वतंत्र रूप से उत्तरवैदिक शुग के राजन्य-वर्ग की स्थिति पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि राजनैतिक प्रभुत्व के कारण क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी हुई थी कि राजन्य-वर्ग और उसकी राज्याभिपेक के अवसर पर राजा को प्राणिमात्र सामाजिक स्थिति^१ का अधिपति, धर्म और ब्राह्मण का रक्षक कहा जाता था।^२ शतपथ ब्राह्मण मनुष्यों में श्रोत्रिय और राजा इन दोनों को घृतिव्रत बतलाता है।^३ तैत्तिरीय सहिता के अनुसार राजा मनुष्यों को बन्धनयुक्त बनाता है।^४ राजन्यों की शक्ति का प्रभाव समाज के शेष तीन वर्णों पर इतना अधिक था कि वे ब्राह्मणों के निष्कासन और निवासिन में समर्थ थे, विश के अत्ता (भक्षक या शोषक) समझे जाते थे तथा शूद्रों को अनापास ही मृत्युदण्ड दे सकते थे।^५ इससे स्पष्ट होता है कि राजनैतिक प्रभुत्व में वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक प्रभुत्व भी बढ़ता जा रहा था।

इस शुग के क्षत्रिय वर्ग को सबसे बड़ा श्रेय उपनिषदों के दार्शनिक विषयों के प्रतिपादन का दिया गया है।^६ कतिपय क्षत्रिय नरेशों के दार्शनिक ज्ञान का परिचय हमें छान्दोग्य उपनिषद ५ ३, ५ ११, बृहदा-रण्यक उपनिषद २ १, ६ २, और कौशीतकि उपनिषद १ १, ४ १, से होता है। इन उद्धारणों से यह प्रकट होता है कि ब्राह्मणों की भाँति राजन्य भी धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयों में पर्याप्त रुचि लेते थे। काणे महोदय ने क्षत्रियों के ब्रह्मविद्याप्रणोत्ता होने में सन्देह व्यक्त किया है तथा इस पक्ष की पुष्टि के लिये अनेक तर्क व प्रमाण प्रस्तुत किये हैं^७ किन्तु उनके तर्क केवल ढाँसन तथा भएडारकर महोदय की स्थापना को

१. ऐत० ब्रा० ३८ और ३६, ३, क्षत्रियों जनि विश्वस्य भूतस्याधिपतिरजनि-विशामत्ताजनि—ब्राह्मणों गोप्ताजनि धर्मस्य गोप्ताजनि।

२. शत० ब्रा० ५ ४ ५, वृत्तव्रतो वै राजा—एप च श्रोत्रियरुच तो ह वै मनुष्येषु घृतव्रतो।

३. वस्मात् राजा मनुष्या विघृता। तै० स० २ ६ २, २

४. तै० ब्रा० ३ १२ ६ ऐत० ब्रा० ७ २६ १

५. द्व०, भण्डारकर, बौद्धाविज्म एण्ड शैविज्म' पृ० ६

६. हिस्टरी आफ धर्मशास्त्राज, अन्य २, भाग १, पृ० १०७

ही कुठाराघात किया । आत्म-यजन, चिन्तन और मनन की अपेक्षा यज्ञों की हीनता प्रदर्शित की गई ।^१ तपश्चर्या और त्यागपूर्ण जीवन पर वल दिया गया । उपनिषदों में सर्वप्रथम हिंसात्मक यज्ञों के विश्वद नियम प्रतिपादित किये गये ।

उपनिषदकाल में ब्राह्मण-श्रेष्ठता के विश्वद जो असन्तोष उत्पन्न हो रहा था वह निरन्तर विकासोन्मुख रहा तथा छठी सदी ई० पू० तक उसने प्रकट विद्रोह का रूप धारण कर लिया । बीढ़ एवं जैन धर्म में न केवल यज्ञमूलक ब्राह्मण धर्म का विरोध हुआ चलिक उनमें ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता के प्रति क्षत्रियों की अस्त्रीकृति भी परिलक्षित होती है । बीढ़ और जैन धर्मों के प्रवर्तनकों का क्षत्रिय होना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी । उत्तर वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के इस पारस्परिक संघर्ष के निवारण तथा सहयोग को भावना को उत्पन्न करने का प्रयास भी दिखाई देता है । तत्त्विरीय संहिता में दोनों की महानता का यशोगति किया गया है ।^२ इस ग्रन्थ के अनुसार राजन्य युक्त ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है तथा ब्राह्मण युक्त क्षत्रिय अन्य क्षत्रियों से श्रेष्ठ है ।^३ ऐतेरेय ब्राह्मण पुरोहित को क्षत्रिय की आधी आत्मा बतलाता है ।^४ शतपथ ब्राह्मण में कई स्थानों पर इस बात का सकेत है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का सहयोग कीति और सफलता प्रदान करने वाला होता है । इसी ग्रन्थ में यह भी कहा गया है कि किसी विशेष कृत्य का सम्पादन करने वाले राजन्य को ब्राह्मण कि सहायता लेनी चाहिये क्योंकि ब्राह्मण के सहयोग से किया गया क्षत्रिय का कार्य सफल होता है ।^५

१. छान्दोग्य उप ५ १५ ५, कीपी० उप० २.५

२. तै० सं० ५ १ १० ३

३. तै० स० ५ १ १० ३ तस्मात् ब्राह्मणो राजन्यवानत्यन्यं ब्राह्मण तस्माद्राजन्यो ब्राह्मणवानत्यन्य राजन्यम् ।

४ ऐत० ब्रा० ३४४ अर्धात्मो हवा एष क्षत्रियस्य यत्पुरोहित ।

५. शन० ब्रा० ४. १ ४. ६ तस्मादु क्षत्रियेण करिष्यमाणेनोपसर्तव्य एव ब्राह्मण । स हैवास्मै तद ब्रह्मप्रसूत कर्मध्यते ।

जब हम स्वतंत्र रूप से उत्तरवैदिक युग के राजन्य-वर्ग की स्थिति पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि राजनीतिक प्रभुत्व के कारण क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी हुई थी कि राजन्य-वर्ग और उसकी राज्याभियेक के अवसर पर राजा को प्राणि मात्र सामाजिक स्थिति का अधिपति, धर्म और ब्राह्मण का रक्षक कहा जाता था।^३ शतपथ ब्राह्मण मनुष्यों में शोन्निय और राजा इन दोनों को धृतिव्रत बतलाता है।^४ तैत्तिरीय सहिता के अनुसार राजा मनुष्यों को बन्धनयुक्त बनाता है।^५ राजन्यों की शक्ति का प्रभाव समाज के शेष तीन वर्णों पर इतना अधिक था कि वे ब्राह्मणों के निष्कासन और निर्वासन में समर्थ थे, विश के अत्ता (भक्षक या शोषक) समझे जाते थे तथा शूद्रों को अनायास ही मृत्युदण्ड दे सकते थे।^६ इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक प्रभुत्व भी बढ़ता जा रहा था।

इस युग के क्षत्रिय वर्ग को सबसे बड़ी श्रेय उपनिषदों के दार्शनिक विषयों के प्रतिपादन का दिया गया है।^७ कतिपय क्षत्रिय नरेशों के दार्शनिक ज्ञान का परिचय हमें छान्दोग्य उपनिषद ५ ३, ५ ११, बृहदारण्यक उपनिषद २ १, ६ २, और कौवीतकि उपनिषद १ १, ४ १, से होता है। इन उद्घारणों से यह प्रकट होता है कि ब्राह्मणों की भाति राजन्य भी धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयों में पर्याप्त रुचि लेते थे। काणे महोदय ने क्षत्रियों के ब्रह्मविद्याप्रणोत्ता होने से सन्देह ध्यक्त किया है तथा इस पक्ष की पुष्टि के लिये अनेक तर्क व प्रमाण प्रस्तुत किये हैं^८ किन्तु उनके तर्क केवल डॉसन तथा भण्डारकर महोदय की स्थापना को

१. ऐत० ब्रा० इ८ और ३६, ३, क्षत्रियों जनि विश्वस्य भूतस्याधिपतिरजनि-विशामत्ताजनि— ब्राह्मणों गोप्ताजनि धर्मस्य गोप्ताजनि ।

२. शत० ब्रा० ५ ४ ५, धृतव्रतो वै राजा—एप च शोन्नियश्च ती ह वै मनुष्येषु धृतव्रतो ।

३. तस्मात् राजा मनुष्या विष्टा । तै० स० २ ६ २. २

४ तै० ब्रा० ३ १२ ६ ऐत० ब्रा० ७ २६ १

५. द३०, भण्डारकर, गौण्डाविज्म एण्ड शैविज्म' पृ० ६

६. हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्राज, अन्य २, भाग १, पृ० १०७

सन्दिग्ध बनाने में समर्थ हैं। उनसे कोई अपना स्वस्थ निष्कर्ष नहीं निकलता। फोफेसर इंगलिंग ने भी तत्कालीन धार्मिक आनंदोलन में क्षत्रियों का कोई महत्वपूर्ण योग नहीं माना है।^१ वैदिक इण्डेक्स के लेखकी को तो इन राजाओं की विद्वत्ता में मात्र प्रशासा और चाटुकारिता की झलक मिलती है।^२ किन्तु उत्तर वैदिक साहित्य में प्राप्त प्रसरणों से इतना तो प्रायः स्पष्ट है कि जनक, प्रावहण जैबलि, अश्वपति कैकेय और काशिराज अजात-शत्रु प्रभूति नरेश उपनिषद युग के प्रमुख विद्वानों में अपना स्थान रखते थे जिनके ज्ञान की गच्छ तत्कालीन साहित्य में विस्तरी पढ़ी है। उपनिषदयुग के धार्मिक ऋण्ठि के सम्बन्ध में इतना स्पष्ट कहा जासकता है कि विकास की यह नई दिशा ब्राह्मणोत्तर प्रयासों का परिणाम थी जिसमें अनायं परम्पराओं का भी पर्याप्त प्रभाव था। याज्ञवल्वक्य, वालाकि गायं तथा श्वेतकेतु आरुणेय जैसे विद्वान ब्राह्मणों को भी इस नवीन विषय के ज्ञान हेतु क्षत्रिय कुमारों के यहा जाना पड़ा। बृहदारण्यक उपनिषद (६, २,) तथा आनंदोग्य उपनिषद (५ ११) में यह कहा गया है कि 'इस विद्या' का ज्ञान अब तक किसी ब्राह्मण को नहीं था। यहाँ इस विद्या का तात्पर्य सम्पूर्ण ब्राह्मविद्या से न होकर केवल पचासिंविद्या से है। पचासिंविद्या परोक्षरूप में (In figurative way) आवागमन के सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है। निश्चय ही उपनिषदों के दार्शनिक विचारधारा के मूल में आत्मा की अमरता और आवागमन का सिद्धान्त था। आवागमन के सिद्धान्त का विकास गगा की घाटी में आयों के प्रवेश के पूर्व ही निषाद जाति ने कर लिया था। दूसरे नैराश्यमूलक धार्मिक विचारों का विकास भी मगध और विदेह के क्षेत्र में आठवीं सदी ई० पू० तक हो चुका था। इस प्रकार उपनिषदों की इस नवीन विद्या का मूल अवायं तथा खास तौर से निषाद उत्पत्ति वाला प्रतीत होता है जिसका विकास स्थानीय राजन्यों के माध्यम से हुआ। यही कारण है कि उपनिषदों के दर्शन का विकास सप्तसिंघु प्रदेश में न होकर गगा की घाटी में हुआ।^३

राजन्य वर्ग का प्रमुख कार्य शासन और सुरक्षा का था। युद्ध में सैन्य-सचालन उनका उत्तरदायित्व था तथा तीर-घनुप उनका जातीय

१. वैदिक इण्डेक्स, भाग भाग १, पृ० २०६ पर उद्घृत

२. द्र० वैदिक इण्डेक्स, भाग १, पृ० २०६

३. द्र० प्रथम अध्याय, पृ० १६-२०

चिन्ह ।^१ युद्ध में क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य लोग भी भाग लेते थे^२ किन्तु क्षत्रिय-वर्ग अपने राजकीय अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के कारण दूसरों से पृथक् औरविशिष्ट था ।^३ क्षत्रियों के कृतिकर्म करने तथा व्यापार आदि में भाग लेने के सम्बन्ध में प्रभाणों का अभाव है । शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि क्षत्रिय अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर वीणावादन तथा सगीत में भाग लेते थे ।

वैश्य ऋष्वेद में पुरुष सूक्त को छोड़ कर अन्यथा नहीं मिलता । विश्व का उल्लेख अवश्य स्थान-स्थान पर हुआ है जिसका तात्पर्य सर्वसाधारण से था । उत्तरवैदिक युग तक वर्ण-विभाजन के वैश्य परिणामस्वरूप इन्हीं साधारण जनों का एक तीसरा वर्ग अस्तित्व में आया जिसे वैश्य नाम से अभिहित किया गया है । फिक महोदय ने वैश्यों की स्थिति एक वर्ग के रूप में नहीं स्वीकार किया है । यदि हम वैश्य वर्ण का तात्पर्य एक ऐसी इकाई से मानें जिसके विवाह सम्बन्ध वर्ग के अन्तर्गत ही सीमित हो तथा जिसके सभी सदस्य एक सामान्य पैतृक व्यवसाय अपनाते हों तो निश्चित रूप से फिक महोदय का मत भवत्पूर्ण हो जाता है । यह मानना पूर्णत सही नहीं होगा कि द्वाष्ठाणों और क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी साधारण जनों को वैश्य नाम से पुकारा गया क्योंकि उत्तर वैदिक युग तक समाज के सामान्य जनों का एक बहुत बड़ा भाग वर्ग सघं एवं अनार्थ सम्पर्क के परिणामस्वरूप यूद्धों के चतुर्थ वर्ण में स्थानान्तरित किया गया । इतना अवश्य है कि प्रारम्भिक स्थिति में यह वर्ग अपने प्रयासों के कारण अस्तित्व में नहीं आया । यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि वैश्यों के अन्दर प्रारम्भ में

१. अथवेद १८ २ ६०, काठक स० १८ ६ ३७ १,

शत० ब्रा० ५ ३ ५०-६० त० आ० ६ १.३,

ऐत० ब्रा० ७ १६, त० स० ७ ५ १८ १, मैत्रा० स० ३ १२ ६

२. अथवेद ६ ७ ६

३. काठक स० २७ ४ (तस्मात् राजन्येन प्रध्यक्षेण वैश्यधनन्ति) में राजन्य के न्याय और दण्ड विषयक अधिकार का सकेत है । इस प्रस्तुति में यह उल्लेखनीय है कि शासन-कार्य भी एकमात्र क्षत्रियों के हाथ में सीमित नहीं था । शासन में पुरोहित, वैश्य-प्रामणी आदि क्षत्रियेतर लोगों का भी पर्याप्त प्रभाव था ।

वर्ग निर्माण की चेतना का भी अभाव था। ब्राह्मणों और ऋचियों ने जब अपने को विश्व से पृथक् करके अपना अलग सगठन प्रारम्भ किया तब स्व-भावतः विश्व के शोप लोग भी एक इकाई में वधु चले। ऐसा करने से वैश्यों को शूद्रों के नबोदित वर्ग के समक्ष, जिनसे वैश्यों की व्यवसाय-गत समानता थी, अपनी सामाजिक श्रेष्ठता और द्विजातित्व की रक्षा करनी भी अशांत, सम्भव थी। यह भी सत्य है कि वैश्य वर्ण के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के लोग तथा विभिन्न व्यवसायोपजीवी एकत्र सम्ग्रहीत थे अत इस वर्ग के अन्तर्गत विभिन्नताओं श्रीर बहुलताओं का सुन्दर सामजस्य मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण वैश्यों को अन्य वर्णों की अपेक्षा बहुसङ्ख्यक वतलाता है।^१

वैश्यों के इस तीसरे वर्ग में अनार्य तत्व का प्रवेश ब्राह्मणों और ऋचियों के सम्मान्य वर्णों की अपेक्षा कही अधिक हुआ होगा। वह वर्ग अपनी बहुसङ्ख्यता और विविधता के कारण, जीवन के विभिन्न दैनिक कार्यों में शूद्रों से सम्पर्क के कारण तथा व्यावसायिक जीवन में अपेक्षाकृत समानता के कारण अनार्य जनों का सामाजिक वर्तिकार नहीं कर सका। साधारण आर्य जनता और अनार्य जनता में पर्याप्त रक्त-मिश्रण हुआ। सम्पन्न तथा महत्वपूर्ण व्यवसायों को धारण करने वाले अनार्य जन भी वैश्य वर्ण को अन्तर्गत सम्मानित हुये होगे। वैश्यों की वर्धमान सामाजिक हीनता का यह भी एक कारण था। दूसरे अनुवर्ती युग का वर्णिक शब्द भी, जिसका विकास 'पणि' शब्द से हुआ प्रतीत होता है, वैश्य वर्ग के अन्तर्गत अनार्य व्यापारियों एवं व्यवसायियों के प्रवेश का सकेत करता है।

उत्तरवैदिक युगीन वैश्य वर्ण की स्थिति सामाजिक परिस्थितियों के दबाव के कारण क्रमशः हीन होती जा रही थी। उत्तर वैदिक साहित्य में इन्हें 'अन्यस्य वलिकृत' कहा गया है।^२ तैत्तिरीय वैश्यों की सामाजिक संहिता में कहा गया है कि मनुष्यों में वैश्य और स्थिति में क्रमिक ह्लास पशुओं में गाय समान है अत ये दूसरों के लिये खाद्य है। इनकी रचना भी खाद्य सामग्रियों से हुई है।^३ सूत्रकाल तक कतिपय ग्रन्थों ने वैश्यों को भी शूद्रों की भाति अश्वमेष यज्ञ में

१. तै० ब्रा० ३.१२६, तस्माद भूया सोऽन्येभ्य ।

२. ऐत० ब्रा० ७.२६

३. तै० सं० २.५.१०.२

प्रवेश से वचित कर दिया।^१ वैश्य को 'यथाकामज्जेय' भी कहा गया है जिसे ज्ञात होता है कि राजा उसे इच्छानुसार निष्कासन का डड़ दे सकता था। वैश्यों को कुछ प्रसरणों में शूद्रों के समान स्थिति प्रदान की गई। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि एक वैश्य शूद्रा का पति हो सकता है तथा शूद्र वैश्या का।^२ इसके कारण भी प्राय स्पष्ट है। राजन्य वर्ग की शक्ति एवं सख्या में ज्यों-ज्यो विस्तार हुआ औसे ही आर्यों का प्रारम्भिक राजनीतिक सगठन भी बदलने लगा। परिणामस्वरूप राजन्य एवं वैश्य वर्ग की स्थिति में बड़ा ही महत्वपूर्ण अन्तर आ गया। क्षत्रियों को वैश्य वर्ग का अता कहा गया। वैश्य समुदाय धीरे-धीरे आर्यों के सम्भ्रान्त वर्गों से दूर होता गया तथा समाज के दलित शूद्र वर्ग के निकटतर होता गया। ज्ञान्हणों ने भी क्षत्रियों की वर्धमान शक्ति और शोषण के विरुद्ध वैश्यों का साथ न देकर अपने हितों एवं विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये राजन्य वर्ग का साथ दिया तथा वैश्यों के ऊपर राजन्य वर्ग की प्रभुता को स्वीकार किया। अनेक प्रसरणों में वैश्यों को ज्ञान्हण और क्षत्रिय से हीन कहा गया।^३ इस प्रकार इन दो उच्च वर्गों के सामूहिक घटयन्त्र के कारण वैश्यों की स्थिति पर्याप्त हैर हो गई जिसे ऊपर उठाने से वे सबंधा असमर्थ रहे।

गगा की घाटी में पहुँचने तक बहुसंख्यक अनार्य अथवा दास आर्य समाज में शूद्र के रूप में अन्तर्निहित हुये जिनका सदुपयोग आर्य स्वामियों ने उन्हें अमकार्य में नियोजित करके किया। खेती, पशुपालन एवं विभिन्न उच्चोग-धन्धों में इनके प्रवेश के कारण अतीव प्रगति हुई। इसके परिणामस्वरूप समाज के सम्भ्रान्त वर्गों ने अमकार्य छोड़ कर अमिकों की सहायता से उत्पादन प्रारम्भ किया। इस प्रकार अम तथा सेवा कार्य शूद्रों का कर्तव्य माना गया तथा शारीरिक अम के प्रति आदर-भावना का लोप होने लगा। वैश्य वर्ग जो असाधारण शक्ति अथवा प्रभुत्व प्राप्त करने में असमर्थ रहा पूर्णवित अम-कार्य एवं उत्पादन में सलग रहा। कृपि, वाणिज्य एवं विभिन्न व्यवसायों में जो अभी तक वैश्यों के अधीन थे, शूद्रों ने भी हस्तक्षेप प्रारम्भ किया। व्यवसायों की इस समानता के कारण वैश्य और शूद्र एक दूसरे के निकट

१. वाराह शौ० सू० ३११

२. शत० ब्रा० १३२६८, तुलनीय तै० ब्रा० ३६७३, वाज० स० २३३०

३. तै० स० २५१०१, काठक स० १६१०, शत० ब्रा० ६४४१३, पञ्च० ब्रा० २५१

होते गये तथा शूद्रों की भाति वैश्यों को भी उच्च वर्गों ने हीन हृषि से देखना प्रारम्भ किया। शतपथ ब्राह्मण में तक्षन के स्पर्श को अपवित्र बताया गया है।^१ रथकार, कर्मार, तष्टा, चर्मस्न, भिपग आदि विभिन्न व्यवसायी धीरे-धीरे वैश्य वर्ग से पृथक् होने लगे तथा सूत्र युग तक उन्हें द्विजातियों से बहिष्कृत किया गया। इसी युग में हम वैश्यों को विभिन्न व्यावसायिक जातियों में विभाजित होते हुये देखते हैं। इनमें प्रथम प्रकार के वे लोग थे जिनका उद्योग समादृत था। इन्हीं लोगों को द्विजातियों के प्राय सभी अधिकार प्राप्त थे। दूसरे प्रकार के लोग तात्कालिक समाज की दृष्टि में गर्हित पेशे वाले थे। उन्हें क्रमशः उपनयन आदि आर्य सस्कारों से हीन किया गया। अत वे कालक्रम से शूद्रों के निकट होते गये।

उत्तारवैदिक युग के बढ़ते हुये आर्य-अनार्य सम्पर्क के परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक आर्यों को जब कुछात्मक लोगों के बीच अपने अस्तित्व को खो देने का सकट उत्पन्न हुआ तथा रक्त-शुद्धता की चेतना सजग हुई तब ब्राह्मणों और राजन्यों ने प्रजातीय पार्थक्य (Racial segregation) की नीति को अपनाया तथा अनार्यों के साथ वैवाहिक सम्बन्धों को रोकने की चेष्टा की। किन्तु आर्य जनता का बहुसंख्यक वैश्य वर्ग अनार्य जनता के अधिक निकट होने के कारण पर्याप्त रक्त सम्मिश्रण का निषेध न कर सका होगा। इस सम्पर्क के कारण स्वभावत समाज के उच्च वर्ग (ब्राह्मण और क्षत्रिय) विश (Proletariate) को भी अपने से पृथक् एव हीन समझन लगे होगे।

वैश्यों की सामाजिक स्थिति विशेष महत्वपूर्ण नहीं थी किन्तु उनकी आर्थिक दशा काफी अच्छी थी। पशुपालन और कृषि उनका व्यवसाय था। तैत्तिरीय सहिता के अनुसार वैश्य पशु की प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है।^२ ताड़ी ब्राह्मण में कहा गया है कि 'वैश्य दूसरों द्वारा भुक्त होते हुए भी क्षीण नहीं होता क्योंकि उसकी उत्पत्ति प्रजापति की प्रजननेन्द्रिय से हुई है।'^३ इसीलिए उसके पास बहुसंख्यक पशु हैं। सभी देवता उसके सरक्षक हैं। उसका छन्द जगती है तथा वर्षा उसके लिए अनुकूल ऋतु है।' सम्पन्नता के

१ शत० ब्रा० १ १३ १२

२ तै० सं० २ ५ १० २, 'पशुकाम, खलु वैश्यों ग्रन्ते'।

३ ताड़ी ब्रा० ६ २ १०,

कारण ही उनके ऊपर कर का भार अधिक था। सम्पूर्ण समाज के भरण-गोषण का भार विशेषत उन्हीं पर था। आश्रम-व्यवस्था में जो स्थिति गृहस्थ आश्रम की थी वही स्थिति वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत वैश्य वर्ण की थी। वैदेन पावेल महोदय का यह मत कि वैदिक समाज में कृषि-कार्य आदिवासी श्रमजीवियों द्वारा होता था,^१ एक आधारहीन कल्पना है। कृष्वैदिक युग से ही श्राव्यों में कृषि कार्य की स्वस्थ परम्परा थी जो वैश्यों के माध्यम से बाद तक जीवित रही। अष्ट्रा (वेल हाँकने का अकुश) वैश्य का जातीय चिन्ह माना जाता था। वैश्य लोग विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धों तथा वाणिज्य का भी अनुसरण करते थे किन्तु कृषि और पशुपालन ही उनका प्रधान व्यवसाय था।

कृष्वैदिक युग में हम विश्व के सामान्य सदस्यों को भी युद्ध में भाग लेते हुए देखते हैं किन्तु इस युग तक होमर युगीन सामान्य जनों की भाँति वैदिक युगीन वैश्य भी युद्ध क्ला में अपेक्षाकृत कम निपुण होने के कारण तथा अख्ल-शख्लों की अनुपलब्धता के कारण, भीषण युद्ध के लिये अनुपयुक्त था। राजनीतिक महत्व के उत्सवों पर अन्य लोगों के साथ वैश्यों को भी निमन्त्रित किया जाता था। ग्रामणी, जो रत्निन भी था, राजसूय के अवसर पर राज-कीय आदर का पात्र था। तैत्तिरीय सहिता के अनुसार वैश्यों का आदर्श ग्रामणी होना था।^२ यह पद सम्भवत राजा घनी वैश्यों को देता था। राजसूय यज्ञ में द्यूत कीड़ा के अवसर पर अन्य वर्ण वालों के साथ वैश्य भी भाग लेता था।

वैश्यों को यज्ञ करने तथा वेदाध्ययन करने का अधिकार था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों की भाँति ही उनका उपनयन होता था इसी से द्विज की परिभाषा के अन्दर उनका स्थान था। ऐतरेय ब्राह्मण वैश्यों की महत्ता स्वीकार करते हुए कहता है कि देवकर्म अथवा याज्ञिक क्रियाओं में वैश्य समुदाय का योग आवश्यक है।^३ तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और रथकार यज्ञाविन (Sacrificial fire) की स्थापना कर सकते थे।^४ वैश्य अश्वमेघ भी रथकार यज्ञाविन जैसे विशाल यज्ञों में भाग लेते थे। इस प्रकार धार्मिक

१ इण्डियन विलेज कम्पूनिटी, पृ० १८०

२ त० स० २५४४

३ ऐत० ब्रा० १६

४ त० ब्रा० ११४८

जीवन की प्राय सभी सुविधायें उन्हें उपलब्ध थीं। वैदिक साहित्य में प्राय ऐसे प्रमाणों का अभाव है जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि वैश्य वर्ण के लोग भी ब्राह्मण-क्षत्रियों की भाँति अपने जीवन का विशेष भाग वेदों के अध्ययन तथा पाडित्य प्राप्ति में लगाते थे। सम्भवत सौदान्तिक रूप में वैदिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त करते हुये भी वैश्य समुदाय ने अपना समय व्यावसायिक शिक्षा की प्राप्ति में ही अधिक लगाया। धार्मिक शिक्षा ब्राह्मणों के लिये तो जीविका थी तथा क्षत्रियों के लिए पर्याप्त अवकाश होने के कारण एक व्यसन।

ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में ही शूद्र शब्द का उल्लेख प्रथम बार हुआ है। अथर्ववेद में शूद्र शब्द का उल्लेख अवश्य ही कई स्थानों पर हुआ है, किन्तु अर्थात् वर्णों के साथ प्राय उन्नीसवाँ और बीसवाँ अध्याय मूल संकलन के बाद में जोड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार काल की दृष्टि से यह अंश परवर्ती माना गया है। इसी युग में पुरुष-सूक्त भी ऋग्वेद में प्रक्षिप्त हुआ। समाज के चतुर्थ थम-जीवी वर्ण के लिये शूद्र शब्द के प्रयोग का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखाई देता। शूद्र शब्द की व्युत्तरति का प्रथम प्रयास वादरायण के वेदान्त सूत्र में मिलता है जिसमें इस शब्द को शुक् और द्र इन दो भागों में विभाजित किया गया है।^१ इसका सीधा अर्थ हुआ 'जो शोक को प्राप्त हो।' पुराणों में भी शूद्र शब्द का मूल 'शुच' ही माना गया है तथा कहा गया है 'जो शोकाकुल होकर इधर-उधर दौड़ता है, निर्बल एवं निस्तेज है, वही शूद्र है।'^२ दीर्घ निकाय के अनुजार शूद्र नाभ उनके शुद्र आचरण के कारण पढ़ा।^३ परवर्ती मन्त्रों द्वारा दी गयी यह व्युत्तरति पूर्वग्रहों वुद्धि की उपेज प्रतीत होती है।

१ अथर्ववेद १६.३२.८, १६.६२.१, इसके विपरीत अथर्ववेद ४.१७.६ के वेल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णों का उल्लेख करता है।

२ वेदान्त सूत्र १.३.३४

३ 'शोचन्तश्च द्रवन्तश्च परिचर्यासु ये रता।
जिस्ते जसो अत्पर्यायाश्च शूद्रास्तान् व्रतीत्त स।

—बायु पुराण १.८.१५८.

४. दीर्घनिकाय, ३.६५

यही कारण है कि इनसे शूद्रों की स्थिति पर अधिक प्रकाश पड़ता है और उत्तरति पर कम।

शूद्रों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लुइविंग महोदय का यह मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में यह किसी प्रमुख आर्य-विरोधी जाति (ट्राइब) का नाम था^१ जिन्हें आर्यों ने शूद्रों की उत्पत्ति पराजित करके वशीभूत किया। समानधर्मी होने के कारण सभी विजित दास (शवु) शूद्र नाम से ही अभिहित किये गये। शूद्र नामक अनार्य जाति की स्थिति का सकेत साहित्यिक साक्षों से होता है। महाभारत में नकुल द्वारा विजित जातियों की सूची में शूद्रों का वर्णन आभीरों के साथ हुआ है।^२ आभीर सम्बन्धत भारत युद्ध के समय एक जाति (ट्राइब) थे।^३ जो वाद में पजाव में फैल गये।^४ इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि शूद्र भी आभीरों की जाति ही एक जाति (ट्राइब) थे। नकुल द्वारा उनकी पराजय उनके रक्षासित जन-समूह होने का सकेत करता है। यूनानी इतिहासकारों के वर्णन से भी ज्ञात होता है कि चतुर्थ सदी ३०० पूर्व से शूद्र जाति के लोग वर्तमान सिन्धु-प्रदेश में रहते थे। डिओडोरस ने उन्हें सोड्राई (Sodrai) तथा एरियन ने सोग्डाई (Sogdoi) नाम से अभिहित किया है।^५ दालमी ने भी सीड्रोई (Sydroi) जाति का उल्लेख किया है। यह जाति भव्य एरोकोशिया में रहती थी जिसकी पूर्वी सीमा सिन्धु नद का स्पर्श करती थी।^६ इस जाति की शास्त्राय়ে अफगानिस्तान से लेकर सरस्वती के समीप तक फैली हुई थीं। महाभारत में शूद्रों और आभीरों का निवास सरस्वती के निकट बताया गया है।^७ ग्रथवंदेव में तकमान (ज्वर) को भूजवन्तो, महावृषो और वाहूलीको के साथ एक शूद्रों पर भी आक-

१ द्रान्सलेशन आव झडवेद ३, २१२।

२ महाभारत ६ १० ६६

३ जे० वी० आर० एस०, ४१ पू० १६० १

४ वही ४१, पू० २५५

५. मिनिएहल, इनवेजन आव इरिडया, पू० २६३, १५७

६ मिनिएहल, ऐश्येन्ट इडिया डिस्काइब वाई टोलेमी, पू० ३१७

७ महाभारत, २ २६ ६

मण करने के लिये कहा गया है,^१ इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं—एक तो यह कि इस प्रसग में वर्णित शूद्र, समाज का चतुर्थ वर्ण न होकर, भूजवन्तो महावृषो और वाहूलीकों को भाँति ही एक जाति थी। दूसरे, ये सभी लोग उत्तर पश्चिम भारत में ही निवास करते थे।^२ उपर्युक्त प्रमाणों की पृष्ठ-भूमि में यह प्रतीत होता है कि जिन दासों से आर्यों का सघर्ष हुआ, उनकी एक प्रवल शाखा का नाम शूद्र था। इनके इस स्थानीय नाम का परिचय आर्यों को काफी वाद में सम्पर्क की स्थिति में हुप्रा होगा। यही कारण है कि इस नाम का उल्लेख ऋग्वेद के मून भाग में नहीं हुआ है।

शूद्रों को आर्यों की प्रारम्भिक लहर (वेवर और राथ का मत) अथवा ऋग्वेदिक आर्यों का अनुगामी मानना^३ ज्ञात प्रमाणों द्वारा अनुमोदित नहीं है। यह सच है कि शूद्रों का पैत्रिक प्रदेश पश्चिमोत्तर भारत आर्यों का भी निवास-स्थान था,^४ किन्तु मात्र इसके आधार पर शूद्रों को आर्यों से सम्बन्धित करना ऐतिहासिक छष्टि से समीचीन न होगा। हम देख चुके हैं कि इसी प्रदेश में अनार्य सैन्धव सम्प्रता का विकास हो चुका था। मोएनजोदहों से प्राप्त चन्द्र प्रस्थिपजरों के आधार पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि आर्यों ने सैन्धव सम्प्रता के निर्माताओं को समूल नष्ट कर दिया। उनमें से अधिकाश आर्य स्वामियों के साथ पराधीनना की ढाया में जीने को विवश हुये होगे। जहाँ तक ब्राह्मण युगीन शूद्रों द्वारा आर्य-भाषा के ज्ञान का प्रश्न है, वह अत्यन्त अल्प और सम्पर्क-जन्य था। उसके आधार पर उनके आर्यत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके विपरीत, जैसा कि आगे बताया जायगा,^५ शूद्रों को वेदाध्ययन से चित्त करने का प्रबान कारण उनका सस्कृत भाषा से अपरिचित होना था। वैदिक प्रसंगों से शूद्रों का मूलत अनार्य होना ही प्रामाणिक है,^६ उत्तर वैदिक साहित्य में भी उन्हें ऋग्वेदिक दासों की भाँति ही आर्य-विरोधी बताया गया है तथा उनके प्रति

१ अथर्ववेद ५०.२७ ७-८

२. वैदिक एज, पृ० २५८-५९

३ रामशरण शर्मा, शूद्राज इन ऐन्स्प्रेन्ट इंडिया, पृ० ३३।

४ म्यूर, ओरियण्टल सस्कृत टेक्स्ट्स, २. पृ० ३५५-५७।

५ द्व० इसी अध्याय के अग्रिम पृष्ठ

६ कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव इंडिया, १, पृ० ८६, १२८-२९, वैदिक एज, पृ०

३८६-८७, ओरिजिन्स आव वुडिज्स, पृ० २६२-६३।

घुणा व्यक्त की गई है। हम ऊपर बता चुके हैं कि अथर्ववेद में ज्वर को शूद्रा पर आक्रमण करने के लिये कहा गया है। पैम्पलाद शाखा के उसी मन्त्र में शूद्रा के स्थान पर दासी का उल्लेख हुआ है^१ जिससे प्रतीत होता है कि ये दोनों शब्द पर्यायवाची थे। शूद्रों को समाज के सास्कृतिक जीवन से पृथक् करने का जो प्रयास हमें उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है उससे भी उनके अनार्थत्व का बोध होता है। उत्तर वैदिक युग के अयज्ञीय शूद्र की तुलना अथर्ववेद के अयज्वन दास से की जा सकती है।^२ दास यदि शिशन-देव थे तो शूद्र भी अधिकाशतः रुद्र के उपासक कहे गये हैं।^३ दासों की भाँति ही शूद्र भी कृष्ण थे। महाभारत में उनके प्रति द्वेष के कारण सरस्वती के महस्यल में खो जाने का उल्लेख है।^४ यजुर्वेद में महाव्रत अनुष्ठान के प्रसग में आर्य और शूद्र के बीच द्वन्द्व की व्यवस्था की गई है जिसमें आर्य विजयी होता है।^५ निश्चय ही यहाँ आर्य दास सर्वां का नाटकीय प्रदर्शन है जो आर्यों की विजय और दासों की पराजय वा स्मरण दिलाता है। इस प्रकार यह प्रायः स्पष्ट है कि अधिकाश अनार्य जो आर्यों के समाज में अन्तर्भूत हुये उन्हें शूद्रों के इस चौथे वर्ग में स्थान मिला। किन्तु शूद्र वर्ण के अन्तर्गत केवल भ्रातार्य ही थे, ऐसी वात नहीं है। सूत्र-काल तक आर्य में विद्या (कामन पीपुल) के कुछ लोग भी, जो खास कर निम्न पेशों में लगे थे, व्यवसाय की समानता के कारण धीरे-धीरे शूद्र वर्ण में गिने जाने लगे। इस तरह आर्थिक एवं सास्कृतिक हीनता के कारण बहुत से आर्य भी शूद्रत्व को प्राप्त हुये। उत्तरवैदिक युग के अन्त तक शूद्र वर्ण आर्य अथवा अनार्य शब्द की परिधि से अलग, आर्थिक और सास्कृतिक दृष्टि से पिछड़े, शोषित और दलित लोगों का आश्रय बन चुका था।

शूद्र वर्ण अन्य वर्णों की अपेक्षा अत्यन्त हीन अवस्था में था। राजसूय यज्ञ के प्रसग में चारों वर्णों की स्थिति का सकेत करते हुये शूद्रों को अन्यस्य प्रेष्य, कामोत्थाप्य और यथाकामवद्य कहा गया है।^६ अन्यस्य

१ अथर्ववेद, पैम्प०, १३ १६

२ पञ्च० न्ना० ६.१ ११

३ शत० न्ना० ५ ३.१ १०

४ महाभारत १ ३७ १

५ वैदिक एवं वैदिक, भाग २, पृ० ३९०

६ देव० न्ना० ७ २६

प्रेष्य का तात्पर्य तो दूसरे का सेवक अथवा दास' प्रतीत होता है, किन्तु कामोत्थाप्य का अर्थ सन्दिग्ध एवं विवादशस्त है। कीथ महोदय इसका अर्थ इच्छानुसार निष्कासन के योग्य (To be expelled at will) करते हैं।^३ हाँ महोदय ने कुछ और स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसका तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो स्वामी के इच्छानुसार निष्कासित किया जा सके।^४ सायण के अनुसार यह शब्द इस बात की सूचना देता है कि शूद्रों से उनका स्वामी दिन अथवा रात में कभी भी स्वेच्छापूर्वक काम ले सकता है।^५ किन्तु उपर्युक्त सभी विद्वानों की व्याख्यायें पूर्वाग्रह से प्रभावित हैं। उत्थाप्य शब्द का सामान्य अर्थ उठाने योग्य है। इसमें निष्कासन अथवा निर्वासन का कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संकेत नहीं है। कामोत्थाप्य का सही अर्थ 'इच्छानुसार उठाने योग्य' प्रतीत होता है। इस अर्थ की 'यथाकामवद्य' के साथ सगति भी बैठती है। दोनों शब्दों के सामूहिक अर्थ का आशय यह होगा कि शूद्र को इच्छानुसार उठाया जा सकता था तथा इच्छानुसार शूद्र का वध किया जा सकता था। इस कथन से स्पष्ट होता है कि शूद्रों का उत्थान और पतन भी दूसरों की इच्छा पर अवलम्बित था। वे स्वयं अपने भाग्य के निरायिक नहीं थे। साधारणतया 'यथाकामवद्य' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसकी स्वेच्छापूर्वक, बिना किसी हिचक के हत्या की जा सके किन्तु यहाँ वध का अर्थ हत्या से न होकर ताड़न से प्रतीत होता है। सायण की व्याख्या के अनुसार शूद्र स्वामी द्वारा इच्छानुकूल ताडित होता है।^६ निरुक्त के द्वारा भी सायण की यह व्याख्या प्राय अनुमोदित है। निरुक्त में तीन स्थानों पर वध का अर्थ हत्या करना है^७ तथा पाच स्थानों पर मात्र दड़ देना या ताड़न करना।^८ इस प्रसंग में हाँ महोदय का अनुचाव अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है। उन्होंने इसका अर्थ 'इच्छानुसार पीटा जाने योग्य'

१. वैदिक दण्डेक्ष, माग २, पृ० ३८६

२. द्रान्सलेशन ग्राव ऐतरेय ब्राह्मण, पृ० ४८५

३. 'मध्यरात्रादी यदाकदाचिह्निन इच्छा भवति तदानीम् अयम् उत्थाप्यते।'

४. 'वद्य = कुपितेन स्वामिना ताढ्यो भवति इच्छामनतिक्रम्य'

५. निरुक्त ३ २, ५ १६, १० ११,

६. वही ३ ६, ९.१५, १६, १८, १०.२६

(To be beaten at pleasure) किया है ।^१ शूद्रों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध अनुचित समझा जाता था । यद्यपि वैश्यों और शूद्रों के बीच अनुलोम एवं प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह प्राय मात्र थे तथापि यह भी कहा गया है कि शूद्रा का आर्य पति समृद्धि की प्राप्ति नहीं कर पाता है ।^२ टीकाकार ने यहा आर्य का ग्रंथ वैश्य किया है ।^३ यह बात भी प्रमाणित है कि सामाजिक विरोध के होते हुए ब्राह्मण एवं क्षत्रिय भी स्वतन्त्रता-पूर्वक शूद्र स्त्रियों से विवाह करते थे ।^४ लगभग एक दर्जन ऐसे ऋषियों के नाम भविष्य पुराण में संग्रहीत हैं जिनकी मातायें शूद्र वर्ण की थी ।^५ कुछ सशोधन के साथ यह सूची महाभारत एवं अन्य पुराणों में भी मिलती है । महाभारत के अनुसार व्यास घीवर कन्या से, पराशर इवाक नारी से, कपि जावाद चडाल रुदी से, विष्णु गणिका से तथा मुनिश्वेष मदनपाल नाविक की कन्या से उत्पन्न हुए थे ।^६ इन ऋषियों की वास्तविक स्थिति तथा कालक्रम के विषय में तो निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता किन्तु इनसे ऋषि और शूद्रा के बीच के वैवाहिक सम्बन्ध के प्रचलन की पुष्टि होती है । उत्तर वैदिक काल में राजाओं की शूद्रा भार्या तो प्राय प्रमाणित है । राजा की खोयी और न्यूनतम समाहृत पत्नी पालागली शूद्रा ही थी ।^७ किन्तु आर्यों की शूद्रा पत्नियों को घर्मपत्नी होने का गौरव नहीं प्राप्त हुआ । आर्य परिवार में रहते हुए भी उन्हें धार्मिक एवं सामाजिक सुविधायें पूर्णत प्राप्त नहीं थी । यही कारण है कि शाक्षायन ब्राह्मण शूद्रा भार्या को केवल वासना की तृप्ति का साधन मानता है ।^८ घर्मसूत्रों में भी शूद्रवर्ण पत्नी की मात्र रमण के लिए उपयुक्त कहा गया है ।

समाज का अविच्छिन्न अग होते हुये भी शूद्र अन्य तीन वर्गों से पृथक् था । उसके लिये एक सीमा निर्धारित थी जिसका वह अतिक्रमण नहीं कर

१. द्रान्सलेशन आव ऐतरेय ब्राह्मण, पृ० ४८५

२ वाज० सं० २३३०, मै० स० ३१३१

३ वाज० स० २३३० पर महीधर और उबट की टीका ।

४ कैम्बिज हिस्ट्री आव इण्डिया, भाग १, पृ० १२६ ।

५ भविष्य पुराण १४२ २२-२६

६ महाभारत ५३ १३-१६ (कुम्भ० सस्करण)

७ शाक्षा० श्रो० सू० १६४४

८ शाक्षा० ग्रा० २७ १

सकता था। वैश्य अपने पतन के पश्चात् भी द्विजातियों के सभी धार्मिक और सामाजिक सुविधाओं से युक्त था। इसके बिपरीत शूद्र आर्यों के सांस्कृतिक जीवन से पृथक् था। न तो उसे उपनयन का अधिकार था और न तो वेदाध्ययन की सुविधा। वाजसनेयी सहिता में एक स्थान पर कहा गया है कि सभी जनों को 'कल्याणीवाक्' बोलना चाहिये।^१ श्री मुकर्जी के अनुसार 'कल्याणीवाक्' का तात्पर्य वेदाध्ययन से है। इस आधार पर उनका कथन है कि सभी लोग समान रूप ऐ वेदाध्ययन कर सकते थे।^२ किन्तु 'कल्याणीवाक्' का यह अर्थ प्रामाणिक नहीं है। टीकाकार महीघर और उवट के अनुसार 'कल्याणीवाक्' का अर्थ दयायुक्त अथवा सहानुभूतियुक्त बचन से है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी वर्ण वाले लोगों को वात करते समय भद्र शब्दों का प्रयोग करना चाहिये। सहिता और ब्राह्मण साहित्य में शूद्र को उपनयन से पृथक् करने का स्पष्ट उल्लेख कही नहीं है। उपनयन का प्रथम स्पष्ट वर्णन अथर्ववेद में हुआ है^३ जहाँ बालक के दूसरे जन्म का (द्विजत्व) का सकेत है। [किन्तु यहाँ भी बालक के वर्ण का कोई वर्णन नहीं है। श्री अनन्त सदाशिव अल्लेकर के अनुसार उपनयन का प्रचलन प्रारम्भ में केवल पुरोहितों में ही था जो क्रमशः, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों द्वारा भी अपनाया गया।^४ यह सच है कि समाज के धार्मिक जीवन से सम्बद्ध होने के कारण अधिकाशतः पुरोहितों अथवा ब्राह्मणों के लड़के ही वेदाध्ययन करते थे जिनका समुचित रीति से उपनयन सत्कार होता था।^५ किन्तु अथर्ववेद से हम राजा एवं कन्या द्वारा ब्रह्मचर्य भ्रत के भावरण की वात जानते हैं। उपनयन सत्कार का शैक्षणिक महत्व सम्भवतः बाद में विकसित हुआ। प्रारम्भ में यह एक जातीय सत्कार था जिसके द्वारा बालक को जन की सदस्यता प्रस्त होती थी। प्रारम्भिक ईरानियों में भी इस प्रकार की प्रथा थी जिसके द्वारा प्रत्येक पन्द्रह वर्ष की अवस्था के लड़के लड़की को

^१ वाज० स० २६ २, यथेमा वाच कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराज-
न्येभ्याम् शूद्राय आर्याय च

^२ ऐन्डेन्ट इण्डियन एजुकेशन, पृ० ५३

^३ अथर्ववेद ११ ५ ३

^४ एजुकेशन इन ऐन्डेन्ट इण्डिया, पृ० १०

^५ तै० स० ६ ३ १०, गो० आ० १ २ २-४।

समाज की सदस्यता प्राप्त होती थी।^१ श्री शर्मा का मत है कि प्रारम्भ में शूद्र भी उपनयन के अधिकारी रहे होगे।^२ उनकी कल्पना का मूल आधार शूद्रों के उपनयन के निषेध के सम्बन्ध में सहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों का मौन ही है। किन्तु इस मौन के आधार पर किसी ऐतिहासिक निष्कर्ष पर पहुँचना सर्वथा असम्भव है। सूत्र साहित्य में तो स्पष्टत उपनयन और वैदाध्ययन से शूद्रों को पृथक् किया गया है।^३ इनमे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के उपनयन के लिये ऋतुओं का निर्धारण है किन्तु शूद्र के लिये नहीं।^४ एक दूसरे ग्रन्थ में कहा गया है कि उपनीत व्यक्ति को शूद्र से बात नहीं करनी चाहिए।^५ यद्यपि ये सभी प्रमाण उत्तरवैदिक युग के सायकाल से सम्बन्धित हैं तथापि ब्राह्मणों के युग की अवस्था भी बहुत कुछ समान होने के कारण उन उद्धरणों की प्रमाणिकता स्वीकार्य है। दूसरे वैदिक यज्ञो एवं महत्वपूर्ण कर्मकाण्डों से भी शूद्रों की पृथक् करने के नियम ब्राह्मणों में मिलते हैं जिनके विषय में हम अग्रिम पृष्ठों से विचार करेंगे। वैदिक साहित्य की पवित्रता यज्ञो और अनुष्ठानों से कम नहीं थी फिर शूद्रों का उपनयन तथा वैदाध्ययन सर्वथा अकल्पनीय प्रतीत होता है। तीसरे, जैसा कि पहले ही कहा गया है उपनयन शार्यों का जातीय स्वस्कार था। उत्तरवैदिक युग तक सामाजिक व्यवस्था में अन्तर्निहित होने के पश्चात् भी शूद्र शार्यों के लिये विजातीय ही था।^६ वे उपनयन के हारा उन्हें अपने समान सामाजिक स्तर प्रदान करने को कदापि प्रस्तुत नहीं थे। ईरान में भी नवजोत नामक स्वस्कार हुइती वर्ग के लिये निपिढ़ था।^७ विधिवत् वैदाध्ययन की परस्परा तो केवल ब्राह्मणों में ही थी। क्षत्रियों में सामान्यतया युद्धविद्या का ही प्रचलन था।^८ वैसे कुछ जिज्ञासु राजन्य वैदाध्ययन में भी पर्याप्त रुचि लेते थे तथा दार्शनिक ज्ञान के विकास में भी

१ वैनिदिकाद, १८ ६

२ शूद्राज्ञ इन एन्स्येन्ट इण्डिया, पृ० ६७-६८

३ याट्याऽ श्री० सू० २६ १ २०

४ वही, १६ ३ २६

५ दाह्याऽ श्री० सू० ७ ३ १४

६ दत्त, औरिजिन एण्ड प्रोथ शाव कास्ट इन इण्डिया, पृ०

७ सेनाँ, कास्ट इन इण्डिया, पृ० ११८

८ जै० ए० श्री० एस० १३, पृ० १०६-११३

सकता था । वैद्य अपने पतन के पश्चात् भी द्विजातियों के सभी धार्मिक और सामाजिक सुविधाओं से युक्त था । इसके विपरीत शूद्र आर्यों के सांस्कृतिक जीवन से पृथक् था । न तो उसे उपनयन का अधिकार था और न तो वेदाध्ययन की सुविधा । वाजसनेयी सहिता में एक स्थान पर कहा गया है कि सभी जनों को 'कल्याणीवाक्' बोलना चाहिये ।^१ श्री मुकर्जी के अनुसार 'कल्याणीवाक्' का तात्पर्य वेदाध्ययन से है । इस आधार पर उनका कथन है कि सभी लोग समान रूप ऐ वेदाध्ययन कर सकते थे ।^२ किन्तु 'कल्याणीवाक्' का यह अर्थ प्रामाणिक नहीं है । टीकाकार महीधर और उबट के अनुसार 'कल्याणीवाक्' का अर्थ दयायुक्त अथवा सहानुभूतियुक्त वचन से है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी वर्ण वाले लोगों की वात करते समय भद्र शब्दों का प्रयोग करना चाहिये । सहिता और ब्राह्मण साहित्य में शूद्र को उपनयन से पृथक् करने का सष्टु उल्लेख कहीं नहीं है । उपनयन का प्रथम सष्टु वर्णन अथर्ववेद में हुआ है^३ जहाँ वालक के दूसरे जन्म का (द्विजत्व) का सकेत है । ^४ किन्तु यहाँ भी वालक के वर्ण का कोई वर्णन नहीं है । श्री अनन्त सदाशिव अल्लेकर के अनुसार उपनयन का प्रचलन प्रारम्भ में केवल पुरोहितों में ही था जो क्रमशः ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों द्वारा भी अपनाया गया ।^५ यह सच है कि समाज के धार्मिक जीवन से सम्बद्ध होने के कारण अधिकाशतः पुरोहितों अथवा ब्राह्मणों के लड़के ही वेदाध्ययन करते थे जिनका समुचित रीति से उपनयन संस्कार होता था,^६ किन्तु अथर्ववेद से हम राजा एवं कन्या द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत के भाचरण की वात जानते हैं । उपनयन संस्कार का शैक्षणिक महत्व सम्भवतः बाद में विकसित हुआ । प्रारम्भ में यह एक जातीय संस्कार था जिसके द्वारा वालक को जन की सदस्यता प्रसंग होती थी । प्रारम्भिक ईरानियों में भी इस प्रकार की प्रथा थी जिसके द्वारा प्रत्येक पन्द्रह वर्ष की अवस्था के लड़के लड़की को

१ वाज० स० २६ २, यथेमा वाच कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराज-
न्येभ्याम् शूद्राप्य आर्ययि च

२ ऐन्ड्येन्ट इण्डियन एजुकेशन, पृ० ५३

३ अथर्ववेद ११ ५. ३

४. एजुकेशन इन ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, पृ० १०

५ तै० स० ६ ३ १०, गो० ब्रा० १ २ २-४ ।

समाज की सदस्यना प्राप्त होती थी।^१ श्री शर्मा का मत है कि प्रारम्भ में शूद्र भी उपनयन के अधिकारी रहे होंगे।^२ उनकी कल्पना का मूल आधार शूद्रों के उपनयन के निषेध के सम्बन्ध में सहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों का भौत ही है। किन्तु इस मौन के आधार पर किसी ऐतिहासिक निष्कर्ष पर पहुँचना सर्वथा असम्भव है। सूत्र साहित्य में तो स्पष्ट उपनयन और वेदाध्ययन से शूद्रों को पृथक् किया गया है।^३ इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के उपनयन के लिये छठतुओं का निर्धारण है किन्तु शूद्र के लिये नहीं।^४ एक दूसरे ग्रन्थ में कहा गया है कि उपनीत व्यक्ति को शूद्र से बात नहीं करनी चाहिए।^५ यद्यपि ये सभी प्रमाण उत्तरवैदिक युग के सायकाल से सम्बन्धित हैं तथा पि ब्राह्मणों के युग की अवस्था भी बहुत कुछ समान होने के कारण उन उद्धरणों की प्रमाणिकता स्वीकार्य है। दूसरे वैदिक यज्ञों एवं महत्वपूर्ण कर्मकाण्डों से भी शूद्रों को पृथक् करने के नियम ब्राह्मणों में मिलते हैं जिनके विषय में हम अग्रिम पृष्ठों में विचार करेंगे। वैदिक साहित्य की पवित्रता यज्ञों और अनुष्ठानों से कम नहीं थी फिर शूद्रों का उपनयन तथा वेदाध्ययन सर्वथा अकल्पनीय प्रतीत होता है। तीसरे, जैसा कि पहले ही कहा गया है उपनयन आयों का जातीय स्वरूप था। उत्तरवैदिक युग तक सामाजिक व्यवस्था में अन्तनिहित होने के पश्चात् भी शूद्र आयों के लिये विजातीय ही था।^६ वे उपनयन के द्वारा उन्हें अपने समान सामाजिक स्तर प्रदान करने को कदापि प्रस्तुत नहीं थे। ईरान से भी नवजोत नामक सस्कार हुइती वर्ग के लिये निषिद्ध था।^७ विधिवत् वेदाध्ययन को परम्परा तो केवल ब्राह्मणों में ही थी। क्षत्रियों में सामान्यतया युद्धविद्या का ही प्रचलन था।^८ वैसे कुछ जिजासु राजन्य वेदाध्ययन में भी पर्याप्त रुचि लेते थे तथा दार्शनिक ज्ञान के विकास में भी

१ वेन्दिदाद, १८.४

२ शूद्राज्ञ इन एन्डवेन्ट इण्डिया, पृ० ६७-६८

३ याट्या० श्री० सू० २६ १ २०

४ वही, १६.३.२६

५ दाह्या० श्री० सू० ७ ३ १४

६ दत्त, ओरिजिन एण्ड ग्रोथ आव कास्ट इन इण्डिया, पृ०

७ सेनार्ड, कास्ट इन इण्डिया, पृ० ११८

८ जे० ए० श्री० एस० १३, पृ० १०६-११३

उनका योग था। वैद्यों में अधिकाशतः व्यावसायिक शिक्षा का ही प्रचलन था। वैद्यों की ही भाति शूद्र भी व्यावसायिक शिक्षा ही प्राप्त करते थे जो उन्हें परिवार और जाति के माध्यम से प्राप्त होती थी। उनके समझ आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइया इतनी प्रबल थी कि न तो उनके पास वैदिक धर्म तथा साहित्य के प्रध्ययन के लिये समय था और न तो सुविधा ही।

शूद्रों को धार्मिक अनुष्ठानों से पृथक् करने का भगीरथ प्रयास उत्तरवैदिक युग से ही प्रारम्भ होता है जिसकी अविच्छिन्न परम्परा हमें उच्चीसवीं सदी

तक मिलती है। जन्मगत हीनता के कारण

धार्मिक जीवत से

शूद्र को यज्ञ से वहिष्कृत किया गया।^१ शतपथ

शूद्रों के पृथकरण

ब्राह्मण यज्ञ की अग्नि को शूद्र के लिये असृष्ट्य

का प्रयास

बतलाता है।^२ यद्यपि शूद्र अश्वमेघ यज्ञ में प्रहरी

का कार्य करता था तथापि वह यज्ञशाला में प्रवेश

नहीं कर सकता था। शतपथ ब्राह्मण उसे निश्चित रूप से अयज्ञीय बतलाता

है।^३ काठक सहिता का एक अश्व स्त्रियो तथा शूद्रों को यज्ञ के अवसर पर

सोम पीने के अधिकार से बचित करता है किन्तु यह वर्णन यजुर्वेद की अन्य

शाखा का भल मानते हैं।^४ शतपथ ब्राह्मण में अन्यथ दीक्षित व्यक्ति के लिये

शूद्र से बोलने तक का नियेष किया है।^५ पचांश ब्राह्मण में कहा गया है

कि शूद्रों के न तो देवता हैं और न तो उन्हें यज्ञ करने का अधिकार

है।^६ अर्णिहोत्र के लिये आवश्यक दुर्घ के दोहन का अधिकार भी शूद्रों को

नहीं है।^७ यहां हम स्पर्शजन्य अपवित्रता का आभास पाते हैं। मैत्रायणी

सहिता में तो कहा गया है कि दुहने की थाली भी किसी आर्य द्वारा ही

१ तै० ब्रा० ३ २३६, कात्या० श्री० सू० १५,

शास्त्रा० श्री० सू० १११-३, भाश्व० श्री० सू० १३३

२. शत० ब्रा० ६.४४६

३ वही ३ ११०

४ शूद्राज इन ऐन्डेन्ट इंडिया, पृ० ७४

५. शत० ब्रा० ३ १११ १०

६ पच० ब्रा० ६ १११

७ काठक स० ३१२, मैत्रा० स० ४.१.३, तै० ब्रा० ३.२.३.६-१०

निमित होनी चाहिये ।^१ तैतिरीय सहिता में कहा गया है कि शूद्रों को धार्मिक अवसरों पर द्विजातियों के चरणप्रक्षालन का कार्य करना चाहिये ।^२

वैदिक युग के अन्तिम चरण तक निश्चित रूप से शूद्र पवित्र अवसरों के लिये अचूत समझा जाने लगा था । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रवर्ग्य नामक उत्सव में यजमान को स्त्रियों और शूद्रों से सम्बन्ध तोड़ देना चाहिये क्यों कि वे अनृत हैं ।^३ परवर्ती साहित्य में स्त्रियों एवं शूद्रों को यज्ञ से वहिष्कृत करने का प्रयास प्राय सर्वत्र मिलता है ।^४ एक प्रसंग में तक्षन (बढ़ई) के भी स्पर्श से अशुद्धि की कल्पना को गई ।^५ ज्ञातव्य है कि अथवंवेद में उसे विश के सम्मान्य सदस्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है । शूद्रों की स्पर्शगत अपवित्रता का उल्लेख सहिताश्रो में नहीं मिलता । ऐसे प्रसंग शतपथ ब्राह्मण और श्रोतपूत्रों में ही मिलते हैं । इससे स्पष्ट है कि शूद्रों की धार्मिक अपवित्रता का विचार तथा स्पर्श एवं दर्शन का निषेध वैदिक युग के समाप्तिकाल में ही विशेष दृष्टिगोचर होता है । साथ ही शूद्रों को यज्ञादि पवित्र अवसरों पर ही अपवित्र माना जाता था । साधारणतया जीवन के अन्य पक्षों में इनका सम्पर्क हैय नहीं माना जाता था । हम जानते हैं कि बहुत बाद तक ब्राह्मणों के घर में शूद्र रसोइया हुआ करते थे तथा ब्राह्मण लोग शूद्र द्वारा बनाये भोजन को ग्रहण करने से किसी प्रकार की हिचक नहीं करते थे ।^६ चण्डाल और पौलक्स जैसे बर्बंर एवं घृणास्पद जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का अन्न अवश्य ही अशुद्ध और अग्राह्य था, जिसका प्रधान कारण उनकी अतिशय गन्दी आदतें थीं । उदाहरणार्थ श्वपाक इसलिये तिरस्कृत थे कि वे श्वान-मासभक्षी थे जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है । छांदोग्य उपनिषद में उशस्ति नाम के एक ब्राह्मण का वर्णन है जिसने एक हस्तिपालक के भोजन का शेषांश ग्रहण किया तथा उसी दिन एक पडोसी

१ मैथ्रा० सं० १ द३

२ तै० सं० ७.१ १

३ शत० ब्रा० १४ १ १.३१

४० द्र०, जे० वी० भार० एस० ३६, १८१-८१

५ शत० ब्रा० १ १ ३ १२, अशुद्धस्तका

६ आचार्य कितिमोहन सेन, सस्कृति-संगम,

राजा के यहा पीरोहित्य करने की इच्छा से उपस्थित हुआ ।^१ इससे प्रकट है कि साधारण स्थिति में शूद्र का अन्न ग्राह्य था ।

शूद्र धार्मिक जीवन में वहिष्कृत होते हुये भी कतिपय याज्ञिक कृत्यों में भाग ले सकते थे । उदाहरण के लिए अन्य वर्णों के साथ वह यज्ञ की हवि तैयार करने में भाग लेता था । शतपथ ब्राह्मण में एक शूद्र के विवृत्येन्द्र यज्ञ करने का उल्लेख है ।^२ किन्तु इन कतिपय अपवादस्वरूप प्रमाणों के आधार पर शूद्रों का याज्ञिक धर्म में प्रवेश स्वीकार नहीं किया जा सकता । ये शूद्र अधिकाशत रुद्र के उपासक थे । रथकार, कुलाल, कर्मार, निपाद, पुजिष्ठ, मृगषु, घनुकार, ईपुकार आदि-विभिन्न जातियों एवं व्यवसायियों के लोग रुद्र के उपासक कहे गये हैं । इनमें अधिकाश शूद्र थे ।^३ शूद्रों के लिये, जो अधिकाशत अनार्य थे, वैदिक देवता रुद्र अधिक आकर्पक था, क्योंकि उत्तरवैदिक युग तक अनार्य देवता शिव और वौदिक रुद्र का एकीकरण हो चुका था । इस प्रकार वैदिक धर्म के अन्तर्गत ही परोक्ष रूप में अनार्यों ने अपने धार्मिक परम्पराओं के प्रति आस्था प्रकट की । ज्यों-ज्यों समाज के उच्च वर्णों की सामाजिक प्रतिष्ठा में बृद्धि होती गई तथा विश के साधारण-सदस्यों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति गिरती गई वैसे ही ये निराश एवं दलितलोग अनार्य जनता के अधिक समीप आते गये । परिणामतः रथकार और कर्मार जैसे व्यवसायी भी, जो विश के सदस्य थे, रुद्र के उपासक हो गये । रत्न-हविषी नामक उत्सव के अवसर पर रुद्र को गोविवर्तन का देवता कहा गया है ।^४ सायण ने उन्हें निम्न जातीय भाना है ।

शूद्रों को वैदिक धर्म एवं याज्ञिक कर्मकारणों से पृथक् करने के कई कारण थे । आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक विभाजन ने यज्ञों के स्वरूप को विवृत्येन्द्र यदस दिया जिसके फलस्वरूप यज्ञ वडे ही विस्तृत दुर्लभ एवं व्ययपूर्ण हो गये । कालक्रमेण यज्ञ उच्च वर्णों के विशेषाधिकार हो गये क्योंकि उन्हीं के पास इन विस्तृत यज्ञों को चलाने के साधन एवं सुविधायें थीं । महाभारत में युधिष्ठिर ने स्पष्टत कहा है कि याज्ञिक धर्म निर्धन व्यक्ति की शक्ति के बाहर

१. छान्दोग्य उप० १०१०

२. शत० बा० १३ द ३ ११

३. वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० २४६-५०

४. शत० बा० ५ ३०१ १०

है।^१ शूद्र जिनकी आर्थिक दशा अत्यन्त हीन थी यज्ञ के व्यथ में असमर्थ थे। सम्पन्न शूद्र यज्ञ के अधिकारीरहे होगे,^२ ऐसा निष्कर्प निकालना भी गलत है क्योंकि प्रार्थिक कठिनाइयों के अतिरिक्त अन्य कठिनाइया भी शूद्रों के समक्ष थी।

वहुघा विजेता जातियों में अपने धर्म एव संस्कृति के बलपूर्वक प्रचार की भावना होती है। वैदिक आयो में इसके विपरीत स्थानीय जनता को अपने धार्मिक जीवन से पृथक् रखने की परम्परा बढ़ी ही विचित्र लगती है। इतना अवश्य है कि ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में ब्राह्मण विश्वास की पवित्रता की रक्षा के लिये शूद्रों के पृथक्करण का प्रमाण हम नहीं पाते, किन्तु ब्राह्मणों एव उपनिषदों के युग तक ज्यो ज्यो आर्यों और अनार्यों का सम्पर्क बढ़ता गया वैसे ही पृथक्करण की नीति भी बढ़ती गई। ईंग्लिंग महोदय का विचार इस समस्या का आशिक समाधान प्रस्तुत करता है।^३ उनके अनुसार अनायों की धार्मिक परम्पराओं के प्रभाव से जब ब्राह्मणों के धार्मिक विश्वास आच्छादित एव सकटाकीर्ण होने लगे तब आर्यों ने अपने और अनार्य शूद्रों के बीच एक अनुलग्नीय सीमा के निर्धारण का प्रयास किया जिसके पीछे सास्कृतिक स्वत्व की रक्षा की भावना विद्यमान थी। पहले अध्याय में हम देख चुके हैं कि प्रागार्य भारतीयों का धार्मिक जीवन कितना समृद्ध था। आज भी भारतीयों के धार्मिक विश्वासों का अधिकाश अनार्य है।

इसके अतिरिक्त शूद्र लोग आर्यों के सम्पर्क के पश्चात् भी अपने परम्परागत धार्मिक विश्वासों को सहज ही छोड़ने को तैयार नहीं थे। मूर्तिपूजक होने के कारण यज्ञ प्रधान वैदिक धर्म के प्रति उनकी अनासक्ति सर्वथा स्वामाविक थी। साथ ही वैदिक मन्त्रों के उच्चारण की शुद्धता का भी धार्मिक महत्व था। शूद्रों के लिये, संस्कृत भाषा से अल्प परिचय होने के कारण, उच्चारण की शुद्धता, मन्त्रों का उचित पाठ तथा अनुष्ठानों का सही ढंग से सम्पादन बड़ा ही दुष्कर था। अत इन व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण भी शूद्र याज्ञिक धर्म के प्रति हतोत्साहित हुये तथा हतोत्साहित विये गये।

^१ महाभारत (कुम्भ०) १३ १६४ २-३, न ते शक्या दरिद्रेण यज्ञा प्राप्तु पितामह, वहूपकरणा यज्ञा नानासम्भार विस्तरा, पार्थिवै राजपुत्रे वा शक्या प्राप्तु पितामह, नाथ्यन्यूनैरवगुणेरकात्मभिरसहृते।

^२ शर्मा, शूद्राज इन ऐन्स्ट्रिन्ट इंडिया, पृ० ८०

^३ सेक्रेट वुक्स आब दि ईस्ट, भाग १२, भूमिका, पृ० १३

शूद्रो की आर्थिक स्थिति भी पर्याप्त रूप से हीन थी। ये लोग कठोर परिश्रम करते थे किन्तु परिश्रम से उत्पन्न वस्तुओं का पूर्ण उपभोग स्वयं नहीं कर पाते थे। जैमिनीय ब्राह्मण में कहा गया है कि अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा वैश्य धनवान् होता है और शूद्र कुशल कर्मकर्ता।^२ कर्मकर्ता का अर्थ सम्भवत श्रमजीवी है क्योंकि वेदोत्तर युग में इसका प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। प्रारम्भिक उपनिषदोंमें शूद्र को वैश्यों की भाति ही पूषन कहा है।^३ इससे प्रतीत होता है कि शूद्र अपने श्रम के द्वारा समाज के अन्य वर्णों का पोषण करता था। इनके श्रम का उपयोग अधिकाशत कृपिकर्म में होता था।^४ ये शूद्र वहृषा सम्पन्न एवं सम्म्रान्त लोगों की भूमि पर काम करते थे तथा यदा-कदा भूमि सहित दान में दिये जाते थे।^५ 'वैदिक इण्डेक्स' के लेखकों ने आर्थिक दृष्टि से इनकी तुलना यूरोपीय सर्फ (Serfs) से की है।^६ सम्भव है कुछ धनी शूद्र व्यक्तिगत भूमि पर भी कृपि कर्म करते रहे हो। ये लोग कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धों में लगे हुये थे। सूत्र-साहित्य में इनके लिये व्यापार तथा वाणिज्य की भी व्यवस्था है।^७ महाभारत में शूद्र को सम्पत्तिहीन बतलाया गया है।^८ किन्तु पच्चिंश ब्राह्मण में शूद्र के बहुपशु होने का भी सकेत मिलता है।^९ कुछ सहिताओं में धनवान् शूद्रों का भी उल्लेख हुआ है।^{१०} इस प्रकार शूद्र वर्ग के लोग विभिन्न व्यवसायों के द्वारा अपनी रोटी की व्यवस्था में लगे थे किन्तु युगीन साहित्य में उनका कर्तव्य निर्धारित करते हुये सेवा कर्म की व्यवस्था ही की गई।^{११}

१. जै० ब्रा० २ २६६

२. बृ० उप० १४३

३. मुकर्जी, ऐन्डेन्ट इण्डियन एजुकेशन, पृ० १५८

४. शाखा० श्री० सू० १६.१४ १८ सहपुरुषं च दीयते, १६ १५.२०, कात्यायन श्रीत सूत्र २२ १० में भूमिशूद्रवर्जनम् का उल्लेख है। यह नियेष भी आंशिक रूप से इसप्रथा के प्रचलन का सकेत करता है।

५. वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० ३८९

६. वही, भाग २, पृ० ३६१

७. महाभारत, १२.३० ७

८. पच० ब्रा० ६.१.११

९. मैत्रा० स० ४ २.७ १०, पंच० ब्रा० ६.१ ११

१०. जै० ब्रा० १.६८-९, शाद्या० श्री० सू० २६.१०७

जिसके पीछे उच्च वर्गों की स्वार्थभावना ही प्रबल थी। कुछ शूद्र द्विजातियों के यहा सेवक का भी कार्य करते थे क्योंकि स्थान-स्थान पर उनका कार्य द्विजातियों का चरणप्रक्षालन (पादावनेज्य) बताया गया है।

तत्कालीन राजनैतिक जीवन में शूद्रों का स्थान अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण था। वे समाज के एक विशाल जनसमूह का प्रतिनिधित्व करते थे अत उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। राजा द्वारा समादृत बारह रत्नियों में शूद्रों का भी स्थान था।^१ बारह सदस्यों की यह सभा हिन्दू-यूरोपीय जाति की अन्य शाखाओं में भी मिलती है।^२ ये रत्निन इतने महत्वपूर्ण थे कि राजसूय यज्ञ के अवसर पर राजा को स्वतः इनके यहा रत्नहर्विषी नामक अनुष्ठान के लिये जाना पड़ता था। इन रत्नियों में प्राय सभी वर्णों के सदस्य थे। तक्षण और रथकार को भी रत्नियों में स्थान दिया गया है। किन्तु इनका राजनैतिक महत्व इनके व्यवसाय की महत्ता के कारण था। इन लोगों ने आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार में रथों एवं गाडियों के निर्माण से सहायता प्रदान की। दूसरे, इनके कार्य का सामरिक महत्व भी था। शतपथ ब्राह्मण इन दोनों रत्नियों का उल्लेख न करके गोविकर्तन (Huntsman) और पालागल (Messenger) का उल्लेख करता है।^३ ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों रत्निन शूद्र वर्ग के थे। पालागल के शूद्रत्व की सम्भावना इस बात से होती है कि पालागली को शूद्रा कहा गया है।^४ गोविकर्तन, जिसे शतपथ ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य प्रथमों द्वारा भी रत्नियों की सूची में स्थान दिया गया है,^५ सायण द्वारा हीन जाति बाला कहा गया है।^६ सायण ने इसी प्रकार सेनानी नामक रत्निन को भी शूद्र माना है।^७ इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि राजनैतिक जीवन में शूद्रों

१. हि दू पालिटी, भाग २, पृ० २०

२. चादविक, हिरोइक एज, पृ० ३७०

३. शत० ब्रा० ५.३.१ १०-११

४. शाखा० श्री० सू० १६.४ ४, शत० ब्रा० १३.५ २.८

५. मै० स० २.६ ५, आप० श्री० सू० १८ १० २०. शाट्या श्री० सू० १३ ४ ८

६. सायण की टीका—शत० ब्रा० ३.३ २ २-४

७. द्र०, सायण की टीका, शत० ब्रा० ५ ३ २.२, शद्रान सेनान्यादिन ..,

का भी प्रतिनिधित्व था। अन्य वर्णों के रत्नयों की भाँति शूद्र रत्नन भी इतने महत्वपूर्ण समझे जाते थे कि राजा राजसूय के प्रसग में स्वयं उनके यहाँ उपस्थित होता था। रत्नन के रूप में इनके अधिकार और कर्तव्य ना विशेष उल्लेख नहीं हुआ है जिससे इनकी अवज्ञा का बोध होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनका प्रतिनिधित्व आपचारिक मात्र था।

जायसवाल महोदय रत्नहृषिपी नामक उत्सव को बहुत महत्व देते हैं, जिसमें भावी नरेश एक विजित शूद्रों की पूजा करता था।^१ इस राजकीय समाचार के कारण हीन शूद्रों की स्थिति भी कुछ गौरवान्वित हुई हो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह कहना गलत होगा कि शूद्र वर्ण के रत्नन के बल अपने विशिष्ट व्यवसायों के कारण ही समादृत थे तथा वे अपने वर्णों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। पालागल (सदेशवाहक) तथा गोविकर्तन (शिकारियों का प्रबान) का व्यवसाय किसी भी प्रकार से विशेष महत्वपूर्ण नहीं कहा का सकता। चास्तव में शूद्रों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का कारण भी अशत राजनीतिक था। प्रथमतः अनार्यों के साथ दीर्घकालीन सघर्ष के पश्चात् शान्तिपूर्ण शासन के लिये समझौते की आवश्यकता थी। इन शूद्रों के माध्यम से निम्नस्तरीय अनार्य जनता का भी प्रतिनिधित्व हो जाता था। दूसरे वैदिक राजा की स्थिति बहुत कुछ जनता के सहयोग पर निर्भर थी जैसा कि अथर्ववेद (३.५.६) से स्पष्ट होता है। वैद्यों तथा शूद्रों का वर्ग सख्या में अधिक था। इन्हीं दो वर्गों द्वारा उच्चवर्गों का भरण-पोपण भी होता था। अत इनकी सन्तुष्टि के लिये तथा राजसत्ता को विधर रखने के लिये इन्हें राजकीय सम्मान प्रदान किया जाता था। शूद्रों का राजनीतिक महत्व राजसूय यज्ञ में होने वाली धूतकीड़ा से भी स्पष्ट होता है। कृष्ण-यजुर्वेद की पुरानी परम्परा के अनुसार धूतकीड़ा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र चारों भाग लेते थे तथा अन्त में राजा विजयी होता था।^२ वाजसनेयी सहिता में धूतकीड़ा में केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के ही भाग लेने का उल्लेख है।^३ इससे प्रतीत होता है कि इस अनुष्ठान से वैद्यों और शूद्रों को पृथक् करने का प्रधास भी प्रारम्भ हो चुका था।

१. हिन्दू पालिटी, २ पृ० २१

२. मै० स० ४४६, वाराह श्रौ० सू० ३.३ ३ २४, आप० श्रौ० सू० १८ १९.

२-३, शाट्या० श्रौ० सू० १३ ६ २६-२०

३. वाज० स० १० २६

फिर भी द्यूतक्रीड़ा में शूद्रों के भाग लेने का जो उल्लेख है उससे राजनैतिक जीवन में इस वर्ण के प्रतिनिधित्व की बात प्रमाणित होती है। राजसूय यज्ञ के एक दूसरे कृत्य के अनुसार राजा ब्राह्मण को स्वर्णं क्षत्रिय को घनुष और तीन वाण, वैश्य को लाठी और शूद्र को बीज से भरा पात्र देता है तथा बदले में उनके गुणों को प्राप्त करने की कामना करता है।^१ इस प्रकार वह शूद्र से दीर्घजीवन प्राप्त करता है। युधिष्ठिर के राजसूय के अवसर पर शूद्र भी निमित्ति हुये थे।^२ यजुर्वेद की सहिताओं से ज्ञात होता है कि राजा राजसूय के अवसर पर सूर्यं की उपासना करता हुआ आयं और शूद्र के प्रति किये गये पाप के लिये प्रायशिच्छत करता था।^३

अश्वमेघ यज्ञ में सशब्द सैनिक के रूप में अश्व की रक्षा करते हुए भी शूदा का उल्लेख है।^४ शूदों द्वारा सैनिक वृत्ति का घारण आश्चर्यजनक नहीं है। तैत्तिरीय सहिता में भी शूद्र सैनिकों वा उल्लेख मिलता है।^५ महाभारत में तो चारों वर्णों द्वारा शस्त्रधारण की बात कही गई है।^६ इस प्रकार राजसत्ता की रक्षा में शूद्रों का सशब्द योग भी इस युग में अज्ञात नहीं था। राजनैतिक महत्व के अनुष्ठानों में शूद्र कहाँ तक भाग लेते थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि विशेष पवित्र एवं महत्वपूर्ण अनुष्ठान में वे भाग नहीं लेते थे। राजसूय यज्ञ में ही शूद्र अभिषेकन में भाग लेने का अधिकारी नहीं था।^७ जायसवाल महोदय के अनुसार जन्य अथवा जन्यमित्र नामक जो चौथा व्यक्ति जल छिड़ करता था, वह शूद्र होता था।^८ किन्तु जन्य या जन्यमित्र का अर्थ शूद्र करना कल्पना भात्र पर अवलम्बित है। वाजपेय यज्ञ में भी शूद्र के प्रवेश का अधिकार नहीं था।^९

१. काठक स० ३८ १

२. विश्वन भावयान् शूद्रांश्च सर्वोनानयनेति च, महा० २ ३० १४

३. तै० स० १ ८ ३ १, काठक स० ३८.५, शत० ब्रा० १२ ६ २ ३

४. शतम शूद्रावरुयिनः, आप० श्री० सू० २०.५ १३, शाट्या श्री० सू० २० ५०

५. तै० स० ६ ४,८

६. महाभारत ५ १४ ७

७. शत० ब्रा० ३ ५ ११-१४, तै० ब्रा० १ ७ ८ ७

८. हिन्दू पालिटी, भाग २, पृ० २५

९. शास्त्रा० श्री० सू० १६ १७.४

इन सभी वातो के होते हुये भी शूद्र को समाज का अविच्छिन्न और अनिवार्य श्रग समझा जाता था। समाज के सुख-दुःख में उसका भी भाग था। अथर्ववेद तथा वाजसनेयी सहिता में आर्य और शूद्र दोनों का प्रिय बनने की कामना व्यक्त की गई है।^१ अथर्ववेद में एक क्रृपि कहता है कि 'मुझे देवताओं का प्रिय बनाओ, राजन्यों का प्रिय बनाओ, शूद्रों पार आर्यों का प्रिय बनाओ।'^२ निश्चय ही यहाँ चारों वर्णों के प्रिय बनने की कामना की गई है। एक उल्लेखनीय अश में जो यजुर्वेद की लगभग सभी शाखाओं में मिलता है अग्नि से चारों वर्णों के लोगों को 'रुचम्' (तेज Brilliance) प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।^३ उपनिषदों के युग तक नवीन धार्मिक क्रान्ति के साथ ही शूद्रों के प्रति हीन मामानिक दृष्टिकोण का भी विरोध हुआ। वृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि आत्मन् के क्षेत्र में कोई भेद अथवा दुराव नहीं रहता। यहाँ चंडाल और पौलकश भी हीन नहीं माने जाते हैं।^४ इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद चंडाल को भी अग्निहोत्र के अवशेष का अधिकारी बतलाता है।^५

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शूद्रों को अधिकाशत विजातीय, विजित तथा हीनाचारी होने के कारण समाज के सास्कृतिक जीवन से पृथक् किया गया। साथ ही उनकी हीन स्थिति का बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने स्वार्थ-साधन हेतु दुर्घटयोग भी किया। फिर भी अपनी आर्थिक उपयोगिता के कारण उन्हें कुछ सुविधायें भी प्राप्त हुई थीं। किन्तु कीथ महोदय का यह मत कि इस युग में शूद्रों की स्थिति अस्पष्ट (Ambiguous) थी न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता।^६ यत्र-तत्र राजनीतिक अवसरों पर उनके प्रति सम्मान अवश्य प्रकट किया गया है किन्तु मात्र इनके आधार पर शूद्रों की

१. अथर्ववेद १६. ३२ च, ६२० १, वाज० स० २६०२

२ अथर्ववेद १६ ६२ १

३ तै० स० ५७६४, वाज० स० १८४८ मै० सं० ३ ४,८

४ वृ० च८० ४३ ८

५ छान्दोग्य उप० ५ २४ ४

६ केन्द्रिज हिस्टरी आव झाएंडया, भाग १, पृ० १२६

शूद्राज इन ऐन्स्येन्ट इण्डिया, पृ० ८१

आदरणीय स्थिति का बोध नहीं होता। इसके विपरीत सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में उनके बहिष्कार एवं अवज्ञा का जो भाव मिलता है उससे उनकी कषण कथा ही मुखरित होती है। शूद्रों की पशु गत् स्थिति को स्थृत करने के लिए ऐतरेय ब्राह्मण का 'यथाकामवद्य' विशेषण ही पर्याप्त है।



इन सभी वातों के होते हुये भी शूद्र को समाज का अविच्छिन्न और अनिवार्य अग समझा जाता था। समाज के सुख-दुख में उसका भी भाग था। अथर्ववेद तथा बाजसनेयी सहिता में आर्य और शूद्र दोनों का प्रिय बनने की कामना व्यक्त की गई है।^१ अथर्ववेद में एक ऋषि कहता है कि 'मुझे देवताओं का प्रिय बनाश्रो, राजन्यों का प्रिय बनाश्रो, शूद्रो और आर्यों का प्रिय बनाश्रो।'^२ निश्चय ही यहाँ चारों वर्णों के प्रिय बनने की कामना की गई है। एक उल्लेखनीय अश में जो यजुर्वेद की लगभग सभी शाखाओं में मिलता है अग्नि से चारों वर्णों के लोगों को 'रुचम्' (तेज Brilliance) प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।^३ उपनिषदों के युग तक नवीन धार्मिक क्रान्ति के साथ ही शूद्रों के प्रति हीन मामाजिक दृष्टिकोण का भी विरोध हुआ। वृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि आत्मन् के क्षेत्र में कोई भेद अथवा दुराव नहीं रहता। यहाँ चडाल और पीलकश भी हीन नहीं माने जाते हैं।^४ इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद चडाल को भी अग्निहोत्र के अवशेष का अधिकारी बतलाता है।^५

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शूद्रों को अधिकाशत विजातीय, विजित तथा हीनाचारी होने के कारण समाज के सास्कृतिक जीवन से पृथक् किया गया। साथ ही उनकी हीन स्थिति का बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने स्वार्थ-साधन हेतु दुरुपयोग भी किया। फिर भी अपनी आर्थिक उपयोगिता के कारण उन्हें कुछ सुविधायें भी प्राप्त हुई थीं। किन्तु कीथ महोदय का यह मत कि इस युग में शूद्रों की स्थिति अस्पष्ट (Ambiguous) थी न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता।^६ यत्र-तत्र राजनीतिक अवसरों पर उनके प्रति सम्मान अवश्य प्रकट किया गया है किन्तु भाव इनके आधार पर शूद्रों की

१ अथर्ववेद १६. ३२. ८, ६२० १, बाज० स० २६०२

२ अथर्ववेद १६ ६२ १

३ तै० स० ५ ७ ६ ४, बाज० स० १८ ४८ मै० स० ३ ४,८

४ वृ० उप० ४ ३ २

५ छान्दोग्य उप० ५ २४ ४

६ कैम्ब्रिज हिस्टरी आव इण्डिया, भाग १, पृ० १२६

शूद्राज इन ऐन्स्येन्ट इण्डिया, पृ० ८१

आदरणीय स्थिति का बोध नहीं होता। इसके विपरीत सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में उनके बहिष्कार एवं अवज्ञा का जो भाव मिलता है उससे उनकी करण कथा ही मृत्युरित होती है। शूद्रों की पशुरत् स्थिति को स्थृत करने के लिए ऐतरेय ब्राह्मण का 'यथाकामवद्य' विशेषण ही पर्याप्त है।



पर्वि । दि संवाद

ओैर्

नि ॐ कन्त्री शा

उत्तर-वैदिक-युगीन पारिवारिक सागठन बहुत कुछ पूर्ववैदिक-युग के समान था यद्यपि इसपर आर्थिक विकास एव सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव पड़ने के कारण कुछ अन्तर भी था गये थे । सयुक्त परिवार सयुक्त परिवार की परम्परा अभी विच्छिन्न नहीं हो पाई थी । अथर्ववेद (३० १-३) में पारिवारिक जीवन के, जिस आदर्श का चिन्हण है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है ।^१ पिता के, जो कुटुम्ब का नायक होता था, जीवन काल में उसके सभी पुत्र एव पीत्र बहुधा साथ-साथ रहते थे लेकिन अब कभी-कभी उसकी वृद्धावस्था में उसके पुत्र पारिवारिक सम्पत्ति का बटवारा करने की माग करने लगे थे । जैमिनीय ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि अभिप्रतारण के चार पुत्रों ने उस समय सम्पत्ति के बटवारे के लिए कलह किया जब वह वृद्धावस्था में रोगशीघ्र्या पर पड़ा हुआ था ।^२ पुत्रों के कलह का कारण जानने पर अभिप्रतारण ने क्षुब्ध होकर कहा कि 'मैंने सुना थाकि एक समय ऐसा आएगा जब पिता के जीवन कालमें ही पुत्र सम्पत्ति का बटवारा करा लेंगे । उसके इस कथन से प्रमाणित होता है कि पिता के जीवन-काल में पुत्रों द्वारा सम्पत्ति-विभाजन एक अज्ञात-पूर्व एव आश्चर्यजनक बात थी । भनु के पुत्रों ने भी उसके ही जीवन काल में

१ सहृदयं सामनस्यमविद्वेष कृणोमि व
अन्यो अन्यमभिहयेत वत्म जातभिवाद्या
अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु समनाः
जाया पत्ये भवतु मती वाच वदतु शान्तिवाम्
मा भ्राता भ्रातर द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा
सम्य च सवत्ता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ।

२. जै० द्वा० ३ १५६

सम्पत्ति का बटवारा करा लिया था।^१ इस नवीन परिवर्तन से कई विषयों पर प्रकाश पड़ता है। प्रथम, इससे प्रतीत होता है कि इस युग में पिता की असीम सत्ता का हास होने लगा था। हम कह चुके हैं कि आर्यों की पितृ-प्रबन्धन पारिवारिक ध्यवस्था में पुत्रों पर पिता का प्रायः निरंकुश शासन रहता था। पारिवारिक सम्पत्ति का वह एकमात्र स्वामी था और पुत्रों का दाय-प्राप्ति का अधिकार मात्र नैतिक था।^२ किन्तु इसके विपरीत उत्तर-वैदिक युग तक पुत्र पिता की सम्पत्ति पर अपना स्वाभाविक अधिकार मानने लगे थे। स्पष्ट है कि इस युग में एक और पिता के निरंकुश अधिकारों का अन्त हो रहा था तो दूसरी ओर पारिवारिक सम्पत्ति पर सामूहिक स्वामित्व की जेतना विकसित हो रही थी। ब्राह्मण युग में पुत्रों के जन्मना स्वतंत्रताद का सिद्धान्त अस्तित्व में आ चुका था। किन्तु परवर्ती युग में यह सिद्धान्त प्राचीन परम्परा के अनुकूल न होने के कारण धर्मसूत्रों द्वारा अनुभोदित नहीं हुआ। इन ग्रन्थों में पिता के अधिकारों का समर्थन करते हुए इस बात पर बल दिया गया है कि सम्पत्ति-विभाजन पिता के जीवन काल में नहीं होना चाहिए।^३

उत्तरवैदिक युग में पारिवारिक विधटन एवं पुत्रों द्वारा सम्पत्ति-विभाजन की यह नवोदित प्रथा बहुत कुछ परिस्थितिजन्य थी। पूर्णवैदिक आर्यों को युद्ध, विजय एवं प्रसार की सकटग्रस्त परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। ऐसी स्थिति में चाहते हुए भी एकाकी और विभाजित जीवन व्यतीत करना सर्वथा असुरक्षित था। दूसरे इस युग में पशु (और विशेषत गायें) आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण होते हुए भी दुर्लभ नहीं थे। युद्ध में पराजित स्थानीय जनों के पशु-समूह सरलता से आर्यों के हाथ आ जाते थे। उन्हें प्राप्त करने के लिए पारस्परिक सघर्ष की आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत उत्तरवैदिक युग तक आर्यों का प्रसार-क्रम काफी मन्द पड़ चुका था। वे स्थायी आवास बनाकर रहने लगे थे। राजसत्तोंके विकास के साथ शान्ति एवं सुरक्षा में वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति में भूसम्पत्ति एवं पशुधन की सहज प्राप्ति दुष्कर हो गई। परिणामतः धीरे-धीरे परिवार को पूर्वाञ्जित सम्पत्ति ही

१. ऐत० आ० ५ १४, त० स० ३.१.६.४ के अनुसार यह बटवारा मनु ने स्वयं किया।

२. वैदिक इण्डोक्स, १.३५२

३. गोतम १५ १५, १६

इसके सदस्यों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र हो गई। शक्तिमान पिता पारिवारिक सम्पत्ति के बटवारे में पूरी मनमानी करता था तथा अपने प्रियपुत्र को सम्पत्ति में अधिक हिस्सा दे सकता था। ताण्ड्य ब्राह्मण^१ में कहा गया है कि पिता का प्रिय पुत्र अधिक सम्पत्ति प्राप्त करता है अत अन्य पुत्रों को उससे स्वभावत ईर्ष्या होती है। निश्चय ही सभी पुत्र सम्पत्ति विभाजन में समाज भाग चाहते होंगे अत पिता के मनमाने विभाजन से बचने के लिए उनके अस्वस्थ अथवा अशक्त होने पर स्वयं विभाजन का प्रयास करने लगे। इसके अतिरिक्त पिता के शक्तिमान रहने पर तो पुत्रों और पुत्रवधुओं पर पर्याप्त शासन रहता था किन्तु उसके प्रभाव के हटते ही भाइयों में कलह प्रारम्भ हो जाता था फिर उनका साथ-साथ-रहना प्राय कठिन हो जाता था। ऐसी स्थिति में यदा-कदा पिता के जीवनकाल में ही भाई अलग हो जाते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात भी यदि सभी भाई साथ साथ रहते थे तो ज्येष्ठ भ्राता समृक्ष परिवार का प्रधान बनता था। जान मेन ने इसकी स्थिति पिता से भिन्न मानी है। उनके अनुसार जहा पिता प्रकृत्या परिवार का स्वामी था वहा ज्येष्ठ भ्राता केवल भाइयों के समझाते से परिवारका मुखिया बनता था।^२

उत्तरवैदिक-युगीन पारिवारिक जीवन में विघटन की प्रक्रिया का सकेत भ्रातृव्य शब्द के अर्थपरिवर्तन से भी होता है। भ्रातृव्य शब्द का अर्थ चचेरा भाई है।^३ अथर्ववेद में उसकी गणना वान्धवों में की गई है।^४ किन्तु ब्राह्मण युग तक हम इसका प्रयोग प्रतिस्पर्धी शब्द के अर्थ में पाते हैं।^५

१. ताण्ड्य ब्रा० १६.४.४.३-४

२. मेन, हिन्दू ला, पृ० ३२०

३. हिंटने ने भर्यवंवेद (२.१८.५) के अनुवाद में इसका मूल अर्थ भतीजा माना है किन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता। यदि पितृव्य का अर्थ चाचा हो सकता है तो निश्चय ही भ्रातृव्य का अर्थ भतीजा न होकर चचेरा भाई ही होगा।

४ अथर्ववेद १० वृ० ६, ५ २२ १२

५ शत० ब्रा० १.१ १-२१, ऐत० ब्रा० ३ ७, पच० ब्रा० २ ७.२, १२ १३ २ देखिए सहिताएं—अथर्ववेद २.१८.१, ७ १.१८, बाज० स० १.१०, त० स० १.३.२.१, ३.५.६.२

काठक सहिता में उसे 'अप्रिय' 'पाप्मा' और 'द्विष्णु' विशेषण दिए गए हैं।^१ पाणिनि ने भ्रातृव्य शब्द के दोनों अर्थों को समान रूप से स्वीकार किया है।^२ भ्रातृव्य के शत्रु वनने के कारण सामूहिक परिवार के साम्पत्तिक झगड़े प्रतीत होते हैं।^३ आप्टे महोदय का यह मत कि भ्रातृव्य शब्द का शत्रुवाचक अर्थ सम्भवत इरानियों एवं भारतीय आर्यों के पारस्परिक कलह का स्मरण दिलाता है,^४ नितान्त काल्पनिक प्रनीत होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य के जिन अशो में भ्रातृव्य शब्द का शत्रुवाचक अर्थ मिलता है वे अधिकांशत हिन्द-इरानी युग से बहुत बाद के हैं। दूसरे भारतीय आर्यों एवं इरानियों के बीच किसी सघर्ष अथवा कलह के निश्चायक प्रमाण भी नहीं हैं। भ्रातृव्य शब्द के शत्रुवाची अर्थ से इतना तो स्पष्ट है कि चबेरे भाइयों का साथ-साथ रहना उत्तरवैदिक युग में एक असामान्य स्थिति थी। इनके इस सम्बन्ध से भाइयों के आपसी सम्बन्ध पर भी न्यूनाधिक रूप से प्रकाश पड़ता है। इससे इस बात की सम्भावना दृढ़ होती है कि भाइयों का सामूहिक और सयुक्त जीवन केवल पिता के प्रभाव के कारण ही था। उस प्रभाव से मुक्त होते ही वे अपने पृथक् परिवार की व्यवस्था का प्रयास करते होते। सूत्रकाल तक तो स्पष्ट रूप से विभाजन का सैद्धांतिक समर्थन हुआ। गौतम के अनुसार विभाजन से धर्म-वृद्धि होती है।^५

उत्तरवैदिक युग की सयुक्त परिवार-व्यवस्था के हास के कई महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे प्रबल कारण आर्थिक परिस्थियों में परिवर्तन था। यद्यपि कृषि और पशुपालन आर्यों के प्रमुख विधटन के प्रमुख कारण व्यवसाय थे किन्तु अब धीरे-धीरे वाणिज्य और शिल्पों का भी विकास होने लगा था। पण, काषणिण तथा आडक, द्रोण, प्रस्थ आदि नामों के उल्लेख से उस समय की व्यापारिक प्रगति का सकेत मिलता है। व्यापारिक प्रगति एवं लघु उद्योग घन्धों के विकास के फलस्वरूप परिवार से अलग होकर जीविकोपार्जन करना सरल एवं स्वाभाविक हो गया। व्यापारिक तथा

१ काठक स० १८ द, १०७

२ अष्टाव्यायी, ४ १ १४४-४५

३ पाल, ला आव प्राइमाजैनिचर, पृ० २२८

४ आप्टे, सोशल एण्ड रिलिजस लाइफ इन गृह्यसूत्राज, पृ० ६७

५. गौतम, २८.४ विभागे धर्मवृद्धि

श्रीबोगिक विश्वास के अपेक्षया मन्द होने के कारण पारिवारिक विघटन की प्रवृत्ति भी धीमी रही ।

व्यापारिक एवं श्रीबोगिक प्रगति का एक और भी परिणाम हुआ । कृगि एवं पशुपालन जैसे व्यवसायों में सामूहिक थम की आवश्यकता थी अत इनसे उत्पन्न धन पर परिवार का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत स्वतंत्र की कटपना नहीं कर सकता था । इसके विपरीत पृथक् उद्योगों एवं व्यापार में अर्जित सम्पत्ति प्राय व्यक्तिगत प्रयत्नों का परिणाम होती है । परिणामत ऐसी सम्पत्ति पर वैयक्तिक अधिकार एवं उसके उपभोग की स्वतंत्रता की भावना ने परिवार के सदस्यों को पृथक् पृथक् रहने को प्रेरित किया होगा । वैदिक युग के पितृप्रधान संयुक्त परिवार के कठोर अनुशासन में पले व्यक्ति को यह पृथक् जीवन बढ़ा ही भारहीन प्रतीत हुआ होगा साथ ही उसके अहवृद्धि की तृष्णा भी हुई होगी ।

पाल महोदय के अनुसार संयुक्त परिवार में विघटन का एक कारण पितृपूजा भी रही होगी । जब लोग यह विश्वास करने लगे कि पितर परलोक में अपने बशजो द्वारा दिए गए अन्न के उपभोग से पलते हैं तो पृथक् में यह इच्छा होनी स्वाभाविक थी कि वह ग्रन्थ लोगों की अपेक्षा अधिक साधानी से अपने पिता को अन्न पहुँचाता रहे । यदि कोई विद्वान् किसी दिन यह सिद्ध कर देगा कि वैदिक परिवार में इसी कारण ये झगड़े उत्पन्न हुए तो हमें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होगा । इन झगड़ों से न केवल संयुक्त परिवार का विघटन हुआ बल्कि पितृपूजा में पितृपरम्परा में पूजे जाने वाली पीढ़ियों की सल्या भी मर्यादित हो गई ।¹ किन्तु इस सम्भावना के पक्ष में न केवल प्रमाणों का अभाव है बल्कि यह अस्तगत भी प्रतीत होती है । एक ही परिवार में विभिन्न पितृपूजक सदस्यों में किसी प्रकार के पारस्परिक विरोध का कोई कारण नहीं होना चाहिए । परिवार के एक सदस्य की पितृभक्ति से दूसरे की पितृभक्ति का मार्ग श्रवण नहीं होता । आज भी हिन्दू संयुक्त परिवारों में पितृपूजा होती है किन्तु उनके कारण पारिवारिक जीवन में कलह नहीं होता । अब भी प्राय पारिवारिक विभाजन एवं विघटन के कारण आर्थिक ही हुआ करते हैं । सम्भव है कि इस युग की भाँति वैदिक युग में भी पारिवारिक कलह में स्त्रियों का हाथ रहा हो ।

रक्त सम्बन्ध के कारण जहाँ भाइयो में स्लेह और सहानुभूति की भावना होती है वहीं अन्य परिवारों से आने के कारण कुलवधुओं की निष्ठा पति के प्रतिरक्त अन्य लोगों में कम होती है।^१ पूरे परिवार के साथ आत्मीयता के अभाव में अपने को परिवार के सभी शेष जनों के प्रभुत्व से मुक्त करने के लिए पति को पृथक् परिवार की सृष्टि करने की प्रेरणा देना उनके लिए सर्वथा स्वाभाविक होता है।

कुछ विद्वानों ने कर्मवाद के सिद्धात के विकास को भी पारिवारिक विघटन का कारण माना है।^२ लेकिन स्पष्टतः कर्मवाद का सिद्धान्त व्यक्तिको सयुक्त परिवार से पृथक् करने का कारण नहीं वरन् विघटन के संदर्भान्तिक औचित्य को सिद्ध करने का एक साधन मान्ना कहा जा सकता है।

सयुक्त परिवार के विघटन का यह तात्पर्य नहीं है कि ब्राह्मण युग में यह स्थाया समाप्त हो चली थी। अभिप्रतारण और मनु के पुत्रों के उदाहरण पारिवारिक जीवन में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन की सूचना देते हुए भी अपवाद मान्ना थे। अथवंवेद के स्वापन सूक्त (४.५) और सामनस्य सूक्त (३.३०)

सयुक्त परिवार के अस्तित्व की ओर सकेत करते हैं। स्वापन सूक्त में रात में परिवार के सभी सदस्यों को मन्त्रों से सुलाने की कामना करते हुए कहा गया है जो नाणिया प्रोष्ठ (बैंच) पर लेटी हुई हैं, पलग पर लेटी हुई हैं, पालकी में लेटा करती हैं, जो छियां उत्तम गधवाली हैं, उन सबको हम सुलाते हैं। मध्यरात्रि में गति करने वाली प्रत्येक वस्तु को हमने पकड़ रखा है। चक्षु और श्वास को भी आम लिया है तथा गति करने वाले अगों को भी निरुद्ध कर लिया है। जो कोई बैठा हुआ है, इधर-उधर जाता है, खड़ा होकर देखता है, हम उन सबकी धाखें नींद से बन्द करते हैं। माता सो जाय, पिता सो जाय, कुत्ता सो जाय गृहस्वामी (विशपति) सो जाय। इस छों के सभी सम्बन्धी और चारों ओर के

१ रामायण ३.४५.२८ में स्त्रियों को पूट डालने वाला कहा गया है। विमुक्तश्चपलाश्तीक्षणा भेदकरा छिय।

२ सर्वाधिकारी — प्रिसिपुत्रस आव हिन्दु ला आव इनहेरिटेन्स, ४०.५५

लोग सो जाय ।^१ सायणाचार्य के अनुसार इस सूक्त का पाठ स्त्र्यभिगत में उसके आसपास के लोगों एवं सम्बन्धियों को सुलाने के लिए होता था ।^२ इस सूक्त से यह स्पष्ट है कि एक ही परिवार में अनेक लोग रहते थे । अनेक सदस्यों से युक्त परिवार सयुक्त परिवार के अस्तित्व को सूचित करता है जिसमें पति-पत्नी के अतिरिक्त उनके माता-पिता, अनेक सम्बन्धी और बहुत सी लिया साथ-साथ एक ही घर में रहती थी । सामनस्य सूक्त (३ ३०) का कवि कहता है मैं तुम्हे समान हृदय वाला, समान मन वाला तथा द्वेषरहित बनाता हूँ । जैसे गाय अपने बछड़े को प्यार करती है उसी प्रकार तुम आपस में प्रेम रखो । तुम समान चित्त वाले वनों, साथ-साथ चलो, साथ-साथ कार्यों की सिद्धि करो तथा आपस में विभक्त न हो । एक-दूसरे के प्रति मधुरे बचन का प्रयोग करो । मैं तुम्हे मिलकर गति करने वाला तथा समान मन वाला बनाता हूँ । तुम एक स्थान में जल पिया, साथ-साथ भोजन करो । मैं तुम सबको एक बन्धन में बांधता हूँ । जिस प्रकार प्ररे, रथचक्र के चारों ओर जुड़े रहते हैं उसी प्रकार तुम एक साथ मिलकर गति करते हुए अर्णि की उपासना करो ।^३ स्पष्टतः इस सूक्त में परिवार को अविभक्त और सयुक्त बनाए रखने का आदेश दिया गया है ।

- १ अथर्ववेद ४ ५ ३-६, प्रोष्ठेशयास्तलपेशया नारीर्या वह्यशीवरीः ।
लियोया पुरयगन्धयस्ता सर्वा स्वपयामसि ॥ एतदेतदजग्रभ चक्षु प्राण-
मजग्रभम् । अगान्यजग्रभ सर्वा रात्रीणामतिशवरे ॥ य आस्ते यश्चरति
यश्च तिष्ठन् विषयति । तेप्रा सदघ्मी अक्षीणि-। स्वप्नु माता, स्वप्नु पिता,
स्वप्नु इवा, स्वप्नु विष्पति' । स्वपन्त्वस्यै ज्ञातय स्वप्त्वयमभितो जन ॥
२. इस सूक्त के १, ३, ५ और ६ मध्य क्र० ७ ५५ ५-८ में मिलते हैं ।
इनमें भी इन मन्त्रों का प्रयोग सुलाने के लिए किया गया है । ग्रिफिथ
महोदय ने क्र० २, ५४ की टिप्पणी में कहा है कि अथववेदकालीन
प्रेमी जब अपनी प्रेयसी के पास अभिसार के लिए जाता था तो वह
इन मन्त्रों की सहायता से उसके अन्य सम्बन्धियों को सुलाता था ।
- ३ अथर्ववेद ३, ३० १, ५-६, सहृदय सामनस्यमविद्वेप कृणोमि व ।
अन्योग्न्यमभिर्यत वत्स जातभिवाद्या । जायस्वन्तिचित्तिनो मा
वियोष सराधयन्त सधुराइचरन्तः । अन्यो अन्यस्मै वल्नु वदन्त एत
सद्गीचीनान्व संमनसस्कणोमि ॥ समानी प्रपा सह वोन्मभाग समाने
योक्त्रे सहवो युनजिम । सम्यज्ञोग्नि सप्यंतारा नाभिमिवामित ॥

सयुक्त परिवार की यह अविद्यिन परम्परा गृह्यसूत्रों में भी पूर्णत जीवन्त है। गोभिल गृह्यसूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय विशाल सयुक्त परिवार होते थे।^१ परिवार के सदस्यों की सह्या इतनी अधिक होती थी कि भोजन एक चूल्हे पर नहीं बन पाता था, अत अलग-अलग भोजन की व्यवस्था की जाती थी। परस्कर गृह्यसूत्र में भी एक विशाल परिवार का उल्लेख हुआ है।^२ इस ग्रन्थ के अनुसार गृहपति को वैश्वदेव यज्ञ के पश्चात् पहले भिक्षुओं, ब्रह्मचारियों, सन्यासियों और अतिथियों को भोजन कराना चाहिए, फिर वालको श्रीर बूढ़ों को तदनन्तर परिवार के अन्य सदस्यों को। उसे स्वयं सर्वरूप अन्त में भोजन करना चाहिए।

वैदिक परिवार में सामान्यत तीन पीढ़ी के लोग साथ साथ रहते थे।^३ जैसा कि आद्य एव अन्य यज्ञों में पितरों के आह्वान से सकेत मिलता है। उत्तर-वैदिक युग तक पितरों की पूजा का रूप पर्याप्त परिवर्तित हो चुका था। ऋग्वेद, शुक्ल, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में वर्णित पितरों की पूजा में स्पष्ट अन्तर है। ऋग्वेद में पितरों का सामान्य रूप से आह्वान किया गया है।^४ ऐसा प्रतीत होता है कि उनका सम्बन्ध किसी कुल विशेष से नहीं वरन् सम्पूर्ण जन से माना जाता था। यज्ञादि पवित्र अवसरों पर इनका आह्वान होता था। उस समय सहस्री की संख्या में देवताओं सहित इनकी उपस्थिति की आशा की जाती थी।^५ किन्तु ऋग्वेद में ही विशिष्ट परिवारों द्वारा अपने पारिवारिक पितरों की पूजा करने के सकेत भी मिलते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में अगस्त्य और लोपामुद्रा का वार्तालाप इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है।^६ इस सूक्त में महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा से योन-सम्बन्ध की याचना करते हैं। दीर्घ काल तक अविवाहित रहने के पश्चात् अगस्त्य को ज्ञात होता है कि उनके पितर उनसे नियमित रूप से बलि न मिलने के कारण अस्त्यन्त कष्ट में है। पितरों ने अपने उदार का मार्ग अगस्त्य द्वारा गृहस्थ जीवन का

१ गो० गृ० सू० १ ४ २३ २६

२ पा० गृ० सू० २ ६

३ द्रष्टव्य—हिन्दू परिवार मीमांसा पृ० ३८।

४ अ० १० १५

५ कपाडिया, हिन्दू किनशिप, पृ० १२, बुरिये, फैमिली एएड किन इन इरहोआयन कल्चर, पृ० ४४

६ क्र० १.१७६

स्वीकार बताया। इस पर आगस्त्य ने इनके उद्घार के लिए विदर्भराज से सुष्ठि के समग्र प्राणियों के सर्वोत्तम ग्रागो से विनिर्मित लोपामुद्रा को मागा।^१ यदि आगस्त्य और लोपामुद्रा के बातलिय का आधार महाभारतकार द्वारा प्रदत्त इस पुराकथा को माना जाय तो यह स्त्रीकृत करना पड़ेगा कि ऋग्वेदिक युग में ही पृथक् पृथक् परिवारों में अपने पितरों की पूजा होने लगी थी तथा यह विश्वास भी प्रबल हो चुका था कि पितर पुत्रों द्वारा प्राप्त अन्न से पलते हैं। उत्तरवैदिक साहित्य में पितृपूजा के जो उदाहरण हमें मिलते हैं उनसे स्पष्ट है कि पुत्र अपने ही पिता, पितामह आदि पूर्वजों को यज्ञ द्वारा सन्तुष्ट करते थे। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में पितरों की पीढ़ियों की सत्या भी मर्यादित कर दी गई है। शुक्ल यजुर्वेद (१९.३६-३७) में पिता, पितामह और प्रपिता मह को नमस्कार करते हुए उनसे वशजों को पवित्र करने की प्रार्थना की गई है। अथर्ववेद के पितृमेष्य या श्राद्ध सम्बन्धी सूक्तों में तत्, तत्तामह और प्रततामह को स्वघादान का उल्लेख है।^२ प्रपितामह का उल्लेख परवर्ती सहिताग्रों और ब्राह्मणों में अनेकश हुआ है।^३ पितृपूजा में केवल तीन पीढ़ी के पूर्वजों का आद्वान सयुक्त कुटुम्ब-व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश ढालता है। धुरिये महोदय इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि साधारणतया चार पीढ़ी के लोग एक परिवार में साथ साथ रहते थे जिनमें चौथा अपने तीन पूर्वजों (पिता, पितामह, प्रपितामह) से सुपरिचित होने के कारण मृत्यु के पश्चात् उन्हें बलि देता था। यदि परिवार में तीन ही पीढ़ी के लोग रहते तो पितृपूजा में दो ही पीढ़ी के पूर्वजों को स्थान मिलता।^४ उपर्युक्त विद्वान् का मत तर्कपूर्ण होते हुए भी प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि चार पीढ़ियों का व्यावहारिक रूप में एक साथ रहना असामान्य घटना ही कही जाएगी। दूसरे, अथर्ववेद में (१४.१४३, ४४) नववधू को पोतों पर से युक्त परिवार शासन करने का आशीर्वाद दिया गया है। उसे प्रपीत्रों से युक्त परिवार पर शासन करने को नहीं कहा गया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर प्रपीत्र का उल्लेख अवश्य हुआ

१ महाभारत, १.६६

२ अथर्ववेद १८.४.७५

३ तै० स० १.८.५१, शत० न्ना० २.४.२.१६, १२ न १७

४. धुरिये, कैमिली एण्ड किन इन द्वारो-आयंन कल्चर, पृ० ४५

है।^१ किन्तु मात्र इसके आधार पर चार पीढ़ियों का साथ-साथ रहना सिद्ध नहीं होता। अपवादस्वरूप आज भी कुछ ऐसे परिवार मिल जाते हैं जिनमें प्रपितामह और प्रपोत्र को अल्पकाल तक साथ साथ रहने का सीभाग्य प्राप्त हो जाता है किन्तु ऐसे स्थानों पर भी बहुधा वालक की चेतना के सजग होने के पूर्व ही प्रपितामह का देहावसान हो जाता है। हम देख चुके हैं कि क्र० १० द५ में नववधु को सास श्वसुर की रानी बनने को कहा गया है किन्तु वहाँ भी प्रपितामह अथवा प्रपितामही का कोई मकेत नहीं है। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में हम कहीं भी प्रपितामह का संयुक्त परिवार के जीवित सदस्यके रूप में उल्लेख नहीं पाते। ऐतरेय व्राह्मण में नप्तु का प्रयोग प्रपोत्र के अर्थ में अवश्य हुआ है^२ किन्तु इस प्रसार से भी उसके पारिवारिक सदस्य होने की वात स्पष्ट नहीं होती है। इसमें एक व्यक्ति अपने बच्चों को पारिवारिक अग्निहोत्र की परम्परा को अक्षुण्ण रखने का सदेश देते हुए पुत्र, पौत्र और नप्तु को सम्बोधित करता है। वस्तुतः यहाँ उसका सन्देश परिवार के सदस्यों के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अत इसके आधार पर चार पीढ़ियों का साथ-साथ रहना पुष्ट नहीं होता। अभिप्रतारण की कथा से भी स्पष्ट है कि पुत्रों के युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते पिता स्वयं वृद्ध और अशक्त हो जाता था। वैदिक परिवार का जो चित्र सामान्यत, मिलता है उससे ज्ञात होता है कि परिवार का कन्द्र गृहपति एव उसके भाई होते थे और उनके साथ संयुक्त परिवार की गत्ति को दृढ़ करने वाले दूढ़े माता पिता तथा गृहपति एव उसके भाइयों की अपनी सन्तानें होती थीं। इस प्रकार सामान्य रूप से वैदिक परिवार की सीमा पितामह से पोते तक ही समझनी चाहिए। पितृपूजा में तीन पीढ़ियों की सत्या मर्यादित करने का कारण दूसरा ही प्रतीत होता है। परिवार में पला प्रत्येक व्यक्ति अपने से ऊपर की ओ पीढ़ियों से सुपरिचित होता था। अत आदि के समय न केवल अपने पिता का अह्वान करता था बल्कि अपने पिता एव पितामह के पिता के प्रति भी अपना आदर व्यक्त करता था।

उत्तरवैदिक युग में दाम्पत्य नीवन पर्याप्ति सुखी था तथा पत्नी का स्थान पूर्णवत् महत्वपूर्ण और घादरणीय माना जाता था। तैत्तिरीय संहिता

१. क्र० ८ १७ १३, प्रणापात

२. ऐत० न्ना०, ३२.१०

से ज्ञात होता है कि समाज में तीन क्रणों की कल्पना जन्म ले चुकी थी।^१ पितृ प्राण से मुक्त होने के लिए विविष्ट वास्तव्य जीवन की महत्ता विवाह एव पुत्रोत्पत्ति आवश्यक माने जाते थे। महर्षि ग्रगस्त्य ने पितरों के उद्धार-हेतु ही वैवाहिक जीवन स्वीकार किया था।^२ अविवाहित पुरुष को यज्ञाधिकार से निचित माना जाता था।^३ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करने के पश्चात् ही व्यक्ति पूर्ण समझा जाता था।^४ यज्ञादि कार्यों की सिद्धि के लिए पुत्र-प्राप्ति आवश्यक थी। ऐतरेय व्राक्षण में एक स्थान पर मन्यास की निन्दा करते हुए पुत्रोत्पादन को ही परम-धर्म बताया गया है।^५ विवाह एव पुत्रार्जन की इस अनिवार्यता के पीछे सामाजिक हित एव प्रगति की प्रवल भावना थी। पुत्र वृद्धावस्था का सहारा था, राष्ट्र की शक्ति था उसी के माध्यम से वश की परम्परा अक्षुण्ण रहती भी। तैत्तिरीय सहिता में प्रजा के माध्यम से अमृतत्व प्राप्ति की कामना की चर्चा पीछे की जा चुकी है। एकाकी जीवन धार्मिक और आर्थिक हृषि से भी उपेक्षणीय था। अविवाहित व्यक्ति अपने पितरों को श्राद्ध नहीं दे पाता था। साथ ही मृत्यु के पश्चात् होने वाली अपनी दुर्गति की कल्पना से वह स्वभावत खिल रहता था। विवाह की इस अनिवार्यता के पीछे नवीन वैराग्यमूलक प्रवृत्तियों से उत्पन्न प्रतिक्रिया का भी योग था। उत्तरवैदिक युग के अन्त तक नैषिक ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मवादिनीस्त्रियों के समूह समाज में बढ़ने लगे थे। इस नये विकास को रोकने के लिए भी विवाह की अनिवार्यता पर बल दिया गया। महाभारत में जरत्कारु और कुणिगर्ग की कथा द्वारा स्त्री-पुरुष दोनों के लिए विवाह एव पारिवारिक जीवन की अनिवार्यता व्यक्त की गई है। जरत्कारु (११३ व १४५) एक उपर तपस्वी थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था किन्तु पितरों की दुर्दशा देखकर अन्तरोगत्वा उन्हें विवाह करना पड़ा।

१ तं० स० ६३.१०५, काणे, हिस्ट्री शाव घर्मशास्त्राज, ग्रन्थ २, भाग १, पृ० २७०

२ देखिए पीछे,

३. शत० ब्रा० ५ ? ६१०, अयज्ञोयो वै एषप्रतीक, तुल० तं०ब्रा०२२२ ६

४ शत० ब्रा० ५ २.११०

५ ऐत० ब्रा० ३३ ११, कि तु मल किमजिन कि शमशुणि कि तप। पुत्रं व्राक्षण इच्छाद्व स वै लोको वदावदः।

कुणिगर्म की कन्या ने आजीवन घोर तप किया (१५२), तथा बूढ़ी होने पर स्वारिहेण की इच्छा को किन्तु जब नारद द्वारा उसे यह ज्ञात हुआ कि अविहाहिता कन्या स्वर्ग की अधिकारिणी नहीं होती तब उसने अपनी तपस्या का अद्वाश देकर श्रृंगवान से शादी की और उसके पश्चात् ही वह स्वर्ग जा सकी । हिन्दू समाज में विवाह की अनिवार्यता का विचार आज भी जीवित है । कई प्रदेशों में जब कोई व्यक्ति अविवाहित हो मर जाता है तो वाह सरकार के पूर्व उसका विवाह अवश्य कराया जाता है ।^१

उत्तर-वैदिक युग में विवाह-पद्धति से सम्बन्धित विभिन्न नियम तथा प्रणालिया दिखाई देती हैं । समाज के सम्भ्रान्त व्यक्तियों का भुकाव वहु-

विवाह पत्नीत्व की ओर था । उत्तर-वैदिक-साहित्य में वहुपत्नीकता की अस्वस्थ परम्परा को प्रोत्साहित किया गया है । उदाहरणार्थं तैत्तिरीय ब्राह्मण में

वहुपत्नीत्व को सौभाग्यदायक बताया गया है ।^२ ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है कि एक पुरुष को अनेक पत्निया हो सकती हैं किन्तु एक स्त्री के अनेक पति नहीं ।^३ याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान् तथा दार्शनिक ने भी मैत्रेयी और कात्यायनी नामक दो स्त्रियों से विवाह किया था ।^४ ऐतरेय ब्राह्मण एक स्थान पर राजा हरिष्चन्द्र की सौ पत्नियों का उल्लेख करता है ।^५ इसके अतिरिक्त राजसूय की विधि के विवरण से ज्ञात होता है कि राजाओं की वहुधा विभिन्न वर्णोत्पन्न चार पत्निया होती थी ।^६ मैत्रायणी सहिता में मनु की दस पत्निया बताई गई है ।^७ शतपथ ब्राह्मण में भी वहुपत्नीत्व का समर्थन किया गया है तथा इसका एक धार्मिक आधार प्रस्तुत किया गया है ।^८ किन्तु वैदिक साहित्य में ही उपलब्ध प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है

१. सेन्सस रिपोर्ट, १६३६, खण्ड १, भाग १, पृ० २२७

२. तै० ब्रा० ३ ८४ श्रिया धा एतदरूप यत्पत्नय

३. ऐत० ब्रा० १२ ११, तस्मात् एकस्य वह्नी जाया भवन्ति न एकस्य वह्व सहपतय तै० स० ६ ५-१० ४, एकोवह्नीजर्या विन्दते ।

४. बृ० उप० ४५ १२

५. ऐत० ब्रा० ३३ १

६. शत० ब्रा० १३ २ ६-५-६ महियो, परिवृत्ति, बाताता और पालागली

७. मैत्रा० सं० १ ५ ८

८. शत० ब्रा० ९ १४ ६

कि वहुपत्नीकता की यह परम्परा सामाजिक दृष्टि से बहुत ही घातक थी। निश्चय ही इन सपत्नियों के कलह से पारिवारिक जीवन अशान्त और क्षुब्ध रहता होगा। अथवेद में सपत्नी विनाश के लिए मन्त्रों का विधान है।^१ उत्तर-वैदिक साहित्य में स्थान-स्थान पर सपत्न शब्द का प्रयोग प्रतिद्वन्द्वी के अर्थ में हुआ है।^२ इससे यह सिद्ध होता है कि सपत्नियों में 'प्रिय सखीवृत्ति' अकल्पनीय थी। उनकी प्रतिद्वन्द्विता और संघर्ष ने जहाँ दाम्पत्य जीवन के सुखों को दूषित और विपाक्त किया वही वह स्त्रियों के पतन का भी एक प्रबल कारण बना। पति का सपत्नियों की तुलना में अधिक प्रेम और साहचर्य प्राप्त करने के लिए उत्करिता नारी अपने गौरव-पूर्ण आसन को छोड़कर सेवाकार्य में सलग्न हुई और कमश धर्ति के चरणों में जा बैठी। सहिता युग की पत्नी (स्वामिनी) उपनिषद काल तक भार्या (भरण के योग्य) कहलाने लगी।^३ वहुसत्यक अनार्या स्त्रियों का आर्यों के अन्तपुर में प्रवेश इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप हृतरर हुआ होगा। ये स्त्रियाँ विजित और अधिकृत थीं अतः उन्हें धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों से पृथक् रखा जाता था तथा मात्र उपभोग की वस्तु माना जाता था। धीरे-धीरे यह दृष्टिकोण आर्या स्त्रियों पर भी लागू होने लगा और उन्हें भी उपभोग की वस्तु एवं प्रजनन-यन्त्र समझा जाने लगा। उत्तर वैदिक नारी के लिए जाया शब्द का अपेक्षया अधिक प्रयोग इस बात का सकेतर है कि अब नारी की महत्ता का सबसे बड़ा कारण उसका प्रजनन कार्य माना जाता था। स्त्रियाँ धीरे-धीरे अयज्ञन शूद्र की कोटि में रक्खी जाने लगी।^४

वैदिक समाज के सम्भ्रान्त वर्गों में वहुविवाह के प्रचलन के मुख्य कारण सम्भवत अनेक पुत्रों की लालसा एवं वर्द्धमान समृद्धिजन्य विलासप्रियता थी। आर्यों की पितृप्रधान व्यवस्था भी वहुपत्नीकता के प्रचलन के लिए कम उत्तरदायी नहीं थी। पुरुष शासित समाज ने जहाँ स्त्रियों को पुरुष के प्रति निष्ठा रखने को बाध्य किया वहाँ पुरुषों को अनेक-स्त्रीयमिगमन की स्वतंत्रता प्रदान की। श्रोदर महोदय ने अनेक उद्धरणों के साथ यह बताया है कि

१. अथवेद १ १४ ३ १८

२. वैदिक इष्टेक्षम, २ ४२४

३. वृ० उप० ३.४ १, ४ ५ १

४. शत० न्ना० १४.१ १ १३

प्रारम्भिक आर्य जातियों में विवाहित पूरुष के व्यभिचार को विशेष आपत्ति-जनक नहीं माना जाता था किन्तु पत्नी का व्यभिचार एक भीषण अपराध समझा जाता था।^१

बहुपत्नीकता के प्रचलन को सूचित करने वाले विभिन्न उदाहरणों के आधार पर हमें इसे तत्कालीन युग में प्रचलित सामान्य प्रथा नहीं मान सकती चाहिए। साधारण जनों में एकपत्नीकता ही प्रतिष्ठित थी। सूत्र युग तक हम विधायकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन पाते हैं। सूत्रकारों ने पारिवारिक जीवन को दुखद बनानेवाली बहुपत्नीक प्रथा का विरोध किया तथा एकपत्नीकता की व्यवस्था की। आपस्तम्भ ने धर्म और प्रजा से युक्त पत्नी की उपस्थिति में द्वितीय विवाह का निषेध किया है।^२ केवल छी के अप्रजा छीप्रजा अथवा मृतप्रजा होने पर ही द्वितीय विवाह की अनुमति दी गई। किन्तु ऐसी स्थिति में भी एक निश्चित अवधि तक प्रतीक्षा करने का विधान किया गया।

बहुए साहित्य में बहुपति प्रथा का विरोध मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण (३ १२) स्पष्ट शब्दों में इस प्रथा का निषेध करता है। साथ ही तैत्तिरीय सहिता में भी ऐतरेय ब्राह्मण के इस मत का समर्थन हुआ है।^३ द्रोपदी के विवाह के प्रसंग में भी महाभारत में बहुपतिकता की इस प्रथा को अश्रुत और लोकवेदविरुद्ध बताया गया है (महाभारत १ १६५ २७-२८)। कुन्ती की स्वत अपनी आकस्मिक आज्ञा के द्रुष्टरिणाम पर घोर कष्ट हुआ था।^४ इस विरोध के होते हुए भी बहुपतिकता के प्रचलन की प्रतिष्वन्ति हमें उत्तर-वैदिक साहित्य में यत्र तत्र मिलती है। अथर्ववेद (१४ १ ६१) में सूर्या के अनेक पतियों का उल्लेख मिलता है। यास्क ने यह स्वीकार किया है कि बहुधा पति के जीवन काल में भी छी देवर के लिए गम्य हुआ करती थी।^५

१ प्रिहिस्टोरिक एगिटक्विडीज, पृ० ३८८

२ आप० धर्म० सूत्र० २ ११ १२, धर्मप्रजासम्बन्धे दारेनान्या कुर्वीति

३ तै० स० ६ ६ ४ ३, द्रष्टव्य कैम्ब्रिज हिस्टरी आफ इण्डिया, ग्रथ १, पृ० ८८, वैदिक इएड्वेक्स १ ४७९।

४ महाभारत १ १२३ २, कुटीगता सा त्वनवेष्य पुन्नान् उवाच शुचतेति समेत्य सर्वे। पश्चाच्च कुन्ती प्रसभीक्ष्य कृष्णा कष्ट भया भाषित

मित्युवाच।

५ निरुक्त ३ १५

महाभारत मे हमें जटिला गोतमी, वाक्षी, ममता और माघवी जैसी वहुपतिका स्त्रियों के जो उदाहरण मिलते हैं उन्हें केवल कल्पनाप्रसूत नहीं कहा जा सकता। उपनिषदों मे प्राप्त अनेक ऋषियों एवं व्यक्तियों के नाम, जो उनको माता के नाम पर आधारित हैं, वहुपतिकता के सूचक माने जा सकते हैं। सत्यकाम जावाल, गौतमी-पुत्र, गार्गीपुत्र प्रभृति नाम सम्मवतः इस बातका सकेत करते हैं कि छोटी के अनेक पति होने के कारण अथवा पितृत्व अज्ञात होने के कारण माताओं के नाम पर पुत्रों का नाम रखने की आवश्यकता पड़ी। इन श्रल्पसूख्यक उदाहरणों के आधार पर हम इतना ही कह सकते हैं कि वैदिक समाज मे वहुपतिकता की परम्परा सर्वथा अज्ञात नहीं थी। साधारणत पितृप्रधान समाज मे वहुपतिकता के विकास की सम्भावना नहीं होती है। भारतवर्ष मे आज भी यह व्यवस्था उन्हीं जातियों में दिखाई देती है जिनका समाज मातृसत्तात्मक है। कुमार्यूँ प्रदेश में प्राय मभी भाई एक ही छोटी से विवाह करते हैं तथा उनसे उत्पन्न सन्तान सबसे बड़े भाई की मानी जाती है,^३ इस प्रकार की बैवाहिक रीति पजाव को संद्राज, लहील आदि पहाड़ी जातियों में भी पाई जाती है। हिमालय की तराई मे फैले किरात लोगों (मगोलिद्रूस) में भी वहुपतिकता की प्रथा वहुत प्रचलित है। भारत में सुदूर दक्षिण मे भी वहुपतिकता की परम्परा दूष्टिगोचर होती है। उत्तरी कन्नड से नायरों ने वहुपतिकता की प्रथा का त्याग निर्दिश शासन काल मे किया। यियेन, तोनियार तथा वेल्लर जातिकी स्त्री सभी भाईयों की सामूहिक पत्नी समझी जाती है। नीलिगिर के टोडा लोगों में भी इस प्रथा का प्रचलन है। ट्रावनकोर-कोचीन तथा मलावार मे कुछ अन्य ऐसी जातियाँ हैं जिनमे वहुपतिकता का प्रचलन है। इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि वहुपतिकता का प्रचलन भारतवर्ष मे प्रमुखतया प्रजातिगत दृष्टि से हिमालय की तलहटी में वसने वाली मगोल जातियों में तथा दक्षिण भारत के द्रविड भाषा-भाषी भूमध्यसागरीय लोगों में रहा है। विवाह की यह प्रणाली आयों की सामाजिक व्यवस्था के सर्वया प्रतिकूल थी। इसीलिए भारतीय साहित्य में प्रायः सर्वत्र इस व्यवस्था का तिरस्कार किया गया। नैदिक साहित्य में वहुपतिकता के प्रचलन के जो सकेत मिलते हैं उन्हें अपवादस्वरूप ही ग्रहण करना चाहिए। वहुत सम्भव है कि इन एकाकी प्रसगों में आयेतर सामाजिक परम्पराओं का ही उल्लेख हो बग्रोंकि

उत्तर-जैदिक युग आर्ये एवं आर्योंतर सास्कृतिक परम्पराओं के सामर्ज्जस्य का युग था। ऐसी स्थिति में तत्कालीन समाज में ऐसे वाह्य तत्वों—का प्रवेश सर्वाया स्वाभाविक था जिनकी उपस्थित सामाजिक पृष्ठभूमि एवं सास्कृतिक परिवेश को देखते हुए विचित्र लगे।

धर्मसूत्रों में वहुधा सपिण्ड एवं सगोत्र विवाह का निषेध मिलता है। गौमिल गृह्यसूत्र^१ और आपस्तम्बधर्मसूत्र^२ के अनुसार सपिण्ड कन्या से विवाह नहीं हो सकता। गौतम जैसे विधायकों ने सपिण्ड विवाह की सीमा निर्धारित करते हुए कहा है कि सपिण्ड विवाह पिता के पक्ष में सात पीढ़ी तक तथा माता के पक्ष में पाच पीढ़ी तक निषिद्ध है। इसी आधार पर व्यवस्थाकारों ने मातुल दुहिता, पितृस्वसादुहिता आदि के साथ विवाह का निषेध किया है। वीधायन ने मातुलकन्या तथा पितृस्वसासुता^३ से विवाह की परम्परा को दक्षिण भारत में प्रचलित माना है।^४ उत्तरी भारत की आर्य सास्कृति के लिए यह प्रथा कुछ विचित्र सी थी। महाभारत में भी सपिण्ड और सगोत्र विवाह का निषेध है।^५ वैष्ण महाभारत में वरणित कृष्ण और रुक्मणी का विवाह तथा अर्जुन और सुभद्रा का विवाह प्रतिआत्मव्य (cross-cousin) विवाहों के न्यूनाधिक प्रचलन को सूचना देते हैं। सगोत्र विवाह को प्राय सभी सूत्रकारों ने निषिद्ध बताया है। इसका क्षेत्र सपिण्ड विवाह की प्रपेक्षा अधिक विस्तृत है। चाहे युवक युवती के बीच संकड़ों पीढ़ियों का अन्तर क्यों न हो, किर भी उनके सगोत्र होने पर विवाह नहीं हो सकता। वीधायन ने सगोत्र कन्या के साथ विवाह करने वाले के लिए चाद्रायण प्रत द्वारा प्रायशिचत करने की व्यवस्था की है।^६ गौमिल गृह्य सूत्र^७ हिरण्यकेश गृह्यसूत्र^८ तथा आपस्तम्ब धर्मसूत्र^९ में भी सगोत्र विवाह निषिद्ध है।

१ गौ० गृह्य० सू० ३ ४. ५

२ आप० ध० सू० २ ५ ११-१६

३ वीधायन—१ १ १५-२६, वृहस्पति का भत इमृति चन्द्रिका १ १० में चद्धृत स्वमातुलसुतोदाहो मातृवन्धुत्व दूषित ।

४ महाभारत, १३ ४४ १८

५ वीधायन, प्रवराध्याय ५५, सगोत्री गत्वा चाद्रायण चरेत् ।

६ गौ० गृ० सू०, ३ ४ ४

७ हिरण्य० गृ० सू०, १ ११० २

८ आप० ध० सू० २. ११ १५

वैदिक साहित्य में पिरण्ड शब्द का उल्लेख तो अनेकश हुआ है।^१ किन्तु सपिण्ड शब्द कही भी नही मिलता। अत वैदिक युग मे सपिण्ड विवाह निषिद्ध थे अथवा नही, कहना दुष्कर है। गोत्र की व्यवस्था सम्भवत वैदिक युग मे ही हो चुकी थी। अथर्ववेद^२ मे निश्चित रूप से इस शब्द का प्रयोग परस्पर सम्बन्धित व्यक्तियो के समुदाय के अर्थ मे हुआ है। गोत्र का नाम प्राय किसी पूर्वज के नाम पर होता था। प्रमुख ऋषियो के नाम पर समुदायो के नामकरण की परम्परा ऋषि वैदिक युग मे भी अज्ञात नही थी।^३ तत्त्वारीय ब्राह्मण मे अंगिरस ऋषि के नाम पर एक समुदाय को आंगिरसी प्रजा कहा गया है।^४ ऐतरेय ब्राह्मण शुनः शेष को जन्मना आंगिरस कहता है।^५ ताराण्ड्य ब्राह्मण^६ तथा कौपीतकि ब्राह्मण^७ मे भी सगोत्र ब्राह्मणो का उल्लेख है। उपनिषद् युग तक भारद्वाज, आश्वलायन, गार्यं, कात्यायन, गौतम, भार्गव, जमदग्नि वशिष्ठ कथ्यप आदि अनेक गोत्र अस्तित्व मे आ चुके थे। किन्तु इस युग मे गोत्र का विशेष महत्व यज्ञ और शिक्षा कार्य मे ही था, यद्यपि उपनिषद् युग तक सम्भवत सगोत्र विवाहो का निषेध भी किया जाने लगा था।^८ उत्तर वैदिक साहित्य मे इस बात के प्रमाण अवश्य मिलते है कि रक्त-सम्बन्धियो मे विवाह सम्बन्ध धृणित समझा जाने लगा था। माता-पिता की तीन या चार अनुगामी पीढ़ियो के अन्तर्गत विवाह निषिद्ध माना जाता था।^९ किन्तु यदा कदा तीसरी या चौथी पीढ़ी से बैवाहिक सम्बन्ध हो सकता था। सायण के अनुसार कण्ठो मे विवाह तीसरी पीढ़ी में हो सकता था तथा सौराष्ट्रो मे चौथी पीढ़ी मे। धीरे-धीरे लोग उन धार्मिक अनुष्ठानो से भी उदासीन होने लगे थे जिनमे निकटाभिगमन की आदाका थी। जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार राजा जनक

१ ऋ० १ १६२ १९, त० स० ४ ६ ६. ३, शत० ब्रा० २ ४. २ २४

२ अथर्व० ५. ११ ३

३ ऋ० ६ ३५ ५, १० ६६ १४

४ त० २ २ ३

५ ऐत० ब्रा० ३३ ५

६ ताण्ड्य १८ २. ११

७ कौपीतकि ब्रा० २५ १५

८ दत्त, एन० दे०, शोरिजिन एण्ड प्रोथभाव कास्ट इन इण्डिया, प० १०८

९ कौपीतकि ब्रा० ३. ८, शत० ब्रा० १, ८ ३. ६

ने गोसव नामक अनुष्ठान का सम्पादन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें निकटाभिगमन की व्यवस्था थी।^१ वैदिक साहित्य में नवविवाहिता के लिए 'वधु' शब्द का प्रयोग भी इस बात को सूचित करता है कि साधारणतया स्थानीय विवाह का प्रचलन नहीं था।

अन्तर्जातीय विवाह के प्रति किसी प्रकार की सामाजिक घृणा नहीं थी। अथर्ववेद (५ १७.९) के अनुसार यदि एक कन्या से विवाह के लिए ब्राह्मण और बैश्य दोनों इच्छुक हों तो ब्राह्मण युवक को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में राजा शर्यात की पुत्री सुकन्या और च्यवन ऋषि के विवाह का उल्लेख मिलता है।^२ शतपथ ब्राह्मण^३ से इस बात का संकेत मिलता है कि एक क्षत्रिय के विशिक कन्या के साथ वैवाहिक सम्बन्ध का स्पष्ट निषेध नहीं था किन्तु शूद्र कन्या से विवाह तथा उनसे उत्पन्न सन्तान, दोनों को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा था। यही कारण है कि कवच ऐलूष को यज्ञ से विहित करने का प्रयान किया गया^४ तथा वत्स को अग्नि-परीक्षा के लिए विवश किया गया।^५ शूद्रों से वैवाहिक सम्बन्ध के विरोध के अनेक कारण प्रतीत होते हैं। गगा के मैदान में आर्यों तातियों के बाहुल्य तथा उनके साथ बढ़ते हुए सम्पर्क ने सम्भवत आर्यों को रक्त शुद्धता की और संचेत किया। दूसरे, पजाव में जिन दासों (अनायों) के साथ आर्यों का संघर्ष और सम्पर्क हुआ वे पर्याप्त मुस्कूरात एड़ श्रीसम्पन्न थे। इसके विपरीत वे ज्यों ज्यों दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते गये उनके मार्ग में अनेक अद्वंसम्य और भौतिक दृष्टि से नितात हीन जातिया आईं जिनके आचरण भी प्राय घृणास्वद थे। आर्यों ने उन्हें अपनी सामाजिक व्यवस्था में समाविष्ट तो किया किन्तु उनके साथ स्वतन्त्र वैवाहिक सम्बन्ध को प्रोत्साहन नहीं दिया। फिर भी शूद्रा से श्रायं पुरुषों का वैवाहिक सम्बन्ध अज्ञात नहीं था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है राजा की चतुर्थ पत्नी पालागली सम्भवत शूद्रा हुआ करती

१ ज० ब्रा० २ ११३ उप मातरम् इयाद् उप स्वसारम् उप सगोत्राम् ।— तेन हैतेन जनको विदेहो इयाक्षाचके । तम् ब्राह्मणा अभितो निषेद्ध ।-

२ शत० ब्रा० ४.२५

३ द्रष्टव्य काणो, हिस्टरी प्राव धर्मशास्त्राच, ग्रन्थ २, भाग १, पृ० ४४७

४ ऐत० ब्रा० २ १६, कोवीतकि ब्रा० १२ १३

५ पच० ब्रा० १४ ६.६

वैदिक साहित्य में पिण्ड शब्द का उल्लेख तो अनेकक्षण हुआ है।^१ किन्तु सपिण्ड शब्द कही भी नहीं मिलता। अत वैदिक युग में सपिण्ड विवाह निपिद्ध थे अथवा नहीं, कहना दुष्कर है। गोत्र की व्यवस्था सम्भवत वैदिक युग में ही हो चुकी थी। अथर्ववेद^२ में निश्चित रूप से इस शब्द का प्रयोग परस्पर सम्बन्धित व्यक्तियों के समुदाय के अर्थ में हुआ है। गोत्र का नाम प्राय किसी पूर्वज के नाम पर होता था। प्रमुख ऋषियों के नाम पर समुदायों के नामकरण की परम्परा ऋषि वैदिक युग में भी अज्ञात नहीं थी।^३ तैत्तिरीय ब्राह्मण में अगिरस ऋषि के नाम पर एक समुदाय को आगिरसी प्रजा कहा गया है।^४ ऐतरेय ब्राह्मण^५ तथा कौपीतकि ब्राह्मण^६ में भी सगोत्र ब्राह्मणों का उल्लेख है। उपनिषद् युग तक भारद्वाज, आश्वलायन, गार्ग्य, कात्यायन, गौतम, भार्गव, जमदग्नि वशिष्ठ कश्यप आदि अनेक गोत्र अस्तित्व में था चुके थे। किन्तु इस युग में गोत्र का विशेष महत्व यज्ञ और शिक्षा कार्य में ही था, यद्यपि उपनिषद् युग तक सम्भवत सगोत्र विवाहों का निषेध भी किया जाने लगा था।^७ उत्तर वैदिक साहित्य में इस बात के प्रमाण अवश्य मिलते हैं कि रक्त-सम्बन्धियों में विवाह सम्बन्ध वृणित समझा जाने लगा था। भाता-पिता की तीन या चार अनुगामी पीढ़ियों के अन्तर्गत विवाह निपिद्ध माना जाता था।^८ किन्तु यदा कदा तीसरी या चौथी पीढ़ी से वैवाहिक सम्बन्ध हो सकता था। सायण के अनुसार कहाँ में विवाह तीसरी पीढ़ी में हो सकता था तथा सौराष्ट्रो में चौथी पीढ़ी में। धीरे-धीरे लोग उन धार्मिक अनुष्ठानों से भी उदासीन होने लगे थे जिनमें निकटाभिगमन की आशंका थी। जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार राजा जनक

१ क्र० १ १६२ १९, तै० सं० ४ ६ ६. ३, शत० ब्रा० २ ४. २ २४

२ अथर्व० ५. ११ ३

३ क्र० ६ ३५. ५, १० ६६ १४

४ तै० २ २ ३

५ ऐत० ब्रा० ३३ ५

६ ताण्ड्य १८ २. ११

७ कौपीतकि ब्रा० २५ १५

८ दत्त, एन० दे०, शोरिजिन एण्ड गोथआव कास्ट इन इण्डिया, पृ० १०८

९ कौपीतकि ब्रा० ३. ८, शत० ब्रा० १, ८. ३. ६

ने गोसव नामक अनुष्ठान का सम्पादन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें निकटाभिगमन की व्यवस्था थी।^१ वैदिक साहित्य में नवविवाहिता के लिए 'वधू' शब्द का प्रयोग भी इस बात को सूचित करता है कि साधारणतया स्थानीय विवाह का प्रचलन नहीं था।

अन्तर्राष्ट्रीय विवाह के प्रति किसी प्रकार की सामाजिक धूणा नहीं थी। अथर्ववेद (५ १७ ९) के अनुसार यदि एक कन्या से विवाह के लिए ब्राह्मण और वैश्य दोनों इच्छुक हो तो ब्राह्मण युवक को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में राजा शर्यात की पुत्री सुकन्या और च्यवन ऋषि के विवाह का उल्लेख मिलता है।^२ शतपथ ब्राह्मण^३ से इस बात का संकेत मिलता है कि एक क्षत्रिय के वरिणीक कन्या के साथ वैवाहिक सम्बन्ध का स्पष्ट निषेध नहीं था किन्तु शूद्र कन्या से विवाह तथा उनसे उत्पन्न सन्तान, दोनों को धूणा की दृष्टि से देखा जाने लगा था। यही कारण है कि कवच ऐलूष की यज्ञ से वहिकृत करने का प्रयाप किया गया^४ तथा वत्स को अर्णि-परीक्षा के लिए विवश किया गया।^५ शूद्रों से वैवाहिक सम्बन्ध के विरोध के अनेक कारण प्रतीत होते हैं। गगा के मैदान में आयेंतर जातियों के बाहुल्य तथा उनके साथ बढ़ते हुए सम्पर्क ने सम्भवत आयों को रक्त शुद्धता की और सचेत किया। दूसरे, पजाव में जिन दासों (अनायों) के साथ आयों का सघर्ष और सम्पर्क हुआ वे पर्याप्त सु सख्त एवं श्रीसम्पन्न थे। इसके विपरीत वे ज्यों ज्यो दक्षिणा पूर्व की ओर बढ़ते गये उनके मार्ग में अनेक अद्वंसम्य और भौतिक दृष्टि से नितात हीन जातिया आईं जिनके आचरण भी प्राय धूणास्पद थे। आयों ने उन्हें प्रपनी सामाजिक व्यवस्था में समाविष्ट तो किया किन्तु उनके साथ स्वतन्त्र वैवाहिक सम्बन्ध को प्रोत्साहन नहीं दिया। फिर भी शूद्रा से आयं पुरुषों का वैवाहिक सम्बन्ध अज्ञात नहीं था। जैसा कि पहले वताया जा चुका है राजा की चतुर्थ पत्नी पालागली सम्भवत शूद्रा हुआ करती

१ जै० ब्रा० २ ११३ उप भातरम् इयाद् उप स्वसारम् उप सगोत्राम् । — देन हैतेन जनको विदेहो इयाक्षाचक्ते । तम् ब्राह्मणा अभितो निषेद्ध ।

२ यत० ब्रा० ४०१ ५,

३ द्रष्टव्य काणे, हिस्टरी आव घर्मशास्त्राक, ग्रन्थ २, भाग १, पृ० ४४७

४ ऐत० ब्रा० २ १६, कौषीतकि ब्रा० १२ १ ३

५ पच० ब्रा० १४ ६ ६

थी। वैदिक ऋषियों का दासियों अथवा शूद्रा स्त्रियों से अवौध सम्बन्ध एवं समागम प्रभाणित करने वाले प्रसग भी मिलते हैं।^१ किन्तु वे विरल ही हैं।

विवाह अब भी प्राय पूर्ण प्रीढावस्था में ही होता था। अथर्ववेद व्रह्मवर्ण के पश्चात ही कन्या हारा पति-प्राप्ति का समर्थन करता है।^२ इस युग में कुछ जिया व्रह्मवादिनी भी हुआ करती थी जो आजीवन अविवाहिता रहती थी। सम्पूर्ण उत्तर वैदिक साहित्य में किसी कन्या के वात्यावस्था में ही विवाह हो जाने का एक मात्र उदारण छान्दोग्य उपनिषद^३ में कुरु देव के एक निर्वन ब्राह्मण की 'आटकी' पत्नी का है। शंकर से आटकी का अर्थ अविकसित-यौवना (अनुपजातपयोधरा) किया है। आटकी की उत्पत्ति यदि 'इट्' धातु से मानी जाय तो इसका अर्थ ध्रुमकड़ होगा। इस प्रसग में शकर भाष्य अपने युग की प्रथा से प्रभावित प्रतीत होता है।

परिवार का प्रधान पुरुष पति और पिता के रूप में परिवार पर शासन करता था। पति शब्द उसके पारिवारिक स्वामित्व का सूचक है। इस शब्द

के प्रचलन का यह अर्थ लगाना भूल होगा कि पति पति-पत्नी को पत्नी का स्वामी माना जाता था क्योंकि पति शब्द की भाँति पत्नी शब्द भी न्यामित्व का द्योतक है। इससे यह सिद्ध होता है कि पारिवारिक जीवन से दोनों की समान स्थिति थी। यही बात अथर्ववेद में अनेकश प्रयुक्त दम्पती^४ शब्द की अनुपत्ति से भी प्रभाणित होती है। तैत्तिरीय सहिता के अनुसार पत्नी पति के शरीर का आधा भाग होती है।^५ शतपथ ब्राह्मण पति-पत्नी को दाने के दो दालों की भाँति मानता है^६ जिनकी सयुक्त स्थिति ही दोनों वो पूर्णता प्रदान करती है। इस प्रकार केवल पति-पत्नी की समानता की ही कल्पना नहीं की गई थी वल्कि दोनों को एक ही शरीर के दो अविभाज। अग माना गया। इसीलिए शतशथ ब्राह्मण में अन्यत्र पत्नीविहीन जीवन असर्व और

^१ वाज० स० २३,२१, तै० स० ७ ४-६

^२ अथर्ववेद, व्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिम्, ११ ५ १८

^३. छान्दोग्य उप० ६ १० १

^४ अथर्ववेद ६ १३-३, १२-३ १४, १४ २ ६

^५. तै० स० ६०१ द.५, अर्धवाएप आत्मनो यत्पत्नी

^{६.} शत० ब्रा० १४ ४ २ ४-५, तस्मादर्घं वृगलमिव स्व इति स्माहयाज्ञवल्यः

अध्युरा बताया गया है।^३ धार्मिक अनुष्ठानों का सम्पादन भी दोनों साथ साथ करते थे। आर्यों की परिवार व्यवस्था पितृप्रधान होते हुए भी पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में पत्नी की स्थिति पति के समान ही आदरणीय थी। अथर्ववेद में इन्द्र से यह प्रार्थना की गई है कि वह पति-पत्नी को चक्रवाक दम्पती की भाँति एकदूसरे के प्रति सच्चे अनुराग की प्रेरणा दे। इस युग में स्त्रियों में परवर्ती युगों की पातिव्रत्यभावना का बीजरूपेण प्रारम्भ भी यत्र-तत्र दिखाई देता है। शार्यातपुत्री सुकन्या कहती है कि मेरे पिता ने मुझे जिस वृक्षिक को विवाह में दे दिया है, जीवित रहते मैं उसका उपहास नहीं करा सकती।^४

उत्तर वौदिक युग का पिता, अपनी सन्तानों के भरण पोषण और रक्षण के लिए सर्वदा सचेष्ट रहता था, जैसा कि उसके उदार नाम से ही स्पष्ट है।

पिता	शतपथ ब्राह्मण में विवाह का प्रमुख प्रयोजन सन्तानोंत्पत्ति बताया गया है। तैत्तिरीय सहिता में सन्तान द्वारा प्रमुतत्व के उपभोग की कामना की गई है। ^५
------	--

अथर्ववेद (३.२३) में वीर-प्रसूति के लिए प्रार्थना की गई है तथा नारी को बारबार पुनर उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया गया है।^६ पुनर-प्राप्ति के लिए प्रार्थनाश्रों के अतिरिक्त लोग अनेक अनुष्ठान करते थे। हिंटने के अनुसार अथर्ववेद (६.८१.३) में पुनर-प्राप्ति के लिए हाथ में ताबीज बांधने की प्रथा का सकेत है। तैत्तिरीय ब्राह्मण गर्भाधान का उद्देश्य पुनर-प्राप्ति ही बतलाता है।^७ निश्चय ही इस युग में पुनर-प्राप्ति के हेतु पुसवन भी होने लगा था।^८ इतना ही नहीं, अथर्ववेद में पुनर-प्राप्ति के लिए श्रौषधियों के प्रयोग का सकेत भी मिलता है। अथर्ववेद (६.११ में शामी वृक्ष के ऊपर उगा हुआ पीपल पुनर्दाता माना गया है। इसी प्रकार शतवार (अथर्ववेद १६.३६) तथा श्रीहुम्बर की (वहीं १६.३१) मणियों का बाधना-भी वीर पुनर-

१०. शत० ब्रा० ५.२ १ १०

२. शत० ब्रा० ४ १ ५.६, यस्मै मां पिता दान्तेवाह त जीवन्त हास्यामीति।

३. तै० स० १ ४.४६.१

४. अथर्ववेद ३. २३ व०-५ पुमांस पुनर जनय त पुमान् तु जायताम्

५. तै० ३.१० ३ ७.१

६. अथर्ववेद ६.११ शा० गृ० सू० १ १३, शाखा० गृ० सू० '१' २०, पार० गृ० सू० १ १४, गोमिल गृ० सू० २ ६

प्रदायक वताया गया है। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि लोग पुत्र प्राप्ति का एक प्रबल साधन यज्ञ भी मानते थे।^१ ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञ द्वारा पुत्र प्राप्त करने वाले अनेक राजाओं का उल्लेख करते हैं। वक्षीवान, औशिज, वीतह्य थायस, वसदस्युश्रादि ने यज्ञ के द्वारा सहजे पुत्र प्राप्त किए।^२ यज्ञ के माध्यम से पुत्र प्राप्तकरने वाले कतिपय राजाओं का उल्लेख काठक सहिता (२२३) पञ्चविंश ब्राह्मण (२५१६३) तथा जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण (२६११) में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार द्वोपदी और धृष्टद्युम्न यज्ञीय अग्नि से उत्पन्न हुये थे।^३ इसी प्रकार रामायण में भी दशरथ को पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ करते दिखायागया है।

पुत्र-प्राप्ति की उत्कण्ठा के पीछे आधिक और सामरिक कारण ही प्रमुख थे।^४ साथ ही कुछ नवोदित विश्वास भी इसके लिए उत्तरदायी थे। जैसा

कि पहले ही सक्रेत किया गया है उत्तरवैदिक युग में पितृऋण की भावना वलवती होने लगी थी।^५ लोगों को यह विश्वास हो चला था कि पुत्र पुत्र नामक नरक से पिता की रक्षा करने के कारण ही पुत्र कहलाता है।^६ यास्क ने अपने निष्ठक (२११) में इस व्युत्पत्ति को स्वीकार किया है। अनेक परवर्ती वर्मग्रन्थों एवं रामायण महाभारत में भी इस व्युत्पत्ति का समर्थन किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (३३१) पुत्र की महिमा का वर्णन करते हुए उसे ऋणमुक्त करने वाला, अमृतत्व प्रदान करने वाला तथा पुत्र नामक नरक से बचाने वाला कहता है।

पिता पुत्र का सम्बन्ध प्राय प्रेमपूर्ण होता था। शाखायन आरण्यक से ज्ञात होता है कि युवक पुत्र के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता हुआ पिता कभी-

१ शत० ब्रा० ४४२६

२ तै० स० ४.५.३

३ महाभारत ११६९ व६-५६

४ शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है कि—“पूर्ववय में पिता द्वारा पालित होकर युवावस्था में पुत्र वृद्ध पिता का पालन पोषण करता है। (तस्मात् पूर्ववयसे पुत्रा पितरमुपजीवन्ति । उत्तरवयसे पुश्चान् पितीपजीवति),

शत० ब्रा० १२०.२.३४

५ शत० ब्रा० १७२.११, तै० स० ६३ १०५

६० गो० ब्रा० १११.१२

कभी उसका माध्या चूमता था। स्वयं शिक्षित होने पर अनेक व्यक्ति अपने पुत्र को स्वयं शिक्षा प्रदान करते थे। इवेतकेतु आश्लेष की कथा इस प्रसंग में उदाहरणीय है। उसके पिता उद्दालक ने उसे चौबीस वर्ष की अवस्था तक वेदाध्ययन कराया था।^१ इसके अनुकूल ही हम पुत्रों में भी पिता के प्रति शङ्खा भाव पाते हैं। अथर्ववेद (३ ३० २) पुत्र को पिता के प्रति अनुबृत बतलाता है। पुत्र पिताकी वृद्धावस्था में उसकी रक्षा एवं सेवा करते थे। जिमर महोदय ने प्रतिपादित किया है कि वैदिक युग में बेटे बूढ़े माता-पिता की हत्या कर देते थे तथा उन्हें जगली जानवरों के खाने के लिए जगल में छोड़ देते थे।^२ जिमर की इस स्थापना का आधार 'उद्धित' शब्द है जिसका अर्थ है 'उठाकर अलग रखा हुआ'। अथर्ववेद (१८ २ ३४) में इस शब्द का प्रयोग पितृमेघ सूक्त में शर्वों के प्रसंग में आया है। वैदिक युग में शर्वों को गाढ़ने की विधि भी प्रचलित थी और जलाने की भी। पहले प्रकार को अनगिनदग्ध और दूसरे प्रकार को अग्निदग्ध कहा जाता था।^३ अनगिनदग्ध कभी गाढ़ दिए जाते थे (निखार) और कभी जगल में छोड़ दिए जाते थे। जगल में छोड़ने की इस परम्परा को 'उद्धित' कहा गया है। अथर्ववेद (१८ २ ३४) में मृत-शरीर के ही उद्धित करने का वर्णन है जीवित शरीर के नहीं। ऋग्वेद (८ ५१ २) में अवश्य ही पार्षद्वाण द्वारा बूढ़े सोते पिता को उद्धित करने की वात कही गई है किन्तु इस प्रसंग में 'उद्धित' शब्द केवल बाहर फेंक देने की क्रिया का सकेत करता है न कि हत्या का। सम्भव है उद्धण्ड पार्षद्वाण ने अभागे पिता को शयनावस्था में घर के बाहर फेंक दिया हो। इस प्रमाण के आधार पर पितृहत्या सर्वथा अकल्पनीय है। यदि इस प्रकार की कोई परम्परा वैदिक युग में प्रचलित होती तो कम से कम सूत्र साहित्य में कुछ निपेधात्मक निर्देश अवश्य मिलता। इसके विपरीत तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आचार्य शिक्षा समाप्ति पर विद्यार्थी को माता-पिता की देवतत पूजा का उपदेश देते थे।^४ पिता की ही भाँति पुत्र माता का भी सम्मान करता था। अथर्ववेद (३ ३० २) माता के अनुकूल मन वाला होने का उपदेश देता है। महाभारत (१ १९६-१६) में माता को सर्वश्रेष्ठ गुरु माता गया है। वैदिक

^१ वृ० उप० ६ २ १४

^२ वैदिक इरेडेक्स १, ५२७ से उद्धृत

^३ देविए ऋ० १० १५ १४, अथर्ववेद १८ २ ३४

^४ तै० उप० १ ११ २, मातृदेवो भव पितृ देवो भव

साहित्य में पितृब्य शब्द का अभाव इस बात का सकेतक है कि चाचा को भी लोग पिता ही कहकर पुकारते थे। महाभारत में भी चाचा को पितृब्य न कह कर पिता ही कहा गया है। पाण्डवों ने घृतराष्ट्र को कभी भी पितृब्य नहीं कहा। वे उन्हें 'पिता' अथवा 'तात' कहकर सम्बोधित करते थे।

धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी होने के कारण पुत्री की दशा पुत्र की अपेक्षा हीन थी। यद्यपि बृहदारण्यक उपनिषद में धीमती कन्या के जन्म के लिए विधि नियम बताया गया है^१ कन्या की स्थिति तथापि उसके जन्म पर प्राय विन्नता ही प्रकट की गई है।^२ ऐतरेय ब्राह्मण (३३ १) में उसे कृपण कहा गया है। इसका भाष्य करते हुए सायण ने कहा है कि 'वह जन्म के समय अपने सम्बन्धियों को कष्ट देती है, विवाह के समय अर्थहानि का कारण बनती है और योवन में अनेक दोषों के कारण (कुल को) कलंकित कर सकती है। इस प्रकार कन्या माता-पिता का हृदय विदीर्ण करने वाली होती है।^३ कन्या के प्रति अनादर का भाव इस बात से भी प्रकट है कि जहाँ पुत्र उत्पन्न होने पर उसे (शय्यापर से) छोड़ देते थे, नवजात कन्या को (शय्या पर ही) छोड़ देते थे।^४ यहाँ कन्या को छोड़ने के लिये 'परास्यन्ति' शब्द का प्रयोग है। इसके आधार पर विद्वानों ने अनेक भीषण कल्पनाएँ कर ली हैं। जिमर और डेलब्रुइक ने प्रतिपादित किया है कि वैदिक युग में वालिकावध की प्रथा प्रचलित थी।^५ कन्यावध की परम्परा अत्यन्त प्राचीनकाल में यूनान, चीन और अरब जैसे देशों और स्वयं मध्यकालीन भारत में प्रचलित थी। अरब में कन्यावध का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति मुहम्मद साहब थे। इन उदाहरणों से उत्पन्न पूर्वाप्रिह के कारण-जिमर एवं डेलब्रुइक महोहृदय ने मान्यता रखी है कि वैदिक आर्य कन्याओं को घने जगलों में छोड़ देते थे, जिससे उन्हें बन्ध पक्षु खा जाय। राजवाडे

१ बृ० उप० ४ २७

२ अथर्ववेद ६ २, ३

३ सायणभाष्य ऐत० ब्रा० ३३ १, सम्भवे स्वजनदुख-कारिका, सम्प्रदान समये अर्थहारिका योवनेऽपि बहुदोपकारिका, वारिकाहृदयदारिकापितु ।

४. काठक स० २७ ६, तै० स० ६ ५, १० ३, मै० स० ४ ६ ४, ४ ७६

५. तस्मात्स्त्रय जाता परास्यन्ति न पुमास। वैदिक इण्डेवस १ ४८७ से उद्धृत

ने उत्तके इस मन्तव्य का समर्थन किया है।^३ लेकिन इन विद्वानों की कल्पना सर्वथा निराधार है। किसी भी प्राचीन टीकाकार ने इस शब्द का यह अर्थ नहीं माना है। सायण में इसका अर्थ कन्या को पति कुल में छोड़ना किया है।^४ कन्यावध का समर्थन करने वाला कोई भी विद्वान वैदिक साहित्य से एक भी निविवाद प्रमाण नहीं दे सका है। वेवर महोदय पचविंश ब्राह्मण (११ द८) में प्राप्त आँगिरस युक्ताश्व की कथा को कन्यावध का प्रमाण मानते हैं किन्तु इस कथा में युक्ताश्व द्वारा शिशुओं को वेवल विपरिहार अथवा कष्ट देने का उल्लेख है न कि उनको मारने का।

कन्या के प्रति वैदिक आर्यों की उदासीनतातथा पारिवारिक जीवन में उनकी अवहेलना तत्कालीन समाज की सकीण मनोवृत्ति का परिचायक है। जाति एवं वक्ष की परम्परा को अविच्छिन्न रखने में पुत्री वा भी उतना ही योग था, जितना पुत्र का। वही कन्या विवाह के उपरान्त पत्नी और जाया के रूप में अधिक उपयोगी होने के कारण ग्रादर प्राप्त करती थी किन्तु उसके इस भावी महत्व पर ध्यान नहीं दिया जाता था।

माता-पिता की वृद्धावस्था में कन्या को प्राप्त भाई और भाभी के शासन तथा सुरक्षा में रहना पड़ता था। जैसा कि भ्राता शब्द के अर्थ से ही स्पष्ट हैं भाई वहिन का रक्षक और पोषक माना जाता था। भ्रातृ-युक्त कन्याएँ सौभाग्यशालिनी समझी जाती थीं। इसी प्राधार पर बाद में भगिनी शब्द का विकास भी हुआ। वैदिक साहित्य में भ्रातृहीना कन्याओं की दुर्देशा का चित्र प्राप्त मिलता है। अभ्रातृका कन्या का विवाह प्राप्त कठिन होता था। या तो उन्हें आजीवन कीमायं ब्रत धारण करना पड़ता था अथवा विवश होकर वेद्यावृत्ति अपनानी पड़ती थी।^५ इसके कई कारण थे एक, प्राप्त वैदिक आर्य अनाय और अरक्षित कन्याओं से विवाह करने में हिचकते थे विवाह के पश्चात् स्याला अपने वहिन के पति के लिए एक प्रबल मित्र और सहायक सिद्ध होता था। देवताओं की उदारता की तुलना स्याले को उदार वृत्ति से की गई।^६ अर्तः यह स्वाभाविक ही था कि विवाहार्थी ऐसी कन्या

१ निरुक्त, भद्राकार औरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित, पृ० ४२१
२ सायण भाष्य तै० स० १ ४ २८

३ द्र० वैदिक इण्डेक्स २ ४६६, अथर्ववेद १ १७ १ अभ्रातर, इव जामयस्तिष्ठन्तु हृतवचेस्

४. निरुक्त ६ ६, वैदिक इण्डेक्स २ ११३, ४८६, ४६०, ४६६

से विवाह करने में हिचकिचाहट दिखावे जो इस उदार मिश्र और सहायक से हीन हो।^१ दूसरे मातृहीना-कन्याओं को पिता पिण्डदान की सुविधा के लिए पुत्रिका बना लेते थे।^२ ऐसी पुत्री प्राय पिता के घर रहती थी, तथा उससे उत्पन्न पुत्र अपने पिता को पिण्डदान न देकर अपने नाना (मैटर्नल ग्रैंड फादर) को देता था। इस प्रकार भ्रातृहीना कन्या से विवाह धार्मिक, आधिक और सामाजिक तीनों दृष्टियों से हानिकारक समझा जाता था।

भाई और बहिन के बीच स्नेह तन्तु के होते हुए भी वहां ननद-भाभी का सम्बन्ध प्रैमपूर्ण नहीं होता था। इसका कारण मनोवैज्ञानिक है। घर में इन दोनों की स्थिति प्रायः समान होती थी। ननद अपने भाई के दुलार तथा गृहस्वामिनी माता के प्यार की अधिकारिणी होने के कारण परिवार के नारी सदस्यों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। इसके विपरीत नववधू न केवल परिवार के सदस्यों का स्नेह भीर ध्यान आकर्षित करती थी वरन् कालक्रम से ननद पर शासन भी करने लगती थी। ऐसी स्थिति में ननद का खिल्ल और ईर्ष्यलु हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। ऐतरेय ब्राह्मण का एक प्रसग ननद-भाभी के सम्बन्धों पर अच्छा प्रकाश डालता है। इसमें कहा गया है एक व्यक्ति की बहिन, जो उसी गर्भ से पैदा हुई है जिससे वह स्वयं पैदा हुआ है, उसकी पत्नी का जो दूसरे के गर्भ से उत्पन्न हुई है अनुसरण करती हुई जीवन व्यतीत करती है।^३ तृतीय या चतुर्थ सदी तक अथवा इसके पूर्व ही सस्कृत शब्द 'ननदृ' की व्युत्पत्ति 'न प्रसन्न होने वाली' (न नन्दति इति) किया जाने लगा था।^४ हम ठीक प्रकार से नहीं कह सकते कि यह स्थिति केवल कुमारी कन्याओं की ही थी अथवा विवाह के पश्चात् पितृशृङ्ख में लौटी हुई कन्याओं की भी, किन्तु सम्भवत दोनों स्थितियों में ननद के कपर भाभी का शासन प्राय हुआ करता था क्योंकि उसकी भाभी का पति गृहपति होता था और वह गृहपत्नी।

१. फैमिली एण्ड किन इन इण्डो आर्यन कल्वर, पृ० ४८

२. द्र० गौदिक इण्डेक्स, १ ५२८, ५३७, २ ४६६

३. ऐत० ब्रा० ३.२.१२

४. द्रष्टव्य—इरावती कार्वे, किनशिप आर्गनाइजेशन इन इण्डिया, पृ० ४३

वधू गृहपत्नी के रूप में न केवल पति की बहिनों पर शासन करती थी बल्कि न्यूनाधिक रूप से पति के छोटे भाई भी उसके प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत थे यद्यपि देवर कुछ अवस्थाओं में उसपर पतिवत् अधिकार भी रखता था। यास्क ने देवर

वधू

वाद्य की टीका करते हुए उसे हँसरा पति बताया है।^१ महाभारत में भी पति के प्रभाव में देवर से विवाह का उल्लेख है। वैदिक युग में पति की मृत्यु के पश्चात् विघ्वा का विवाह प्राय देवर से ही होता था। ऐसी सामाजिक अवस्था के अन्तर्गत भाभी के हृदय में देवर के प्रति (एक अज्ञात भय के कारण) सम्मान होना स्वाभाविक ही था। अथर्ववेद (१४ २.१८) से इन दोनों सम्बन्धियों के बीच प्रेमपूर्ण सम्बन्ध की पुष्टि होती है।

सास ससुर के प्रति वधू का व्यवहार प्राय आदरपूर्ण होता था। उत्तार वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक प्रसग मिलते हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि वधू ससुर के समक्ष सलज्ज और अनुशासनयुक्त रहती थी। मैत्रायणी सहिता में ब्राह्मण के लिए एक स्थान पर सुरापान का निषेध इसलिए किया गया है कि सुरा के प्रभाव में ससुर और पुत्रवधू भी परस्पर अभद्र बातें करते हैं।^२ इससे प्रकट होता है कि ससुर और पुत्रवधू में बहुत ही सयत और अनुशासनपूर्ण व्यवहार तथा सम्बन्ध की अपेक्षा की जाती थी। अथर्व-वेद में स्पष्टतः ससुर और पुत्रवधू के बीच लज्जाजनित दूरी का उल्लेख हुआ है।^३ यहा बताया गया है कि जिस प्रकार लोग घूप से दूर रहने और वचने का प्रयास करते हैं उसी प्रकार पुत्रवधू ससुर से दूर रहने का प्रयास करती है। ऐतरेय ब्राह्मण शत्रुसेना को शक्तिहीन करने के लिए एक अनुष्ठान का उल्लेख करता है जिसके प्रभाव के प्रसग में ससुर-पुत्रवधू सम्बन्ध का रूपक दिया गया है।^४ सायणाचार्य ने इसपर भाष्य करते हुए कहा है कि यह अनुष्ठान शत्रुसेना को पराजित करने में सहायक है क्योंकि इसमें जिस देवता का आह्वान होता है वह शत्रुसेना की सरक्षिका देवी का ससुर होता है। जिस प्रकार युवती पुत्रवधू ससुर के समक्ष लज्जावश अगों को छिपाने के लिए

^१ निरुक्त ३ १५

^२ मैत्रा० स० २४ १-२

^३ अथर्व० ८ ६ २४, ये सूर्यत्परिसर्पन्ति स्तुपेव इवशुरादधि।

^४. ऐत० ब्रा० १२.११, स्तुपा इवशुरात्तजमालानिलीयमानैति।

अपने को वस्त्रों से आच्छादित करती है तथा धीरे से घर के अन्दर सरक जाती है उसी प्रकार का आचरण इस विशेष अनुष्टुप्तान के प्रभाव से शत्रु सेना करती है। आश्वलायन श्रीतसूत्र में भी शत्रु को वशीभूत करने के लिए 'स्तुपा-द्वशुरिय इष्टि' का वर्णन है।^१ ग्रथवंवेद (१४ २ २६) में पुत्रबधू द्वारा शवशुर की सहायता की कामना की गई है। बृद्धावस्था में प्राय शवशुर पुत्रबधू के शासन और देखभाल में आ जाता था। वैदिक साहित्य में यद्यपि शवश्रू (मदर इन ला) और स्तुपा के पारस्परिक सम्बन्धों को सूचित करने वाले प्रसगों का अभाव है तथापि ग्रथवंवेद (१४ २ २६) से स्पष्ट है कि पुत्रबधू शवसुर और शवश्रू दोनों का समान रूप से आदर और सत्कार करती थी।^२ वहुवो का सास के प्रति व्यवहार पर्याप्त नम्र होता था।^३ सास की बृद्धावस्था में वहू उसका उत्तरदायित्व सम्भालती थी, तथा घर की सम्राज्ञी बनती थी।^४

वैदिक परिवार के पितृप्रधान होने के कारण पत्नी के पिता अथवा ऋषि पक्ष के अन्य सम्बन्धियों का विशेष उल्लेख नहीं हुआ है। शवशुर शब्द जहा पति के पिता का वोधक है, पत्नी के पिता का वोधक नहीं है। स्याला के सम्बन्ध में जो एकाकी प्रसग भिलते हैं उनका उल्लेख ऊपर ही छुका है। उसे इन्द्र और अग्नि के समान उदार (उपहारादि) देने वाला वरलाया गया है। मामा, जिनकी स्थिति महाकाव्यों और स्मृतियों के काल तक महत्वपूर्ण हो चली थी, वैदिक युग में प्राय महत्वहीन सम्बन्धी हैं। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में उनका उल्लेख केवल एक बार हुआ है।^५ वैदिक साहित्य में इन्हें 'मातुभ्रातु' कहा गया है। सूत्रकाल से आगे इन्हें मातुल कहा गया सूत्रसाहित्य में सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों में मामा का स्थान पितृव्य के बाद माना गया है।^६

१. आश्वलायन २.११

२. शवशुराय शंभूः स्योना द्वश्वर्णो ।-

३. काठक स० ३१०।

४. क्र० १० क५०.४६

५. म० स० १ ६.१२

६. गोतम ५.२८-३०, विष्णु ११ १, बोधायन २.४६

किसी भी युग अथवा देश की सामाजिक व्यवस्था एवं तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण का वास्तविक मूल्याकान खियों की स्थिति एवं उनके विषय में प्रचलित धारणाओं के अध्ययन के बिना प्रायः अपूर्ण है।

स्त्रियों की दशा है। उत्तर बैदिक युग की नारी का जीवन समृद्धन होते हुए भी पतनोन्मुख था। एक और जहाँ हम

स्त्रियों के प्रति परम्परागत सम्मान का भाव देखते हैं वही दूसरी और उनके प्रति नवीन अस्वस्थ धारणाओं का जन्म होता हुआ भी पाते हैं। शैक्षणिक सुविधाएँ खियों को प्राय पुरुषों की भाँति प्राप्त थी। बृहदारण्यक उपनिषद (६. ४. १७) में पडिता कन्या की प्राप्ति के लिये विशेष अनुष्ठानों की योजना मिलती है। अथर्ववेद में कन्या द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा-प्राप्ति का उल्लेख मिलता है।^१ शुक्ल यजुर्वेद में शिक्षित ऋषि-पुरुष को ही विवाह के उपयुक्त बतलाया गया है।^२ वास्तव में कन्या ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने को न केवल विदुषी बनाती थी बल्कि सामाजिक जीवन के उपयुक्त बनने का भी प्रयास करती थी। इसमें वह अपनी शारीरिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास करती हुई समाज और धर्म के उन सभी नियमों से सुपरिचित हो जाती थी जिनकी उसे गृहस्थ जीवन में शावश्यकता पड़ती थी। उपनिषद-युग तक तो स्त्रियाँ वार्षिनिक विषयों के अध्ययन एवं चिन्तन में पर्याप्त ख्याति प्राप्त करने लगी थी। ऐसी खियों भी अज्ञात नहीं थीं जो आजीवन अध्यात्मचिन्तन में ही लगी रहती थीं। उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया है। पारिवारिक जीवन में उलझी गृहपत्नियाँ भी ब्रह्म और आह्मन के रहस्य को जानने के लिए जिज्ञासु रहती थीं। बृहदारण्यक उपनिषद में हम याज्ञवल्क्य की पत्नी मैथ्रेयी को वार्षिनिक ज्ञान के लिए उत्कृष्टता देखते हैं।^३ इसी पुस्तक में इस बात का भी उल्लेख है कि विदेह राज जनक के दरवार में याज्ञवल्क्य अनेक परिषदों को परास्त करने के पश्चात् गार्गी वाचकनवी की विद्वत्ता को समक्ष अकस्मात् हतप्रभ हो गये थे।^४ कौदीतकि ब्राह्मण (२६) में एक कुमारी गन्धवं-प्रहीत अग्निहोत्र में पारगत बताई गई है। तैत्तिरीय सहिता

१ अथर्ववेद ११.५.१८

२ शुक्ल यजुर्वेद ८.१

३ बृ० उप० २.४.३ तथा ४.५.४ सा हवाच यैनाह नामृता स्या किमहं तेन कुर्यां यदेव भग्वान वेद तदेव मे त्रूहि।

४ बृ० उप० ३.६ तथा ८

(६ १६.५) तथा मैत्रायणी सहिता (३ ७.३) मे स्त्रियो की संभीत नृत्य-अभिरुचि का वर्णन है ।^१ शतपथ ब्राह्मण (१४ ३ १ ३५) सामग्रान को स्त्रियों का विशेष कार्य बतलाता है । इससे प्रकट है कि उत्तर वैदिक युग मे स्त्रियाँ गान विद्या मे प्रबोध होती थी तथा उनमे मन्त्रो के शुद्ध पाठ एव स्वरो के उचित आरोहवरोह की क्षमता होती थी । आश्वलायन गृह्णसूत्र (३ ८ ११) मे स्त्रियो के समावर्तन संस्कार का उल्लेख है इससे प्रकट होता है कि गृह्ण सूत्रो के काल तक स्त्रियो को वैदाध्ययन का अधिकार पूर्ववत प्राप्त था । धार्मिक एव सामाजिक अनुष्ठानों, नियमों एव विधि-नियेषो से स्त्रियाँ पुरुषो की अपेक्षा अधिक परिचित थीं । आपस्तम्ब का कथन है कि अनुलिखित कर्तव्यो का ज्ञान स्त्रियो से प्राप्त करना चाहिए । उनका ज्ञान समस्त अध्ययन का पूरक है ।^२

सामाजिक एव धार्मिक महत्व के उत्सवो मे भी स्त्रियाँ स्वतत्तापूर्वक भाग ले सकती थीं । अथर्ववेद मे अलकृता नारी के समा मे जाने का उल्लेख है ।^३ यज्ञ मे तो पत्नी पति के साथ अनिवार्य रूप से भाग लेती थी । स्त्रियो को स्पष्टत यज्ञ का अधिकारिणी कहा गया है ।^४ अपत्नीक व्यक्ति यज्ञ के लिए अनुपयुक्त समझा जाता था ।^५ रामायण काल तक हम राम को सीता की अनुपस्थिति मे यज्ञ करने मे असमर्थ पाते हैं । इस समस्या के समाधान हेतु उन्हें सीता की सुर्वण-प्रतिमा बनवानी पड़ी थी । शतपथ ब्राह्मण मे पत्नी द्वारा यज्ञ की अनेक क्रियाओ के सम्पादन का वर्णन है ।^६ यज्ञ की वेदी के निर्माण मे उसकी सहायता अपेक्षित थी ।^७ इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक क्रियाओ मे भी वह पति को सहयोग देती थी ।^८ पारस्कर गृह्णसूत्र (२.१७) से ज्ञात होता है कि शस्यवृद्धि के लिए पत्नी स्वतत्त रूप से भी सीता यज्ञ कर सकती थी । धार्मिक क्रियाओ की भाँति ही उनसे

१. गायत्त स्त्रिय कामयन्ते,

२ आप० ध० सू० २.२ २६ १५

३ अथर्ववेद २.३.६०.१

४. अथर्ववेद ११.१ १७-२७ योगितो यज्ञिया इमा

५. शत० ब्रा० ५.१.६ १०, तौ० ब्रा० २२ २.६

६ शत० ब्रा० १.६.२ १, १.६.२.५

७ शत० ब्रा० १० २.३.१, १० २.३.३

८ शत० ब्रा० ३.८.२ १-६

उत्पन्न फल के भोग में भी पत्नी पति के समान ही अधिकारिणी समझी जाती थी। अकेले पुरुष स्वर्ग के भोग की भी आकाशा नहीं करता था। बाजपेय यज्ञ में यज्ञीय भूप के सहारे सीढ़ी पर चढ़ता हुआ पति पत्नी से कहता था आओ हम दोनों साथ साथ स्वर्गारोहण करें।^१

उपर्युक्त वर्णन से वैदिक नारी की जिस उच्च स्थिति का दोष होता है वह चिरस्थायी नहीं थी। उत्तर वैदिक युग में ही स्त्रियों की दशा पतनोन्मुख हो चली थी। उनके विषय में विभिन्न प्रकार के हीन विचारों का प्रतिपादन एवं प्रचार हो रहा था। पत्नी के लिए अब अधिकाशत भार्या और जाया शब्द का प्रयोग होने लगा था। पोष्या और भार्या जैसे शब्द स्त्री की अधीनता का सकेत करते हैं। जाया शब्द का बाहुल्य नारी के प्रजनन कार्य के महत्व पर बल दिए जाने का प्रमाण है। परवर्ती सहिताओं एवं ब्राह्मण प्रथों में जहाँ कहीं भी स्त्रियों के महत्व पर उनकी उपयोगिता को पृथक् करके विचार किया गया है, प्रथा उनकी भर्तस्ना की गई है। मैत्रायणी सहिता (३६३) में स्त्री को भूत बोलने वाली और मृत्यु के देवता से सम्बद्ध बताया गया है। शतरथ ब्राह्मण (१४ ११३१) में भी स्त्रियों को अनृत कहा गया है। काठक सहिता नारी को भावुक और निर्वायं बतलाता है।^२ मैत्रायणी सहिता के एक अन्य प्रसंग में इत्री पर चरित्रहीनता का दोष लगाते हुए कहा गया है कि पति द्वारा घन से खरीदी जाने वाली स्त्री भी अन्य पुरुषों के साथ विचरण करती है।^३ इस प्रसंग से स्त्रियों का क्रय-विक्रय भी न्यूनाधिक रूप में प्रमाणित है। स्थी-विक्रय की परम्परा के प्रचलन का सकेत यास्क ने अपने निरुक्त में भी दिया है।^४ तंत्रिरीय संहिता में भी नारी की शारीरिक हीनता का उल्लेख हुआ है और उसे यज्ञ में सोम का भाग लेने के अधिकार से विहीन एवं पापी पुरुषों से भी तुच्छ बातें करनेवाली बताया गया है।^५ जैमिनीय ब्राह्मण (१६८) में स्त्रियों को दुख का साधन माना गया है तथा कहा गया है कि इन्हें देवताओं ने क्रोध, आलस्य, नीद, भूख या वासना तथा

१ शत० ब्रा० ५ २ १ १०

२ काठक स० २८ द ४४

३ मै० स० १० ११

४ निरुक्त ३ ४

५ तं० स० ६ ५ ८ २

मेरखता है तथा उनकी अपविन्नता की घोषणा करता है।^१ स्त्रियों का धार्मिक अनुष्ठानों से बहिष्कार एक आकस्मिक घटना नहीं थी। उनके अधिकारों का अपहरण वडी मन्द गति से हुआ। जिन अपविन्नताओं एवं दूषणों के कारण उत्तरवैदिक यूग के अन्त तक स्त्रियों को यज्ञाधिकार से विचित कर दिया गया उनके निराकरण का प्रारम्भ में प्रयास भी किया गया। शतपथ ब्राह्मण (१३१३) पत्नी के नाभि के नीचेवाले भाग को अपविन्न बतलाता है तथा इस अशोच को दूर करने के लिए वस्त्रों के कारण कुशा धास के चरणातक की व्यवस्था करता है। यज्ञ में होने वाले विभिन्न अनुष्ठान धीरे-धीरे स्त्रियों के हाथ से निकल कर पुरोहितों के अधिकार सेव में भागे लगे। पहले पत्नी द्वारा होने वाला हृषि तैयार करने का कार्य अब पुरोहित (अग्नीघ) करने लगा।^२ इसी प्रकार सोमयाग में प्रवर्ग्य नामक छत्य (धर्म नामक गरम वर्तन में दूष डालना) पहले पत्नी द्वारा सम्पादित होता था, किंतु बाद में इसे उदागाता करने लगा।^३ इन प्रमाणों के आधार पर यद्यपि यह तो नहीं कहा जा सकता कि उत्तर वैदिक युगीन नारी धार्मिक जीवन से बहिष्कृत कर दी गई थी क्योंकि हम अनेक प्रसरणों में पत्नी को पति के साथ यज्ञ कार्य करते हुए पाते हैं, तथापि इनके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समाज के अन्य वर्गों एवं सम्बन्धों की भाँति ही स्त्रियों के सम्बन्ध में भी नए विचारों एवं नवीन मूल्यों का उन्मेप प्रारम्भ हो गया था। इस प्रकार भारतीय नारी के पतन का जो इतिहास बाद में उपलब्ध होता है उसके विकास के बीज उत्तरवैदिक युग की सामाजिक व्यवस्था में ही निहित थे।

वैदिक शार्यों के पितृप्रधान समाज में पुरुष की अपेक्षा नारी को कम सम्मान प्राप्त होना स्वाभाविक था। पूर्व वैदिक युग की सामाजिक-भव्यवस्था एवं वाह्य संघर्षों ने पुरुष को स्त्रियों पर स्वामित्व के आरोपण का विशेष अवसर नहीं दिया। उत्तरवैदिक युग तक, जब समाज के विभिन्न वर्गों एवं परिवार के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों एवं उनकी सामाजिक स्थिति शाष्ट्रतर होने लगी, पुरुषपेक्षी प्रवृत्तियां उभय हो चलीं। इसके पीछे जहां एक और समाज में व्याप्त वर्ग संघर्ष, शोपण और अधिकरण की तृतीन

१ शत० ब्रा० १४ ११३

२. शत० ब्रा० ११४-१३

३ शत० ब्रा० ४३.१ द५, पत्नीकमेव एतेऽन्नं कुर्वन्ति यदुदगातर ।

द्यूतश्रीदा जैसे दुर्बर्थसनों के साथ मनुष्य को कष्ट देने के लिए बनाया है। शतपथ ब्राह्मण पुरुष के समक्ष नारी की हीनता का प्रतिपादन करते हुए यहाँ तक कहता है कि अनेक स्त्रियों के बीच एक छोटा वालक हो तो उनमें वही श्रेष्ठ समझा जायगा ।^१

इस युग के सामाजिक जीवन में जो सधर्व दिखाई देता है उसका प्रभाव सामान्यजनों के व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ा। पारिवारिक जीवन में हम पुरुषों को स्त्रियों के समक्ष अपनी उच्चता का प्रतिपादन करते हुए देखते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी समान अधिकारों का ह्रास एवं छिया की दुर्वलता का लाभ उठाकर उनके शोषण का प्रयास होने लगता है। शतपथ ब्राह्मण एक स्थान पर पति का अत्ता कहता है। विचारणीय है कि इसी प्रकार राजा को भी 'विश' का अत्ता कहा गया है। पत्नी के समक्ष पति की गुरुता एवं श्रेष्ठता की स्थापना का प्रयास शतपथ ब्राह्मण (१.१.४ १३) में स्पष्ट दिखाई देता है। शतपथ ब्राह्मण का यह अंदर इस बात की व्यवस्था करता है कि पत्नी को पति के पश्चात् भोजन करना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण पत्नी के शरीर पर भी प्राय पति का अधिकार मानता है,^२ इस अवश में हमें स्त्री की परतन्त्रता (न नारी स्वातंत्र्यमर्हति) का स्पष्ट वर्णन दिखाई देता है। यहाँ कहा गया है कि 'देवताओं' ने पीट-पीट कर अपनी पत्नियों को शक्तिहीन कर दिया है। अत इस प्रकार पीड़ित और शक्तिहीन होने के कारण उनका अपने शरीर और सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है।

इसी युग में नारी को याज्ञिक अधिकारों से भी निचित करने का प्रयास किया गया। यद्यपि यज्ञों से धर्मपत्नी के रूप में नारी को बहिष्कृत नहीं किया जा सका, तथापि उसके धार्मिक अधिकारों को सीमित और सकुचित कर दिया गया। धार्मिक क्षेत्र में उनकी अपवित्रता और याज्ञिक अनुपयुक्तता का विचार प्रचलित हो गया जिसकी प्रतिध्वनि उत्तर वैदिक साहित्य के उत्तरार्द्ध में सर्वांग मिलती है। याज्ञिकों के एक सम्प्रदाय ने यह प्रतिपादित किया कि छिया यज्ञ की अधिकारिणी ही नहीं हैं। उनका स्थान यज्ञ की देवी के बाहर होना चाहिए।^३ यद्यपि शतपथ ब्राह्मण छियों को यज्ञ से बहिष्कृत करने का समर्थन नहीं करता फिर उन्हें अयज्वन शूद्रों की कोटि

१. शत० ब्रा० १.३.१६

२. शत० ब्रा० ४४.२.१३

३. शाखा० ब्रा० २७.४, अयज्या गौपत्न्यो बहिर्वेदिहिता.

मेरखता है तथा उनकी अपवित्रता की घोषणा करता है।^१ लियो का धार्मिक अनुष्ठानों से बहिष्कार एक आकस्मिक घटना नहीं थी। उनके अधि कारों का अपहरण बड़ी मन्द गति से हुआ। जिन अपवित्रताओं एवं दूषणों के कारण उत्तरवैदिक युग के अन्त तक स्त्रियों को यजाधिकार से बचाया गया। शतपथ ब्राह्मण (१३११३) पत्नी के नाभि के नीचेवाले भाग को अपवित्र बतलाता है तथा इस अशीच को दूर करने के लिए बस्त्रों के ऊपर कुशा धास के चरणात्मक की व्यवस्था करता है। यज्ञ में होने वाले विभिन्न अनुष्ठान धीरे-धीरे स्त्रियों के हाथ से निकल कर पुरोहितों के अधिकार क्षेत्र में भागे लगे। पहले पत्नी द्वारा होने वाला हवि तैयार करने का कार्य अब पुरोहित (श्रमनीघ्र) करने लगा।^२ इसी प्रकार सोमयाग में प्रवर्ग्य नामक कृत्य (धर्म नामक गरम बर्तन में दूध डालना) पहले पत्नी द्वारा सम्पादित होता था, जितु वाद में इसे उद्देश्याता करने लगा।^३ इन प्रमाणों के आधार पर यद्यपि यह तो नहीं कहा जा सकता कि उत्तर वैदिक युगीन नारी धार्मिक जीवन से बहिष्कृत कर दी गई थी क्योंकि हम अनेक प्रसरणों में पत्नी को पति के साथ यज्ञ कार्य करते हुए पाते हैं, तथापि इनके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समाज के अन्य वर्गों एवं सम्बन्धों की भाँति ही स्त्रियों के सम्बन्ध में भी नए विचारों एवं नवीन मूल्यों का उन्मेप प्रारम्भ हो गया था। इस प्रकार भारतीय नारी के पतन का जो इतिहास वाद में उपलब्ध होता है उसके विकास के बीज उत्तरवैदिक युग की सामाजिक व्यवस्था में ही निहित थे।

वैदिक भार्यों के पितृप्रधान समाज में पुरुष की अपेक्षा नारी को कम सम्मान प्राप्त होना स्वाभाविक था। पूर्व वैदिक युग की सामाजिक-ग्रव्यवस्था एवं वाह्य संघर्षों ने पुरुष को स्त्रियों पर स्वामित्व के आरोपण का विशेष अवसर नहीं दिया। उत्तरवैदिक युग तक, जब समाज के विभिन्न वर्गों एवं परिवार के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों एवं उनकी सामाजिक स्थिति स्थग्नतर होने लगी, पुरुषापेक्षी प्रवृत्तियाँ उग्र हो चलीं। इसके पीछे जहाँ एक भौत समाज में व्याप्त वर्ग संघर्ष, शोषण और अधिकरण की तृतीन

१ शत० ब्रा० १४११३

२ शत० ब्रा० ११४१३

३ शत० ब्रा० ४३१८५, पत्नीकमेव एतेऽपि कुर्वन्ति यदुदगातर ।

प्रक्रिया का परोक्ष प्रभाव था कही कतिपय अनार्य जनों के मातृमूलक-समाज के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया भी थी ।

स्त्रियों को धार्मिक जीवन से बहिष्करण के प्रयास के कारण अधिकाशत परिस्थितिक थे । वर्णव्यवस्था के विकास एवं पुरोहित वर्ग के प्रभावक्षेत्र में विस्तार के कारण यज्ञों का स्वरूप वामन के शरीर की भाँति बढ़ने लगा । याज्ञिक प्रक्रियाएँ उत्तरोत्तर जटिल और आडम्बरपूर्ण होने लगीं । यज्ञ की छोटी त्रियाघों के लिए विस्तृत विधिया निर्धारित की जाने लगीं । पहले पति पत्नी द्वारा किया जाने वाला साधारण कृत्य अब होता ददृगाता अध्वर्यु ब्रह्मा आदि अनेक पुरोहितों की सहायता से होने लगा । वैदिक मंत्रों के उच्चारण में लेशमात्र भी ब्रूटि अनिष्टकर मानी जाने लगी ।^१ फलत कम पढ़ी-लिखी स्त्रियों के लिए यज्ञ में भाग लेना कठिन हो गया । दूसरे पुरोहितों ने पत्नी द्वारा सम्पादित होने वाले अनेक कृत्यों को स्वयं करना प्रारम्भ किया जिससे स्त्रियों का यज्ञों परे सहयोग क्रमशः कम होने लगा । विशेषत पुरोहितों द्वारा किए गए इस परिवर्तन पर आक्षेप करने में स्त्रिया समर्थ भी नहीं थी । इस नैराश्य से प्रभावित होकर उपनिषद् काल तक अनेक स्त्रियों ने ज्ञानज्ञान को अपनी बीद्रिक एवं अध्यात्मिक जिज्ञासा का केन्द्र बनाया ।

इसी प्रकार आर्यों का अनार्यों स्त्रियों से विवाह भी पत्नी को यज्ञाधिकार से बहिष्कृत करने का एक प्रमुख कारण बना । यद्यपि शूद्रा अथवा अनार्यों से विवाह हतोत्साहित किये जाते थे तथापि आर्य परिवारों में शूद्र स्त्रिया विवाहिता वधू अथवा रखेल के रूप में आती रही । आर्यों की अनार्यों पत्नियों का उल्लेख धर्मसूत्रों के काल तक मिलता है । वशिष्ठ धर्मसूत्र^२ कृष्णवर्णा स्त्री को धर्म के लिए उपयुक्त न मानकर केवल रमण के लिए उपयुक्त मानता है । वैदिक कर्मकाण्डों से अपरिचित होने के कारण स्वभावत अनार्यों पत्निया अनुष्टानों में अधिक भूल कर सकती थी । अत यज्ञों की पवित्रता की रक्षा के लिए तथा अभीष्टव फल की प्राप्ति के लिए ऐसी स्त्रियों से याज्ञिक अधिकार द्यीनना वाद्यनीय समझा गया । किन्तु कानान्तर में इन शूद्राश्रों के दुर्माँग की द्याया उनकी आर्यों सपत्नियों पर भी पड़ने लगी तथा नारी मात्र को धार्मिक हृषि से अपवित्र समझा जाने लगा ।

१. पाणिनि शिक्षा ५२

२. वशिष्ठ धर्मसूत्र' ३८. १७

धार्मिक दृष्टि से स्त्रियों को अपवित्र घोषित करने के लिए उनकी दुर्बलताओं का आश्रय लेना आवश्यक था। इसीलिए स्त्रियों की अपवित्रता का प्रमुख कारण मासिक धर्म बताया गया। रजस्वला नारी की अपवित्रता का सकेत हमें सर्वप्रथम तंत्तिरीय सहिता और तंत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। तंत्तिरीय सहिता (२५१) के अनुसार 'उस समय स्त्री मलिन वस्त्रो वाली होती है। ऐसी स्त्री के साथ न बोलना चाहिए न बैठना। उनका अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहि। ऐसी स्थिति में यह स्वभाविक था कि पत्नी को यज्ञ कार्य से भी पृथक् किय जाता। तंत्तिरीय ब्राह्मण उस पुरुष को भाग्यहीन बतलाता है जिसकी पत्नी उसे यज्ञ के समय रजस्वला होने कारण प्राप्त नहीं होती^१ क्योंकि पत्नी के अभाव में आधा यज्ञ नष्ट हो जाता है। प्रारम्भ में केवल रजस्वला स्त्रिया अपवित्र समझी जाती रही होगी किन्तु बाद में प्रतिमास होने वाले इस दूषण के कारण उन्हें स्थायी रूप से अपवित्र और अमेघ्य मान लिया गया। शतपथ ब्राह्मण इसीलिए स्त्री के नाभि के नीचे वाले भाग को स्थायी रूप से अमेघ्य बतलाता है^२ मासिक धर्म से उत्पन्न होने वाले अशोच और कुप्रभाव को विश्व की अनेक प्राचीन एवं श्राधुनिक लातियों ने स्वाकार किया है।^३ फेजर महोदय के अनुसार इस अवस्था में स्त्री की अपवित्रता^४ का कारण आदिम जातियों का यह विश्वास रहा है कि जीवन-शक्ति रक्त में रहती है^५ इसीलिए रजस्वला स्त्रिया रक्तस्वाव के कारण दुर्बल हो जाती है। अत उनका स्पर्श करने वाला पुरुष भी दुर्बल और रुग्ण हो जायगा।

चत्तरवैदिक युग में विश्वाए तिरस्कृत और उपेक्षित नहीं थी। सती प्रथा के प्रचलन के चिह्न हमें इस युग में नहीं मिलते। सम्भवत भारत में वैदेश करने के पूर्व आयों में भी सती-प्रथा का अधिक साक्ष्य के प्रचलन या परन्तु ऋग्वेद और ऋवेत्ता के सामूहिक साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध होता है कि आयं हिन्दू हरानी युग में ही इस प्रथा का त्याग कर चुके थे। वैदिक आयों में सती प्रथा के निपेत का कारण नितान्त व्यवहारिक प्रतीत होता

^१ तै० ज्ञा० ३० ३० ७ १

^२ शर० ज्ञा० १ ३,१०१३, ५ २०१ १८

^३ फेजर, गोल्डेन वार १. पृ० २२६-२७, हिन्दू परिवार भीमांसा, पृ० १३५

^४ वही, २, पृ० २४०

प्रक्रिया का परोक्ष प्रभाव था वही करिपय अनार्य जनों के मातृमूलक-समाज के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया भी थी।

स्त्रियों को धार्मिक जीवन से बहिष्करण के प्रयास के कारण अविकाशत परिस्थितिक थे। वरणव्यवस्था के विकास एवं पुरोहित वर्ग के प्रभावक्षेत्र में विस्तार के कारण यज्ञों का स्वरूप चामन के शरीर की भाँति बढ़ने लगा। याज्ञिक प्रक्रियाएँ उत्तरोत्तर जटिल और आडम्बरपूर्ण होने लगी। यज की छोटी श्रियाश्री के लिए विस्तृत विधिया निर्धारित की जाने लगी। पहले पति पत्नी द्वारा किया जाने वाला साधारण कृत्य अब होता ददगाता अध्वर्यु ब्रह्मा आदि अनेक पुरोहितों की सहायता से होने लगा। वैदिक मंत्रों के उच्चारण में लेशमात्र भी त्रुटि अनिष्टकर मानी जाने लगी।^१ फलत कम पढ़ी-लिखी स्त्रियों के लिए यज्ञ में भाग लेना कठिन हो गया। दूसरे पुरोहितों ने पत्नी द्वारा सम्पादित होने वाले अनेक कृत्यों को स्वयं करना प्राप्त किया जिससे स्त्रियों का यज्ञ में सहयोग क्रमशः कम होने लगा। विशेषत पुरोहितों द्वारा किए गए इस परिवर्तन पर आक्षेप करने में स्त्रिया समर्थ भी नहीं थी। इस नीताश्य से प्रभावित होकर उपनिषद् काल तक अनेक स्त्रियों ने ज्ञानज्ञान को अपनी वौद्धिक एवं अध्यात्मिक जिज्ञासा का केन्द्र बनाया।

इसी प्रकार आर्यों का अनार्या स्त्रियों से विवाह भी पत्नी को यज्ञाधिकार से बहिष्कृत करने का एक प्रमुख कारण बना। यथापि शूद्रा अथवा अनार्य से विवाह हतोत्साहित किये जाते थे तथापि आर्य परिवारों में शूद्रा स्त्रिया विवाहिता वधू अथवा रखेल के रूप में आती रही। आर्यों की अनार्य पत्नियों का उल्लेख धर्मसूत्रों के काल तक मिलता है। वक्षिष्ठ धर्मसूत्र^२ कृष्णवर्णा स्त्री को धर्म के लिए उपयुक्त न मानकर केवल रमण के लिए उपयुक्त मानता है। वैदिक कर्मकाण्डों से अपरिचित होने के कारण स्वभावत अनार्य पत्निया अनुष्टानों में अधिक भूल कर सकती थी। अत यज्ञों की पवित्रता की रक्षा के लिए तथा अभीप्सित फल की प्राप्ति के लिए ऐसी स्त्रियों से याज्ञिक अधिकार द्यीनना वाद्यनीय समझा गया। किन्तु कालान्तर में इन शूद्राओं के दुर्भाग्य की छाया उनकी आर्या सपत्नियों पर भी पड़ने लगी तथा नारी मात्र को धार्मिक हृषि से अपवित्र समझा जाने लगा।

१. पाणिनि शिक्षा ५२

२. वक्षिष्ठ धर्मसूत्र' १८, १७

धार्मिक दृष्टि से स्त्रियों को अपवित्र घोषित करने के लिए उनकी दुर्वंतताओं का आश्रय लेना आवश्यक था। इसीलिए स्त्रियों की अपवित्रता का प्रमुख कारण मासिक-धर्म बताया गया। रजस्वला नारी की अपवित्रता का सकेत हमें सर्वप्रथम तैत्तिरीय सहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। तैत्तिरीय सहिता (२ ५ १) के अनुसार 'उस समय स्त्री मलिन वस्त्रो वाली होती है। ऐसी स्त्री के साथ न बोलना चाहिए न बैठना। उनका अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहि। ऐसी स्थिति में यह स्वभाविक था कि पत्नी को यज्ञ कार्य से भी पृथक् किय जाता। तैत्तिरीय ब्राह्मण उस पुरुष को भाग्यहीन बतलाता है जिसकी पत्नी उसे यज्ञ के समय रजस्वला होने कारण प्राप्त नहीं होती^१ क्योंकि पत्नी के अभाव में आघात यज्ञ नष्ट हो जाता है। प्रारम्भ में केवल रजस्वला स्त्रिया अपवित्र समझी जाती रही होगी किन्तु बाद में प्रतिभास होने वाले इस दूषण के कारण उन्हें स्थायी रूप से अपवित्र और अमेघ्य मान लिया गया। शतपथ ब्राह्मण इसीलिए स्त्री के नाभि के नीचे वाले भाग को स्थायी रूप से अमेघ्य बतलाता है^२ मासिक धर्म से उत्पन्न होने वाले अशोच और कुप्रभाव को विश्व की भनेक प्राचीन एवं आधुनिक जातियों ने स्वीकार किया है।^३ फेजर महोदय के अनुसार इस अवस्था में स्त्री की अपवित्रता वा कारण श्रादिम जातियों का यह विश्वास रहा है कि जीवन-शक्ति रक्त में रहती है^४ इसलिए रजस्वला स्त्रिया रक्तस्वाव के कारण दुर्वंत हो जाती है। अत उनका स्वर्ण करने वाला पुरुष भी दुर्वंत और रुग्ण हो जायगा।

उत्तरवैदिक युग में विधवाएँ तिरस्कृत और उपेक्षित नहीं थीं। सती प्रथा के प्रचलन के चिह्न हमें इस युग में नहीं मिलते। सम्भवत भारत में प्रवेश करने के पूर्व आयों में भी सती-प्रथा का वैधव्य प्रचलन था परन्तु ऋग्वेद और अवेस्ता के सामूहिक साक्ष के आधार पर यह सिद्ध होता है कि आर्य हिन्दू इरानी युग में ही इस प्रथा का त्याग कर न्तुके थे। वैदिक आयों में सती प्रथा के निषेध का कारण नितान्त व्यवहारिक प्रतीत होता

१ तै० ब्रा० ३, ७ १

२ शत० ब्रा० १.३, १.१३, ५ २ १ १८

३ फेजर, गोल्डेन वार्त १, पृ० २२६-२७, हिन्दू परिवार मीमांसा, पृ० १३५

४ वही, २, पृ० २४०

है। अपने को भारतीक दृष्टि से अधिक सशक्त करने के लिए तथा वशविस्तार के लिए उन्होंने प्रजनन कार्य में समर्थ विधवाओं को मृत्यु की विभीषिका से निकाल कर नवजीवन के प्रकाश में खड़ा किया तथा उन्हे पुन समृद्ध और सन्तानयुक्त जीवन व्यतीत करने की सुविधा दी।^१ तैत्तिरीय आरण्यक में विधवा स्त्री का अपने पति के हाथों से उसकी घनुप आदि प्रिय वस्तुओं को लेकर गृहप्रत्यागमन तथा उसके आगामी जीवन में सुख समृद्धि की कामना का उल्लेख है।^२ श्र० १० १८ ८ तथा उत्तरवैदिक साहित्य के प्रस्तुत प्रसग इस बात का सकेत करते हैं कि वैदिक युग में वे पति के शब्द के पाइर्व में लेटती थी तत्पश्चात् पुनः उन्हें जीवलोक में लौट आने का सदेश दिया जाताथा। आपस्तम्ब गृह्यसूत्र के अनुसार विधवा स्त्री को देवर, मृत पति का शिष्य श्रथवा कोई विवस्त वृद्ध दास इमशान से घर लाता था।^३ समस्त सूत्र साहित्य मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक विभिन्न सस्कारों का वर्णन करता हुआ भी सती प्रथा के विषय में सर्वथा मीन है।

पूर्व वैदिक युग की भाति उत्तरवैदिक युग में भी विधवा विवाह प्रचलित थे। अथर्ववेद में एक स्थान पर पञ्चोदन क्रिया के द्वारा पत्नी और उसके पुनर्विवाह तथा नियोग द्वितीय पति में अपार्थक्य और अभिन्नता उत्पन्न करने की योजना है।^४ तैत्तिरीय सहिता ३ २ ४ ४ में ‘देविषव्य’ श्रथवा विधवा के पुत्र का उल्लेख है।

धर्मशास्त्रों में पुनर्भू और पौनर्भव शब्द का स्थान-स्थान पर प्रयोग पुन विवाह के सूत्रकालपर्यन्त अक्षुण्णु प्रचलन को सिद्ध करता है। महाभारत में भी पति के अभाव में देवर को पति बनाने की व्यवस्था की गई है।^५ गौतम ने देवर के साथ नियोग का प्रतिपादन किया है (गौतम १८ ४-८) ।

१. अथर्ववेद १८, १ १, इय नारीपतिलोक वृणानानिपद्यते उपत्वा मर्त्यं मेतम् धर्मं पुराणमनुपालयन्ती तस्मै प्रजाद्रष्णिण चेत घत्त ।

२ तै० आर० ६ १

३. आप० गृह्य० सू० ४ २०१८, तामुत्थापयेद्देवर पतिस्थानीयोऽन्तेवासी जरहासो वा उदीर्ण नारि अभिजीवलोकं इति ।

४ अथर्व० ६ ५.२७-२८ या पूर्व पति वित्वा अथान्य विन्दते पतिम् पञ्चोदन च तौ शज ददतो न नियोजत ।

समान लोकों भवति पुनर्भुवा अपर पति :

५. महा० १३.१२.१६ नारी तु पत्यभावे देवर कुणुते पति ।

वीदिक साहित्य के साक्ष्यों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि विघवा का पुनर्विवाह अथवा नियोग उसके देवर के ही साथ होता था। जब हम ऋग्वेद में नवपरिणीता वधु को दिए गए आशीर्वाद 'देवृकामा भव', ऋग्वेद (१० ४ २ २) में उल्लिखित शैय्यारूढ विघवा के पास पूँचते देवर, एवं यास्क द्वारा दी गई देवर शब्द की व्युत्पत्ति पर सामूहिक रूप से विचार करते हैं तो यह निष्कर्ष भ्रपरिहार्य हो जाता है कि विघवाओं का पुनर्विवाह प्राय-पति के आता के साथ ही होता था। महाभारत के अनुसार पाण्डु और धृत-राष्ट्र के जन्म के लिए सत्यवती ने जब अपने पुत्रवधुओं के नियोग की व्यवस्था की थी, उसके लिए उसने अपने ही पुत्र व्यासद्वैपायन को निमन्त्रित किया था। देवर से साथ पुनर्विवाह और नियोग की प्रथा विश्व को अन्य जातियों में भी प्रचलित थी। प्राचीन काल में यहूदियों में इस प्रथा का प्रचलन था १ ओल्ड टेस्टामेण्ट में इसका उल्लेख हुआ है।^१

^१ पोजीशन आव वीमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पृ० १४३



उत्तर वैदिक युग में आदर्शों के उन्मेष तथा सामाजिक संस्थाओं की व्यवस्था के साथ ही राज्य के सघटन में भी विकास हृष्टिगोचर होता है। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि उस युग में प्रायः जनराज्यों की ही परम्परा थी। यदु, पुरु, दृश्यु, भरत आदि जिन जनों का उल्लेख इस प्रन्थ में हुआ है उनका कोई निश्चित भूप्रदेश नहीं था। भ्रमणाशील कबीलों के साथ ही उनके राज्य भी बदलते रहते थे। कबीली जीवन के ये स्तकार उत्तर-वैदिक युग तक भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुए थे। शतपथ ब्राह्मण (४ १५ २) से ज्ञात होता है कि एक ग्राम अपने नेता शर्याति मानव के नेतृत्व में इधर-उधर घूमा करता था। इससे स्पष्ट है कि उत्तर-वैदिक युग में भी आर्यों के कुछ समुह अस्थायी जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रादेशिक (Territorial) राज्यों की स्थापना के पश्चात् भी जन-राज्यों की परम्परा का प्रभाव पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाया था। राजसूय यज्ञ के 'देवपु-हविषी' नामक अनुष्ठान में राजा के लिए जान राज्य की भी कामना की गई है।^१ यद्यपि विद्वानों ने जान-राज्य के विविध अर्थ किये हैं^२ तथापि इस शब्द को पूर्व-वैदिक युगीन जन-राज्यों का सकेत मानना ही अधिक युक्तिसंगत होगा। सम्भवत जान-राज्य के माध्यम से यह इच्छा व्यक्त की जाती थी कि राजा अपने जन का शासक बने।^३ ब्राह्मण साहित्य में वर्णित राजसूय यज्ञ के प्रसंग में ऐसे अनेक अनुष्ठानों का विधान है जिनका स्वरूप पूर्णतया आदिम है।^४ इन्हीं को दृष्टि में रखते हुये घोपाल महीदय ने यहाँ तक कहा है कि उत्तर-वैदिक युग का राज-तत्र अदात कवीनी अवस्था में था।^५

१. बाज० स० ९४०, मै० स० २६६, मै० स० १८१०, का० स० १५५

२. द्र०, यू० एन० घोपाल, स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३१०

३. रामशरन शर्मा, आस्पेक्ट्स आव पॉलिटिकल आइडियाज एण्ड इस्टी-ट्यूशन्स पृ० १२०

४. वही पुस्तक, पृ० ११६-१२६

५. घोपाल, हिस्ट्रीरियोग्रैफी एण्ड अदर एसेज, पृ० २८६

सामान्यत उत्तर-वैदिक युग तक स्थायी प्रादेशिक-राज्यों की स्थापना हो चुकी थी और पूर्व वैदिक युग के अधिकाश जन जनपदों का रूप ग्रहण कर चुके थे।^१ उनके राजा अब राष्ट्र अर्थात् प्रदेश के स्थायी प्रादेशिक भी स्वामी समझे जाने लगे थे।^२ उत्तर-वैदिक राज्यों की स्थापना साहित्य में एकराट् का राज्य-क्षेत्र सप्तसागर पृथ्वी वताया गया है जिससे प्रादेशिक राज्यों का पूर्ण विवास प्रसारित होता है।^३ इस युग के राजा विश के साथ ही राष्ट्र पर भी प्रभुना स्थापित करने के लिए चिन्तित थे, ऐसा सकेत तंत्तिरीय सहिता में एक अनुष्ठान का महत्व समझाते हुए किया गया है।^४ प्रादेशिक राज्यों की स्थापना के परिणामस्वरूप साम्राज्यवादी मनोवृत्ति में वृद्धि हुई। सार्वभौम पद की प्राप्ति के लिए तथा सागर वैष्टित वसुधा का एकमात्र स्वामी बनने के लिये राजाओं ने वैदिक कर्मकाण्डों का आश्रय लिया। अश्वमेघ, वाजपेय और ऐ-द्रमहाभिषेक जैसे यज्ञों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। ब्राह्मण ग्रन्थों में कुछ पचाल, कोशल और मत्स्य के ऐसे अनेक राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने अश्वमेघ तथा ऐन्द्र महाभिषेक के द्वारा सार्वभौम प्राप्त किया। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जनमेजय, भीम सेन श्रूतसेन तथा भरत व सत्रजित-शतानीक आदि वारह राजाओं ने अश्वमेघ द्वारा सार्वभौम पद प्राप्त किया था। सप्तराट् पद की प्राप्ति के लिये सम्भवत वाजपेय यज्ञ भी किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वाजपेय से सप्तराट् बनता है। राज्य हीन है और साम्राज्य श्रेष्ठ।^५ सप्तराट् की वास्तविक स्थिति का ज्ञान तो हमें नहीं है किन्तु इतना स्पष्ट है कि वह राजा से श्रेष्ठ समझा जाता था। राजा लोग सप्तराट् पद की कामना करते थे। वैदिक राज्य होमर युगीन यूनानी राज्यों की भाति ही धाकार में छोटे रहे होंगे किन्तु फिर भी सप्तराट् का राज्य-क्षेत्र अवश्य कुछ विस्तृत रहा होगा। ऐतरेय ब्राह्मण (७ ३) के अनुसार प्राच्य देश के शासकों का अभिषेक साप्तराट् पद के लिये होता था।^६ शतपथ ब्राह्मण में विवेह-

१ ऐत० ब्रा० द३ १४

२ अर्थर्ण० द३ ४ २, वर्षमत राष्ट्रस्य कुदि श्रयस्व तै० स० २ द३ ३-४

३ ऐत० ब्रा० द३ १६, हिन्दू सम्यता, पृ० १००

४ तै० स० २ द३ १,—उभे एव विश चराष्ट्रं चावगच्छति ।

५ शत० ब्रा० ५ २ १ १३ ।

६ ऐत० ब्रा० ७ ३ १४

राज जनक को, जो निश्चय ही प्राच्य-देशीय नरेश थे सभ्राट कहा गया है।^१ राजसूय के पर राजा धनुप-वाण लेकर चारों दिशाओं की प्रतीकात्मक विजय के माध्यम से अपने दिग्विजय की कामना की अभिव्यक्त करता था। उत्तर-वैदिक समाज में यह धारणा प्रबल हो चुकी थी कि यज्ञों के सम्पादक से यजमान को अभीप्सित फल की प्राप्ति होती है।^२ ऐतरेय ब्राह्मण में ऐन्द्र महाभिषेक के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति समुद्र-पर्यन्त वसुधा का एकराट् होना चाहे वह ऐन्द्र-महाभिषेक द्वारा अभिव्यक्त हो।^३ ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि वहृधा राजे विशेष राजनीतिक सफलताओं के अभाव में भी इन विशिष्ट यज्ञों के सम्पादन से ही सभ्राट्, एकराट् तथा सार्वभौम पद के अधिकारी मान लिये जाते थे। इस दृष्टि से जनक जैसे राजाओं का सभ्राट् होना आपत्तिहीन भी प्रतीत होता होता है, क्योंकि उनके द्वारा किये गये किसी दिग्विजय का उल्लेख परवर्ती सहिताओं और ब्राह्मणों में नहीं मिलता।

इस युग में विभिन्न प्रकार की शासन पद्धतियों का प्रचलन मिलता है। हम जानते हैं कि पूर्व-वैदिक युग के जन-राज्यों की स्थिति शासन-च्यवस्था की दृष्टि से वहुमुखी प्रयोग के लिये विशेष अनुकूल शासन-पद्धतियाँ नहीं थी। सुव्यवस्थित शासन-पद्धतियों का विकास तो स्वायी-प्रादेशिक-राज्यों में ही सम्भव था।

ऋग्वेद और धर्मवेद के अध्ययन ने शासन च्यवस्था में राजतन्त्र और जनतन्त्र का मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है। किन्तु यजुर्वेद की सहिताओं एवं ब्राह्मणों से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि उत्तर वैदिक युग में अनेक प्रकार की शासन-पद्धतियाँ व्यवहृत होने लगी थी। ऐतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, राज्य, स्वाराज्य, भौज्य और वंराज्य नाम की पाँच शासन-प्रणालियों का उल्लेख हुआ है।^४ इनमें से प्रथम दो तो निश्चित रूप से राजतन्त्र के ही विभेद हैं जिसका प्रचलन क्रमशः प्राच्य देश और मध्यदेश में था। उत्तर वैदिक सहिताओं और ब्राह्मणों के अधिकाश की रचना मध्यदेश में हुई।

१. शत० ब्रा० ११ द१ २-६

२ देखिये पच० ब्रा० २० १२४, चित्ररथ कापेय द्विरात्र यज्ञ के द्वारा 'एक क्षत्रपति' हुआ।

३. ऐत० ब्रा० ८.१५

४. ऐत० ब्रा० ७ द१४

इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कुछ पंचाल के शासकों ने ही राजसूय यज्ञ का सम्पादन भी विशेष रूप से किया था।^१ अत ब्राह्मणों में वर्णित राजसूय, धर्मवेद आदि यज्ञों के प्रसंग में नृपतत्रात्मक राज्यों की व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इसके विपरीत ग्रन्थ शासन प्रणालियों के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री का सर्वथा प्रभाव है। महाभारत और अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञात तथ्यों की पृष्ठभूमि में स्वाराज्य, भौज्य और वैराज्य जनतत्रात्मक राज्य प्रतीत हीते हैं। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि उत्तर-वैदिक युगीन सामाजिक वातावरण जनतत्रात्मक शासन पद्धतियों के विकास के लिये विशेष अनुकूल नहीं था। यही कारण है कि वैराज्य स्वाराज्य और भौज्य शासन-प्रणालियाँ वैदिक संस्कृति के केन्द्र भग्नदेश से दूर, विशेषत आर्य-प्रभाव से मुक्त प्रदेशों में ही प्रचलित हुईं।^२ यहाँ उत्तर-वैदिक युग में हुये उन सामाजिक परिवर्तनों पर भी न्यूनाधिक रूप से विचार करना आवश्यक है।

वर्ण-व्यवस्था के नवोदित प्रभाव के कारण जनसाधारण राजनीति से पृथक् एव उदासीन हो चले थे। शतपथ ब्राह्मण में यहाँ तक कहा गया है कि ब्राह्मण राजकार्य के लिये व्यर्थ होता है।^३ ऐसी स्थिति में वीश्यो एव शूद्रों का राजनीति में विशेष प्रवेश निश्चय ही कठिन रहा होगा। राजनीतिक क्षेत्र में राजन्यों का प्रभाव क्रमशः बढ़ता जा रहा था। परिस्थितिक साक्ष्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि समिति नामक संस्था, जिसे राष्ट्रीय सभा स्वीकार किया गया है,^४ ब्राह्मण युग तक लुप्त हो चली थी। ब्राह्मण साहित्य में राजेसूय के विस्तृत विवरण में समिति का कोई उल्लेख नहीं है। इससे प्रकट होता है कि उत्तर-वैदिक सभाज में राजतत्रात्मक शासन पद्धति के विकास के साथ ही जनतत्रात्मक संस्थाओं का अस्तित्व लुप्तप्राप्य हो गया।^५ छान्दोग्य उपनिषद में पाचालों की समितिका उल्लेख अवश्य हुआ है, जहाँ विद्वान ब्राह्मणों के साथ उपस्थित उनके राजा प्राव-

१. शत० ब्रा० ५ ५ २५

२. इ० इसी अध्याय के अधिम पृष्ठों में।

३. शत० ब्रा० ५ ११ १२, न वै ब्राह्मणो राज्याय अल

४. हिन्दू राजतत्र, भाग १, पृ० १२, एन० सी० चन्दोपाच्याय—डेवलपमेण्ट आव हिन्दू पालिटी एण्ड पोलिटिकल वियरी, पृ० ११८ -

५. इ० घोपाल, हिन्दू पब्लिक लाइफ, पृ० ११६

राज जनक को, जो निश्चय ही प्राच्य-देशीय नरेश थे सम्राट् कहा गया है।^१ राजसूय के अवसर पर राजा धनुष-धारा लेकर चारों दिशाओं की प्रतीकात्मक विजय के माध्यम से अपने दिग्विजय की कामना की अभिव्यक्त करता था। उत्तर-वैदिक समाज में यह धारणा प्रबल हो चुकी थी कि यज्ञों के सम्पादक से यजमान को अभीप्सित फल की प्राप्ति होती है।^२ ऐतरेय ब्राह्मण में ऐन्द्र महाभिषेक के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति समुद्र-पर्यन्त वसुधा का एकराट् होना चाहे वह ऐन्द्र-महाभिषेक द्वारा अभिषिक्त हो।^३ ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि वहुधा राजे विशेष राजनैतिक सफलताओं के अभाव में भी इन विशिष्ट यज्ञों के सम्पादन से ही सम्राट्, एकराट् तथा सार्वभीम पद के अधिकारी भान लिये जाते थे। इस दृष्टि से जनक जैसे राजाओं का सम्राट् होना आपत्तिहीन भी प्रतीत होता होता है, क्योंकि उनके द्वारा किये गये किसी दिग्विजय का उल्लेख परवर्ती सहिताओं और ब्राह्मणों में नहीं मिलता।

इस युग में विभिन्न प्रकार की शासन पद्धतियों का प्रचलन मिलता है। हम जानते हैं कि पूर्व-वैदिक युग के जन-राज्यों की स्थिति शासन-व्यवस्था

की दृष्टि से वहुमुखी प्रयोग के लिये विशेष अनुकूल शासन-पद्धतियाँ नहीं थी। सुव्यवस्थित शासन-पद्धतियों का विकास तो स्थायी-प्रादेशिक-राज्यों में ही सम्भव था।

ऋग्वेद और घण्ठवेद के अध्ययन ने शासन-व्यवस्था में राजतन्त्र और जनतन्त्र का मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है। किन्तु यजुर्वेद की सहिताओं एवं ब्राह्मणों से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि उत्तर वैदिक युग में अनेक प्रकार की शासन-पद्धतियाँ व्यवहृत होने लगी थी। ऐतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, राज्य, स्वाराज्य, भोज्य और वैराज्य नाम की पांच शासन-प्रणालियों का उल्लेख हुआ है।^४ इनमें से प्रथम दो तो निश्चित रूप से राजतन्त्र के ही विभेद हैं जिसका प्रचलन क्रमशः प्राच्य देश और मध्यदेश में था। उत्तर वैदिक सहिताओं और ब्राह्मणों के अधिकाश की रचना मध्यदेश में हुई।

१. शत० ब्रा० ११ न०.१ २-६

२ देखिये पच० ब्रा० २० १२ ४, चित्तरथ कापेय द्विरात्र यज्ञ के द्वारा 'एक क्षत्रपति' हुआ।

३. ऐत० ब्रा० ८.१५

४ ऐत० ब्रा० ७.३.१४

इस वात का स्पष्ट उल्लेख है कि कुरु पचास के शासकों ने ही राजसूय यज्ञ का सम्पादन भी विशेष रूप से किया था।^१ अत ब्राह्मणों में वर्णित राजसूय, अश्वमेघ आदि यज्ञों के प्रसग में नृपत्रात्मक राज्यों की व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इसके विपरीत अन्य शासन प्रणालियों के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री का सर्वथा प्रभाव है। महाभारत और अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञात तथ्यों की पृष्ठभूमि में स्वाराज्य, भौज्य और वैराज्य जनत्रात्मक राज्य प्रतीत हीते हैं। इस प्रसग में यह उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक युगीन सामाजिक वातावरण जनत्रात्मक शासन पद्धतियों के विकास के लिये विशेष अनुकूल नहीं था। यही कारण है कि वैराज्य स्वाराज्य और भौज्य शासन-प्रणालियाँ वैदिक सस्कृति के केन्द्र मध्यदेश से दूर, विशेषत आर्य-प्रभाव से मुक्त प्रदेशों में ही प्रचलित हुईं।^२ यहाँ उत्तर-वैदिक युग में हुये उन सामाजिक परिवर्तनों पर भी न्यूनाधिक रूप से विचार करना आवश्यक है।

वर्ण-व्यवस्था के नवोदित प्रभाव के कारण जनसाधारण राजनीति से पृथक् एव उदासीन हो चले थे। शतपथ ब्राह्मण में यहाँ तक कहा गया है कि ब्राह्मण राजकार्य के लिये वर्य होता है।^३ ऐसी स्थिति में वैश्यों एव शूद्रों का राजनीति में विशेष प्रवेश निश्चय ही कठिन रहा होगा। राजनीतिक क्षेत्र में राजन्यों का प्रभाव क्रमशः बढ़ता जा रहा था। परिस्थैतिक साक्ष्य इस वात को प्रभाणित करते हैं कि समिति नामक संस्था, जिसे राष्ट्रीय सभा स्वीकार किया गया है,^४ ब्राह्मण युग तक लुप्त हो चली थी। ब्राह्मण साहित्य में राजसूय के विस्तृत विवरण में समिति का कोई उल्लेख नहीं है। इससे प्रकट होता है कि उत्तर वैदिक समाज में राजत्रात्मक शासन पद्धति के विकास के साथ ही जनत्रात्मक संस्थाओं का अस्तित्व लुप्तप्राप्य हो गया।^५ छान्दोग्य उपनिषद में पाचालों की समितिका उल्लेख अवश्य हुआ है, जहाँ विद्वान ब्राह्मणों के साथ उपस्थित उनके राजा प्राव-

१. शत० ब्रा० ५ ५ २५

२. द३० इसी अध्याय के अप्रिम पृष्ठों में।

३०. शत० ब्रा० ५ ११ १२ न वै ब्राह्मणो राज्याय ग्रल

४०. हिन्दू राजत्र, भाग १, पृ० १२, एन० सी० वन्दोपाच्याय—डेवलपमेण्ट आव हिन्दू पालिटी एण्ड पोलिटिकल यियरी, पृ० ११८ -

५०. द३० घोपाल, हिन्दू पब्लिक लाइब्रेरी, पृ० ११६

हण जैवलि ने श्वेतकेतु आरुण्य से पाच प्रश्न पूछे थे।^१ जायसवाल महोदय ने यहाँ भी समिति को श्रुग्वेद और ग्रथविद की समिति की भाँति ही राष्ट्रीय सभा माना है तथा इसमें उपस्थित लोगों को जनता द्वारा निर्वाचित प्रनिनिवि माना है।^२ उनका यह मत पूर्णतः पूर्वाग्रह-जन्य कल्पना पर आधारित है। क्योंकि इस प्रसंग में समिति शब्द का प्रयोग राज-परिषद के अर्थ में हुआ प्रतीत होता है। वृहदारण्यक उपनिषद (६२१) में भी श्वेतकेतु सम्बन्धी इस घटना का उल्लेख हुआ है। किन्तु इस प्रसंग में समिति की जगह पाचालों की परिषद का उल्लेख है। इन दोनों प्रसंगों की अतिशय समानता को देखते हुये यह प्रतीत हीता है कि समिति और परिषद दोनों शब्दों का प्रयोग एक अर्थ में हुआ है। वृहदारण्यक उपनिषद से यह भी ज्ञात होता है कि वहाँ भूत्य गण राजा की सेवा में तत्पर थे। इस प्रसंग में समिति द्वारा होनेवाले किसी सार्वजनिक कार्य का कोई संकेत नहीं है। उत्तर-वैदिक सस्कृति के केन्द्र कुरु-पचाल में यदि समिति नामक जन-सभा (Popular assembly) जीवित होती तो ब्राह्मण साहित्य उसके विषय में विलकुल मौन कदापि नहीं होता। सूत्र साहित्य तो समिति के नाम से भी अपरिचित है।

ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वैराज्य शासन प्रणाली का प्रचलन हिमालय से समीपवर्ती प्रवेश उत्तर-कुरु और उत्तर-मद्र में था।^३ जिमर महोदयने उत्तर कुरु की एकता कश्मीर से स्वापित की है जो असम्भव नहीं प्रतीत होता।^४ मैकडानेल और कीथ ने वैराज्य को राजतन्त्र का ही एक रूप माना है।^५ किन्तु वैराज्य शब्द का सम्बन्ध राजतन्त्र से जोड़ना असगत प्रतीन होता है। क्योंकि इस प्रसंग में वैराज्य शब्द का प्रयोग जनपद के लिये हुआ है न कि राजा के लिये।। काशी प्रसाद जायसवाल और रमेशचन्द्र मजुमदार ने वैराज्य को जनतन्त्र माना है।^६ श्री जायसवाल ये अपने मत को सतर्क प्रतुत करने

१. छान्दोग्य ५. ३

२. हिन्दू राजतन्त्र, भाग १, पृ० १३

३. “ये के च परेण हिमवन्त जनपदा उत्तरकुरव उत्तरमद्रा इति वैराज्याय-तेऽस्मिपिच्यन्ते। विराडिति तेनाभिपिक्तानाचक्षते।” ऐत० ब्रा० ७. ३ १४

४. जिमर—कारपोरेट लाइफ, पृ० २१६ पर उद्घृत, वैदिक इण्डेक्स १, ८४

५. वैदिक इण्डेक्स, २ २२१

६. हिन्दू राजतन्त्र १, १२४, कारपोरेट लाइफ, पृ० २१६

का प्रयास किया है किन्तु उनका यह मत अन्य ज्ञात तत्त्वों के अविश्वसनीय नहीं है। उन्होंने वैराज्य का अर्थ 'राजा-विहीन' शासन प्रणाली किया है किन्तु इसका शाब्दिक अर्थ केवल 'राजा-विहीन' होगा। ऐसी स्थिति में वैराज्य जनतत्र का भी वोधक हो सकता है और अराजक स्थिति का भी। अथर्ववेद में स्पष्टतया 'विराङ्' शब्द का प्रयोग अराजक स्थिति के लिये हुआ है।^१ फिर वैदिक साहित्य के ही एक अग ऐतरेय ब्राह्मण में विराङ् का अर्थ एकमात्र कल्पना के सहारे जनतत्र करना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता। सम्भवतः उत्तर-कुरु जैसे सुदूरस्थ पर्वतीय प्रदेशों में वैदिक सकृति का प्रभाव अपेक्षाकृत देर से पड़ा। महाभारत इस बात की सूचना देता है कि उत्तर कुरु नामक प्रदेश में दीर्घकाल तक विवाह की मर्यादा नहीं स्थापित हो सकी थी।^२ इसका तात्पर्य है कि परिवार नामक स्थान, जो वैदिक समाज में पूर्णत स्थिर हो चुकी थी, यहां बहुत बाद में व्यवस्थित हुई। हम जानते हैं कि परिवार और व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना का राज्य के विकास में अनिवार्य योग रहा है।^३ सामाजिक-अव्यवस्था की स्थिति में राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना निराधार है। असम्भव नहीं है कि अथर्ववेद में वर्णित अराजकता की स्थिति (विराङ्) उत्तर-कुरु और उत्तर-मद्र में काफी समय तक बर्ना रही हो। इस अराजक स्थिति में सावेजनिक समस्याओं पर जनता ही विचार करती होगी। इसलिये सम्भवत ऐतरेय ब्राह्मण में वैराज्य के लिये सम्पूर्ण जनपद के अभिपेक की बात कही गई है। कौटिल्य ने भी वैराज्य में जनता के विचारों की प्रधानता (प्रकृति-चित्त-ग्रहणापेक्षा) को स्वीकार किया है किन्तु साथ ही उन्होंने जनता की उदासीनता, अनुत्तरदायित्व और असुरक्षित स्थिति का भी उल्लेख किया है।^४ इससे स्पष्ट है कि वैराज्य एक ऐसी स्थिति थी जिसमें राजशक्ति के अभाव में जनता के विचारों की प्रधानता

१ अथर्व० ८ १० १, विराङ् वा इदमभमासीत तस्या जाताया सर्वमविभेदेयमेवेद भविष्यति ।

२ यद्य नार्यं कामचारा भवन्ति । १२ १०२, २६ (वाम्बे सस्करण)

३ राकहिल—दि लाइफ आफ बुद्ध, पृ० ४-७

४ अर्थशास्त्र ८.२, वैराज्यन्तु प्रकृतिचित्ता ग्रहणापेक्षा यथास्थितभन्येभुज्यत इत्याचार्या । नेति कौटिल्य । वैराज्ये तु जीवत परस्पराच्छ्रद्धनेतर्नमेति मन्यमान कर्येत्यपवाहयति । पर्य वा करोति । विरक्तं वा परित्यज्यापगच्छतीति ।

रही होगी, किन्तु -साय ही राजनीतिक सगठन की चेतना का अभाव रहा होगा । ऐसी दशा मे उत्तर-वैदिक युगीन वैराज्य को सुविकसित एवं सगठित प्रजातन्त्र न मानकर अराजक-स्थिति मानना ही अधिक युक्तिसंगत एवं ज्ञात तथ्यों के अनुकूल होगा ।

ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार स्वाराज्य शासन-प्रणाली का प्रचलन प्रतीची-दिशा (पश्चिम) के नीच्यो और अपाच्यो में था ।^१ कुछ विद्वानों ने नीच्यो को सिन्ध नदी के मुहाने के समीप रखने का प्रयास किया है तथा अपाच्यों को उनका पड़ोसी माना है ।^२ उत्तर-वैदिक युग की भौगोलिक परिषिद्धि इस बात को प्रमाणित करती है कि पंजाब से दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ते हुये वैदिक-जन पश्चिमी भारत के उपनिवेशीकरण के प्रति उदासीन रहे । इससे स्पष्ट है कि इस युग तक पश्चिमी भारत का अधिकांश वैदिक सस्कृति के प्रभाव क्षेत्र के बाहर था । इसके विपरीत इस क्षेत्र मे अनार्य सैन्धव सस्कृति का अस्तित्व दीर्घ काल तक कायम रहा । रगपुर और लोथल के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से यह प्रमाणित है कि सैन्धव-सस्कृति की परम्परायें धारा और सिन्ध में विनष्ट होने के पश्चात् भी पश्चिम में गुजरात और काठियावाड तक वैदिक सस्कृत के विकास-काल में भी जीवित रही । परिस्थितिक साक्षों को ध्यान में रखते हुये पश्चिमी प्रदेशों में प्रचलित स्वाराज्य शासन-पद्धति को सैन्धव-सस्कृतिक परम्पराओं से सम्बन्धित करना सर्वथा स्वाभाविक होगा । स्वराट वे थे जिनकी स्थिति समानों में ज्येष्ठ की थी । तैत्तिरीय ब्राह्मण में स्वाराज्य का अर्थ समान लोगों का नेता होना या ज्येष्ठ्य प्राप्त करना बतलाया गया है ।^३ स्वराट शासक की स्थिति गण या संघ के सभापति की थी । महाभारत से यह ज्ञात होता है कि गणों के शासन में कतिपय कुलीन परिवारों का ही हाथ था जिनकी स्थिति समान मानी जाती थी ।^४ इस प्रकार स्वाराज्य एक कुलीन तत्वात्मक शासन-पद्धति प्रतीत होती है । इस प्रकार की शासन-पद्धति बीद्र युग में लिङ्छवियों में प्रचलितयी ।

१. सायण ने नीच्य और अपाच्य शब्दों का प्रयोग कुत्सित अर्थ में माना है ।

२ हिन्दू पालिटी, पृ० ८१ ।

३ तै० ब्रा० १ ३ २२, य एवं विद्वान वाजपेयेन यजति गन्धति स्वाराज्यम्,
अग्र समानानापर्योति, तिष्ठन्ते = स्मे ज्येष्ठ पाय

४. महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय १०१०, श्लोक ६,
जात्या च सदृशा सवे कुजे सदृशास्तया

ठत्तर-वैदिक युग में विदेह में राजत्र का प्रचलन था किन्तु वोह युग तक हम यहा गणत्र का आकस्मिक विकास देखते हैं। सम्भव है कि इस परिचर्तन के पीछेभी सैन्धव सख्ति का प्रभाव रहा हो। इस अनुमान के लिये कोई प्रबल आधार तो नहीं है। किन्तु पुरातात्त्विक साक्ष्यों का साकेतिक समर्थन अवश्य प्राप्त है। एक तरफ जहा स्वाराज्य शासन-प्रणाली और लिङ्गवियों की शासन-प्रणाली में समानता मिलती है वही दूसरी और योए-नज़ोदहों से प्राप्त विद्यालय भवन एवं स्नानागार बौशाली के सथागार और अभिषेक पुढ़करिणी की याद दिलाते हैं। सैन्धव सख्ति के प्रभाव का सुहूर 'पूर्व में बौशाली तक पहुँचना असम्भव अवश्य प्रतीत होगा किन्तु उनकी भौतिक परम्पराओं का प्रभाव निश्चित रूप से कौशाम्बी तक दृष्टिगोचर होता है।^१ ऐसी स्थिति में इस प्रभाव का बौशाली तक पहुँचना असम्भाव्य नहीं है। दक्षिणा त्यों में प्रचलित भौज्य शासन-पद्धति भी स्वाराज्य से मिलती जुलती गणत्रात्मक व्यवस्था थी। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार भौज्य शासन प्रणाली सत्वत (यादों का ही पुराना नाम) लोगों में प्रचलित थी। जाय-सवाल महोदय ने गुजरात को भौज्य लोगों का प्राचीनतम निवास स्थान माना है।^२ भोज आज भी काठियावाड़ के एक देशी रियासत का नाम है। इसमें प्रतीत होता है कि भौज्य शासन पद्धति का प्रचलन दक्षिण-पश्चिम दिशा में था। ऐतरेय ब्राह्मण के लेखक के लिये गुजरात को दक्षिण मानना अस्वाभाविक नहीं है। सम्भवत भौज्य वे शासक थे जो वशानुगत न होकर एक निश्चित काल के लिये शासक होते थे। भौज्य शासन एक परिषद की सहायता से चलता था। महाभारत परिषद में होने वाले उग्र वाद-विवाद एवं सदस्यों की पारस्परिक स्पर्धा की भी सूचना देता है।^३ महाभारत से जात होता है कि वासुदेव कृष्ण ऐसे ही भौज्य सभ के प्रमुख थे जिसका सगठन अधक, वृद्धिण, यादव, कुकुर और भोज ने स्वयं को मिलाकर किया था।^४ उत्तर-वैदिक युग में सम्भवत वीतहव्यों में भी भौज्य शासन-प्रणाली का हो प्रचलन था। भथर्वेद में वीतहव्यों के सहस्रों की सूख्या में शासन

१ जी० आर० शर्मा, एक्सकेवेमन्स एट कौशाम्बी, पृ० ६

२ हिन्दू पालिटी, पृ० ८०

३ शान्तिर्वा द१ ७-११

४ यादवा कुकुराः भोजा सर्वे चान्वकवृष्णय

त्वय्यायत्ता महावाहो लोका लोकेवराश्चये। शान्तिर्वा द१ २५

करने का उल्लेख है^१ जिससे उनकी गणत्रात्मक शासन-प्रणाली प्रभाणित होती है। इन वीतहृष्यों का सम्बन्ध हृष्यों से या जो यादवों की ही एक शाखा थे^२ यादवों में भौज्य शासन प्रणाली का प्रचलन अप्रत्याख्येय है। भौज्य-शासन पद्धति भी अधिकाशत वैदिक संस्कृति से अप्रभावित प्रदेशों में प्रचलित होने के कारण तथा स्वाराज्य से मिलती जुलती होने के कारण अनार्थ शासन पद्धति ही प्रतीत होती है। इस प्रसग में यह बतलाना भी उचित होगा कि सहस्रों की सर्वा ये शासन करने वाले वीतहृष्य घोर ब्राह्मण-विरोधी थे। अथर्ववेद में ब्राह्मणों के विरोध और शाप के कारण इनके विनाश की बात भी कही गई है।

राजत्रात्मक शासन-पद्धति ही उत्तर-वैदिक युग की सामान्य तथा लोकप्रिय व्यवस्था थी। इस युग के राजाओं ने वैदिक कर्मकाड़ों में विशेष अभिरुचि दिखाई। राजनीतिक महत्व के विविध राजतन्त्र यज्ञों के प्रसग में राजाओं की महत्वकाक्षा, उनके अधिकार और कर्तव्य आदि का साकेतिक उल्लेख भी हुआ है। ज्ञात तथ्यों के आधार पर यहां तक कहा जा सकता है कि राजत्रात्मकशासन-व्यवस्था के माध्यम से उत्तर-वैदिक काल में सर्वप्रथम राजा की अपेक्षाकृत अनियन्त्रित सत्ता का विकास तथा जनता के शोषण की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। राजा की शक्ति के बल देवी विधि-नियम द्वारा सीमित थी।^३

इस बात को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त प्रमाण हैं कि प्रारम्भ में राजा के निर्वाचन की ही प्रथा सम्मान्य थी। ऋग्वेद में तो राजा के निर्वाचन का उल्लेख मिलता ही है, अथर्ववेद में भी विश द्वारा अनुवशिक राजपद राजा के वरण की कामना की गई है।^४ किन्तु निर्वाचन की यह प्रथा उत्तर-वैदिक युग तक राज-शक्ति में वृद्धि, राज्य की विशालता तथा जनता की उदासीनता के कारण

१ अथर्वा० ५०.१८ १०, ये सहस्र भराजन्नासन् दश शता उत ते ब्राह्मणस्य गा जग्धा वीतहृष्या पराभवन्

२ डा० राजवली पाण्डेय का लेख, 'इण्डियन हिस्ट्री काप्रेस १९५२, मार्च १, पृ० ७६-८५

३ वन्दोपाध्याय, डेवलपमेण्ट आब हिन्दू पालिटी एण्ड पोलिटिकल वियरी, पृ० १२५

४ अथर्ववेद ३ ४ २ 'त्वा विशो वृणुता राज्याय'।

धीरे-धीरे अव्यावहारिक हो चली थी। एतरेय ब्राह्मण (द १२५, १७५) के अनुसार राजा को राजसूय के अवसर पर राज-पितृ भी कहा जाता था^१ जिसका तात्पर्य है 'भावी राजा के पिता'। इस विश्वद से राजपद का आनुवंशिक होना प्रमाणित होता है। शतपथ ब्राह्मण में दश पीढ़ियों से शासित राज्यों का स्लेख है।^२ कुछ जनपद में भी वशानुगत शासन की परम्परा थी। इससे प्रतीत होता है कि इस युग में नृपतन्त्र सामान्यता वशानुगत था। वर्ण व्यवस्था के विकास के कारण विविध वर्ण एवं व्यवसाय वशानुगत हो गये थे। पैत्रिक या वशानुगत व्यवसाय को ग्रहण करना ही धर्म समझा जाने लगा था। उत्तर-बौद्धिक युग में एक भी विश्वामित्र अथवा देवापि न हो सका जो पैत्रिक व्यवसाय का स्याग्कर स्वतन्त्रतापूर्वक पीरीहित्य कर सके। ऐसी स्थिति में राजपद का आनुवंशिक होना सामाजिक व्यवस्थापन के अनुकूल भी था। राजा अब विश्व द्वारा निर्वाचित होने वाला जन का नेता नहीं था। वह स्वयं अब 'विश्वामत्ता' (विश्व का भक्षक) बन चुका था।^३ अब राजा को अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिये राजन्यों एवं अन्य सजात राज-पुत्रों की सहायता अपेक्षित थी। ये सजात राजपुत्र अक्सर प्रतिस्पर्धा से युक्त होने के कारण राजा के लिए चिपक्ति हो जाते थे। आत्मव्य शब्द का शब्द-वाची शर्थ इसका सकेत करता है। हम जानते हैं कि महाभारत युद्ध के पीछे आत्मव्यों का सधर्ष ही था। सम्भवत इन्हीं सजात राजपुत्रों को दृष्टि से रखते हुये राजा के लिए 'असपत्न' होने की कामना की गई है।^४ शतपथ ब्राह्मण में यह भी कहा गया है कि राजा वही हो सकता है, जिसे राजा लोग स्वीकार करें, दूसरा नहीं हो सकता।^५ यहीं राजानः राजन्य का पर्यायवाची प्रतीत होता है जिनका समर्थन राजा को अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिये अनिवार्य था। अथर्ववेद के एक मन्त्र के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वहृधा कर्तिपथ कारणों से प्रजा ही राजा को निर्वासित भी कर सकती थी तथा यदि जनता उसे पुनः राजपद पर प्रतिष्ठित करना चाहे तो

^१ ऐत० ना० ८ १२ राजान राजपितर ।

^२ शत० ना० १२ ६ ३ ३

^३ ऐत० ना० ३८ और ३६ ३

^४ यजुर्वेद १४०

^५. शत० ना० ६ ३ ४ ५ यसमें वा राजानो राज्यमनुमन्यते स राजा भवति नस्यस्मै न ।

उसे बापस भी बुलाया जा सकता था ।^३ किन्तु इस प्रसंग में न तो जनता द्वारा निर्वासित का ही कोई सकेत है और न तो जनता द्वारा उसके पुनराजपद पर प्रतिष्ठित होने का ही । उक्त मन्त्र में यह कहा गया है कि 'वह जो अन्य क्षेत्र में श्रवण है, वह श्येन द्वारा पराये स्थान से पुनर्यहाँ लाया जायगा । अश्विन उसके लिए मार्ग को सुगम कर देंगे । सब सजात उसके चारों ओर एकत्र होंगे' । सायणाचार्य के भाष्य से स्पष्ट है कि इस मन्त्र में शत्रूत्सादित राजा को उल्लेख है न कि जनता द्वारा निर्वासित राजा का । इस सूक्त में राजा के पुनरागमन तथा राज्यप्राप्ति के पीछे भी सजातों की सहायता का ही सकेत है न कि विश के ।

इस युग में राजाओं की शक्ति का चरम उत्कर्ष दिखाई देता है । अथर्व-चेद में उसे योद्धाओं में श्रेष्ठ, धनपति और जनता का स्वामी कहा गया है ।^४ राजसूय के एक अनुष्ठान के अनुसार ब्राह्मण, राजशक्ति का विस्तार क्षत्रिय, वैश्य प्रत्येक राजा के लिये एक गाय छोड़ता है ।^५ इसका तात्पर्य यह है कि राजा का प्रभुत्व प्रत्येक वर्ण पर है । उसके क्रोध का आतक भी क्रमशः बढ़ता जा रहा था ।^६ शतपथ ब्राह्मण (५४३२१) में अभिविक्त राजा के सम्बन्ध में कहा गया है कि "जिसका अभिवेक हो गया है वह अब महान हो गया है पृथ्वी अब उससे भय खाती है ।" यहाँ पृथ्वी का भय निश्चित रूप से राष्ट्र का भय है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजा की सत्ता सर्वकप हो चुकी थी । वह राज्य के सम्पूर्ण किया-चक्र का केन्द्र समझा जाने लगा था ।^७ शतपथ ब्राह्मण (५२१२५) में भी इसी भाव को प्रकट करते हुये कहा गया है कि 'यह तुम्हारा राष्ट्र है, तुम इसके नियामक और धारणकर्ता हो ।'^८ इस युग में हम राजाओं के द्यक्तित्व में दौबी गुणों एवं विशेषणों का भी आरोप पाते हैं । राजा को

१ अथर्व० ३३.४

२ अथर्व० ४ २२

३ तै० स० १ द०.२६, तै० द्वा० १.७ १७

४ अथर्व० ६ ४७ २ अन्यत्र राजामभियातु मन्त्रु ।

५. क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि । शुक्ल यजुर्वेद २० १

६ इद ते राट् यन्तासि यमनो ध्रुवोऽसि घरण ।

वरुण के समान घर्मंपति कहा गया है। इसके साथ ही इन्द्र की उपाधिया भी राजा को लगाई जाने लगी थी।^१ राज्याभिषेक के अवसर पर पुरोहित कहता है कि भगवान् सविता के ही आदेश से अभिषेक किया जाता है तथा यह अभिषेक मनुष्य द्वारा न होकर पूषन और अश्विनी कुमारों द्वारा ही सम्पन्न होता है। ऐसा विश्वास था कि अभिषेक के समय राजा के शरीर में अग्नि और सविता और वृहस्पति देवता प्रवेश करते हैं। वह सूख्यक प्रजा द्वारा राजाज्ञा के पालन का एक कारण यह बतलाया गया है कि राजा प्रजापति का प्रत्यक्षरूप है।^२ इस प्रकार आशिक रूप से राजाओं के देवत्व की कल्पना भी प्रारम्भ हो गयी थी। अथर्ववेद के एक उत्तर-कालीन सूक्त में (२० १२७७) राजा परीक्षित को स्पष्ट रूप से मर्त्यों का देवता कहा गया है।

आहूण युग तक राजा अपने वर्द्धमान प्रभाव के कारण अदब्द्य भी समझा जाने लगा था। राजसूय के एक कृत्य के अनुसार पुरोहित एक दड़ से बहुत कौमलता-पूर्वक राजा के पीठ का स्पर्श करता था। श्री काशी-प्रसाद जायसवाल के अनुसार इस प्रतीकात्मक अनुष्ठान द्वारा यह सूचित किया जाता था कि राजा न्याय या दड़ के ऊपर नहीं बल्कि उसके अधीन है।^३ किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५०.४४७) के अनुसार इसके द्वारा राजा का शरीर दड़-वध से परे हो जाता है।^४ यही आशय कात्यायन श्रोतसूत्र में भी प्रकट किया गया है।^५ इन दोनों उद्धरणों की आमाणिकता को दृष्टि से रखने पर यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि इस अनुष्ठान द्वारा पुरोहित न्याय के समक्ष राजा के अदब्द्य होने की ही घोषणा करता था।^६ राजा का यह न्याय-विषयक विशेषाधिकार उस वातावरण में असम्भव नहीं प्रतीत होता जिसमें वह ऋत के रक्षक वरुण की भाँति साकात् घर्मंपति

१ ऐत० ब्रा० ८ २

२ शत० ब्रा० ५ १ ५ १४, एष वै प्रजापतेः प्रत्यक्षतमो यद्राजन्य

३ हिन्दू पालिटी, पृ० २१७

४ शत० ब्रा० ५४४७, अर्थेन पृष्ठत तृष्णामेव दण्डैन्धन्ति दण्डवधमति-नयन्ति तस्मात् राजा दण्डयो यदेन दण्डवधमतिनयन्ति ।

५ का० श्रीत० सू० १५ ७ ६, पाप्मान ते पह्मनोति त्वा वधम् न यामिति वा ।

६ द्र० य० एन० वोपाल, हिस्टोरियोग्रैफी एस्ड अदर एसेज, पृ० २६६

-समझा जाने लगा था। इस कृत्य को पुरोहित के प्रभुत्व का द्वेषक मानना^१ अथवा आदिम परम्परा का अवशेष मानना^२ धनावश्यक कल्पनायें हैं।

इस बढ़ती हुई राजशक्ति का तत्कालीन सामाजिक-व्यवस्था पर प्रबल प्रभाव पड़ा। राजनीतिक प्रभुत्व के कारण क्षत्रियों के गौरव में वृद्धि हुई। ऐतरेय ब्राह्मण में विभिन्न बर्णों तथा राजा के सम्बन्ध का सकेत करते हुए राजा को ब्राह्मण को इच्छानुसार निष्कासित करनेवाला, वैश्य का भक्षक तथा शूद्र का यथाकाम वध करने वाला कहा गया है।^३ विचारणीय है कि इस प्रसग में राजा का प्रभाव क्षत्रिय वर्ण पर नहीं दिलालाया गया है क्योंकि वह स्वयं क्षत्रियों का ही प्रतिनिधि था। ऐसी स्थिति में उत्तर वैदिक साहित्य में क्षत्रियों की सामाजिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन सर्वथा स्वाभाविक है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि समाज में सबसे ऊँचा स्थान क्षत्रिय का है, ब्राह्मण का स्थान उसके नीचे है।^४ इसो प्रकार तीत्तिरीय ब्राह्मण में यह कहा गया है कि राजा जो चाहता है ब्राह्मण को वही करना पड़ता है।^५ क्षत्रियों की इस वर्धमान प्रभुता तथा समाजिक श्रेष्ठता का विरोध वैश्य और शूद्र तो नहीं कर सके किन्तु धर्म-प्राण प्रजा के पूज्य धर्माधिकारियों में इसकी प्रतिक्रिया अवश्य हुई। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की बढ़ती हुई शक्ति के प्रतिरोध का विशेष प्रयास तो नहीं किया क्योंकि शक्ति-शाली राजन्य ब्राह्मण और धर्म दोनों का गोप्या समझा जाता था^६ किन्तु उन्होंने क्षत्रियों के समक्ष अपनी श्रेष्ठता को सुरक्षित रखने का भरभूर प्रयत्न किया। राजसूय के प्रकरण में देवषुहर्विदी नामक अनुष्ठान के प्रसग में पुरोहित एकत्र लोगों से कहता था 'हे मनुष्यो, यह तुम्हारा राजा है। हम ब्राह्मणों का राजा सोम है।'^७ शतपथ ब्राह्मण में इसे स्पष्ट करते हुये कहा

१ वेवर, पूर्व निर्दिष्ट पुस्तक, पृ० २ पर उद्धृत

२ आर० एस० शर्मा एस्पेक्ट्स आव पोलिटिकल आइडियाज एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स, पृ० १२३

३ ऐत० ब्रा० ७ २६

४ तत्स्मात्क्षत्रात्पर नास्ति तस्माद् ब्राह्मण क्षत्रियमवस्तादुपासते, १०.४ १०

५ यदा वै राजा कामयते अथ ब्राह्मण जिज्ञाति । ३.६.१४

६ धोपाल—स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३३७

७ सोमोऽम्माक ब्राह्मणाना राजा ।

वाज० स० ६ ४० तै० स० १८, १०, तै० ब्रा० १ ७ ४, आदि

है कि ब्राह्मण को पार्थिव नरेश के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त करने का तात्पर्य यह है कि राजा को कर ब्राह्मणोत्तर लोगों से ही लेना चाहिये।^१ उत्तर-वैदिक युगीन ब्राह्मणों की यह मान्यताविरल नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (१३ ६ २. १८) में स्पष्ट कहा गया है कि राजा अपनी सम्पूर्ण भूमि पुरोहितों को दान में देता है तब उस दान के अन्तर्गत ब्राह्मण की सम्पत्ति नहीं आती। वशिष्ठ ने अपने धर्मशास्त्र (१ ४४) में सम्भवत इन्हीं वैदिक प्रसंगों के आधार पर यह नियम बना डाला कि राजा को ब्रह्मण व्यर कर नहीं लगाना चाहिए तथा गौतम धर्मसूत्र में कहा गया कि राजा का शासन ब्राह्मण वर्ग पर नहीं चल सकता।^२ शतपथ के निर्देश तथा उत्तर-वैदिक सामाजिक पृथक्षभूमि को देखते हुये यह नहीं स्वीकार किया जा सकता कि 'राजसूय के श्रवसर पर पुरोहित द्वारा कहे गये उपर्युक्तवाक्य में राजा को ही सौम (देवता) कहा गया है तथा इस कथन द्वारा राजा की ही श्रेष्ठता व्यक्त की गई है न कि ब्राह्मण की राजसत्ता से मुक्ति'।^३ इतना ही नहीं ब्राह्मण वर्ग ने अपनी सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को सुरक्षित रखने के लिये पर्याप्त मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। राजन्य राष्ट्र से प्रभु थे। उनके सम्पुर्ण विना उनकी सहमति के अपनी श्रेष्ठता को स्थिर रखना कठिन था। इसलिये राजा द्वारा ब्राह्मण के समक्ष अपनी हीनता का प्रदर्शन तथा ब्राह्मण की श्रेष्ठता का स्वीकरण ही राजा और राष्ट्र दोनों के अभ्युदय का कारण बतलाया गया। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जो राजा ब्राह्मण के प्रति नम्रहोता है वही शत्रु के लिये बलशाली सिद्ध होता है।^४ इसी आशय का एक मन्त्र ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि जो राजा पुरोहित का यथेष्ट सम्मान करता है वह शत्रुओं पर विजय तथा प्रजा से सम्मान प्राप्त करता है। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में भी राजा का ब्राह्मण के वशीभूत होना राष्ट्र के लिये समृद्धजनक एवं श्रेयस्कर कहा गया।^५ राज्याभियेक के श्रवसर पर राजा तीन

१. शत० ब्रा० ५ ४ २३,

२. राजावै सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जम् । १० ११

३. हीस्टरमैन—दी ऐन्शेयेन्ट इंडियन रायल कन्सिलेशन, पृ० ७७-७८
जायसदाल—‘हिन्दू राजतन्त्र, खण्ड २, पृ० ५०-५१

४. शत० ब्रा० ५ ४ ४ १५

५. ऐत० ब्रा० ८.६, तद्यत्र वै ब्राह्मण क्षत्र वशमेति तद्राष्ट्र समृद्ध तद्वीरवदाह ।

वार ब्राह्मण को नमस्कार करता था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जब तक वह ऐसा करता है, तभी तक उसकी समृद्धि होती है।^१ इस युग में ब्राह्मणों ने कुछ ऐसे भी नियम बनाये जिससे राजनीति में भी उनका प्रवेश अपरिहार्य हो गया। एक तरफ जहाँ उन्होंने अपनी सामाजिक प्रधानता तथा विशिष्ट स्थिति का प्रतिपादन किया वही अनिवार्य अनुग्रह द्वारा राजाओं को कृतज्ञ तथा नम्र बनाये रखने का व्यावहारिक प्रयास भी किया। तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह स्थापना मिलती है कि विना पुरोहित के देवता राजा की बलि स्वीकार नहीं करते।^२ शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त राजसूय के विवरण से भी स्पष्ट है कि राजा को अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिये समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग की आवश्यकता थी तथा देवताओं की कृपा भी अपेक्षित थी। पुरोहित जनमत को भी राजा के अनुकूल करता था और साथ ही यज्ञो द्वारा राजा को दैवी अनुग्रह का पात्र भी बनाता था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जिस राजा के राज्य का गोत्ता ब्राह्मण पुरोहित हो वही अपनी शक्तिसे विजय प्राप्त करता है तथा उसी को विश भी एकमत से स्वीकार करती है।^३ राजनीतिक जीवन में ब्राह्मणों की यह महत्त्व केवल सैद्धान्तिक नहीं थी। व्यावहारिक जीवन में भी अधिकाशत इसे 'स्वीकृत' किया गया था। शतपथ ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी ग्रन्थों में रत्नियों की सूची में पुरोहित का ही नाम प्रथम है। राजसूय के अवसर पर यज्ञिय तलबार को क्रमशः अनेक उपस्थित लोग धारण करते थे। शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार सर्वप्रथम अष्टव्युर् ही उसे ग्रहण करता था तथा तत्पश्चात् राजा को देता था। शतपथ ब्राह्मण (४.४.१५ १६) में इस कृत्य का अभिप्राय बताते हुये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति तलबार को अपने से निम्न स्तर वाले व्यक्ति को देता है। इन प्रभाणों से स्पष्ट है कि उत्तर-वैदिक युग में सामाजिक जीवन की मात्रि ही राजनीतिक जीवन में भी ब्राह्मण पुरोहित का पर्यात प्रभाव था^४ किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं

१ ऐत० ब्रा० द १, स (नुप०) यन्मो ब्रह्मणे इति त्रिस्कृत्वो ब्रह्मणे नमस्करोति ब्रह्मण एव तत्सत्र वशमेति तद्राष्ट्रं समृद्ध तदीरवदाह ।

२ तै० ब्रा० १७१

३ ऐत० ब्रा० द.२५, यस्येव विद्वान ब्राह्मणो राष्ट्रगोप पुरोहित तम्भं विश उजानत समुद्धा एकमनसो ।

४ देखिए घोपाल—स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३२२

है कि इस युग में राज्य के ऊपर धर्म का अधिवा राजा के समक्ष ब्राह्मण का प्रभाव एक पूर्णत मान्य स्थिति थी। यत्र-तत्र ब्राह्मण यन्थो में ही राजनीतिक महत्व के अवसरों पर पुरोहित का स्थान गौण तथा अन्य पदाधिकारियों का स्थान प्रमुख दिखाई देता है। शतपथ ब्राह्मण रत्नियों की सूची में पुरोहित के पहले सेनानी को स्थान देता है,^१ तथा पचांश ब्राह्मण में वीरों का उल्लेख करते हुये पुरोहित का नाम राज-भ्राता और राज-पुत्र के बाद रखा गया है। कृष्ण-मजुवेद में यज्ञिय तलबार के क्रमिक हस्तातरण के प्रसग में शुक्ल यजुवेद के विपरीत राजा का नाम प्रथम और पुरोहित से पूर्व है।^२ इससे स्पष्ट है कि वैदिक पुरोहित लेखकों के अनुसार भी राज्य पूर्णतया सम्प्रदाय अथवा धर्म द्वारा अनुशासित नहीं था।^३ दूसरे इस युग में ऐसे शासक भी अशात नहीं थे जिन्होंने ब्राह्मणों में विशद्ध आचरण किये। ब्राह्मणों की गाय छीननेवाले राजा के लिए जो भयकर शाप उच्चरित हुए हैं उनके लक्ष्य ऐसे ही राजे रहे होंगे^४ जो धर्मगुरुओं द्वारा राज्य में हस्तक्षेप का विरोध करते थे। ऐसी स्थिति में ही राज्य आर धर्म का सधर्ष हुआ होगा। निश्चय ही अपने विशेषाधिकारों का विरोध करनेवाले राजाओं को ब्राह्मणों ने अभिशाप दिया होगा तथा उनके पतन के लिए षड्यन्त्र भी किये होंगे। ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐसे अनेक उल्लेख हैं कि ब्राह्मणों के विरोध के कारण राजाओं को राज्य तथा सिंहासन से हाथ घोना पड़ा। राजा परीक्षित ने ब्राह्मणों के प्रति अनुचित व्यवहार किया जिसके कारण उन्हे राजगद्दी छोड़नी पड़ी। इसी प्रकार दस पीढ़ी से शासनारूढ सूखियों का राज्य नष्ट हो गया। महाभारत में भी ब्राह्मण विरोधी राजाओं के पतन को अनेक कथाये उपलब्ध हैं।^५

जैसा कि ऊपर भी सकेत किया जा चुका है, उत्तर वैदिक कालीन राजतंत्र से समिति जैसी लोकसंस्थाओं के लोप के कारण राजसंस्था पर ब्राह्मणकृत्य का अभाव था। कुछ विद्वानों ने राजसूय के प्रसग में उत्तिलिखित रत्नियों को समिति का निर्वाचित प्रतिनिधि सिद्ध करने का प्रयास किया-

^१ शत० ब्रा० ५ ३ १

^२ पच० ब्रा० १६ १४

^३ पौपाल—स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३०५

^४ अथवेद १२ ५, १३-१ १-२५

^५ द्र० प्राचीन भारतीय शासनपद्धति, पृ० ८३

है।^१ किन्तु जैसा कि हम आगे विचार करेंगे, रत्निन केवल राज्य-कर्मचारी थे। प्रमाणों को हृष्टि में रखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि शासन में महत्वपूर्ण स्थिति रखते हुये भी रत्निन लोग राज-राजशक्ति की मर्यादा शक्ति को मर्यादित करने में समर्थ थे। राजा की एवं राजा के कर्तव्य प्रभुता मर्यादित थी। सम्पूर्ण विश पर उसका प्रभाव था।^२ अपनी स्थिति का लाभ उठा कर कुछ राजे निरकृश और आततायी भी हो जाते थे। वैदिक साहित्य में ऐसे राजाओं की धोर निन्दा की गई है। अथर्ववेद (४.१६ १५) का कथन है कि अधार्मिक राजा के राज्य में वर्षा नहीं होती, और उसे समिति तथा मिश्र-बर्ग का भव्योग नहीं प्राप्त होता। शतपथ व्याख्यण में उन राजा के लिये 'राग्निय' शब्द का प्रयोग हुआ है जो निरकृशतापूर्वक राष्ट्र के साधनोंका प्रयोग एकमात्र अपने लिये करता है। वही पर यह कहा गया है कि जिस प्रकार यद को हरिण खा जाता है उसी प्रकार निरकृश और अत्याचारी राजा प्रजा को खा डालता है। साथ ही, जिस प्रकार शिकारी पुष्ट पशु का वध कर डालता है उसी प्रकार निरकृश राजा प्रजा को नहीं छोड़ता।^३ किन्तु सामान्यतर राजा देवी पुरातन नियमों तथा सामाजिक परम्पराओं के विवरण आचरण नहीं करता था।^४ विधिनियम साक्षात् देवदत्त भाने जाते थे और यह अनियाय समझा जाता था कि राजा उनका पालन करे। धर्म से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है अतः धर्म का पालन राजा का नित्य और आवश्यक कर्तव्य था।^५ इस धर्म के निष्पक्ष क्रहिये न कि राजा। आपाततः राजा की शक्ति अनियत्रित और अमर्यादित अवश्य थी किन्तु वास्तव में उसका शासन पूर्णतया समाज द्वारा निर्धारित नियमों एवं आदर्शों के प्रनुस्प होने के कारण पर्याप्त रूप से मर्यादित और लोकमतापेक्षी होता था। जनता के धर्मभीरु होने के कारण राजा समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं को नहीं तोड़ सकता था। सार के सर्वप्रथम राजा वर्णण को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी कि श्रुति स्मृतियों में जो धर्म कहा गया है, उसका पूरा पालन करेगा।

^१ हिन्दू राजतंत्र, भाग २, पृ० ३४

^२. अथर्ववेद ४ २२ ७

^३ शत० भा० १३ २ ३ ८

^४. घोपाल-स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड बल्चर, पृ० ३४६

^५ 'तदेत्क्षयस्य कथं यद्मन्तस्माद्मत्पर नास्ति,'—तृ० उप० १ ४ १४

और कभी मनमानी नहीं करूँगा।^१ सामाजिक नियम राजा को हच्छा से अधिक महत्वपूर्ण थे। राजा वरण की भाति धर्मपति समझा जाता था^२ इसका तात्पर्य है कि वरण की भाति ही राजा द्वारा 'श्रद्धा' की रक्षा की कामना की जाती थी। ऐसी स्थिति में भला राजा स्वयं धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन किस प्रकार कर सकता था। धर्म के विशद् प्राचरण करने वाले राजाओं के लिये पदभ्रष्ट होने का भय सदैव बना रहता था। इस बात के उदाहरण हम दे चुके हैं कि किस प्रकार धर्माधिकारियों के विरोध के कारण भनेक राजाओं एवं राजवशों को राज्य छ्युत होना पड़ा। शतपथ ब्राह्मण (५४३२१) में स्पष्ट कहा गया है कि राजा शक्तिशाली होते हुए भी पृथ्वी से भय खाता है कि कहीं पृथ्वी उसे पद-भ्रष्ट न कर दे। इसीलिये राजा पृथ्वी अर्थात् राष्ट्र के साथ मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करते हुये कहता था 'पृथ्वी तू मेरी माता है। न तू मेरी हत्या कर और न मैं तुम्हारी हत्या करूँ'।^३ इस प्रसाग में राज्यारोहण के समय राजा द्वारा की गई एक प्रतिज्ञा विशेष महत्वपूर्ण है। राजा शद्वासहित यह प्रतिज्ञा करता था कि 'जिस राजि मेरी पैदा हुआ हूँ तथा जिस राजि मेरी मरु गा, इन दोनों के बीच जितने भी यज्ञ व अनुष्ठान मिने किये हैं, उनसे तथा स्वर्ग लोक और अपनी सन्तान से वचित हो जाऊँ, यदि तुमसे द्वौह करूँ।'^४ वेवर महोदय ने तथा श्री घोषाल ने यह मत प्रतिपादित किया है कि इस प्रसाग में राजा जो प्रतिज्ञा करता था वह ब्राह्मण पुरोहित के प्रति होती थी।^५ उनके अनुसार इससे केवल ब्राह्मणों की उस अहमता का वोध होता है जिसके द्वारा वे राजा को अपने प्रति विनीत बनाने की कोशिश करते थे। किन्तु राजसूय के अवसर पर समाज के विविध वर्गों के लोग उपस्थित रहते थे। उन सबके प्रति राजा का उत्तरदायित्व था। राज्य उसे पुरोहित अकेला नहीं प्रदान करता था। ऐसी स्थिति में राजसूय जैसे सार्वजनिक महत्व के अवसर पर राजा द्वारा केवल पुरोहित के प्रति अपनी शद्वा और कर्तव्यपरायणता दिखाना सर्वथा अस्ताभाविक और विचित्र

१. महाभारत १२ ४६ ११६

२. शत० ब्रा० ५ ३-६ और ६

३. पृथिवि मातर्मा हिसीर्मा हृत्वाम् इति।—शत० ब्रा० ५ ४ ३ २०

४. ऐत० ब्रा० ८ ३ १५, या च राजिमजायेऽह या च प्रेतास्मि तदुभयमन्तरेण
इष्टापूर्तं मे लोक सुकृतमायु प्रजाँ वृजीया येदि ते द्वृहेयेयामिति।

५. वेवर, स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, यू० ३३० पर उद्घृत

लगता है। जायसवाल तथा रमेशचन्द्र मजुमदार का यह भत अधिक ऐतिहासिक और ग्राह्य प्रतीत होता है कि राजा पुरोहित के माध्यम से सम्पूर्ण जनता के प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठा के सूचनार्थ इस प्रतिज्ञा को दुहराता था।^१ प्राचीन ज्ञातियों में प्रजा के प्रति राजा की इस प्रकार की प्रतिज्ञा ग्रन्थ देशों में भी मिलती है। मैविसको लोगों में राजा सिंहासनारोहण के समय यह प्रतिज्ञा करता था कि उसके राज्य-काल में सूर्य में प्रकाश, बाल्लों में जल, नदियों में प्रवाह और धरती में उर्वरा शक्ति की प्रचुरता रहेगी।^२ इस प्रतिज्ञा में प्रजा और राष्ट्र दोनों के प्रति राजा की निष्ठा प्रकट होती है। नाथ ही इस बात का भी सकेत मिलता है कि राजा किस प्रकार अपने कर्तव्य के बन्धन में बधा होता था। कर्तव्यपरायणता स्वयं राजा की निरक्षणता को मर्यादित करने में काफी हद तक समर्थ थी। राजा की कर्तव्यनिष्ठा के कारण ही अथर्ववेद में उसे राष्ट्र-भूत्य माना गया है।^३ एक प्राचीन घर्मसूत्र लेखक के अनुसार राजा वास्तव में प्रजा का सेवक है और प्रजा की आय का छठा भाग उसे वेतन के रूप में दिया जाता है।^४

जब हम राजा के प्रमुख कर्तव्यों एवं उन्नरदायित्वों पर विचार करते हैं तो स्वभावत राज्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में भी वैदिक दृष्टिकोण का अनुमान इस प्रसरण में होता है। राजा का प्रमुख

राजा के कर्तव्य

कर्तव्य युद्ध काल में शत्रुओं से रक्षा और शान्तिकाल में प्रजापालन था।^५ स्वहित चितन की प्रधानता के कारण पुरोहितों ने खासतौर पर राजा को 'व्राह्मणों का गोपा' ही रहा। घर्मसूत्रकारों ने राजा के सुरक्षा कार्य को विशेष महत्व प्रदान करते हुये कहा है कि राजा का कर्तव्य प्रजा का संरक्षण है जिसके लिये उसे प्रजा की आय का छठा भाग वेतन के रूप में मिलता है।^६ किन्तु राजा का कार्य क्षेत्र यहीं तक सीमित नहीं था। राजा वर्षण की माति धूत-व्रत,

१ जायसवाल—हिन्दू राजतत्र, भाग २,
मजुमदार—ऐन्शेयेन्ट इण्डिया, पृ० ७६

२ फेजर—गोल्डेन वाऊ, पृ० ८७

३ अथर्व० १६ ३७ ३

४. बौ० घर्म० सू० १ १०.

५. क० ३ ४३ ५ गोपा जनस्य

६. वीथायन १.१०.६

नियम और व्यवस्था का सरकार, साधुओं का अंतिपालक और दुष्टों को दड़-देने वाला समझा जाता था ।^१ धर्म का सम्बर्धन, सदाचार को प्रोत्साहन तथा ज्ञान का सरकार प्रत्येक राज्य के लिये गौरव का विषय था ।^२ राज्य और राजा की स्थिति का उद्देश्य प्रजा का सवागीण विकास ही समझा जाता था । अथवेद (१६.५ १-२) का कथन इस बात की पुष्टि करता है । इन मत्रों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इस योग्य पुरुष को छुनने से हमारी विजय होगी, हमारी उन्नति होगी, हमारा आरोग्य बढ़ेगा, हमारा तेज, हमारा ज्ञान और हमारा आत्मिक बल बढ़ेगा, हमारा यज्ञ सफल होगा, हमारे पश्चु पुष्ट होंगे, हमारी सन्तति ठीक होगी और शूर-बीर पुरुष हमारे पास रहेंगे । राजा का वरण की भाँति धर्मपति होना राजा के न्याय सम्बन्धी अधिकारों का भी सकेत करता है । न्याय-कार्य से वरण का सम्बन्ध ऋग्वेद तथा अथवेद में उल्लिखित उनके गुप्तचरों (स्पश) से प्रकट होता है । वरण के गुणों एवं विशेषणों का राजा पर आरोप इस बात की पुष्टि करता है कि उत्तरवैदिक युग तक राजा का न्याय सम्बन्धी अधिकार भी पर्याप्त विस्तृत हो चुका था ।^३ वैदिक शासक प्रजा की भौतिक उन्नति के प्रति भी सजग और सचेष्ट रहता था । राजसूय के अवसर पर जब प्रथम बार राजा सिंहासन पर बैठता था तब पुरोहित उससे कहता था कि कृषि कर्म के लिए, कल्याण के लिए, समृद्धि के लिये और पोषण के लिये यह राज्य तुम्हें दिया जाता है ।^४ इससे स्पष्ट है कि प्रजा की समृद्धि और सुख में सम्बर्धन राजा का प्रमुख कर्त्तव्य था । इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण (५ २ १ २५) के अनुसार राजा के सिंहासनारोहण का प्रमुख उद्देश्य जनकल्याण ही है । इस प्रसंग में हमें जनकल्याणकारी राज्य को जन्म देनेवाली धारणाओं का बीज दिखाई देता है । अथवेद (२० १ १७ ६ १०) में परीक्षित के सफल शासन में प्रजा के सुख-समृद्धि का उल्लेख है । इसी अथ (३ ४ ४) में यह भाशा प्रकट की गई है कि राजा वैभव की वृद्धि करेगा तथा प्रजा में समान रूप से उसका

१ शत० न्न० ५ ३ ३०६ और ६

२. छान्दोग्य ५ ११-५, न मे स्तेनो जनपदे न कदयो न मदयो
नानाहिताग्निर्वा विदान्न स्वैरी स्वैरिणी कुत ।

३ घोपाल—स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३१८-१६
काठक स० २८.४, तस्माद्राजन्येनाचक्षेण वैश्यं छन्नित ।

४ शत० न्न० ५ २ १ २५ कृष्ण त्वाक्षेमाय त्वा र यै त्वा पोवायत्वा ।

लगता है। जायसवाल तथा रमेशचन्द्र मजुमदार का यह मत अधिक ऐतिहासिक और ग्राह्य प्रतीत होता है कि राजा पुरोहित के माध्यम से सम्पूर्ण जनता के प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठा के सूचनार्थ इस प्रतिज्ञा को दुहराता था।^१ प्राचीन जातियों में प्रजा के प्रति राजा की इम प्रकार की प्रतिज्ञा ग्रन्थ देशों में भी मिलती है। भैविसको लोगों में राजा सिहासनारोहण के मध्य यह प्रतिज्ञा करता था कि उसके राज्य-काल में सूर्य में प्रकाश, वादलों पर जल, नदियों में प्रवाह और घरती में उर्वरा शक्ति की प्रचुरता रहेगी।^२ इस प्रतिज्ञा में प्रजा और राष्ट्र दोनों के प्रति राजा की निष्ठा प्रकट होती है। नाथ ही इस बात का भी सकेत मिलता है कि राजा किस प्रकार अपने कर्तव्य के बन्धन में बधा होता था। कर्तव्यपरायणता स्वयं राजा की निरकुशता को मर्यादित करने में काफी हद तक समर्थ थी। राजा की कर्तव्यनिष्ठा के कारण ही अथर्ववेद में उसे राष्ट्र-भूत्य माना गया है।^३ एक प्राचीन धर्मसूत्र लेखक के अनुसार राजा वास्तव में प्रजा का सेवक है और प्रजा की आय का छठा भाग उसे वेतन के रूप में दिया जाता है।^४

जब हम राजा के प्रमुख कर्तव्यों एव उन्नरदायित्वों पर विचार करते हैं तो स्वभावत राज्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में भी वैदिक दृष्टिकोण का अनुमान इस प्रस्तग में होता है। राजा का प्रमुख राजा के कर्तव्य कर्तव्य युद्ध काल में शत्रुओं से रक्षा और शान्ति-काल में प्रजापालन था।^५ स्वहित चितन की प्रधानता के कारण पुरोहितों ने खासतौर पर राजा को 'ब्राह्मणों का गोप्ता' ही रहा। धर्मसूत्रकारों ने राजा के सुरक्षा कार्य को विशेष महत्व प्रदान करते हुये कहा है कि राजा का कर्तव्य प्रजा का संरक्षण है जिसके लिये उसे राजा की आय का छठा भाग वेतन के रूप में मिलता है।^६ किन्तु राजा का कार्य क्षेत्र यही तक सीमित नहीं था। राजा वरण की भाँति घृत-व्रत,

१ जायसवाल—हिन्दू राजतत्र, भाग २,
मजुमदार—ऐन्शेन्ट इण्डिया, पृ० ७६

२ फेजर—गोल्डेन बाऊ, पृ० ८७

३ अथर्वा० १६ ३७ ३

४. वी० धर्म० सू० १.१०.

५. ऋ० ३ ४३ ५ गोपा जनस्य

६. वीघायन १.१० ६

नियम और व्यवस्था का सरकाक, साधुओं का प्रतिपालक और दुष्टों को दृढ़-देने वाला समझा जाता था ।^१ धर्म का सम्बर्धन, सदाचार को प्रोत्साहन तथा ज्ञान का सरकाण प्रत्येक राज्य के लिये गौरव का विषय था ।^२ राज्य और राजा की स्थिति का उद्देश्य प्रजा का सवागीण विकास ही समझा जाता था । अथर्ववेद (१६.८ १-२) का कथन इस बात की पुष्टि करता है । इन मत्रों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इस योग्य पुरुष को चुनने से हमारी विजय होगी, हमारी उन्नति होगी, हमारा आरोग्य बढ़ेगा, हमारा सेज, हमारा ज्ञान और हमारा आत्मिक बल बढ़ेगा, हमारा यज्ञ सफल होगा, हमारे पशु पृष्ठ होंगे, हमारी सन्तति ठीक होगी और शूर-बीर पुरुष हमारे पास रहेंगे । राजा का वरण की भाँति धर्मपति होना राजा के न्याय सम्बन्धी अधिकारों का भी सकेत करता है । न्याय-कार्य से वरण का सम्बन्ध कठग्वेद तथा अथर्ववेद में उल्लिखित उनके गुप्तचरो (स्पश) से प्रकट होता है । वरण के गुणों एवं विशेषणों का राजा पर आरोप इस बात की पुष्टि करता है कि उत्तरवैदिक युग तक राजा का न्याय सम्बन्धी अधिकार भी पर्याप्त विस्तृत हो चुका था ।^३ वैदिक शासक प्रजा की भौतिक उन्नति के प्रति भी सजग और सचेष्ट रहता था । राजसूय के अवसर पर जब प्रथम छार राजा सिंहासन पर बैठता था तब पुरोहित उसेसे कहता था कि कृषि कर्म के लिए, कल्पाण के लिए, समृद्धि के लिये और पोषण के लिये यह राज्य लुम्हे दिया जाता है ।^४ इससे स्पष्ट है कि प्रजा की समृद्धि और सुख में सम्बर्धन राजा का प्रमुख कर्त्तव्य था । इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण (५ २ १ २५) के अनुसार राजा के सिंहासनारोहण का प्रमुख उद्देश्य जनकल्याण ही है । इस प्रसंग मे हमें जनकल्याणकारी राज्य की जन्म देनेवाली धारणाओं का बोज दिखाई देता है । अथर्ववेद (२० ११७ ६ १०) में परीक्षित के सफल शासन में प्रजा के सुख-समृद्धि का उल्लेख है । इसी ग्रंथ (३ ४ ४) में यह आशा प्रकट की गई है कि राजा वैभव की वृद्धि करेगा तथा प्रजा में समान रूप से उसका

१ शत० द्वा० ५ ३ ३०६ और ६

२. धान्दीय ५ ११-५, न मे स्तेनो जनपदे न कदयो न मदयो

नानाहिताग्निर्वा विदान्न स्वैरी स्वैरिणी कृत ।

३ घोपाल—स्टडीज इन इण्डियन हस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३१८-१९
काठक स० २८.४, तस्माद्वाजन्येनाव्यक्षेण वैश्य जनन्ति ।

४ शत० द्वा० ५ २ १ २५ कृष्ण त्वाक्षेमाय त्वा र व्यै त्वा पोषायत्वा ।

वितरण करेगा। सौभाग्य से उत्तर-वैदिक युग धर्मपरायण, विद्वान् परं दार्शनिक राजाओं का युग था जिनकी कर्त्तव्यनिष्ठा एवं जनकल्याण की मावना में सन्देह नहीं किया जा सकता।

धर्मप्रवान होने के कारण वैदिक बाड़मय से राज्यों की तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त होता।

राज्यों के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में राजकीय राजकीय आय पूर्वक जो बलि राजा को उपहारस्वरूप देते थे वही

उसे कर के रूप में प्राप्त होता था।^१ ऐसी स्थिति में राजा को अपने कर्मचारियों तथा अनुयायियों का भरण-पोपण अपनी ही भूमि, चरागाहों और गोधन से प्राप्त होने वाली आय से करना पड़ता था। युद्ध में पराजित शत्रुओं की सम्पत्ति अवश्य कभी कभी राजा की आय से बृद्धि का कारण बनती थी। राज्य-ध्रष्टु राजा के पुनः राज्य प्राप्ति के समय प्रार्थना की जाती थी कि इन्द्र उसे प्रजा से बलि प्राप्त करने में सहायता दें^२ तथा उसे प्रजा में प्रचुर उपहार और बलि प्राप्त हो।^३ किन्तु नाहारण साहित्य में राजा द्वारा प्रजा से कर लेने के अधिकार को पूर्ण मान्यता प्रदान की गई। इस युग तक ऐच्छिक बलि का स्थान नियमित भाग ने ले लिया। राज्य के द्वारा नियुक्त भाग छुक नामक अधिकारी राजकीय कर की बसूली करता था। राज्याभियेक के प्रसंग में राजा को 'विशामत्ता'^४ कहा गया है इससे भी यह सिद्ध होता है कि राजा नियमित रूप से प्रजा से कर लेने लगा था। इस युग में कर का अधिकांश बोझ वैश्यों पर ही था। अनेक स्थलों पर उनका वर्णन विशेष रूप से करदाताओं के रूप में हुआ है।^५ उत्तर-वैदिक युग में पुरोहित वर्ग राजकर से मुक्ति की दावा करने लगा था। सम्भव है राज्य ने भी पुरोहितों के प्रभाव के कारण इसे स्वीकार किया हो। क्षमिय स्वयं शासक वर्ग के थे। शूद्रों के पास विशेष सम्पत्ति नहीं थी। ऐसी स्थिति में वैश्यों पर ही कर का विशेष भार होना सर्वथा स्वाभाविक था।

१. डॉ एस्टेकट्स आफ पोलिटिकल आइडियाज एण्ड इन्स्टीट्यूसन्स,
पृ० १०६

२. अथ ते इन्द्रः केवली प्रजा बलितहृतस्करत । कृ० १०. १७६ ६

३. अथर्ववेद ३ ४ ३

४. 'धन्यस्य बलिकृति,' ऐत० ब्रा० ७ २६, शत० ब्रा० १२ २ ६, १४

हापकिन्स ने 'विशामत्ता' शब्द के आधार पर यह मत प्रतिपादित किया है कि वैदिक काल में कर बहुत कठोर थे। किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों में अत्ता शब्द का प्रयोग भीतका शब्द के ही अर्थ में हुआ है। यथा एक स्थान पर पति को अत्ता और पत्नी को आद्य कहा गया है।^१ वैदिक इण्डेक्स के अनुसार इम उक्ति का सूत्र उस पुरानी प्रथा में है जिसमें राजा और उसके कर्मचारियों का पोषण प्रजा के उपहारों से चलता था जिसके अनेक उदाहरण अन्य देशों के इतिहास में भी पाये जाते हैं।^२ सम्भव है कि राज्यामिषेक के अवसर पर राजा की महत्ता के सूचनार्थ विशामत्ता शब्द का लाक्षणिक प्रयोग हुआ हो। फिर मी इतना अवश्य है कि कर का भार मुख्यतः वैश्यों पर था। कुछ अत्याचारी राजा ऐसे भी रहे होंगे जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके जनता का शोषण करते हों। यह बात शतपथ ब्राह्मण (१३ २ ३ द) से स्पष्ट है। इस प्रसंग में यह कहा गया है कि जिस प्रकार शिकारी पृष्ठ पशु का वघ (कर देता है उसी प्रकार निरंकुश राजा-प्रजा को नहीं छोड़ता। किन्तु निश्चय ही यह सामान्य स्थिति का उल्लेख नहीं है।

इस युग में भागधुक और समाहर्ता नाम के कर्मचारी सम्भवतः कर विभाग से ही सम्बन्धित थे। सम्भवतः भागधुक (राजा का भाग वसूलने वाला) का काम अन्य एवं अन्य उत्पादित सामग्रियों में से राजा का राज-कीय भाग एकत्र करना था, तथा दूसरे का नाम इन्हें भरण्डारो और कोषों में सुरक्षित करना था।^३ राज्य की आय के प्रमुख स्रोत कृषि और पशु पालन थे। कृषक राजा को फसल का एक भाग दिया करते थे जिसका परिमाण वैदिक साहित्य में नहीं बतालाया गया है। सम्भव है घर्मसूत्र काल की भाति ही इस काल में भी राजा उत्पादित वस्तु के छठे भाग का अधिकारी रहा हो। उस युग में पशु-घन का विशेष महत्व था। पशुपालक लोग कर में गाय, बैल और घोड़े दिया करते थे।^४ राज्य इन सबके एक निश्चित अंश का ही अधिकारी था। वैदिक काल में वाणिज्य और व्यवसाय अभी विकास की प्रारम्भिक स्थिति में थे इपलिये इस स्रोत से विशेष आय बहुत अधिक नहीं रही होगी।

^१ शत० ब्रा० १ २ ३ ६

^२ वैदिक इण्डेक्स २, ६२

^३ इस विषय पर आगे रत्नियों के प्रसंग में विचार किया गया है।

^४ ग्रथवेद ४ २२ २ एम भज ग्रामे अश्वेषु गोषु।

उत्तर-वैदिक युग तक शासन में राजा की सहायता के हेतु राजपरिषद का विकास सम्भवत हो चुका था। इस परियद के सदस्यों का स्वरूप अनुवर्ती युगों के मन्त्रियों तथा उच्चाधिकारियों के राजकर्मचारी समान रहा होगा। अथर्ववेद के एक मन्त्र में यम के सभासदों के राजसी पद का उल्लेख है जिन्हें यम को प्राप्त होने वाले यज्ञ के १६ वें भाग का अधिकारी कहा गया है।^१ इससे प्रतीत होता है कि मृत्युलोक के राजा के भी सभासद होते थे, जिन्हे राजकीय आय का एक निश्चित भाग प्राप्त होता था। सम्भव है इन सभासदों के माध्यम से ही मन्त्रिमण्डल और राजकर्मचारियों का मकेत हो। इससे अधिक स्थृत यजुर्वेद की सहिताओं एवं ब्राह्मणों में रत्नियों का मिलता है, जो राज-परिषद के सदस्य प्रतीत होते हैं। शासन के सचालन में इनका महत्वपूर्ण योग रत्नी-सूची के अन्तर्गत परिगणित नामों से ही स्पष्ट है। राजसूय के अवसर पर राजा स्वयं रत्न-हवि के माध्यम द्वारा विभिन्न रत्नियों के प्रतिश्रृणनी अद्वा प्रकट करता था।^२ यद्यपि घोपाल महोदय ने यहु आक्षेप किया है कि ये हविया रत्नियों को न देकर निश्चित देवताओं को दी जाती थीं^३ किन्तु इससे रत्नियों का महत्व नहीं घटता क्योंकि इस विशिष्ट कार्य के लिये रत्नियों के ही घर पर उपस्थित होना पड़ता था। इसके अतिरिक्त मौत्रायणी संहिता में रत्नियों की राजशक्ति का अनिवार्य अग कहा गया है जिनकी तेजस्विता से सम्पूर्ण राष्ट्र तेजस्वी होता है।^४ तैत्तिरीय ब्राह्मण (१.७.३.१) में रत्नियों को राष्ट्र को प्रदान करने वाला और धारण करने वाला कहा गया है।^५ राजसूय के अवसर पर राजा-प्रत्येक रत्नी से यह कहता था कि वह निश्चित रूप से राजा का एक रत्न है तथा उसी के लिये राजा का अभियेक होता है।^६ राजसूय के इस कृत्य का

१. अथर्ववेद ३ २९.१, यद्राजानो विभजन्त इष्टापूर्तस्य पोडशं यमस्यामी सभासद ।

२. हिन्दू राजतत्र, भाग २, पृ० २६

३. स्टडीज़ इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३०४

४. म० स.८.३.४

५. तै० ब्रा० १.७.३.१,

६. शत० ब्रा० ५.३.१ १-१२

लक्ष्य राजा के लिये जनता के इन महत्वपूर्ण उपक्रियों की स्वामिभक्ति (उपजीव्यता) प्राप्त करना बतलाया गया है।^१

दुर्भाग्यवश इन रत्नियों की सख्त्या की जो सूची विभिन्न ग्रन्थों से प्राप्त होती है उसमें कुछ अन्तर है। इन विभिन्न सहिताओं और ब्राह्मणों में मिलने वाली सख्त्या की सूची घोपाल तथा शर्मा महोदय ने अपने ग्रन्थों में उद्धृत की है। जायमवाल ने केवल भ्यारह रत्नियों की गणना की है।^२ तैत्तिरीय सहिता में रत्नियों की सख्त्या भ्यारह अवश्य बतलाई गई है किन्तु मैत्रायणी सहिता में चौदह, काठक-सहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में बारह रत्नियों का उल्लेख है।^३ विचित्र बात तो यह है कि 'द्वादश-मडल' की परम्परा अन्य भारोपीय जातियों में भी पाई जाती है।^४ कुछ भारोपीय देवताओं के भी द्वादश मडल का उल्लेख मिलता है।^५ इसके आधार पर चाढ़िक महोदय ने 'द्वादश मण्डल' को आर्य जाति की एक अत्यन्त प्राचीन पस्त्या माना है जिसकी परम्परा आयों के विविव शाखाओं में विवर जाने के बाद भी जीवित रही।^६ असम्भव नहीं है कि धैदिक राज्य में रत्नी मण्डल की १२ अवयवा ११ की सख्त्या इस प्राचीन परम्परा से परम्परागत और परोक्ष रूप से प्रभावित होने के कारण ही हो। साधारणतया यह कहा जा "सकता है कि रत्नियों की सूची में राजा के सम्बन्धी, मन्त्री, विभागों के अध्यक्ष एवं अन्य राजकर्मचारी सम्मिलित थे। रत्नी-सूची के तक्षण और रथकार का नाम केवल मैत्रायणी सहिता में ही मिलता है। सम्भवतः इन्हीं दो नामों के कारण मैत्रायणी सहिता की सूची भी अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा कुछ अमान्य हो गई है। प्रारम्भ में ये दोनों व्यवसाय बहुत ही महत्वपूर्ण अतएव आदरणीय समझे जाते थे। आदिप समाज में कारोगरों की सामाजिक स्थिति आर्य सर्वत्र उच्च थी।^७ अथर्ववेद में उन्हें राजा का सहायक बनने के लिए

१ मै० स० ४ ३ द, इमामेलीन प्रजाम्य उपजीवनीय करोति ।

२ हिन्दू पालिटी, पृ० २००

३ मै० स० ११ ६ ५, का० स० १५ ४, तै० ब्रा० १७ ३

४ चादविक—हिरोइक एज, पृ० ३७०

५ वही

६ चादविक, हिरोइक एज, पृ० ३७०

७ अनेकजेण्डर गोल्डेनवेजर, एन्थ्रोपोलोजी, पृ० ३८६

प्रार्थना की गई है।^१ उत्तर-बोद्धिक साहित्य में कालक्रम की दृष्टि से मैत्रायणी सहिता की प्राचीनता भी स्वीकृत है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रारभ में तक्षन और रथकार अपनी व्यावसायिक विशिष्टता के कारण रत्नी वर्ग के सदस्य थे किन्तु बाद में जैसे-जैसे व्यावसायिक जीवन में अनार्यों के प्रवेश के कारण उच्चोग्धधी के प्रति हीन भाव उत्पन्न होता गया वैसे ही रथकार और तक्षन जैसे व्यवसायियों का सामाजिक और राजनीतिक महत्व भी घटता गया। धर्मसूत्रों में रथकार को वर्णसंकर (Mixed caste) कहा गया है तथा बोद्ध साहित्य में उनके व्यवसाय को 'हीन शिष्पम्' के अन्तर्गत परिगणित किया गया है। दूसरे, बाद के अन्य ग्रन्थों में प्राप्त सूचियों में केवल उन्हीं लोगों को स्थान दिया गया है जो शासन की हृषि से विशेष महत्वपूर्ण थे। इन्हीं कारणों से मैत्रायणी सहिता को छोड़ कर अन्य चार ग्रन्थों में तक्षन और रथकार का समावेश रत्नी सूची के अन्तर्गत नहीं किया गया है।

ब्राह्मण अथवा पुरोहित शतपथ ब्राह्मण को छोड़ कर अन्य सभी ग्रन्थों से प्राप्त रत्नी सूची में अपना प्रथम स्थान रखता है। इससे शासन-तत्र में उसका प्रबल प्रभाव प्रकट होता है। पुरोहित राजा का परामर्शदाता था तथा साय ही वह यज्ञों और अनुष्ठानों द्वारा राजा को दैवी कृपा का पात्र बनाता था। ऐतरेय ब्राह्मण (८ २४-२८) में उसे राष्ट्रगोप कहा गया है जिससे उसके राजनीतिक महत्व का बोध होता है। रत्नी-सूची के ब्राह्मण अथवा पुरोहित को ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधि मानना^२ एक पूर्वाग्रह जन्म बल्पना है। वस्तुत राजनीतिक जीवन में पुरोहित का अस्तित्व एव महत्व शासन कार्य में धार्मिक एव बौद्धिक सहयोग के कारण था न कि किसी सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधि होने के कारण। इसी प्रकार यह मत भी नहीं स्वीकार किया जा सकता कि ब्राह्मण वर्ग अनार्य पुरोहितों का था^३। जिन्हे राजनीतिक जीवन में प्रधानता और श्रेष्ठता प्रदान करके नवागन्तुक विजेताओं ने बहुत बड़ी सहनशीलता का परिचय दिया।^४ जैसा कि हमने पहले ही स्वीकार किया है, समानधर्मी होने से ब्राह्मण वर्ण में अनार्य पुरोहितों का

१ अथर्ववेद ३.५६

२. हिन्दू पालिटी, पृ० २०४

३ पार्जिटर—ऐन्वायेन्ट इण्डियन हिस्टोरिकल ट्रैडिशन, पृ० ३०६

कोशाम्बी-एन हण्ट्रोडक्षन द्वाद्वी स्टडी आफ इण्डियन हिस्ट्री, पृ० ६७-६८

४ एस्पेक्ट्स आव पालिटिकल आइडियाज एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स, पृ० १०५

प्रवेश असम्भाव्य नहीं है, किन्तु ब्राह्मणों को सामान्यतया अनायं पुरोहितों का वर्ग मानना अतिशयोक्ति की पराकाष्ठा होगी। वैदिक आर्यों के हृदय में स्थानीय अनार्यों के प्रति सहिष्णुता और सहनशीलता का भाव नाम मात्र को ही था। यह बात शूद्रों के प्रति वैदिक समाज के दृष्टिकोण से स्पष्ट है।^१ शूद्रों के अन्दर अनायंत्र की प्रधानता सर्वथा अप्रत्याख्येय है।^२ रत्नी सूची के पुरोहित के विषय में एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि शतपथ ब्राह्मण में उसका स्थान सेनानी के पश्चात् है तथा पचांश ब्राह्मण के बीरों की सूची में उसका नाम राजभ्राता और राजपुत्र के पश्चात् है।^३ इससे प्रकट होता है कि उत्तर वैदिक युग में ही काल क्रम से शासन-तत्र में पुरोहितों और धर्माधिकारियों का प्रभाव घट रहा था।

तैत्तिरीय सहिता, मैत्रायणी सहिता, काठक सहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में 'राजन्य' को दूसरा स्थान दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में उसे सेनानी और पुरोहित के पश्चात् रखा गया है। काठक सहिता में राजन्य के स्थान पर राजा और शतपथ ब्राह्मण में यजमान का उल्लेख है। इससे यह प्रतीत होता है कि तीसरा रत्नी जिसे राजन्य भी कहा गया है राजा स्वयं होता था। राजा के यहा इन्द्र देवता को हवि दी जाती थी। इन्द्र की उत्तर-वैदिक सहित्य में देवताओं का राजा स्वीकार किया गया है।^४ इस बात को स्वीकार करने के लिये प्रभाणों का अभाव है कि राजन्य क्षणिय वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था।

शतपथ ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रन्थों की सूची में महिषी का नाम तीसरा है। महिषी शब्द, जिसका तात्पर्य राजा की प्रधान रानी से है, राजाश्री की बहुपत्नीकता की पुष्टि करता है। इससे यह भी प्रकट होता है कि वैदिक काल में रानी की हैसियत राजा की पत्नी की ही नहीं थी। वल्कि शासन-व्यवस्था में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान था।^५ जायसवाल

१ ऐत० ब्रा० ७ २६, यथाकाम वध्य ।

२ वैदिक इण्डेक्स, बाल्यूम २, पृ० ३८८-८९, कैम्ब्रिज हिस्ट्री, ब्रा० १, पृ० ८६, १२८-९

३ शत० ब्रा० ५ ३ १ पचांश ब्रा० १६, १ ४

४. अथर्व० ४ ६० ११, ६० ६८ १, तै० स० २ २० ११ ६, तै० ब्रा० २ २ १०

५ धोपाल—स्टडीज़ इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, पृ० ३०६

महोदय महिपी के इस महत्व का कारण राजा द्वारा वार्षिक भनुष्ठानों के सम्पादन में पत्नी के सहयोगको आवश्यकता को मानते हैं।^१ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ही अपलीक व्यक्ति-यज्ञ-कर्म का अधिकारी नहीं होता।^२ ऐसी स्थिति में राजसूय के अवसर पर पत्नी की उपस्थिति निवचय ही अत्यन्त महत्वपूर्ण रही होगी। किन्तु रत्नी-सूची में महिपी की महत्वपूर्ण स्थिति उसके शामन-सम्बन्धी उत्तरदायित्वों की ओर भी सकेत करती है, क्योंकि रत्नी सूची के सभी सदस्य प्राय राजनीतिक एवं प्रशासकीय महत्व के व्यक्ति हैं। महिपी के यहा, माता की भाति भरण-पोषण करने वाली अदिति को हवि प्रदान की जाती थी^३ जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महिपी की स्थिति सर्वसाधारण के लिये राजमाता की थी जो न केवल पारिवारिक जीवन में राजा की पत्नी होती थी बल्कि राष्ट्रीय जीवन में राजा के साथ प्रजा पालन के गुण्ठतर उत्तरदायित्व का वहन करती थी। महिपी के अतिरिक्त रत्नी-नूबी में वावाता और परिवृत्ति का उल्लेख उत्तर-वैदिक राजनीतिक जीवन में मातृनक्षत्रम् क परम्पराओंके अवशिष्ट प्रभाव का मंदेत करता है।^४ वावाता के नाम का उल्लेख केवल तैत्तिरीय ब्राह्मण में दुष्टा है किन्तु परिवृत्ति का नाम शतपथ को छोड़ कर शैय चारों ग्रन्थों में हुआ है। तीन ग्रन्थ परिवृत्ति को चौथा स्थान देते हैं। केवल तैत्तिरीय ब्राह्मण में वावाता में समावेश के कारण उसे पाचवा स्थान मिला है। राजा की इन दोनों पत्नियों के राजनीतिक महत्व का कारण प्राय अज्ञात है। सम्भव है कि इन राजपत्नियों को सम्मानित करने के लिये तथा इन्हें विरोध का अवसर न प्रदान करने के लिये ही रत्नी-वर्ग का सदस्य माना गया हो।^५ कुछ भी हो, महिपी, वावाता और परिवृत्ति का रत्नी-वर्ग का सदस्य होना इस बात का प्रबल प्रमाण है कि उत्तर-वैदिक समाज में स्थिरी की दशा इतनी उच्च थी कि राजनीतिक कार्यों में भी सहयोग करती थीं। सम्भव है कि सामान्य स्थिरा राजनीतिक जीवन से भ्रात्यग रही हों जैसा कि मैत्रायणी

१. हिन्दू पालिटी, पृ० २०१

२. शत० ब्रा० ५ १०. ६, १०,

३. शत० ब्रा० ५. ३ १. ४

४. रामग्रन्थ शर्मा—पूर्व निर्दिष्ट पुस्तक, पृ० १०६

५. वही, पृ० १०६

सहिता में स्त्रियों के सभा गमन के विरोध से प्रकट होता है।^१ किन्तु इसके विपरीत पचांश ब्राह्मण में वीरों की सूची में महिषी की गणना तथा राजपत्नियों की रत्नी-मण्डल की सदस्यता इस बात को प्रमाणित करती है कि स्त्रिया नियमत राजनीतिक जीवन से पृथक् नहीं थी।

तैत्तिरीय सहिता, मीत्रायणी सहिता, और काठक सहिता के अनुसार सेनानी का स्थान रत्नियों में पाचवा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसे छठवा और शतपथ ब्राह्मण में प्रथम स्थान दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजाओं की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति के विकास के कारण ब्राह्मण युग के अन्त तक सेनानी का पद काफी महत्वपूर्ण हो गया था। अधिकाश ग्रंथों में इसके पाचवें स्थान के कारण तथा पचांश ब्राह्मण के वीरों दी सूची में इसके अनुलेख के आधार पर यह नियंत्रण निकाला गया है कि शासन विभाग की तुलना में सेना विभाग का महत्व कम था।^२ सायण का यह मत कि सेनानी शूद्र होता था, पूणत कल्पना प्रसूत प्रतीत होता है क्योंकि सेनानी के घर पर पवित्र वैदिक देवता अग्नि को हवि प्रदान किया जाता था। सेनानी अग्नि देवता का पार्थिव प्रतिनिधि प्रतीत होता है। वैदिक साहित्य में अग्नि का उल्लेख सेना के अवशेषों नेता के रूप में भी हुआ है।^३ सेनानी का कार्य भी युद्धों में सेना का नेतृत्व करना ही था।

उपर्युक्त पांच रत्नियों के अतिरिक्त सूत, ग्रामणी, क्षत्रु सग्रहीतृ, भागधृक्, और अक्षांशुप का नाम सभी सूचियों में मिलता है। विभिन्न ग्रंथों में इनकी गणना के सम्बन्ध में क्रम-भेद अवश्य है। ये पांचों शासन-कार्य में सहायता देने वाले राजकर्मचारी थे। सूत के वास्तविक कार्य के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है। अल्टेकर महोदय के अनुसार वह रथसेना का प्रधान था जो सम्मान के लिये राजा को सारथी का पद वहन करता था।^४ घोपाल महोदय ने उसे बन्दी या आख्यायक माना है^५ जो महाकाव्यों में वर्णित सूत के काफी निकट प्रतीत होता है। वैदिक साहित्य से उपलब्ध

^१ मै० स० ४ ७ ४

^२ घोपाल—स्टडीज एन इरिडर्न हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३०७

^३ अथर्ववेद ३ १ १, डा० वी० डब्ल्यू० करम्बेल्कर, दी अथर्ववेदिक सिविला-इजेशन, पृ० ११५

^४ अल्टेकर—प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० ११०

^५. घोपाल—स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३०३

प्रमाणों की पृष्ठभूमि मे यह अधिक ग्राह्य है। एक स्थान पर सूत को जनता का मुख कहा गया है।^१ बहुत सम्भव है कि सूत के कुछ प्रशासकीय उत्तरदायित्व भी रहे हों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे उसकी गणना पौराणिक शादि साधारण पदाधिकारियों मे की गई है जिन्हें एक सहक्ष रजत मुद्राये प्रति वर्ष वेतन मे मिलती थी।^२

ग्रामणी को मैत्रायणी सहिता और काठक सहिता मे वैश्य-ग्रामणी कहा गया है। इससे इसके बर्ण का ज्ञान होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट प्रतीत होता है वह गाँव का मुखिया या प्रधान था। निश्चय ही वैदिक राज्यो के आकार मे लधु होने पर भी एक राज्य मे बहुत से ग्राम रहे होगे किन्तु रत्नहर्विषी के प्रस्तग मे केवल एक ही ग्रामणी का उल्लेख है। इस समस्या के समाधान की दृष्टि से अल्लेकर महोदय ने ग्रामणी को गाँवो के मुखियो का प्रधान माना है।^३ किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि रत्नहर्विषी अनुष्ठान मे भाग लेने वाला ग्रामणी राजघानी का ही प्रमुख वैद्य नागरिक होता था। सम्भव है युद्ध के अवसर पर छोटे समूहो का का नेतृत्व करने के अतिरिक्त वह ग्राम्य शासन मे राजा के प्रतिनिधि के रूप मे योग देता हो। जायसबाल महोदय उसे पौर का प्रधान भी मानते हैं (Head of the township)।^४ किन्तु उत्तर-वैदिक युग तक पूर्ण विकसित नागरिक जीवन सन्दिग्ध है। इसी प्रकार यह कल्पना कि राजकीय कर को वसूल करने का कार्य ग्रामणी का वा^५ निराधार प्रतीत होती है क्योंकि यह कार्य भागदुष्ट द्वारा किया जाता था।

डा० यू० एन० घोपाल के अनुसार क्षत्र भोजन बौठने वाले को कहते थे।^६ किन्तु इस प्रकार का कोई विभाग उस युग से था, यह बहुत सदिग्ध है। क्षत्र शब्द का एक अर्थ प्रतिहार (Chamberlain) भी है जो

^१ मैत्रा० स० ४ ३ अ

^२ अर्थशास्त्र ५ ३-६१, द३०, हिन्दू पालिटी पृ० २०२

^३ अल्लेकर—प्राचीन भारतीय शासनपद्धति, पृ० १११

^४ जायसबाल—हिन्दू पालिटी, पृ० २०४

^५ केम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया, १, ११७

^६ घोपाल पूर्व निर्दिष्ट पुस्तक, पृ० ३०३

इस प्रसग में अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है।^१ सम्भव है वह राजा का परिपाश्वर्क भी रहा हो।^२

सग्रहीतृ की वास्तविक स्थिति एवं कार्य के सम्बन्ध में विद्वानों में वडा मत वैभिन्न है। किन्तु टीकाकारों के मत को दृष्टि में रखते हुए तथा अर्थशास्त्र के सन्निधाता नामक अधिकारी से इसकी समानता स्थापित करते हुए यह कहा जा सकता है कि वह कोषाध्यक्ष था।^३ अधिकाश प्रन्थों में भागधुक के साथ इसके उल्लेख से भी इस बात की पुष्टि होती है। अनेक विद्वानों ने सग्रहीतृ का अर्थ वल्ला धारण करने वाला (Holder of the reins) या रथचालक स्वीकार किया है,^४ तथा इस आधार पर उसे प्रमुख योद्धा का सारथी मान है। किन्तु यह एक सम्भावना मात्र है। वस्तुत भागधुक, जिसका कोम कर वसूलना था, कोषाध्यक्ष के अस्तित्व एवं महत्व को अपरिहार्य बना देता है। ऐसी स्थिति में सग्रहीतृ को कोषाध्यक्ष मानना ही परिस्थैतिक साक्षयों के अनुकूल होगा क्योंकि भागधुक द्वारा एकत्रित राजकर की सुरक्षा की दृष्टि से भी कोषाध्यक्ष की स्थिति अनिवार्य थी।

भागधुक और सग्रहीतृ का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में नहीं मिलता। इनका उल्लेख यजुर्वेद की सहिताओं और ब्राह्मणों में है इससे स्पष्ट है कि नियमित राजकर वसूलने की परम्परा तथा राजकोष की व्यवस्था उत्तर-ब्रादिक युग में ही हो सकी। भागधुक राजा का भाग वसूलने वाला अधिकारी

^१ वाज० स० ३० १३ पर टीका करते हुये महीघर ने क्षतृ का अर्थ प्रतिहार किया है तथा सायण ने शतपथ ब्राह्मण ५ २०।१ ७ पर टीका करते हुये इसका अर्थ अन्तः-पुराध्यक्ष किया है।

^२ प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० ११०

^३ जायमवाल—हिन्दू पाठिली, पृ० २०२

^४ द्र०, शत० ब्रा० ५ ३.१ ८ पर इंगलिंग की टीका, तै० स० १ ८ ६ पर कोष की टीका,

शर्मा—ऐस्पेक्ट्स आव पोलिटिकल आइडियाज एंड इंटील्यूसन्स, पृ० १०

^५ सायण महोदय ने तै० स० १ ८ ६ पर टीका करते हुए सग्रहीतृ को 'धन सग्रहकर्ता कोषाध्यक्ष' कहा है तथा तै० ब्रा० ३.४ ७ पर टीका करते हुये इसका अर्थ 'भागधुक राजा ध्यक्ष' माना है।

था। उसका पद राज्य के विकास की उस स्थिति का संरेत करता है जब राज-कर ऐच्छिक न रहकर अनिवार्य हो चला था। ऋग्वेद में राजा को प्राप्त होनेवाले ऐच्छिक उपहारों को बति कहा गया है।^१ किन्तु उत्तर-गैदिक युग तक राजा प्रजा की आय के एक निश्चित भाग का अधिकारी समझा जाने लगा था। सम्भव है भाग का तात्पर्य यहाँ धर्मसूत्रों में उल्लिखित पष्ठाश से ही। भाग सम्भवतः अन्न के रूप में ही ग्रहण किया जाता था। भागधुक के घर पर पशुओं के देवता पूपन को बति दी जाती थी।^२ अतः पशुओं के रूप में भी राजकीय भाग एकत्रित करने की बात सम्भव प्रतीत होती है।

अक्षावाप नामक ग्यारहवें रत्नी का कार्य भी समिद्ध है। इसका शाविदिक अर्थ होगा (द्यूतकीडा में) पासा फेंकनेवाला।^३ इस प्रकार कुछ विद्वानों ने इसे द्यूतकीडा में राजा का साथी तथा कुछ ने इसे द्यूतकीडा से सम्बन्धित अधिकारी माना है। अक्षावाप की यमानता अर्थशास्त्र के अक्ष-पटलाध्यक्ष से स्थापित करते हुए जायसवाल महादय ने उसे श्राद्ध-व्यय के लेखे के प्रधान अधिकारी माना है।^४ किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५ ३ १ १०) में अक्षावाप के साथ अक्ष (पासा) और जुमा खेलनेवाली पटरी का भी उल्लेख है जिससे द्यूतकीडा से इसका सम्बन्ध स्थापित करना दुनिवार्य हो जाता है। सम्भव है कि वह द्यूतकीडा तथा अन्य सामाजिक आनन्दोत्सवों का प्रबन्धक रहा हो।

गोविकर्तन नामक रसनी का उल्लेख तीन सूचियों में मिलता है किन्तु तीनों सूचियों में इसके नाम में कुछ अन्तर है। मैत्रायणी सहिता में इसे गोविकर्तन, काठक सहिता में गोव्यच्च और शतपथ ब्राह्मण में गोनिकर्तन कहा गया है। इस शब्द का शाविदिक अर्थ होगा गोवध करनेवाला या जायसवाल महादय ने इसे बगलों का प्रधान अधिकारी माना था।^५ इसके घर पर -

दो जाती थीं इससे पशुओं के प्रति इसकी भयकरता का सकेत मिलता है। जैसा कि जायसवाल महोदय ने कहा है, असम्भव नहीं प्रतीत होता कि वह भेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित उस भौये कालीन अधिकारी के समान रहा हो जो शिकारियों का प्रधान होता था तथा दीज खानेवाले पशुओं एवं पक्षियों का नाश करता था।^१ सम्भव है यह अधिकारी राजकीय भोजनालय के लिए भी पशुओं का शिकार करता हो।

पालागल का उल्लेख केवल शतपथ ब्राह्मण में मिलता है जिसकी गणना प्राचीनतम ब्राह्मण साहित्य के अन्तर्गत नहीं है। इससे स्पष्ट है कि इसे ब्राह्मण युग के अन्तर्गत में रत्नी सूची में स्थान मिला जो इसके नवोदित महत्व की सूचना देता है। अल्लेकर महोदय उसे परवर्ती युगी के विद्वषक की भाँति राजा का अन्तरग मिश्रभानते हैं। किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५.३ १ ११) से यह प्रकट होता है कि वह सदेशवाहक का काम या दौत्य कर्म करता था। यह शूद्र वरण का होता था।^२ फिर भी उसका राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। राज्य की आन्तरिक एवं बाह्य घटनाओं, कुचकों एवं विचारधाराओं की सूचना वह राजा को देता था। साथ ही राजकीय सन्देश दूसरे राज्यों में पहुँचाता था। इस प्रकार राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध, युद्ध और विग्रह की स्थिति में सदैव उसका महत्व था। आस्ट्रेलिया की आदिम जातियों में भी इस प्रकार के सन्देशवाहकों का राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है।^३ वे जातीय भोज, प्रतिकार सम्बन्धी शुद्ध की तैयारी, अथवा जातीय समाज की सूचना को प्रसारित करने के लिये विशेषत महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। पचांश ब्राह्मण (१६.१.४) में राजा के सहायक-आठ वीरों का उल्लेख है जिसमें रत्नी-सूची को पुरोहित, महिपी, सूत, ग्रामणी, क्षत्रु और सग्रहीतु के अतिरिक्त राज-भ्राता और राजपुत्र को भी सम्मिलित किया गया है। यद्यपि अन्तिम दो को रत्नी-सूची के अन्तर्गत स्थान नहीं दिया गया है, किन्तु पचांश-ब्राह्मण के इस अश से सिद्ध है कि शासन-कार्य में इन दोनों का भी पर्याप्त योग था।

हीस्टरमेन ने यह विचार प्रकट किया है कि रत्नियों के नाम से उत्कालीन शासन-व्यवस्था पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता।^४ उनके अनुसार रत्नी-

^१ मिक्रिएंडल—मेनस्थनीज, पृ० ८४

^२ शत० बा० १३ ५ ५ ८

^३ अलेक्जेंडर गोल्डेनवेइजर, एथोपोलोजी, पृ० ३८०

^४ दी ऐन्स्ट्रेन्ट इंगिड्यन रायल कन्सेकेशन, पृ० ५३

था। उसका पद राज्य के विकास की उस स्थिति का सर्वेत करता है जब राज्यकर ऐच्छिक न रहकर अनिवार्य हो चला था। ऋग्वेद में राजा को प्राप्त होनेवाले ऐच्छिक उपहारों को बलि कहा गया है।^१ किन्तु उत्तरवैदिक युग तक राजा प्रजा की श्राय के एक निश्चित भाग का अधिकारी समझा जाने लगा था। सम्भव है भाग का तात्पर्य यहाँ धर्मसूत्रों में उल्लिखित षष्ठिश्च से हो। भाग सम्भवतः अन्न के रूप में ही ग्रहण किया जाता था। भागघुक के घर पर पशुओं के देवता पूषन को बलि दी जाती थी^२ अतः पशुओं के रूप में भी राजकीय भाग एकत्रित करने की बात सम्भव प्रतीत होती है।

अक्षावाप नामक ग्यारहवें रत्नी का कार्य भी समिदगध है। इसका शास्त्रिक अर्थ होगा (द्यूतक्रीडा में) पासा फेंकनेवाला।^३ इस प्रकार कुछ विद्वानों ने इसे द्यूतक्रीडा में राजा का साथी तथा कुछ ने इसे द्यूतक्रीडा से सम्बन्धित अधिकारी माना है। अक्षावाप की समानता अर्थशास्त्र के अक्षपटलाद्यक्ष से स्थापित करते हुए जायसवाल महोदय ने उसे आयद्यय के लेखे के प्रधान अधिकारी माना है।^४ किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५.३.१.१०) में अक्षावाप के साथ अक्ष (पासा) और जुआ खेलनेवाली पटरी का भी उल्लेख है जिससे द्यूतक्रीडा से इसका सम्बन्ध स्थापित करना दुनिवार्य हो जाता है। सम्भव है कि वह द्यूतक्रीडा तथा अन्य सामाजिक आनन्दोत्सवों का प्रवन्धक रहा हो।

गोविकर्तन नामक रत्नी का उल्लेख तीन सूचियों में मिलता है किन्तु तीनों सूचियों में इसके नाम में कुछ अन्तर है। मैत्रायणी सहिता में इसे गोविकर्तं, काठक सहिता में गोवच्च और शतपथ ब्राह्मण में गोनिकर्तन कहा गया है। इस शब्द का शास्त्रिक अर्थ होगा गोवध करनेवाला या कसाई। जायसवाल महोदय ने इसे जगलों का प्रधान अधिकारी माना है^५ तथा घोपाल ने इसे शिकारियों का प्रधान माना है।^६ इसके घर पर रुद्र को बलि -

^१ घोपाल—हिन्दू रेवन्यू सिस्टम पृ० २२१-३२

^२ शत० ब्रा० ५.३.१.६

^३. द्रष्टव्य घोपाल—स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३०३

^४ जायसवाल—हिन्दू पालिटी, पृ० २०३

^५ जायसवाल—हिन्दू पालिटी, पृ० २०३

^६ हिस्ट्रीरियोग्रैफी एण्ड अदर एसेज, पृ० २४९

दों जाती थी इससे पेशुओं के प्रति इसकी भयकरता का सकेत मिलता है। जैसा कि जायसवाल महोदय ने कहा है, असम्भव नहीं प्रतीत होता कि वह भेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित उस मौर्य कालीन अधिकारी के समान रहा हो जो शिकारियों का प्रधान होता था तथा बीज खानेवाले पशुओं एवं पक्षियों का नाश करता था।^१ सम्भव है यह अधिकारी राजकीय भोजनालय के लिए भी पशुओं का शिकार करता हो।

पालागढ़ का उल्लेख केवल शतपथ ब्राह्मण में मिलता है जिसकी गणना आचीनतम ब्राह्मण साहित्य के अन्तर्गत नहीं है। इससे स्पष्ट है कि इसे ब्राह्मण युग के अन्तर्गत मेर रत्नी सूची में स्थान मिला जो इसके नवोदित महत्व की सूचना देता है। अल्लेकर महोदय उसे परवर्ती युगों के विदूषक की भाँति राजा का अन्तरग मिथ्या भानते हैं। किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५.३.११) से यह प्रकट होता है कि वह सदेशवाहक का काम या दौत्य कर्म करता था। यह शूद्र वर्ण का होता था।^२ फिर भी उसका राजनीतिक जीवन मेर महत्वपूर्ण स्थान था। राज्य की आन्तरिक एवं वाह्य घटनाओं, कुचक्रों एवं विचारधाराओं की सूचना वह राजा को देता था। साथ ही राजकीय सदेश दूसरे राज्यों में पहुँचाता था। इस प्रकार राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध, युद्ध और विप्रह की स्थिति में सदेश उसका महत्व था। आस्ट्रेलिया की आदिम जातियों में भी इस प्रकार के सदेशवाहकों का राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है।^३ वे जातीय भोज, प्रतिकार सम्बन्धी शूद्र की तैयारी, अथवा जातीय सभा की सूचना को प्रसारित करने के लिये विशेषत महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। पचांश ब्राह्मण (१६.१४) मेर राजा के सहायक आठ बीरों का उल्लेख है जिसमेर रत्नी-सूची को पुरोहित, महिपी, सूर्त, आमणी, कृत्र और सग्रहीत्र के अतिरिक्त राज-आता और राजपुत्र को भी सम्मिलित किया गया है। यद्यपि अन्तिम दो को रत्नी-सूची के अन्तर्गत स्थान नहीं दिया गया है किन्तु पचांश ब्राह्मण के इस अंश से सिद्ध है कि शासन-काय मेर दोनों का भी पर्याप्त योग था।

हीस्टरमैन ने यह विचार प्रकट किया है कि रत्नियों के नाम से तत्कालीन शासन-व्यवस्था पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता।^४ उनके अनुसार रत्नी-

१ मिक्रिहिडल—मेनस्थनीज, पृ० ८४

२ शत० ब्रा० १३.५.८

३ अल्लेकर गोल्डेनबेर्जर, एन्ड्रोपोलोजी, पृ० ३८०,

४ दी ऐन्स्पेन्ट इंगिडयन रायल कन्सेक्शन, पृ० ५३

था। उसका पद राज्य के विकास की उस स्थिति का संतोत करता है जब राज-कर ऐच्छिक न रहकर अनिवार्य हो चला था। ऋग्वेद में राजा को प्राप्त होनेवाले ऐच्छिक उपहारों को बलि कहा गया है।^१ किन्तु उत्तर-वैदिक युग तक राजा प्रजा की आय के एक निश्चित भाग का अधिकारी समझा जाने लगा था। सम्भव है भाग का तात्पर्य यहां घर्मसूत्रों में उल्लिखित षष्ठाश से हो। भाग सम्भवत अन्न के रूप में ही ग्रहण किया जाता था। भागधुक के घर पर पशुओं के देवता पूषन को बलि दी जाती थी।^२ अतः पशुओं के रूप में भी राजकीय भाग एकत्रित करने की बात सम्भव प्रतीत होती है।

अक्षावाप नामक ग्यारहवें रस्ती का कार्य भी समिदग्रह है। इसका शाविदिक अर्थ होगा (द्यूतकीडा में) पासा फेंकनेवाला।^३ इस प्रकार कुछ विद्वानों ने इसे द्यूतकीडा में राजा का साथी तथा कुछ ने इसे द्यूतकीडा से सम्बन्धित अधिकारी माना है। अक्षावाप की समानता अर्थशास्त्र के अक्ष-पटलाध्यक्ष से स्थापित करते हुए जायसवाल महादय ने उसे आय-व्यय के लेखे के प्रधान अधिकारी माना है।^४ किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५३१०) में अक्षावाप के साथ अक्ष (पासा) और जुआ खेलनेवाली पटरी का भी उल्लेख है जिससे द्यूतकीडा से इसका सम्बन्ध स्थापित करना दुनिवार्य हो जाता है। सम्भव है कि वह द्यूतकीडा तथा अन्य सामाजिक आनन्दोत्सवों का प्रवन्धक रहा हो।

गोविकर्तन नामक रस्ती का उल्लेख तीन सूचियों में मिलता है किन्तु तीनों सूचियों में इसके नाम में कुछ अन्तर है। मैथ्रायणी संहिता में इसे गोविकर्तं, काठक सहिता में गोव्यच्च और शतपथ ब्राह्मण में गोनिकर्तन कहा गया है। इस शब्द का शान्दिक अर्थ होगा गोवध करनेवाला या कसाई। जायसवाल महादय ने इसे जगलों का प्रधान अधिकारी माना है^५ तथा घोपाल ने इसे शिकारियों का प्रधान माना है।^६ इसके बारे पर रुद्र को बलि -

१. घोपाल—हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम पृ० २२१-३२

२. शत० ब्रा० ५३१६

३. द्रष्टव्य घोपाल—स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३०३

४. जायसवाल—हिन्दू पालिटी, पृ० २०३

५. जायसवाल—हिन्दू पालिटी, पृ० २०३

६. हिस्ट्रीरियोग्रफी एण्ड भद्र एसेज, पृ० २४९

का, यह मत पूर्णतः निविवाद है कि ये उनी राज्य के उच्च-भविकारी थे। विभिन्न रत्नियों में उनके पद और महत्व की दृष्टि से कुछ अन्तर और संस्तरण (Official hierarchy) अवश्य रहा होगा किन्तु उनके पद और प्रतिष्ठा में बहुत अन्तर नहीं था।^१ क्योंकि राजा के लिए सभी रत्नियों की सहायता समान रूप से महत्वपूर्ण एवं स्पृहणीय मानी गई है।

उत्तर-वैदिक साहित्य तथा धर्मसूक्ष्मों में राज्य की परिभाषा अथवा उसके सात अगों का कही भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है।^२ सर्वप्रथम कौटिल्य ने राज्य के सात अग स्वामी, अमात्य, जनपद, हुर्ग, कोष, राज्य के सात अग दण्ड और मित्र का उल्लेख किया है।^३ कौटिल्य के अर्धशास्त्र के अतिरिक्त अन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी राज्य के सप्तागों का उल्लेख हुआ है।^४ किसी भी सुविकसित राज्य में इन सात तत्वों का समावेश अनिवार्य समझा जाता था। कुछ विद्वानों ने वैदिक एवं सूक्ष्म साहित्य में इन सप्तागों का उल्लेख न मिलने का कारण इस शास्त्र के पूरण विकास की स्थिति का अभाव माना है।^५ किन्तु उत्तर-वैदिक साहित्य के अध्ययन से प्रकट होता है कि इस युग में राज्य के ये सातों तत्व प्रस्तित्व में था चुके थे। उनका संद्वान्तिक व्यवस्थापन बाद में सम्पन्न हुआ जिसका श्रेय सर्वप्रथम कौटिल्य को दिया जा सकता है। राजनीतिशास्त्र के आधुनिक राज्य के घार आवश्यक तत्व माने हैं—सम्ब्रहुता, सरकार, भूमि जब हम सप्ताग सिद्धान्त से इसकी तुलना करते हैं तो ज्ञात ऐ चारों तत्व क्रमशः स्वामी, अमात्य और जनपद के अन्तर्गत

सूची में राजपत्नियों, राज्याधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा कारीगर वर्ग के लोगों के नाम अस्त-व्यस्त रूप में मिश्रित है। किन्तु वे भूल जाते हैं कि उत्तर-वैदिक भारतीय समाज, जो अभी लौह-युग में प्रवेश कर रहा था, इतना विकसित नहीं था कि राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक जीवन को पूर्णतः पृथक् किया जा सके। शासन-व्यवस्था के क्षेत्र में पुरोहित, राजपत्नियों तथा रथकार और तक्षण जैसे कारीगरों का प्रवेश हमें इस लिये आश्चर्यजनक लगता है कि हम पुराएतिहासिक शासन-पद्धति को वर्तमान सरकारों की पृष्ठभूमि में देखने का प्रयास करते हैं। वैदिक समाज धर्म प्रधान था अत उस युग के राजनीतिक जीवन में पुरोहित का प्रवेश सर्वथा स्वाभाविक है। जहाँ तक राजपत्नियों का सम्बन्ध है, हम जानते हैं कि उनका भी राजनीतिक महत्व मूलतः धार्मिक एवं सामाजिक कारणों से ही था। मन्त्रायणी सहिता की रत्नी-सूची में व्यवसायों^१ की विशिष्टता एवं प्रत्यधिक उपयोगिता के कारण तक्षण और रथकार को रत्नी सूची में स्थान अवश्य दिया गया है किन्तु अन्य सूचियों से उनके नाम का विविष्टकार इस बात की सूचना देता है कि क्रमशः रत्नियों^२ की सूची में वही लोग रह गये थे जो राजनीतिक दृष्टिसे महत्वपूर्ण थे। पीछे हम देख चुके हैं कि किस प्रकार प्राय प्रत्येक रत्नी अपने ढांग से शासन कार्य में सदायक था।

काशी प्रसाद जायसवाल रत्नियों को मूलतः समिति का सदस्य मानते हैं^३ किन्तु इस अनुमान के लिए कोई प्राधार नहीं है। इसके विपरीत स्थिति इस सम्भावना के प्रतिकूल दिखाई देती है। प्रथमतः, समिति नामक सस्था का पूरे ब्राह्मण साहित्य में कहीं उल्लेख नहीं है जिससे इसका अस्तित्व ही सर्वया सदिग्द प्रतीत होता है। दूसरे, रत्नी-मण्डल की रानिया समिति जैमी किसी लोकसभा की प्रतिनिधि नहीं हो सकती। यही बात सेनानी, भागदुघ, सग्रहीत्र भादि-प्रन्य अधिकारियों^४ के सम्बन्ध में भी कहीं जा सकती है। पुरोहित, राजा, ग्रामणी और पालागल चार वर्गों का प्रतिनिवित्व करते थे, यह बात भी पूर्णतः सदिग्द है।^५ बस्तुतः पुरोहित, ग्रामणी और पालागल भी राजनीतिक महत्व के कारण ही रत्नी-सूची के सदस्य थे। समाज के विभिन्न वर्गों से इनका सम्बन्धित होना पूर्णतः भाकस्मिन् है। जायसवाल

१ हिन्दू राजतत्र, भाग २, पृ० ३४

२ वही

का यह मत पूर्णतः निविवाद है कि ये उन्हीं राज्य के उच्च-भविकारी थे। विभिन्न रत्नियों में उनके पद और महत्व की दृष्टि से कुछ अन्तर और स्तरण (Official hierarchy) अवश्य रहा होगा किन्तु उनके पद और प्रतिष्ठा में बहुत अन्तर नहीं था।^१ क्योंकि राजा के लिए सभी रत्नियों की सहायता समान रूप से महत्वपूर्ण एवं स्पृहणीय मानी गई है।

उत्तर-वैदिक साहित्य तथा धर्मसूत्रों में राज्य की परिभाषा अथवा उसके सात अगों का कही भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है।^२ सर्वप्रथम कौटिल्य ने राज्य के सात अग स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोप, राज्य के सात अग दण्ड और मिश्र का उल्लेख किया है।^३ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अतिरिक्त अन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी राज्य के सप्तागों का उल्लेख हुआ है।^४ किसी भी सुविकसित राज्य में इन सात तत्वों का समावेश अनिवार्य समझा जाता था। कुछ विद्वानों ने वैदिक एवं सूत्र साहित्य में इन सप्तागों का उल्लेख न मिलने का कारण इस संस्था के पूरण विकास की स्थिति का अभाव माना है।^५ किन्तु उत्तर-वैदिक साहित्य के अध्ययन से प्रकट होता है कि इस युग में राज्य के ये सातों तत्व अस्तित्व भी आ चुके थे। उनका संद्वान्तिक व्यवस्थापन बाद में सम्पन्न हुआ जिसका श्रेय सर्वप्रथम कौटिल्य को दिया जा सकता है। राजनीतिशास्त्र के माधुरिक विचारकों ने राज्य के चार आवश्यक तत्व माने हैं—सम्प्रभुता, सरकार, भूमि और जनता। जब हम सप्ताग सिद्धान्त से इसकी तुलना करते हैं तो ज्ञात होता है कि ये चारों तत्व क्रमशः स्वामी, अमात्य और जनपद के पन्तर्गत

१ घोपाल-हिस्टीरियोग्रैफी एण्ड श्रद्धर एसेज, पृ० २५५, पाटिल्यणी

२ सरस्वती विलास नामक पुस्तक में, जिसकी तिथि १६वीं सदी मानी गई है (काणो, हिस्ट्री आव धर्मशास्त्र, १, ४१३) एक श्लोक में राज्य के सप्तागों का उल्लेख है, जिसे गौतम धर्म सूत्र से उद्भूत बतलाया गया है किन्तु गौतमधर्मसूत्र में नहीं मिलता।

३ अर्थशास्त्र ६ १

४. मनु० ९.२६४, शान्तिपर्व ६६ ६२-३, विष्णु० ३.३३, याज्ञवल्क्य १ ३५३ आदि।

५ धार्मा-ऐस्पेक्ट्स आव पोलिटिकल पाइडियाज एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स, पृ० १४

आ जाते हैं। स्वामी ग्रथांवा राजा मे सम्प्रभुता निहित थी^१ तथा अमात्य महल द्वारा शोसन संचालन होता था। जनपेद एक ऐसा तत्व था जिसके अन्तर्गत जनता और उसके द्वारा अधिकृति भूमि दोनों का समावेश है। इस प्रकार आधुनिक राज्य का निर्माण करने वाले तत्वों को दृष्टि में रखने पर निश्चय ही प्राचीन भारतीयों की राज्य-विषयक धारणा नितान्त अवधीन लगती है।^२

जब हम वैदिक साहित्य मे राज्य के इन सातो तत्वों को दृढ़ते हैं तो अप्रत्यक्ष प्रमाणों का ही आश्रय लेना पड़ता है। सप्तांग का स्वामी वैदिक युग मे राजा ही था यथोंकि वह निश्चित रूप से राष्ट्र रूपी शरीर के सर्वोच्च स्थान पर आसीन माना जाता था।^३ वह राज्य का केन्द्रविन्दु तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था।^४ उसकी प्रभुता सर्वव्यापी थी।^५

यजुर्वेद मे उल्लिखित रत्नी-सूची के विविध अधिकारी एवं कर्मचारी अमात्यमण्डल के सदस्य माने जा सकते हैं यद्यपि उनके लिये अमात्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है किन्तु उनका स्वरूप बहुत कुछ प्राग्-मौर्य साहित्य मे वर्णित अमात्यों के समान था।^६ प्राग्-मौर्य युग मे शोसन में भाग लेने वाले विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी अमात्य नाम से अभिहित किये जाते थे।^७ इन-अमात्यों में आम-प्रधान अधवा ग्रामणी से लेकर न्यायाधीश और धर्माधिकारी तक सम्मिलित थे। इस प्रकार रत्नी सूची के पुरोहित, सेनानी, सूत, ग्रामणी, सग्रहीतुं, भागधुक आदि को परवर्ती युग के अमात्यों का पूर्वरूप माना जा सकता है। अर्थशास्त्र मे भी प्रधान पुरोहित, मध्री, कर वसूलने वाले अधिकारी, तथा कोपाध्यक्ष आदि अधिकारियों को आमत्य-मण्डल का सदस्य माना गया है।^८

१ स्वामी शब्द से ही राजा के सर्वव्यापी प्रभुता का अनुमान किया जा सकता है।

२. पुसाल्कर-एज आव इम्पीरियल यूनिटी, पृ० ३०७

३ अथर्ववेद ३ ४ २

४ शुक्ल यजुर्वेद, २० १

५ अथर्ववेद ४० २२ ७

६ मेहता आर० एन०, प्री-बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० १३६

७ फ़िक, शोसल आर्गन्नाइजेशन आव नाथ-ईस्टन इण्डिया, पृ० १४५-६

८ १ ६-१०, १६, ८ १

अर्थशास्त्र में तीसरी प्रकृति को जनपद कहा गया है तथा भनु और विष्णु ने इसे राष्ट्र कहा है। यह तत्व भूमियुक्त-राज्य की स्थिति का सकेत करता है। जैसा-कि-पहले ही बतलाया गया है,- उत्तर वैदिक युग तक भूमियुक्त राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। उत्तर वैदिक साहित्य में राष्ट्र और जनपद इस दोनों शब्दों का राजा और शासन के प्रसरण में अनेक बार उल्लेख हुआ है। चौथा तत्व कौटिल्य ने दुर्ग माना है किन्तु भनु ने इसे पुर नाम दिया है। भारत के एक अंश से प्रकट होता है कि पुर राजधानी को कहते थे।^१ उत्तर-वैदिक युग से ही इन राजधानियों को सुरक्षा की हष्टि से प्राचीरों तथा परिखा से परिवेष्टित करने की परम्परा चल पड़ी थी।^२ इसलिए पुर को दुर्ग भी कहा जाने लगा। उत्तर-वैदिक युग में आसंदीवन्त तथा कौशाम्बी धारि पुरों का अस्तित्व अप्रत्याख्यय है। उत्तर-वैदिक साहित्य में भागधुक और सग्धीतृ के उल्लेख से स्पष्ट है कि राजकीय कोष की उचित व्यवस्था भी होती थी। कौटिल्य ने सैन्य शक्ति की ही राज्य का अठात तत्व—दद माना है। यजुर्वेद की सहिताघों और ब्राह्मणों में सेनानीका अनेकश उल्लेख राज्य द्वारा समुचित संन्यसंगठन की पुष्टि करता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का अन्तिम श्रग मित्र है। मित्र अथवा सुहृद का सष्ट उल्लेख तो वैदिक साहित्य में नहीं फ़िरता किन्तु सम्भव है राज्याभियेक के अभियेचनीय नामक कृत्य में भाग लेने वाला जन्य यह जन्यमित्र अर्थशास्त्र और स्मृतियों का मित्र या सुहृद है।^३

^१ भनु० ६ २४, विष्णु० ३, ३३

^२ शर्मा, एक्सकेवेन्स एट कौशाम्बी, पृ० ६

^३ घोपाल, स्टडीज इन इंग्लिश हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३१८

पूर्व-वैदिक धर्म के तीन प्रमुख पक्ष हैं—देव-तत्त्व, यज्ञ-तत्त्व तथा दार्शनिक चिन्तन। इनमें देव-तत्त्व का ही प्राधान्य है। ऋक्संहिता के अधिकाश सूक्तों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिये स्तुतिपरक ज्ञानायें ही संग्रहीत हैं। इन्हीं देवताओं को प्रसन्न करने के लिये यज्ञ भी किये जाते थे। यज्ञों का स्वरूप अत्यन्त सरल एवं साधारण था। यद्यपि दार्शनिक चिन्तन की भलक भी ऋषिवेद में यत्र तत्र उपलब्ध है^१ तथापि सम्पूर्ण ऋक्संहिता में विस्तृत दार्शनिक चर्चा का अभाव ही है। उत्तर-वैदिक युग में हम देव-तत्त्व का ह्रास तथा यज्ञ एवं दार्शनिक चिन्तन की दिशा में झुकाव पाते हैं। तत्कालीन धर्म के अन्तर्गत स्थूल यज्ञीय कर्मकाण्डों का विस्तार तथा सूक्ष्म तत्त्व-चिन्तन की गरिमा—दोनों समान रूप से हृश्य हैं। यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों में यज्ञ सत्या का साम्राज्य है। उस युग के धार्मिक विश्वासों के अनुसार यज्ञ ही वह परम ज्ञानिमान साधन है जिसके द्वारा देवता भी वशीभूत किये जा सकते हैं।^२ इसी के द्वारा लौकिक सुख और पारलौकिक शान्ति भी सम्भव है। उत्तर-वैदिक युग में यज्ञमूलक धर्म का जो अतिशय विकास एवं विस्तार हुआ उसके परिणामस्वरूप मूल धार्मिक भावना लुप्त-प्राय हो गई तथा धर्म का प्रतीकात्मक एवं आडम्ब्रपूर्ण कलेवर ही अधिक महत्वपूर्ण हो गया।^३ इस प्रकार पूर्ववैदिक धर्म की सादगी और सरलता इस युग में नष्ट हो गई तथा उसका स्थान भावहीन कृत्रिम उपचारों ने ले लिया। धर्म, साहित्य एवं कला के क्षेत्रमें जटिलता एवं दुरुहता वहुधा भाव-शून्यता का परिचायक हुआ करती है। कर्मकाण्डों के इस विस्तार के स्वाभाविक प्रतिक्रियास्वरूप उपनिषद्काल में दार्शनिक चिन्तन की वह प्रवल धारा प्रदाहित हुई जिसका उद्गमन ऋक्संहिता से हुआ था तथा जिसकी गति परवर्ती सहिताओं एवं ब्राह्मणों के युग में प्रायः अवश्य ही गई थी।

१ छ० १ १६४, १०. १२६, १०. ६०, १०. १२१,

२ तै० स० २ ३ १ ५, पच० ब्रा० ६. २. २२

३ राघवाकृष्णन, इण्डियन फिलोसोफी, पृ० १२३

यद्यपि उत्तर वैदिक समाज पर धर्म का ग्रन्थशाय प्रभाव अप्रत्याख्यपेय है तथापि नवोदित सामाजिक एव आर्थिक परिस्थितियों ने भी धर्म के विकास

एव धार्मिक दृष्टिकोण में न्यूनाधिक परिवर्तन को सामाजिक और आर्थिक प्रभावित एव प्रोत्साहित किया। वर्ण व्यवस्था के परिवेश तथा धर्म पर विकास के साथ ही वशानुगत ब्राह्मण वर्ण अस्तित्व

उसका प्रभाव में आया। पौरोहित्य ब्राह्मणों का व्यवसाय था।

ऋक्सहिता में ही ब्राह्मणों (पुरोहितों) की श्रेष्ठता को स्थिर करने का प्रयास प्रतिष्ठानित है। एक प्रसाग में यह स्पष्ट कहा गया है कि राजा को समृद्धि तभी होती है जब राजा ब्राह्मण का आदर करता है।^१ उत्तर-वैदिक युग तक यज्ञ-कार्य पुरोहित की सहायता के बिना असम्भव माना गया।^२ पौरोहित्य अब एक मात्र ब्राह्मणों का वर्ण-धर्म बन गया। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपने व्यवसाय को अधिक लाभप्रद और स्थायी बनाने का स्वभावत प्रयास किया। उत्तर वैदिक यज्ञ-स्थाय के आशातीत विस्तृत, विपुलकाय एव जटिल होने का एक प्रमुख कारण ब्राह्मण-परोहितों का वर्णगत स्वार्थ भी था, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के उदात्त आदर्श निष्प्रभ हो गये। यज्ञों को रहस्यात्मक एव दुर्लभ बनाने के लिए अधिकतर प्रतीकों का सहारा लिया गया तथा भाषा का प्रयोग भी इस प्रकार किया गया भानो उसका उद्देश्य चिचारी को प्रकट न करके अवगुठित करना हो।^३ इन विविध प्रतीकों एवं निर्देशों को समझने में पुरोहित ही समर्थ थे। एकान्त रूप से पौरोहित्य में प्रबृत्त होने के कारण जहाँ ब्राह्मणों ने यज्ञ स्थाय को विकसित किया वही जन-साधारण में भय-मिथित छद्मा उत्पन्न करने के लिये यज्ञों का स्वरूप रहस्यमूलक भी बनाया। समाज को यज्ञ स्थाय की ओर प्रेरित करने के लिए ब्राह्मण-साहित्य में यज्ञ की महत्ता तथा विविध ग्रन्थानां से उत्पन्न सुपरिणामों का विशद उल्लेख भी हुआ। विशाल श्रौत यज्ञ जो भहीनों तक चलते थे पुरोहितों की आय में बूढ़ि के महत्वपूर्ण साधन बने। अश्वमेघ जैसे यज्ञ में तो यदाकदा पुरोहित (अच्वयुं) राजा की चतुर्थ पत्नी की भी दक्षिण में प्राप्त कर लेता था।^४ इस नवीन धार्मिक

१ ऋ० ४५० द

२ ऐत० ब्रा० ४०.१

३ राष्ट्राकृष्णन, इण्डियन फिलोसोफी, पृ० १२६

४ इष्टव्य, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, पृ० ३४५

दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप देव तत्व की महत्ता में भी ह्रास हुआ। पूर्ण-वैदिक काल में देवताओं को प्रार्थना द्वारा प्रसन्न किया जाता था। इसके लिए पुरोहित की सहायता अपेक्षित नहा थी। इसके विपरीत उत्तर-वैदिक काल में यज्ञ को देवताओं को तुष्ट करने का सर्वोत्तम साधन माना गया। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पुरोहितों की अर्थादृष्टि तथा सामाजिक प्रभुत्व के नियन्त्रण की भावना ने क्रमशः साधन को साध्य बना दिया और इस प्रकार देवताओं की तुलना में यज्ञ की प्रधानता घोषित हुई। यज्ञ को सृष्टि का मूल माना गया तथा यह कहा गया कि देवता भी यज्ञ से ही जक्ति धारण करते हैं।^१ अनेक प्रमुख देवताओं का तावाम्य भी यज्ञ के साथ स्थापित किया गया। वर्ण-व्यवस्था के विकास तथा राजनैतिक सगठन के स्थीर्य के साथ-पाथ प्रभुत्व-सम्पन्न राजन्य वर्ग जक्ति एवं साम्राज्य के विस्तार हेतु सचेष्ट हुआ। इन राजन्यों के राजनैतिक जीवन में पुरोहित सर्वश्रेष्ठ सहायक था।^२ इन घर्म-प्राण राजाओं ने आन्तरिक शान्ति, शत्रु-विनाश एवं दिविज-जय की कामना से तथा सम्राट्, एकराट् आदि पदों की प्राप्ति के लिए बड़े-बड़े सौमयज्ञों का सम्पादन किया। इन यज्ञों से उन्हें यश भी प्राप्त हुआ और मानसिक शान्ति भी। जाह्यणों में कुरु-पंचाल के अनेक राजाओं का सादर उल्लेख है जिन्होंने अवमेध के सम्पादन से सार्वभीम पद की प्राप्ति की।

यज्ञमूलक धर्म के पीछे बढ़ती हुई भौतिक समृद्धि तथा नवीन आर्थिक परिस्थितियों का भी विशिष्ट योग था। उत्तर-वैदिक युग में मध्यदेश के उर्वर शास्य-श्यामल प्रदेश में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में प्रगति तो हुई ही, साथ ही नागरिक जीवन के प्रारम्भ तथा वाणिज्य, व्यापार एवं विविध उद्योगों के विकास के कारण आर्थिक प्रगति के नघे द्वारा खुले जिनके परिणामस्वरूप छठी सदी ई० पू० तक श्रावस्ती और कौशाम्बी प्रभृति नगरी में आनायिण्डक और घोपक जैसे घनपति भस्त्रित्व में आये जिन्होंने अपनी आर्थिक समृद्धि से बौद्ध धर्म के सम्बर्धन का प्रयत्न किया। उत्तर-वैदिक

१. पंच० न्न० १.८.४ १

२. राजन्य के रत्नहविषी नापक ग्रनुष्ठान में गतपथ ब्राह्मण को छोड़कर अन्य अभी ग्रन्य पुरोहित को सर्वश्रेष्ठ रत्नी मानते हैं।
द्रष्टव्य, घोपाल, हिन्दू पटिनक लाइफ, पृ० ७६।

युग में भी आधिक दृष्टि से : समृद्ध एव सम्पन्न वैश्यों का अभाव नहीं रहा होगा । यह बात उन वैदिक प्रसगों से सूचित होती है जिनमें स्पष्टतः यह कहा गया है कि वैश्य की सहायता के अभाव में यज्ञ सफल नहीं होते ।^१ यज्ञमूलक धर्मं शूद्रों के लिये दुष्कर था किन्तु उन्हें तो सास्कृतिक पार्यक्य एवं आधिक हीनता के कारण नियमतः यज्ञ कर्म से वहिष्कृत कर दिया गया था ।^२

उपनिषद्कालीन दार्शनिक चिन्तन-धारा के विकास के पीछे कर्मकाण्ड-प्रधान यज्ञ सत्या के विश्वद होने वाली सामाजिक प्रतिक्रिया थी जिसका मुख्यरूप आरण्यकों में दृष्टव्य है । जिसामु एव वृद्धिजीवी जनों ने कर्मकाण्डों की स्थूलता एव वाह्याद्भ्वर में ग्रन्तनिहित सत्य को ढूँढने का प्रयास किया । फलत कालक्रमेण देवयजन के समक्ष आत्मयजन की श्रेष्ठता प्रतिपादित हुई । कम से विद्या का अधिक महत्व शीघ्र ही समझा और घोषित किया गया ।^३

यज्ञ उत्तर-वैदिक धर्म का भेषदड है । अग्नि में नाना देवताओं को उद्दिष्ट कर हविष्य अथवा सोमरस का हवन यज्ञ के नाम से अभिहित किया जाता है । नृतत्ववेत्ताप्रो ने यज्ञों के विकास के

यज्ञों का विकास

पीछे अनेक मूलभूत कारणों का उल्लेख किया है ।

एव विस्तार

उदाहरणार्थ बलिदान (Gift offering) पितृ-पूजा (Ancestor-Worship) उर्वरतामूलक

अनुष्ठान (fertility rite) देवता से सामीप्य स्थापन (Communion with deity) तथा पापों से मुक्ति आदि यज्ञ के प्रमुख प्रेरक तत्व माने गये हैं ।^४ इनमें से प्राय प्रत्येक के समर्थक प्रमाण ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैं ।^५ यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों में यज्ञ-सत्या का साम्राज्य है तथा उसके

^१ ऐत० ब्रा० १६

^२ र० शत० ब्रा० ३ १०१०

^३ स्टडीज इन दि ओरिजिन्स आव वृद्धिज्म, पृ० २७६-८०

^४ द्रष्टव्य, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्-स, भाग १, पृ० ३५३-२७८

^५ द्रष्टव्य—रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्-स, भाग १, पृ० २५७ और उसके आगे । अश्वमेष उर्वरतामूलक यज्ञ है । पिण्ड-पितृयज्ञ में पितृपूजा स्पष्ट है । इसी प्रकार 'इडामक्षण' अनुष्ठान देवता से सामीप्य की भावना का सकेत करता है । बलिदान तथा पाप से मुक्ति का भाव तो विविध यज्ञों में प्रकट रूप से विद्यमान है ।

दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप देव तत्व की महत्ता में भी हास हुआ । पूर्ण-वैदिक काल में देवताओं को प्रार्थना द्वारा प्रसन्न किया जाता था । इसके लिए पुरोहित की सहायता श्रेष्ठित नहा थी । इसके विपरीत उत्तर-वैदिक काल में यज्ञ को देवताओं को तुष्ट करने का सर्वोत्तम साधन माना गया । यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पुरोहितों का अर्थदृष्टि तथा सामाजिक प्रभुत्व के नियंत्रण की भावना ने क्रमशः साधन को साध्य बना दिया और इस प्रकार देवताओं की तुलना में यज्ञ की प्रधानता घोषित हुई । यज्ञ को सृष्टि का मूल माना गया तथा यह कहा गया कि देवता भी यज्ञ से ही शक्ति घारण करते हैं ।^१ अनेक प्रमुख देवताओं का तादाम्य भी यज्ञ के साथ स्थापित किया गया । वर्ण-व्यवस्था के विकास तथा राजनीतिक स्थगन के हीर्ये के साथ-पाथ प्रभुत्व-सम्पन्न राजन्य वर्ग शक्ति एवं साम्राज्य के विस्तार हेतु संचेष्ट हुआ । इन राजन्यों के राजनीतिक जीवन में पुरोहित सर्वश्रेष्ठ सहायक था ।^२ इन धर्म-प्राण राजाओं ने आन्तरिक शान्ति, शत्रु-विनाश एवं दिविजय की कामना से तथा सन्नाट, एकराह आदि पदों की प्राप्ति के लिए वडे-वडे सौमयज्ञों का सम्पादन किया । इन यज्ञों से उन्हें यश भी प्राप्त हुआ और मानसिक शान्ति भी । ब्राह्मणों में कुरु-पंचाल के अनेक राजाओं का सादर उल्लेख है जिन्होंने अश्वमेघ के सम्पादन से सार्वभीम पद की प्राप्ति की ।

यज्ञमूलक धर्म के पीछे बढ़ती हुई भौतिक समृद्धि तथा नवीन प्रार्थिक परिस्थितियों का भी विशिष्ट योग था । उत्तर-वैदिक युग में मध्यदेश के उत्तर शस्य-श्यामल प्रदेश में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में प्रगति तो हुई ही, साथ ही नागरिक जीवन के ग्राम्य तथा बाणिज्य, ब्यापार एवं विविध उद्योगों के विकास के कारण प्रार्थिक प्रगति के नये द्वारा खुले जिनके परिणामस्वरूप छठीं सदी ई० पू० तक श्रावस्ती और कौशाम्बी प्रभृति नगरों में प्रबन्धित और धोषक जैसे धनपति अस्तित्व में आये जिन्होंने प्रपनी आर्थिक समृद्धि से बोढ़ धर्म के सम्बर्धन का प्रयत्न किया । उत्तर-वैदिक

१. पंच० ब्रा० १०.८.१

२. राजमूर्य के रत्नहर्विषी नामक अनुष्ठान में शतपथ ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ग्रन्थ पुरोहित को सर्वश्रेष्ठ रत्नी मानते हैं ।
द्रष्टव्य, धोपाल, हिन्दू पवित्रक लाइफ, पृ० ७६ ।

युग में भी आधिक दृष्टि से समृद्ध एवं सम्पन्न वैश्यों का अभाव नहीं रहा होगा। यह बात उन वैदिक प्रेसगों से सूचित होती है जिनमें स्पष्टतः यह कहा गया है कि वैश्य की सहायता के अभाव में यज्ञ सफल नहीं होते।^१ अनुष्ठानक धर्म शूद्रों के लिये दुष्कर था किन्तु उन्हें तो सास्कृतिक पार्थक्य एवं आधिक हीनता के कारण नियमत यज्ञ कर्म से वहिष्कृत कर दिया गया था।^२

उपनिषद्कालीन दार्शनिक चिन्तन-धारा के विकास के पीछे कर्मकाण्ड-प्रधान यज्ञ सत्था के विरुद्ध होने वाली सामाजिक प्रतिक्रिया थी जिसका मुख्यरूप आरण्यकों में द्विष्टव्य है। जिजासु एवं बुद्धिजीवी जनों ने कर्मकाण्डों की स्थूलता एवं वाह्याङ्म्बर में अन्तनिहित सत्य को ढूँढ़ने का प्रयास किया। फलत कालऋग्मेण देवयज्ञ के समक्ष आत्मयज्ञ की अनुष्ठान प्रतिपादित हुई। कर्म से विद्या का अधिक महत्व शीघ्र ही समझ और घोषित किया गया।^३

यज्ञ उत्तर-वैदिक धर्म का भेददद है। अग्नि में नाना देवताओं को उद्दिष्ट कर हविष्य अथवा सोमरस का हवन यज्ञ के नाम से अभिहित किया जाता है। नृत्यवेत्ताशों ने यज्ञों के विकास के पीछे अनेक मूलभूत कारणों का उल्लेख किया है। उदाहरणार्थ वलिदान (Gift offering) पितृपूजा (Ancestor-Worship) उर्वरतामूलक अनुष्ठान (fertility rite) देवता से सामीप्य स्थापन (Communion with deity) तथा पापों से मुक्ति आदि यज्ञ के प्रमुख प्रेरक तत्व माने गये हैं।^४ इनमें से प्राय प्रत्येक के समर्थक प्रमाण ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैं।^५ यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों में यज्ञ-सत्था का साम्राज्य है तथा उसके

१. ऐत० ब्रा० १६

२. शत० ब्रा० ३ १०१०

३. स्टडीज इन दि औरिजिन्स आव बुद्धिम, पृ० २७६-८०

४. द्विष्टव्य, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग १, पृ० ३५३-२७८

५. द्विष्टव्य—रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग १, पृ० २५७ और उसके आगे। अश्वमेष उर्वरतामूलक यज्ञ है। पिरेड-पितृपूजा में पितृपूजा स्पष्ट है। इसी प्रकार 'इडाभक्षण' अनुष्ठान देवता से सामीप्य की मावना का सकेत करता है। वलिदान तथा पाप से मुक्ति का आव तो विविध यज्ञों में प्रकट रूप से विद्यमान है।

नाना अनुष्ठानों का इतना सूक्ष्म वरण्णन है कि पाठक को आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। इस सत्था के सर्वाञ्जपूर्ण विवेचन के लिए श्रौत एवं गृह्य सूत्रों की सहायता भी अपेक्षित है। उत्तर वैदिक युग में यज्ञ बहुत ही व्ययसाध्य, विस्तृत एवं रहस्यात्मक हो गये थे। कुछ यज्ञ महीनों तथा वर्षों तक चलते थे। इनका सम्पादन अधिकाशत् सासारिक सुख एवं ऐश्वर्य के लिये होता था। इनमें अन्तर्निहित वरिष्ठ-वृत्ति (लेन-देन का भाव) यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों में अनेकत्र मुखरित है।^१ इस युग में सब कर्मों में यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया।^२ यज्ञ से सृष्टि के निर्माण की बात ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में ही भिलती है जिसे प्रकारान्तर से ब्राह्मणों में अनेकश दुहराया गया है।^३ यज्ञ को पाप से मुक्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में भी प्रतिष्ठित किया गया। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्निहोत्र अनुष्ठान से प्राणी अपने सब पापों से मुक्त हो जाता है।^४ इसी ग्रन्थ में अन्यत्र कहा गया है कि अश्वमेष करने वाला अपने समस्त पापों को तथा ब्रह्महत्या को दूर भगा देता है।^५ गोपथ ब्राह्मण में एक सुन्दर उपमा द्वारा इस पापमोचन के तत्त्व को समझाया गया है। इसके अनुसार जिस प्रकार साप अपनी पुरानी कैचुल से छूट जाता है तथा 'इषीका' मूज से छूट जाती है उसी प्रकार शाकला का हृवन करने वाला समस्त पापों से छूट जाता है।^६ उत्तर-वैदिक साहित्य में इस बात का प्रचुर सकेत है कि यज्ञ देवताओं से भी अधिक महत्वपूर्ण माने जाते थे। इस युग के प्रमुख देवताओं को यज्ञ का आध्यात्मिक प्रतीक माना गया। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यज्ञ प्रजापति का ही प्रत्यक्ष रूप है।^७ इसी प्रकार विष्णु तथा शाकाश में देवीपूर्णभान आदित्यों का भी तादात्म्य यज्ञ से स्थापित किया गया।^८ पचर्विंश ब्राह्मण के एक प्रसग में तो यह भी कहा गया है कि

१. वाज० सं० ३ ५०, शत० ब्रा० ३ ५ ३ १६

२. शत० ब्रा० १.७ ३.५, यज्ञो वै श्रेष्ठतम् कर्म ।

३. ताण्डय ब्रा० ६ १

४. शत ब्रा० २ ३. १०. ६

५. शत० ब्रा० १३ ४. ४. १

६. गो० ब्रा० ४ ६

७. शत० ब्रा० ४. ३ ४ ३, एपवै प्रत्यक्ष यज्ञो यत् प्रजापति ।

८. शत० ब्रा० ५ २ ३ ६, ५. ४ ५. १, १४. १. १ १६

यज्ञ ह्यारा ही देवता तेज एवं शक्ति प्राप्त करते हैं ।^१ उत्तर वैदिक साहित्य में यज्ञ ह्यारा देवताओं को बाध्य एवं वशीभूत करके इच्छानुकूल फल के प्राप्ति की बात अनेकत्र कही गई है ।^२

इस युग में अनेक यज्ञों में ऋत्विक् के कर्मों का चतुर्था विभाजन दृष्ट होता है । होता नामक ऋत्विक् ऋक्-संहिता के ऋचाओं का पाठ करता था । अध्ययुँ कर्म का भार सम्भालता था तथा यजुर्वेद से सम्बद्ध होता था । उद्गाता सामग्रण करता था और ब्रह्मा समस्त यज्ञ कर्म का अध्यक्ष होता था । उसका सम्बन्ध अथर्ववेद से था । सौभ यज्ञों में पुरोहितों की सख्ता सोलह तक होती थी जो विविध कर्मों को सम्पादित करते थे । इनमें मुख्य ऋत्विजों के तीन-तीन सहायक हुआ करते थे ।

उत्तर-वैदिक काल में यज्ञों की सख्ता में अतिशय विस्तार हुआ तथा स्थूलरूपेण उनके वर्गीकरण का भी प्रयास किया गया । अग्नि प्रसुखतया दो प्रकार की भानी गई—स्मार्ताग्नि और श्रीताग्नि ।

यज्ञों का वर्गीकरण

इनमें प्रथम आग्नि की स्थापना प्रत्येक विवाहित वर्षक्ति के लिये कर्तव्य है । इस वृद्धाग्नि में क्रियामाण यज्ञ पाक-यज्ञ कहलाता है, जिसके अन्तर्गत श्रीपासन होम, वैश्वदेव, पार्णव, अष्टका भासिक, श्राद्ध, श्रवण, शूलग्रव आदि सात यज्ञों की गणना हुई है । ये यज्ञ साधारण और सरल हैं । श्रीत यज्ञों को हवियंज और सोमयज्ञ इन दो भागों में विभाजित किया गया है ।^३ हवियंज के अंतर्गत अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रयण, निरुद्ध-पशु वन्ध, सौत्रामणी और पिराड-पितृयज्ञ माने गये हैं । इसी प्रकार सोमयज्ञ के अन्तर्गत अग्निष्ठोम, अत्यग्निष्ठोम, उव्यय, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आत्मोर्यासि का उल्लेख है । पुनर्श्च यज्ञों का विभाजन एकाह, अहीन और सत्र में हुआ है । नाहूण युग में राजसूय और अश्वमेष सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोम-यज्ञ माने गये । राजाओं की शक्ति एवं प्रभुत्व में वृद्धि स्वाभाविक थी । नाहूण युग तक सोम-यज्ञों के लिये विस्तृत चितियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा ।

१ पच० न्ना० १०. ८ ४ १

२ तै० सं० २ ३, १ ५, प० न्ना० ६ २ २२

३ काणे, हिस्टरी आव घर्मशास्त्र, जिल्ड २, भाग २, पृ० ६७६

कीथ, रिलिजन एएड फिलोसोफी आव दि वेद एएड उपनिषद्स, भाग २-विन्टरनित्स, हिस्टरी आव इंडियन लिटरेचर, भाग १, पृ० २७१

अग्निहोत्र प्रतिदिन प्रात काल और सन्ध्याकाल में अग्नि की उपासना है जिसमें मुख्यतः दूध की तथा गौणतः यवागू, तण्डुल, दधि और घृत भी आहृति दी जाती थी। ब्राह्मण-साहित्य में अग्निहोत्र के उद्देश्य एव महत्व पर वैमत्य है। यह प्रायः स्वीकृत है कि इसका उद्देश्य अशात् उदीयमान सूर्य की सहायता करना है।^१ इसे पापों से मुक्त करने वाला तथा स्वर्ग ले जाने के लिये उत्तम नाव माना गया।^२ सूर्य के विषय में यह विश्वास था कि वह शाम की अग्नि में समाहित हो जाता है।^३ इस आधार पर अनेक कल्पनायें की गई। अग्निहोत्र के अनेक तत्वों की प्रतीकात्मक व्याख्या भी हुई।^४ जनक को इस बात का श्रेय दिया गया है कि उन्होंने अग्निहोत्र की प्रक्रिया को चूलोक, अन्तिरिक्ष, पृथ्वी, पुरुष एव छी में ढूढ़ने का प्रयास किया।^५ इस प्रसंग में अग्निहोत्र की दार्शनिक व्याख्या का प्रयास दिखाई देता है।

दर्श और पूर्णमास यज्ञ को अन्य सभी इष्टियों की प्रकृति माना गया है। दर्श पूर्णमास याग क्रमशः अमावस और पूर्णिमा को किये जाते थे।

दर्श और पूर्णमास द्रव्यक याग तथा इन्द्रदेवताक पर्योदब्यक याग, ये तीन भाग होते हैं। पूर्णमास में अग्नि देवताक अष्टाकपाल पुरोडाश याग, अग्निषोमीय आज्यद्रव्यक उपाशुयाग, तथा अग्निषोमीय एकादश कपाल पुरोडाश याग, ये तीन भाग होते हैं। इस प्रकार छ यागों की समष्टि दर्शपूर्णमास के नाम से प्रसिद्ध है। दर्श में अग्नि और इन्द्र प्रमुख देवता हैं और पूर्णमास में अग्नि और सोम। सोम और अग्नि के इस विच्चित्र सम्पर्क ने विद्वानों का ध्यान 'आकर्षित किया है।^६ सम्भवतः

१. द्रष्टव्य, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, पृ० ३१८

२. शत० ब्रा० १, पृ० १६१ (अच्युत प्रन्थमाला)

३. शत० ब्रा० १ पृ० १७८ (")

४. शत० ब्रा० २, पृ० ११७४ (")

५. शत ब्रा० १, पृ० २५० (")

६. ओल्डेनवर्ग का मत, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग २, पृ० ३२१ पर चद्घृत

लोगों का ऐसा विश्वास था कि दर्शन-यज्ञ के सम्पादन से चन्द्रमा के पुनरोदय एवं बृहदि में सहायता मिलती है।^१

चार-चार मासों में अनुष्ठेय होने के कारण इसका यह नामकरण है। इसका सम्बन्ध स्पष्टत ऋतुओं से है। इसमें चार पर्व होते हैं। वैश्वदेव का फाल्गुनी पूर्णिमा को तथा वरुण-प्रधास का सम्पादन चातुर्मास्य आषाढ़ी पूर्णिमा को होता था। साक्षेष चार मासों के अनन्तर कार्तिकी पूर्णिमा को तथा शुना-सीरीय फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को अनुष्ठेय थे। वरुण-प्रधास का सम्बन्ध स्पष्टत पापमोचन से है।^२ शुनासीरीय कृषि कर्म से सबधित अनुष्ठान है।^३ यह भी कहा गया है कि वैश्वदेव अग्नि से सायुज्य प्राप्त कराता है, वरुण-प्रधास वरुण से तथा साक्षेष हन्द्र से। साक्षेष अनुष्ठान में व्यम्बक को बलि बढ़ाने की महत्वपूर्ण बात कही गयी है। उन्हें बलि चोराहे पर दी जाती थी। इस अवसर पर एक पिण्ड उत्तर की दिशा में चौटियों के झुएड़ पर फेंक दिया जाता था तथा कहा जाता था 'हे रुद्र यह तुम्हारा भाग है'। इस प्रसग में आगे रुद्र से मूजबन्त के उस पार जाने को कहा जाता है।^४ साक्षेष का यह प्रसग दो बातों को सूचित करता है। प्रथम यह कि उत्तर-नैदिक ऋत्विज समाज की दृष्टि में रुद्र की स्थिति अन्य देवताओं से पृथक् थी। हूसरे उनको बलि भी आदिम-विधि से प्रदत्त की जाती थी तथा यजमान-बलि द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास करता था।

आग्रयण इष्टि का प्रयोजन स्पष्ट है। नवीन उत्पन्न द्रव्य (वान् तथा यव) से शरद तथा वसन्त में यह इष्टि विहित है। यह नित्य इष्टि है। इसके अनुष्ठान के पश्चात् ही आहिताग्नि नये अन्न को खाता है।

-
१. घात० ब्रा० २, पृ० ११६६६७ (धन्युत ग्रंथमाला)
 २. रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद् एण्ड उपनिषद्स,-भाग २, पृ० ३२२
 ३. कीथ, पूर्व निर्दिष्ट पुस्तक, भाग २, पृ० ३२३
 ४. द्रष्टव्य, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद् एण्ड, उपनिषद्स,-भाग २, पृ० ३२२

पशु-यज्ञ प्रति वत्सर वर्षाक्रिडतु में करने का विधान था । कही-कही उत्तरायण के तथा दक्षिणायन के आरम्भ में दो बार भी विकल्प से अनुष्ठान विहित है । द्रव्य है छाग और वह भी प्रत्यक्ष नहीं, निरुद्ध पशु वन्ध प्रत्युत उसके वपा, हृदय, वक्ष यकृत आदि नाना अगो का होम इन्द्राग्नि, सूर्य, अथवा प्रजापति के उद्दीश्य से अग्नि में विहित है । खदिर अथवा विल्व के वृक्ष में छाग को बांध कर सज्जपन करते हैं । तदनन्तर अग्निशेषों को निकाल कर यज्ञ में हवन करते हैं । क्रमशः पशुवध में होने वाली हिंसा की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ ।^१ अत पुरोहितों ने पशु-यज्ञ को रहस्यात्मक (Mystical) और मिथ्याभिचारिक (Quasi-Magical) स्वरूप प्रदान करने का प्रयास भी किया ।^२

यद्यपि सूत्र-साहित्य में सौत्रामणी को हृविर्यज्ञ के अन्तर्गत स्थान दिया गया है किन्तु यह याग सोम-यज्ञ के अधिक निकट प्रतीत होता है ।^३ इसमें पशु और सुरा की वलि दी जाती थी । हिलेश्वान्त सौत्रामणी इसो ब्रह्मणेतर अनुष्ठान मानते हैं जिसे सोम-यज्ञ के अनुसार परिष्कृत एव सञ्जित किया गया किन्तु कीथ महोदय ने इस मत की सतर्क आलोचना की है । वे इसका मूल इन्द्र-स्वर्धी पुराकथा में आधारित मानते हैं ।^४ स्वतत्र और अग्नभूत होने से यह द्वष्टि दो प्रकार की होती है । स्वतत्र याग में ब्राह्मण का ही तथा अग्नभूत से क्षत्रिय एवं वौश्य का अधिकार माना गया है । पशु तीन होते हैं—अज, मेष और जूषभ तथा देवता भी यथाक्रम अश्विनी, सरस्वती और इन्द्र होते हैं । प्रारम्भ में ‘सौत्रामण्या सुराग्रह’ सम्बवत् एकान्त नियम या किन्तु धाप-स्तम्भ श्रोतुसूत्र में ‘पयोग्रहा वा स्यु’ ‘नियम भी विकल्पतः मिलता है ।^५

१ शास्त्रायन ब्राह्मण ११३ में कहा गया है कि यज्ञ में हिस्ति पशु दूसरे लोक में जाकर यज्ञकर्ता को खाते हैं ।

२ शत० द्रा० १३७६, ३८४ (अच्युत ग्रथमाला)

३ रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड दि उपनिषद्स, भाग २, पृ० ३५२ ।

४. कीथ, पूर्वनिदिष्ट पुस्तक, भाग २, पृ० ३५३-५४, अतिशय सोम-यज्ञ से इन्द्र रुग्ण हुये तथा अश्विनी और सरस्वती के प्रयत्न से स्वस्थ हुये ।

५. धाप० श्री० सू० १९ २ २३

पितृ यज्ञ के अन्तर्गत बलि द्वारा पितरो को सन्तुष्ट किया जाता था। इस यज्ञ के प्रसग में पारिवारिक तथा श्रीत अनुष्ठानों में नितान्त साम्य है।

पिण्डपितृयज्ञ पितृ यज्ञ के स्वरूप के अध्ययन से यह बात प्रकट होती है कि पितरो तथा देवताओं के प्रति लोगों के भाव में पर्याप्त अन्तर था।^१ देवताओं के प्रति किये गये यज्ञ में जहाँ फल-प्राप्ति की कामना प्रमुख थी वहीं पितृयज्ञ के मूल में पूर्वों के प्रति श्रद्धा-भाव ही मुख्य प्रेरक तत्व था।

सोम यज्ञ सोम यज्ञों की विशालता एवं जटिलता विशेष उल्लेखनीय है जो विशेषत वाजपेय, अश्वमेघ तथा राजसूय इत्यादि राजनीतिक महत्व के यज्ञों में पराकाष्ठा पर पहुँच गई है। सोम रस की आहुति देने से इन यज्ञों को सोम-गाग के अन्तर्गत भाना गया है। वाजपेय प्रारम्भ में एक अनिय अनुष्ठान था जिसका लक्ष्य विजय प्राप्त करना था।^२ वैसे नाहाण साहित्य में इसका सम्पादन ब्राह्मणों के लिये भी विहित है। ईशुप्राप्तन, अजिधावन, चुदुभिवादन, आदि इसके प्रमुख तत्व हैं। यूपारोहण जैसे अनुष्ठानों को सम्भवत बाद में जोड़ा गया।^३ अश्वमेघ यज्ञ के सौर और उर्वरतामूलक अनुष्ठान होने के बिन्द स्पष्ट हैं। इस दृष्टि से मेघ श्रव तथा राजमहिषी का समागम उल्लेखनीय है।^४ भूलत अश्वमेघ यज्ञ का उद्देश्य उर्वरता के कारणभूत वसन्त के सूर्य के आगमन पर उत्सव भनाना था।^५ कालक्रमेण यह यज्ञ राजाओं के दिविजय से सम्बन्धित किया गया। राजसूय के अन्तर्गत राजा के अभिषेक तथा उससे सम्बन्धित अनेक अनुष्ठानों का सकलन है। अभिपेचन, धूतकीडा, रण-धावन, तथा रत्नहर्षिषी आदि इसके प्रमुख तत्व हैं। इस यज्ञ के प्रसग में प्रयुक्त प्रतीक, प्रतिज्ञा तथा

^१ रिलिजन एण्ड फिलोसोफी शाव दि वेद एण्ड दि उपनिषद्स, भाग, २, पृ० ४२१

^२ गो० ब्रा० ५.८

^३. द्रष्टव्य, स्टडीज इन दि शोरिजिन्स शाव चुद्धिज्म, पृ० २७०

^४ चत० ब्रा० १३.५.२

^५ रिलिजन एण्ड फिलोसोफी शाव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग २, पृ० ३४६

आशीप राजनीतिक सगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही उनसे तत्कालीन सामाजिक सगठन, विशेषतः 'वणों' के पारस्परिक सम्बन्ध एव उनकी तुलनात्मक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है।

'यज्ञा यज्ञा वो आग्नये' (ऋ० ४८ १) ऋचा पर सामग्रान अग्निष्ठोम कहलाता है। इस साम के अन्तिम होने से यह याग कहलाता है 'अग्निष्ठोम संस्था' और लघुता की दृष्टि से केवल 'अग्निष्ठोम'।

अग्निष्ठोम यह याग पाच दिनों तक चलता है। ऐष्टिक वैदि

मे आनुषंगिक इष्टियों का तथा सीमिक वैदि मे प्रधान इष्टियों का अनुष्ठान किया जाता है। प्रकृति याग होने से इसका विशेष महत्व है। वारह शस्त्रों का प्रयोग इसकी विशेषता है। हिलेव्रान्त महोदय इस अनुष्ठान को वसन्तोत्सव से सम्बन्धित मानते हैं किन्तु इस मत के पक्ष मे प्रमाणों का अभाव है।^१

इसका स्वरूप भी बहुत कुछ अग्निष्ठोम के समान ही है। इसमे पूर्व उच्चय याग से तीन शस्त्र अधिक होते हैं। शस्त्रों एव स्तोत्रों की सख्या पन्द्रह होती है। दो पशुओं की बलि दी जाती है।

इस इष्टि मे उच्चयम के अनन्तर एक पोडशी नामक स्तोत्र और विद्यमान रहता है। पन्द्रह स्तोत्रों को गमित कर एक और स्तोत्र की सत्ता इसकी विशिष्टता है। यह स्वतन्त्र त्रितु नहीं है इसलिये घोडशी अग्निष्ठोम की भाँति इसका अनुष्ठान पृथक् रूप से नहीं होता है। इसमे मेध्य पशुओं मे तीसरे पशु (मेष) भेडा का भी उल्लेख है।

पोडशीस्तोत्र के अनन्तर अतिरात्र सज्जक सामों का गायन इस याग के ग्रन्त मे होता है। इसमे उन्तीस स्तोत्र और अतिरात्र शस्त्र होते हैं। इसका सम्पादन रात्रिकाल मे होता है तथा इसमे मेध्य पशुओं की सख्या चार होती है। उपर्युक्त चारों यागों का सामूहिक अभिधान ज्योतिष्ठोम है।^२ प्राचीनतर संहिताओं मे अत्यग्निष्ठोम, आसीर्यमि और वाजपेय की गणना ज्योतिष्ठोम

१. रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग २, पृ० ३२७

२. ती० ब्रा० १५ ११

के मन्त्रगंत नहीं हुई है। सम्भवत वाद में संख्या को सात करने के लिए इन्हें जोड़ दिया गया १ क्योंकि सात की संख्या परम्परागत रूप से सुभ एवं पवित्र मानी जाती थी।

इसमें अर्पितोम के अन्तर्गत बिना उच्च्य किये होडशी का विधान किया जाता है। इसमें तेरह शब्द एवं स्तोत्र होते हैं। अर्पितोम तथा अर्पितष्टोम में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

आसोर्यम को यश्चन्त्र अतिरात्र के साथ अहीन यज्ञों के अन्तर्गत माना गया है तथा अन्यत्र इसकी गणना एकाह यज्ञों में हुई है। अतिरात्र के सचिं स्तोत्र तथा आश्विन शस्त्र के बाद इसमें क्रमशः चार स्तोत्र और शब्द अधिक जोड़े गये हैं।^२

सोम यज्ञों में सर्वाधिक जटिल, विकृत एवं दीभरत पुरुषमेघ तथा अर्पितयन के प्रसाग में चिति-निर्माण से सम्बन्धित पच-पुरुषमेघ पशु यज्ञ है। पुरुषमेघ के अन्तर्गत तो मनुष्य की बलि का विधान है ही,^३ साथ ही 'चिति-निर्माण में' मेघ पाच पशुओं के अन्तर्गत भी मनुष्य की गणना हुई है।^४ शुक्ल यजुर्वेद तथा कुण्ड यजुर्वेद के ब्राह्मणों एवं सूत्रों में पुरुषमेघ तथा अग्निच्यन का जो वर्णन उपलब्ध होता है, उससे प्रकट होता है कि- उत्तर-वैदिक युग में नरमेघ विद्वान्तिक रूप से स्वीकृत था। इस प्रसाग में यह उल्लेखनीय है कि कुछ विद्वानों का दूसरा पक्ष य शत वास्तविक नर-बलि की प्रथा का प्रचलन

१ आप० श्री० सू० १४०।४, का० श्री० सू० १००।२८

२ द्व्यष्ट्य, कीथ पूर्व निर्विष्ट पुस्तक, भाग २, पृ० ३२६

३ शत० ब्रा० १३ ६ २ १, यदस्मिन मेघ्यान्पुरुषानालभते तस्मादेव पुरुषमेघ ।

४. शत० ब्रा० ६ २ १ १८

५ ईंग्लिंग, सेनेड कुच्च आफ दि ईंस्ट, भाग ४४, पृ० ३४, कीय, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग २, पृ० ३६२

स्वीकार करता है।^१ मित्र महोदय (R.L. Mitra) के भत्तानुसार तीति-रीय शाखा के अन्तर्गत पुरुषमेघ का स्वरूप कथमपि प्रतीकात्मक नहीं था जब कि शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण शतपथ के अनुसार सभी मेघ मनुष्य प्रतीकात्मक अनुष्ठान के पश्चात् मुक्त कर दिये जाते थे।^२ किन्तु उनका यह भत्ता भी पूर्णत निरापद नहीं है। ब्राह्मण एवं सूत्र साहित्य के अध्ययन से जो स्थिति स्पष्ट होती है उससे सूचित है कि कृष्ण यजुर्वेदीय एवं शुक्ल यजुर्वेदीय दोनों शाखाओं के अनुसार पर्यग्निकरण के पश्चात् कुछ मनुष्य मुक्त कर दिये जाते थे तथा वाँकी का बलिदान होता था। कात्यायन श्रीत सूत्र में मेघ मनुष्यों की भ्रुक्ति के प्रति विशेष उदारता प्रदर्शित की गई है तथा विकल्पतः उनके स्थान पर हिरण्य पुरुष तथा मृणमय पुरुष को भी प्राप्त बताया गया है।^३ असम्भव नहीं है कि यह श्रीतसूत्र नवोदित अर्हिता के सिद्धात से प्रभावित होने के कारण अग्निचयन की परम्परागत प्रक्रिया में कुछ शियिलता का आरोप करता हो। हिलेन्नान्त महोदय पुरुषमेघ के प्रचलन को स्वीकार करते हुए भी इतने बड़े मानव-समूह का बघ सन्दिग्ध मानते हैं जिसका वर्णन वाजसनेयी सहिता, शतपथ ब्राह्मण तथा अन्य ग्रन्थों में हुआ है।^४ सैकड़ों की सख्या में मनुष्यों की बलि आश्चर्यजनक एवं असम्भाव्य होते हुये भी असम्भव नहीं है। यूरोपीय आर्यजातियों में 'ओथिन सम्प्रदाय' (कल्ट आफ ओथिन) के अन्तर्गत भी बहुसंख्यक मनुष्यों की बलि दी जाती थी। इस प्रसाग में निन्यानवे मनुष्यों और अश्वों के बघ का उल्लेख मिलता है।^५ इस सख्या को देखते हुये वाजसनेयी सहिता में उल्लिखित एक सौ चौरासी तथा शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित एक सौ छाछ भेद्य मनुष्यों की सख्या भी स्वीकार की जा सकती है, विशेषत इसलिये कि पुरुषमेघ के प्रसाग में उल्लिखित सभी मनुष्यों का बघ नहीं होता था। उनमें से बहुसंख्यक पर्यग्निकरण के पश्चात् उसी प्रकार छोड़ दिये जाते थे जिस प्रकार अश्वमेघ में बनैले पशु।^६ प्राचीन आर्य

१. वैवर्य और हिलेन्नान्त का भत्ता, जी० आर० शर्मा, एक्सकेवेमन्स एट कौशाम्बी, पृ० १७ पर उद्धृत

२. जे० ए० एस० वी०, १८७६, पृ० १०३

३. कात्या० श्री० सू० १६ ३२,

४. वाजसनेयी सहिता में भेद्य मनुष्यों की सख्या १८४ तथा शत० ग्रा० में १६६ बताई गई है।

५. चादविक, दि कल्ट आर्य ओथिन, पृ० २४

६. शत० ग्रा० १३.६ २.१, तुलनीय आप० श्री० सू० २० १७ ५

जातियों में पुरुषमेघ का प्रचलन सुविदित है।^१ किन्तु यह आदिम एवं बर्वेर परम्परा ऋग्वेदिक संस्कृति में मृतप्राय है। यह बात शून वैष्ण की मुक्ति तथा उसकी कथा में अन्तर्निहित कशणोत्पादन के उद्देश्य द्वारा सूचित होती है। सम्पूर्ण ऋग्वेद में पुरुष-सूक्त के अतिमानवीय पुरुषमेघ को छोड़कर वास्तविक पुरुषमेघ का उल्लेख कही नहीं है।^२ उत्तर वैदिक काल में इस प्राचीन एवं आदिम परम्परा का उन्मज्जन बहुत ही आश्वर्यजनक है।^३ पुरुषमेघ यज्ञ के स्वरूप, उद्देश्य तथा इसकी सामाजिक मान्यता के ज्ञान-हेतु उत्तर-वैदिक साहित्य में उपलब्ध इसके विधि विधानों का सक्षित अध्ययन और विवेचन भी कर्तव्य हैं।

सामान्यत पुरुषमेघ यज्ञ पाव दिन तक चलता था।^४ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यह चालीस दिनों तक भी चल सकता है।^५ जिस प्रकार अइवमेघ में अश्व प्रवान मेध्य पशु है उसी प्रकार पुरुषमेघ में मनुष्य। इस यज्ञ की सम्पादन-पद्धति भी अश्वमेघ पर ही आधारित है।^६ सत्यासाठ श्रीतसूत्र में कहा गया है कि पुरुषमेघ के अधिकारी ब्राह्मण और राजा ही होते हैं।^७ इसी प्रकार कात्यायन श्रीत सूत्र में भी पुरुषमेघ के अधिकारी ब्राह्मण और क्षत्रिय माने गये हैं।^८ पुरुषमेघ के लिये एक ब्राह्मण या क्षत्रिय को सहस्र गायें और सी धोड़े देकर खरीदने का विधान था।^९ यदि क्रय के माध्यम से कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो किसी शत्रु को जीत कर उसको बलि देनी

१ श्रीदर, प्रिहिस्टोरिक एण्टिविटीज आव दि आर्यन पिपुल्स, यफ० बी० जेवन्स का अनुवाद, पृ० ४२२

२ दिलिजन एराड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड दि उपनिषद्स, भाग २, पृ० ३४७

३ अथर्ववेद ११ २ ६ में रुद्र को पुरुष-वलि देने का प्रारम्भिक उल्लेख मिलता है।

४ शत० ब्रा० १३.६ १ १, पञ्चाह पुरुषमेघ ।

५ शत० ब्रा० १३ ६ १ २

६ शाला० श्री० सू० १६ १० २, सर्वमाश्वमेघिकम्

७ सत्या० श्री० सू० १४ ६ १, राजा ब्राह्मणो वा

८ आप० श्री० सू० २० २४ २, ब्राह्मणो राजन्यो वा यजेत । का० श्री० सू० २५ २

९ शाला० श्री० सू० १६ १० ६, ब्राह्मण क्षत्रिय वा सहस्रे गु शताश्वेनावकीय

चाहिये ।^१ यदि उसकी पत्नी अवरोध करे तो उसकी सम्पत्ति छीन लेने तथा अद्वाहाणी होने पर उसकी हत्या करने की बात भी कही गई है ।^२ इस प्रकार प्राप्त पुरुष को स्नानादि द्वारा पवित्र करके एक वर्ष तक स्वतन्त्र छोड़ देने की व्यवस्था थी । उस काल में वह ब्रह्मचर्य का भग नहीं कर सकता था ।^३ वर्ष के पूरा होने पर इन्द्र और पूषन को पशु-वलि दी जाती थी ।^४ शुश शैष काषीवन्त आदि से सम्बन्धित नाराशसी का पाठ होता था ।^५ शतपथ ब्राह्मण, कात्यायन श्रोत सूत्र तथा आपस्तम्ब श्रोत सूत्र में पुरुष मेघ के लिये ग्यारह यूपो का विधान है ।^६ किन्तु शास्त्रायन श्रोत सूत्र में पञ्चीस यूपो के निर्माण का उल्लेख है ।^७ पुरुष मेघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान तीसरे दिन होता था । इस अवसर पर मेघ्य पुरुषों को विविध-यूपों में वाधा जाता था ।^८ पुरोहित यूपवद्ध मनुष्यों की ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के सत्रों के माध्यम से प्रशासा करता था । इससे पुरुषमेघ एवं पुरुष सूक्त का सम्बन्ध प्रकट होता है । इसके पश्चात् मेघ्य मनुष्यों का पर्यन्तिकरण होता था ।^९ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पर्यन्तिकृत मनुष्य मुक्त कर दिये जाते थे तथा केवल ग्यारह मनुष्यों का वध होता था जो पर्यन्तिकृत नहीं होते थे ।^{१०} अश्वमेघ यज्ञ में भी पर्यन्तिकृत पशुओं को मुक्त करके ही अश्व वध होता था ।^{११} ब्राह्मणों तथा सूत्रों के अध्ययन में इतना सुनिश्चित है कि कर्मकाढीय माहित्य में वास्तविक पुरुषमेघ का विधान था किन्तु यह कहना निश्चित ही कठिन है कि समाज द्वारा इस प्रकार के अमानुषिक यज्ञों को कितनी मान्यता प्राप्त थी । यह यज्ञ अवश्य ही जनसाधारण के घृणा एवं भयभिन्नित

१ वैत्तन श्रो० सू० ७ ३७ १६, सप्तन विजित्य तेन यजेत्

२ शास्त्रा० श्रो० सू० १६ १० ६ सवत्सरायोत्सृजन्ति

३ शा० श्रो० सू० १६.१० ६ सर्वकामिनमन्यत्रा ब्रह्मचर्यति

४ वैत्तान श्रो० सू० ७ ३७ २१

५ शास्त्रा० श्रो० सू० १६ ११

६. शत० ब्रा० १३०.६ १.६, कात्या० श्रो० सू० २१.४, यूर्यकादशिनी भवति

७ शास्त्रा० श्रो० सू० १६ १२ ६

८. कात्या० श्रो० सू० २१ ७-६

९ शत० ब्रा० १३ ६.२ १२

१०. शत० ब्रा० १३.६ २ १३ १५, एकादशिनैं सत्यापयति

११. आप० श्रो० सू० २० १७.५

श्रद्धा का विषय रहा होगा। ब्राह्मणसाहित्य में किसी राजा द्वारा पुरुषमेघ के सम्पादन का उल्लेख नहीं मिलता। प्रायः सर्वत्र इसका संदान्तिक विवरण ही उपलब्ध होता है। सम्भव है कि पुरोहितों के प्रभाव से आक्रान्त किसी राजा ने पुरुषमेघ को व्यावहारिक रूप भी दिया हो, किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में निश्चायक साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। कतिपय पुरातात्त्विक प्रमाण अवश्य उपलब्ध हैं जिनसे यह सूचित होता है कि पुरुषमेघ की प्रथा व्यावहारिक नीवन में भी सर्वथा अज्ञात नहीं थी।^१ पुरातात्त्विक साक्षों का विवेचन अग्रिम पृष्ठों पर अग्निचयनके प्रसग में किया जायगा। इसके पूर्व पुरुषमेघ के उद्देश्य तथा इसके पीछे उपस्थितमूल भावना का अध्ययन आवश्यक है।

शतपथ ब्राह्मण ने पुरुषमेघ के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि इसके सम्पादन से 'पुरुष-नारायण' की द्वितीय सर्वश्रेष्ठ हो गई। इसी प्रकार इसका यजमान भी सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हो जाता है तथा सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है।^२ सत्यावाढ श्रीत सूत्र में यह भी कहा गया है कि सभी प्राणियों में ज्येष्ठ्य, तथा श्रेष्ठ्य तथा स्वाराज्य एवं आधिपत्य का इच्छुक व्यक्ति पुरुषमेघ करे।^३ शाक्षायन श्रीत सूत्र में कहा गया है कि प्रजापति को जो अश्वमेघ से नहीं प्राप्त हो सका उसे पुरुषमेघ द्वारा प्राप्त किया।^४ गोपथ ब्राह्मण में राजनीतिक महत्व के यज्ञों का उल्लेख करते हुये राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ, पुरुषमेघ और सर्वमेघ द्वारा प्रजापति के क्रमशः राजा, सप्तराट, स्वराट, विराट, और सर्वराट होने की वात कही गई है।^५ इन सभी उद्धरणों से स्पष्ट है कि पुरुषमेघ के सम्पादन का उद्देश्य इच्छानुकूल फल प्राप्त करना था किन्तु यज्ञ की मूल धार्मिक प्रेरणा ऋत्वेद के पुरुष-सूक्त (१० ६०) में उल्लिखित विराट-पुरुष की बलि से ली गई है। यह बात अग्निचयन के प्रसग में अधिक स्पष्ट है। ब्राह्मणों एवं सूत्रों में "ऐसे अनेक संकेत हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि अग्निचयन का उद्देश्य चेस प्रजापति-

१ शर्मा, जी० आर० एक्सकेवेसन्स एट कोशाम्बी, अध्याय ८, पृ० ८७-१२६

२ शत० ब्रा० १३ ६, १. १

३ सत्या० श्री० सू० १४ ६. १

४ शाक्षा० श्री० सू० १६ १०. १, प्रजापतिरक्षवमेघेनेष्ट्वा - पुरुषमेघम-पद्मत् । तस्य यदनासमश्वमेघेनासीत्तत्सर्वं पुरुषमेघेवाप्नोत ।

५. गो० आ० ५. ८

का उद्धार एवं पुनर्निमाण करना था, को पुरुष के रूप में बलिदान होकर नृष्टि के निर्माण के कारण बना।^३ इसीलिये प्रजापति का तादात्म्य यज्ञ वेदी से भी स्थापित किया गया है।^४

पुरुषमेघ का सकेत श्रगिनचयन के प्रसग में भी हुआ है। श्रगिनचयन में चित्तनिर्माण के समय जो पचपशु वध होता था उसमें धोड़ा, बकरा, भौंडा तथा सांड़ के साथ मनुष्य भी विद्यमान है। श्रगिनचयन को सोम याग का एक श्रग माना गया है।^५ श्रगिनचयन महाब्रत यज्ञ के लिये अनिवार्य तथा अन्य सोम यज्ञों के लिये ऐच्छिक था।^६ श्रगिनचयन के लिये एक वर्ष की अवधि निर्धारित है।^७ उत्तर-वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार की चित्तियों का उल्लेख हुआ है। तैत्तिरीय ब्राह्मणमें चन्दशिच्चति, श्येनचिति, श्रलजाचिति आदि दस चित्तियों का उल्लेख है जिनका उद्देश्य क्रमशः पशुप्राप्ति, स्वर्गं प्राप्ति, प्रतीष्ठा-प्राप्ति आदि बताया गया है।^८

चित्ति-निर्माण के प्रसंग में पञ्च पशुवध का जो विवान है उसके यथा-विधि पालन पर शतपथ ब्राह्मण वल देता है।^९ किन्तु अन्यत्र इसी ग्रन्थ में विकल्पत यह भी कहा गया है कि केवल अज की वलि से ही पाचों पशुओं का प्रतिनिधित्व हो जाता है।^{१०} वौघायन श्रौत सूत्र के अनुसार मनुष्य का सिर वेदी में रखने के लिये विना उसकी हत्या किये भी युद्ध में मृत व्यक्ति के शव से प्राप्त किया जा सकता है।^{११} आपस्तम्ब श्रौत सूत्र में भी यह कहा गया है कि यह सिर विद्युत से भरे व्यक्ति शथवा तीर से भरे व्यक्ति को भी हो सकता है।^{१२} कात्यायन ने तो हिरण्यमय या मृणमय कपाल को विकल्पत-

१. शत० ब्रा० ५ १ २ १३

२. शत० ब्रा० ८. २, १. १८,

३. कात्या० श्री० सू० १६ १, हिस्टरी आव घर्मशास्त्राज, ग्रन्थ २, भाग २,
पृ० १२४७

४. कात्या० श्री० सू० १६ २

५. शत० ब्रा० ६ १ २ २०

६. तै० ब्रा० ५ ४.११

७. शत० ब्रा० ६ २.१.३९

८. शत० ब्रा० ६.२ २.१५

९. वौ० श्री० सू० १० ६

१०. आप० श्री० सू० १६ ६.२, वैश्यस्य राजन्यस्य वेयुद्वस्याशनिहत्म्य वा।

ग्राह वत्तलाया है।^१ ऐसी स्थिति में चित्तनिर्माण के लिये मनुष्य-वध का प्रचलन प्राय अशात् अथवा अल्पज्ञात रहा होगा। अग्निचयन के प्रसंग मे यह भी उल्लेखनीय है कि इसका स्वरूप विशेषत तात्रिक, अभिचारपूर्ण तथा जटिल था। विविध आकार एवं बनावट वाली दस हजार ग्राठ सौ ईंटों का प्रयोग, कूर्म, सर्प, कमल-पत्र, हिरण्यमय पुरुष तथा पञ्च पशुओं के कपाल की वेदी मे स्थापना, अग्निचयन के तात्रिक स्वरूप को व्यक्त करता है।

अग्निचयन और पुरुषमेघ का सूचक विरल पुरातात्त्विक साक्ष्य कोशाम्बी के उत्तरनन से प्राप्त हुआ है। श्री गोवर्धन राय शर्मा कोशाम्बी के पूर्वी हार पर स्थित पक्षी के आकार वाली वेदिका को पुरुषमेघ से सम्बन्धित द्येन-चिति भासते हैं।^२ इस वेदी के उत्तरनन में जो सामग्रिया उपलब्ध हुई है उनके आधार पर उनका कहना है कि इस वेदी का सम्बन्ध पुरुषमेघ से था तथा इसका निर्माण याज्ञिक साहित्य में विहित नियमों के अनुसार हुआ था। इस वेदी पर न केवल अनेक मानव-कपाल और पशुओं की अस्थिया मिली हैं वर्तिक उखा, सर्प की लौहाकृति, कूर्म, और अपाढ़ा आदि इष्टिकायें भी उन्हें प्राप्त हैं। ये सभी वस्तुयें यजुर्वेदीय ग्राह्यणों तथा श्रौतसूत्रों के अनुकूल हैं। सर्वाधिक उल्लेखनीय अपाढ़ा नामक इष्टिका पर उत्कीर्ण 'देवलक्ष्म' (पुरुषमेघ यज्ञ के चिन्ह स्वरूप यूपबद्ध मनुष्य का इष्टिका पर अकन) है। कोशाम्बी की इस वेदिका मे प्राप्त अपाढ़ा नामक इष्टिका पर यूप से वधे मनुष्य का चित्र है जिसके ऊपरी हुई गद्दन पर कोई हथियार गिरता हुआ दिखाई देता है।^३ यह प्रतीक सम्भवत पुरुष मेघ से इस चित्र का सम्बन्ध-सूचित करता है। ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि पुरुषमेघ का प्रचलन-वास्तविक जीवन में भी सर्वथा अशात् नहीं था। शक्तिशाली राजाओं के स्वार्थ-साधन के लिये किसी निरीह मनुष्य की हत्या उस युग में सर्वथा सम्भव थी। इस विकृति के कारण ही यज्ञमूलक धर्म की लोकप्रियता भी सहसा लुप्त हो गई। उपनिषद्काल तक यज्ञों के विशद्द जो विद्रोह हुआ तथा अहिंसा के सिद्धान्त पर बल दिया गया उसके पीछे पशु-यज्ञ तथा विशेषत पुरुषमेघ की अमानुषिक परम्परा की प्रबल प्रतिक्रिया रही होगी।

-
१. कात्या० श्री० सू० १६३२, अन्यानि वा हिरण्यमानि वा मृत्युमानि वानालाम्येतान्।
 २. द्रष्टव्य, एकसकेवेसन्स एट कोशाम्बी, अध्याय न, ६
 ३. एकसकेवेसन्स एट कोशाम्बी, पृ० १३, प्लेट १८ वी

का उद्धार एवं पुनर्निर्माण करना था, को पुरुष के रूप में बलिदान होकर मृष्टि के निर्माण के कारण बना ।^३ इसीलिये प्रजापति का तादात्म्य यज्ञ वेदी से भी स्थापित किया गया है ।^४

पुरुषभेद का सकेत अग्निचयन के प्रसग में भी हुआ है । अग्निचयन में चित्तनिर्माण के समय जो पचपशु वध होता था उसमें धोड़ा, बकरा, भौंडा तथा सांड के साथ मनुष्य भी विद्यमान है । अग्निचयन को सोम याग का एक अग्र माना गया है ।^५ अग्निचयन महाव्रत यज्ञ के लिये अनिवार्य तथा अन्य सोम यज्ञों के लिये ऐच्छिक था ।^६ अग्निचयन के लिये एक वर्ष की अवधि निर्धारित है ।^७ उत्तर-वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार की चित्तियों का उल्लेख हुआ है । तैत्तिरीय ब्राह्मणमें चन्द्रशिवति, श्येनचिति, अलजाचिति आदि दस चित्तियों का उल्लेख है जिनका उद्देश्य क्रमशः पशुप्राप्ति, स्वर्गं प्राप्ति, प्रतीष्ठा-प्राप्ति आदि वत्तमा गया है ।^८

चित्ति-निर्माण के प्रसग में पञ्च पशुवध का जो विधान है उसके यथा विधि पालन पर शतपथ ब्राह्मण बल देता है ।^९ किन्तु अन्यत्र इसी ग्रन्थ में विकल्पत् यह भी कहा गया है कि केवल अज की बलि से ही पाचों पशुओं का प्रतिनिधित्व हो जाता है ।^{१०} वौद्यायन श्रीत सूत्र के अनुसार मनुष्य का सिर वेदी में रखने के लिये विना उसकी हत्या किये भी युद्ध में मृत व्यक्ति के शब्द से प्राप्त किया जा सकता है ।^{११} आपस्तम्ब श्रीत सूत्र में भी यह कहा गया है कि यह सिर विद्युत से भरे व्यक्ति अथवा तीर से भरे व्यक्ति को भी हो सकता है ।^{१२} कात्यायन ने तो हिरण्यमय या मृणमय कपाल को विकल्पत्-

१. शत० ब्रा० ५ १ २ १३

२. शत० ब्रा० द. २, १. १८,

३. कात्या० श्री० सू० १६ १, हिस्टरी ऑफ अर्मेशान्नाज, ग्रन्थ २, भाग २, पृ० १२४७

४. कात्या० श्री० सू० १६ २

५. शत० ब्रा० ६ १ २ २०

६. तै० ब्रा० ५.४.११

७. शत० ब्रा० ६ २.१.३९

८. शत० ब्रा० ६ २ २.१५

९. वौ० श्री० सू० १० ६

१०. आप० श्री० सू० १६.६.२, वैश्यस्य राजन्यस्य वेष्यवस्याशनिहतस्य वा ।

ग्राह्य बतलाया है।^१ ऐसी स्थिति में चित्तिनिर्मण के लिये मनुष्य-वध का प्रचलन प्राय अज्ञात घटवा अल्पज्ञात रहा होगा। अग्निचयन के प्रसाग में यह भी उल्लेखनीय है कि इसका स्वरूप विशेषत तात्रिक, अभिभावपूर्ण तथा जटिल था। विविध आकार एवं बनावट वाली दस हजार आठ सौ ईटो का प्रयोग, कूम, सर्प, कमल पत्र, हिरण्यमय पुरुष तथा पञ्च-पशुओं के कपाल की वेदी में स्थापना, अग्निचयन के तात्रिक स्वरूप को व्यक्त करता है।

अग्निचयन और पुरुषमेघ का सूचक विरल पुरातात्त्विक साक्ष्य कोशाम्बी के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। श्री गोवर्धन राय शर्मा कोशाम्बी के पूर्वी द्वार पर स्थित पक्षी के आकार वाली वेदिका को पुरुषमेघ से सम्बन्धित ईयेन-चिति मानते हैं।^२ इस वेदी के उत्खनन में जो सामग्रिया उपलब्ध हुई हैं उनके आधार पर उनका कहना है कि इस वेदी का सम्बन्ध पुरुषमेघ से था तथा इसका निर्मण याक्षिक साहित्य में विहित नियमों के अनुसार हुआ था। इस वेदी पर न केवल अनेक भानव-कपाल और पशुओं की अस्तिथा मिली हैं बल्कि उखा, सर्प की लोहाकृति, कूम, और अपाढ़ा आदि इष्टिकार्य भी उन्हें प्राप्त हैं। ये सभी वस्तुयें यजुर्वेदीय ब्राह्मणों तथा श्रौतसूत्रों के अनुकूल हैं। सर्वाधिक उल्लेखनीय अपाढ़ा नामक इष्टिका पर उत्कीर्ण 'देवलक्ष्म' (पुरुषमेघ यज्ञ के विन्ह स्वरूप यूपदण्डमनुष्य का इष्टिका पर अक्षत) है। कोशाम्बी की इस वेदिका में प्राप्त अपाढ़ा नामक इष्टिका पर यूप से वधे मनुष्य का चित्र है जिसके भुक्ति हुई गर्दन पर कोई हथियार गिरता हुआ दिखाई देता है।^३ यह प्रतीक सम्भवत पुरुष मेघ से इस चित्र का सम्बन्ध-सुचित करता है। ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि पुरुषमेघ का प्रचलन-वात्सविक जीवन में भी सर्वथा अज्ञात नहीं था। शक्तिशाली राजाओं के स्वार्थ-साधन के लिये किसी निरीह मनुष्य की हत्या उस युग में सर्वथा सम्भव थी। इस विकृति के कारण ही यज्ञमूलक धर्म की लोकप्रियता भी सहसा लुप्त हो गई। उपनिषद्काल तक यज्ञों के विश्वद जो विद्रोह हुआ तथा अहिंसा के सिद्धान्त पर बल दिया गया उसके पीछे पशु-यज्ञ तथा विशेषत पुरुषमेघ की अमानुषिक परम्परा की प्रवल प्रतिक्रिया रही होगी।

-
१. कात्या० श्री० सू० १६.३२, अन्यानि वा हिरण्यमयानि वा मृन्मयानि वानालाम्यैतान् ।
 - २ द्रष्टव्य, एकसकेवेसन्त एट कोशाम्बी, भग्याय ८,६
 - ३ एकसकेवेसन्त एट कोशाम्बी, पृ० ६३, प्लैट १८ वी ।

श्रोदर के अनुसार पुरुषमेघ की परम्परा आर्य जाति में अति प्राचीन काल में प्रचलित थी।^१ किन्तु ऋग्वैदिक आर्यों के धार्मिक अनुष्ठानों में इसका कोई स्थान नहीं है। ऋग्वेद सहिता में इस पुरातन आर्येतरीय प्रभाव परम्परा की प्रतिध्वनि अवश्य मिलती है। पुरुषमेघ के माध्यम से सृष्टि के उद्भव की कल्पना ऋग्वेद

के पुरुष सूक्त में है। हिलेव्रान्त महोदय का यह मत कि ऋग्वैदिक समाज में पुरुषमेघ के प्रचलन के चिन्ह हैं, निराधार है।^२ उत्तर वैदिक युग में पुरुषमेघ का उन्मज्जन तथा इसका तात्रिक स्वरूप सम्भवतः इस बात का सकेत करता है कि यह मृत्प्राय परम्परा कतिपय नवीन सास्कृतिक धाराओं के योग से पुनः बलवती हुई तथा इसके स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। पुरुषमेघ की परम्परा पर आशिक आर्येतरीय प्रभाव को सूचित करने वाले साध्य निश्चायक न होते हुए भी महत्वपूर्ण तथा अनुपेक्षणीय हैं। सुविदित है कि वैदिक आर्यों की ग्राम्य सस्कृति नगर निर्माण से उदासीन तथा भवन निर्माण में ईटों के प्रयोग से अपरिचित थी। ऐसी स्थिति में चिति-निर्माण के लिए ईटों का प्रयोग विस्मय जनज है। इष्टिकामय चिति निर्माण नागरिक सम्मता की देन प्रतीत होती है न कि वास्तुकला में ईटों के प्रयोग से अपरिचित सेमाज की। हस्तिनापुर के उत्खनन से ज्ञात है कि उत्तर-वैदिक आर्यों का परिचय इष्टि का निर्माण से अत्यन्त अल्प और सम्भवतः एकदम नया था। असम्भव नहीं है कि इष्टिकामय चितिनिर्माण की प्रथा नागरिक सेन्धव सस्कृति से ग्रहण की गई हो। आधार-बल होने के कारण अग्निच्यन के प्रयोग में चिति-निर्माण से सम्बन्धित 'पचपशुवलि' भी प्रकृत्या उसी स्रोत से सम्बद्ध हीनी चाहिये। सेन्धव सस्कृति के अन्तर्गत धर्म का स्वरूप अत्यन्त उदात्त था किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वहाँ धर्म का हीनतर पक्ष सर्वथा अज्ञात था। वहाँ से प्राप्त वहुस्वरूप तावीज तात्रिक क्रियाओं के प्रचलन के सूचक तो है ही, साथ ही कतिपय मुद्दाओं पर उत्कीर्ण चित्र सेन्धव समाज में नरमेघ के प्रचलन को प्रमाणित करते हैं।^३ इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय

१०. उनका यह मत ऋग्वेद १० १८८ श्लोक १०८५ २१-२२ पर आधारित है। उनके मत की आलोचना के लिये द्रष्टव्य—रिलिजन एण्ड फिलो-सोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग २, पृ० ३४७

२. श्रोदर, प्रिहिस्टरिक एण्टिक्विटीज आव दि आर्यन पिपुल्स, पृ० ४२२

३. माझन, मोएनजोदहो एण्ड इण्डस सिविलिजेशन, भाग १, पृ० ५२, चित्र स० २२

है कि अथवंवेद में केवल रुद्र को पच-पशु प्रदान करने का उल्लेख हुआ है।^१ अग्निचयन के प्रसग में भी रुद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है।^२ वित्त-निर्माण के पश्चात् सर्वप्रथम रुद्र को प्रसन्न करने के लिये शतरुद्धिय के पाठ का विधान है। अग्निचयन तथा पचपशु वध से रुद्र का यह सम्बन्ध महत्वपूर्ण है। अथवंवेद एवं यजुर्वेद का रुद्र ही पचपशु यज्ञ तथा नरमेष्ठ से सन्दर्भित किया गया है जो सैन्धव शिव को आत्मसात करने के कारण प्रधानत एक आनायं देवता प्रतीत होता है। उनका आनायंत्र इस बात से भी स्पष्ट होता है कि उन्हें यज्ञ की बलि चीराहे पर चीटियों के समूह पर हवि फेंक कर दी जाती थी तथा उनसे मूजवन्त से भी उस पार चले जाने की प्रार्थना की जाती थी। इम प्रसग में यह भी उल्लेखनीय है कि अग्निचयन की प्रथा का प्रारम्भ पश्चिमोत्तर लोगों में माना गया है।^३ कोशास्त्री में अग्निचयन तथा पुरुषमेष्ठ के सूचक जो प्रमाण मिले हैं वे भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। श्री शर्मा ने कोशास्त्री के नगर-निर्माण-पद्धति पर भी आयेंतरीय सैन्धव परम्पराओं का प्रमाव माना है।^४ उपर्युक्त सूत्रों को परस्पर जोड़ने पर अग्निचयन एवं पुरुषमेष्ठ के प्रचलन पर आयेंतर प्रमाव की सम्भावना ढूढ़ होती है। इसमें सन्देह नहीं कि यज्ञ मूलक धर्म वैदिक आर्यों की अपनी विशेषता थी किन्तु सास्कृतिक सामग्रस्य के साथ यज्ञों के अन्तर्गत आयेंतर तत्व भी यहाँ किये गये। उनका जो मिथ्रित स्वरूप आज उपलब्ध है उससे आर्य एवं आयेंतर परम्पराओं का पृथक्करण अत्यन्त दुष्कर है।

यद्यपि पच महायज्ञों का स्वरूप अत्यन्त सरल एवं साधारण था तथा पि दनके अन्तर्गत यज्ञ-धर्म का चदात्त स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। ये यज्ञ प्रत्येक पचमहायज्ञ गृहस्थ के लिये कर्तव्य थे तथा साथ ही इनमें निहितत्याग, श्रद्धा एवं सर्वभूतानुकम्पा की भावना धार्मिक उच्चादर्शों का सकेत करती है। पचमहायज्ञों का स्थान सामाजिक एवं सास्कृतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

^१ अथर्ववेद ११ २ ६, चतुर्नमो अष्टकृत्वो भवाय दशकृत्वं पशुपते नमस्ते तमेवे पच्च-पश्चवो विभक्ता गत्वे अद्वा पुरुषाभ्यावयः। यहीं पशुपति का उल्लेख सैन्धव शिव का स्मरण दिलाता है।

^२ द्रष्टव्य, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि बोद-एण्ड उपनिषद्दस, भाग २, पृ० ३५५

^३ कीथ, पूर्व उद्धृत पुस्तक, भाग २, पृ० ३५४

^४ एकसकेवीसन्स ऐट कोशास्त्री

प्रत्येक गृहस्थ के लिये पञ्चमहायज्ञो के सम्पादन के पश्चात् ही भोजन ग्रहण करने का विधान था। शतपथ ब्राह्मण में भूत-यज्ञ, मनुष्य-यज्ञ, पितृ-यज्ञ, देवयज्ञ और ब्राह्मण 'पञ्च महायज्ञ' के रूप में उल्लिखित हैं।^१ देवयज्ञ के अन्तर्गत प्रात् और सायकाल भोजन तैयार होने पर देवताओं को हवि प्रदान किया जाता था। 'यदन्ना पुरुष तदन्ना तस्य देवता' में विश्वास करने वाले वैदिक समाज में भोजन के पूर्व देवताओं को सन्तुष्ट करना सर्वथा स्वाभाविक था। दूसरा भूत-यज्ञ है जिसका उद्देश्य विभिन्न प्राणियों को सन्तुष्ट करना था। गोभिल गृह्य सूत्र के अनुसार इसका प्रदान विविध देवताओं सर्वों और राक्षसों के लिये भी होता था।^२ पितृ-यज्ञ के अन्तर्गत बलि जल के साथ पितरों को समर्पित की जाती थी। वैदिक समाज में यह विश्वास था कि पितर परलोक में अपने वशजों द्वारा प्रदत्त अन्न से ही पलते हैं। साथ ही परिवार के सुख एवं समृद्धि के लिये भी पितरों की प्रसन्नता एवं सन्तुष्टि आवश्यक मानी जाती थी। ब्रह्मयज्ञ के अन्तर्गत स्वाध्याय अर्थात् वेदाध्ययन का विधान था। शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्म यज्ञ की भूयसी प्रशसा बड़ी ही आलकारिक शैली में की गई है।^३ इस ग्रन्थ के अनुसार ऋक् का अध्ययन देवताओं के लिये पर्यकी आहृति है। यजुप का आज्याहृति, साम का सोमाहृति, अथर्वगिरस का मेद-आहृति तथा अनुशासन, विद्या, वाकोवाक, इतिहास, पुराण, नाराशसी गाथाओं का अध्ययन देवों के लिये मधु की आहृति है। इस प्रकार वैदिक ज्ञान की परम्परा को अमरत्व प्रदान करने के लिये ही ब्राह्मण साहित्य में वेद वेदागों का अनुशीलन एक पुनीत महायज्ञ माना गया। पाचवाँ महायज्ञ मनुष्य यज्ञ है जिसके अनुसार ब्राह्मण, अतिथि तथा भिक्षुओं को भोजन दिया जाता था। अतिथि सत्कार की भहत्ता का बर्णन उत्तर-वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर मिलता है।^४ इसके विपरीत देवयज्ञ मनुष्ययज्ञ तथा पितृयज्ञ से विमुख अपने शरीर मात्र के पोषण से सलग व्यक्ति की निन्दा की गई है।^५

१. शत० ब्रा० ११ ५. ६

२. गो० गृ० सू० १. ४

३. शत० ब्रा० ११० ५. ७

४. ऐत० ब्रा० १ १७, १.२५, शिरो वा एतद् यज्ञस्य यद् आतिथ्यम्

५. ऐत० ब्रा० ७ ६-

ब्राह्मण युग के अन्त तक वैदिक समाज विपुलकाय, आपचारिक एवं आडम्बरपूर्ण यज्ञों के प्रति उदासीन होने लगा था। यज्ञों में व्यास वाह्याद्भ्यर से मूलधार्मिक भावना प्रायः ग्रस्त हो चुकी यज्ञमूलक धर्म का विरोध और थी। उसके ब्राह्मण हेतु प्रतीकों से आच्छान्त ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन यज्ञों में अन्तिमिहित ज्ञान की सर्वोपरि महत्ता घोषित हुई। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ज्ञान के अभाव में परलोक की प्राप्ति न तो यज्ञ से सम्भव है और न तप से। इसकी प्राप्ति केवल उसे ही सकती है जो यज्ञ के मूल में निहित धार्मिक भावना को जानता है।^१ इसी ग्रन्थ में अन्यज्ञ वाणी के समक्ष मन अर्थात् ज्ञान की श्रेष्ठता प्रजापति द्वारा स्वीकृत बताई गई है।^२ आरण्यकों में तो स्पष्टतः यज्ञों के भीतर विद्यमान याध्यात्मक तथ्यों की सीमासा की गई। यज्ञ से सम्बन्धित अनुष्ठान नहीं बल्कि तदन्तर्गत दार्शनिक विचार ही आरण्यकों के मुख्य विषय हैं। आखण्केतुक तथा सावित्रीचयन सहश अग्निचयनों में यज्ञ-विधि का भौतिक पक्ष प्रतीकात्मकता में विलीन-प्राय हो गया। इस प्रकार क्रमशः कर्मकाण्ड के समक्ष ज्ञान की श्रेष्ठता तथा देव यज्ञ के समक्ष आत्म-यज्ञ की महत्ता स्वीकृत हुई। उपनिषद्काल तक ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति सम्मान्य एवं अप्रत्याख्येय है। भुरेष्टक उपनिषद के अनुसार यज्ञीय अनुष्ठान-अदृढरूप प्लव है जिनके द्वारा सप्तरण कभी नहीं हो सकता। यज्ञादि अनुष्ठान को ही श्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति स्वर्गलोक पाकर भी अन्तत इस भूतल पर आते हैं।^३ इस प्रकार कर्मकाण्ड की हीनता तथा दोपों के वर्णन के अनन्तर ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई तथा ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्म में लय होने की तुलना नाम रूप को छोड़कर नदियों के समुद्र में मिल जाने से की गई है। यज्ञों के विरोध का एक प्रबल कारण यज्ञ में होने वाली हिंसा थी। यज्ञ में हिंसित पशुओं के विषय में कहा गया है कि वे दूसरे लोक में जाकर यज्ञकर्ता को लाते हैं।^४ इससे प्रकट है कि लोगों में हिंसात्मक यज्ञों के प्रति धृणा का भाव जग रहा था तथा लोग उनसे पराज्ञमुख होने के लिए सचेष्ठ थे।

१. शत० ब्रा० १०.५.४.१५

२. शत० ब्रा० १.४.५ द-१२

३. भुरेष्टक उप० १२१०

४. शास्त्र्या० ब्रा० ११.१३

उत्तर-वैदिक युग में देव समाज प्राय ऋग्वेदिक देव समाज के ही समान है किन्तु परवर्ती सहिताग्रो तथा ब्राह्मणो द्वारा सम्बूधित घर्म के अन्तर्गत देवताग्रो की श्रेष्ठता स्वीकृत नहीं है। अथर्ववेद

देव दत्त्व

मुख्यतः गृह्ण एव आभिन्नारिक सस्कारो का ही निरूपण करता है। कीशिक सूत्र के सास्कारिक-

विषयो सहित अथर्ववेद के बाद के अश प्रेतात्मा और दैत्य विषयक प्रत्यन्त-रोचक चिवरण प्रस्तुत करते हैं। अथर्ववेद में निर्दिष्ट देव-भरणल क्रावेद से भवातरकालीन विकास का सूचक और पोषक है। अथर्ववेद में इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि ऋग्वेदीय देवों की सत्ता है किन्तु उनका प्राकृतिक दृश्यो का प्रतीकात्मक रूप विस्मृत-प्राय बन गया है। अब वे वेवल देव विशेष के रूप में ही उपस्थित होते हैं जिनका काम मुख्यतः राक्षसों का सहार, रोगों का विनाश एवं शत्रुओं का विघ्नशन है। अथर्ववेद में देवताओं के लिये अलग-अलग प्रशस्ति के सूक्त अपेक्षाकृत कम हैं जबकि अनेक देवताओं का एक साथ आवाहन इसकी विशेषता है। यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों में देवगण छायात्मक व्यक्तित्व भाव है। उनका उल्लेख यज्ञों के प्रसाग में हुआ है। उनके व्यक्तिगत गुण प्राय विलीन हो गये हैं। कुछप्रमुख देवताओं का महत्व घट गया है तथा क्रावेद के कतिपय साधारण देवता अधिक श्रद्धेय हो गये हैं। इस युग में क्रावेदिक युग के प्रमुख देवता इन्द्र और वरुण का स्थान गीण हो गया तथा उनका स्थान रुद्र शिव, विष्णु और सूर्य आदि लेने लगे। ब्राह्मण युग का प्रधान देवता प्रजापति है। उनका तादात्म्य यज्ञ से स्थापित किया गया है।^१ साथ ही उन्हे देवताओं तथा सम्पूर्ण सृष्टि का स्थान माना गया है। इस युग में निर्जीव पदार्थों तथा पशुओं एवं वृक्षों में भी देवत्व की कल्पना मिलती है।^२ काल, काम और स्कन्द आदि अमूर्त भावात्मक देवताओं का उल्लेख अथर्ववेद में प्रथम बार हुआ है। इनमें विशेष महत्त्व स्कन्द को दी गई है। उसका तादात्म्य ब्रह्मन और प्रजापति के साथ स्थापित किया गया है। देव भीर काल, देवता, वेद एवं समस्त नैतिक शक्तियां उसी में अन्तर्निहित मानी गई हैं।^३ अस्त्रिका आदि देवियों का यजुर्वेद में उल्लेख सम्भवत मातृदेवी की वर्धमान लोकप्रियता का सकेतक है।

१. शत० ब्रा० ४ ३४ ३

२. द्रष्टव्य-रिलिजन एण्ड फिलोमोफी भाव दिग्गेद एण्ड दि उपनिषद्स, भाग १, पृ० १८४-१९७।

३. अथर्ववेद १०.७ ७, १३, १७

उत्तर वैदिक युग में एक और जहा वैदिक धर्म का अन्त -विकास हुआ था ही इस पर आयेतर धर्म धाराओं का प्रचुर प्रभाव भी पड़ा। पीछे हम देख

चुके हैं कि किस प्रकार नवोदित वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत आयों एवं अनायों का सम्मिश्रण हुआ।^१

ऐसी स्थिति में आयं एवं आयेतर सांस्कृतियों में सामजिक एवं समन्वय भी अवश्यम्भावी हो गया। वैदिक यज्ञ सम्प्रथा के अन्तर्गत भी आयेतर धार्मिक तत्व आत्मसात हुये।^२ यह प्रभाव वैदिक देवतत्व पर भी परिलक्षित होता है जिसके परिणामस्वरूप कतिपय देवताओं के स्वरूप में परिवर्तन हुआ तथा उनकी महत्ता में भी बढ़ि हुई। अनायं प्रभाव के कारण ही उत्तर-वैदिक युग में पूर्णवैदिक काल के गौण देवता रुद्र और विष्णु अतिशय लोकप्रिय हुये। इस युग में ऋग्वेदिक रुद्र ने प्रकृत्या समान होने के कारण संन्धव शिव का आत्मसात किया। यजुर्वेद में अनेक ऐसे सकेत हैं जिनसे शिव का आशिक अनायंत्र पुष्ट होता है।^३ उभय सांस्कृतिक परम्पराओं से सम्बद्ध होने के कारण यह देवता जनसाधारण में अधिक अद्वेय हो गया। इसी प्रकार विष्णु की लोकप्रियता के पीछे भी आयेतर धार्मिक परम्पराओं का प्रभाव प्रतीत होता है। ऊपर, प्रथम अध्याय में यह बताया गया है कि विष्णु आयों के सौर देवता होते हुये भी अशत द्रविडों के आकाश देवता हैं।^४ इसी प्रकार उत्तर वैदिक युग में कमशा-मातृदेवी की उपासना भी लोकप्रियता प्राप्त करती है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम अम्बिका नामक देवी का उल्लेख हुआ है तथा अम्बिका का सम्बन्ध रुद्र से बताया गया है।^५ बहुत समय है कि संन्धव शिव के साथ ही उनसे सम्बन्धित अम्बिका की अवधारणा भी संन्धव संस्कृति से ग्रहण की गई हो।^६ यह विकल्प यजुर्वेद में इस देवी के आकृत्मिक उल्लेख, शिव के साथ उनके सम्बन्ध तथा संन्धव समाज में प्रचलित मातृदेवी की उपासना की लोकप्रियता को देखते हुए सहज कल्पनीय है। अर्थात् विश्वासो में विरोधी एवं

१. द्रष्टव्य—ऊपर, अध्याय ३-

२. द्रष्टव्य—इसी अध्याय का पृ० २१६

३. वाज० म० १६०, त० स० ४४

४. विस्तृत अध्ययन के लिये द्र०—द्रविडिक स्टडीज, पृ० ६१०६२

५. वाज० स० ३५७

६. यह सुमात्र श्री श्रीराम गोयल का है।

विचित्र तत्वों का सम्मिश्रण आर्य एवं आर्येतर सांस्कृतिक सम्पर्कों का परिणाम माना गया है।^१ सम्भवत् पिप्पल जैसे वृक्षों में देवत्व की कल्पना तथा उनकी उपासना और विविध अभीप्सित फलों की प्राप्ति के लिये तात्रिक किया गया ओर का आश्रय अथर्वाद पर आर्येतरीय प्रभाव का ही सूचक है। यह उल्लेख-नीय है कि सैन्धव संस्कृति के अन्तर्गत पिप्पल वृक्ष में देवत्व की कल्पना तथा तात्रिक त्रियांगों में विश्वास प्रचलित धर्म का अनिवार्य अग्र था।^२ इसके विपरीत ये तत्त्व पूर्णवैदिक धर्म में प्राय अज्ञात हैं। नाग जैसे जन्तुओं की उपासना निपाद जाति की देन हो सकती है। निपाद लोग घोर टोटमवादी ये तथा उनके अनेक समूहों में नाग (सर्प) की धार्मिक महत्ता एवं पवित्रता स्वीकृत थी।

उत्तर-वैदिक युग में देव तत्व के ह्रास का प्रमुख कारण यज्ञों की सर्वांतिशायिता थी जिनके प्रभाव से देवता भी आच्छान्न हो गये। यज्ञ को ही

ऐहिक एवं पारलैकिक सुखों की प्राप्ति का सर्वोत्तम

देवताओं के महत्व के साधन माना गया तथा यह प्रतिपादित किया गया ह्रास के कारण कि यज्ञ से ही देवताओं ने भी शक्ति, तेज एवं

अमरत्व प्राप्त किया। ऐसी स्थिति में यज्ञों का

सम्पादन ही परम-धर्म हो गया जिसके माध्यम से इच्छानुकूल फल की प्राप्ति के लिये देवताओं को विवश किया जा सकता था। इस प्रकार यज्ञ के समक्ष देवता ओं का महत्व स्वभावत कम हो गया। दूसरे विभिन्न देवताओं में सारभूत एकता हूँ ढने की भावना, जो क्रक्षसहिता में ही उपलब्ध है, कालऋग्मेणु अधिक विकसित हुई और परिणामस्वरूप अन्त में एक ही परमदेव की सत्ता स्वीकृत हुई जिसे ब्राह्मणों में प्राय प्रजापति माना गया है तथा यज्ञ से उसका तादात्म्य स्थापित किया है। उसे देवताओं का भी स्थान माना गया है^३। इस मनोवृत्ति के कारण वहुदेववाद को घक्का तो लगा ही साथ ही उदीयमान देवता प्रजापति की अतिशय महत्ता के कारण अन्य देवता उपेक्षित हुये। उनके व्यक्तिगत गुणों एवं विशेषताओं का भी लोप हो गया। रुद्र, विष्णु आदि जिन देवताओं की स्थिति सुरक्षित एवं सम्बर्धित हुई उनके प्रभाव के पीछे प्रबल परिस्थैतिक कारण ये जिनका

१. रैगोजिन, वौदिक इण्डिया, पृ० ११७-१८

२. ह्लीलर, इण्डस सिविलिजेशन, पृ० ८०-८४

३. तारड्य न्ना० ६ १

मकेत किया जा चुका है।^१ स्कन्ध आदि अमूर्त देवताओं का उद्गमन उस दार्शनिक चिन्तन के विकास का सूचक है जिसकी चरम परिणति ब्रह्म की कल्पना में दिखाई देती है।

ऋग्वेदिक युग के प्रमुख देवता इन्द्र और वरुण इस युग में महत्वहीन हैं। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इन्द्र प्रारम्भ में युद्ध और शक्ति का देवता है। इन्द्रिय शब्द प्राचीन वीढ़-साहित्य में भी इन्द्र और वरुण बल का पर्याप्तवाची है। ऋग्वेदिक युग के अन्त तक इन्द्र वर्षा के देवता बन गये। यह बात उनके वृषन् विश्वद से भी सूचित है। ऐतरेय ब्राह्मण में उन्हें चुलोक का प्रधान कहा गया है^२ तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि देवताओं में अन्तिम इन्द्र की रचना प्रजापति ने की।^३ इन्द्र का उल्लेख देवताओं के शासक के रूप में भी अनेकश हुआ है। यज्ञो में इन्द्र का प्रमुख स्थान था। राजाओं का अभिषेक भी प्रायः इन्द्र के अभिषेककी पद्धति से होने के कारण ऐन्द्र महाभिषेक नाम से जात था। ऋग्वेदिक युग में युद्ध में विजय के अभिलाषी व्यक्ति विशेषत इन्द्र की स्तुति करते थे किन्तु उत्तर वैदिक काल में दिग्विजय एवं शत्रूत्सादन के लिये अश्वमेघ, वाजपेय आदि यज्ञों की सद्व्यापता अपेक्षित थी। ऐसी स्थिति में इन्द्र के प्रभाव का धूमिल हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। इसी प्रकार ऋग्वेद के सम्मान्य वरुण अथर्ववेद में सर्वोच्च शक्तियों से रहित हैं। अनेकश उनका उल्लेख जल के नियन्त्रक के रूप में हुआ है। इन्हें जल से उसी प्रकार सम्बन्धित किया गया है जिस प्रकार सौमों को पर्वतों से।^४ वे जल के सर्वाधिपति हैं तथा उनका स्वर्ण आवास जल में ही स्थित माना गया है।^५ यजुर्वेद में वरुण का उल्लेख एक ऐसे शिशु के रूप में है जिसने अत्यन्त मातृत्व

^१ कीय महोदय के अनुयार रुद्र और विष्णु की लोकप्रियता इसलिये बढ़ी कि वे सामान्य जनों के देवता थे।

द्रष्टव्य—रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग १,

२. ऐत शा० ८ १२

३ तै० शा० २ २ १०

४ अथर्ववेद ४ ३ ३

५ अथर्ववेद ७ ८ ३

भावना से युक्त जल को अपना आवास बनाया है।^१ ब्राह्मणों में मित्र और वरुण वर्षा के भी देवता भाने गये हैं किन्तु ऋतु के व्यवस्थापक महान् देवता के रूप में उनका उल्लेख प्रायः नहीं हुआ है। उनका कार्यक्षेत्र सकुचित एव सुनिश्चित हो गया है। इस हृषि से वह यूनानी देवता पोसीडोन से तुलनीय है। नैतिकता की रक्षा एव पावियों के दमन से वरुण का श्रीपत्नारिक सम्बन्ध उत्तर वैदिक युग तक बना रहा। इसीलिये ब्राह्मणों में भी प्रायशिचित के प्रसाग से वह अतिशय महत्वपूर्ण है। उत्तर वैदिक युग में राजशक्ति के विस्तार के साथ राजा स्वयं दण्डर श्रीर व्यवस्था का रक्षक बना। उसके व्यक्तित्व में वरुण के गुणों का आरोग्य भी किया गया। ऐसी स्थिति में असम्भव नहीं है कि वरुण के कार्यक्षेत्र में सकोच श्रीर उनकी महत्ता में ह्लास का एक प्रमुख कारण राजशक्ति का विस्तार भी रहा हो। सर्वोच्च देवता के रूप में प्रजापति की धारणा के विकास के कारण भी वरुण का सर्वव्यापा और सार्वभौम स्वरूप विस्मृत प्राय हो गया।

—यनुर्गेद् एव ब्राह्मणो मे सर्वाधिक साम्मान्य स्थान प्रजापति का है। यद्यपि ऋग्वेद मे भी उनका उल्लेख हुआ है^२ किन्तु उनका स्थान देव-मण्डल मे विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। प्रारम्भ मे वे सूजन के देवता प्रजापति हैं इसलिये ऋक्-सहिता तथा अथर्वागे मे सन्तान की कामना से ही उनकी स्तुति अधिक मिलती है। किन्तु उत्तर-वैदिक काल मे उनका उल्लेख सम्पूर्ण विश्व के स्फटा के रूप में हुआ है। वे देवताश्रो, असुरो एव मनुष्यो का सूजन करने वाले हैं।^३ उन्हीं से बोदो तथा वर्णों की उत्पत्ति भी मानी गई है। उनकी महत्ता इस बात से प्रकट है कि उन्हे यज्ञ का साक्षात् रूप माना गया है।^४ उत्तर-वैदिक युग का यह सर्वोच्च देवता अमूर्त (ऐव्स्ट्रैक्ट) है। वे प्रकृति के किसी अग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और उनके मानवीकरण का भी विशेष प्रयास नहीं दिखाई देता है। उनसे सम्बन्धित पुराकथाओं में अपनी पुत्री उपस के साथ उनका निकटाभिगमन का प्रयाम बहुचक्षित है। मैत्रायणी सहिता के अनुसार उनके इस कृत्य पर कृपित होकर रुद्र ने शर साधान किया किन्तु प्रजापति द्वारा पशुपति बनाये

^१ वाज० स० १०७

^२ ऋ० १०. १२१, ८५. ४३, १६६. ४, १८४. १

^३ तार॑ वा० ६ १ ४

^४ शत॑ वा० ४ '३ ४. ३

जाने का गोरव प्राप्त कर उन्होंने लक्ष्य धोध नहीं किया।^१ ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार उनके इस दुष्कर्म से सभी देवता क्रुद्ध हुये तथा उन्होंने भयकर तत्त्वों से प्रजापति के दमनाथं सूद्र का सुजन किया।^२ इस पुराकथा का सामाजिक दृष्टि से विशेष महत्त्व है। इससे प्रकट है कि पिता-पुत्री के बीच यीन-सम्बन्ध सामाजिक भान्यताओं के विश्व एवं समाज के कोप का विषय था। प्रजापति जैसे भग्नान् देवता को इस प्रकार के अनंतिक कर्म से सम्बन्धित व्यर्णना विस्मयजनक है। अन्यथा इस बात का उल्लेख मिलता है कि प्रजापति ने उपस का विवाह सोम के साथ किया था।^३

प्रजापति का पशु-रूप में उल्लेख तथा उससे सम्बन्धित पुराकथा^४ विशेष महत्वपूर्ण है। शूकर रूप में जलमग्न पृथ्वी को उपर उठाने तथा कच्छप रूप में प्रजाद्धों की सृष्टि करने की बात ब्राह्मण साहित्य में उल्लिखित है।^५ सम्भवत इसी कल्पना की आधारशिला पर परवर्ती युग से विष्णु के शूकर और कच्छप अवतार की बात हिन्दू धर्म में स्वीकृत हुई। उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णित प्रजापति का शूकर और कच्छप स्वरूप आयंतर प्रभाव का परिणाम प्रतीत होता है। शतपथ ब्राह्मण में जलप्लावन की कथा का भी उल्लेख हुआ है।^६ वराह द्वारा पृथ्वी के उद्धार की कल्पना भी सम्भवत जलप्लावन आख्यान से ही सम्बन्धित है। इस कथा में जलप्लावन आख्यान का अग्रिम विकास सूचित है। यह उल्लेखनीय है कि जलप्लावन तथा वराह द्वारा पृथ्वी के उद्धार सम्बन्धी पुराकथा से वैदिक आयों का परिचय बहुत बाद फ़ा है। वैदिक सहिताओं में इस पुराकथा का कोई संकेत नहीं मिलता। यह पुराकथा मूलतः सुमेरीय सम्भवता की देन प्रतीत होती है। जलप्लावन की कथा का प्राचीनतम उल्लेख सुमेरीय साहित्य में मिलता है। सैन्धव सस्कृति तथा सुमेरीय सस्कृति के धनिष्ठ सन्नन्ध को देखते हुये यह स्पष्ट है कि इस कथा से सैन्धव नागरिक भी सुपरिचित रहे होंगे। भारत में जलप्लावन और वराह द्वारा पृथ्वी के उद्धार की कथा मूल रूप में सैन्धव सास्कृतिक परम्परा से ग्रहण की गई होगी।

१. मंत्रा० स० ४, २, १२

२. ऐत० ब्रा० ३ ३३

३. ज० ब्रा० १ २१३ ऐत० ब्रा० ४ ७

४. शत० ब्रा० १४ १ २ ११, त० स० ७.१ ५ १

५. शत० ब्रा० १ ८ १

तथा सास्कृतिक परिवेश के अनुकूल बनाने के लिये इसमें न्यूनाधिक सशोषन और परिवर्धन भी हुआ होगा।^१ इसी प्रकार कच्छप से सृष्टि के विकास की कथा से टोटमवादी मनोवृत्ति पूर्णतः परिलक्षित है। पुरा-ऐतिहासिक युग में गगा की धाटी में निवास करने वाली निपाद जाति में टोटमवाद का प्रचलन अप्रत्याख्येय है। संघव सस्कृति के निर्माण में भी निपाद जाति का योग था। ज्ञाहुणा साहित्य की रचना निपाद जाति के केन्द्र भव्यदेश में हुई अत यह स्वाभाविक प्रतीत होता है कि उत्तर वैदिक साहित्य में टोटमवाद से प्रभावित ये कथायें निपाद लोत से ली गई होंगी।

रुद्र का वर्णन ऋक्सहिता में भी मिलता है। ऋग्वेदीय रुद्र आकाश के मध्यम कोटि के देवता हैं और सम्भवन 'भंभावात्' के साथ आने वाले

विद्युत्घारी घने काले मेघाँ' के दैवीकरण हैं।

रुद्र उनके स्वरूप में उप्रता का प्रावल्य होते हुये भी

सौम्यता का अभाव नहीं है। अथर्ववेद में भी रुद्र

का स्वरूप बहुत कुछ ऋग्वेदीय वर्णन के सदृश है, यद्यपि यत्र तत्र उनके विषय में कुछ नवीन तथ्यों का भी उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में रुद्र को कृष्णोदर और लाल पीठ वाला कहा गया है।^२ वह घनुर्घारी और नीले केश वाले (नील शिर्षण्डन) हैं।^३ उन्हें सहस्रास भी कहा गया है।^४ इस विरुद्ध को उनके वर्दमान प्रभाव का सूचक माना जा सकता है। ऋग्वेद के यमान अथर्ववेद में भी रुद्र की स्तुति उप्र और सौम्य दोनों रूपों में की गई है, यद्यपि उप्र रूप पर अधिक बल दिया गया है। सौम्य रूप में

१. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऋक्सहिता १ ६१७ और ८ ७७-१० में वराह का उल्लेख वृत्त के रूप में हुआ है तथा विष्णु द्वारा उसके वध की बात कही गई है। तत्तिरीय सहिता ६ २ ४ २, में भी उसका सम्बन्ध असुरों से बताया गया है तथा इन्द्र द्वारा उसकी हत्या का उल्लेख हुआ है। इन वर्णनों से भी उसका सम्बन्ध आर्योंतर देवमरणल से सूचित होता है। उत्तर वैदिक युग के मिथिन समाज में उसका समी-वरण प्रजापति के साथ स्थापित करने का प्रयास हुआ।

२. अथर्ववेद ११ १७ ८

३. अथर्ववेद ११ २ ६

४. अथर्ववेद ११ २ २-७ *

उन्हें ऋग्वेद के समान ही 'जलाषभेषज' कहा गया है^१, और व्याघिनाश के लिये उनका आहूवान किया गया है। अथर्ववेद में रुद्र को प्राय पशुपति भी कहा गया है। इस उपाधि का उनके लिये इस ग्रन्थ में ही सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में भी उनके हारा पशुओं के कल्याण का उल्लेख है, इसलिये यह विरुद्ध ऋग्वेदीय वर्णन का ही अधिक विकास माना जा सकता है। किन्तु आर्योंतर सम्भव धारा के अन्तर्गत भी आदि शिव की उपासना 'पशुपति' रूप में प्रचलित थी। इस प्रकार उत्तर-वैदिक काल में, जब आर्य पवा आर्योंतर परम्पराओं का सम्म हुमा, रुद्र-शिव के पशुपति रूप की महत्ता में वृद्धि आर्योंतर प्रभाव को भी सूचित करती है। ऋग्वेद में रुद्र को पशुओं का कल्याण करने वाला कहा गया है, मात्र इससे उनके पशुपति रूप की कल्पना का जन्म नहीं हुआ, बरन् वैदिक देवता शिव और वैदिक रुद्र के तादात्म्य में इस विश्वास को बल मिला।

उद्य रूप में अधर्वेदीय रुद्र अपने विषधर शरो से व्याधियों को फैलाते हैं। उनसे प्रार्थना की गई कि अपने विषुत शरों को स्तोताओं से दूर रखें।^२ एक स्थल पर उनके मात्सर्य की भर्त्सना की गई है।^३ उन्हे ज्वर और विष से ब्रह्म करने वाला भी कहा गया है।^४ एक स्थान पर उन्हें स्पष्टत आत्कित करने वाला नरेश तथा विष्वसक (उपहन्तु) कहा गया है। अथर्ववेद के छुक्क मध्यों से रुद्र का सम्बन्ध नरमेष से भी परिलक्षित होता है। इस वेद में एक स्थान पर रुद्र को यज्ञ में आहूति के रूप में पाच प्राणी समर्पित किये गये हैं। उनमें से एक प्राणी मनुष्य है।^५ इससे संकेतित है कि रुद्र को कभी कभी नरवलि भी दी जाती थी। इससे रुद्र की भयकर प्रकृति और भी अधिक उद्भासित होती है। इस प्रसंग में एक और तथ्य उल्लेखनीय है। अथर्ववेद में एक स्थान पर रुद्र के भू कने वाले विकराल श्वानों का उल्लेख हुमा है, जो भक्षण को विना चवाए, निगल जाते हैं।^६ परवर्ती युग में श्वानों को यम का सहचर बताया गया है। यह सर्वया सम्भव है कि अथर्ववेदीय युग में

^१ अथर्ववेद २ २७ ६

^२ अथर्ववेद ११.२ २६

^३ अथर्ववेद १ २८ ५

^४ अथर्ववेद ११ २ २२-२६

^५ अथर्ववेद ११.२ ६

^६ अथर्ववेद १०. १ ३०

रुद्र के एक रूप को मृत्यु का देवता माना जाता रहा हो और इस रूप में उनके सहचर श्वानों की कल्पना की गई हो। कालान्तर में जब यम मृत्यु का देवता माना गया तब श्वानों का सम्बन्ध रुद्र के स्थान पर यम के साथ जोड़ दिया गया होगा। भारत के अनेक प्रदेशों में भैरव का, जो मुरणमाल घारण करते हैं तथा शिव के ही एक रूप माने जाते हैं, वाहन श्वान ही माना गया है तथा उन्हें 'श्वाश्व' कहा जाता है। रुद्र का मृत्यु से सम्बन्ध भूत और पिशाच से उनके सम्बन्ध में भी सकेतित है। अथर्ववेद में पिशाचों का मृतकों से सम्बन्ध बताया गया है और उन्हें 'शव रा भक्षण करने वाला' (ऋव्याद) कहा गया है।^१ एक स्थल पर अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह रुद्रण मनुष्य के उस मास को जिसे पिशाचों ने खा लिया है पुन प्रदान करें।^२ भूतपति के रूप में रुद्र की कल्पना सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मिलती है और इसी में उनकी अभिन्नता भव और शर्व से स्थापित की गई है, जिन्हें स्पष्टत भूतपति कहा गया है।^३

यद्यपि अथर्ववेदीय रुद्र प्रधानत एक भयकर तथा उत्तर देवता है तथापि उसके प्रभाव एवं लोकप्रियता में क्रमिक वृद्धि के चिन्ह स्पष्ट हैं। यह विरोधाभास विस्मयजनक है। इस प्रसग में उनका भव और शर्व इन दो देवताओं को आत्मसात कर लेना और सहस्राक्ष जैसे विरुद उदाहरणीय है। इस ग्रन्थ में कुछ स्थलों पर इन दोनों देवताओं के विनाशात्मक वारणों और विद्युत का उल्लेख हुआ है।^४ वहा इनको रुद्र से पृथक् देवता माना गया प्रतीत होता है। लेकिन अन्यत्र ये रुद्र के दो नाम बन गये हैं। स्पष्ट है कि अथर्ववेद के रचना काल में रुद्र और इन देवताओं को अभिन्न स्वीकृत किया जाने लगा। सम्मवत इन विद्युत्धारी देवताओं का स्वरूप रुद्र के सदृश था। इसलिए अपने वर्धमान प्रभाव के युग में रुद्र ने इनको आत्मसात कर लिया तो कोई आश्चर्य नहीं।

उत्तर-वैदिक कालीन रुद्र सम्प्रदाय की वर्धमान लोकप्रियता तथा आयेतर समाज से उसका सम्बन्ध अथर्ववेद के पन्द्रहवीं मण्डल के ग्रात्यसूक्त के अनुशीलन से परिलक्षित होता है। इसमें रुद्र का उल्लेख ग्रात्य के साथ हुआ है।

१. अथर्ववेद ५. २६. ६

२. अथर्ववेद ५. २६. ५

३. अथर्ववेद ११. २. ६

४. अथर्ववेद २. २७. ६, ६. ६३. १, १२. ४. १७ इत्यादि

यह व्रात्य कही देवता प्रतीत होता है और कही पर्यटक। इसके प्रारम्भ में ही कहा गया है कि व्रात्य महादेव बन गया। व्रात्य ईशान बन गया। अन्त में कहा गया है कि व्रात्य पशुओं को और चला और उसने द्वद्र का रूप घारण किया। इस सूक्त का सही अर्थ क्या है, यह प्रश्न अत्यन्त विवादास्पद है।^१ किंतु फिर भी इससे दो तथ्य मुस्पष्ट हैं। प्रथम, इसमें व्रात्यों को वैदिक आर्य धर्म से पृथक् और उसका विरोधी माना गया है और दूसरे व्रात्यों का सम्बन्ध रुद्रोपासनासे प्रदर्शित किया गया है।^२ इसका समर्थन यजुर्वेद से भी होता है जिसमें रुद्र के लिये दीव्रत्य शब्द का प्रयोग हुआ है तथा नके उपासकों में व्रात और व्रातपति की गणना की गई है। ये व्रात्य सम्झौतिक दृष्टि से आर्योंतर परम्परा से सम्बद्ध थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि तारांड्य व्रात्यण में व्रत्यों को रजत-निष्ठ घारण करने वाला बतलाया गया है।^३ वैदिक समाज में रजत-निष्ठ घारण करने की परम्परा नहीं थी। सत्य तो यह है कि शूद्रवैदिक आर्य रजत शब्द से प्राय अपरिचित थे।^४ ऐसी स्थिति में व्रात्यों में रजत-निष्ठ के प्रयोग का प्रचलन उनके अनार्यत्व का ही सकेतक है।

१ विभिन्न भर्तों के लिये द्र०—ए० चक्रवर्ती, दि व्रात्याज, ए० आई० ओ० सी० न० ३ (मद्रास), बी० एम० आष्टे, दि इम्पाटेंस ग्राव दि कन्से-प्सन ग्राव नत इन सौशल एण्ड रिलिजस लाइफ ग्राव रिवेदिक आर्यन्स एड इट्स विपर्सिंग आन दि प्राब्लम ग्राव दि व्रात्याज, ए० आई० ओ० सी० ११ (हैदराबाद), ए० पी० करमारकर, दि व्रात्याज इन ऐन्ड्यैन्ट इण्डिया, सम्पूर्णानन्द, व्रात्यकारडम्

२ श्री कण्ठ शास्त्री, प्रोटो इण्डिक रिलिजन, पृ० ७-८, ८८-९०, राधाकृष्णन चौधरी, व्रात्याज इन ऐन्ड्यैन्ट इण्डिया, पृ० ८६ इ७

३ तारांड्य व्रा० १७ १.१४

व्रात्य-समाज में लोक प्रिय रजत 'भारोपीय भाषा' का शब्द है। ईरानी भाषा का 'ग्लैज़त' और पश्चिमी भाषाओं में प्राप्त 'श्लैक्ट' शब्द रजत के ही परिवर्तित रूप हैं। यह तथ्य विस्मय-जनक है कि भारोपीय सास्कृतिक परम्परा से सम्बद्ध होते हुए भी 'रजत' वैदिक समाज में तिरस्कृत और उपेक्षित है और इसके विपरीत वैदिक ग्रादशों के विरोधी व्रात्यों में सम्मान्य एवं लोकप्रिय।

४. शूद्रवैदिक के ग्राठवे मण्डल में केवल एक स्थान पर रजत का उल्लेख है जो प्रक्षिप्ताश प्रतीत होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ग्राठवे मण्डल वश मण्डल नहीं है तथा उसकी प्राचीनता पूर्णतः सन्दिग्ध है।

श्रथर्ववेद मे उनके विषपायी (गरगिरी) होने का भी उल्लेख है जो शकस्मात् रुद्र के विषपान का। स्मरण दिलाता है। ऋक्सहिता के दशम् मण्डल के केशि सूक्त मे कहा गया है कि रुद्र ने केशी के साथ विषपान किया। यद्यपि यात्क और सायण ने केशी शब्द का लाक्षणिक अर्थ सूर्य माना है किन्तु काठक सहिता, मैत्रायणी संहिता तथा शतपथ ब्राह्मण जैसे उत्तर वैदिक ग्रन्थों मे केशियो का उल्लेख एक कवीले के अर्थ मे हुआ है। इससे लगता है कि ऋग्वेद के इस सूक्त का केशी भी सूर्य न होकर केशी जातीय था। ऐसी स्थिति मे केशी का अर्थ जटाधारी करना अधिक उपयुक्त होगा। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इसी सूक्त के कुछ मत्रों मे केशी की तुलना मुनियों से की गई है।^१ इन मुनियों के सम्बन्ध में कहा गया है कि उनके केश लम्के और बस्त्र पीत होते हैं। वे पवन मे विहार करते हैं, विषपान करते हैं और मौनेय से उन्मदित रहते हैं। यह सर्वथा स्पष्ट है कि इन मुनियों का केशियो के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। उनके चमत्कारपूर्ण विरल वर्णन और अन्य अनेक तथ्यों के आधार पर यह प्राय स्वीकार किया गया है वे किसी समृद्ध आर्येतर सास्कृतिक परम्परा के उच्छेदित अवशेष थे।^२ इस प्रकार ब्राह्मण, केशी और मुनि अवैदिक धार्मिक परम्पराओं के पोषक थे। इनमें प्रथम दो का सम्बन्ध रुद्र से स्पष्ट है। यह बात अत्यन्त कोरुहलजनक है कि रुद्र, ब्राह्मण, केशी और मुनियों को समान रूप से विषपान करने वाला कहा गया है। इससे भी उनके समान धार्मिक परिवेश का सकेत मिलता है।

यजुवेद तथा ब्राह्मणों मे रुद्र के प्रभाव और अनार्यत्व में बृद्धि हो जाने के चिन्ह स्पष्टत दृष्टिगोचर होते हैं। अथर्ववेद भव और शर्व को आत्मसात करने की प्रतिक्रिया सकेतित है जब निश्चित रूप से वे रुद्र के दो नाम मात्र हैं। यद्यपि यजुवेद विनाशकारी एवं कल्याणकर दोनों रूपों मे स्तवन हुआ है 'महाभियक' आदि विरुद्ध दिये गये हैं तथापि उनके स्वरूप कुछ ऐसे नवीन तत्त्वों का समावेश है जो अशातः पु- विकास किन्तु मुख्यतः आर्यों वर ग्रन्थों प्रतीत है। भव भृत्य सहिता मे रुद्र के लिये "दीर्वात्य" ।

१. ऋक्सहिता १०, १३६

२. बीद्र धर्म के विकास का इतिहास,

अर्थ 'उच्छ्रुत्त्वल शोचरणवाला' बताया है। यह शब्द अथर्ववेद के व्रात्य सूक्त के साक्ष्य से सगति रखता है और रुद्र की आर्येतर व्रात्यसमाज में लोकप्रियता का परिचायक है। यजुर्वेद में रुद्र का पशुपति रूप भी अपेक्षया स्पष्टतर हो गया है। यजुर्वेद में रुद्र की कल्पना के विकास पर सर्वाधिक प्रकाश ऋम्बक होम् और 'शतसद्रिय' नामक दो सूक्तों से मिलता है। 'ऋम्बक होम्' में रुद्र के सम्बन्ध में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएँ भी हैं जो समस्यामूलक हैं। प्रथम इस सूक्त में रुद्र को ऋम्बक कहा गया है^१। दूसरे, इसमें रुद्र के साथ पहली बार एक देवी अम्बिका का उल्लेख हुआ है जिसे उनकी बहन बताया गया है^२। तीसरे, इसमें रुद्र को कृतिवासा (बाल के वस्त्र पहनने वाला) कहा गया है^३। चौथे, इसमें रुद्र के बाहन मूषक की चर्चा है। और पांचवें, इसमें रुद्र से उनका यज्ञ भाग देने के उपरान्त 'मूजवत्' पर्वत से परे चले जाने के लिये अनुरोध किया गया है^४। यह प्रार्थना कुछ ऐसे ढांग से की गई है जिससे लगता है कि स्तोता अपने आपको रुद्र से दूर ही रखना चाहता था। रुद्र के सम्बन्ध में 'ऋम्बक होम्' से अधिक दिलचस्प बातें शतरुद्धिय स्तोत्र के छाद्यठ मन्त्रों में कही गई हैं। इसमें पहली बार रुद्र की शिव, शकर गिरित्र, गिरिचर तथा गिरिशय आदि कहा गया है। ये उपाधियाँ परवर्ती शुगों में अत्यन्त लोकप्रिय हुईं। दूसरे, इसमें उनकी पुरानी 'नील शिखरिङ्डन' उपाधि 'नील ग्राव' में परिवर्तित हो जाती है^५। तीसरे, इसमें रुद्र को कुछ ऐसी उपाधियाँ भी दी गई हैं जो किसी प्रकार भी सम्मानपूर्ण नहीं कही जा सकतीं—जैसे स्तेनाना पति (चोरों का स्वामी) स्तायूनापति (ठगराज), तस्कराणापति (तस्कर-राज), विकृन्तानापति (गलकटी का सरदार), तथा बनानापति आदि।^६ इस स्तोत्र में रुद्र के गणों का भी वर्णन है जिनमें ब्रात, ब्रातपति, तक्षन, कुलाल, कर्मकार, निषाद, श्वनि (श्वानपालक) मृगशु (व्याघ) आदि सम्मिलित किये गये हैं। रुद्र सम्बद्धाय के अनुष्ठानियों को देखते हुये स्पष्ट है कि रुद्र की उपासना समाज के हीन वर्ग में विशेष

^१ वाज० स० १ ६०

^२ वाज० स० ३० ५७, तै० ब्रा० १ ६ १०

^३ वाज० स० १६. ११

^४ शत० ब्रा० २ ६ २. १७

^{५.} वाज० स० १६. २८

^६ वाज० स० १६, तै० सं० ४ ४

अथर्ववेद मे उनके विषपायी (गरगिरी) होने का भी उल्लेख है जो अकस्मात् रुद्र के विषपान का स्मरण दिलाता है। ऋक्सहिता के दशम् घण्डल के केशि सूक्त मे कहा गया है कि रुद्र ने केशी के साथ विषपान किया। यद्यपि यास्क और सायण ने केशी शब्द का लाक्षणिक अर्थ सूर्य माना है किन्तु काठक सहिता, मैत्रायणी सहिता तथा शतपथ ब्राह्मण जैसे उत्तर वैदिक ग्रन्थों मे केशियों का उल्लेख एक कवीले के अर्थ मे हुआ है। इससे लगता है कि ऋग्वेद के इस सूक्त का केशी भी सूर्य न होकर केशी जातीय था। ऐसी स्थिति मे केशी का अर्थ जटाधारी करना अधिक उपयुक्त होगा। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इसी सूक्त के कुछ मत्रों मे केशी की तुलना मुनियों से की गई है।^१ इन मुनियों के सम्बन्ध मे कहा गया है कि उनके केश लम्बे और बस्त्र पीत होते हैं। वे पवन में विहार करते हैं, विषपान करते हैं और मौनेय से उन्मदित रहते हैं। यह सर्वांथा स्पष्ट है कि इन मुनियों का केशियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। उनके चमत्कारपूर्ण विरल वर्णन और अन्य अनेक तथ्यों के आधार पर यह प्राय स्वीकार किया गया है वे किसी समृद्ध आर्योंतर सास्कृतिक परम्परा के उच्छेदित श्रवशेष थे।^२ इस प्रकार ब्रात्य, केशी और मुनि अवैदिक धार्मिक परम्पराओं के पोषक थे। इनमे प्रथम दो का सम्बन्ध रुद्र से स्पष्ट है। यह बात अत्यन्त कोतूहलजनक है कि रुद्र, ब्रात्य, केशी और मुनियों को समान रूप से विषपान करने वाला कहा गया है। इससे भी उनके समान धार्मिक परिवेश का सकेत मिलता है।

यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों मे रुद्र के प्रभाव और अनार्यत्व मे और अधिक वृद्धि हो जाने के चिन्ह स्पष्टत दृष्टिगोचर होते हैं। अथर्ववेद मे रुद्र द्वारा भव और शर्व को आत्मसात करने की प्रक्रिया सकेतित है जबकि यजुर्वेद मे निश्चित रूप से वे रुद्र के दो नाम मात्र हैं। यद्यपि यजुर्वेद में भी उनका विनाशकारी एवं कल्याणकर दोनों रूपों मे स्तवन हुया है और उन्हें पुराने 'महाभिषक' आदि विरुद दिये गये हैं तथापि उनके स्वरूप की कल्पना मे कुछ ऐसे नवीन तत्त्वों का समावेश हो गया है जो अशतः पुराने तत्त्वों का विकास किन्तु मुख्यतः आर्योंतर प्रभाव का परिणाम प्रतीत होते हैं। इस सहिता मे रुद्र के लिये "दीर्घात्य" विशद का प्रयोग हुआ है। महीघर ने इसका

१ ऋक्सहिता १०, १३६

२ बीदू धर्म के विकास का इतिहास, पृ० ४-५

अर्थ 'उच्छृङ्खल प्रोचरणवाला' बताया है। यह शब्द अथर्ववेद के ब्रात्य सूक्त के साक्ष्य से समर्पित रखता है और रुद्र की आर्योंतर ब्रात्यसमाज में लोकप्रियता का परिचायक है। यजुर्वेद में रुद्र का पशुपति रूप भी अपेक्षया स्पष्टतर हो गया है। यजुर्वेद में रुद्र की कल्पना के विकास पर सर्वाधिक प्रकाश 'ऋग्वेद द्वारा होम' और 'शतरुद्रिय' नामक दो सूक्तों से मिलता है। 'ऋग्वेद द्वारा होम' में रुद्र के सम्बन्ध में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएँ भी हैं जो समस्यामूलक हैं। प्रथम इस सूक्त में रुद्र को ऋग्वेद कहा गया है^१। दूसरे, इसमें रुद्र के साथ पहली बार एक देवी अभिवका का उल्लेख हुआ है जिसे उनकी बहन बताया गया है^२। तीसरे, इसमें रुद्र को कृत्तिवासा (स्ताल के वस्त्र पहनने वाला) कहा गया है^३। चौथे, इसमें रुद्र के बाहन मूरक की चर्चा है। और पांचवें, इसमें रुद्र से उनका यज्ञ भाग देने के उपरांत 'मूरजवत्' पर्वत से परे चले जाने के लिये अनुरोध किया गया है^४। यह प्रार्थना कुछ ऐसे ढंग से की गई है जिससे लगता है कि स्तोता अपने आपको रुद्र से दूर ही रखना चाहता था। रुद्र के सम्बन्ध में 'ऋग्वेद द्वारा होम' से अधिक दिलचस्प बातें शतरुद्रिय स्तोत्र के छाद्धन मध्यो में कही गई हैं। इसमें पहली बार रुद्र को शिव, शकर गिरित्र, गिरिचर तथा गिरिशय आदि कहा गया है। ये उपाधियाँ परवर्ती मुण्डों में अस्थन्त लोकप्रिय हुईं। दूसरे, इसमें उनकी पुरानी 'नील शिखरिंडन' उपाधि 'नील याव' में परिवर्तित हो जाती है^५। तीसरे, इसमें रुद्र को कुछ ऐसी उपाधियाँ भी दी गई हैं जो किसी प्रकार भी सम्मानपूर्ण नहीं कही जा सकती—जैसे स्तेनाना पति (चोरों का स्वामी) स्तायूनापति (ठगराज), तस्कराणापति (तस्कर-राज), विकृन्तानापति (गलकटो का सरदार), तथा बनानापति आदि।^६ इस स्तोत्र में रुद्र के गणों का भी वर्णन है जिनमें बात, ब्रातपति, तक्षन, कुलाल, कर्मकार, निषाद, श्वनि (श्वानपालक) मृगयु (ध्याघ) आदि सम्मिलित किये गये हैं। रुद्र सम्ब्रदाय के अनुयायियों को देखते हुये स्पष्ट है कि रुद्र की उपासना समाज के हीन वर्ग में विशेष

^१ वाज० स० १ ६०

^२ वाज० स० ३० ५७, तै० ब्रा० १ ६ १०

^३ वाज० स० १६. ११

^४ शत० ब्रा० २ ६ २ १७

^५ वाज० स० १६ २८

^६ वाज० स० १६, तै० स० ४ ४

लोकप्रिय थी । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक युग में रुद्र वर्ग के अन्तर्गत परिणामित शिल्पियों एवं व्यवसायियों में आर्योंतर तत्त्व ही प्रभान था । निषाद तो निश्चित रूप से प्रजातीय और सास्कृतिक दृष्टि से वैदिक आर्यों से भिन्न थे ।

ब्राह्मण काल में रुद्र के प्रभाव और पद में श्री अधिक वृद्धि दिखाई देती है । ऐतरेय ब्राह्मण के एक प्रसग में कहा गया है कि रुद्र की उत्पत्ति सब देवताओं के उग्र अश को मिला कर अपनी पुत्री पर आसक्त प्रजापति को दण्डित करने के लिये हुई ।^१ वहाँ गौरव की दृष्टि से उनके नाम का उल्लेख नहीं हुआ है । प्रत्युत ‘एप देवो भवत’ कहकर सम्मान प्रकट किया गया है । ब्राह्मण काल में भी रुद्र पशुओं के विनाशक माने जाते थे । पचविंश ब्राह्मण में तो उन्हें स्पष्टत मृगयु कहा गया है ।^२ ऐतरेय ब्राह्मण के लेखक का यह विश्वास है कि रुद्र प्रकृत्या इतने उग्र हैं कि उनका नाम लेने से ही अनिष्ट हो सकता है अत वह स्तोता को रुद्र का नाम उच्चारित न करने और ‘रुद्र’ के स्थान पर ‘रुद्रिय’ पाठ करने की सलाह देता है ।^३ किन्तु इस विधि से भी उसे विश्वास नहीं होता कि रुद्र की स्तुति करने से अनिष्ट नहीं होता । अत वह सुझाव रखता है कि स्तोता को उस मन्त्र का पाठ करना चाहिये जिसमें रुद्र के शान्त रूप का स्तवन उनका नाम लिये विना किया गया है तथा उनसे पुरुषों, स्त्रियों और गायों के कल्याण की प्रायना की गई है ।^४ ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ऐसा करने से रुद्र मयास्पद देवता न होकर कल्याणकर हो जायेंगे । इस ग्रन्थ में उल्लिखित नाभानेदिष्ट की कथा से भी रुद्र का उत्कर्ष प्रमाणित होता है । इसमें रुद्र विश्व की सभी वस्तुओं पर अपना अधिकार बताते हैं और नाभानेदिष्ट के पिता उभका समर्थन करते हैं ।^५

शतपथ ब्राह्मण में रुद्र का स्वरूप और भी अधिक उग्र है । इसमें यद्यपि उन्हें सम्बत्सर और उपा के मिलन ने उत्पन्न बताया गया है लेकिन यह भी

१. ऐत० ब्रा० ३०. ३३ १

२. पच० ब्रा० १४ ६ १२

३. ऐत० ब्रा० ३०. ३४ ७

४. श्र० १०. ४६०. ६

५. ऐत० ब्रा० ५०. १४

सकेत किया है कि 'उनसे स्तोता के पशुओं का अनिष्ट हो सकता है।'^१ इस ग्रन्थ में एक स्थल पर उनकी कल्पना एक ऐसी अशुभ शक्ति के रूप में की गयी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को भटकती रहती है और कहा गया है कि स्तोता को उत्तर दिशा में जाकर (जिस ओर रुद्र का विशेष आवास है) सड़कों प्रौर चीराहों पर हविष अर्पित करनी चाहिये।^२ अन्यत्र कहा गया है कि स्तोता रुद्र को हविष देने के बाद प्रार्थना करे कि वह अपने अनुप पर प्रत्यथा चढाए विना अर्थात् उसे कोई हानि पहुँचाये विना मूजवत के पार चले जायें।^३ इतना ही नहीं, इसके बाद यह विधान किया गया है कि किस प्रकार स्तोता, जो रुद्र की उपासना करने से अपवित्र हो गया है, अपने को पवित्र करे।^४ शतपथ ब्राह्मण के अनुपार शतरुद्रिष्टि की रचना भी रुद्र के क्रोध को शान्त करने के लिये की गई थी। ब्राह्मण साहित्य में यत्तत्र रुद्र को शुभ और कल्पाणकर देवता भी माना गया है तथा कुछ प्रसगों में उनका नैतिक उत्कर्ष भी सकेतित है।^५

रुद्र की पत्नी पार्वती का उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में तथा उमा हेमवती का केनोपनिषद में मिलता है।^६ उमा के उद्गमन पर कुछ विद्वानों ने द्रविड़ प्रभाव माना है। उनके अनुसार उमा शब्द द्रविड़ भाषा के 'मम्मा' शब्द से उद्भूत प्रतीत होता है।^७ उमा, हेमवती और पार्वती शब्द द्वारा इन देवियों का सम्बन्ध गिरि प्रदेश से सूचित होता है। परवर्ती साहित्य में उमा को हिमवन्त सुता कहा गया है तथा शिव को कैलाश-पति। यजुर्वेद के गिरिवर, गिरिशय आदि विशेषणों से तथा उनकी पत्नी के पर्वतीय होने से यह प्रकट है कि उत्तर वैदिक युग में रुद्र गिरि-कानन के अधिपति देवता भी माने जाने लगे थे। पर्वत मालाओं से सुशोभित उत्तर-दिशा में रुद्र के आवास और पर्वतीय प्रदेश के निवासी किरातों में उनकी लोक-प्रियता से भी यह बात सूचित है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने बढ़ते हुए प्रभुत्व के

१ शत० ब्रा० २ ६०२६

२ शन० ब्रा० २ ६ २० ७

३ शत० ब्रा० २० ६ २, १७

४ शत० ब्रा० २ ६ २ १८

५ जै० ब्रा० ३ २६१-३

६ केनोपनिषद् ३ १५४

७ शोपर्ण, शोरिजिनल इनहेविटेन्ट्स आव इण्डिया, पृ० ४२१

युग मे रुद्र ने किसी पार्वतीय देवता को भी आत्मसात किया जिसकी उपासना मुख्यत आर्योंतर पहाड़ी जातियों (किरातो) में प्रचलित रही होगी ।

उपनिषत्काल में रुद्र के महत्व और प्रभाव का वर्णन छान्दोग्य, वृहदारण्यक, महानारायण, इवेताश्वतर आदि उपनिषदों में उपलब्ध होता है ।^१ इवेताश्वतर मे रुद्र को ही विश्व का अधिपति तथा देवताओं का भी द्वष्टा भाना गया है ।^२ इसी ग्रन्थ में अनेकश. शिव का उल्लेख परमात्म-तत्व के रूप मे भी हुआ है ।^३

ऋक्सहिता मे विष्णु का उल्लेख सौर-देवता के रूप मे मिलता है । विष्णु सूर्य के क्रियाशील रूप के प्रतिनिधि हैं । ऋद्वेद मे उनके स्वरूप की

तुलना पर्वत पर रहने वाले, यथेच्छ भ्रमण करने वाले, भयानक पशु-(सिंह) से की गई है ।^४ विष्णु

विष्णु का महत्वपूर्ण कार्य पृथ्वी को तीन डगो से भा पना है । विशाल डगो या ऋमो के कारण उन्हे 'उरुकम' और 'उरुगाय' भी कहा गया है । विष्णु के इन तीन पद-ऋमो के विषय मे पर्याप्त धौमत्य है । यास्क ने आचार्य श्रीर्णवाभ का मत उद्घृत किया है जिनके अनुसार तीन पदऋमो-द्वारा प्रात मध्याह्न और सायकाल मे सूर्य के द्वारा अङ्गोक्त आकाश के तीन स्थान-विन्दुओं का निर्देश है ।^५ अन्य आचार्य शाकपूणि के मतानुसार विविक्षण से पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश—इन तीन लोकों के मापने तथा अतिक्रमण करने का सकेत है । इन दोनो मर्तों मे से तृतीय मत की पुष्टि ऋग्वेद के मन्त्रों से स्वत होती है जिनमे तृतीय पद की सत्ता ऊर्ध्वर्तम लोक में मानी गई है ।

विष्णु नामक सौर देवता उत्तर-वैदिक काल मे विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है ।^६ ऐतरेय ब्राह्मण के प्रारंभ मे ही विष्णु के परमदेव होने की सूचना दी

१. आ० उप० ३७४, वृ० उप० ३६४, महा० उप० १३२, इवेता० उप० ३२४

२. इवेता० उप० ३४ यो देवाना प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिषो रुद्रो महर्पिः ३. इवेता उप० ११०

४. ऋ० १ १५२

५. निरुक्त १२ १६

६. मैकडानेल, वैदिक माइथालोजी, पृ० ३७ रिलिजन एण्ड किलोमीटरी प्राची दि वेद एण्ड उपनिषद्स, नाग १, पृ० ११०

गई है।^१ ब्राह्मण साहित्य में स्थान-स्थान पर उन्हें यज्ञ का प्रतिरूप माना गया है इससे भी उनकी महत्ता दोतित है।^२ ब्राह्मण साहित्य में विष्णु के वामन अवतार की कल्पना भी अकुरित हुई जिसका आधार विष्णु का त्रिविक्रम प्रतीत होता है। ब्राह्मणों में असुरों के सम्मुख देवताओं के अस्तित्व एवं महत्व की रक्षा का श्रेय विष्णु को ही दिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मणके प्रनुसार असुरों ने विष्णु को उतनी भूमि देना स्वीकार किया जितनी वे तीन पदों से अधिकृत कर सकें। विष्णु ने सभी लोकों को माप लिया।^३ तैत्तिरीय सहिता का वर्णन कुछ और स्पष्ट है। इसके प्रनुसार विष्णु ने वामन रूप बाहरण करके तीनों लोकों को अधिकृत किया।^४ शतपथ ब्राह्मण में भी असुरों द्वारा विजित पृथ्वी पर वामन विष्णु की सहायता से देवताओं के अधिकार की बात कही गई है।^५ शतपथ ब्राह्मण में नारायण का भी उल्लेख हुआ है किन्तु विष्णु से उनका सबध सूचित नहीं होता है।^६ मैत्रापणी सहिता में विष्णु का उल्लेख केशवनारायण के रूप से हुआ है^७ तथा तैत्तिरीय आरण्यक में भी विष्णु और नारायण का सबध दोतित है।^८ महाकाव्यों में विष्णु-नारायण की सत्ता परस्पर विलयित हो गई है किन्तु विष्णु और नारायण के तादात्म्य का प्रारम्भिक प्रयास उत्तर-वैदिक साहित्य में ही उपलब्ध होता है। कतिपय विद्वान् नारायण की अवधारणा को आर्योत्तरीय मानते हैं।^९ नारायण स्वतं द्विति का प्रतीत होता है।^{१०}

^१ ऐत० ब्रा० १ १

^२ शत० ब्रा० ५ २ ३ ६, ५ ४ ५ १, १२ ४ १ ४

^३ ऐत० ब्रा० ६ १५

^४ तै० स २ १ ३ १

^५ शत० ब्रा० १ २०५ १

^६ शत० ब्रा० १२ ३ ४ १

^७ मैथ्रा० स ० २ ६

^८ तै० आ० १० ११ १

^९ डी० डी० कोशाम्बी, ऐन इन्डोहिन्दून हू दि स्टडी आव हाइडयन हिस्टरी,

पृ० १११

^{१०} वहीं

उत्तर वैदिक युग मे अनेक नवीन देवताओ की कल्पना भी उपलब्ध होती है। इनमे कुछ तो अमूर्त हैं तथा दार्शनिक चिन्तन के परिणाम प्रतीत होते हैं। अथर्ववेद मे परम सत्ता को अनेक सज्ञाओं अन्य नवीन देवता द्वारा व्यक्त किया गया है। इस सहिता में एक स्थान पर 'काल' को ही जगत का परम तत्व स्वीकार किया गया है। काल समस्त प्रपञ्च का अधिष्ठान है। उसमे मन, प्राण तथा नाम ही समाहित नही है प्रत्युत वह सब का ईश्वर है तथा प्रजापति का भी पिता है।^१ 'काल' की अवधारणा का अधिम विकास आरण्यको में मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक के प्रारम्भिक अनुवाको मे काल के पारमार्थिक और व्यावहारिक रूप का सुन्दर वर्णन मिलता है। अखण्ड सम्बत्सर के रूप मे यही काल उद्भासित है तथा व्यवहार के लिये मुहूर्त, दिवा-रात्रि, पक्ष, मास, आदि में विभक्त होते हुये भी वह एकाकार है। उसकी तुलना उस महानदी मे की गई है जो अक्षय ऋत से सदा प्रवाहित होती है, जिसे नाना सहायक-नदिया आकर पुष्ट बनाती है तथा जिसका प्रवाह कभी नही सूखता।^२ काल के अतिरिक्त अथर्ववेद मे 'स्कम्भ'^३ और 'उच्छ्वृष्ट'^४ का उल्लेख भी हुआ है जो परब्रह्म के ही नवीन अभिधान तथा स्वरूप प्रतीत होते हैं। जगत के आश्रय तथा आवार होने के कारण ही परमब्रह्म स्कम्भ की सज्ञा से मएिडत है। वह विश्व का ही नही प्रत्युत ब्रह्म का भी कारण है। इसीलिये उसे 'जयेष्ठ नःहृ' कहा गया है। स्कम्भ मे भूमि, अन्तरिक्ष, आकाश, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य और बायु सभी समाहित माने गये हैं।^५ 'उच्छ्वृष्ट सूक्त' मे भी वही ब्रह्म उच्छ्वृष्ट नाम से व्यक्त किया गया है। उच्छ्वृष्ट शब्द का अर्थ है बचा हुआ, शेष पदार्थ। दृश्य जगत का निषेध करने पर जो वस्तु प्रवशिष्ट रहती है सम्भवत् वही उच्छ्वृष्ट है जिसकी तुलना परवर्ती साहित्य के 'नेति नेति' (अहृ) से की जा सकती है। जगत के सभी पदार्थों की उत्पत्ति 'उच्छ्वृष्ट सूक्त' में उच्छ्वृष्ट से ही मानी गई है।^६ 'प्राण' का भी उल्लेख अथर्ववेद मे

१ अथर्ववेद १६ ५३,५४

२. तै० आ० १२ नदीव प्रभवात् काचित् अक्षम्यात् स्यन्दते यथा

३. अथर्ववेद १० ७ ८

४ अथर्ववेद ११ ७

५. अथर्ववेद १०.७ १२

६. अथर्ववेद ११ ७,२३

परम सत्ता के रूप में मिलता हैं तथा उसका तादात्म्य प्रजापति से स्थापित किया गया है।^१ आरण्यकों एवं उपनिषदों में प्राण विद्या का जो विस्तार है उसका अकुर अथर्ववेदीय 'प्राण' के वर्णन में माना जा सकता है। ऐतरेय आरण्यक के अनुसार देवता वेद, ऋषि एवं सप्तार सबकी उत्पत्ति प्राण से हुई।^२ अथर्ववेद के त्रयोदश काण्ड में रोहित का वर्णन अनेकश मिलता है जो सूर्य के रक्ताभ स्वरूप का प्रतीक भालूम होता है।^३ रोहितको भी यज्ञ का जनक तथा समग्र विश्व का निर्माता कहा गया है तथा उसी के अधिष्ठान के ऊपर यह सप्तार स्थिर माना गया है।^४ अथर्ववेद में रोहित का तादात्म्य भी प्रजापति से स्थापित किया गया है। अथर्ववेद के विवरण से रोहित भी ब्रह्म का पर्याय प्रतीत होता है।

उत्तर-बौद्धिक युग के कुछ नवीन देवता प्राकृतिक जगत से सम्बन्धित हैं। ऋग्वेद में वनस्पतियों की स्तुति में सूक्त रचित है^५ किन्तु अथर्ववेद तथा तैत्तिरीय सहिता में देवी शक्ति का निवास विशेषत अश्वत्थ, न्यग्रोध, उड्हम्बर और प्लाक्ष में माना गया है।^६ अश्वत्थ की आकस्मिक महत्ता में वृद्धि का कारण सैन्धव धर्म का प्रभाव हो सकता है क्योंकि सैन्धव समाज में अश्वत्थ वृक्ष धार्मिक दृष्टि से समादृत था जब कि ऋग्वेदिक धर्म के अन्तर्गत ऐसी स्थिति नहीं थी। अथर्ववेद में एक स्थल पर पौधे का उल्लेख पृथ्वी देवी से जन्म लेती हुई एक देवी के रूप में हुआ है।^७ यह वर्णन सैन्धव सस्कृति से सम्बन्धित उस मुद्रा से आश्चर्यजनक साम्य रखता है जिस पर देवी की योनि से पौधे का जन्म प्रदर्शित किया गया है।^८ पशुओं में अनेक को ऋग्वेद में ही आशिक देवत्व से युक्त किया गया है किन्तु उनकी वास्तविक उपासना

१ अथर्ववेद ११४

२ ऐत० आ० २ १६, २.२ १०

३ रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्‌स, भाग १ पृ० २०६

४ अथर्ववेद १३ १-३

५ ऋ० ७ ३४ २३, १० ६४ ८

६ तै० स० ३ ४ ८ ४

७ अथर्ववेद ६ १३६ १

८ मार्दाल, मोहनजोदहो एण्ड दि इण्डस सिविलिजेशन, ग्रन्थ १, पृ० ५२ प्लेट १२

उत्तर वैदिक युग मे अनेक नवीन देवताओं की कल्पना भी उपलब्ध होती है। इनमे कुछ तो अमूर्त हैं तथा दार्शनिक चिन्तन के परिणाम प्रतीत होते हैं। अथर्ववेद मे परम सत्ता को अनेक सज्जाओं अन्य नवीन देवता द्वारा व्यक्त किया गया है। इस सहिता में एक स्थान पर 'काल' को ही जगत का परम तत्व स्वीकार किया गया है। काल समस्त प्रपञ्च का अधिष्ठान है। उसमे मन, प्राण तथा नाम ही समाहित नहीं है प्रत्युत वह सब का ईश्वर है तथा प्रजापति का भी पिता है।^१ 'काल' की अवधारणा का अधिम विकास आरण्यको मे मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक के प्रारम्भिक अनुवाको मे काल के पारमार्थिक और व्यावहारिक रूप का सुन्दर वर्णन मिलता है। अखण्ड सम्बत्सर के रूप मे यही काल उद्भासित है तथा व्यवहार के लिये मुहूर्त, दिवा-रात्रि, पक्ष, मास, आदि मे विभक्त होते हये भी वह एकाकार है। उसकी तुलना उस महानदी से की गई है जो अक्षय स्रोत से सदा प्रवाहित होती है, जिसे नाना सहायक नदिया आकर पुष्ट बनाती है तथा जिसका प्रवाह कभी नहीं सूखता।^२ काल के अतिरिक्त अथर्ववेद मे 'स्कम्भ'^३ और 'उच्छृष्ट'^४ का उल्लेख भी हुआ है जो परब्रह्म के ही नवीन अभिधान तथा स्वरूप प्रतीत होते हैं। जगत के आश्रय तथा आधार होने के कारण ही परमब्रह्म स्कम्भ की सज्जा से मणिडत है। वह विश्व का ही नहीं प्रत्युत ब्रह्म का भी कारण है। इसीलिये उमे 'ज्येष्ठ ब्रह्म' कहा गया है। स्कम्भ मे भूभि, अन्तरिक्ष, आकाश, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य और वायु सभी समाहित माने गये हैं।^५ 'उच्छृष्ट सूक्त' मे भी वही ब्रह्म उच्छृष्ट नाम से व्यक्त किया गया है। उच्छृष्ट शब्द का अर्थ है वचा हुआ, शेष पदार्थ। दृश्य जगत का नियेध करने पर जो वस्तु अवशिष्ट रहती है सम्भवतः वही उच्छृष्ट है जिसकी तुलना परवर्ती साहित्य के 'नेति नेति' (ब्रह्म) से की जा सकती है। जगत के सभी पदार्थों की उत्पत्ति 'उच्छृष्ट सूक्त' मे उच्छृष्ट से ही मानी गई है।^६ 'प्राण' का भी उल्लेख अथर्ववेद मे

१ अथर्ववेद १६.५३,५४

२ तै० आ० १२ नदीव प्रभवात् काचित् अक्षयात् स्यन्दते यथा

३० अथर्ववेद १०.७ द

४ अथर्ववेद ११.७

५. अथर्ववेद १०.७.१२

६ अथर्ववेद ११.७.२३

परम सत्ता के रूप में मिलता हैं तथा उसका तादात्म्य प्रजापति से स्थापित किया गया है।^१ आरण्यको एव उपनिषदो में प्राण-विद्या का जो विस्तार है उसका अकुर अर्थवैदीय 'प्राण' के वर्णन में माना जा सकता है। ऐतरेय आरण्यक के अनुसार देवता वेद, ऋषि एव सासार सबकी उत्पत्ति प्राण से हुई।^२ अथर्ववेद के त्रयोदश काण्ड में रोहित का वर्णन अनेकश मिलता है जो सूर्य के रक्षाम स्वरूप का प्रतीक मालूम होता है।^३ रोहितको भी यज्ञ का जनक तथा समग्र विश्व का निर्माता कहा गया है तथा उसी के अधिष्ठान के ऊपर यह सासार स्थिर माना गया है।^४ अथर्ववेद में रोहित का तादात्म्य भी प्रजापति से स्थापित किया गया है। अथर्ववेद के विवरण से रोहित भी ब्रह्म का पर्याय प्रतीत होता है।

उत्तर-वैदिक युग के कुछ नवीन देवता प्राकृतिक जगत से सम्बन्धित हैं। क्रुणेद में वनस्पतियों की स्तुति में सूक्त रचित है^५ किन्तु अथर्ववेद तथा तैत्तिरीय सहिता में देवी शक्ति का निवास विशेषत अश्वत्थ, न्यग्रोध, उदुम्बर और प्लाक्ष में माना गया है।^६ अश्वत्थ की आकृस्मक महत्ता में वृद्धि का कारण सैन्धव धर्म का प्रभाव हो सकता है क्योंकि सैन्धव समाज में अश्वत्थ वृक्ष धार्मिक दृष्टि से समादृत था जब कि क्रुणवैदिक धर्म के अन्तर्गत ऐसी स्थिति नहीं थी। अथर्ववेद में एक स्थल पर पौधे का उल्लेख पृष्ठवी देवी से जन्म लेती हुई एक देवी के रूप में हुआ है।^७ यह वर्णन सैन्धव संस्कृति से सम्बन्धित उस मुद्रा से आश्चर्यजनक साम्य रखता है जिस पर देवी की योनि से पौधे का जन्म प्रदर्शित किया गया है।^८ पशुओं में अनेक को क्रुणवेद में ही आशिक देवत्व से युक्त किया गया है किन्तु उनकी वास्तविक उपासना

१ अथर्ववेद ११४

२ ऐत० आ० २ १६, २ २ १०

३ रिलिजन एण्ड फिलोसॉफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग १ पृ० २०६

४ अथर्ववेद १३ १-३

५ क्र० ७ ३४ २३, १० ६४ ८

६ त० ८० ३ ४ ८४

७ अथर्ववेद ६ १३६ १

८ माशल, मोहनजोदहो एण्ड दि इण्डस सिविलिजेशन, ग्रन्थ १, पृ० ५२ प्लेट १२

सर्वथा सन्दिग्ध हैं। उत्तर वैदिक काल में वराह और कच्छप में देवत्व की कल्पना स्पष्ट है। नाग उपासना की लोकप्रियता भी परवर्ती सहिताओं और ब्राह्मणों के अध्ययन से स्पष्ट है। श्रोल्डेनवर्ग नागपूजा के मूल में टोटमवाद मानते हैं।^१ उनका यह मत ग्राह्य प्रतीत होता है। बौद्ध युग में कोशल और विदेह के समीपवर्ती प्रदेशों में नाग जाति का बाहुल्य था। इन नाग लोगों में सर्वं की उपासना प्रचलित रही होगी। यथ की भावना तथा उपासक से भयकर सर्पों को दूर रखने की कामना को भी नाग पूजा के विस्तार का एक कारण माना जा सकता है।

वैदिक साहित्य से अन्तर्गत विकसित आध्यात्मवाद का प्रतिपादन उपनिषदों में उपलब्ध होता है। उपनिषदों में उल्लिखित अनेक विचार वीज-

रुपेण सहिताओं एवं ब्राह्मणों में भी मिलते हैं किन्तु

श्रीपनिषद्-दर्शन

ब्राह्मण युग में यज्ञिय कर्मकाण्डों का जी आशातीत विकास एवं विस्तार हुआ उससे मूल आध्यात्मिक भावना ग्रस्त हो गई। इसके स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वरूप यज्ञों के आडम्बर-

पूर्ण ब्राह्म स्वरूप का विरोध हुआ तथा उनमें अन्तर्निहित आध्यात्मिक तत्त्व के महत्व पर बल दिया गया। इस प्रकार यह सिद्ध करने का प्रयास हुआ कि यज्ञ अपने आप में साध्य नहीं है अपितु उनमें अन्तर्निहित सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्त्व ही महत्वपूर्ण है। मुण्डकोपनिषद् में यज्ञ और बलिदान का प्रकट विरोध मिलता है।^२ बृहदारण्यक उपनिषद् में इस बात का सकेत है कि ऋषिश यज्ञ और बलिदान की भावना को चिन्तन और मनन में बदलने का प्रयास हो रहा था। परिणामत उपनिषद् युग में देवयज्ञ से हटकर आत्मयज्ञ पर बल दिया गया। यद्यपि ब्रह्म अथवा परमपुरुष की प्राप्ति के लिए ब्राह्म-आडम्बर व्यर्थ बताए गए तथापि सामाजिक परिवेश एवं जनमानस को देखते हुए उपनिषद्कारों ने पूर्णतया यज्ञ धर्म की अवहेलना नहीं की। उन्होंने उसकी व्याख्या में परिवर्तन किया। उन्हें शाका थी कि समाज में दीर्घकाल से प्रतिष्ठित यज्ञों की आलोचना मम्भवत लोकप्रिय नहीं हो सकेगी। अतः मनीषियों ने यज्ञमूलक धर्म के विरुद्ध कान्ति न करके उसके

१. रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि बोद एण्ड उपनिषद्-स, भाग १,
पृ० १६५ पर उद्धृद

२. अलवा ह्येते अदृढा यशस्वा अष्टादशोक्तमवर येप यर्म एतच्छ्रुयो येऽमि
नन्दन्ति भूदा जरा मृत्यु ते पुनरेवापि यान्ति।

उद्दीश्य एवं अभिप्राय में ही परिवर्तन का सफल प्रयास किया। वैदिक प्रार्थना और कर्मकारण का स्थान उपनिषदों में चिन्तन, मनन और निदिष्यासन ने ले लिया। इस प्रकार वहिर्मुखी वैदिक धर्म उपनिषद् काल में अन्तर्मुखी हो गया। ज्ञान के समक्ष कर्म की हीनता को सूचित करते हुए यह भी कहा गया कि यज्ञ से यनुष्य को केवल नश्वर सुख ही प्राप्त हो सकते हैं। स्वर्ग सुख के विषय में भी उपनिषद् यह मानते हैं कि स्वर्ग-सुख का भोग जीव तभी तक कर सकता है जब तक उसके पुराय शेष है। पुराय समाप्त होते ही पुन उसे जन्म लेना पड़ता है और पुन उसकी मृत्यु होती है। इस प्रकार यज्ञ से उत्पन्न सुख अनित्य है। इसके विपरीत ज्ञान के भाव्यम से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है जिसके द्वारा वह जन्म और मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है।

उपनिषद् युग वौद्धिक जिज्ञासा का युग था। इस युग के मनीषियों ने अनेक शाश्वत समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जिनके चिन्तन एवं मनन के परिणामस्वरूप प्रीढ दर्शन का विकास मूल समस्याएँ हुआ। उपनिषद् कालीन दार्शनिक इस अन्वेषण में रत है कि इस संसार के मूल में क्या वास्तविक सत्य है। उपनिषदों के अध्यात्मवेत्ता कृष्णियों ने इस नानात्मक, सतत परिवर्तनशील तथा अनित्य जगत् के मूल में विद्यमान शाश्वत, सत्तात्मक पदार्थ का अन्वेषण तात्त्विक दृष्टि से कर निकाला है। इस अन्वेषण कार्य में उन्होंने तीन पढ़तियों का उपयोग किया है जिन्हे आधिभीतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक कहा जा सकता है। आधिभीतिक पद्धति जगत् के उत्पत्ति विकास एवं विज्ञान के कारणों की छानबीन करती हुई विलक्षण नित्य पदार्थ के निर्वचन में समर्थ होती है।^१ आधिदैविक पद्धति नाना रूप तथा स्वभावधारी विपुल देवताओं में शक्ति सचार करने वाले एक परमात्म तत्व को खोज निकालती है।^२ आध्यात्मिक पद्धति में मानस प्रक्रियाओं तथा शारीरिक कार्यकलापों के अवलोकन से उनके मूलभूत आत्मतत्व का निरूपण किया जाता है। इन तीन जौलियों के द्वारा उपनिषद् कालीन दार्शनिकों ने जिस परमतत्व का उल्लेख किया है उसे अन्तर ब्रह्म कहा गया है। उपनिषद् साहित्य में इस संसार, शरीर तथा परम सदवस्तु के सम्बन्ध में

१ वृ० उप० ३ ८ ६

२ वृ० उप० ३ १-१०

सर्वथा सन्दिग्ध हैं। उत्तर वैदिक काल में वराह और कच्छप में देवत्व की कल्पना स्पष्ट है। नाग उपासना की लोकप्रियता भी परवर्ती सहिताओं और ब्राह्मणों के अध्ययन से स्पष्ट है। शोल्डेनवर्ग नागपूजा के मूल में टोटमवाद मानते हैं।^१ उनका यह मत ग्राह्य प्रतीत होता है। बीढ़ युग में कोशल और विदेह के सभीपवर्ती प्रदेशों में नाग जाति का बाहुल्य था। इन नाग लोगों में सर्व की उपासना प्रचलित रही होगी। यथ की भावना तथा उपासक से भयकर सर्पों को दूर रखने की कामना को भी नाग पूजा के विस्तार का एक कारण माना जा सकता है।

वैदिक साहित्य से अन्तर्गत विकसित अध्यात्मवाद का प्रतिपादन उपनिषदों में उपलब्ध होता है। उपनिषदों में उल्लिखित अनेक विचार वीजरूपेण सहिताओं एवं ब्राह्मणों में भी मिलते हैं किन्तु श्रीपनिषद्-इर्णन ब्राह्मण युग में यज्ञिय कर्मकाण्डों का जो आशातीत विकास एवं विस्तार हुआ उससे मूल आध्यात्मिक भावना ग्रस्त हो गई। इसके स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वरूप यज्ञों के आडम्बर-पूर्ण ब्राह्म स्वरूप का विरोध हुआ तथा उनमें अन्तर्निहित आध्यात्मिक तत्व के महत्व पर वल दिया गया। इस प्रकार यह सिद्ध करने का प्रयास हुआ कि यज्ञ अपने श्राप में साध्य नहीं है अपितु उनमें अन्तर्निहित सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्व ही महत्वपूर्ण है। मुण्डकोपनिषद में यज्ञ और वलिदान का प्रकट विरोध मिलता है।^२ वृहदारण्यक उपनिषद में इस बात का सकेत है कि क्रमशः यज्ञ और वलिदान की भावना को चिन्तन और मनन में बदलने का प्रयास हो रहा था। परिणामत उपनिषद् युग में देवयज्ञ से हटकर प्रात्मयज्ञ पर वल दिया गया। यद्यपि ब्रह्म अथवा परमपुरुष की प्राप्ति के लिए वाय्य आडम्बर व्यर्थ बताए गए तथापि सामाजिक परिवेश एवं जनमानस को देखते हुए उपनिषत्कारों ने पूर्णतया यज्ञ धर्म की अवहेलना नहीं की। उन्होंने उसकी व्याख्या में परिवर्तन किया। उन्हें शका थी कि समाज में दीर्घकाल से प्रतिष्ठित यज्ञों की आलोचना सम्भवत लोकप्रिय नहीं हो सकेगी। अतः मनोपियों ने यज्ञमूलक धर्म के विरुद्ध क्रान्ति न करके उसके

१. रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वोद एण्ड उपनिषद्-स, भाग १, पृ० १६५ पर उद्धृत

२. प्लवा होते अदृढ़ा यज्ञहपा अप्टादशोक्तम्बर येष वर्म एतच्चृयो येऽनि नन्दन्ति मूढा जरा मृत्यु ते पुनरेवापि यान्ति।

उद्देश्य एवं प्रभिप्राप्त में ही परिवर्तन का सफल प्रयास किया। वैदिक प्रार्थना और कर्मकाण्ड का स्थान उपनिषदों में चिन्तन, मनन और निदिध्यासन ने ले लिया। इस प्रकार बहिमूल्की वैदिक धर्म उपनिषद् काल में अन्तमुखी हो गया। ज्ञान के समक्ष कर्म की हीनता को सूचित करते हुए यह भी कहा गया कि यज्ञ से मनुष्य को केवल नश्वर सुख ही प्राप्त हो सकते हैं। स्वर्ग सुख के विषय में भी उपनिषद् यह मानते हैं कि स्वर्ग-सुख का भोग जीव तभी तक कर सकता है जब तक उसके पुण्य क्षेष हैं। पुण्य समाप्त होते ही पुन उसे जन्म लेना पड़ता है और पुन उसकी मृत्यु होती है। इस प्रकार यज्ञ से उत्पन्न सुख अनित्य हैं। इसके विपरीत ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है जिसके द्वारा वह जन्म और मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है।

उपनिषद् युग वैदिक जिज्ञासा का युग था। इस युग के मनीषियों ने अनेक शाश्वत समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जिनके चिन्तन एवं मनन के परिणामस्वरूप प्रौढ दर्शन का विकास मूल समस्याएँ हुआ। उपनिषद् कालीन दार्शनिक इस अन्वेषण में रत है कि इस समाचार के मूल में क्या वास्तविक सत्य है। उपनिषदों के अध्यात्मवेत्ता ऋषियों ने इस नानात्मक, सतत परिवर्तनशील तथा अनित्य जगत् के मूल में विद्यमान शाश्वत, सत्तात्मक पदार्थ का अन्वेषण तात्त्विक दृष्टि से कर निकाला है। इस अन्वेषण कार्य में उन्होंने तीन पद्धतियों का उपयोग किया है जिन्हें आधिभौतिक, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक कहा जा सकता है। आधिभौतिक पद्धति जगत् के उत्पत्ति विकास एवं विनाश के कारणों की ढानबीन करती हुई विलक्षण नित्य पदार्थ के निर्वचन में समर्थ होती है।^१ आधिदेविक पद्धति नाना रूप तथा स्वभावधारी विपुल देवताओं में शक्ति सचार करने वाले एक परमात्म तत्व को खोज निकालती है।^२ आध्यात्मिक पद्धति में मानस प्रक्रियाओं तथा शारीरिक कार्यकलापों के घबलोकन से उनके मूलभूत आत्मतत्व का निरूपण किया जाता है। इन दोनों शैलियों के द्वारा उपनिषद् कालीन दार्शनिकों ने जिस परमतत्व का उहोपोह किया है उसे अन्तत वह्य कहा गया है। उपनिषद् साहित्य में इस संसार, शरीर तथा परम सद्वस्तु के सम्बन्ध में

^१ वृ० ८५० ३ द०६

^२ वृ० ८५० ३ १-१०

से तीनों लोकों की रचना हुई है तथा दूसरे में वेदों का त्रिविध ज्ञान आ जाता है। तीसरे में तीन प्राण हैं और चौथा पृथ्वी से परे सूर्य के रूप में चमकता है। आत्मा भी ब्रह्म का ही स्वरूप है जो पूर्ण है किन्तु पूर्ण आत्मा के निकलने के बाद भी ब्रह्म में कोई कमी नहीं आती और वह पूर्ण ही रहता है। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में इस प्रसंग में यह कहा गया है कि 'वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकलता है किन्तु उस पूर्ण के बाद जो कुछ बचता है वह भी पूर्ण है।'^१ इस प्रकार सब कुछ उस अनन्त से निकलता है और अनन्त में पहुँचना ही उसका लक्ष्य है। उपनिषदों में ब्रह्म को इन्द्रियों द्वारा दुर्ज्य तथा वाणी द्वारा अकथनीय बतलाया गया है। वह अणु से भी छोटा है और महान से भी महत्त्वार। उसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं कि परम ब्रह्म न तो स्थूल है और न सूक्ष्म, न छोटा है और न बड़ा, इसका कोई स्वरूप नहीं है। यह कान, आँख, और मस्तिष्क से भी परे हैं। इसी प्रकार केनोपनिषद में निष्प्रपञ्च ब्रह्म का स ग्रीव चित्र मिलता है। इसके अनुसार "जिसे वाणी कह नहीं सकती किन्तु जिसकी शक्ति से बोलती है उसे तुम ब्रह्म जानो। इसे नहीं जिसकी तुम उपासना करते हो।" ब्रह्म निरपात्रि है। देश, काल एवं निमित्ता रूपी उपाधियों से पूर्णत विरहित है। वह देशातीत, कालातीत और निमित्तातीत है। प्रमाणातीत होने से वहनितरा अप्रभेय है। वह किसी भी प्राणी की वृद्धि का विषय नहीं ही सकता। मुण्डकोपनिषद में ब्रह्म की उपमा मढ़े से दी गई है तथा कहा गया है कि जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीर से जाली का वितन्वन करता है तथा पुन अपने में उसे समेट लेता है। उसी प्रकार ब्रह्म विश्व को उत्पन्न एवं नष्ट करता है। जिस प्रकार बीज के अदृश्य सार से वृक्ष उत्पन्न होता है उसी प्रकार सूक्ष्म परमतत्व से विश्व का सृजन होता है। पानी में धूले हुए लवण की भाँति सर्वव्यापी ब्रह्म जगत् में व्याप्त होते हुए भी दिखाई नहीं देता। ब्रह्म के इस परात्पर रूप के अतिरिक्त उपनिषदों में अपर ब्रह्म का भी उल्लेख मिलता है जो सीमित, सोपाधि, सगुण, सप्रपञ्च एवं अन्त स्य है।

उपनिषदों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपदेश अद्वैतवाद का है। इस युग के मनीषियों के मतानुसार अखिल सृष्टि जड़, जगभ चेतन स्थावर, नभी

पर-ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं। 'सर्वं खलु इदं ब्रह्म' 'तत् त्वमसि,' 'अहं ब्रह्मास्मि' आदि भग्ना वाक्यों द्वारा सूक्ष्म एवं अद्वैत ब्रह्म को सर्वव्याप्त सत्ता एवं आत्मा तथा परमात्मा की एकता प्रतिभाष्टवाद सित की गई है^१ तथा आत्मा और ब्रह्म में अन्तर देखने का मूल कारण अविद्या अथवा अज्ञान शाना गया है। आत्मा और परमात्मा की एकता उपभास्रों के माध्यम से भी स्पष्ट की गई हैं। जब कुम्हार कोई घड़ा बनाता है तो आकाश का एक शश उस घडे में भी व्यास हो जाता है। घडा शरीर है और घडे के भीतर व्यास आकाश ही आत्मा है। जब घडा फूट जाता है अर्थात् आदमी का शरीर छूट जाता है तब उससे आबढ़ आकाश पुनः विशाल आकाश में मिल जाता है। जिस घडे का आकाश कर्म की गन्ध से दूषित है उस आकाश-खण्ड (आत्मा) को पुन किसी दूसरे घडे में जाना होगा (अर्थात् पुनर्जन्म लेना पड़ेगा)। किन्तु जिसका आकाश निर्मल है, उस घडे के फूट जाने पर उसका आकाश पुन किसी घडे में वापस नहीं आता (अर्थात् निर्मल भनुष्य की आत्मा पुन जन्म के बन्धन में नहीं पड़ती)।^२ नानात्म के बीच एकत्व को अत्यन्त सरल रूप में व्यक्त करते हुए कहा गया है कि विश्व ब्रह्म है। और ब्रह्म मेरी आत्मा है। इस प्रकार एक ही परम तत्त्व की सत्ता की अभिध्यक्ति समस्त पदार्थों में मानी गई है। वही एक प्रकार सर्वत्र आलोकित है।

श्वेताश्वतर उपनिषद में ब्रह्म को ईश कहा गया है। वह शिव रुद्र हर और महेश्वर भी कहलाता है। यहा यह उल्लेखनीय है कि यह उपनिषद अन्य उपनिषदों से बहुत बाद का है। ईश्वर को प्रकृति एवं जीवों का स्वामी कहा गया है। जो अपनी शक्ति माया अथवा प्रकृति द्वारा जगत का सूजन करता है। प्रकृति एक अज, सत्त्व, रजस और तमस से बनी हुई तथा गतिशील है तथा इन गुणों से अपने जैसी अनेक वस्तुएं उत्पन्न करती है।^३ मायावी ईश्वर अपनी

१ वृ० उप० १ ४ १०, छान्दोग्य उप० ६-८ ७, छान्दोग्य उप० ३ १४ १
 २ इस प्रसाग में भग्ना और जीव को एक ही माना गया है।
 ३ श्वेता० उप० ४. ५, अजायेकाम् लोहित शुक्लकृष्णा वहवी। प्रजा-
 सूजमाना सूधा।

शक्ति से समस्त लोकों को बनाता तथा उन पर शासन करता है। वह गुणों का नियामक है तथा उसकी प्रकृति विचित्र जगत का निर्माण करने वाली महाशक्ति।

उपनिषदों के अनुसार वैयक्तिक आत्मा (इडिवीडूअल सेल्फ) और परम आत्मा (सूप्रीम सेल्फ) अन्वकार और प्रकाश के समान एक ही

शरीर की हृदय गुहा में साथ-साथ निवास करते हैं।

जीव और आत्मा

इनमें प्रथम को जीव और दूसरे को आत्मा कहा गया है। जीव कर्म के फलों को भोगता है। तथा

सुख-दुःख का अनुभव करता है। इसके विपरीत आत्मा कूटस्थ और निर्लिप्त है। यद्यपि दोनों अज और नित्य हैं तथापि जीव अज्ञान के कारण दुःख और बन्धन से युक्त है। आत्मा का ज्ञान होने पर यह अज्ञान और उसके साथ ही दुःख और बन्धन भी नष्ट हो जाते हैं। कुछ उपनिषदों में आत्मा और जीव में अन्तर नहीं माना गया है किन्तु कुछ में यह अन्तर स्पष्ट है। उनमें आत्मा और ब्रह्म का तादातम्य स्थापित करते हुए जीवको इनसे भिन्न माना गया है। जीवात्मा को भी शगीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियों से पृथक् और इनसे परे कहा गया है। वह नित्य, चेतन, अजर, अमर और अशरीरी है किन्तु उसमें अनन्त ज्ञान नहीं है। वह भोक्ता और कर्ता है भ्रत कर्मों के बन्धन में पढ़ा रहता है। उसमें इच्छा, सकल्प, क्रिया और चरित्र है। इसका पुनर्जन्म होता है जो जीव के कर्मों पर आधारित होता है। जीव की चार अवस्थाओं का भी उल्लेख हुआ है। प्रथम 'जायत' अवस्था है जिसमें वह विश्व कहलाता है तथा वाह्य इन्द्रियों द्वारा वह सासारिक विषयों को भोगता है। 'स्वप्न' की अवस्था में वह तेजस है जो मन के द्वारा सूक्ष्म आन्तरिक विषयों को जानता और भोगता है। 'सुपुस्ति' अवस्था में वह प्रज्ञा कहलाता है जो एकरस, चैतन्य और आनन्द है तथा जो अन्तर्वाहि किमी भी विषय को नहीं देखता। चौथी 'तुरीय' अवस्था में वह आत्मा कहलाता है जो न चेतन है और न अचेतन वल्कि एक अद्वैत विश्वचेतना है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। उपनिषदों में जीव की स्थिति पाच पृथक् कोणों में भी बताई गई है। जिन्हे कमश अननन्दमयकोण, प्राणमयकोण, मनोमयकोण, विज्ञानमय-कोण तथा आनन्दमय कोण कहा गया है। आनन्दमय कोण में ही विशुद्ध आत्मा का निवास है। यही आत्मा ब्रह्म है जिसके ज्ञान से जीव के बन्धन छूट जाते हैं। यह आत्म ज्ञान अपरोक्षानुभूति से होता है।

उपर ब्रह्म, आत्मा और जीव के स्वरूप के विषय में जो बातें कही गई हैं उनमें अनेकश्र विरोध परिलक्षित हैं। किन्तु उपनिषदों में इस प्रकार की परस्पर विरोधी बातों का सन्निवेश मिलता है। उपनिषद कभी तो ब्रह्म को निविकार कहते हैं और कभी कहते हैं कि सृष्टि की रचना उसी ने की। वे कभी आत्मा और परमात्मा को अभिन्न मानते हैं और कभी यह कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और आत्मा सीमित है। परमात्मा आनन्द-स्वरूप है और आत्मा दुख से पीड़ित। आत्मा और परमात्मा एक हैं, आत्मा और परमात्मा पृथक् हैं तथा आत्मा और परमात्मा अलग भी हैं और एकाकार भी, ये तीन तरह के भूत हैं जिनमें प्रायः तीनों का समर्थन उपनिषदों में स्वेच्छा जा सकता है। इन्हीं तीन प्रकार की बातों से कालान्तर में ग्रहैत-वाद, द्वैतवाद और विशिष्टार्थत्वाद का विकास हुआ। उपनिषदों में इन परस्पर विरोधी भूतों के प्रतिपादन का मूल कारण यह है कि वे किसी एक अद्वितीय की रचना नहीं हैं। उनमें अपनेक ग्रन्थियों की अनुमूलिता संग्रहीत हैं अतः उनमें त्यूनाधिक वैमत्य और विरोध स्वामाविक है।

उपनिषदों के अनुसार अविद्या बन्धन का कारण है और विद्या से मोक्ष होता है। अविद्या की स्थिति में नित्य और अनित्य का अन्तर स्पष्ट नहीं होता। उसमें भेद, नानात्व और भ्रह्मकार होता है।

बन्धन और मोक्ष महकार बन्धन का कारण है। इसके कारण जीव इन्द्रियों, मन, दुष्टि और शरीर से तादात्म्य करने लगता है। वस्तु जगत के प्रति मोह बन्धन उत्पन्न करता है। अहकार, स्वार्थ और वासना बन्धन के प्रमुख कारण माने गये हैं, जिनके प्रभाव से मनुष्य आदागमन तथा पुनर्जन्म के बन्धन से मुक्त नहीं हो पाता है। विद्या द्वारा भ्रह्मकार से छूट कर अपने प्रसली रूप ब्रह्म को पहचान कर उससे तादात्म्य स्थापित करने से बन्धन छूट जाते हैं। ब्रह्मज्ञान से मोक्ष होता है और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है ब्रह्मावाना पर्यात् सबमें ब्रह्म को देखना और अपने को सबमें देखना। इसी स्थिति को 'एकात्मदर्शन' (सबमें एक ही आत्मा को देखना) तथा 'सद्विमदर्शन' भी कहा गया है। इसे ध्यूत-पद भी कहा गया है क्योंकि इसमें जीवात्मा एवं परमात्मा का एकत्र है। इस स्थिति में घर्म, अघर्म, राग, द्वेष, सूख-दुख, मोह और भय इत्यादि नहीं हैं। वहाँ अनिवेचनीय शाश्वत चान्ति है। वह परम प्रक्षा, नि स्वार्थं सकल्प, निविशेष चेतना तथा अनिवेचनीय आनन्द की अवस्था है।^१

१०. विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, राधाकृष्णन, इण्डियन फिलोसोफी, भाग १, पृ० १५२-२०७।

तत्त्वविचार के साथ-साथ उपनिषदों में मोक्ष-प्राप्ति के साधनों पर भी विचार किया गया है। संक्षेप में मोक्ष-प्राप्ति का एकमात्र साधन, आत्मलाभ (सेल्फ रियलाइजेशन) अथवा ब्रह्म साक्षात्कार है।

मोक्ष के साधन **किन्तु पूर्ण आत्मलाभ के लिए क्रमशः अनेक अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है। आत्मा अन्तर्यामी है वह बाह्य जगत की वस्तुओं के पीछे दौड़ने से नहीं मिल सकता।**

परन्तु बाह्य विषयों के पीछे भागना मानव मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को रोक कर इन्द्रियों को बाह्य विषयों से समेट कर अन्त स्थ आत्मा पर मन को केन्द्रित करना आत्मलाभ के लिए आवश्यक है। इस प्रकार आत्मलाभ के लिए अन्तर्मुखता प्रथम आवश्यकता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा को न तो प्रवचनों से, न मेघा से और न बहुश्रुत होने से ही जाना जा सकता है।^१ उमके लिए जीवन में सत्य, तपस्या यथार्थ वौघ और ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है।^२ इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा भी आवश्यक है। कठोपनिषद में कहा है 'उठो, जागो, और जो तुमसे श्रेष्ठ है उनसे सीखो क्योंकि आत्मलाभ का पथ छुरे की धार के समान तीक्ष्ण है।'^३ छान्दोग्यउपनिषद में गान्धारनिवासी मनुष्य की कथा है। डाकू उसकी आखें बन्द करके उसे उसके देश से दूर ले जाकर जगल में छोड़ देते हैं। तब किसी अन्य व्याक्त के पथ प्रदर्शन करने पर ही वह घर पहुंच पाता है। इस कथा के माध्यम से आत्मलाभ के लिए गुरु की आवश्यकता को सुन्दर ढग से समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि जब तक जिज्ञासु में देवता और गुरु के प्रति पर्याप्त भक्ति न हो तब तक उसको आत्मलाभ के मार्ग में दीक्षा नहीं देनी चाहिए।^४ कुछ उपनिषदों में सन्यास को भी एक आवश्यक शर्त माना गया है किन्तु सबमें ऐसा नहीं है। भक्ति, शुद्धि, अन्तर्मुखता तथा गुरु से दीक्षा मिलनेपर जिज्ञासु को योगाभ्यास और ओ३म पर निदिध्यासन अथवा प्रणव करना चाहिए। निदिध्यासन के पूर्ण होने पर आत्मा ब्रह्म से एक हो जाती है तथा आत्मलाभ होता है।

१. कठोपनिषद १.२.२२

२. मुण्डकोपनिषद ३.१.५

३. छान्दोग्य उप० ४.९.३

४. इवेता० उप० ६.२२.२३ यस्य देवे पराभक्तिर्यंथा देवे तथा गुरी तस्यैके कथिताद्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन्।

प्रो० रानाडे ने आत्मलाभ के मार्ग में अग्रसर जीव की पाँचें धर्वस्थाप्रों का सकेत उपनिषदों में माना है।^१ प्रथम अवस्था में व्यक्ति स्वय को आत्मा से पृथक् देखते हुए अपने अन्दर स्थित आत्मा के रहस्यात्मक दर्शन द्वारा उसकी अनुभूति करता है। इस अवस्था की सूचना वृहदारण्यक उपनिषद में 'आत्मा वा भ्रे दृष्टव्य' कह कर दी गई है।^२ इसी उपनिषद में दूसरी अवस्था को यह कर समझाया गया है कि हम यह अनुभव करे कि हम आत्मा ही हैं, शारीरिक, बौद्धिक अध्यावा भावात्मक कोप नहीं। इस प्रकार दूसरी अवस्था में शुद्ध आत्मा से तादात्म्य का अनुभव होता है।^३ वृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार तीसरी अवस्था में यह अनुभूति होनी चाहिए कि जिस आत्मा का हमने अनुभव किया है उसका एकत्व ब्रह्म से है।^४ चौथी अवस्था में प्रथम तीन अवस्थाप्रों के परिणामस्वरूप 'अह ब्रह्मास्मि'^५ अथवा 'तत्त्वमसि'^६ की अनुभूति होती है। पात्रवी अवस्था में व्यक्ति को यह अनुभूति होगी कि समस्त जगत् ही ब्रह्म है। छान्दोग्य उपनिषद में 'सर्वं खलु इद ब्रह्म' का उद्घोष हुआ है।^७ इस पूर्ण अहैत की अवस्था में पहुँच कर पूर्ण आत्मलाभ हो जाता है।^८ उसके हृदय की ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं तथा उसके समस्त सन्देह एवं ऋग दूर हो जाते हैं।^९ एक बार समस्त शक्ति के स्रोत परम तत्व से तादात्म्य हो जाने पर जीवात्मा के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और वह विश्वात्मा की अनन्त शक्ति में भाग लेने लगता है।^{१०} विश्वात्मा के योग से उत्पन्न परम आनन्द का सापोपाग वर्णन तंत्रिरीय उपनिषद में हुआ है। वृहदारण्यक उपनिषद में इस आनन्द की तुलना प्रिय पत्नी

१ ए कान्सट्रक्टिव सर्वे आव दि उपनिषदिक फिलोसोफी, पृ० २७६

२ वृ० उप० २४५

३ वृ० उप० ४४१२

४ वृ० उप० २५१६

५. वृ० उप० १४१०

६० छान्दोग्य उप० ६८७

७ छान्दोग्य उप० ३१४१

८ वृ० उप० ४४१२

९ मुरादकोपनिषद २२८ भित्ते हृदय ग्रन्थि श्वेद्यते सर्वसशया ।

१० मुण्डकोपनिषद ३१२

के साथ संयोग से उत्पन्न आनन्द से की गई है।^१ तंत्रितीय उपनिषद के अनुसार इस आनन्द की अनुभूति भय की अनुभूति को समाप्त कर देती है। जीव निर्भय हो जाता है। क्योंकि उसने अदृश्य, अशरीर, अनिर्वचनीय, निर्भय और सबके निराधार आधार में आवास पा लिया है।^२ छान्दोग्य उपनिषद के अनुसार जो आत्मा की खोज करके उसे पा लेता है उसे समस्त लोक प्राप्त हो जाते हैं और उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं।^३ यही आत्मलाभ अथवा ब्रह्म-ज्ञान उपनिषदों का प्रमुख विषय है इसीलिए उपनिषदों को विद्या को ब्रह्म-विद्या भी कहा गया है जिसके अनुशीलन से मुमुक्षु जनों की सासार-बीज-भूता अविद्या नष्ट हो जाती है तथा गर्भवास, पुनर्जन्म आदि के बन्धन शिथिल दूर जाते हैं।

उपनिषदों में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद के सिद्धान्त का विकसित रूप दिखाई देता है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक स्थान पर इन दोनों का परस्पर सम्बद्ध उल्लेख मिलता है।^४ इसके अनुसार मनुष्य पुनर्जन्म और कर्मवाद जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य भोगना का तिद्धान्त पढ़ता है। कर्म के सुधरने से मनुष्य का अगला जन्म अच्छा होगा और उस जन्म में भी जब वह अच्छे कर्म करेगा तब उसका तीसरा अगला जन्म श्रीर अच्छा होगा। इस प्रकार जन्म-जन्मान्तर तक सत्कर्म में प्रवृत्त मनुष्य की मुक्ति हो जायगी और वह जन्म-प्रणाली के बन्धन से छूट जायेगा। इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाव का निर्भता है। उसकी इच्छाओं अथवा वासनाओं से उसके कर्म प्रेरित होते हैं तथा कर्म के अनुसार ही निर्धारित होता है उसका भविष्य। इसी सिद्धान्त न उस बीद्र विद्वास का बीज निहित है जिसके अनुसार आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए भी कर्म के आधार पर पुनर्जन्म माना गया है। छान्दोग्य उपनिषद में आवागमन के इस सिद्धान्त का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अनुसार मृत्यु के पश्चात् ज्ञानमुक्त अरण्यवासी देवयान से जाता है तथा ब्रह्मन से उसका तादात्म्य होता है। यज्ञ कर्म में रत गृहस्प पितृयान से चन्द्रलोक को जाता है तथा कर्मफल के समाप्त होने तक वहाँ रहता है।

१. वृ० उप० ६ ३ २१

२. तै० उप० २ १०

३. छान्दोग्य उप० ८ ७ १

४. वृ० उप० ४.३-४

तत्पश्चात् वह पुन भूलाक को लीटता है तथा प्र मत वीरुद्ध के रूप में जन्म लेता है और पुन किसी द्विज कुल में। दुष्ट लोग अन्त्यज, श्वान और शूकर की योनि में जन्म लेते हैं। इस प्रसंग से यह स्पष्ट है कि पुण्य कर्म से अच्छे योनि में तथा पाप कर्मों से कुत्सित-योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। छान्दोग्य उपनिषद के इस विवरण से मिलता-जुलता वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद के एक दूसरे प्रसंग में भी मिलता है।^१ कौपीतकि उपनिषद में पुनजन्म की इस प्रक्रिया का वर्णन कुछ भिन्नता के साथ हुआ है। इसके अनुसार मृत्युपरान्त सभी चन्द्रलोक को जाते हैं। उनमें से कुछ वित्तयान का अनुमरण करते हुए ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तथा शेष, मनुष्य से लेकर कीट तक जितनी योनिया है, उनमें से किसी एक वो धारण करके पुन भूतल पर आते हैं।^२ पुनजन्म-सिद्धान्त का अविकलित रूप शतपथ ब्राह्मण में भी सन्तुत है। सुनीतिकुमार चटर्जी का यह विश्वास है कि इस सिद्धान्त का ज्ञान पुरा ऐतिहासिक युग के निषादों को था।^३ उपनिषद युग तक इस सिद्धान्त के पूर्ण विकास के पीछे निषाद विश्वासों एव परपराओं का योग हो सकता है।

उपनिषदों में प्रतिपादित दार्शनिक विचारों का सामाजिक चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ा। सारी सृष्टि ब्रह्म से व्याप्त है और जड़ तथा चेतन, सबके भीतर एक ही सत्ता निवास करती है, इस मत के औपनिषद दर्शन का सामान्य प्रचार से हिंसा की भावना समाप्त होने लगी तथा जिक जीवन पर प्रभाव यज्ञ धर्म विकास भी अवरुद्ध होने लगा। इसके विपरीत सभी प्राणियों में एक ही आत्मा के दर्शन के कारण सर्वभूतानुकम्पा की भावना बलवती हुई। भोक्ष का सिद्धान्त निरूपित करते हुए अनेकश जीवन तथा जगत की क्षणभगुरता-और दुख-पूर्णता की चर्चा की गई इससे निराशावाद तथा वैराग्यमूलक प्रवृत्तियों को बल मिला।^४ सन्यासियों का आरण्यक जीवन आदरणीय समझा जाने लगा क्योंकि वही विश्व के नश्वरता के सच्चे ज्ञाता थे। कर्मचार के सिद्धान्त के

^१ वृ० उप० ६ २ १५-१६

^२ कौपीतकि उप० १ २-३

^३ द्र० दि वैदिक एज, पृ० १५१

^४ मंद्रायणी उप० १ २-४

विकास के परिणामस्वरूप नैतिक चेतना का भी विकास हुआ। अब यह विश्वास किया जाने लगा कि आवागमन के बंधन से मुक्त होने के लिए सत्कर्म में प्रवृत्त होना आवश्यक है। कृतिसत् कृत्य में लगे मनुष्यों के लिये पुन इवान अथवा शूकर योनि में उत्पन्न होने की कल्पना अवश्य भयावह रही होगी। तैत्तिरीयोपनिषद में सत्य और सत्कर्म पर वल दिया गया है।^१ वृहदारण्यक उपनिषद में सयम, दान और दया को सदाचार का शर्म माना गया है।^२ मुण्डकोपनिषद में सत्य तपस्त्री-जीवन तथा ब्रह्मचर्य को भी महत्व प्रदान किया गया है।^३ इसके अतिरिक्त अहिंसा, अस्तेय, त्याग और इन्द्रिय-निग्रह का भी उपदेश यत्र तत्र मिलता है। उपनिषदों में माता-पिता एवं अतिथियों को देवताओं के समान आदरणीय बतलाया गया है। ज्ञान की महत्ता तथा 'सर्वं खलु इदं ब्रह्म' के सिद्धान्त को लोकप्रियता के कारण वर्ण-व्यवस्था भी प्रभावित हुई। यद्यपि जनसाधारण में प्रचलित विश्वासों की रूढिवादिता के कारण इस व्यवस्था का मूलोच्छेदन न हो सका किन्तु इसके मूल पर कुठाराधात् अवश्य हुआ। सभी मनुष्यों में समान रूप से एक ही ब्रह्म प्रतिविमित है। इस सिद्धात के स्वीकरण के पश्चात् ब्राह्मण की श्रेष्ठता और शूद्र की हीनता को स्थिर करना कठिन हो गया। द्विज और शूद्र कुलमें जन्म का कारण पूर्वं जन्म में अर्जित कर्म माने गये। इस दृष्टि-परिवर्तन का प्रभाव उपनिषद्कालीन सामाजिक जीवन पर स्पष्टत भरि लक्षित होता है। मनुष्य की महानता का आधार जन्म नहीं वरन् उसका शील माना गया। ब्रह्मज्ञान की शिक्षा पाने वाला सत्यकाम जारज था, जानवृति शूद्र थे और उन्हे ग्रातम-विद्या सिखाने वाले ऋषि-रैव गाढ़ीवान थे। कर्मकाण्ड-प्रधान यज्ञ-घर्म के रहस्य-ज्ञाता तथा अधिकारी जहा केवल ब्राह्मण पुरोहित थे वही ब्रह्मविद्या के अनुशीलन में न केवल तत्कालीन जिज्ञासु राजन्यों ने अभिरुचि दिल्लाई वरन् मैत्रेयी और गार्गी आदि स्त्रियों ने भी मोक्षप्रद ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया।

उपनिषद्कालीन मनोविद्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता विविध धार्मिक एवं सात्कृतिक धाराओं में सम्बन्ध एवं सामर्जस्य उत्पन्न करना है। इस-

१. तै० उप० १०. ११

२. वृ० उप० ५. २

३. मुण्डकोपनिषद ३. १. ५

प्रसग में ईशोपनिषद का निष्काम-कर्म का उपदेश विशेष उल्लेखनीय है, जिसका सुविकसित प्रौढ स्वरूप भगवद्‌गीता में समन्वयवादी दृष्टिकोण मिलता है। स्पष्टत निष्काम कर्म के अन्तर्गत प्रवृत्ति और निवृत्ति के सामनस्य का प्रयास-अन्तर्निहित है।

इन विरोधी धाराओं के समन्वय का प्रयास आश्रम-व्यवस्था के माध्यम से भी किया गया। छान्दोग्य उपनिषद में तप को जीवन के तीन धर्म-स्कन्धों में स्थान दिया गया है। तपस्वियों एव सन्यासियों की आध्यात्मिक श्रष्टता भी अनेकत्र स्वीकृत है। मुण्डकोपनिषद स्पष्टत मुण्डित-शिर सन्यासियों की रचना है जिसमे यज्ञ धर्म का धोर विरोध है। उपनिषद-साहित्य मे विश्व की क्षण-भगुरता, सासारिक सुखों की अनित्यता, तथा आत्मा की अमरता का जो उद्घोष है उससे भी निवृत्ति-लक्षण धार्मिक परम्पराओं की लोकप्रियता परिलक्षित है। जैसा कि प्रथम अध्याय में ही बताया गया है, पूर्व-वैदिक आर्य-धर्म प्रवृत्ति-लक्षण था तथा उसमे निवृत्ति-लक्षण धार्मिक विश्वास सर्वथा अनुपस्थित थे। ऋक्‌सहिता में मुनियों की परम्परा का सकेत है किन्तु उनका विरला उल्लेख एवं विचित्र वर्णन ऋग्वैदिक धर्म के सामान्य पृष्ठभूमि मे असंगत लगता है। वे किसी प्राचीन एव समृद्ध सास्कृतिक परम्परा के उच्चेदित अवशेष प्रतीत होते हैं।^१ वैदिक सस्कृति ज्यो ज्यो पूर्वाभिमुख हुई एव श्रमणों मुनियों के धार्मिक विश्वासों से सुपरिचित होती गई। तैत्तिरीय आरण्यक में गगा और यमुना के प्रदेश को मुनियों का निवास स्थान बताया गया है। ब्राह्मण युग मे भी तापस धर्मे एक यज्ञ विरोधी धार्मिक सम्प्रदाय के रूप में विद्यमान था किन्तु उसकी लोकप्रियता अपेक्षाकृत कम थी। ऐतरेय ब्राह्मण मे स्पष्टत उनकी निन्दा की गई है।^२ इसके विपरीत शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रजापति ने तप के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया।^३ इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह उल्लेख मिलता है कि देवतामो ने तप के द्वारा ही देवत्व प्राप्त किया।^४ इन उद्धरणों से सिद्ध है कि ब्राह्मण युग में ही तप को यज्ञ के समकक्ष स्थान देने का प्रयास हो रहा था तथा उपनिषद-

१. प्रथम अध्याय में इनका सम्बन्ध निपाद सस्कृति से बताया गया है।
द्र० पृ० १५-१७

२. ऐत० ब्रा० ३३ ११

३. शत० ब्रा० २०५ ११-३

४. तै० ब्रा० ३ १२ ३

युग तक स्पष्टतः क्लेश-लक्षण तापस धर्म की महत्ता स्वीकृत हुई। उपनिषद्कालीन धर्म के अन्तर्भूत निवृत्तिमूलक तप और संन्धास की परम्परा का अग्रीकार स्थानीय एवं आयेंतर (सम्भवत निषाद) धार्मिक विश्वासों के प्रति श्रूपियों के उदार दृष्टिकोण का सकेतक है। प्रथम अध्याय में यह बताया गया है कि निवृत्तिमूलक धार्मिक विश्वास निषाद संस्कृति की देन प्रतीत होते हैं। निषाद-संस्कृति के केन्द्र, मध्यदेश के दक्षिण पूर्व में निवृत्तिमूलक जैन धर्म के इतिहास का प्रारम्भ उत्तर-गैदिक काल में हो ही चुका था जिसका गैदिक संस्कृति धारा से कोई सम्बन्ध नहीं था। आर्य एवं आयेंतरीय सास्कृतिक धाराओं के समन्वय की यह प्रवृत्ति धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के विविध क्षेत्रों में हृष्टिगोचर होती है। उपनिषद् युग के मनीपियों का यह प्रयास स्तुत्य एवं सृहणीय है।



। च. न्यू इंडी

मूलग्रन्थ

वेद

अथर्ववेद सम्पादक आर० राथ और डब्लू० डी० हिट्टने, बलिन
१८५६, सायण भाष्य सहित, सम्पादक एस० पी०
पण्डित, बम्बई १८६५-८६,
अनुवादक डब्लू० डी० हिट्टने, संयुक्त राज्य अमेरिका,
१९०५।

ऋग्वेद सहिता और पद, सायण भाष्य सहित, सम्पादक एफ०
मैक्सम्यूलर, द्वितीय संस्करण, १८६०-२,
सहिता और पद, सायण-भाष्य सहित, वैदिक संशोधन
मण्डल, पूना १९३३-५१,
सहिता, एम० एन० दत्त, कलकत्ता, १९०६
आर० टी० एच० प्रिफिथ का अनुवाद, बनारस १९६६-६७

काठक-सहिता सम्पादक वान श्रेडर, लिपिकाग, १९००-११
तैत्तिरीय-सहिता सम्पादक ए० वेवर, बलिन, १८७१-७२,
भाष्वकृत भाष्य सहित, कलकत्ता १८५४-६६,
अग्रेजी अनुवादक, टी० एस० कीथ
मैत्रायणी सहिता सम्पादक वान श्रेडर, लिपिकाग, १८८१-८६
वाजसनेयी-सहिता महीधर भाष्य सहित, सम्पादक ए० वेवर, लन्दन १८५२,
निर्णय सागर संस्करण बम्बई १९१२

सामवेद : अनुवादक आर० टी० एच० प्रिफिथ, बनारस १९६३

ब्राह्मण

ऐतरेय ब्राह्मण अनुवादक हाग, बम्बई १८६३,
अनुवादक कीथ, हार्वर्ड ओरियएटल मोरीज भाग २,
केम्ब्रिज, मेसेचुसेट्स, १९२०
गोपय ब्राह्मण सम्पादक राजेन्द्रसाल मिश और एच० विद्याभूपण,
कलकत्ता १९७२

तैत्तिरीय ब्राह्मण	सम्पादक राजेन्द्रलाल मित्र, कलकत्ता, १८५५-७०
पञ्चविंश ब्राह्मण	: सम्पादक ए० वेदान्त वागीश, कलकत्ता १८६६-७४
शतपथ ब्राह्मण	• सम्पादक ए० वेवर, लन्दन १६२४
	अनुवादक जे० एगलिंग, आक्सफोर्ड १८८२-१९००
जैमिनीय ब्राह्मण	सम्पादक रघुबीर श्रीर लोकेशचन्द्र, नागपुर १९५४
आरण्यक	
ऐतरेय आरण्यक	सम्पादक ए० वी० कीथ, आक्सफोर्ड १९०६
तैत्तिरीय आरण्यक	सम्पादक हरिनारायण आटे, पूना १८६८
शाखायन आरण्यक	सम्पादक ए० वी० कीथ, आक्सफोर्ड १६०६
उपनिषद्	
ईशोपनिषद्	। निर्णय सागर संस्करण, वर्मद्वई १६३०
कठोपनिषद्	निर्णय सागर संस्करण, वर्मद्वई १६३०
छान्दोग्य उपनिषद्	निर्णय सागर संस्करण, वर्मद्वई १६३०
तैत्तिरीय उपनिषद्	शाकर भाष्य सहित, पचम संस्करण, आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना १६२६
बृहदारण्यक उपनिषद्	निर्णय सागर संस्करण, वर्मद्वई १६३०
मंत्रायणी उपनिषद्	निर्णय सागर संस्करण, वर्मद्वई
इवेताश्वतर उपनिषद्	निर्णय सागर संस्करण, वर्मद्वई १६३०
श्रीत सूत्र	
आपस्तम्ब श्रीतसूत्र	आर० गारवे द्वारा सम्पादित, कलकत्ता १८८२
आश्वलायन श्रीतसूत्र	आर० विद्यारत्न द्वारा सम्पादित, कलकत्ता १८६४-७४
कात्यायन श्रीतसूत्र	ए० वेवर द्वारा सम्पादित, लन्दन १८५५
साख्यायन श्रीतसूत्र	हिलेब्रान्त द्वारा सम्पादित, कलकत्ता १८८२
गृह्य सूत्र	
आपस्तम्ब गृह्यसूत्र	सम्पादक ए० विन्टरनिटज, वियना १८८७
आश्वलायन गृह्यसूत्र	सम्पादक ए० एफ० स्टेंजलर, जिपिङ्ग १८६४
गोभिल गृह्यसूत्र	सम्पादक ए० नादर, डारपेट, १८८८
पारस्कर गृह्यसूत्र	सम्पादक गोपाल शास्त्री नेते, चौखम्बा संस्कृत साराज, वनारस १९२६
बोधायन गृह्यसूत्र	• सम्पादक आर० शामशास्त्री, मैसूर १९२०
हिरण्यकेदि गृह्यसूत्र : सम्पादक जे० फित्में, वियना १८८६	

धर्मसूत्र

आपस्तम्ब धर्मसूत्र	सम्पादक जी० बूलर, वर्षवहि संस्कृत सीरीज, वर्षवहि १९३२
गौतम धर्मसूत्र	१. सम्पादक स्टेजलर, १८७६
बौद्धायन धर्मसूत्र	२. सम्पादक ई० हुल्श, लिपभिंग १८८४
वाशिष्ठ धर्मसूत्र	३. सम्पादक ए० ए० पूरर, वर्षवहि १९१६

अन्य संस्कृत ग्रन्थ

अर्थशास्त्र, कौटिल्य	हिन्दी अनुवाद सहित, अनुवादक उदयवीर शास्त्री, लाहौर १९२५
दीघनिकाय	अ. येजी अनुवाद, आर० शाम-शास्त्री, बगलोर १९२३ सम्पादक टी० डब्ल्यू० राइस डेविड्स और जे० ई० कार्पेन्टियर, लन्दन १८६०-१९११
निरुक्त	अनुवादक राहुल साकृत्यायन एवं जगदीश कश्यप, बनारस १९३६ (दुर्गाचार्य की टीका सहित) सम्पादक वी० के० राजवाडे, ना १९२१-२६
पद्म पुराण	आनन्दाश्रम संस्करण, पूना
ब्रह्मपुराण	आनन्दाश्रम संस्करण, १८६५
भविष्य पुराण	श्री वेकटेश्वर प्रेस वर्षवहि
भागवत पुराण	१. कृष्णकोणम संस्करण, १९१६
मत्स्य पुराण	सम्पादक जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता १८७६
मनु स्मृति	निष्ठय सागर प्रेस, वर्षवहि १९४६
महाभारत	सम्पादक पी० सी० राय, कलकत्ता १८८१-८२, स्वाध्याय मेरांडल संस्करण तथा कृष्णकोणम संस्करण
रामायण	निष्ठय सागर संस्करण, पी० सी० राय द्वारा सम्पादित, कलकत्ता १८८१-८२
वायु पुराण	सम्पादक, एच० एन० आप्टे, १९०५
विष्णु पुराण	सम्पादक जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १८८२ हिन्दी अनुवाद सहित, गीता प्रेस गोरखपुर स० २००६

कोप

एन्साइक्लोपीडिया आव रिलिजन एण्ड एथिक्स

एन्साइक्लोपीडिया आव सोशल साइन्सेज

एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका

सामान्य आधुनिक ग्रन्थ

- | | |
|----------------------------|--|
| अल्टेकर, ए० एस० | प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, प्रयाग सम्बत २००४
: एजुकेशन इन ऐन्स्येन्ट इण्डिया, बनारस १६३४ |
| | पोजीशन आव वीमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन,
बनारस १६३८ |
| | स्टेट एण्ड गवर्नमेण्ट इन ऐन्स्येन्ट इण्डिया, १६४६ |
| अय्यर, एल० के० तथा बलरत्नम | एन्नोपालोजी इन इण्डिया, बम्बई १६६१ |
| अप्रवाल, वी० एस० | इंडिया ऐज नोन टु पारिणि, १६५३ |
| आष्टे, वी० एम० | शोसल एन्ड रिलिजस लाइफ इन गृह्यसूत्राज, वाम्बे
१६५४ |
| आयगर, पी० टी० एस० | वीमेन इन ऋग्वेद, प्रथम सस्करण |
| ओल्डेन वर्ग | ' त्रुद्ध हिज लाइफ हिज डाक्ट्रन हिज आर्डर, कलकत्ता
१६२७ |
| कपाडिया, के० एम० | मैरेज एण्ड फेमिली इन इण्डिया, द्वितीय स०, १६५८ |
| काणे, पी० वी० | . हिस्ट्री आव घर्मशास्त्राज, वात्यूम दो आर तीन,
पूना १६४१ |
| कावें इरावता | • किनशिप आर्गनाइजेशन इन इण्डिया, पूना १६५३ |
| काल्डवेल | : कम्परेटिव ग्रामर आव दि द्रविडियन लैग्वेज |
| | • दि सेन्सस आव इण्डिया (१९०१, १६११, १६२१,
१६३१, १६४३) |
| कीय, ए० वी० | : रिलिजन एण्ड फिनोमौफो आव दि वेद एण्ड उपनि-
पद्धत १६२५ |
| कृक | पापुनर रिलिजन एण्ड फाकलोर आव नादन इण्डिया,
१६६६ |
| कोशाम्बी, ठी० टी० | • एन्स्न्ट्रोड्यशन टु दि स्टटी आव इण्डियन हिस्ट्री,
: दाम्बे १६५६ |

गुहा, बी० एस०	मेन आरट लाइन आव रेसियल एथ्नोलोजी आव इण्डिया, कलकत्ता, १९३७
गोल्डेन वेजर, ए०	एन्थ्रोपोलोजी, न्यूयार्क १९४६
धुरिये, जी० एस०	कास्ट एण्ड क्लान इन इण्डिया, बाम्बे १९५० : कास्ट एण्ड रेस इन इण्डिया, लन्दन १९३२ फैमिली एण्ड किन इन इण्डो-पूरोपियन कल्चर
घोपाल, यू० एम०	स्टडीज इन इडियन हिस्टरी एण्ड कल्चर कलकत्ता, १९५७ ए हिस्टरी आव हिन्दू पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता, १९४५ हिन्दू पोलिटिकल थियरीज, कलकत्ता १९२३ कान्ट्रीव्यशन टू दि हिस्टरी आव हिन्दू रेवेन्यूसिस्टम हिस्टरियोग्रेफी एण्ड अदर ऐसेज -
चन्दा, शार० पी०	इण्डो-आर्यन रेसेज, राजशाही १९१६
चाइल्ड, गार्डन	न्यू लाइट आन दि मोस्ट ऐन्डेन्ट इंस्ट, लन्दन १९५४
चर्मूचिक, एच० एग०	हिरोइक एज, कैम्ब्रिज १९१२
जायसवाल, के० पी०	हिन्दू पालिटी, दो भाग, कलकत्ता १९२४
जाली, जे०	हिन्दू ला एण्ड कस्टम, (अनु० बी० के० घोष): कलकत्ता १९२८ दि उपनिषद्स, (अप्रेजी अनुवाद) मद्रास १८९८-१९०१
भा, जी० एन और शास्त्री, एस० एस०	हिस्टरी आव मिथिला, प्रब्रम संस्करण
ठाकुर, उपेन्द्रनाथ डागे, एस० ए०	इण्डिया फाम प्रिमिटिव कान्यूनिजम टू स्लेवरी, बाम्बे १९४९
थामस, पी०	: एपिक्स मिथ्स एण्ड लीजेण्ड्स आव इण्डिया, ११वा संस्करण बाम्बे
दत्त, एन० के०	आर्यनालेशन आव इण्डिया, कलकत्ता १९२५ ओरिजिन एण्ड ग्रोथ आव कास्ट इन इण्डिया, लदन १९३१
पारेड, जी० सी०	स्टडीज इन दि ओरिजिन्स आव ब्रुद्धिजम, एलाहावाद, १९५७
पाण्डे, शार० बी०	बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, १९६३
पार्टिटर, एफ० ई०	हिन्दू संस्कार, बाराणसी, १९५७ : इण्डियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, लन्दन १९३२

कोप

एन्साइक्लोपीडिया आव रिलिजन एण्ड एथिक्स
 एन्साइक्लोपीडिया आव सोशल साइन्सेज
 एन्साइक्लोपीडिया निटेनिका

सामान्य आधुनिक ग्रन्थ

- अल्टेकर, ए० एस० प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, प्रयाग सम्बत २००४ : एजुकेशन इन ऐन्स्येन्ट इण्डिया, बनारस १६३४
- पोजीशन आव बीमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन, बनारस १६३८
- स्टेट एण्ड गवर्नमेण्ट इन ऐन्स्येन्ट इण्डिया, १६४६
- अय्यर, एल० के० तथा बलरत्नम एन्प्रोपालोजी इन इण्डिया, बम्बई १६६१
- अप्रवाल, बी० एस० दृंडिया ऐज नोन टु पाणिनि, १६५३
- आष्टे, बी० एम० शोसल एन्ड रिलिजस लाइफ इन गृह्यसूत्राज, बाम्बे १६५४
- आयगर, पी० टी० एस० बीमेन इन ऋग्वेद, प्रथम सस्करण
- ओल्डेन बर्ग ' बुद्ध हिज लाइफ हिज डाक्ट्रिन हिज आर्द्दर, कलकत्ता १६२७
- कपाडिया, के० एम० : मेरेज एण्ड फेमिली इन इण्डिया, द्वितीय स०, १६५८
- काणो, पी० बी० . हिस्ट्री आव धर्मशास्त्राज, बाल्यूम दो भौर तीन, पूना १६४१
- कावे॒ इरावता किनशिप आर्गनाइजेशन इन इण्डिया, पूना १६५३
- काल्डवेल : कम्परेटिव ग्रामर आव दि द्रविडियन लैखेज दि सेन्सस आव इण्डिया (१९०१, १९११, १९२१, १६३१, १६४३)
- कीथ, ए० बी० : रिलिजन एण्ड फिलोसॉफी आव दि वेद एण्ड उपनि- : पद्मस १६२५
- कृकु पापुलर रिलिजन एण्ड फाकलोर आव नार्दन इण्डिया, १६६६
- कोशाम्बी, डी० डी० ऐनइन्ट्रोडक्शन टु दि स्टडी आव इण्डियन हिस्ट्री, : बाम्बे १६५६

- गुहा, बी० एस० मेन आउट लाइन आव रेसियल एथनोलोजी आव
इण्डिया, कलकत्ता, १९३७
- गोल्डेन वेजर, ए० एन्ड्रोपोलोजी, न्यूयार्क १९४६
- बुरिये, जी० एस० कास्ट एण्ड क्लान इन इण्डिया, बाम्बे १९५०
- बोपाल, यू० एन० : कास्ट एण्ड रेस इन इण्डिया, लन्दन १९३२
फैमिली एण्ड किन इन इण्डो-यूरोपियन कल्चर
- चन्दा, आर० पी० स्टडीज इन इण्डियन हिस्टरी एण्ड कल्चर कलकत्ता, १९५७
- चाइल्ड, गार्डन ए हिस्टरी आव हिन्दू पब्लिक लाइफ, कलकत्ता, १९४५
- चन्द्रविक, एच० एम० हिन्दू पोलिटिकल थियरीज, कलकत्ता १९२३
- जायसवाल, के० पी० कान्ट्रीव्यवस्थन टू दि हिस्टरी आव हिन्दू रेवेन्यूसिस्टम
- जाली, जे० इण्डियनोग्रेफी एण्ड अदार एसेज -
- झा, जी० एन श्री इण्डो-आयन रेसेज, राजशाही १९१६
- शाक्ती, एस० एस० न्यू लाइट आन दि मोस्ट ऐ-व्येन्ट ईस्ट, लन्दन १९५४
- ठाकुर, उपेन्द्रनाथ हिन्दूइक एज, कैम्ब्रिज १९१२
- डारे, एस० ए० हिन्दू पालिट्री, दो भाग, कलकत्ता १९२४
- थापस, पी० : हिन्दू ला एण्ड कस्टम, (अनु० बी० के० घोष)
कलकत्ता १९२८
- दत्त, एन० के० दि उपनिषद्स, (अघेजी अनुवाद) भद्रास १८९८-
१९०१
- पाण्डे, जी० सी० हिस्टरी आव मिथिला, प्रचम सस्करण
- पाण्डे, जी० ए० इण्डिया फ्राम प्रिमिटिव कम्यूनिजम टू स्लेवरी,
बाम्बे १९४९
- पाण्डस, पी० : एपिक्स मिथ्स एण्ड लीजेण्ड्स आव इण्डिया, ११वा
सस्करण बाम्बे
- पाण्डितनाथ आव इण्डिया, कलकत्ता १९२५
- पाण्डितनाथ आव इण्डियन एण्ड ग्रोप आव कास्ट इन इण्डिया, लदन
१९३१
- पाण्डे, जी० सी० स्टडीज इन दि औरिजिन्स आव बुद्धिज्ञम, एलाहा-
बाद, १९५७
- पाण्डे, आर० बी० बोद्ध धर्म के विकास का इतिहास, १९६३
- पाण्डिटर, एफ० ई० हिन्दू संस्कार, वाराणसी, १९५७
- पाण्डिटर, एफ० ई० इण्डियन हिस्टारिकल टूडिशन, लन्दन १९२२

- | | |
|-------------------------|---|
| पाल, आर० वी० | दि हिस्टरी आव दि ला आव प्राइमोजेनिचर,
कलकत्ता, १ |
| पिंगट, एस० | • प्रिहस्टारिक इण्डिया, पेगुइन बुक्स, १९५० |
| पुसाल्कर, ए० डी० | (सपादक) दि वेदिक एज, लन्दन, १९५१ |
| प्रभु, पी० एच० | . हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन, तृतीय संस्करण,
लन्दन, १९५८ |
| फिक, आर० | : दि सोशल आर्गनाइजेशन इन नार्थ ईस्ट इण्डिया इन
बुद्धाज टाइम, कलकत्ता, १९२० |
| फेजर, जे० जी | . दि गोल्डेन वाड, लन्दन १९२२ |
| बन्धोपाध्याय,
एन०सी० | एकोनामिक लाइफ एण्ड प्रोग्रेस इन ऐन्डेन्ट इण्डिया,
कलकत्ता १९४५ |
| ब्लूमफील्ड, एम | दि अथर्ववेद, १८६९ |
| वार्थ, ए० | दि रिलिजन आव दि वेद, न्यूयार्क १९०८ |
| वार्ची, पी० सी० | दि रिलिजन आव इण्डिया, लन्दन, १८८८ |
| ब्रिफाल्ट | प्रि आर्यन एण्ड प्रिड्विडियन इन हरिण्डिया, कलकत्ता,
१९२६ |
| वेडेन पाठेल | • दि मदर्स, लघु सस्करण
इण्डियन विलेज कम्पूनिटी, १८६६ |
| वैशम, एम० एल० | • दि वण्डर दैट वाज इण्डिया, लन्दन, १९५४ |
| भण्डारकर | . वैज्ञाविज्य शैविज्य एण्ड अदर माइनर सेक्टर, पूना,
१९२८ |
| मजूमदार आर० सी० | ऐन्डेन्ट इण्डिया, १९५२ |
| | . कारपोरेट लाइफ इन ऐन्डेन्ट इण्डिया, कलकत्ता,
१९१६ |
| भायर, जे० जे० | . सेक्सुअल लाइफ इन ऐन्डेन्ट इण्डिया, २ भाग,
लन्दन १९३० |
| मार्शल, जे० | . मोहनजोद्दो एण्ड दि इडस सिविलिजेशन, तीन
भाग, १३१ |
| मिक्रिडल | : ऐन्डेन्ट इण्डिया एज डिस्काइब वाइ मेगस्थनीज एण्ड
एरियन, लन्दन, १८७७ |
| | : इनवेजन आफ डिडिया |
| | . ऐन्डेन्ट इण्डिया एज डिस्काइब वाइ टालेमी,
कलकत्ता, १८८५ |

भुकर्जी, आर० के०	• हिन्दू सम्यता राजकमल प्रकाशन, विल्सो, १९५५ : ऐन्स्पेन्ट इडियन एजुकेशन, लन्दन, १९४०
भेत, जे०	हिन्दू ला एण्ड यूसेज (श्रीनिवास आयगर द्वारा सम्पादित) मद्रास १९३८
भेहता, आर० एन०	प्रिबुद्धिस्ट इण्डिया, बास्टे, १९३८
भैके, ई० जे० एच०	दि इडस सिविलिजेशन, लन्दन १९३५ श्रीर्ण इडस सिविलिजेशन, लन्दन, १९४८
भैकडानेल, ए० ए०	वौदिक माइथालीजी, १९५८
भैकडानेल और कीथ	वौदिक इडेक्स, दो भाग १९५८
भैकसम्यूलर	हिस्टरी आव ऐन्स्पेन्ट सस्कृत लिटरेचर, एजाहावाद १९१२ दि उपनिषद्स, दो भाग (अनुवाद) आकसफोर्ड १८७६, १८८४
भोती चन्द	सार्थवाह
भ्रीर्णा, एल० एच०	ऐन्स्पेन्ट सोसाइटी, न्यूयार्क, १९६०
राइस डेविल्स	बुद्धिस्ट इडिया
राकहिल	दि लाइफ आव बुद्ध, लन्दन १९०७
राघाक्षण्णन, एस०	इ डियन फिलोसोफी, २ भाग, लन्दन १९२९
रायचौधुरी, एच० सी०	पोलिटिकल हिस री आव ऐन्स्पेन्ट इ डिया, पाचवा सस्करण
रानाडे, आर० झी०	कान्स्ट्रूक्टिव सर्वे आव दि उपनिषदिक फिलोसोफी, पूना, १९२६
राय, एस० सी०	दि श्रीराम
राहुल साकृत्यायन	ऋग्वेदिक आर्य, १९५६
रंगोजिन, जे० ए०	वौदिक इ डिया, लन्दन १८८६
रैप्सन ई० जे०	दि कैम्ब्रिज हिस्टरी आव इ डिया, भाग १, कैम्ब्रिज १९२२
लुई, रावर्ड	प्रिमिटिव सोसाइटी, लन्दन १९२१
विएटरनिज	हिस्टरी आव इडियन लिटरेचर, दो भाग, कलकत्ता १९३८
देलालकार, हरदत्त	हिन्दू परिवार भीमासा कलकत्ता, स० २०११

- वेस्टर्नमार्क, ई० : हिस्टरी आव ह्यूमेन मेरेज, पाचवाँ सस्करण, १६२१
दि ओरिजिन एएड डेवलेपमेंट आव मारल आइडियाज,
लन्दन, १६१७
- सरकार एस० सी० : सम आसेक्ट्रस आव दि ग्रलियेस्ट सोशल हिस्टरी
आव इंडिया, लन्दन, ५६२८
- सरकार, बी० के : दि पाजिटिव वैक्यातन्द आव हिन्दू सोश्योलोजी,
एलाहाबाद १६२१
- सर्वांधिकारी, आर० के० . दि प्रिन्सिपुलस् आव दि हिन्दू ला आव इन-
हेरिटेन्स, द्वितीय सस्करण मद्रास १६१२
- सूर्यकान्त : वैदिक कोप
- सेन, क्षितिमोहन : सस्कृति-सगम, एलाहाबाद, १६५७
- सेनाट ई० : कास्ट इन इण्डिया (रास का अनुवाद), लन्दन, १६३८
- स्मिट : ओरिजिन एएड ग्रोथ आव रिलिजन
- दर्मा आर० एस० : शूद्राज इन ऐन्डेन्ट इंडिया, १६५८
• आसेक्ट्रस आव पोलिटिकल आइडियाज एएड
इन्स्टीट्यूशन्स इन ऐन्डेन्ट इंडिया, प्रथम सं०, १६५९
- शकालिया, एच० डी० . इंडियन आकर्यालोजी ट्रु डे, एशिया प्रिन्सिप हाउस,
१६६२
- शकरानन्द, स्वामी : ऋषवैदिक कल्चर आव दि प्रिहिस्टारिक इंडस, कलकत्ता

३ च - पति

इण्डियन आक्योलोजी - ए रिव्यू

इण्डियन एण्ट्रिक्वेरी

इण्डिन कल्चर, कलकत्ता

इण्डियन हिस्टारिकल ब्वार्टरली, कलकत्ता

एनल्स आव दि भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुना

ऐन्ड्रेन्ट इण्डिया बुलेटिन आव दि आक्योलाजिकल सर्वे आव इण्डिया

जर्नल आव दि अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी, सयुक्त राज्य अमेरिका

जर्नल आव दि इण्डियन सोसाइटी आव ओरियन्टल आर्ट

जर्नल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव वगाल, कलकत्ता

जर्नल आव दि न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी आव इन्डिया

जर्नल आव दि बाम्बे ब्राच आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी, बम्बई

जर्नल आव दि विहार ए ड उडीसा रिसर्च सोसाइटी, पट्टना

जर्नल आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी आव ग्रेट ब्रिटेन एड शायरलैण्ड

प्रोसीडिंग्स आव दि शाल इडिया ओरियन्टल कान्फ्रेंसेज

प्रोसीडिंग्स आव दि इडियन हिस्टरी कान्फ्रेस

मेमायर्स आव दि आक्योलोजिकल सर्वे आव इडिया

मैन इन इडिया, रॉची

- वेस्टरमार्क, ई० : हिस्टरी आव ह्यूमेन मेरेज, पांचवाँ संस्करण, १९२१
 • दि ओरिजिन एण्ड डेवलेपमेंट आव भारत आइडियाज, लन्दन, १९१७
- सरकार एस० सी० : सम आस्पेक्ट्स आव दि अलियेस्ट सोशल हिस्टरी आव इंडिया, लन्दन, १९२८
- सरकार, बी० के दि पाजिटिव बैकग्राउन्ड आव हिन्दू सोश्योलोजी, एलाहाबाद १९२१
- सर्वाधिकारी, आर० के० दि प्रिन्सिपुल्स आव दि हिन्दू ला आव इन-हेरिटेन्स, द्वितीय संस्करण मद्रास १९१२
- सूर्यकान्त वैदिक कोष
- सेन, क्षितिमोहन सस्कृति-संगम, एलाहाबाद, १९५७
- सेनाट ई० कास्ट इन इण्डिया (रास का अनुवाद), लन्दन, १९३८
- शिमट : ओरिजिन एण्ड ग्रोथ आव रिलिजन
- शर्मा भार० एस० शूद्राज इन ऐन्डेन्ट इण्डिया, १९५८
 आस्पेक्ट्स आव पोलिटिकल आइडियाज एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स इन ऐन्डेन्ट इण्डिया, प्रथम स०, १९५८
- शकालिया, एच० डी० : इण्डियन आकर्षणीजी टु डे, एशिया पनिंशिंग हाउस, १९६२
- शकरानन्द, स्वामी : न्युवैदिक कल्चर आव दि प्रिहिस्टोरिक इडस, कलकत्ता १९४३-४४
- हटन कास्ट इन इण्डिया, द्वितीय संस्करण १९५१
- हाप्किन्स, ई० डब्ल्यू० : दि रिलिजन्स आव इण्डिया, बोस्टन, १९५५
- हाल, एच० आर० दि ऐन्डेन्टहिस्टरी आव दि नियर ईस्ट, लन्दन, १९३६
- हीननेल्डर्न, आर० : आकर्षणलाजिकल ट्रॉसेज आव दि वैदिक आर्यन्स, ज० आई० एस० ओ० ए० (कलकत्ता), ४, पृ० ८७-११५
- हीस्टरमैन, ज० सी० : दि ऐन्डेन्ट इण्डियन रायल कन्सेन्ट्रेशन, १९५७
- हीलर, एम० इण्डस सिविलिजेशन, कैम्ब्रिज, १९५३
- हेरोडोटस, : हिस्टरीज, पेंगुइन सीरीज मे अनुदित, १९५४
- हेवलाक एलिस : स्टडीज इन दि साइकालोजी आव सेक्स, छ भाग, लन्दन १९१०
- ओडर : प्रिहिस्टोरिक एरिटविटीज आव दि आयन पिपुल्स, जीवन्स कृत अग्रेजी अनुवाद, लन्दन, १९६०

ੴ ਪਾ ਪਾਂਡਿ

ਇਣਿਡਿਨ ਆਕਾਰਾਲੋਜੀ - ਏ ਰਿਵ੍ਯੂ

ਇਣਿਡਿਨ ਏਣਿਟਕਵੇਰੀ

ਇਣਿਡਿਨ ਕਲਚਰ, ਕਲਕਤਾ

ਇਣਿਡਿਨ ਹਿਸਟਾਰਿਕਲ ਕਵਾਟਰਲੀ, ਕਲਕਤਾ

ਏਨਲਸ ਆਵ ਦਿ ਭਣਡਾਰਕਰ ਓਰਿਧਣਲ ਰਿਸਚੰ ਇਨਸਟੀਟਯੂਟ, ਪੁਨਾ

ਐਨਬੋਨ ਇਣਿਡਿਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਵ ਦਿ ਆਕਾਰਾਲੋਜਿਕਲ ਸਾਰੋਂ ਆਵ ਇਣਿਡਿਆ

ਜਨੰਲ ਆਵ ਦਿ ਅਮੇਰਿਕਨ ਓਰਿਧਣਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਾਗਰ ਰਾਜ ਅਮੇਰਿਕਾ

ਜਨੰਲ ਆਵ ਦਿ ਇਣਿਡਿਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਵ ਓਰਿਧਣਲ ਆਰਟ

ਜਨੰਲ ਆਵ ਦਿ ਏਸ਼ਿਆਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਵ ਬਾਲ, ਕਲਕਤਾ

ਜਨੰਲ ਆਵ ਦਿ ਨਿਊਮਿਸ਼ੈਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਵ ਇਨਿਡਿਆ

ਜਨੰਲ ਆਵ ਦਿ ਬਾਸ਼ੇ ਬ੍ਰਾਚ ਆਵ ਦਿ ਰਾਧਲ ਏਸ਼ਿਆਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਬਾਵਈ

ਜਨੰਲ ਆਵ ਦਿ ਬਿਹਾਰ ਏ ਡ ਉਫੀਸਾ ਰਿਸਚੰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪਟਨਾ

ਜਨੰਲ ਆਵ ਦਿ ਰਾਧਲ ਏਸ਼ਿਆਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਵ ਗ੍ਰੇਟ ਬਿਟੇਨ ਏਡ ਆਧਾਰਲੈਣਡ

ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਆਵ ਦਿ ਆਲ ਇਡਿਆ ਓਰਿਧਣਲ ਕਾਨਕੋਸੇਜ

ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਆਵ ਦਿ ਇਡਿਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਨ੍ਵੇਸ

ਮੈਸਾਧਾਰੀ ਆਵ ਦਿ ਆਕਾਰਾਲੋਜਿਕਲ ਸਾਰੋਂ ਆਵ ਇਡਿਆ

ਮੈਨ ਇਨ ਇਡਿਆ, ਰੌਂਚੀ



अन्त सिंहा

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अकर्मन्	२१	अध्ययुँ	३५
अगस्त्य	५५	अनग्निदधि	१४७
अग्नि	३४, २०१, २०४, इत्यादि	अनड्वान्	५४
अग्निदधि	१४७	अनष्टा-पशुँ	५६
अग्निपरीक्षा	१४३	अनस	५४
अग्निशाला	६८	अनाथपिण्डक	४८
अग्निषोभीय	२०४	अनुपजातपयोधरा	१४४
अग्निष्टोम	२०३	अनुशासन	२१८
अग्निहोत्र	२०३	अनुष्ठान	२०१
अग्नीध्र	१५७	अन्तरिक्ष	२०४
अन्धा	२८	अन्तःस्थ	२४२
अज	२०६, २४३	अन्धक बृजिण	१६६
अजातशत्रु काशिराज	६५	अन्नमय कोष	२४४
अजिधावन	२०७	अपर ब्रह्म	२४२
अज्जेयता	८८	अप्सुजित	६७
अणमन्ति	६	अफगानिस्तान	३७
अतिरात्र	२०३	अन्नु	६७
अत्ता	१०१, १५६	अभिप्रतारण	१२६
अत्यग्निष्टोम	२०३	अभियेक-पुञ्जरिणी	१६६
अथर्ववेद संहिता	३६, ५७, ७२, १२८ इत्यादि	अभियेचन	२०७
अथर्वाग्निरस	६४	अभ्रातृका कन्या	१४६
अदेवयु	२१	अमर्कं	८६
अद्वैतवाद	२४३	अमात्यमङ्गल	१६६
अधिकू	६१	अम्बिका	११, २२०
अध्यात्मवेच्छा	२३६	अम्बजीय शूद्र	१११
अध्यापन	६५	अम्बजवन	२१

अथस	६२	आटकी	१४४
अयोद्धृ	६२	आत्मयज्ञन	१००
अयोध्या	२८	आदायी	८६
अरदूदेश	१०	आदित्य	७८
अर्चा	८८	आदि शिव	६
अर्जुन	११	आनन्दमय कोष	२४४
अलजाचिति	२९४	आधिदैविक पद्धति	२३६
अलवर	३९	आधिपत्य	२१३
अवध्यता	८८	आधिभौतिक पद्धति	२३६
अशममयी	२१	आनुग्रहिक राजपद	११०
अश्वत्थ	५४	आनन्द जाति	४२
अश्वपति कैकेय	१०२	आपस्तम्ब	१३१
अश्वमेघ	९२, २०७, २१३	आपायी	८६
अश्विन	१७२, २०६	आसोर्यमि	६०१
अष्टका यज्ञ	२०३	आभीर	१०८
अष्टकपाल पुरोडाश	२०४	आमलक	५४
अष्ट्रा	१०७	आयग	५
असपत्न	१७१	आयतन	६८
असम	१८	आयसी	२१
असुरवनिपात्र	६७	आररणक	४७
असुर विवाह	१८	आरुणकेतुक	२१६
अहिच्छवा	६१	आरुणि	४५
अहीन, यज्ञ	२०३	आलमगीरपुर	३
अक्षपटलाध्यक्ष	१६२	आवस्थ	६८
भक्षावाप	१८६, १९२	आशु	४३
अक्षु	६६	आसन्दी	७१
आगिरस युक्ताश्च	१४६	आसन्दीवन्त	७१
आइसिस	११	आलिङ्क	१३
आग्नेय पुरोडाश	२०४	आस्ट्रोलिद	१८
आग्रयण	२०३	इन्द्र	३३,३४,५१
आज्याहृति	२१८	इन्द्र, देवता	२०६
भाचायं कौटिल्य	१६७	इन्द्रियनिग्रह	२५०

इलाल	६	ऋग्वेद	२४
इषीका	२०२	एकपत्नीकता	१३६
इष्टिकामयचिति	२१६	एकपत्नीत्रित	१३८
ईरान	११५	एकराद्	१६३
ईशुप्रासन	२०७	एकात्मर्णन	२४५
ईशोपनिषद्	३७	एकादशकपाल पुरोडाश	२०४
ईषुकृत	५६	एकाह यज्ञ	२०३
उक्थ्य	२०३	एकियन	२०
उच्छृङ्ख	२३६	एकेश्वरवाद	३२
उत्तर-वैदिक ग्राम	४३	एन्थ्रोपोसोफिक फिगर	१२
उद्गाता	३५	एरियन	१०५
उहालक	१४७	एराकोशिया	१०५
उद्धित	१४७	एशिया माइनर	२०
उपक्वस	- ५१	ओथिन सप्रदाय	२१०
उपनयन संस्कार	११४	ओफिर	६७
उपनिषद्	१६, ४१, ४६, ६६ ९३, १०८, २३८, २४० इत्यादि	ओरोव ओल्ड टेस्टामेट ओल्डनवर्ग	१८ १६१ २३८
उपहन्तु	२२७	ओसिरिस	११
उपाशु याग	२०४	ओदुम्बर	१४५
उपास्यदेव-श्रेष्ठतावाद	३२	ओद्योगिक सघ	८२
उभा	२३३	ओपिनिषद् दर्शन	२३८
उष्क्रम	६७	ओपासन होम	२०३
उष्णगाय	६७	ओशिज	७२
उर्वशी	६७	कक्षीवान्	१४६
उर्वा	२१	कच्छपावतार	२२५
उषस्ति	११७	कंटकीकारी	६१
ऊट गाढी	५७	कर्तिष्ठम्	२०
ऊर्णवदी	५०	कन्यादध	१४८
ऊदंर	५२	कत्रिस्तान एव	२२
ऋग्वैदिक ग्राम्य	४	करकन्धु	५४
ऋग्वैदिक दास	११०	करीप	२५

कर्पस	६७	केनोपनिषद्	३७
कर्मकार	५६	केववनारायण	२३४
कर्मवाद	२४८	केशिन्	३८
कर्मा	२५	केशी	२३०
कषण	५२	केहोल जाति	८
कर्तिग	४०	कैलाशपति	२३३
कश्मीर	१६६	कंवर्तं	६१
कसाइट	२०	कोफ	६७
कामचारिणी	१०	कोशल	३६
कामोत्थाप्य	१११	कोष	१६५
काम्पील	४८	कोषाध्यक्ष	१६१
कालातीत	२४२	कौटिलीय अर्थशास्त्र	१६०
काशी	३६	कौरिङ्गनेय	४१
किरात	११ १८, १९, २०	कौशास्त्री	३९ २१५, २१७
किरात संस्कृति	१८	कौषीतकि	३७
कुकुर	१६६	कौषीतकि सूत्र	७७
कुन्ती	१३६	खासी जाति	१६
कुभा	२३	क्रथ विवाह	१८
कुरुक्षेत्र	३८	क्रव्याद	२२८
कुरु पचाल	३८	गगा	१५
कुलाल	५६	गजाम	४२
कुलिश	५६	गधार	६०
कुलीन तत्रात्मक शासन पद्धति	१६८	गजलक्ष्मी	५
कुल्या	५२	गण	५८
कुसीदिन	६६	गणपति	५८
कूटस्थ	२४३	गाथा	९४
कूचं	६६	गारो जाति	११
कृवाक	१४	गार्गी वाचकनवी	१५३
कृत्तिवासा	२३१	गार्गीपुत्र	१४०
कृवि	३८	गिरिशय	२३३
कृष्णा	५३	गुसचर	१८०
कृष्णल	६३	गुरुतल्पसेवी	७०

गृष्टि	'५६	जनराज्य	१६२
गृहविन्यास	३	जनश्रुति पौत्रायण	४६
गोचर भूमि	४५	जन्मभिन्न	१२३
गोतम, हुगण	३६	जम्य	५१
गोनिकर्तन	१६२	जयपुर	३६
गोमती	२१	जलपूजा	८
गोविकर्तन	१२१, १६२	जल-प्रलय	८
गोव्यच्च	१६२	जलापभेषज	२१७
गोतम हरिद्रुमत	८६	जाग्रत अवस्था	२४४
गोतमी पु	१४०	जानश्रुति, शूद्र	२५०
ग्रामणी	२६, १८९, १९०	जानसर वावर	२०
ग्राम देवता	५	जावाद	११३
ग्राम्यवादिन्	४६	जियस, यूनानी देवता	३४
ग्रालियर	४३	जीन सिलुस्की	१४
घोपक शेष्ठी	४८	जीवात्मा	३०
चडाल	११७	जुमारी	३०
चन्दश्चिति	२१४	जेन्द्र अवस्था	४८
चन्द्रलोक	२४८	जैनधर्म	१६
चन्दूदडो	२२	जैमिनीय उपनिषद्	४१
चम्पा	४८	जैमिनीय आहुण	१४२
चरण-प्रक्षालन	१८१	ज्याकार	५६
चर्मणवती	४१	ज्येष्ठ्य	२८३
चर्ममन	१०६	झगर	२२
चातुर्मस्य	२०३	झूकर	२२
चेतन सृष्टि	२४२	झूम प्रणाली	५०
छदिस	६६	टैबू	१७
जगम सृष्टि	२४२	टोटमवादी	१४
जटिला गोतमी	१४०	डॉसन	१०१
जडसृष्टि	२३२	डिओडोरस	१०८
जन कल्याणकारी राज्य	१८१	डेलव्राइक	१४८
जनपद	१६५	तकमान	१०८
जनमेज्य, परीक्षित	६८	तक्ष	५९, १२१

तप	१७	दाश	६१
तमस्	२४३	दशराज्ञ	२७
तमिल-संस्कृति	८	दासदस्यु	२१
तरन्त	१०	दीक्षितार	२
तल्प	७०	दीघनिकाय	१०८
तष्टा	१०६	दीर्घतमा	७२
तस्कराणा पति	२३१	दुन्दुभिवादन	२०७
तात	१४८	दुरोण	६८
तापस धर्म	२१५	दुर्ग	१९५
ताम्र-प्रस्तर-युग्मीन संस्कृति	३	दुहिता	३१
ताल्प	७०	दूशं	६५
तितउ	५२	देखिष्वव्य	१६०
तियामत	६७	देवजनविद्या	९४
तुर्वश	३८	देवतत्व	१९८
तोनियार जाति	१४७	देवयज्ञ	२१८
ऋग्वेद	२०५	देवयान	२४८
ऋग्वेद होम	२३१	देवराज	६
ऋसदस्यु	१४६	देवराजन	८३
त्रिशुक्र	९४	देवलक्ष्म	२१५
त्रिशुक्रिय	९४	देवापि	२८
त्रिशूलधारी	६	देवेषित	१५
षियेन जाति	१५०	देवेषुहर्विषी	१६२
दडघर	२२४	देशातीत	२४२
दक्षिणा	५६	दोन्नात्य	२२९
दड	१६५	दूतक्रीडा	२०७
दधिद्रव्यक याग	२०४	द्रविड	२
दम्पती	२९	द्रविड संस्कृति	२
दर्शन्त्रुणमास	२०३	दुष्टु	१६२
दशरथ	१४६	द्रोपदी	१३९
दान	८८	द्वादश मठल	१८५
दामोदर नदी	१५	घनघानी	४८
दाशनिक चिन्तन	१९८	घर्मेपति	१७३

धर्मविधिकारी	१७४	नैषधि	५१
धृष्टद्युम्न	१४६	नैपाल	१८
धृतराष्ट्र	१६१	तोकोम	२०
धृतव्रत	१८७	न्यग्रोघ	५४
धेनु	५६	पचजन	३८
धैवर	६१	पचपशुबलि	२१६
नकुल	१०८	पचमहायज्ञ	२१७
नगरनिर्माण पद्धति	२१७	पंच-मार्क्ड सिक्के	६४
नगरिन्	४८	पचविश्व ब्राह्मण	६१
नटराज	४	पचाग्नि विद्या	१०२
ननदू	१५०	पचाल नरेश	८३
नस्	१३५	पचोदन क्रिया	१६०
नरवन्दर	६	पजाव	१, ३७
नाग उपासना	८, २३८	पणि	६५
नागरिक सम्यता	१	पत्तग	५१
नाड	४१	पत्नीना सदन	६७
नाभानेदिष्ट	२३२	परमप्रक्षा	२८५
नारद	४१	परशु	५६
नाराशंसी	९४	पराशर	११३
निकटाभिगमन	२२४	परिखा	१६७
निष्ठावर	१४	परिचक्रा	४८
निदिष्यासन	२३९	पर्यग्निकरण	२१०, २१२
निधि	९४	पलद	६९
निमित्तातीत	२४२	पवस्त	३५
निरुक्त	११२	पशुपति	४, २२७
निरुद्धपशुवन्ध	२०४	पशुपालन	४६, ५४
निषाद	१७	पशुयज्ञ	२०६
निषाद संस्कृति	१३, १४, १५	पशुवध	२०६
निष्क	६३	पस्था	६८
निष्कासन	१०१	पाणिनि	५६
नीलशिखण्डन	२२६	पाण्डु	१६१
नीवार	५४	पातिव्रत्य भावना	१४५

पादप-पूजा	७	पुरुष	२०४
पाप्मा	१२६	पुरुषनारायण	२१३
पारिवारिक जीवन	२९	पुरुषमेघ	२१३
पारिवारिक व्यवस्था	२६	पुरुष-सूक्त	२८, ७२, १०३, १०८
पार्णव यज्ञ	२०३	पुलिन्द जाति	४२
पार्वती	२३३	पुलकश	११७
पादर्वनाथ	१५	पूजा	७
पाशंद्वाण	१४७	पूर्ववेदिक आर्यंधर्म	३२
पाल	१३०	पूषन्	३४, ५६
पालागल	१२१, १६३	पृथ्वी	१७२, १७९, २०४
पालागली	११३	पेशाश्	६१
पालीनेशियन	१७	पैतृक व्यवसाय	६५
पादिन	६१	पैप्पलाद ऋषि	४१
पिण्डपितृयज्ञ	२०३	पैप्पलाद शाखा (अथर्ववेद)	४०
पिता	३१, १४५, १४८	पीरोहित्य	८३
पितामह	१३४	प्रकृतिचित्रग्रहणपेक्षी	१६७
पितृपूजा	२०१	प्रजाति	१
पितृप्रधान	१४५	प्रजातीय पार्थक्य	१०६
पितृप्रभुत्व	२६	प्रजापति	२०२, २२४, २२५
पितृयज्ञ	२१८	प्रतिपत्ति कर्म	३५
पितृयान	२४८	प्रतिभ्रातृव्य	१४१
पितृव्य	१५२	प्रतिरूपचर्या	८८
पिश्य	६४	प्रनितामह	१३४
पुजिष्ठ	६१	प्रवर्ग्य	१५७
पुसवन	१४५	प्रवाहण जैवलि	८३, ९१
पुरेहू	४०	प्रश्नो पनिषद्	३७
पुनर्जन्म	२४८	प्राग्वैदिक	१
पुराण	२१८	प्राग-आस्ट्रोलिद	१२
पुर	१६७	प्राचीर	१६७
पुरन्दर	२२	प्राणमय कोष	२४४
	१६२	प्रादेशिक राज्य	१६४
	६०	प्रियगु	५४

प्रोटो आस्ट्रोलायड	५३	ब्रह्मविद्याप्रणेता	१०१
प्रोष्ठ	१३१	ब्रह्महस्या	६२
फर्स स्वावाद	३६	ब्रह्मा	१५८
बदायूँ	३९	ब्रह्मोदय	६४
बरेली	३६	ब्राह्मण क्षत्रिय प्रतिस्पद्दि	६७
बघा	४१	ब्राह्मण धर्म	१६, ६३, ६४, ९५
बहिः	६६		९५ इत्यादि
बलिदान	२०१	ब्राह्मण्य	८८
बलूचिस्तान	२	ब्रिकाल्ट	३०
बवेरु राज्य	६७	भगतराव	२
बहुपतिकता	१३६	भरतपुर	३९
बहुपत्नीक	१३६	भविष्यपुराण	११३
बहुभृता	३२	भागधूक्	१८२
बालिकावध	१४८	भागवतपुराण	१३
सुन्देलखड	४२	भावात्मक कोष	२४८
बृषभवाह	६	भाषा वैज्ञानिक	१३
बृहत्सहिता	१६	भिषग्	१०६
बृहद् देवता	१३	भील	१८
बृहस्पति	३४	भूतपति	२२८
बेन गगा	४१	भूतयश	२२८
बैवीलोनिया	२०	भूमध्यसागरीय जाति	२, ५
बोकजकुई	२०, ६६	भूमि	११५
बीदिक कोष	२४७	भोज	१६६
बीघायन श्रीतसूत्र	२१४	भोज्य	१६४
ब्रह्मगाव	९८	भोज्य शासनपद्धति	१६६
ब्रह्मचर्यब्रत	११४	ब्रातृव्य	१२६
ब्रह्मजय	६८	मगोलिद	११
ब्रह्मन्	१७, २४१, २४२, २४३,	मत्रिमण्डल	१८४
	२४४, इत्यादि	मधवन्	३५
ब्रह्मयज्ञ	२१८	मटची	३८
ब्रह्मवर्चस	६४	मणिकार्	५६
ब्रह्मवादिनी	१५३	मरस्य पुराण	>

मदनपाल	११३	मृगयु	२३१
मद्रदेश	१०	मृणमय पुरुष	२१०
मध्यदेश	१७	मृत्युनाश	२२
मन	६७	मृद्धवाक्	२१
मनोमय कोष	२४४	मेगस्थनीज	१९३
ममता	१४०	मेण्डक	४८
मदंन	५२	मेद-आहुति	२१८
महानारायण	२३४	मेलेनेशिया	१८
महानिरष्ट	५४	मेष, पशु	१०६
महाभारत	१०, १०९, १६७	मैविसको	१८०
महाभिषक्	२३०	मैत्रायणी सहिता	३७
महावृष्ट	१०८	मोहन जोवडो	२, २०, २२
महाब्रीहि	५३	यश्चत्त्व	१९८
महिपी	१८७	यज्ञस्था	१९९
मातग	१४	यज्ञानिन	१०७
मातुञ्चात्रि	१५२	यज्ञीय कर्मकारण	१९८
मातुल	१५२	यथाकामज्जेय	१०५
मातृ वशीय	१९	यथाकामवध्य	१११
मातृशक्ति	५	यदु	१६२
मातृसत्तात्मक	१९	यमुना	२९३
मातृस्यानीय	१९	याज्ञवल्क्य	८४
माधवी	१४०	यादव	१६९
माप	५४	युद्ध विद्या	११५
मासिक यज्ञ	२०३	युविष्ठिर	१२३
मित्र	३४	यूनान	२०
मिथ्याभिचारिक	३०६	यूपवद्ध	२१२
मिर्जपुर	५७	योगी	४
मीना	६७	रगपुर	१६८
मुण्डकोपनिषद्	१६	रजस्	२४३
मुण्डा	१८	रजस्वला नारी	१५९
	१०८, २०५	रजजुसगं	५९
	४२	रक्तहविषी	. ११८

रत्नहवि	१८४	रुचम्	१२४
रत्नि	१०७	रुद्र	३४, ७८, २२६, २२७, २२८,
रत्नीमंडल	१८५		२३०, २३१, २३२, २३३, इत्यादि
रथकार	५९	रूपड	४७
रथचालक	१९१	रैक्व	४६
रथघावन	२०७	रोहित	२३७
रथवीति	३०	लक्ष्मी	५
रथसेना	१८१	लद्धाख	१८
राजतत्र	१६२	लवन	५८
राजतत्रात्मक शासनपद्धति	१७०	लाट्यायन	७७
राजन्य ७४, १०१, १७१, इत्यादि		लिंगपूजा	८
राजन्यर्षि	८३	लोथल	१६८
राजपुत्र	१७७	लोपामुद्रा	१३३
राजपुर परसू	१२	लोहायस	६२
राजआता	१७७	वग	४०
राजबाडे	१४८	वणिक	९
राजसत्ता	७९	वणिक्कृति	२००
राजसूय ३८, १६२, १७१, १७५, १७९, २८४, २०३ इत्यादि		वणिज	६५
राजस्थान	३९	वत्स	७२
राजा परीक्षित	१७७	वधु	१५१
राजा हरिकचन्द्र	१३७	वध	५९
राज्य	१५४	वपन	५२
राज्याभिषेक	९७	वयिनी	६१
रानाघुण्डाई	२२	वण-धर्म	१९९
रामायण	१४६	वरुण	३३, २३३
रामायणकाल	१५४	वरुणप्रधास	२०५
रायपुर	४२	वलिहृत	२७, १८२
राष्ट्रगोप	१८६	वशा	५६
राष्ट्रभृत्य	१८०	वशिष्ठ	१५३
राष्ट्रिय, शक्तिमणी	१७८	वशिष्ठ धर्मसूत्र	१५८
	१४१	वसुधा, सागरवेष्ठिता	२४
		वह्य	१६२

वाकोवाक	१०८	वीतहृष्य श्रायस	१४६
वासी	१४०	वृपभ मित्र	३
वाजपेय	१०७, २०३	वृपाकपि	६
वाजिनीवती	५७	वृष्णि	१६९
वाणिज्य	७, ६४, ६५	वेल्लर जाति	१२०
वाणिज्या	६५	वैदमि	४१
वामन	१५८	वैष्वध	१५९
वायु पुराण	४२	वेराज्य	१६४
वालाकि गार्य	९९	वैश्य २८ १०३, १०४, १०५, १०६	
वावाता	८८	१०७, १०९ इत्यादि	
वासुदेव कृष्ण	१६९	वैश्वदेव हीम	२०३
वास्तु	६८	व्यवसायोपजीवी	१०४
वाह्नीक	१०८	व्यास	११३
विक्रन्ताना पति	२३१	व्यासहैपायन	१६१
विज्ञानमय कोष	२४४	व्रातपति	५३१
विदलकार	५९	व्रात्य ६३, २२८ २२९, २३०	
विदलकारी	६१	व्रात्यसूक्त	२२८
विदूषक	१९२	ब्रीहि	५३
विदेह	३९	शकुत	२५
विन्ध्य पर्वतमाला	४२	शङ्कुराचार्य	१५
विराट्	२१३	शण	६०
विल्व	५४	शतभूजी	२१
विश	८०	शतमान	६३
विशामता	१७१	शतवर जाति	४२
विशिष्टाद्वैतवाद	२४५	शत्वर	१८
विश्वदेव	७८	शम्भु	४
विश्वन्त सौशदमन	९८	शतश्चित्र	९८
विश्वामित्र	२७, ८३	शतश्चित्र पाठ	२१७
विषपायी	२३०	शतवार	१४५
विष्णु	३४, २३४, २३५	शर्यति मानव	१६२
विसीली	१२	शाकला	२०२
वीतहृष्य	१६९	शाक्तमत	४

शाख्यायन ब्राह्मण	११३	इवेतकेतु	१५, १९
शाख्यायन श्रौतसूत्र	४२	षोडशी	२०३, २०८
शारदी	२१	षोडशी स्तोत्र	००८
शारिशाका	५४	संग्रहीतृ	१८९
शारीरिक कोश	२४७	सथागार	१६९
शिमला	२	सथाल	१८
शिव	४, २२७	समुक्त परिवार	१८६
शुन शीर	५१	सवत्सरवासिन	६५
शुन शेष	८५, २११	सगुण	२४२
शुनासीरीय	२०५	सगोत्र विवाह	१४१
शूकरावतार	२२५	सजात	१७२
शूद्र १८८, १०९, ११० १११, ११२,		सत्यकाम जावाल	८६, २५०
११३, ११४, ११५, ११६, ११७,		सत्यवती	१६१
११८, ११९ १२० इत्यादि		सत्र	२०३
शूलगव	२०३	सत्रजित शतानीक	१६३
शेम्बू	४	सत्वत	४१
श्यामाक	५४	सदस	६८
श्यापर्णस	६४	सप्तसिन्धु प्रदेश	१०२
श्येन	१७२	सप्तसैधव	२०
श्येनचिति	२१४	समाहर्ता	१८३
श्रमण	२५१	सम्प्रसुता	१९५
श्रमविभाजन	७३	सम्बलपुर	४२
श्राद्ध यज्ञ	२०३	सम्राट्	२१३
श्रावस्त्री	४८	सरकार	१९५
श्रेष्ठी	५८	सरस्वती	३७, १०६
श्रैष्ट्य	२१३	सर्व विद्या	४४
श्रौत सूत्र	८५	सर्वमेघ	२३१
श्रीताग्नि	२०३	सर्वराट्	२१३
श्वनि	२३१	सर्वेश्वरवाद	३३
श्वपाक	११७	सविता	१७३
श्वश्रू	१५२	सवितृ	३४
श्वाश्व	२२८	सामनस्य सूक्त	१३१

साकमेघ	२०५	सीत्रामणी	२०३
सारथी	१८९	सौराष्ट्र	२२
सार्वभीमपद	१६३	स्कम्भ	२३६
सीढ़ोई	१०८	स्तरी	५६
सीता	५१	स्तायूना पति	२३१
सुकन्या	१४५	स्तेनाना पति	२३१
सुत्कंजेन्डीर	३	स्थिवि	५२
सुदाम	२३	स्थावर सृष्टि	२४२
सुभद्रा	१४१	स्मार्तग्नि	२०३
सुमनेर	२०	स्वराद्	२१३
सुमेर	५०	स्वराद् शासक	१६७
सुमेरियन प्रदेश	९	स्वापन सूक्त	१३१
सुमेरियन सस्कृति	५०,८२५	स्वामी	११५
सुराकार	५९	स्वाराज्य	२१३
सुवर्ण	६३	हड्ड्या	२
सुवासा	६०	हनुमान	६
सुपुति	२४०	हरिष्चन्द्र	८५
सूत	१८९	हम्यं	६८
सूतवशा	५६	हविर्वानि	६८
सूत्रयुग	१०६,१५२	हविर्यज्ञ	२०३
सूय	५,३२	हविष्य	२०१
सूज्य	१७७	हस्तिनापुर	१२
सेनानी	१२१	हस्तिपालन	१४
सैन्धव	५७	हापून	१२
सैन्धवन्लिपि	५	हिती	२०
सैन्धव सम्यता	२	हिन्द-ईरानी युग	१२९
सोड्हाई	१०९	हिरण्यकशिपु	७०
सोम	७८	हिरण्यकेशि गृहसुत्र	१४१
सोमक	३८	हिरण्यपुरुष	२१०
सोमयज्ञ	६५७,२०३	हीनसिप्पम	१९६
सोमरस	६०	हुइतीवर्गं	११५
सोमाहुति	२१८	हैमवती	२३३

हैह्य	१७०	स्त्री	४४
हो	१८	स्त्री जेपा	४४
होता	३५	स्त्री पति	४४
होमरयुगीन	१०७	स्त्रीजय	४४
क्षत्रृ	५९	स्त्रीपत्नी	४४

